लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
Parliament
14-10-97

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 5.1.(U)...63
Date.....9...X...).9

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 39, बुधवार, 18 अप्रैल, 1979 / 28 चैत्र 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—19
* तारांकित प्रश्न संख्या : 763, 765, 767 से 769, 772 और 774	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	19—175
तारांकित प्रश्न संख्या : 764, 766, 770, 773 और 775 से 783	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 7401 से 7403, 7405, से 7413, 7415,7417 से 7425,7427 से 7441,7443 से 7460,7462 से 7477,7479 से 7481,7483, 7484,7486 से 7551,7553 से 7558,7560 से 7574,7576 से 7581,7583 से 7592 और 7594 से 7599	

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 176

लोक लेखा समिति 176

124वां प्रतिवेदन

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति 176

40वां प्रतिवेदन

बड़े औद्योगिक गृह सम्बन्धी जांच आयोग के बारे में

वक्तव्य 177—181

नियम 377 के अधीन मामले 181—184

(एक) राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार

चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा 181

(दो) कोचीन पत्तन का विकास

श्री के० ए० राजन 181

(तीन) भटिण्डा में गुरू नानक तापीय बिजली घर के बन्द होने का समाचार

श्री भगत राम 183

(चार) केरल के कन्नानूर जिले में डीजल और पैट्रोल की कमी का समाचार

श्री रामचन्द्रन कड़नापल्ली 183

अनुदानों की मांगें, 1979-80 184—224, 227—251

उद्योग मन्त्रालय

श्री कृष्ण चन्द्र हल्दर 184

श्री उग्रसेन 188

श्री आर० कोलनथाइवेलु 194

श्री लक्ष्मी नारायण नायक 198

श्रीमती पार्वती देवी 202

श्री दाजीबा देसाई 204

श्री रूपलाल सोमानी 206

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति 209

श्री कचरूलाल हेमराज जैन 213

श्री आर० एन० राकेश 216
श्रीमती वी० जयलक्ष्मी 218
श्री बेगाराम चौहान 223
श्री ए० सुन्ना साहिब 227
श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा 230
श्री मनोहर लाल 232
श्री बी० रचैया 235
श्री मोतीभाई आर० चौधरी 236
श्री राम किशन 239
श्री पी० के० कोडियन 243
श्री पूर्ण नारायण सिन्हा 244
श्री वयालार रवि 246
श्री गणनाथ प्रधान 247
श्री सोमनाथ चटर्जी 249
जमशेदपुर में विद्यमान स्थिति के बारे में वक्तव्य 224—227
जमशेदपुर में विद्यमान स्थिति के बारे में चर्चा 251—302
श्रीमती मोहसिना किदवई 251
श्री हरिकेश बहादुर 255
श्री विजय कुमार मल्होत्रा 258
श्री मोहम्मद कुरेशी 261
श्री रशीद मसूद 266
डा० रामजी सिंह 269
श्री ज्योतिर्मय बसु 272
श्री सईद लियाकत हुसैन 276
डा० मुरली मनोहर जोशी 278
श्री ए० अशोक राज 281
श्री बृज भूषण तिवारी 283
श्री सत्यदेव सिंह 286
श्री के० ए० राजन 289
श्री ए० के० राय 291
श्री सी० एम० स्टीफन 293
श्री एच० एम० पटेल 296

लोक सभा

बुधवार, 18 अप्रैल, 1979/28 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 2 मिनट पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कारों के मूल्यों में वृद्धि

*763. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में चार प्रमुख कार निर्माताओं में से दो ने अपने उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि कर दी है और यह वृद्धि 2000 रुपये और 3000 रुपये के बीच है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माताओं ने सरकार की अनुमति से मूल्यों में वृद्धि की है; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की अनुमति दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) तथा (ख) 1-1-1979 तथा 1-4-1979 की अवधि में कार के दो निर्माताओं अर्थात् मैं० हिन्दुस्तान मोटर्स तथा स्टैन्डर्ड मोटर प्रोडक्ट्स आफ इन्डिया ने अपनी एम्बेसडर व स्टैंडर्ड गेजल कारों का कारखाने से निकलते समय का शुद्ध मूल्य क्रमशः 4057/- रुपए तथा 2000/- रुपये तक बढ़ा दिया है ।

(ग) तथा (घ) यात्री कारों का उत्पादन पूर्णतः गैर-सरकारी क्षेत्र में है । कारों के मूल्यों पर कोई सरकारी नियन्त्रण नहीं है । अतः निर्माताओं द्वारा अपनी कारों के लिए निर्धारित किए गए मूल्यों को कोई स्वीकृति नहीं दी गई है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गैर सरकारी क्षेत्र में एकाधिकारियों के लिए यह लूट मचाने की एक सबसे बड़ी जगह है । वर्ष 1957 से 1979 तक लगभग 15 बार मूल्य वृद्धि हुई और शुद्ध वृद्धि वर्ष 1957 के मूल्यों की तुलना में वर्तमान मूल्य से 350% अधिक है । वर्ष 1957 में यह वृद्धि 3848 रुपये थी । यह हिंदुस्तान एम्बेसडर कार के सम्बन्ध में है । तब से बीच में अनेक बार वृद्धि

हुई है । 16 अप्रैल, 1971 को यह वृद्धि 1497 रुपये थी । 1 जनवरी, 1974 को यह वृद्धि 950 रुपये थी । 1 अप्रैल, 1975 को यह 1698 रुपये थी । 24 दिसम्बर, 1977 को यह 1500 रुपये थी । 1 अप्रैल, 1978 को यह 2250 रुपए थी । 24 जनवरी, 1979 को यह 1500 रुपये थी और 30 जनवरी, 1979 को यह 2000 रुपए थी । इसी प्रकार फिएट कार के लिए वृद्धि इस प्रकार है ।

अध्यक्ष महोदय : हमारा उन आंकड़ों से कोई संबंध नहीं है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : फिएट कार के लिए यह वृद्धि 1 जनवरी, 1957 को 3726 रुपये थी । 1 मई, 1978 को यह वृद्धि 2404 रुपये थी । इसी प्रकार स्टैंडर्ड कार के लिए मूल्यों में वृद्धि अनेक बार हुई ।

इसी तरह स्टैन्डर्ड कार के संबंध में भी यही बात है । हमें पता चला है कि ब्रिटेन में, जहां आज इस देश की तुलना में श्रमिक की मजूरी 20 गुनी अधिक है, यात्री कारों के लिए कारों का कारखाना द्वार मूल्य भारत में प्रचलित मूल्यों की तुलना में 53-56 प्रतिशत है । एक मामले में ब्रिटेन में वाणिज्यिक वाहनों का मूल्य 50 प्रतिशत है और एक दूसरे मामले में 60 प्रतिशत है । ब्रिटेन में मोटर साइकिल का कारखाना द्वार मूल्य 70 प्रतिशत है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पर आइये ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : तीन कार निर्माताओं द्वारा दिए गए समाश्वासन जरूरी मामलों में भिन्नता रखते हैं । यद्यपि इन समाश्वासनों के अन्तर्गत सभी दोषयुक्त पुर्जों को समाश्वासन अवधि के दौरान निःशुल्क बदला जायेगा, इस संबंध में भी अनेक व्यापारी ग्राहकों को उचित सेवा प्रदान नहीं कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस तथ्य को देखते हुए, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि चूंकि अब तक किए गए सभी प्रयास उपभोक्ता के हितों के विरुद्ध गए हैं—क्या वह यथाशीघ्र एक आयोग नियुक्त करेंगे जो कार की लागत विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए कारों के निर्माण के लागत ढांचें पर फिर से विचार करेगा, जैसा कि ब्रिटेन में प्रचलित है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह सच है कि हाल के वर्षों में कारों के मूल्यों में वृद्धि हुई है और इस वृद्धि का एक कारण यह भी है कि करों में, जो लगाए गए हैं, कुछ वृद्धि हुई है । पहले भी सरकार ने कारों का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्रयास किया था और माननीय सदस्य को पता होगा कि कार निर्माता उच्चतम न्यायालय को गए थे और उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि कारों का मूल्य इस तरीके से, जिस तरीके से मूल्य उद्योग (विकास तथा विनियमन) के अन्तर्गत निर्धारित किए गए थे, निर्धारित करने का कोई औचित्य नहीं है । वर्ष 1975 में सरकार ने यह देखने का प्रयास किया कि क्या उन्हें किसी मूल्य का सुझाव दिया जा सकता है । यह प्रयास 1975 में छोड़ दिया गया था और तब से किसी प्रकार का विनियमन नहीं है । माननीय सदस्य ने मूल्य के बारे में जांच करने हेतु सरकार को किसी एजेंसी को नियुक्त करने का सुझाव दिया था । हमारा एक औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो है । हम औद्योगिक लागत और मूल्य

ब्यूरो को वर्तमान मूल्य ढांचें की जांच करने और यह पता लगाने को कह सकते हैं कि हम कहां तक मूल्य कम करने के लिए उन्हें कह सकते हैं ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : टैरिफ आयोग के प्रतिवेदन के पृष्ठ 29 में उचित विक्रय मूल्य निर्धारित करने के बारे में हैं, उसमें निम्न प्रकार से बताया गया है :

> "आटो कार (इंगलैंड) की नवीनतम किस्म यह बताती है कि टाइम्स हेराल्ड 1200 का कर रहित मूल्य 544 पौंड है जो 9792 रुपए बैठता है । इसमें से 20 प्रतिशत कम करके जो डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन और लाभ है, यह मूल्य 7834 रुपये बैठता है ।"

अध्यक्ष महोदय : यदि आप अपनी सारी विद्वता यहां दिखाना चाहते हैं, तो यह कठिन होगा । हम प्रश्न पर आएं । कठिनाई यह है कि आपका ज्ञान बहुत अधिक है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम आगे से यह सिफारिश करेंगे कि इस सदन में पूरी तरह से गंवार लोग होने चाहिए । मैं पृष्ठ 30 से फिर पढ़ रहा हूं । इसमें लिखा है :

> "डीलरों की कमीशन की राशि और लाभ को देखते हुए यह राशि 7834 रुपये आती है । भारतीय माडल की, जो उसी साइज की और कम शक्तिशाली इंजन वाली है, बिना करों का मूल कारखाना-द्वार मूल्य 10845 रुपये अथवा 38 प्रतिशत अधिक है, ।"
> क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि क्या वह सरकारी क्षेत्र में कार का निर्माण करेंगे या नहीं ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हम मोटर वाहन उद्योग का पुनर्गठन करने और इसकी टैक्नोलाजी को ऊंचा उठाने, जिसकी यात्री कार सहित मोटर वाहन उद्योग के लिए आवश्यकता है, बातचीत कर रहे हैं । इस समय यह सब बातें सरकार के विचाराधीन हैं और हम इस मामले में निर्णय लेंगे ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : माननीय मन्त्री जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि कारों के दाम बढ़े हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि कार बनाने पर कुल कितना खर्च आता है, इसमें देशी पुर्जे तथा विदेशी पुर्जे कितनी मात्रा में होते हैं, टैक्स लगा कर यह कार इनके घर में कितने में पड़ती है, इस पर कितना वह अपने एजेंटों को मुनाफा देते हैं और मुनाफा देने के बाद वह खुद कितना लेते हैं, इसकी जानकारी अलग-अलग विस्तार में वह हमें देंगे । क्या कुछ गिरावट इसके दाम में आए उसके लिए कोई ठोस कदम वह उठाने जा रहे हैं । जैसा कि उन्होंने अभी अपने उत्तर में कहा है कि हम इसकी जांच करने जा रहे हैं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय, आपको श्री बसु के कदमों पर चलने की आवश्यकता नहीं है ।...

श्री हुकम चन्द कछवाय : इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में कोई रेट सरकार की ओर से निश्चित किया जायगा जिससे कि लोगों को उस रेट पर गाड़ी मिल सके ।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, इस समय हिन्दुस्तान कम्पनी की ओर से दो प्रकार की गाड़ियां बन रही हैं—एक एम्बैसडर मार्क 4 और एक एम्बैसडर मार्क 4 जिसके साथ डीजल

इंजन जुड़ा हुआ है। एम्बैसडर मार्क 4 की एक्स-फैक्ट्री प्राइस है 30362 रुपये। इस पर एक्साइज ड्यूटी 25 प्रतिशत है 7590 रुपये। कलकत्ता से दिल्ली तक उसको लाने का और उस पर आक्ट्राय वगैरा का कुल खर्च है 1915 रुपये। डीलर का मार्जिन है 1950 रुपये। दिल्ली प्रशासन का सेल्स टैक्स 10 प्रतिशत है—4181 रुपये 70 पैसे। रोड टैक्स है 141 रुपये। कुल मिलाकर 46139 रुपये 70 पैसे दाम होता है।

डीजल की जो गाड़ी है उसकी एक्स-फैक्ट्री प्राइस है 41362 रुपये। इस पर एक्साइज ड्यूटी 25 प्रतिशत है 10341 रुपये। दिल्ली में लाने का और आक्ट्राय वगैरा का कुल खर्च हैं 1703 रुपये। यह होता है 53706 रुपये। इस पर डीलर का मार्जिन है 2 हजार रुपये। यह होता है 55406 रुपये। इस पर डेलही सेल्स टैक्स है 10 प्रतिशत—5540 रुपये 60 पैसे। कुल मिलाकर होता है 60946 रुपये 60 पैसे। रोड टैक्स 141 रुपये है। तो गाड़ी खरीदते समय डीजल इंजन वाली गाड़ी का दाम होता है 61078 रुपये 60 पैसे।

इसमें कितने विदेशी पुर्जे हैं इसके लिए हमें नोटिस चाहिए।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड ने 15 दफा कीमतें बढ़ाई हैं पिछले 20 सालों में। दूसरी तरफ श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि इंग्लैंड का जो लेबर है उसके मुकाबिले में यहां कम उर्जत दी जाती है। इस तरह से ये कैपिटलिस्ट और सरमायेदार जो गाड़ियों के मालिक हैं इनकी तरफ से लोगों को लूटने से बचाने के लिए क्या मन्त्री जी यकीन दिलाएंगे कि वह हिन्दुस्तान मोटर्स को नेशनलाइज करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : ऐसा प्रस्ताव इस समय हमारे पास नहीं है।

श्री के० लकप्पा : मन्त्री महोदय रटा-रटाया उत्तर दे रहे हैं और मैं जानता हूं कि जब वे इस तरफ थे, तब वह हमेशा कहा करते थे कि मूल्यों में वृद्धि क्यों हुई है और वह इन कारों के मूल्य में वृद्धि का विरोध करते थे। अब वह कहते हैं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है और मूल्यों में वृद्धि पूरी तरह से उद्योगपतियों के हाथ में है और सरकार का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। कर और अन्य शुल्क उनमें जोड़ने होते हैं। इससे मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह बड़े निर्माता अर्थात् पूंजीपति कारों का निर्माण कर रहे हैं और वे मूल्य बढ़ा रहे हैं। यहां तक कि वे अनेक वर्षों से गुणवत्ता की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मन्त्री महोदय और सरकार गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने के लिए किस बात पर जोर दे रहे हैं ? घटिया किस्म के होते हुए ग्राहकों को इसके लिए भारी कीमत देनी पड़ रही है। क्या उन्होंने ऐसी गलती के लिए अच्छी किस्म की कारों का उत्पादन न करने के लिए—यद्यपि मूल्यों में अनेक बार वृद्धि हुई है, किसी उद्योगपति पर मुकदमा चलाया है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : कार की अच्छी किस्म के बारे में शिकायत उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी कार है। मैंने श्री त्योतिर्मय बसु के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इस समय हम उपलब्ध प्रौद्योगिकी को उन्नत करने में लगे हुए हैं ताकि अच्छी कार सड़क पर आ सके। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि हम यथाशीघ्र इस बारे में निर्णय लेंगे।

श्री देवव्रत बरुआ : जैसा कि मन्त्री महोदय जानते हैं कि यह एक बहुत ही अधिक संरक्षित उद्योग है और यदि इसके आयात की अनुमति दी गई होती तो सम्भवत: भारत में कोई

भी व्यक्ति यात्री कार को नहीं खरीदता। इसलिए इस उद्योग को तथा इसकी लागत व्यवस्था के संरक्षित करने का क्या मतलब है? उच्चतम न्यायालय में बहुत पचड़े हैं। उससे आपको सहायता नहीं मिलेगों क्योंकि आप बैलेंसशीट के आधार पर जाते हैं। धन सहायक निर्माताओं को जाता है जो भारी लाभ कमाते हैं। क्या सरकार यह जानने से पहले कि वास्तविक लागत क्या है, इस पहलू पर विचार करेगी? मूल्य निर्धारित करने के लिए कानून को बदला जा सकता है। क्या लागत तथा मूल्य ब्यूरो को यह कार्य दिया गया है क्योंकि ब्यूरो ने अनेक मामलों में अच्छी रिपोर्टें दी है और जहां तक मैं जानता हूँ उन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सब विवादों को देखते हुए क्या सरकार समूचे मोटर वाहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने पहले ही उस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

लद्दाख का औद्योगिक विकास

*765. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख में, जो सबसे कम विकसित है और जम्मू तथा काश्मीर राज्य के विकास मान चित्र में निम्नस्तर पर है, औद्योगिक गतिविधि आरम्भ करने के लिए विशेष कार्यवाही करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, हां।

(ख) जम्मू तथा काश्मीर के लिए जिसमें लद्दाख भी शामिल है, भारत सरकार द्वारा 13 अप्रैल, 1978 को 10 जिला उद्योग केन्द्र मंजूर किये गये थे।

1978-79 की अवधि में (दिसम्बर, 1978 तक) जिला उद्योग केन्द्र लद्दाख के नये उद्यमियों के मार्गदर्शन के लिए 40 नई परियोजनाएं (रूप रेखा/प्रोफाइलें) तैयार की गई हैं, 10 नये उद्यमियों का पता लगाया गया है, छः नये एककों को लघु एककों के रूप में पंजीकृत किया गया और वित्तीय संस्थानों द्वारा 7.53 लाख रु० की राशि ऋण सहायता के रूप में दी गई। 30 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। प्रबन्धकीय तथा अन्य परामर्शदायी सेवाएं भी कई विद्यमान एककों को दी गई थी।

जिला उद्योग केन्द्र लद्दाख ने 1979-80 की अवधि के लिए 7.50 लाख रु० के संभावित निवेश से 35 और एकक स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है इससे अन्य 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और इसमें 35 लाख रु० के सकल मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान है।

श्रीमती पार्वती देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे इस क्वैश्चन पर बोलने का अवसर दिया।

जम्मू और काश्मीर राज्य में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण देश में लद्दाख सबसे अधिक पिछड़ा जिला है। देश में औद्योगिक विकास में असंतुलन का जीता जागता उदाहरण यदि कहीं है तो वह लद्दाख में है। यदि देश में आजादी के बाद किसी जिले में एक भी उद्योग नहीं खुला तो वह

लद्दाख है। प्राकृतिक सौंदर्य और आर्थिक गरीबी का परस्पर विरोधाभास यदि कहीं है तो वह लद्दाख में है।

लद्दाख में ठंड अधिक है। जमीन रेतीली है और वर्षा कम होती है। नदी के किनारे और पर्वतों के बीच कहीं-कहीं खेती होती है। लद्दाख में बहुत अधिक गरीबी है। इस पिछड़े क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना और विकास के लिए विशेष योजना बनाई जानी चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ कि लद्दाख में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए बुनियादी साधनों की दिशा में क्या उपाय किए गए हैं? बैंकों की ओर से उद्योगों के लिए कितना कर्ज दिया गया है। बिजली उत्पादन, सड़कों का निर्माण, संचार के साधन बढ़ाने के लिए क्या-क्या काम दिया गया है? क्या यह सच है कि स्टेट बैंक आफ इंडिया ने जम्मू और काश्मीर राज्य का विकास की दृष्टि से अध्ययन किया है और इस बैंक को इस जिले में लीड बैंक का काम सौंपा है? इस बैंक द्वारा किया गया काम और उसके परिणाम क्या हैं? अब तक कितने नये उद्योग लद्दाख में स्थापित हुए हैं, उन्हें कितना कर्ज अथवा वित्तीय सहायता दी गई है और उसके परिणामस्वरूप कितने लोगों को रोजगार मिला है?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्या की इस बात से सहमत हूँ कि लद्दाख काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है और उसके विकास के लिए विशेष प्रकार का प्रयास करना आवश्यक है। मैंने पहले ही बताया है कि वहां पर जिला-औद्योगिक-केन्द्र के माध्यम से पिछले साल काफी काम किया गया है, मगर उसका नतीजा तत्काल नहीं मिल पाया हैं। पिछले साल में वहां सिर्फ 30 नये लोगों को काम देने जैसी स्थिति का निर्माण हुआ है, इस साल इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जिला औद्योगिक केन्द्र के माध्यम से उस क्षेत्र के विकास के लिए जितना भी सम्भव है, वह जरूर करेंगे। लेकिन मैं यह भी बतला दूं कि अगली पंचवर्षीय योजना में मुख्यतया बिजली तथा अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर की जो चीजें हैं, जैसे सड़कें, आदि, पर 7 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव राज्य सरकार का है। इसमें काफी रुपया बिजली के लिए और सड़कें बनाने के लिए खर्च होगा। हमारी यह धारणा है कि जब तक इस प्रकार का इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, तब तक बड़े पैमाने पर विकास का काम होना सम्भव नहीं होगा। मैं यह भी कहूँगा कि अन्ततोगत्वा लद्दाख के विकास का जो काम है वह राज्य सरकार के माध्यम से होना है, केन्द्र की तरफ से उसमें जो भी विशेष सहायता की अपेक्षा होगी, वह देंगे।

श्रीमती पार्वती देवी : क्या सरकार का ध्यान श्री गजेन्द्र गडकर की रपट की ओर गया है, जिसमें कहा गया है कि—

> "लद्दाख हमारे देश की सीमा पर स्थित सब से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसके विकास में राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को ही विशेष रूप में योगदान देना चाहिए।"

देश-विदेश के लोग हजारों की संख्या में इस लघु तिब्बत को देखने आते हैं। लद्दाख को दुनिया की छत भी कहते हैं। यहां समुद्र-तल से औसत ऊंचाई 11,000 फुट है। लद्दाख सचमुच आकर्षक है—बाहर से। किन्तु वहां के निवासियों की पीड़ा, उनके अन्तर की वेदना और गरीबी और अशिक्षा में ग्रस्त स्थिति का वर्णन एक ही वाक्य में किया जा सकता है—वह है—

"लद्दाखी सत्तू खाते हैं, पट्टू पहनते हैं और टट्टू पर बैठते हैं।" जब कि वास्तविकता यह है कि लद्दाख में उद्योगों के विकास की काफी गुंजाइश है। पशमीना, ऊन, हथकरघा, अखरोट, सेव, खुमानी, टमाटर, आलू, प्याज, खिलौने आदि को आधार मानकर उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं। लद्दाख में एकांत और उपेक्षा की भावना दूर कर उसे खुशहाल बनाने के लिए क्या-क्या विशेष योजनायें सरकार प्रारम्भ कर रही है ?

युवा समाजवादी मन्त्री जी से लद्दाख को बड़ी आशायें हैं। मेरी उनसे प्रार्थना है कि केन्द्रीय उद्योग मन्त्रालय लद्दाख को गोद (एडाप्ट) लेकर एक आदर्श जिले के रूप में उसका विकास करें तो सचमुच राष्ट्रीय समृद्धि में समान भागीदार बनने का अवसर लद्दाख को मिलेगा और उसके जीवन में भी खुशहाली का वसंत आयेगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जिन बातों का जिक्र किया है इन सारे उद्योगों को जिला-औद्योगिक-केन्द्र के माध्यम से कायम करने का प्रयत्न जारी है तथा इन प्रयत्नों को और ज्यादा तीव्र करने की हम कोशिश करेंगे।

डा० कर्ण सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है, लद्दाख सम्भवत: देश में एक मात्र सर्वाधिक पिछड़ा जिला है और स्वाधीनता के 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी वहां अभी तक डिग्री कालिज तक नहीं है। मगर, श्रीमन् औद्योगिक विकास के बारे में तीन मुद्दे हैं, जिनके बारे में माननीय मन्त्री महोदय अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। पहले, स्टाकना पन-बिजली परियोजना रुक गई है। जब तक उस परियोजना को पूरा नहीं किया जाता, लद्दाख में बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण नहीं हो सकता। दूसरे, लद्दाख में बेरेक्स और गन्धक तथा विभिन्न अन्य दुर्लभ खनिजों सहित अन्य खनिजों के बड़े भण्डार हैं। क्या इन निक्षेपों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है ? तीसरे, लद्दाख में मुख्य रोजगार-प्रधान उद्योग पर्यटन हो सकता है, क्योंकि अब इसे पर्यटकों के लिए खोला जा रहा है और इण्डियन एयरलाइन्स ने विमान सेवा प्रारम्भ की है। क्या इस बारे में कोई विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि लद्दाखी लोगों को पर्यटन के मूलाधार ढांचे के लिए ऋण दिये जायें, जिससे बाहर के लोगों द्वारा भारी मुनाफा कमाने के बजाय, स्थानीय लोग अपने लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न कर सकें और अपने जीवन स्तर में सुधार कर सकें ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : पर्यटन के बारे में और लद्दाखी लोगों को होटल स्थापित करने के लिए ऋण देने के बारे में, मैं कोई निश्चित वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूं। परन्तु मैं माननीय सदस्य के विचार पर्यटन मन्त्री के पास निश्चित रूप से पहुँचा दूंगा, जो इस विषय में प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर सकेंगे। परन्तु, मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मुझसे इस बारे में सहमत होंगे कि पर्यटन के विकास के लिए सर्वप्रथम मूलाधार ढांचे का विकास करने की आवश्यकता है, जिसका लद्दाख में इस समय अभाव है, जैसा कि माननीय सदस्य ने स्वयं उल्लेख किया है। उन्होंने स्टाकना पनबिजली परियोजना का हवाला दिया। इस परियोजना पर पिछले वर्ष काम चलता रहता, परन्तु मुझे बताया गया है कि उस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति की वजह से काम रुक गया था। मगर, चालू योजना में, इस परियोजना को पूरा करने के लिए 8.56 करोड़ रु० की धनराशि का आवंटन किया गया है। मुझे विश्वास है कि निकट भविष्य में परि-

योजना पूरी हो जायेगी। एक अन्य परियोजना भी है, जिसका नाम पुरका चिक पानीखार पनबिजली परियोजना है, जिसके लिये 6 करोड़ रु० की राशि का नियतन किया गया है और लद्दाख में अन्य विभिन्न क्षेत्रों में अन्य विकास कार्यों के लिए 44.22 करोड़ रु० की राशि का प्रावधान किया गया है। खनिजों के विकास के बारे में, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग इस समय इस बारे में कार्य कर रहा है।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : मन्त्री महोदय ने अभी यह बात बताई है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां नहीं है और 60 करोड़ रुपये स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इससे पहले कभी स्टेट को इस बात पर बल दिया था कि हैवी इंडस्ट्रीज के लिये वह इन्फ्रास्ट्रक्चर कायम करे ? कभी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इस पर बल देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कहा था ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये नोटिस दिया जाना चाहिए कि क्या उद्योग मन्त्रालय लद्दाख में मूलाधार ढांचे के विकास के बारे में कभी भी सम्बद्ध रहा था।

उत्तर प्रदेश में सीमेंट का आबंटन

*767. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सीमेंट की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में अनेक सरकारी और गैर-सरकारी निर्माण कार्य रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का का विचार राज्य को सीमेंट की अतिरिक्त मात्रा आबंटित करने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1979-80 में राज्य को सीमेंट की कितनी अतिरिक्त मात्रा का आबंटन करने का विचार है।

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) सरकार को पता है कि 1978-79 की अवधि में सीमेंट का उल्लेखनीय उत्पादन होने के बावजूद निर्माण कार्य तेजी से होने तथा उपलब्ध मात्रा से मांग अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश भागों में सीमेंट की कमी रही है।

(ख) उत्तर प्रदेश को 4.95 लाख मी० टन का सीमेंट का तिमाही आबंटन किया जाता है। अक्तूबर 1978 में बाढ़ के कारण हुई क्षति की मरम्मत के लिए राज्य को अक्तूबर-दिसम्बर, 1978 में 90,000 मी० टन तथा जनवरी से मार्च, 1979 की अवधि में 60,000 मी० टन का अतिरिक्त आबंटन किया गया था। राज्य के लिये अप्रैल से जून, 1979 को तिमाही के लिये आबंटन 10 प्रतिशत अर्थात् 5,44,500 लाख मी० टन तक बढ़ा दिया गया है।

(ग) चूंकि आबंटन तिमाही के आधार पर किया जाता है जो प्रत्येक तिमाही में प्रत्या-

शित उपलभ्यता पर निर्भर करता है, इसलिये वर्ष 1979-80 में कितना आबंटन करने का प्रस्ताव है यह बता सकना अभी संभव नहीं है।

श्री गंगा भक्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कितने हैं और कहां-कहां हैं और उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री गंगा भक्त सिंह : मैं यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश की सीमेंट की मांग को पूरा करने के लिए क्या सरकार ने बड़े और मिनी कारखाने खोलने के लिये कोई योजना बनाई है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : उत्तर प्रदेश में इस समय चुर्क और डल्ला के दो सीमेंट के कारखाने हैं, जिनमें सीमेंट बनता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में इसी साल हम यह आशा करते हैं कि डल्ला में जो कारखाने का विकास हो रहा है, उसके चलते लगभग 16 लाख टन और सीमेंट उत्पादन करने की क्षमता इस साल के अन्त तक वहां पर हो जाएगी। राज्य सरकार की ओर से इस कारखाने को बनाने का काम चल रहा है और हम अपनी तरफ से उनको हर प्रकार की आवश्यक मदद कर रहे हैं जिससे यह साल पूरा होने तक वह सीमेन्ट के कारखाने का काम पूरा कर सकें।

जहां तक मिनी कारखाने खड़ा करने का सवाल है, हमने सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और उद्योग मन्त्रियों को लिखा था और उनसे यह कहा है कि जहां-जहां लाइमस्टोन कम मात्रा में मिलता है, वहां पर मिनी सीमेन्ट लगाने के लिए वे हर प्रकार का प्रयत्न करें और इसके लिए उनको हर प्रकार का हमारा सहयोग मिलेगा। उत्तर प्रदेश से इस वक्त कितने ऐसे प्रस्ताव आए हैं, मैं इस क्षण नहीं बतला पाऊंगा लेकिन मैं माननीय सदस्य को इसका उत्तर दे दूंगा।

कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान के योगदान का प्रतिशत

*768. **श्री ए० के० राय** : क्या योजना मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक अनुसंधान ने कितने प्रतिशत योगदान दिया;

(ख) उस पर कितने प्रतिशत व्यय हुआ; और

(ग) क्या योगदान और व्यय दोनों में जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वैज्ञानिक और शिल्प-वैज्ञानिक अनुसंधान के अंशदान को अलग करना साध्य नहीं है।

(ख) राज्य और निजी क्षेत्रों में 1977-78 और 1978-79 में विज्ञान और शिल्प-विज्ञान के निवेश से सम्बन्धित आंकड़े संकलित किए जा रहे हैं।

1976-77 में विज्ञान और शिल्प-विज्ञान के लिए निवेश सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.63 प्रतिशत था; इसमें केन्द्रीय क्षेत्र में निवेश 0.51 प्रतिशत था। 1977-78 और 1978-79 में विज्ञान और शिल्पविज्ञान के लिए केन्द्रीय निवेश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन के क्रमशः 0.57 प्रतिशत और 0.62 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय क्षेत्र में विज्ञान और शिल्पविज्ञान के लिए निवेश (योजनागत और योजनेतर) 1976-77 में 361 करोड़ रु० से बढ़कर 1978-79 में यथा अनुमानित 513 करोड़ रु० हो गया।

श्री ए० के० राय : अगर आप मन्त्री महोदय का उत्तर पढ़ें, तो उससे पता चलता है कि वह अत्यधिक दुखद और निराशाजनक है। इससे पता चलता है कि सरकार को यह भी नहीं पता कि विज्ञान और प्रोद्यौगिकी के क्षेत्र में उसका क्या स्थान है। देश में इस बात की बढ़ती हुई आशंका है कि यह जनता सरकार विज्ञान-विरोधी, संगठन-विरोधी और.....

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ए० के० राय : यही नहीं, संसद द्वारा पारित 1958 के विज्ञान-नीति संकल्प को तोड़ने-मरोड़ने का जान-बूझकर प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछने के लिए खड़े हुए हैं। आप अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ए० के० राय : आपको पता है कि कुछ समय पहले एक माननीय सदस्य श्री चव्हाण ने अपनी आशंका के बारे में प्रधान मन्त्री को पत्र भी लिखा था.....

अध्यक्ष महोदय : कृपया बहस प्रारम्भ न करें। आप प्रश्न तो पूछिए।

श्री ए० के० राय : मैं क्या प्रश्न पूछूं ? यह प्रश्न पूछे जाने के काबिल ही नहीं है। भाग (क) के उत्तर में वह कहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं है कि सम्पूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी का सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या योगदान है। यह हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अपमान है। आप जानते हैं कि हमारी पंचवर्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी की योजना है और प्रत्येक योजना की निष्पत्ति परियोजना होती है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि क्या उन्हें यह पता नहीं है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन में क्या योगदान है और वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी निष्पत्ति परियोजना किस प्रकार बना रहे हैं और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वह जो पूंजी निवेश कर रहे हैं, उस समय पूंजी निवेश पर वह किस प्रकार नियन्त्रण और संतुलन कर रहे हैं।

श्री फजलुर्रहमान : जहां तक उनकी चुनौती का सम्बन्ध है, मैं उनकी आशंका के बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता; कोई भी व्यक्ति आशंका की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। जो कुछ वह कह रहे हैं वह मैंने कभी भी नहीं कहा है। मैंने केवल यह कहा है कि सकल राष्ट्रीय उत्पादन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंशदान की प्रतिशतता को पृथक करना बहुत कठिन है; क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहुत से विषय शामिल हैं। अपने उत्पादन में वास्तविक अंशदान का पता करना बहुत कठिन है।

श्री ए० के० राय : विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उद्देश्य के लिए दो मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। एक है गरीबी का उन्मूलन और दूसरा है आत्म-निर्भरता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विदेशी सहयोग पर निर्भरता बढ़ती जा रही है जैसे कि भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि० द्वारा सीमेन्स के साथ सहयोग करार और उर्वरकों आदि के उत्पादन के लिए यूनाइटेड मेकान और एक अमरीकी कम्पनी पर आश्रित होना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के लिये धनराशि के अल्प-उपयोग को ध्यान में रखते हुए, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने किसी वैज्ञानिक संस्था के माध्यम से इन सभी सहयोग करारों की उपयोगिता के बारे में समीक्षा की है और क्या इससे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है।

दूसरा प्रश्न यह है कि जैसी कि हमारे पास जानकारी है—मुझे पता नहीं आपको दूसरी जानकारी है या नहीं—केन्द्रीय औद्योगिक तथा वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद् की विभिन्न प्रयोग-शालाओं में हजारों पेटेन्ट पड़े सड़ रहे हैं। क्या सरकार ऐसी कोई संस्था बनायेगी जो इन पेटेन्टों की उपयोगिता की समीक्षा करे और उन्हें वाणिज्यिक उपयोग में लाये।

क्या इन दो मुद्दों के बारे में समीक्षा करने के लिए सरकार के पास कोई वैज्ञानिक संस्थाएं हैं ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं यह कहना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य को अनुचित आलोचना करने में आनन्द आता है ? मुझे नहीं पता कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। अगर वह इंजीनियर हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि प्रत्येक मामले के बारे में उस प्रकार इंजीनियरी नहीं दिखाई जा सकती है जैसी कि वह चाहते हैं। इस सबके लिये मात्रा-निर्धारण नहीं किया जा सकता। कोई भी वैज्ञानिक ऐसा मात्रा-निर्धारण कर दे, तो मैं उसके समक्ष नतमस्तक होने को तैयार हूं। परन्तु हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका सभी स्थानों पर समुचित उपयोग हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अपने क्षेत्र में योगदान है और यह कहना कि हजारों पेटेन्ट अप्रयुक्त पड़े हैं, गलत है। मुझे नहीं पता कि माननीय सदस्य को ऐसे आंकड़े कहां से मिलते हैं। कुछ ऐसे पेटेन्ट हो सकते हैं, जिनका उपयोग न किया गया हो, परन्तु हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में किए जा रहे सभी अनुसंधानों को वास्तविक उपयोग में लाया जाए। फिर इसके आगे उनका यह कहना है कि हमारे पास प्रौद्योगिकी होते हुए भी हम विदेशी सहयोग कर रहे हैं। यह पूरी तरह गलत है। जिन क्षेत्रों में हमारे पास प्रौद्योगिकी है, हम उस पर आश्रित रहते हैं। परन्तु जिन क्षेत्रों में हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है, हम निश्चित रूप से अन्य लोगों की सहायता लेते हैं।

श्री सौगत राय : हालांकि प्रधान मन्त्री और योजना मन्त्री ने इस बात से इनकार किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व में कोई कमी हुई है, परन्तु यह स्पष्ट है कि शान्तिपूर्ण परमाणु विस्फोट न करने का निर्णय किया गया है और इस बात का भी निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन किया जाए और तकनीकी जानकारी के लिए सीमेन्स के साथ सहयोग करार करने के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि०

द्वारा निर्णय किया गया है। ये निर्णय इसका संकेत हैं कि आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं कर रही है और आत्म-निर्भरता तथा वैज्ञानिक प्रगति को कम महत्व दे रही है। परन्तु मेरा निश्चित प्रश्न यह है कि गत 30 वर्षों में देश में ऐसा मूलाधार ढांचा बनाया गया है, जिसके अन्तर्गत विश्व में रूस और अमरीका के बाद भारत में तीसरी सबसे बड़ी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जनशक्ति है और ऐसे देश भी हैं जिन्होंने अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी जानकारी का उपयोग करके प्रगति की है। लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने और सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस बहुत विशाल वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सम्बन्धी जनशक्ति के उपयोग करने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या निश्चित योजना बनाई है ? क्योंकि अब छठी योजना चल रही है और मुझे विश्वास है कि वह योजनाओं आदि के बारे में कुछ ब्यौरा दे सकेंगे।

श्री मोरारजी देसाई : माननीय सदस्य ने अनेक व्यंग्य किये हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है, उसका मैं उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु जब वह यह कहते हैं कि केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् का पुनर्गठन बिना विज्ञान को ध्यान में रखे हुए किया गया, तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि वह किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। यह पुनर्गठन वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था, गैर-वैज्ञानिकों द्वारा नहीं। यह बात उन्हें समझनी चाहिए।··· **(व्यवधान)** मैं विज्ञान के बारे में उनसे ज्यादा समझता हूं। सम्भवतः उन्हें इस बात का पता नहीं है। परन्तु उनके मन में जो कुछ आये, वह कह सकते हैं। पुनर्गठन उसका अधिक उपयोग करने के लिए किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति के परिणामों का उपयोग किया जाए। ऐसा पहले नहीं किया गया, परन्तु अब किया गया है। इसके बाद, उन्होंने सीमेंस का उल्लेख किया। उसके बारे में भी अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

परन्तु जो कुछ भी तय किया जायेगा वह उस प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में होगा जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। जहां हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध हैं वहां पर किसी अन्य के साथ सहयोग का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री सौगत राय : मेरा प्रश्न वैज्ञानिक जनबल उपयोग करने के लिए योजना से सम्बन्धित था। उन्होंने उसका तो उल्लेख भी नहीं किया।

श्री मोरारजी देसाई : जब वह यह कहते हैं कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी कार्मिकों की दृष्टि से यह तीसरा राष्ट्र है तो यह सच है। परन्तु वे यह भूल जाते हैं कि इन क्षेत्रों में यह सबसे प्रथम राष्ट्र है और इस कारण तीसरे राष्ट्र की वह तुलना ठीक नहीं है। हम सभी उपलब्ध कार्मिकों का उपयोग कर रहे हैं।

श्री सौगत राय : वैज्ञानिक बाहर जा रहे हैं।

श्री मोरारजी देसाई : यह केवल वैज्ञानिकों के बारे में ही नहीं है परन्तु उन जैसे लोग भी बाहर जा रहे है, वे वहां केवल धन से आकर्षित होते हैं। केवल वैज्ञानिक ही बाहर नहीं जा रहे अपितु दूसरे भी जा रहे हैं और यदि वे जाते हैं, तो इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के दुखी होने की आवश्यकता नहीं।

प्रो० आर० के० अमीन : क्या मैं प्रधान मन्त्री से जान सकता हूं कि इस देश में रोजगार सम्भावनाओं को बढ़ाने के लिए उचित प्रौद्योगिकी का पता लगाने हेतु क्या व्यय और प्रबन्ध किये गये हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : सभी प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिकों को कहा गया है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समुचित रूप से इस प्रौद्योगिकी को प्रयोग में लायें और ऐसा किया जा रहा है। ऐसा निरन्तर हो रहा है और उसके लिए जो खर्चा अपेक्षित है हमने मन्जूर किया है।

हरियाणा में भूसी से चलाये जाने वाला सीमेंट का कारखाना स्थापित किया जाना

*769. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पादन के लिए धान के छिलके सहित गैर परम्परागत कच्चे माल का उपयोग कर चल रहे अथवा चलाये जाने वाले सीमेंट कारखानों की (राज्यवार) संख्या और नाम क्या हैं;

(ख) क्या हरियाणा में भूसी से चलाये जाने वाला सीमेंट का कारखाना स्थापित करने की योजना वर्षों तक कागज पर ही बनी रही है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसकी अब क्या सम्भावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ने धान भूसी से, एक प्रकार का सीमेंट तैयार करने की एक प्रक्रिया का विकास किया है। इस समय एक एकक उत्पादनरत है। इस प्रक्रिया से बनाये गये सीमेंट के उत्पादन तथा उसका परीक्षण करने का कार्य शिमोगा, कर्नाटक स्थित निजी क्षेत्र की एक परामर्शदाता फर्म द्वारा किया गया है।

(ख) और (ग) धान की भूसी की उपलब्धि, उसका वितरण, क्षेत्र में उसके खपत की पद्धति स्थापित करने तथा धान की भूसी के उपयोग से सीमेंट का उत्पादन करने वाले और एककों की स्थापना करने की अर्थ जीव्यता के बारे में हरियाणा तथा कर्नाटक के चुने हुए स्थानों में सर्वेक्षण किये गये हैं।

इस उत्तर के लिए अनुमति देने के पश्चात् आज सुबह मुझे कुछ और जानकारी प्राप्त हुई है जो मैं सदन को बताना चाहता हूँ। यह जानकारी मुझे भारतीय औद्योगिक संस्थान, कानपुर से प्राप्त हुई है, जिसने सबसे पहले धान भूसी से 'आशमो' सीमेन्ट का उत्पादन किया। उत्तर निम्न प्रकार से है :

> "हरियाणा कृषि उद्योग निगम राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम, नई दिल्ली के सहयोग के साथ हरियाणा में नीलोखेड़ी स्थान पर धान की भूसी की राख पर आधारित सीमेन्ट संयंत्र की स्थापना करने की इच्छुक थी। जिसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर द्वारा केवल तकनीकी जानकारी उपलब्ध की जानी थी। इस उद्देश्य के लिए भारतीय औद्योगिकी संस्थान, कानपुर की भूमिका केवल तकनीकी जानकारी देने मात्र तक सीमित थी। इस प्रयोजन के लिए एक 'काल' मिल खरीदी गई और 1975 में किसी समय नीलोखेड़ी में स्थापित की गई। बाद में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को संयंत्र के चरणों के बारे में कभी भी सूचित नहीं किया गया और जहां तक भारतीय

प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर को पता है प्रायोगिक परीक्षण प्रारम्भ ही नहीं किए गए"।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : उद्योग मंत्री जी के जवाब में यह बात है कि इन्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नालाजी, कानपुर ने एक प्रोसेस ऐसा बनाया जिससे कि वैरायटी आफ सीमेंट फ्रोम पैडी हस्क पैदा हुआ। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो सीमेंट बना यह वैरायटी आफ सीमेंट है या सीमेंट है ? अगर वैरायटी है तो उसमें और आम सीमेंट में क्या फर्क है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट है, पोजैलानिक सीमेंट है और सीमेंट में ऐशमो यह भी एक नया तरीका है सीमेंट बनाने का। सीमेंट इज ए क्वालिटी। किसी भी जीज को जोड़ने वाली चीज है। और सीमेंट के अलावा उसके ट्रेड मार्क भी होते हैं और ब्रान्ड्स भी होते हैं। तो ऐशमो उसमें एक वैरायटी है जैसे पोर्टलैंड है, पोजैलानिक है।

श्री धर्मवीर वशिष्ठ : मैं जानना चाहता हूं कि ऐशमो जो वैरायटी है सीमेंट की जिसका मंत्री जी ने जिक्र किया उसका हिन्दी नाम क्या है जिसे हम लोग भी समझ सकें, वह खुद जानते हैं ? और दूसरे यह कि जो टेस्टिंग हुआ है और कर्नाटक की एक प्राइवेट कंसल्टेंट फर्म ने टेस्टिंग किया है ऐशमो का उस टेस्टिंग में क्या रहा जरा उस पर रोशनी डालने की कृपा करें।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अध्यक्ष महोदय, सीमेंट तो किसी भी भाषा में सीमेंट ही रहेगी, और ऐशमो को अगर कोई हिन्दी नाम देने का प्रस्ताव हो तो उस पर भी विचार हो सकता है। कर्नाटक में शिमोगा में ऐशमो का जो कारखाना है उसके अलावा बांदा जिले के अतारा नाम के गांव में जिसे हमारे इंजीनियर ने इस ऐशमो सीमेंट का निर्माण करने में योगदान दिया था वह खुद एक ट्रेनिंग सेन्टर अपने गांव में चलाता है। तो इन दोनों जगहों पर इन्जीनियरों को या जो भी इस प्रकार के सीमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग देने का काम हो रहा है। कर्नाटक में जो सीमेंट इस कारखाने में बना था उसको कर्नाटक राज्य सरकार ने पूरा इन्तजाम किया था। और जहां तक मेरी जानकारी है आज तक वह जो उनका अपना सम्बन्ध था वह जारी रहना चाहिए। मेरे पास उसकी कोई जानकारी नहीं आई है। लेकिन पिछली बार जब कर्नाटक के उद्योग मंत्री से बात की थी तब उन्होंने बताया कि शिमोगा कारखाने का ऐशमो नामक सारा सीमेंट राज्य सरकार खरीदती है। पंजाब व हरियाणा की सरकारों ने अपने इन्जीनियरों को कर्नाटक में इस एशमो सीमेंट कारखाने में शिमोगा में भेजा था और जहां तक मेरी जानकारी है, वह इस उद्योग को अपने दोनों राज्यों में बड़े पैमाने में लगाने पर लगे हुए हैं।

श्री टी० ए० पाई० : केन्द्रीय सीमेंट अनुसन्धान संस्थान ने बताया था कि यदि हम उसका उपयोग करें तो अपने उत्पादन तथा क्षमता में कम से कम 20 लाख टन तक वृद्धि कर सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सीमेंट उद्योग को इसका उपयोग करने को कहने की दिशा में क्या प्रगति हुई है जिससे कि सीमेंट की उपलब्धता की स्थिति में सुधार हो सके।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : इस दिशा में निरन्तर प्रयास किये गए हैं कि सर्वप्रथम, सीमेंट के उत्पादन की मात्रा में वृद्धि की जाये और दूसरे, देश में इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध होने वाले

सारे 'स्लैग' का उपयोग किया जाये । जहां तक इस्पात उद्योग द्वारा उत्पादित किये जा रहे स्लैग का उपयोग करके सीमेंट का निर्माण करने का संबंध है हमने इस्पात प्राधिकरण को तत्काल सीमेंट एकक की स्थापना करने का लाइसेंस दिया है। इसी बीच उपलब्ध स्लैग को वर्तमान सीमेंट एककों को दिया जा रहा है जो सीमेंट के निर्माण में उसका उपयोग कर रहे हैं ।

श्री रामधारी शास्त्री : क्या सरकार ने इस बात का सर्वेक्षण कराया है कि इस देश में धान की भूमि किस मात्रा में उपलब्ध है और उससे कितनी सीमेंट बन सकेगी और उसका उपयोग मौजूदा सीमेंट के मुकाबले में कितना होगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : लगभग डेढ़ करोड़ टन पैडी हस्क इस देश में मिल सकता है और मेरे अन्दाज से करीब उतनी ही सीमेंट उसमें से निर्माण करने में मदद हो सकती है । यह प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध है और जैसा कि अब भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के निदेशक से मुझे प्राप्त हुए पत्र में बताया गया है, स्थापना के सम्बन्ध में भी पांच वर्ष पूर्व सीमेंट एककों की स्थापना करने के लिए प्रयास किए गए थे। बाद में किसी स्तर पर इस प्रौद्योगिकी का अनुसरण करने के रास्ते में दबाव व कुछ अन्य कारण रास्ते में आ गये ।

विगत 1½ वर्ष से हम इस बात के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं कि यह प्रौद्योगिकी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचे और इन एककों द्वारा उत्पादित सीमेंट ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाये गांवों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां पर हमें सीमेंट के उपयोग की आवश्यकता है, कितनी ही छोटी परियोजनाएं हों।

माचिस के उत्पादन का क्षेत्र बदलना

*772. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार की नीति माचिस का उत्पादन मशीनी क्षेत्र से हटाकर गैर-मशीनी क्षेत्र में आरम्भ करने की है जिससे ग्रामीण व्यक्तियों को अधिक रोजगार मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में इस नीति के मशीनी मध्यम और कुटीर उद्योग क्षेत्रों में रोजगार आदि पर प्रभाव और जटिलताओं का गहराई से अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) और (ख) जी, हां । भावी नीति, योजना व कार्यक्रमों की सिफारिश करने के लिए सरकार द्वारा गठित खादी एवं ग्रामीण उद्योगों के कार्यकारी दल ने 2-12-1978 को सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि दियासलाई उद्योग में अन्य क्षेत्रों के लिए उत्पादन की सीमा निश्चित कर दी जानी चाहिए और केवल खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता स्थापित की जानी चाहिए । प्रस्तावित किया गया है कि भावी मांग व समर्थता तथा ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में प्रगामी विस्तार की संभावना को ध्यान में रखते हुए प्रावस्थाबद्ध रूप में इस सिफारिश को क्रियान्वित करने पर विचार किया जाए।

(ग) और (घ) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग देश में माचिस उद्योग के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर रहा है ताकि सरकार उद्योग की रोजगार सम्भाव्यता, आवश्यक सहायता की मात्रा व नीति सम्बन्धी उलझनों का अनुमान लगा सके।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मन्त्री महोदय द्वारा दिये गये उत्तर से स्पष्ट है कि इस निर्णय से पूर्व इस मामले का गहराई से अध्ययन नहीं किया गया था। उसके परिणामस्वरूप बजट पेश कर दिये जाने के बाद और नए कर लगा दिये जाने के बाद "हैण्ड-मेड सैक्टर" की सहायता के लिये उठाया गया यह एक कदम है और परिणाम यह है कि मूल्यों में वृद्धि हो गई है और कुछ ही लोगों को लाभ पहुँचा है जो मध्यम क्षेत्र के नाम पर अपने आपको गैर-मशीनीकृत क्षेत्र कहते हैं।

सक्षेप में, 'बिजनेस स्टेन्डर्ड' कलकत्ता ने अपने 25 तारीख के अंक में, मुझे विश्वास है है कि मन्त्री महोदय ने उसे देखा है, शिवकासी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में कम्पनियों के गठजोड़ का ब्यौरा दिया है। प्रश्न यह है कि यदि नीति को इस ढंग से कार्यान्वित किया जाता है तो उससे वह प्रयोजन असफल हो जायेगा जिसके लिए नीति बनाई गई है। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस नीति को कार्यान्वित करने से पूर्व उन्होंने इन सभी पहलुओं पर विचार किया था ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : हमारा प्रयास इस बात को देखना है कि खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के नियन्त्रण के अधीन खादी और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में माचिसों का उत्पादन बढ़े। खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग तथा इसके संगठनों के अधीन अनेक एकक हैं जो इस समय माचिस बनाने का काम कर रहे हैं। चालू वर्ष में तथा अगले वर्ष में हमें आशा है कि हम खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के एककों की वर्तमान क्षमता को कई गुणा बढ़ा पायेंगे। अतः प्रश्न केवल यह नहीं कि क्षमता का अन्तरण शिवकासी के एककों जैसे एककों को दिया जाये अपितु खादी और ग्रामीण उद्योग आयोग के एककों को करने का है।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इस बात को समझेंगे कि देश में विमको तथा लघु एककों के बीच हम हमेशा देश के लघु एककों का समर्थन करेंगे और एक बहु राष्ट्रीय कम्पनी का नहीं। और देश के भीतर छोटे एककों और कुटीर एवं ग्राम उद्योगों के बीच हम कुटीर एवं ग्राम उद्योगों का समर्थन करेंगे, न कि उन मध्यम एककों का।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : जो नीति पहले घोषित की जा चुकी है और जिसका उल्लेख अब फिर किया गया है, वह उत्कृष्ट है। उसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं है और उस मुद्दे पर मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग आज बहुत थोड़े से कारखाने चला रहा है और वे इस क्षेत्र में कुल रोजगार का केवल 10 प्रतिशत ही रोजगार दे पाते हैं जबकि लगभग 65 प्रतिशत उद्योग, जैसा कि मैं कह चुका हूँ, शिवकासी में एकाधिपतियों के हाथों में केन्द्रित है। यदि माननीय मंत्री महोदय अपनी नीति को कार्यान्वित करने में ईमानदार हैं, क्योंकि वह विम्को के विरुद्ध आवेगशील हैं—विम्को के बारे में मुझे कोई पूर्व जानकारी नहीं है—उन्हें इस प्रतिबद्धता (टाइ-अप) के खिलाफ कार्रवाई

करने में भी उतना ही बल्कि उससे भी अधिक आवेगशील होना चाहिए और फिर रोजगार की सुरक्षा करनी चाहिए अथवा इस क्षेत्र में रोजगार बढ़ाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने प्रश्न पर आयें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मैं जिस बात पर बल देना चाहता हूं वह यह है कि वे जब इस उद्योग के जरिए रोजगार देते हैं, यदि सरकार विम्को तथा अन्य के खिलाफ अपनी नीति में दृढ़ नहीं है तो यह नीति फिर स्वयं ही विफल हो जाएगी। सरकार इस बारे में सदन को क्या गारन्टी दे सकती है कि नीति उसी ढंग से कार्यान्वित की जाएगी ? उस स्थिति में, वे शिवकासी स्थित इन कारखानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जिनमें महिला तथा बाल श्रमिकों को बहुत ही कम मजदूरी दी जाती है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने शिवाकासी कारखानों के बारे में, बिजनेस स्टेण्डर्ड में प्रकाशित समाचार देखा है। मैंने उन यूनिटों की तथा उनके कार्य-संचालन की जांच करने के लिए कहा है। शिवाकासी की स्थिति के बारे में रिपोर्ट मिलते ही मैं आवश्यक कार्रवाई करूंगा।

जहां तक माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिये जाने की आवश्यकता का सम्बन्ध है कि कुटीर तथा ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रयास किए जायेंगे, मैं कहना चाहूँगा कि खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग इसी काम में लगा हुआ है। हमने खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को कह दिया है कि उन्हें अधिक से अधिक संख्या में माचिसों का उत्पादन और उनका विपणन करने के लिए जो भी वित्तीय सहायता तथा प्रबन्ध और विपणन सम्बन्धी सहायता चाहिए होगी, वह उन्हें दी जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बड़ी अच्छी बात है कि कुटीर तथा ग्राम्य क्षेत्र में माचिसों के उत्पादन पर अधिकाधिक बल दिया जाएगा। चूंकि श्री चन्द्रप्पन इस प्रतिबद्धता का उल्लेख कर चुके हैं, माननीय मन्त्री महोदय ने भी कहा है कि मशीनी और गैर-मशीनी क्षेत्र में, सरकार उत्पादन के स्तर को उठाना चाहती है। यह अच्छी बात है। लेकिन शिवाकासी में जहां 17 परिवारों ने सारे उद्योग पर नियंत्रण किया हुआ है, हो रही लूट को देखते हुए और नये बजट प्रस्तावों के कारण, विम्को के 8,000 कर्मचारियों का रोजगार छिनने जा रहा है। इन कर्मचारियों ने अपने मजदूर संघों के माध्यम से सरकार को अभ्यावेदन पेश किए। अब उत्पादन को किसी एक निश्चित स्तर पर रखना तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब तक मूल्य-ढांचे का गठन उचित ढंग से नहीं किया जाएगा, तब तक इन बेकसूर कर्मचारियों को अपनी छंटनी किए जाने का डर बना ही रहेगा। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि एक तरफ तो वह शिवाकासी में जांच करा रहे हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उन 8,000 कर्मचारियों का क्या होगा विम्को जिन-की छंटनी करने जा रहा है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, हम विम्को पर चर्चा कर रहे हैं, और इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि वे माचिस उत्पादन व्यवसाय से धीरे-धीरे हट जायें और उत्पादन के किसी अन्य क्षेत्रों में प्रवेश करें जो माचिसों के उत्पादन से अवश्य ही सम्बन्धित होंगे। माचिस उद्योग को कुछ रसायनों आदि की आवश्यकता होती है और उस प्रयोजन के लिए हम उस क्षमता तथा प्रौद्योगिकी का लाभ उठायेंगे जो विम्को के पास है। ये बातें अभी चल रही हैं। लेकिन जहां तक

सदस्य महोदय के उस प्रश्न का सम्बन्ध है जो संगठित क्षेत्र में अर्थात् विम्को द्वारा निर्मित माचिसों पर अतिरिक्त कर लगाने के बारे में है, वह प्रश्न ऐसा है जिसे वित्त मन्त्री को भेजना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लेकिन कर्मचारियों के बारे में क्या होगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मुझे उनके रोजगार की चिन्ता है और इसीलिए·····(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन्हें किसी प्रकार का आश्वासन मिल सकता है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : अवश्य ही।

श्री बी० के० नायर : महोदय, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विम्को के कुछ हजार कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है, क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार करेगी ? गत वर्ष, जब बजट पर चर्चा चल रही थी, तब माननीय मन्त्री ने कहा था कि देश में काम कर रही बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से अपना व्यवसाय बन्द करने के लिए नहीं कहा जाएगा, लेकिन उपयुक्त मामलों में उनकी प्रौद्योगिकी तथा उत्पादन क्षमता का उपयोग केवल इस शर्त के अधीन ही किया जाएगा कि उत्पादकों का उपयोग केवल निर्यात के लिए ही होगा। क्या माननीय मन्त्री महोदय इस प्रस्ताव का पालन करेंगे ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को केवल निर्यात के लिए उत्पादन करने दिया जाएगा। मैंने हमेशा यही कहा है कि जहां हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत होगी, हम उसका आयात करेंगे, लेकिन उसका आयात हम अपनी शर्तों पर करेंगे और जहां कहीं आवश्यकता होगी हम उसका इस्तेमाल करेंगे। मैं यही कहता रहा हूँ और अब भी मेरा यही कहना है। फिर भी, मैं बहुत खुश हूँ कि जहां तक 'विम्को' का सम्बन्ध है, सदन यह महसूस करता है कि माचिसों के उत्पादन में भी प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और वह इस देश में हमें विम्को से मिल सकती है। मुझे भारी प्रसन्नता है क्योंकि हमको बताया गया है कि प्रौद्योगिकी का बहुधिक आयात किया जा चुका है, लेकिन कुछ ही समय पहले एक सुझाव दिया गया था कि हम प्रौद्योगिकी का आयात वहीं कर रहे हैं जहां उसकी जरूरत समझी जाती है। (**व्यवधान**) यदि माचिसों के उत्पादन के लिए, माननीय सदस्य यह महसूस करते हैं कि हमें प्रौद्योगिकी की जरूरत है, तब तो विद्युत उपकरण के निर्माण के लिए इस देश को निरपवाद रूप से प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। (**व्यवधान**) मैं तो केवल उस विरोधाभास की ओर संकेत कर रहा हूँ जो सदस्य महोदय के दिमाग में है। अतः यदि 'विम्को' अपना कार्य बन्द करता है तो कर्मचारियों के रोजगार का सवाल सामने आता है। हमारा सुझाव है कि 'विम्को' को बन्द न किया जाए। हमारा सुझाव है कि पहले तो वे इस क्षेत्र से धीरे-धीरे हट जायें और फिर वे उन क्षेत्रों में प्रवेश करें जहां प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा सकता है तथा ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ा जा सकता है।

आंध्र प्रदेश में टायरों और ट्यूबों का उत्पादन करने वाले कारखाने की स्थापना करना

*774. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में टायरों तथा ट्यूबों का एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है।

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण समापटल पर रखा जाता है।

विवरण

आंध्र प्रदेश की टायर एवं ट्यूब परियोजना

मैसर्स आंध्र प्रदेश आटोमोबाइल टायर्स तथा ट्यूब्स लि० के, जिसका आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम तथा आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन (दोनों राज्य सरकार के उपक्रम) द्वारा प्रवर्तन किया गया है, मंगलगिरी, जिला गुन्टूर, आंध्र प्रदेश में मोटर गाड़ियों के टायरों तथा ट्यूबों का निर्माण करने के लिए एक एकक स्थापित करने हेतु 23 जुलाई, 1975 को एक औद्योगिक लाइसेंस जारी किया गया था। ब्रिटेन के मैसर्स डनलप के साथ कम्पनी के तकनीकी सहयोग प्रस्ताव को 27 फरवरी, 1974 को स्वीकृति दे दी गई थी और सहयोग करार 28 फरवरी, 1975 को सम्पन्न हुआ था। पूंजीगत माल के आयात का उनका प्रस्ताव भी मार्च/अप्रैल, 1975 में मंजूर कर लिया गया था। वित्तीय सहायता सम्बन्धी उनका आवेदन इस समय भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) के विचाराधीन है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : महोदय, यह आश्वासन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश में एक कारखाना लगाया जाने वाला है। उस आश्वासन का क्या हुआ ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय इस कारखाने का काफी काम हो चुका है और आंध्र प्रदेश यूनिट की ऋण तथा अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कार्रवाई कर रहा है क्योंकि उक्त कारखाना, संयोगवश ,इंग्लैंड की डनलप कंपनी के सहयोग से लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख आप कर चुके हैं। लिखित वक्तव्य में सारा उत्तर दे दिया गया है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : इसे अन्तिम रूप कब दिया जाएगा ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक उक्त मामले पर इस कंपनी के प्रवर्तकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है। राज्य सरकार और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी इसमें सहयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बिहार राज्य द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड पर हर्जाने का दावा किया जाना

*764. **श्री अरविन्द बाला पजनौर**
श्री के० मायातेवर } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई किये गए 110 मेगावाट के पटराटू के सातवें एकक के असंतोषजनक कार्यकरण के लिए उससे निर्धारित हर्जाने का दावा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र

*766. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र 80 प्रतिशत से कम क्षमता पर कार्य कर रहा है यदि हां, तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या यह सच है कि तारापुर में प्रयुक्त ईंधन की छड़ें जमा हो रही हैं जिससे उनके भन्डार की समस्या पैदा हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो रिसाव या रेडियेशन जैसे खतरों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । उस क्षेत्र की बिजली की सप्लाई की स्थिति पर इससे कोई उल्लेखनीय प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) रेडियो-सक्रिय पदार्थों के लीक होने या विकिरण जैसे संकटों की रोक-थाम करने के लिए सभी तरह की सुरक्षात्मक सावधानी बरती जाती है । भुक्त शेष ईंधन को रखने की क्षमता में कुछ वृद्धि की जा चुकी है तथा और वृद्धि करना विचाराधीन है ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को क्रेन की सप्लाई

*770. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स जेसप एण्ड कम्पनी, कलकत्ता ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी को कितने मूल्य की क्रेन सप्लाई की है;

(ख) क्या उपरोक्त क्रेन बेहतर सेवा नहीं दे रही है और कारखाने में कठिनाई पैदा कर रही है; और

(ग) सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है कि कम्पनी अपने द्वारा निर्मित क्रेनों की किस्म में सुधार लाये ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) मैं० जेसप एन्ड कम्पनी, कलकत्ता ने अब तक विभिन्न क्षमताओं की 110.32 लाख रुपये की कुल मूल्य के 18 क्रेनें मैं० भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, झांसी को सप्लाई की हैं।

(ख) इन सभी क्रेनों का कार्य संतोषजनक है।

(ग) कम्पनी क्रेनों सहित अपने उत्पादों की किस्म में सुधार लाने के लिए बराबर प्रयत्न कर रही है।

यात्री कार उद्योग

*773. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री पी० एम० सईद } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चालू वर्ष और छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान यात्री कार उद्योग को उच्च प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : 1978-83 की पंचवर्षीय योजना अवधि में विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित किए गए परिवहन, मिट्टी हटाने के उपकरणों तथा कृषि मशीनों संबन्धी कार्यकारी दल ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। सिफारिशों में वाणिज्यिक गाड़ियों, यात्री कारों, आदि सहित मोटरगाड़ी उद्योग के प्रमुख क्षेत्र सम्मिलित हैं। मुख्य सिफारिशें बढ़े हुए रोजगार अवसरों, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, खनन, ग्रामीण विकास जैसी आवश्यक परियोजनाओं के लिये माल ढोने तथा पूंजी निवेश के सम्बन्ध में मांग पूरी करने हेतु देश में उत्पादन क्षमताओं और योग्यताओं, जहां आवश्यक हो, में वृद्धि करने और उन्नयन करने से सम्बन्धित है। रिपोर्ट की मुख्य बातें सरकार ने मान ली हैं। अतः सम्पूर्ण मोटरगाड़ी उद्योग जिसमें यात्री कारें भी शामिल हैं, के उन्नयन के उपायों को प्राथमिकता दी गई है।

जेल सुधारों के लिए प्रस्ताव

*775. **श्री चित्त बसु**
डा० विजय मंडल } : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यापक सुधारों के लिये कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) केन्द्र सरकार राज्यों से यह आग्रह करती रही है कि जेलों में शीघ्रता से आवश्यक सुधार किये जाएं। जेलें और जेल सुधार पूर्णतः राज्यों की उत्तरदायित्व है। फिर भी केन्द्र आवश्यक सुधार करने के

लिए अनेक तरीकों से राज्यों की सहायता करता रहा है। 1977-78 और 1978-79 के दौरान जेलों में सफाई की दशा में सुधार, जल-सप्लाई, जल निकासी, भवनों की मरम्मत, भवनों के विद्युतीकरण और सुधार की अन्य मदों के लिए 6 करोड़ रुपये की रकम स्वीकृत की गई है। सातवें वित्त आयोग ने भी इसी प्रयोजन के लिए 48.31 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जिनमें से राजस्व पक्ष में 28.13 करोड़ रुपये और पूंजी पक्ष में 20.18 करोड़ रुपये हैं। केन्द्र ने राज्यों के प्रतिनिधियों के परामर्श से आदर्श जेल मैनुअल तैयार करने में भी पहल की थी।

इन समस्याओं पर शीघ्र ध्यान देने के लिए 9 अप्रैल, 1979 को मुख्य सचिवों का सम्मेलन बुलाया गया था। सभी मुख्य सचिव इस बात से सहमत थे कि आदर्श जेल मैनुअल के उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए जेल मैनुअल पुनरीक्षण अधिक से अधिक इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जाएगा। आवश्यक सुधार लाने के लिए शीघ्र कदम उठाने के बारे में यह सामान्य धारणा थी कि जहां जेलों का दौरा करने वालों की राज्य स्तर की समितियां नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाये। राज्यों द्वारा सुधार लाने के लिये पहले से आवंटित धनराशि का अच्छे से अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए समय-बद्ध कार्यक्रम भी तैयार किये जायेंगे।

जेलों में अधिक भीड़ और हिरासत में विचारणाधीन कैदियों को लम्बे समय तक बन्दी रखने के प्रश्न पर भी चर्चा हुई। इस बात को माना गया कि यदि हिरासत में विचारणाधीन कैदियों की संख्या घटा दी जाए तो भीड़ कम हो सकती है। इसके अतिरिक्त, मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों के लिए आश्रमों, शरणगृहों जैसे विशिष्ट संस्थानों की आवश्यकता को पूरी तरह स्वीकार किया गया और विभिन्न राज्यों में इस समस्या के महत्व को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने की जरूरत थी। जेल में अधिक भीड़ को कम करने के उद्देश्य से विचारणाधीन कैदियों के अलग-अलग मामलों का जिला तथा राज्य स्तरों पर पुनरीक्षण करने के लिए कानून की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत रहते हुए व्यावहारिक उपाय भी किये गये हैं। इस विषय पर विधि आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान कानूनों में शीघ्र संशोधन करने की आवश्यकता भी समझी गई।

केन्द्र सरकार उपर्युक्त मामलों पर अनुवर्ती कार्यवाही के सम्बन्ध में राज्यों के साथ लगातार सम्पर्क रखेगी।

आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

*776. **श्री के० प्रधानी**
श्री बागुन सुम्बरुई } : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के लिए आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्यकारी दल ने यह सुझाव दिया है कि जिन क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी है उनमें आमदनी वाले उत्पादन कार्यक्रम आरम्भ किए जायें तथा वहां की जनता की तुरन्त पूरी की जाने वाली आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए वन सम्बन्धी नीतियों को सुव्यवस्थित किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या योजना है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) जी हां ।

(ख) 1978-83 में जनजातीय विकास की कार्यनीति तैयार करने में विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों की संसाधन-क्षमता और आवश्यकताओं पर उचित ध्यान दिया जा रहा है । ये कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय मन्त्रालयों के परामर्श से तैयार किए जाते हैं । इनमें अनाज और अनुपूरक खाद्यान्नों के उत्पादन कार्यक्रम, वनों का संरक्षण और छोटे वन उत्पादों का विकास शामिल है ।

सोंधी समिति का प्रतिवेदन तैयार होने में विलम्ब

*777. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण**
श्री निहार लास्कर } : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसम्बर, 1977 में स्थापित की गई सोंधी समिति के प्रतिवेदन के अन्तिम रूप से तैयार होने में असाधारण विलम्ब के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग गम्भीर रूप से चिन्तित हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के पेश होने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक पेश कर दिए जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या सोंधी समिति को प्रतिवेदन पेश करने को कह दिया गया है ?

प्रधान मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क), (ग) तथा (घ) सरकार को इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में फैली ऐसी किसी कथित भावना के बारे में कोई जानकारी नहीं है । समिति की नियुक्ति दिसम्बर, 1978 में की गई थी, न कि दिसम्बर, 1977 में, और इसे अधिमानतः तीन महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है । आशा है कि रिपोर्ट अगले महीने प्राप्त हो जाएगी । अतः इसमें असाधारण विलम्ब होने का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

बजाज स्कूटरों की मांग और क्षमता

*778. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजाज के दो पहिये वाले स्कूटर की देश में कुल आय कितनी है;

(ख) इसका निर्माण करने वाली कम्पनी की लाइसेंस प्राप्त और निर्माण क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इस कम्पनी ने स्कूटरों की अपनी निर्माण क्षमता में वृद्धि करने के लिए कभी आवेदन किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) इस समय देश में 2,25,000 स्कूटरों की मांग का अनुमान लगाया गया है तथा 1982-83 तक यह बढ़कर 3,95,000 हो जाने की आशा है ।

बजाज मेक के स्कूटरों की मांग बहुत ज्यादा है। एक खास ब्रांड के उपभोक्ता उत्पाद की मांग निश्चित करना सरकार के लिये न तो उचित है और न ही सम्भव है।

(ख) मैं० बजाज आटो लिमिटेड को तीन पहियों सहित स्कूटर बनाने की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 80,000 नग वार्षिक तथा उत्पादन क्षमता 1,00,000 नग प्रति वर्ष की है।

(ग) तथा (घ) फर्म ने अपनी क्षमता का विस्तार करने के लिये आवेदन दिया था और प्रति वर्ष 80,000 तक स्कूटरों (दो पहियों वाले) का उत्पादन करने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है।

आय के वितरण के लिए सर्वेक्षण

*779. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आय के वितरण में असमानता गत 20 वर्षों के दौरान बढ़ गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या ये आंकड़े सन्तोषजनक हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस प्रश्न के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस बारे में कोई सर्वेक्षण किया जा सकता है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) से (घ) 7 मार्च, 1979 को लोक सभा में पूछे गये इसी प्रकार के अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के रूप में दिए गए उत्तर की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4322/79]

थोक मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए अपनाई गई विधि

*780. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थोक मूल्य सूचकांक तैयार करने के लिए मूल्य आंकड़े एकत्र करने हेतु क्या विधि अपनाई गई है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय के अधिकारी इन मूल्य स्तरों और वास्तविक थोक बाजार मूल्यों के बीच अन्तर देखने के लिये कभी बाजार भी गये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) से (ग) साप्ताहिक थोक मूल्य सूचकांक की संगणना 360 वस्तुओं के लिए दी गई 1296 मूल्यतालिकाओं के आधार पर की जाती है। "ए नोट आन दी रिवाइज्ड इंडैक्स नम्बर्स आफ होलसेल प्राईसिज इन इण्डिया" (आधार 1970-100) नामक प्रकाशन में आंकड़े इकट्ठे करने के स्रोत व सूचकांक इकट्ठा करने में अपनाई जाने वाली पद्धति की जानकारी दी गई है। संसद पुस्तकालय में इस प्रकाशन की प्रतियां उपलब्ध हैं।

आर्थिक व सांख्यिकीय निदेशालय द्वारा कृषि वस्तुओं के थोक मूल्य थोक बाजारों से इकट्ठे किए जाते हैं। साप्ताहिक थोक मूल्य सूचकांक का संकलन करने में इन मूल्यों का उपयोग

किया जाता है। निर्मित वस्तुओं के मामलों में मूल्य निविदायें कारखाने से निकलते समय के मूल्यों (उत्पादन शुल्क सहित) पर आधारित होती है। सरकारी क्षेत्र के उत्पादकों सहित प्रमुख उत्पादकों द्वारा मूल्य निविदायें दी जाती हैं। निर्मित उत्पादों के बारे में सूचकांक इकट्ठा करने के लिये अधिकारी थोक बिक्री बाजारों में नहीं जाते क्योंकि देश के विभिन्न भागों में इस कार्य हेतु क्षेत्रीय कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं और अनेक मामलों में तो ऐसे उत्पादों के लिए सगठित थोक-बिक्री बाजार भी नहीं है।

उज्जैन में सिंहस्थ मेले के लिए केन्द्रीय सहायता

*781. **श्री राघव जी**
श्री सुखेन्द्र सिंह } : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में आगामी सिंहस्थ मेले के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता की मांग की गई और राज्य सरकार के अनुसार उस पर कितनी धनराशि खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मांगी गई सहायता की राशि 5.00 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार द्वारा मेले पर होने वाले व्यय का अनुमान 9.20 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(ग) इस मामले में केन्द्रीय सरकार द्वारा सहायता का स्वरूप अधिकांशत: इस बात पर निर्भर करेगा कि पिछले कुम्भ मेलों के सम्बन्ध में उनके द्वारा क्या किया गया था।

भूमि सुधारों के लिए पंजाब सरकार को वित्तीय सहायता

*782. **श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद यादव**
चौधरी बलबीर सिंह } : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने भूमि सुधारों के लिए पंजाब सरकार को कितनी वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए पंजाब सरकार को इसमें से अब तक कितनी राशि दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) कृषि विभाग की एक केन्द्रीय स्कीम के अन्तर्गत भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता दी गई है। पंजाब को 1975-76 से 1977-78 तक की अवधि में दी गई और 1978-79 के लिए अनुमोदित की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पंजाब राज्य को 1975-76 से 1977-78 तक अवधि में दी गई और 1978-79 के लिए अनुमोदित की गई वित्तीय सहायता का विवरण ।

(लाख रुपए)

वर्ष	अनुदान	ऋण	कुल
1975-76 दिये गये	1.30	—	1.30
1976-77 दिये गये	2.23	0.63	2.86
1977-78 दिये गये	3.85	1.44	5.29
1978-79 (अनुमोदित)	6.69	1.93	8.62

कुवैत में इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड का करार

*783. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा कुवैत में क्वार्टरों का निर्माण करने के लिए कोई करार कुछ समय पहले प्राप्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य समय-सूची के अनुसार चल रहा है; और

(घ) क्या इस करार से कोई लाभ प्राप्त होने की सम्भावना है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, हां ।

(ख) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड (ई० पी० आई०) ने पैसिफिक कंसलटेंट्स इंटरनेशनल, जापान (पी० सी० आई०) के सहयोग से सितम्बर, 1976 में कुवैत के अर्दिया क्षेत्र में ऐनबाघजी नामक स्थान पर एक एकीकृत बस्ती के निर्माण हेतु के० डी० 76.79 मिलियन (लगभग 230 करोड़ रुपये) के मूल्य का एक परियोजना ठेका प्राप्त किया है । परियोजना के आठ क्षेत्रों में सार्वजनिक भवनों सहित 3,317 मकानों, अवस्थापना, सड़कों का निर्माण और सामुदायिक सुविधाएं शामिल हैं ।

(ग) परियोजना के प्रथम दो चरणों को पूरा करने में कुछ बिलम्ब हुआ है । संशोधित कार्यक्रम के बारे में ग्राहकों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है ।

(घ) यद्यपि ई० पी० आई० को मामूली-सा लाभ होने की आशा है, लेकिन यह कतिपय बातों पर निर्भर करता है जिन पर अभी ई० पी० आई० और ग्राहक अर्थात नेशनल हाउसिंग अथारिटी, कुवैत के बीच विचार विमर्श हो रहा है ।

विवरण

फर्म का नाम	सहयोगी का नाम	उत्पाद का नाम	विदेशी मुद्रा का निर्गम
1	2	3	4
1. मै० माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड दुर्गापुर	मै० पोहलिग-हेकलेबल आइशर्ट मशीनी ब्रेकिन ए० जी० (पी० एच० बी०), प० जर्मनी	सामान उठाने वाले उपकरण	8,98,700 डी० एम० की एकमुश्त अदायगी
2. हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर ।	लेस वेरके, पश्चिमी जर्मनी	रिप्रेक्टरी प्रेस	रायल्टी 5%
3. भारत हैवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम ।	यूनिटेक, अमेरिका	कागज तथा लुगदी उद्योग के लिए वाष्पीकरण यूनिट	रायल्टी 5%
4. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट ।	स्कोडा एक्सपोर्ट, सोवियत रूस	स्पेयर पार्टों का देशी विकास	95,000/-रुपये (एकमुश्त अदायगी)
5. एंड्रयू यूल एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता ।	बी० टी० आर० बैल्टिंग लिमिटेड लंदन	सिंथेटिक फाइबर एनफोर्स्ड कन्वेयर बैल्ट	70,000 पौंड का एकमुश्त अदायगी तथा रायल्टी 2.5%
6. माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन, दुर्गापुर	पी० एच० बी० जर्मन संघीय गणराज्य	खानों के अधिष्ठापन के लिए स्किप केज	हर एक मामले के आधार पर 4% एकमुश्त रायल्टी की अदायगी ।
7. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची ।	स्कलोमेन सुमेज ए० एच० जर्मन संघीय गणराज्य	रोलिंग मिल्स	6,70,000 डी० एम० तथा रायल्टी 5%

नोट : रायल्टी पर लागू भारतीय कर—40% तथा
एकमुश्त अदायगी पर लागू भारतीय कर—20%

राज्यों में व्यापार एवं उद्योग का विकास

7401. **श्री अहमद हुसैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों और संघ क्षेत्रों में व्यापार और उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्र की क्या योजना है;

(ख) क्या केन्द्र ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से कभी यह कहा है कि व्यापार और उद्योग पर ध्यान रखने एवं उनके प्रोत्साहन के लिए किसी स्थायी समिति/विभाग का गठन किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और ऐसे राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें ऐसी समितियां गठित हैं और ऐसे प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए गत पांच वर्षों के दौरान किस प्रकार का केन्द्रीय अनुदान/सहायता दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व केन्द्र शासित प्रदेशों को पंचवर्षीय/वार्षिक योजनाओं में शामिल विभिन्न विकास कार्यक्रमों के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापार तथा उद्योग का विकास करने के लिए सहायता देती है। राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों ने उद्योग तथा व्यापार से संबंधित मामलों से निपटने के लिए अपने-अपने प्रदेशों में विभाग स्थापित किये हैं। केन्द्रीय सहायता, राज्य सरकारों को विशेष रूप से उद्योग व व्यापार जैसे पृथक क्षेत्र शीर्षों के लिए न दी जाकर समग्र रूप से योजना के लिए एकमुश्त ऋणों व अनुदानों के रूप में दी जाती है।

आसाम में पटसन मिलों की स्थापना

7402. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आसाम में दो पटसन मिलों की स्थापना करने का है और इस आशय का सरकारी आश्वासन कुछ वर्ष पूर्व दिया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अब आसाम में दो पटसन मिलों की स्थापना न करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय को बदलने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या अब प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा रहा है, यदि हां, तो इसके स्थल आकार और परियोजना लागत के प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) असमें में दारांग तथा बारपेटा में दो पटसन मिलों की स्थापना के लिए 1974 में दो आशय-पत्र जारी किये गए थे। घरेलू तथा विदेशी बाजारों में पटसन से बनी वस्तुओं की मांग में गिरावट विद्यमान एककों की केवल उत्पादन क्षमता को ही पूरा करने के लिए कच्चे पटसन की उपलब्धता को देखते हुए देश में नई पटसन मिलें स्थापित करने के प्रश्न पर 1977 में पुनः विचार किया गया था। जूट उत्पादक राज्यों की सभी सरकारों से कहा गया था कि वे अपने राज्यों में नई पटसन मिलों

की स्थापना को प्रोत्साहन न दें। तदनुसार असम में उन जूट मिलों की स्थापना करने के बारे में जिनके लिए 1974 में आशय पत्र जारी किए गये थे, में कोई भी प्रगति नहीं हुई है। तथापि यदि सामाजिक-आर्थिक मापदन्ड के अनुसार ऐसा न करना उचित समझा गया तो सरकार इस नीति पर पुनः विचार करने की संभावनाओं पर विचार करेगी।

राज्यों में डिप्लोमा और डिग्रीधारी बेरोजगार इन्जीनियरों की संख्या

7403. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1978 को डिप्लोमा और डिग्रीधारी बेरोजगार इन्जीनियरों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न इन्जीनियरिंग कालेजों से पढ़ कर निकलने वाले डिप्लोमा और डिग्रीधारी इन्जीनियरों की सामान्य संख्या कितनी है और सरकारी तथा प्राइवेट नौकरी में उन्हें खपाये जाने की सामान्य दर वर्ष 1977-78 के दौरान कितनी रही और संगत अवधि के साथ इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्यों में बेरोजगार इन्जीनियरों की समस्या ने गम्भीर रूप धारण कर लिया है; और

(घ) क्या उपचारात्मक विश्लेषण करने और कुछ उपायों का सुझाव देने के लिए सरकार विशेषज्ञ समिति स्थापित करेगी और गत दो वर्षों के दौरान इस बारे में क्या उपाय किए गए हैं और क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) बेरोजगार डिप्लोमा/डिग्रीधारी इन्जीनियरों की संख्या का कोई लेखा-जोखा नहीं हैं। बहरहाल, 30-6-78 को रोजगार कार्यालयों के रिक्त रजिस्टरों में स्नातक स्तर के इन्जीनियरों डिप्लोमाधारी इन्जीनियरों की संख्या विवरण-1 में दी गई है;

(ख) राज्यों के विभिन्न इन्जीनियरिंग कालेजों से पढ़ कर निकलने वाले डिग्री और डिप्लोमाधारी इन्जीनियरों की संख्या विवरण-2 से 5 तक में दी गई है।

1977-78 के दौरान और इससे पूर्व कितने इन्जीनियरों को रोजगार प्रदान किया गया इसके बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) मैं इस समस्या को इतना गंभीर नहीं समझता।

(घ) इस परिस्थिति का विश्लेषण करने के लिए सरकार का अभी कोई विशेषज्ञ समिति स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

राष्ट्रीय विकास में तकनीकी शिक्षा को अपनी उपयुक्त भूमिका का निर्वाह करने योग्य बनाने के लिये इसके पुनर्विन्यास करने के लिए शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने आगामी दशक के दौरान राष्ट्रीय आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करने के लिए और विद्यमान कार्यक्रमों के पुनर्विन्यास और उनमें सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए

नवम्बर, 1977 में, तकनीकी शिक्षा पर एक कार्यदल की स्थापना की थी। इस कार्यदल ने अपने पांच उप-दलों के माध्यम से इस मामले पर गहन अध्ययन करने के उपरान्त (शिक्षा) प्रणाली में सभी पहलुओं से और अधिक सुधार करने के लिए अनेक सिफारिशें की और इनके बारे में अपने विचार अभिव्यक्त किए। दल द्वारा की गई टिप्पणियों में से एक टिप्पणी यह थी कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 3,000 प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 25,000 और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 50,000 की वर्तमान वार्षिक प्रवेश क्षमता पर्याप्त है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (आल इंडिया कौंसिल फार टैक्निकल ऐजूकेशन) ने इस सिफारिश का समर्थन किया है और यह परिकल्पना की है कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में सभी नए शिक्षा कार्यक्रम देश में सुपरिभाषित और सुसंस्थापित जन शक्ति आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिएं। इस सिफारिश के अनुसरण में छठी योजना के दौरान सामान्यत: किसी भी नई संस्था की स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया जायेगा और केवल संस्थापित जनशक्ति की आवश्यकताओं वाले नवोदित क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रमों के लिए किए गए प्रस्तावों पर ही विचार किया जाएगा।

विवरण-1

क्र० सं०	राज्य/संघशासित प्रदेश	30-6-1978 को रिक्ति रजिस्टर में संख्या			
		डिग्रीधारी	डिप्लोमाधारी	अन्य%	कुल
1.	2	3	4	5	6
	राज्य :				
1.	आंध्र प्रदेश	2144	6911	28	9083
2.	असम	76	470	1	547
3.	बिहार	4455	10295	42	14792
4.	गुजरात	138	3505	32	3675
5.	हरियाणा	325	1360	1	1686
6.	हिमाचल प्रदेश	254	1001	4	1259
7.	जम्मू और कश्मीर	229	223	8	460
8.	कर्नाटक	2236	4311	5	6552
9.	केरल	1507	4617	634	6758
10.	मध्य प्रदेश	1062	3420	54	4536
11.	महाराष्ट्र	852	2073	145	3070
12.	मणिपुर	55	310	—	365
13.	मेघालय	3	16	—	19
14.	नागालैंड	—	38	—	38
15.	उड़ीसा	272	1195	5	1472
16.	पंजाब	214	2740	80	3054

1	2	3	4	5	6
17.	राजस्थान	418	1166	2	1586
18.	सिक्किम*				
19.	तमिलनाडु	2466	6690	10	9166
20.	त्रिपुरा	24	139	—	163
21.	उत्तर प्रदेश	486	12049	61	12596
22.	पश्चिम बंगाल	1506	7379	513	9398
संघशासित प्रदेश					
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	44	—	45
2.	अरुणाचल प्रदेश*				
3.	चंडीगढ़	206	456	—	662
4.	दादर और नागर हवेली*				
5.	दिल्ली	970	3488	—	4458
6.	गोवा, दमन एवं दीव	34	62	1	97
7.	लक्ष्य द्वीप	4	—	—	4
8.	मीजोराम	—	—	—	—
9.	पांडिचेरी	60	154	—	214
भारत के लिए कुल जोड़ :		20017	74112	1626	95755

टिप्पणी :

1. * इन राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कोई रोजगार कार्यालय काम नहीं कर रहा है ।
2. % नौकरी तलाश करने वाले ऐसे व्यक्ति जिनके पास इन्जीनियरी में कोई व्यावसायिक डिग्री या डिप्लोमा तो नहीं है परन्तु केवल अनुभव है।
3. रिक्त रजिस्टर में दर्ज सभी नौकरी तलाश करने वाले आवश्यक रूप से बेरोजगार नहीं है ।
4. दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा विश्वविद्यालय रोजगार सूचना तथा मार्गदर्शन ब्यूरो के साथ रजिस्टर्ड इन्जीनियरों के लिए आंकड़े शामिल नहीं हैं ।
5. पंजीकरण स्वैच्छिक होने के कारण, सभी बेरोजगार व्यक्ति रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत न किए गए हों ।
6. शिक्षा और विशेष योग्यताओं के स्तरों के अनुसार जानकारी अधि वर्ष के अंतराल के पश्चात् प्रत्येक वर्ष में जून और दिसम्बर के अन्त में एकत्रित की जाती है, इस समय अद्यतनतम उपलब्ध सूचना जून, 1978 के अन्त की है ।

विवरण 2

विभिन्न राज्यों की इंजीनियरी संस्थाओं से 1977-78 के दौरान उत्तीर्ण स्नातक स्तर के इंजीनियरों का संक्षेप

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	उत्तीर्ण
उत्तरी क्षेत्र	
1. चण्डीगढ़	309
2. दिल्ली	414
3. हरियाणा	308
4. जम्मू एवं कश्मीर	151
5. पंजाब	319
6. राजस्थान	507
7. उत्तर प्रदेश	1396
पूर्वी क्षेत्र	
8. असम	140
9. बिहार	506
10. उड़ीसा	290
11. त्रिपुरा	55
12. पश्चिमी बंगाल	1103
पश्चिमी क्षेत्र	
13. गुजरात	1719
14. मध्य प्रदेश	793
15. महाराष्ट्र	2294
16. गोआ	70
दक्षिणी क्षेत्र	
17. आन्ध्र प्रदेश	1180
18. कर्नाटक	1756
19. केरल	773
20. तमिलनाडु	2318
जोड़ :	16,403

विवरण 3

विभिन्न राज्यों के पोलिटेक्निक्स संस्थाओं से 1977-78 के दौरान उत्तीर्ण डिप्लोमाधारियों का संक्षेप

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	उत्तीर्ण
उत्तरी क्षेत्र	
1. चण्डीगढ़	148
2. दिल्ली	608
3. हरियाणा	813
4. हिमाचल प्रदेश	173
5. जम्मू एवं कश्मीर	45
6. पंजाब	783
7. राजस्थान	453
8. उत्तर प्रदेश	5172
पूर्वी क्षेत्र	
9. असम	434
10. बिहार	669
11. मणिपुर	35
12. मेघालय	26
13. नागालैंड	1
14. उड़ीसा	372
15. त्रिपुरा	18
16. पश्चिम बंगाल	1694
पश्चिमी क्षेत्र	
17. गोआ	114
18. गुजरात	3077
19. मध्य प्रदेश	1660
20. महाराष्ट्र	3280
दक्षिणी क्षेत्र	
21. आन्ध्र प्रदेश	1855
22. कर्नाटक	2132
23. केरल	1387
24. पांडिचेरी	55
25. तमिलनाडु	3474
जोड़ :	28,478

विवरण 4

विभिन्न राज्यों की महिला पौलिटेक्निक्स संस्थाओं से 1977-78 के दौरान उत्तीर्ण डिप्लोमा धारियों का संक्षेप

राज्य/संघशासित प्रदेश का नाम	उत्तीर्ण
उत्तरी क्षेत्र	
1. चण्डीगढ़	84
2. दिल्ली	235
3. हरियाणा	29
4. पंजाब	23
5. उत्तर प्रदेश	202
पूर्वी क्षेत्र	
6. असम	29
7. बिहार	शून्य
8. उड़ीसा	46
9. पश्चिम बंगाल	39
पश्चिमी क्षेत्र	
10. गुजरात	182
11. मध्य प्रदेश	40
12. महाराष्ट्र	112
दक्षिणी क्षेत्र	
13. आन्ध्र प्रदेश	446
14. कर्नाटक	276
15. केरल	214
16. तमिलनाडु	242
जोड़ :	2199

विवरण 5

विभिन्न राज्यों की ग्रामीण संस्थाओं से 1977-78 के दौरान उत्तीर्ण डिप्लोमा स्तर के इंजीनियरों का संक्षेप

राज्य/संघशासित प्रदेशों के नाम	उत्तीर्ण
उत्तरी क्षेत्र	
1. दिल्ली	20
2. राजस्थान	39
3. उत्तर प्रदेश	46
पश्चिमी क्षेत्र	
4. महाराष्ट्र	173
दक्षिणी क्षेत्र	
5. तमिलनाडु	66
जोड़ :	344

हिन्दी अधिकारियों के पद

7405. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के बारे में 20 दिसम्बर, 1978 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4263 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर में हिन्दी अधिकारी के पद के लिए दी गयी शैक्षणिक योग्यतायें उन योग्यताओं से भिन्न हैं जिन का उल्लेख, राजभाषा विभाग के विधेयक 8 जनवरी, 1977 के परिपत्र संख्या 15011/4/78—ओ० एल० (डी) की अनुसूची दो में किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने का है जो हिन्दी अधिकारियों की परीक्षा में बैठे थे लेकिन शैक्षणिक योग्यताओं में परिवर्तन के कारण भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में नहीं बैठ सकेंगे; और

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे विभागीय उम्मीदवारों के मामले में शैक्षणिक योग्यताओं में ढील देने और उक्त अनुसूची-दो में उचित परिवर्तन करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1969 में हिन्दी अधिकारियों के लिए जो परीक्षा ली गई थी, उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। राजभाषा विभाग के दिनांक 8 जनवरी, 1979 के कार्यालय ज्ञापन में हिन्दी अधिकारियों के अतिरिक्त अन्य वरिष्ट पदों के लिए भी केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के गठन का प्रस्ताव है। इनके मसौदे को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इन भर्ती नियमों को अन्तिम

रूप दे दिए जाने पर भविष्य में सभी भर्तियां अनुमोदित नियमों के अनुसार की जानी प्रस्तावित हैं।

पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने, लाठी चार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने की घटनायें

7406. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता शासन के दो वर्षों में पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने, लाठी चार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने की संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा राज्य-वार कितनी घटनाएं हुईं तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ख) कांग्रेस शासन के अन्तिम दो वर्षों में इनके क्या आंकड़े हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने, लाठी चार्ज करने और आंसू गैस के गोले छोड़ने के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघशासित प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है और जब प्राप्त होगी तो सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

खादी ग्रामोद्योग तथा ग्रामोद्योग निगम द्वारा विज्ञापन पर किया गया व्यय

7407. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी ग्रामोद्योग तथा ग्रामोद्योग निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रचार पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रचार के लिए भाषा वार तथा राज्य वार किन-किन समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं का उपयोग किया गया;

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में प्रचार के लिए अब तक किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इनके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिंचाई और सड़क निर्माण कार्य के लिये गुजरात को सीमेंट की सप्लाई

7408. **श्री धर्मसिंह पाई-पटेल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि गुजरात को शीघ्र ही सीमेंट सप्लाई नहीं किया जाता तो इस राज्य की विभिन्न बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई योजनाओं पर कार्य और सड़कों का निर्माण कार्य ठप्प पड़ जाएगा;

(ख) वर्ष 1978-79 में सिंचाई और सड़क निर्माण कार्यों के लिए गुजरात को समग्र रूप से अथवा अलग-अलग कितना सीमेंट दिया गया;

(ग) 1979-80 में इन निर्माण कार्यों के लिए कितना सीमेंट सप्लाई किया जायेगा; और किन-किन तारीखों को सप्लाई किया जाएगा;

(घ) सिंचाई और सड़क निर्माण कार्यों के लिए गुजरात को सीमेंट की सप्लाई करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में सीमेंट की सप्लाई में कोई विलम्ब न हो, किस प्रकार की कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) वर्ष 1978-79 में गुजरात राज्य को 14.62 लाख मी० टन का आबंटन निश्चित था उसके बजाय 15.21 लाख मी० टन सीमेंट भेजा गया। किन्तु यह सही है कि गुजरात और देश के अन्य भागों में सीमेंट की सामान्य कमी रही है क्योंकि जितना सीमेंट उपलब्ध है उससे मांग अधिक है। सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के लिए सीमेंट का पूर्ण आबंटन केवल जनवरी, 1979 से कराए गए पूर्ण आरक्षण के आधार पर किया जाता है। गुजरात को सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं के लिए जनवरी-मार्च 1979 तिमाही में प्राथमिकता के आधार पर ही दी गई सीमेंट की मात्रा 63.027 मी० टन है। सड़क निर्माण के लिए आबंटन राज्य सरकार द्वारा उनके इकट्ठे कोटे में से किया जाता है।

(ग) तथा (घ) चूंकि आबंटन तिमाही के आधार पर किए जाते हैं अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि वर्ष 1979-80 में गुजरात को कितनी मात्रा आबंटित की जाएगी। चूंकि गुजरात को 1978-79 सीमेंट का प्रेषण आबंटन से अधिक रहा है और सीमेंट की पूर्ति करने में किसी प्रकार की देरी का प्रश्न नहीं रहा है।

(ङ) सरकार ने सीमेंट के बढ़े हुए उत्पादन तथा उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:—

(1) नेपाल को छोड़कर देश से बाहर सीमेन्ट निर्यात करने पर रोक लगा दी गई है।

(2) वर्ष 1978 के दौरान देश में 13.15 लाख मी० टन सीमेन्ट का आयात किया गया है तथा लगभग 13.23 लाख मी० टन की अतिरिक्त मात्रा का आयात करने का करार कर दिया गया है।

(3) विगत तीन वित्तीय वर्षों की अवधि में प्रत्येक एकक में हुए सबसे अधिक उत्पादन के अतिरिक्त उत्पादन अथवा उसकी लाइसेंसीकृत क्षमता के 85 प्रतिशत पर जो भी अधिक हो, प्रति मी० टन 30 रुपये के नकद प्रोत्साहन की घोषणा की गई है।

(4) सड़क द्वारा सीमेन्ट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी विद्यमान नियमों को और उदार बना दिया गया है।

(5) सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान कैप्टिव पावर के उपयोग में सीमेन्ट का उत्पादन करने के मामले में सीमेन्ट की सहायता भी प्रदान की है।

(6) सरकार ने सीमेन्ट का उत्पादन करने के लिए कोयले की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण मिट्टी के तेल का उपयोग करने में सीमेन्ट उद्योग को सहायता देने की भी घोषणा की है।

(7) विद्यमान एककों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग 100 प्रतिशत की समग्र क्षमता उपयोगिता को बनाए हुए हैं।

(8) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्री-केल्सीनेटेड प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(9) चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही रही है।

(10) सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिए इस्पात संयन्त्रों पर अथवा उनके समीप सीमेन्ट संयंत्र स्थापित करने का प्रोत्साहन देने का भी निर्णय किया है।

(11) सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेन्ट संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है।

(12) एक उच्च स्तरीय समिति ने सीमेन्ट उद्योग का व्यापक अध्ययन किया है और कई सुझावों की सिफारिश की है जिन पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

धार्मिक अवसरों पर पक्षियों और जानवरों की बलि पर रोक लगाने के बारे में मध्य प्रदेश से मसौदा विधेयक

7409. **श्री जी० एम० बनतवाला** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक और परम्परागत अवसरों पर पक्षियों और पशुओं की बलि पर रोक लगाने के लिए एक मसौदा विधेयक (मध्य प्रदेश पशु पक्षी प्रतिशोध विधेयक) भारत सरकार की सहमति के लिये भेजा था;

(ख) क्या सहमति दे दी गई है;

(ग) उपर्युक्त मसौदा विधेयक की मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि किसी प्रकार की रोक, जैसाकि मसौदा विधेयक में उल्लेख किया गया है, विशेषकर मुसलमानों की धार्मिक स्वतन्त्रता का अतिक्रमण है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार उक्त सहमति को, यदि वह दी गई है तो, वापिस लेने की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) मध्य प्रदेश पशु पक्षी बलि प्रतिषेध विधेयक, 1978 मुख्य रूप से मन्दिर में या सार्वजनिक पूजा के स्थान में और/या उनके परिसरों में या धार्मिक पूजा से सम्बन्धित किसी जन समुदाय या जुलूस में या उसके सामीप्य में पशुओं तथा पक्षियों की बलि सम्पन्न करने का प्रतिषेध करता है। विधेयक में यथा परिभाषित "बलि" से अभिप्रेत है "किसी देवी देवता को मनाने के

आशय या प्रयोजन से किसी पशु या किसी पक्षी का मार डाला जाना या उसका अंगभंग किया जाना।"

(घ) और (ङ) राज्य विधान मण्डल द्वारा यथापारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व इस पहलू की जांच की जाएगी।

सरकारी क्षेत्र के भारी इन्जीनियरी एककों द्वारा नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना

7410. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि सरकारी क्षेत्र के भारी इन्जीनियरी एकक सरकार की नई नीति के फलस्वरूप उत्पन्न प्रतियोगिता का सामना करने के लिये नई प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करने पर आने वाली लागत सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) चूंकि हेवी इन्जीनियरिंग यूनिटें अवस्थापना तथा हमारी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे बिजली, इस्पात तथा अलौह धातुएं, उर्वरकों, तेल शोध कारखानों, रेल तथा सड़क परिवहन, खनन आदि के लिए पूंजीगत उपकरण प्रदान करती है इसलिए कम उत्पादन लागत का लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाना निरन्तर तथा आवश्यक प्रक्रिया है। नई आयात नीति ने उत्पादकता, क्वालिटी में सुधार लाने, उत्पादन की मात्रा के अनुसार बचत करने के लिए प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने हेतु कतिपय क्षेत्रों में अधिक जागरूकता और आवश्यकता की भावना प्रदान करती है। और इसका उद्देश्य सामग्री और ऊर्जा का परिरक्षण और हमारे उपकरणों की विश्वसनीयता में सुधार लाना है।

1977 के दौरान स्वीकृत विदेशी सहयोग प्रस्तावों से पता चलता है कि 70% सहयोग करार इन्जीनियरी क्षेत्रों में तथा विदेशी मुद्रा का व्यय इन सहयोग करारों के अन्तर्गत होने वाले उत्पादन का लगभग 2.2% है। कुछ नये सहयोग जो कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की प्रमुख हेवी इन्जीनियरिंग इकाइयों द्वारा चालू आयात नीति की घोषणा होने के बाद किये गये हैं का विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र० सं०	फर्म का नाम	सहयोगी का नाम	उत्पाद का नाम	विदेशी मुद्रा की लागत
1.	मै० माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन लिमिटेड, दुर्गापुर	मै० फोलिंग-हैकिल-एबल इचहर्ट-मैकहिनन एनएब्रीकिन ए० जी० (पी० एच० बी०)	माल हैंडलिंग उपकरण	एकमुश्त भुगतान डी० एम० 8,98,700
2.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, बंगलौर	लाइस वर्के, पश्चिमी जर्मनी	रिफैक्टरी प्रेसिस	रायल्टी—5%
3.	भारत हैवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड विशाखापतनम	यनिटैक, यू० एस० ए०	कागज तथा लुगदी उद्योग के वाष्प एकक	रायल्टी—5%
4.	फाउण्डरी फोर्ज प्लांट आफ इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची	सकोदा एक्सपोर्ट, यू० एस० एस० आर०	फालतू कल पुर्जों का स्वदेशी विकास	95,000 रुपये (एक मुश्त भुगतान)
5.	एंड्रू योल एंड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	बी० टी० आर० बेल्टिंग लिमिटेड लन्दन	सिन्थेटिक फाइबर रिएनफोर्समेंट कन्वेयर बैल्टस	एकमुश्त भुगतान 70,000 पौंड तथा रायल्टी—2.5%
6.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन दुर्गापुर	पी० एच० बी० एफ० आर० जी०	स्किप केस खानों के लिये इन्स्टालेशन	मामले-मामले पर आधारित 4% की एकमुश्त रायल्टी
7.	हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची	स्कोलमैंन सुमेज ए० एच० एफ० आर० जी०	रोलिंग मिल्स	डी० एम० 6,70,000 तथा रायल्टी 5%

टिप्पणी : भारतीय कर रायल्टी पर 40% तथा एकमुश्त भुगतान पर 20% की दर से लगता है ।

लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना

7411. **श्री नाथू सिंह**
श्री बागुन सुम्बरुई } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पिछड़े जिलों में ग्रामीण और कुटीर तथा लघु उद्योगों को ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाने का है ताकि उनके आवेदन-पत्रों पर जिला स्तर पर ही कार्यवाही की जा सके और अन्तिम रूप दिया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बहुत छोटे क्षेत्र (टाइनी सेक्टर) के कामगारों, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों को बैंक से ऋण दिये जाने के बारे में सभी वाणिज्यिक बैंकों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए हैं ताकि वे समय से ऋण स्वीकृत करने व आवेदन प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक लाख रुपए तक के सभी प्रस्तावों के निपटान का सुनिश्चय करने के लिए निम्नलिखित अभ्युपाय करें :—

(1) बैंकों के सभी शाखा प्रबन्धकों (ब्रांच मैनेजरों) को इतनी स्वैच्छिक शक्तियां दी जानी चाहिये कि वे उच्च प्राधिकारी को प्रस्ताव भेजे बिना 25,000 रुपये तक के प्रस्तावों को स्वीकृत कर सकें। यदि किसी बैंक को अपनी सभी शाखाओं में ये स्वैच्छिक शक्तियां देने में तत्काल कोई कठिनाई है तो उन्हें इस कार्य के लिए ये शक्तियां देने हेतु कम से कम जिला स्तर पर आवश्यक प्रशासनिक तन्त्र बनाना चाहिए।

(2) 25,000 से अधिक तथा एक लाख रुपये तक की राशि के ऋणों की जांच जिला उद्योग केन्द्र एवं बैंक (और जहां राज्य वित्त निगम सम्बद्ध हो वहां उसके द्वारा) भी की जानी चाहिए।

(3) आवेदन कमजोर कारणों पर अस्वीकृत नहीं किये जाने चाहिए। प्रत्यक मामले में शाखा प्रबन्धक से ऊपर के स्तर पर आवेदन अस्वीकृत किए जाने चाहिए।

(4) एक बार जिला उद्योग केन्द्र द्वारा उपयुक्त जांच प्रस्तुत कर देने के बाद बैंकों की ऋण सीमा में कमी नहीं करनी चाहिए। जिला उद्योग केन्द्र की कम स्वीकृति के कारण बताये बिना ऋण सीमा में कमी नहीं करनी चाहिए।

गुजरात में सरकारी उपक्रम

7412. **श्री अमर सिंह बी० राठवा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में अब तक केन्द्रीय सरकार के कौन-कौन से औद्योगिक उपक्रम स्थापित किये गये हैं; और

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में राज्य को कौन-कौन से अन्य केन्द्रीय सरकारी उपक्रम आबंटित करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गुजरात में स्थापित किये गये कुछ केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक उपक्रम निम्नलिखित हैं :—

1. इण्डियन पैट्रो कैमिकल्स कारपोरेशन लि०, बड़ौदा
2. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० सरगोधा एकक
3. इण्डियन आयल कारपोरेशन (जवाहर नगर में तेलशोधक कारखाना)
4. इण्डियन डेरी कारपोरेशन, बड़ौदा
5. माडर्न बेकरीज यूनिट, अहमदाबाद
6. तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का एक एकक।

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1978-83) के मसौदा जिसमें केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज परियोजनाओं के नाम तथा उनके स्थापनास्थल भी दिये गये हैं जिसके लिए पंचवर्षीय योजना के दौरान परिव्यय प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है या अभी स्वीकृति दी जानी है। फिर भी, यह उल्लेखनीय है कि इस अवधि में राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में एक उर्वरक एकक की स्थापना करने का विचार है।

झालावाड़ जिले के विकास के लिए योजनायें

7413. **श्री चतुर्भुज** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झालावाड़ जिले को एक पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने के पश्चात् से गत दो वर्षों के दौरान इस जिले के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ख) प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है और इस जिले के विकास के लिए कौन सी योजनाएं केन्द्र के विचाराधीन हैं, वे योजनायें कब क्रियान्वित की जायेंगी और क्या इस क्षेत्र के विकास के लिए कोई प्रस्ताव है और उसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) झालावाड़ जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिले के रूप में निर्धारित किया गया है जिससे वह उद्योग स्थापित करने के इच्छुक पात्र उद्यमियों के लिये निम्नलिखित प्रोत्साहनों के लिए पात्र हो गया है :—

(1) अखिल भारतीय आवधिक ऋण देने वाली संस्थाओं द्वारा रियायती वित्त की सुविधायें।
(2) करों में छूट।
(3) लघु उद्योग इकाइयों की मशीनों की किराया खरीद।
(4) तकनीकी सेवा के लिये परामर्श।
(5) ब्याज आर्थिक सहायता।
(6) कच्चे सामान के आयात के लिए विशेष सुविधायें।

यह स्कीम राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाती है।

झालावाड़ में एक जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किया गया है। इस केन्द्र ने अब तक 334 उद्यमी निर्धारित किये हैं और 148 दस्तकारों/लघु उद्योग इकाइयों को सहायता दी है।

एच० एम० टी० घड़ियों की असंतोषजनक बिक्री सेवा

7415. **श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके ध्यान में यह लाया गया है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की बिक्री पश्चात् सेवाएं बहुत ही असंतोजनक हैं;

(ख) क्या बहुत से मामलों में मशीनें उद्यमियों को क्रयादेश के समय के अनुसार सप्लाई नहीं की गई अथवा जब सप्लाई की गई तो उनकी स्थापना की और महीनों तक ध्यान नहीं दिया गया; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो मामले पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं। प्राप्त रिपोर्टों से एच० एम० टी० की बिक्री पश्चात् सेवा संतोषजनक पाई गई है।

(ख) अधिकांश मशीनें समय से दे दी जाती हैं। ग्राहक के तैयार होने की सूचना मिलने पर सामान्यता दो सप्ताह के अन्दर अधिष्ठापन किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारियों का उप-सचिवों के पदों पर नियुक्ति के लिये चयन

7417. **श्री राजे विश्वेश्वर राव** : क्या **गृह** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शानेवाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्हें चयन बोर्ड ने 1976 में चयन ग्रेड के लिए उपयुक्त माना था तथा जिन्हें उप-सचिव के पद पर नियुक्त किया गया तथा उन्हें किन-किन तिथियों से नियुक्त किया गया;

(ख) क्या उपर्युक्त अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों के नाम, जिन्हें चयन बोर्ड ने पदोन्नति के लिए उपयुक्त माना था, कार्मिक विभाग द्वारा 2 फरवरी, 1977 को घोषित पैनल में सम्मिलित नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों के नाम क्या हैं तथा उनका ग्रेडिंग क्या है ?

गृह मन्त्रालय और विधि न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के जिन 36 अधिकारियों को उक्त सेवा के चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा गया था, उनको वर्ष 1976 के लिए एक प्रवर सूची 2 फरवरी, 1977 को जारी की गई थी। इन अधिकारियों के नाम तथा उप-सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति की तारीखें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ख) तथा (ग) इनके अतिरिक्त, 3 और अधिकारी जो उस समय सतर्कता/अनुशासनिक कार्यवाहियों में अर्न्गस्त थे, उनकी उपयुक्तता के बारे में सिफारिशें, जैसाकि विद्यमान आदेशों के अधीन अपेक्षित हैं, मुहरबन्द लिफाफे में रखी गई थीं। उनमें से दो अब तक सेवा निवृत्त हो चुके

हैं। तीसरे अधिकारी के सम्बन्ध में मुहरबन्द सिफारिशों को, उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां पूरी कर लिए जाने के बाद खोला जाएगा।

विवरण

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के उन अधिकारियों की सूची जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन में नियुक्ति के लिये योग्य पाया गया

	नाम	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में चयन की नियुक्ति की तारीख
	सर्वश्री	
1.	एल० एम० सुखवानी	1-3-77
2.	प्रो० प्रभाकरन	2-2-77
3.	एच० एल० कोहली	1-3-77
4.	पी० सी० जयरामन	15-5-77
5.	जी० वी० जी० रामन	1-4-77
6.	एस० कण्णन्	2-2-77
7.	आर० सी० गुप्त (ज० 10-10-32)	24-5-77
8.	आर० बी० गुप्त	2-2-77
9.	वी० श्रीनिवासन	17-5-77
10.	एस० एन० दत्त	31-5-78 से सेवानिवृत्त हो गए
11.	बी० के० सक्सेना	2-2-77
12.	एन० ए० अनैथानरायनन	22-3-77
13.	आर० सुब्रामनियन	13-9-77
14.	जी० एन० खन्ना	लम्बी छुट्टी पर हैं। अभी नियुक्त नहीं किये गये।
15.	शंकर कपूर	2-2-77
16.	तीरथ राम	9-3-77
17.	बी० एन० बागची	1-1-77 से त्याग-पत्र दे दिया है।
18.	एस० चौथानी	2-2-77
19.	डी० एस० दुग्गल	26-6-77
20.	पी० यू० थामस	31-10-77 से सेवानिवृत्त हो गये।
21.	एम० जी० अनेजा	3-6-77
22.	एन० डी० सिन्हा	31-3-77 से सेवानिवृत्त हो गए।
23.	एस० सी० सचदेवा	1-3-77
24.	के० राममूर्ति	24-3-77
25.	एम० एल० शर्मा	2-2-77

1		2
26.	एम० आर० सचदेवा	2-2-77
27.	एस० जे० साहा	19-7-77
28.	वी० के० वेंकटरामन	1-3-77
29.	के० पी० बी० मैनन	14-12-77
30.	अनिलन्दु गुप्त	1-9-77
31.	पी० के० जी० केइमल	25-4-77
32.	जे० एस० चुघ	1-3-77
33.	एस० के० कयाल	23-12-77
34.	रमेश बहादुर	1-12-77
35.	शिवराम	3-10-77
36.	गोकुल राम	28-2-77

खादी ग्रामोद्योग आयोग में भर्ती नियम

7418. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग व्यापार विभाग में विभिन्न कैडरों के बारे में भर्ती नियम बना लिये गये हैं और न्यूनतम अपेक्षित अर्हताएं नियत कर दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग में उनका पालन किया जा रहा है;

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी न्यूनतम अर्हता हाई स्कूल पास है परन्तु वे अभी भी प्रवर श्रेणी लिपिक अथवा सेल्स मैन 3 के रूप में काम कर रहे हैं जबकि उससे कम अर्हताओं वाले व्यक्तियों को 1955 से पदोन्नति दी गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) : जी हां, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाये गये भर्ती तथा पदोन्नति के नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि पहला रिक्त स्थान पदोन्नति द्वारा, भरा जाना चाहिए। तदनुसार, आयोग के कर्मचारियों में से पदोन्नति द्वारा भरी जानेवाली कुछ रिक्तियां वरीयता-सह योग्यता के आधार पर भरी गई हैं।

स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन

7419. **श्री बापू साहिब परुलेकर** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन देने सम्बन्धी कितने आवेदन-पत्र कितने वर्षों से विचाराधीन हैं;

(ख) ऐसे कितने आवेदन-पत्र आजाद हिन्द फौज के व्यक्तियों से हैं; और

(ग) क्या सरकार आपात काल के दौरान सत्याग्रह करने वाले और गिरफ्तारी देने वाले व्यक्तियों को स्वाधीनता सेनानियों के रूप में मान्यता देती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) प्रारम्भिक पड़ताल के लिए कोई आवेदन लम्बित नहीं है। फिर भी, आजाद हिन्द फौज कार्मिकों के अतिरिक्त अन्य

स्वतन्त्रता सेनानियों के 33702 आवेदनों तथा आजाद हिन्द फौज कार्मिकों के 3193 आवेदनों को आवेदकों से स्वीकार्य दस्तावेजी साक्ष्यों और/अथवा राज्य सरकारों की विशिष्ट सिफारिशों के अभाव में अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका। सभी आवेदकों को सूचित कर दिया गया है कि उनके मामलों को अन्तिम रूप क्यों नहीं दिया जा सका।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा केन्द्रीय मन्त्रालयों को पत्र

7420. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री महोदय ने आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों के बारे में केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों को सम्बोधित करके पत्र लिखे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनमें क्या-क्या बातें लिखी गई हैं; और

(ग) किन-किन मन्त्रालयों ने उनका उत्तर दिया है और तदनुसार कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) प्रधान मन्त्री ने सम्बन्धित मंत्रालयों को पत्र लिखा था। पत्र की प्रतिलिपि विवरण में है।

(ग) कृषि तथा सिंचाई, शिक्षा तथा समाज कल्याण, जहाजरानी तथा परिवहन, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण और संचार मन्त्रालयों ने पत्र का उत्तर दिया है। इन मन्त्रालयों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को मनोनीत किया है। मूल कागज पत्र तैयार किए हैं और अस्थायी धनराशि भी निर्धारित की है। वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता और ऊर्जा मंत्रालयों ने भी इस पत्र का आंशिक उत्तर दे दिया है।

विवरण

प्रधान मन्त्री

सं० 1672-पी० एम० ओ०/178

नई दिल्ली

21 अगस्त, 1978

प्रिय श्री,

सम्भवतः आपको मालूम है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए सम्बन्धित मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की एक केन्द्रीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा उनके कल्याण के सम्बन्ध में की गई प्रगति का पुनरीक्षण करने के लिए इस समिति की छठी बैठक 5 अगस्त, 1978 को हुई थी। मैं यह पत्र विशेष रूप से आपका ध्यान इस ओर दिलाने के लिए लिख रहा हूँ कि केन्द्रीय मन्त्रालय इन जनजातियों के कल्याण के मामले में पर्याप्त रुचि नहीं ले रहे हैं, जो केन्द्र सरकार का सांवैधानिक उत्तरदायित्व है।

पहली बात तो यह है कि अक्तूबर, 1977 में हुई समन्वय समिति की 5वीं बैठक में यह सहमति हुई थी कि प्रत्येक मंत्रालय में विशेष रूप से कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य,

सिंचाई, औद्योगिक विकास, परिवहन और सहकारिता में एक वरिष्ठ अधिकारी को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की देख-भाल करने का कार्य सौंपा जाएगा। लगता है किसी मन्त्रालय ने अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है।

राज्य सरकारों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए राज्य योजनाओं के भीतर उप योजनाएं तैयार की जा रही हैं। केन्द्रीय मन्त्रालयों को भी मध्य अवधि योजना 1978-83 के लिए आदिवासी विकास कार्यक्रमों के लिए अपने-अपने क्षेत्रों में सापेक्ष महत्व की योजनाएं तैयार करनी हैं। यदि सापेक्ष महत्व के ये कागज पत्र तुरन्त तैयार नहीं किये जाते हैं तो बाद में 1978-83 के लिए मध्य अवधि योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिये योजनाओं को लागू करना कठिन हो जाएगा। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि केन्द्रीय मन्त्रालय अपने क्षेत्रों में जनजातीय स्थिति के अनुसार अपनाए गये उद्देश्य और कार्यक्रम तैयार करें। उपलब्ध साधनों का मूल्यांकन करने और राज्य योजना केन्द्रीय योजनाओं और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रावधान करने के बाद यदि कोई अन्तराल मिलता है तो उसे 6ठी योजना अवधि के लिए अस्थाई तौर पर सुझाई गई विशेष केन्द्रीय सहायता से पूरा किया जा सकता है। अब केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए यह तत्काल आवश्यक है कि वे इस अन्तराल का पता लगाएं ताकि विशेष केन्द्रीय सहायता का क्षेत्रीय निर्धारण शीघ्र किया जा सके।

केन्द्रीय मन्त्रालयों के जिन प्रतिनिधियों ने 5 अगस्त, 1978 को समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया था, उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे अगस्त, 1978 के तीसरे सप्ताह तक सापेक्ष महत्व के अपने कागज पत्र तैयार करें। अतः मेरा सुझाव है कि आप निजी तौर पर यह सुनिश्चित करें कि ऐसा किया गया है ताकि 1978-83 के लिए मध्य अवधि योजना बनाने में कमी के कारण अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत स्कीमों को नुकसान न हो। केन्द्रीय मन्त्रालय यह भी सुनिश्चित करें कि समन्वय समिति में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर उचित अनुवर्ती कार्रवाई हो।

आपका,

(मोरारजी देसाई)

सेवा में,

सभी सम्बन्धित मन्त्रालय।

पुलिस के कार्यकरण के बारे में विचारों का पता लगाने के लिए संसद सदस्यों के साथ बैठक

7421. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्होंने आमतौर से देश भर में तथा विशेष रूप से दिल्ली में दिल्ली पुलिस के नये स्वरूप के पश्चात् पुलिस संगठन के कारण कार्यकरण के बारे में संसद सदस्यों के विचार जानने हेतु उनके साथ एक बैठक आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि बैठक में भाग लेने वाले अधिकांश सदस्यों ने देश भर में पुलिस

कार्यकरण की निष्प्रभावित तथा विशेष रूप से दिल्ली में पुलिस द्वारा निर्दोष लोगों को परेशान किये जाने तथा अपराधियों/दोषियों को आश्रय दिये जाने की बात कही; और

(घ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) गृह मत्री द्वारा 16-3-1979 को दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। कार्यवृत की एक प्रतिलिपि संलग्न है ।

दिल्ली में पुलिस संगठन ने अपनी दक्षता और कार्यकरण में सुधार करने के लिए अनेक कदम उठाये है और उठा रहा है। इनमें पश्चिम दिल्ली नामक एक नये पुलिस जिले का बनाया जाना, 8 नए थानों और 12 पुलिस चौकियों की स्थापना, सी० आर० पी० बटालियनों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 करना, सी० आर० पी० और होम गार्डस की सहायता से गश्त बढ़ाना, बदमाशों के विरुद्ध विशेष अभियान शुरू करना (1-8-1978 और 5-3-1979 के बीच 233 व्यक्तियों को निष्कासित किया गया है) और महत्वपूर्ण म मलों से निपटने और आसूचना पद्धति में सुधार के लिए एक विशेष केन्द्रीकृत दस्ते की स्थापना करना शामिल है। पुलिस आयुक्त अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निकट सम्पर्क रखते हैं और नगर के विभिन्न भागों में स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए उनसे प्रतिदिन मिलते हैं। उपराज्यपाल भी समय-समय पर स्थिति का पुनरीक्षण करते हैं ।

विवरण

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए 16-3-1979 को गृह मंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक का कार्यवृत ।

बैठक में उपस्थित हुए व्यक्तियों की सूची संलग्न है ।

2. दिल्ली में कानून और व्यवस्था में सुधार करने तथा जनता में विश्वास तथा सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिये निम्न उपायों का सुझाव दिया गया था :—

(1) अधिक गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता

यह सुझाव दिया गया था कि प्राय: पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर क्षेत्रों का दौरा करना चाहिये ताकि वे क्षेत्र के लोगों तथा समस्याओं को बेहतर रूप से जान सकें। इसके अतिरिक्त वरिष्ठ तथा अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण कार्य जैसे जिला प्रभार, करने के लिए तैनात किया जाना चाहिए ।

(2) पुलिस में भ्रष्टाचार तथा कर्मचारियों के तबादले

यदि अपराध स्थिति सुधारनी है तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ज्ञात योग्यता तथा ईमानदारी के अधिकारियों को थानाध्यक्ष के रूप में तैनात किया जाये। इस सन्दर्भ में यह सुझाव दिया गया था कि सरकार पुलिस कर्मचारियों के अधीनस्थ पदों के संवर्ग को पड़ोसी राज्यों के साथ मिलाने पर विचार करे ताकि कर्मचारियों में दिल्ली से बाहर तबादला न होने का

निहित स्वार्थ विकसित न हो। यह भी सुझाव दिया गया था कि एक विशेष कक्ष, संदेहास्पद ईमानदारी के पुलिस कर्मचारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए पुलिस विभाग में गठित किया जाए।

(3) **निष्कासन की कार्रवाईयां तथा बदमाशों की गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाईयां**

(i) यह सुझाव दिया गया था कि पुलिस को अधिक सतर्क रहना चाहिए ताकि जिन व्यक्तियों को निष्कासित किया गया था वे वापस न आ जायें तथा उन क्षेत्रों में, जहां से उन्हें निकाला गया था, स्वतन्त्रता से न घूमें।

(ii) अपराध नियंत्रण के तरीके के रूप निष्कासन केवल वहां सफल हो सकता है जहां विशिष्ट बस्तियों से अधिक संख्या में बदमाशों को निकाला जाता है।

(iii) ऐसे निष्कासन कार्य के साथ उसी क्षेत्र में कारगर कार्यवाही भी की जानी चाहिए ताकि अन्य लोग अपराधों को करने का साहस न कर सकें।

(iv) उपरोक्त (ii) तथा (iii) में उल्लिखित कार्रवाई को सुविधाजनक बनाने के लिए उन स्थलों/स्थानों का पता लगाना आवश्यक है जहां पर नामी अपराधी अपराध करने के अभ्यस्थ हैं।

(v) प्रायः 'पान' की दुकानें भी, जो सामान्य बिक्री केन्द्रों से कुछ दूर एकान्त स्थलों पर स्थित हैं, बदमाशों की गतिविधियों के केन्द्र हैं। यह विचार किया जाना चाहिए कि ऐसी एकान्त 'पान' की दुकानों को चलते रहने की क्या अनुमति दी जानी चाहिए।

(4) **पुलिस लोक सम्पर्क तथा थाना समितियों को सक्रिय बनाना**

सदस्यों का विचार था कि जब तक पुलिस और जनता के बीच बेहतर सम्बन्ध नहीं होंगे अपराध की स्थिति में सुधार नहीं होगा। यह सुझाव दिया गया था कि थानों के पुलिस अधिकारियों को अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले सम्मानीय व्यक्तियों से सम्बन्ध रखना चाहिए तथा उनके विचार भी जानने चाहिए। इस प्रक्रिया से पुलिस पर लोगों का विश्वास भी बहाल होगा। ऐसी थाना समितियों में दिये गये सुझावों की शीघ्रतापूर्वक जांच की जानी चाहिए तथा उन पर की गई कार्रवाई ऐसी समितियों को सूचित की जानी चाहिए।

(5) **पुलिस प्रैस सम्बन्ध**

यह देखा गया है, प्रैस अपराध स्थिति को विशेष रूप से प्रकाशित कर रही है। पुलिस और प्रैस के बीच सम्बन्धों में सुधार की आवश्यकता है।

(6) **सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करना**

सदस्यों ने सुझाव दिया कि पुलिस तथा नई दिल्ली नगर पालिका/नगर निगम दिल्ली/दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को सतर्क रहना चाहिए तथा किसी अवैध निर्माण की गतिविधियों के बारे में प्रथम संकेत पर तुरन्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस सम्बन्ध में विधान बनाने के लिये निर्माण व आवास मंत्रालय द्वारा शीघ्रता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(7) **दिल्ली विधान सभा के लिए विधेयक**

सदस्य चाहते थे कि इस विधेयक को संसद में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(8) यातायात प्रबन्ध

सदस्य चाहते थे कि उन स्कूटर/टैक्सी चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिये जो यात्रियों को उनके गन्तव्य स्थानों पर ले जाने से इन्कार करते हैं या जो अपनी मर्जी से यात्रियों को बैठाते हैं।

गृह मंत्री ने बताया कि भविष्य में ऐसी बैठकें नियमित रूप से की जाएंगी तथा दिये गये सुझावों पर की गई कार्रवाई का भी पुनरीक्षण किया जायेगा।

विवरण

उपस्थित हुए व्यक्तियों की सूची

श्री एच० एम० पटेल, गृह मंत्री.....अध्यक्ष।

गृह मन्त्रालय	दिल्ली प्रशासन	मंत्री/संसद सदस्य
1. श्री धनिक लाल मण्डल, गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री।	1. श्री डी० आर० कोहली उप राज्यपाल।	1. श्री सिकन्दर बख्त, निर्माण और आवास मंत्री।
2. श्री एस० डी० पाटिल, गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री।	2. श्री केदार नाथ साहनी, मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली।	2. श्री के० एल० गुप्ता, संसद सदस्य।
3. श्री टी० सी० ए० श्री निवासवर्धन, गृह सचिव।	3. श्री पी० पी० कैपरिहन, सचिव, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।	3. श्री बी० के० मल्होत्रा संसद सदस्य।
4. श्री एम० एल० कम्पानी, अपर सचिव (के०)।	4. श्री जे० एन० चतुर्वेदी, पुलिस आयुक्त।	4. श्री किशोरी लाल, संसद सदस्य।
5. श्री एस० वी० शरन, संयुक्त सचिव (एफ०)	5. श्री एम० डब्ल्यु० के० युसफजै, सचिव (गृह), दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।	5. श्री जगन्नाथ राव जोशी, संसद सदस्य।
6. श्री पी० बी० जयकृष्णन, उप सचिव (पी० एस०)।	6. श्री एन० के० सिंघल, पुलिस अपर आयुक्त।	
	7. श्री जी० एस० मंडेर, पुलिस अपर आयुक्त।	
	8. श्री एच० डी० पिल्लै, पुलिस अपर आयुक्त।	
	9. श्री आई० बी० नेगी, पुलिस अपर आयुक्त।	

सरकारी कर्मचारियों का भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठना

7422. **श्री पद्माचरण सामन्त सिंहेरा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने 35 वर्ष की आयु तक के सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सीधे भाग लेने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उस आधार पर अब तक ऐसे कितने उम्मीदवारों ने परीक्षा दी है; और

(ग) नियुक्ति के लिए कितने उम्मीदवार चुने गये ?

गृह और विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०डी० पाटिल) : (क) जी हां श्रीमान्, प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस आशय की एक सिफारिश की थी किन्तु सरकार द्वारा इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था।

(ख) तथा (ग) : (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

साम्प्रदायिक संगठनों पर रोक

7423. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में साम्प्रदायिक संगठनों और संस्थाओं पर रोक लगाने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क) तथा (ख) ऐसे संगठनों पर जिनकी गतिविधियां साम्प्रदायिक सद्भाव तथा राष्ट्रीय एकता के हित के लिए प्रतिकूल हों, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 द्वारा तथा संशोधित गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 के उपबन्धों के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। समय-समय पर सरकार द्वारा इन उपबन्धों को किसी संगठन पर लागू करने के प्रश्न की जांच संगठन की गतिविधियों के बारे में उपलब्ध सामग्री को देखते हुए की जाती है।

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के प्रकाशन

7424. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग द्वारा क्रमश: 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान कौन-कौन से प्रकाशन निकाले गये;

(ख) प्रत्येक पुस्तक किस भाषा में प्रकाशित की गई और क्या यह सच है कि यह प्रकाशन अधिकतर अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए गये थे; और

(ग) क्या इन प्रकाशनों को मूलत: हिन्दी में प्रकाशित करने के प्रबन्ध किये जायेंगे अथवा उनके हिन्दी अनुवाद शीघ्र उपलब्ध किये जायेंगे ?

रक्षा मन्त्रालय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें प्रकाशनों के नाम दिए गये हैं।

(ख) ये सभी पत्रिकाएं अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की गई हैं।

(ग) इन तकनीकी पत्रिकाओं को न तो हिन्दी में प्रकाशित करने की कोई योजना है और न ही इनका हिन्दी में अनुवाद करने की। बहरहाल, हिन्दी में 'प्राणि जगत' नामक एक लोकप्रिय पत्रिका प्रकाशित करने की एक योजना है और इसके प्रथम अंक की पाण्डुलिपि मुद्रण हेतु तैयार है।

भारतीय प्राणि सर्वेक्षण द्वारा 1976-77 वर्ष में प्रकाशित प्रकाशनों की सूची

1. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वोल्यूम 69.
2. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वोल्यूम 70.
3. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वोल्यूम 71.
4. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 2.
5. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 3
6. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 4
7. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 5.
8. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 6.
9. भारतीय प्राणि सर्वेक्षण की 1974-75 वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट

1977-78 वर्ष के लिए

1. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वोल्यूम 72.
2. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वोल्यूम 73.
3. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 7.
4. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इडिन्डया, ओकेजनल पेपर नं० 8.
5. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 9.
6. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 10.
7. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 11.
8. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, ओकेजनल पेपर नं० 12.
9. बिबलियोग्राफी आफ इन्डियन जूलोजी, वोल्यूम 7.
10. बिबलियोग्राफी आफ इन्डियन जूलोजी, वोल्यूम 8.
11. जैड० एस० आई० न्यूज लेटर वोल्यूम 3 (4)
12. जैड० एस० आई० न्यूज लेटर वोल्यूम 3 (5)
13. भारतीय प्राणि सर्वेक्षण की 1975-76 वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट
14. बुलेटिन आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वोल्यूम 1 (1)

1978-79 वर्ष के लिए

1. बिबलियोग्राफी आफ इन्डियन जूलोजी, वोल्यूम 9.
2. बिबलियोग्राफी आफ इन्डियन जूलोजी, वोल्यूम 10.
3. बिबलियोग्राफी आफ इन्डियन जूलोजी, वोल्यूम 11.
4. बिबलियोग्राफी आफ इन्डियन जूलोजी, वोल्यूम 12.
5. जैड० एस० आई० न्यूज लेटर वोल्यूम, 3 (6).
6. बुलेटिन आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया वोल्यूम 1 (2).
7. बुलेटिन आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वोल्यूम 1 (3).
8. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वल्यूम 74 (पार्ट 1)
9. रिकार्ड्स आफ दि जूलोजीकल सर्वे आफ इन्डिया, वोल्यूम 74 (पार्ट 2)
10. भारतीय प्राणि सर्वेक्षण की 1976-77 वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट
11. जैड० एस० आई० न्यूज (जनवरी मई, 1978).
12. जूलोजियाना नं० 1.
13. टैक्नीकल मोनोग्राफ नं० 1.
14. टैक्नीकल मोनोग्राफ नं० 2.

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

7425. **श्री सूरज भान** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है राष्ट्रीय कपड़ा निगम में सेवाओं के प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी वर्गों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का बहुत कम प्रतिनिधित्व है;

(ख) यदि हां, तो वहां पर उपरोक्त पिछली कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि कुछ वर्ष पूर्व राष्ट्रीय कपड़ा निगम में तीसरी श्रेणी के लगभग 13 गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सेवा/अनुभव में दो वर्ष की छूट दी गई है;

(घ) क्या उपरोक्त निगम में निकट भविष्य में प्रथम श्रेणी ग्रेड की कोई पदोन्नतियां की जा रही हैं; यदि हां, तो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को इसके लिए हकदार बनाने हेतु आप क्या रियायत अथवा छूट दे रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी हां। ऐसा मुख्यत: इस कारण से है कि राष्ट्रीय वस्त्र मिलों में कार्य कर रहे कर्मचारी भूतपूर्व प्राइवेट प्रबन्ध से लिये गये थे जिन पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के प्रत्याशी नियुक्त करने हेतु कोई कानूनी दायित्व नहीं था। दूसरे इन समुदायों से तकनीकी योग्यता वाले उतने प्रत्याशी नहीं मिल पाते जितनी संख्या में उनकी आवश्यकता होती है। फिर भी इन श्रेणियों के अब तक रिक्त शेष पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं। धारक कंपनी केवल अनुसूचित जाति व

अनुसूचित जनजातियों के प्रत्याशियों से आवेदनपत्र मांगने हेतु एक समेकित विज्ञापन जारी कर रही है।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम में 1.8 लाख कर्मचारी हैं पूछे गए पदों/प्रत्याशियों के निश्चित ब्यौरों की अनुपस्थिति में मांगी गई जानकारी देना कठिन है।

(घ) जी हां। भविष्य में वर्ग 'क' के पदों पर पदोन्नतियां करते समय सरकारी अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री बाटचा डिगल, संसद सदस्य पर हमला

7427. **श्री बाटचा डिगल** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चकपड, फूलबनी जिले (उड़ीसा) में 25 फरवरी, 1979 को श्री बाटचा डिगल, संसद सदस्य पर कुछ लोगों द्वारा किये गये कथित हमले के बारे में कोई सूचना मिली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि मामले की जांच अभी जारी है और इसके पूरा हो जाने के बाद निष्कर्षों का पता चलेगा।

"ओमबुड्समैन" की संस्था

7428. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता की शिकायतों के लिये प्रभावी और पक्षपात होम अन्वेषण तन्त्र की व्यवस्था करने और सभी स्तरों पर की गई प्रशासकीय गल्तियों तथा ज्यादतियों के हल के लिये देश में "ओमबुड्समैन" की संस्था की व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा कार्रवाई न करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आदि अन्य देशों में उक्त संस्था की व्यवस्था है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस संस्था की व्यवस्था करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०डी० पाटिल) : (क) से (घ) 'ओमबुड्समैन' के नाम से प्रसिद्ध प्रकार की संस्थाएं स्वीडन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड आदि जैसे देशों में विद्यमान हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने 20-10-66 को प्रस्तुत अपनी अन्त-

रिम रिपोर्ट में नागरिकों से प्राप्त निम्नलिखित प्रकार की शिकायतों की जांच करने के लिए ओमबुड्समैन की संस्था के नमूने पर लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं के गठन की शिफारिश की थी :—

(क) उन व्यक्तियों की शिकायतें, जो किसी मन्त्री अथवा सचिव द्वारा अथवा उसके अनुमोदन से की गई किसी कार्रवाई के सम्बन्ध में कुप्रशासन के परिणामस्वरूप अन्याय सहन किये जाने का दावा करते हैं; और

(ख) उन व्यक्तियों की शिकायतें जो निश्चयपूर्वक यह कहते हैं कि किसी मन्त्री अथवा सचिव द्वारा अथवा उसके अनुमोदन से की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के प्रति अनुचित पक्षपात किया गया है अथवा सम्बन्धित मंत्री अथवा सचिव को व्यक्तिगत फायदा अथवा लाभ हुआ है।

(2) प्रशासनिक सुधार आयोग की शिफारिशों के अनुपालन में लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं के गठन के लिये पूर्ववर्ती सरकार द्वारा 1968 और 1971 में जो विधायी प्रस्ताव शुरू किये गये थे, वे कालान्तर में समाप्त हो गये, क्योंकि उन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया था।

3. प्रशासनिक सुधार आयोग की शिफारिशों और 1968 और 1971 में शुरू किये गये पूर्ववर्ती विधायी प्रस्तावों के उपबन्धों और विभिन्न राज्यों में समय-समय पर इस विषय पर बनाये गये अन्य कानूनों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान सरकार ने इस मामले की पुनः जांच की थी। सबसे पहले, उच्चतर स्तर पर भ्रष्टाचार की समस्या को लोकपाल तन्त्र के जरिये सुलझाने की वांछनीयता महसूस की गई थी। तदनुसार जहां तक उपर्युक्त पैरा 1 की मद संख्या (ख) का सम्बन्ध है, मन्त्रियों और विधायकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने के लिये केन्द्र में लोकपाल का गठन करने हेतु 20 जुलाई, 1977 को लोकपाल विधेयक, 1977, लोकसभा में पेश किया गया था यह विधान विचार किये जाने के लिए लोकसभा के समक्ष विचारार्थ लम्बित पड़ा है। कदाचार के आरोपों से भिन्न शिकायतों को लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से अलग रखा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका अधिकार-क्षेत्र प्रबन्धनीय बना रहे और यह संस्था उच्चतर राजनीतिक स्तरों पर भ्रष्टाचार द्वारा उठी समस्याओं का सामना करने के लिये कारगर साधन बन सके।

4. जहां तक पैरा 1 की मद संख्या (क) का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय कि सरकार ऐसे प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना करने पर विचार कर रही है जो प्रशासन के विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों, विशेषकर उनको नियन्त्रित करने वाले विभिन्न नियमों और विनियमों में सेवा शर्तों के अतिक्रमण से सम्बन्धित शिकायतों की जांच करेंगे। यह मंच स्पष्ट अनियमितताओं और प्रतिशोधात्मक व्यवहार के विरुद्ध सरकारी कर्मचारियों को सहज, शीघ्र और सस्ता निराकरण का माध्यम प्रदान करेगा।

5. जहां तक प्रशासन के विरुद्ध नागरिकों की 'शिकायतों' का सम्बन्ध है, इसमें सन्देह है कि क्या ओमबुड्समैन प्रकार की कोई संस्था लाभप्रद सिद्ध हो पायेगी क्योंकि ओमबुड्समैन प्रकार की संस्थाओं वाले देशों की तुलना में भारत में ओमबुड्समैन प्रकार की संस्था के कार्यों का क्षेत्र देश के क्षेत्रफल, आबादी और प्रशासनिक ढांचे के दृष्टिकोण से मात्रा और जटिलता

दोनों ही दृष्टि से बहुत ही दूरगामी होगा । फिर भी, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग में सार्वजनिक शिकायतों के आयुक्त के रूप में एक विभागीय तन्त्र पहले ही से विद्यमान है जो नागरिकों की शिकायतों को समय-समय पर जांच करने और उनका निवारण करने के उद्देश्य से उन पर कार्रवाई करता है । विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों में "शिकायत अधिकारी" हैं जो मन्त्रालय के भीतर ऐसी शिकायतों को निपटाते हैं और ऐसी शिकायतों के निवारण हेतु उपयुक्त कार्रवाई किये जाने के लिये शिकायतों के आयुक्त से सम्पर्क का कार्य भी करते हैं ।

सीमेंट के कारखाने

7429. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने सीमेंट कारखाने चल रहे है;

(ख) उनकी कुल क्षमता कितनी है; और

(ग) वर्ष 1977-78 के दौरान उनकी क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) वर्ष 1977-78 में 55 सीमेंट कारखाने थे जिनकी कुल क्षमता 218·70 लाख मी० टन थी । उस वर्ष उनकी 88 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया था ।

विभिन्न राज्यों में नई जूट मिल परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए आशयपत्रों का जारी किया जाना

7430. **डा० रामजी सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा, त्रिपुरा, बिहार और असम में नई जूट परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए वर्ष 1973 में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों को आशय पत्र जारी किये गये थे;

(ख) क्या किशनगंज, बिहार में जूट मिल परियोजना के क्रियान्वयन कार्य को, जो पहले ही प्रारम्भ हो चुका था, 27 अगस्त, 1977 के भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के निर्देश पर रोक दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार की हाल की इस घोषणा को ध्यान में रखते हुए वह देश में जूट उद्योग के विकास को प्रोत्साहन दे रही है, ऐसे निर्देश को वापस लेने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्देश कब तक वापस लिये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उड़ीसा, त्रिपुरा, बिहार और असम में नई जूट मिल परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु वर्ष 1973 और 1974 में आशयपत्र जारी किये गए थे;

(ख) से (घ) देशी बाजार तथा विदेशी बाजार दोनों में जूट की वस्तुओं की मांग में कमी तथा विद्यमान एककों आदि की उत्पादन क्षमता को पूरा करने के लिए कच्चे जूट की पर्याप्त उपलब्धता को बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए देश में नई जूट मिलों की स्थापना के प्रश्न की वर्ष 1977

में समीक्षा की गई थी। पटसन उत्पादक राज्यों की सभी सरकारों से अपने राज्यों में नई जूट मिलों की स्थापना को प्रोत्साहन न देने का अनुरोध किया गया था। फिर भी, यदि सामाजिक आर्थिक मानदन्ड ऐसा उचित सिद्ध करते हैं तो सरकार इस नीति की समीक्षा करने की संभाव्यता की जांच करेगी।

सिक्किम में उद्योगों की स्थापना

7431. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या उद्योग मंत्री सिक्किम में उद्योगों के विकास के बारे में 15 मार्च, 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2921 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम राज्य को वहां उद्योगों की स्थापना के लिए 1.09 करोड़ रुपये की राशि दी गई थी और यदि हां, तो वहां स्थापित किये गए उद्योगों के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन स्थानों पर स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या वर्ष 1977-78 में एक ग्रामीण औद्योगिकीकरण परियोजना को मंजूरी दी गई थी और यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सिक्किम को एक पिछड़ा हुआ राज्य घोषित किया गया है और यदि हां, तो इस राज्य को विकास कार्यों के लिए रियायती दरों पर कितनी राशि के ऋण दिये गये, कितना केन्द्रीय निवेश दिया गया तथा कितनी राजसहायता प्रदान की गई, और इस समय राज्य में चल रही विकास परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सिक्किम की राज्य योजना के अन्तर्गत, उद्योग तथा खनिज के लिए वर्ष 1978-79 में 109 लाख रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया था। इस परिव्यय पर लगभग 9731 लाख रुपये का व्यय होने की सम्भावना है।

सिक्किम में डबलरोटी व बिस्कुट, पत्थर के कोयले की राख की ईंट, प्रिंटिंग-प्रेस, मोटर-गाड़ियों के पुर्जे धान की भूसी, लकड़ी चीरने व सिझाने आदि जैसी वस्तुएं बनाने वाले 57 लघु एकक मुख्य रूप से पूर्वी सिक्किम में स्थापित किये गए हैं। इसके अलावा पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी सिक्किम में भी स्वत: नियोजित 200 एकक स्थापित किये गये हैं, गलीचे बुनना, ऊनी वस्त्र बुनना, जूते बनाना, लुहारी आदि शामिल हैं।

(ख) 1977-78 में सिक्किम के लिए एक ग्रामीण उद्योग परियोजना स्वीकृत की गई थी। किन्तु मई 78 में जिला उद्योग केन्द्र योजना चालू हो जाने पर इस ग्रामीण उद्योग परियोजना को जोरेथांग स्थित जिला उद्योग केन्द्र के साथ मिला दिया गया है। वर्ष 1978 में इस जिला उद्योग केन्द्र ने 30 उद्यमियों का पता लगाया था, 15 परियोजना विवरण तैयार किया था, 20 नये एककों की स्थापना में सहायता प्रदान की थी जिनमें 16 कारीगर-प्रधान तथा 4 लघु एकक शामिल हैं, जिनमें 45 लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिला।

(ग) सिक्किम के सभी 4 जिलों को केन्द्रीय निवेश राजसहायता तथा परिवहन राज-सहायता योजनाओं के अन्तर्गत राजसहायता अनुदान का पात्र बनने के लिए तथा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त प्राप्त करने का भी पात्र बनाने के लिए औद्योगिक रूप से पिछड़ा घोषित कर दिया गया है।

वर्ष 1976-77 में केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना के अन्तर्गत लगभग 1.34 लाख रुपये राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। उसके पश्चात् इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई दावा नहीं किया गया था। रियायती वित्त सुविधा का लाभ उठाने के लिए सिक्किम के किसी एकक ने इस योजना के अन्तर्गत सहायता की स्वीकृति हेतु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) अथवा आई० सी० आई० सी० आई० अथवा भारतीत औद्योगिक वित्त निगम से आवेदन नहीं किया है।

राज्य सरकार ने गंगतोक में एच० एम० टी० के सहयोग से हिस्से पुर्जे जोड़ कर प्रति वर्ष 2.5 लाख घड़ियां तैयार करने की क्षमता वाले एक एकक की स्थापना की है। 8.90 लाख रुपए के निवेश से हिमट् से सहायता प्राप्त एक ग्रामीण औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। फलों के रस, जैम आदि बनाने के लिए एक सरकारी फल परिरक्षण एकक का भी विस्तार विविधीकरण किया जा रहा है प्रोजेक्ट एन्ड इक्वेपमेंट कारपोरेशन आफ इन्डिया लिमि-टेड के माध्यम से गंगतोक में 30 टी० पी० डी० की क्षमता वाली एक रोलर फ्लोर परियोजना भी स्थापित की जा रही है।

आयोगों द्वारा दोषी पाये गए अधिकरियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए राज्यों द्वारा अनुमति मांगा जाना

7432. **श्री कुमारी अनन्तन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात स्थिति के दौरान अधिकारियों के आचरण के बारे में जिन आयोगों ने जांच की थी, उन आयोगों द्वारा दोषी पाए गये अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों ने केन्द्र की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने अनन्तनारायणन आयोग द्वारा दोषी पाये गए अधिका-रियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने के लिए केन्द्र से ऐसी अनुमति मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ऐसे मामलों के बारे में न्यायिक कार्यवाही किये जाने के लिए इन मामलों को भेजने की उन्हें सलाह देगी, जैसा कि शाह आयोग के मामलों में किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क) राज्य सरकारें स्वयं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों समेत कर्मचारियों के विरुद्ध आयोगों द्वारा बताए गए आपातकाल के दौरान उनके आचरण के लिए विभागीय कार्यवाही करने के लिये सक्षम हैं। अतः इस सम्बन्ध में भारत सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निवारक नजरबन्दी के उपबन्धों के बारे में संविधान में संशोधन करने सम्बन्धी प्रस्ताव

7433. **श्री मुकुन्द मण्डल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निवारक नजरबन्दी से सम्बन्धित उपबन्धों को खत्म करने के लिये संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में संशोधन विधेयक कब पुरःस्थापित किया जायेगा ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के सत्र न्यायालयों के लिए अतिरिक्त सरकारी वकीलों की नियुक्ति

7434. **श्री के मालन्ना**
श्री जी० वाई० कृष्णन् } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "टाइम्स आफ इण्डिया" दिनांक 15 मार्च, 1979 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली प्रशासन ने सात अधिवक्ताओं की नियुक्ति करके, जो कि या तो भूतपूर्व जनसंघ के या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय कार्यकर्ता कहे जाते हैं, सत्र न्यायालयों के लिए अतिरिक्त सरकारी वकीलों की नियुक्ति के बारे में अपराध प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक उपबन्ध का उल्लंघन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि ये नियुक्तियां अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (6) का स्पष्ट उल्लंघन है जिसमें लिखा है कि "जहां किसी राज्य में सरकारी वकीलों की नियमित काडर है, राज्य सरकार वहां पर ऐसे काडर में सम्मिलित व्यक्तियों में से ही सरकारी वकील अथवा अतिरिक्त सरकारी वकील नियुक्त करेगी"; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) अतिरिक्त सरकारी वकील अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (6) के अधीन सरकारी वकीलों के नियमित काडर में से नियुक्त किए जाते हैं।

किन्तु धारा 24(6) के परन्तुक में उल्लेख है कि जब ऐसे काडर में कोई उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो सरकारी वकील अथवा अतिरिक्त सरकारी वकील धारा 24(4) के अधीन तैयार किए गए वकीलों के पैनल से नियुक्त किए जा सकते हैं। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उन्होंने सरकारी वकीलों के नियमित काडर में से अतिरिक्त सरकारी वकीलों के पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त केवल 5 मुख्य वकीलों पर विचार किया है। शेष 7 धारा 24 की उप-धारा (6) के परन्तुक के अधीन नियुक्त किये गये थे और इसलिए अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबन्धों का कोई उल्लंघन नहीं है।

कैबरे नृत्यों पर प्रतिबंध

7435. **डा० महादीपक सिंह शाक्य** :क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1979 के नवभारत टाइम्स में "कैबरे नृत्यों पर प्रतिबन्ध" की मांग शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील कार्य करना भा० द० सं० की धारा 294 के अधीन एक दण्डनीय अपराध है और राज्य सरकारें इस विषय में उचित कार्यवाही करने के लिए सक्षम हैं ।

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए नियम

7436. **श्री इस्माइल हुसैन खां**
श्री अहमद हुसैन } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास विभाग में अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए क्या नियम अथवा पद्धतियां हैं;

(ख) क्या अन्य मंत्रालयों/विभागों अथवा राज्य सरकारों में उन्हें भेजने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने का सरकार का विचार है;

(ग) क्या उसी शहर अथवा पास के भवनों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति के लाभ निर्बाध रूप से प्राप्त है और क्या इसी प्रकार के लाभ तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी प्राप्त हैं;

(घ) क्या एक ही कार्यालय में पुनः प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति तथा प्रतिनियुक्ति, प्रतिनियुक्ति अवधि के लिए कोई समय सीमा है और इस बारे में क्या मानदंड हैं; और

(ङ) सरकार आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों और तदर्थ-कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है, औद्योगिक विकास विभाग में किस राज्य के सबसे अधिक कर्मचारी हैं और सभी राज्य के अधिकारियों को समुचित प्रतिनिधित्व देने की दिशा में कोई प्रगति हुई है और अब तक क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) औद्योगिक विकास विभाग में अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए अलग से कोई नियम अथवा तरीके नहीं हैं। सचिवालयीय पद केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अनुसार कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भरे जाते हैं। अन्य पद संगत भर्ती नियमों के अनुसार भरे जाते हैं ।

(ख) अन्य मंत्रालयों/विभागों के प्रकरणों का सम्बन्ध है अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'ए' आदि के अधिकारी औद्योगिक विकास विभाग में नियत अवधि के लिए पद धारण करते हैं ।

(ग) सभी वर्ग के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति वित्त मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किये गये सामान्य अनुदेशों से अधिशासित होती है ।

(घ) विषयगत सामान्य आदेशों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि 3 वर्ष है । यह अवधि विभाग के सचिव की स्वीकृति से एक वर्ष तक बढ़ायी जा सकती है । उक्त अवधि से अधिक के लिए वित्त मन्त्रालय की सहमति की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति

तथा पुनर्प्रतिनियुक्ति की अवधि में उसी कार्यालय में पदोन्नतितां विषयगत सामान्य आदेशों के अंतर्गत आती हैं।

(ङ) वर्गवार प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे कर्मचारियों की संख्या तथा सरकार आयोग में तदर्थ आधार पर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

जैसा कि भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, विभाग में नियुक्तियां या तो केन्द्रीय स्टाफिंग योजना अथवा संगत भर्ती नियमों के अनुसार की जाती हैं। इस प्रकार की नियुक्तियां करने के लिए राज्यवार प्रतिनिधित्व कोई मानदंड नहीं है।

विवरण

सरकार आयोग में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी

राजपत्रिका		औद्योगिक विकास विभाग से	अन्य विभागों से
ग्रुप 'ए'	17	5	12
ग्रुप 'बी'	2	1	1
योग :	19	6	13
अराजपत्रित			
(क) दिल्ली कार्यालय	34	29	5
(ख) बम्बई कार्यालय	6	—	6
(ग) कलकत्ता कार्यालय	4	—	4
योग :	44	29	15

आयोग में तदर्थ आधार पर कार्यरत अधिकारी

(क) दिल्ली कार्यालय	26
(ख) बम्बई कार्यालय	9
(ग) कलकत्ता कार्यालय	15
योग :	50

सेन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमैन्टस आर्गनाइजेशन, चंडीगढ़ की डायरेक्टरी का प्रकाशन

7437. **श्री ए० के० साहा :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल साइन्टिफिक इन्स्ट्रुमैन्ट्स आर्गनाइजेशन, चंडीगढ़ द्वारा प्रकाशित डाइरेक्टरी, जिसमें भारत में निर्मित वैज्ञानिक उपकरणों तथा कलपुर्जों का उल्लेख किया हुआ है, के प्रकाशन की कुल लागत क्या है;

(ख) इसकी कितनी प्रतियां बनाई गई और एक डाइरेक्टरी का "वास्तविक लागत मूल्य" क्या है और एक डाइरेक्टरी बेचने के लिये क्या मूल्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या सभी प्रतियां बिक गई हैं, यदि नहीं तो, अब तक कितनी प्रतियां बिकी हैं तथा अन्य प्रतियों के बारे में स्थिति क्या है;

(घ) क्या सेन्ट्रल साइन्टिफक इन्स्ट्रुमैन्ट्स आर्गनाइजेसन को इस डाइरेक्टरी के प्रकाशन में घाटा उठाना पड़ा है यदि हां, तो कुल कितना घाटा उठाना पड़ा है; और

(ङ) इस घाटे के लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी० एस० आई० ओ०) चण्डीगढ़ द्वारा भारत में निर्मित किये गये वैज्ञानिक उपकरणों और घटकों की निर्देशिका प्रकाशित करने पर कुल 64,985 हजार रुपये खर्च किये गये थे ।

(ख) निर्देशिका की आठ सौ प्रतियां तैयार की गई थीं। वास्तविक लागत लगभग रुपये 81/- प्रति कापी निकाली गई । विक्रय मूल्य 100 रुपये प्रति कापी रखा गया है ।

(ग) निर्देशिकाओं की 368 प्रतियां अभी तक बेची जा चुकी है । इसके अतिरिक्त साठ प्रतियां विज्ञापनदाताओं को दी गई हैं । बाकी प्रतियां बिक्री के लिए उपलब्ध हैं ।

(घ) और (ङ) निर्देशिका की बिक्री द्वारा अब तक अर्जित राशि और उसमें प्रकाशित विज्ञापनों के माध्यम से अर्जित राजस्व 55,372 रुपये है । इस स्तर पर यह निर्धारित करना संभव नहीं है कि उसमें कोई (हानि) नुकसान हुआ है क्योंकि बिना बिकी प्रतियों को बेचने के प्रयास जारी हैं ।

पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों और केन्द्र द्वारा प्रस्तावित परिव्यय

7438. **श्री रागावलू मोहनरंगम**
श्री एस० जगन्नाथन } : **क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा पंचवर्षीय योजना 1978—83 के लिए कितने परिव्यय का प्रस्ताव किया गया है और पहले दो वर्षों में वास्तव में कितना परिव्यय किया गया; और

(ख) चूंकि मूल्यों के उतार चढ़ाव को देखने से रुपये का मूल्य सही सूचकांक नहीं है अतः प्रायोजनाओं के रूप में कितनी उपलब्धि हुई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) 1978—83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में सरकारी क्षेत्र—केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित परिव्यय 69380 करोड़ रुपए है । पहले दो वर्षों के लिए केन्द्र और राज्यों के लिए परिव्यय इस प्रकार हैं :—

(करोड़ रु०)

	केन्द्र	राज्य	जोड़
	(संघ राज्य क्षेत्रों सहित)		
1978-79	5878	5772	11650
1979-80	6639	5872	12511

(ख) योजना में उपलब्धियों को वस्तुओं के वास्तविक उत्पादन और कल्याण के लक्ष्यों के संदर्भ में नापा जा सकता है; समग्र नाप अर्थ-व्यवस्था में वृद्धि की दर है; इनका अनुमान स्थिर कीमतों पर लगाया जा सकता है। उक्त योजना की अवधि के लिए सकल आंतरिक उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का उद्देश्य रखा गया है। 1978-79 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण में 3 5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया था, परन्तु अब यह विचार है कि यह 3·7 प्रतिशत हो सकती है।

1979-80 में वृद्धि दर के और अधिक होने की आशा है। ये दरें 4·7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की समग्र दर प्राप्त करने के लिए योजना के प्रारूप में दिए गए अनुमानों के अनुरूप हैं, जिसमें उक्त अवधि के पहले आधे भाग में कुछ कम वृद्धि दर और बाद के आधे भाग में अधिक वृद्धि दर की प्रत्याशा की गई है।

अन्तरिक्ष अनुसन्धान पर खर्च की गई धनराशि

7439. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या अन्तरिक्ष मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) और वर्ष 1978-79 के दौरान अब तक अन्तरिक्ष अनुसन्धान पर कितनी धनराशि खर्च की;

(ख) क्या सरकार ने विकास कार्यक्रमों पर अन्तरिक्ष अनुसन्धान की उपयोगिता की वार्षिक प्रगति के बारे में समीक्षा करने के लिए कोई नीति अपनाई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) सरकार द्वारा अन्तरिक्ष अनुसंधान पर गत दो वर्षों में खर्च की गई धन-राशि और 1978-79 के दौरान का अनुमानित खर्च निम्न प्रकार है :

(करोड़ रुपए)

वर्ष	व्यय
1976-77	39·19
1977-78	36·94
1978-79	46·09

(ख) और (ग) अन्तरिक्ष आयोग और योजना आयोग द्वारा अन्तरिक्ष कार्यक्रम की वार्षिक समीक्षा की जाती है। समीक्षा से पता चला है कि भारत जैसे आकार वाले देश के लिए साक्षरता में तीव्र वृद्धि करने और जन-संचार के माध्यम से राष्ट्रीय एकीकरण करने तथा हमारे

प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी और समयानुसार प्रबन्ध करने तथा प्राकृतिक विपदाओं के लिए चेतावनी प्रसारित करने और इनके प्रभावों का मानीटरन करने जैसे अभिज्ञात बड़े पैमाने के राष्ट्रीय कार्यों के लिए अन्तरिक्ष अनुसंधान के उपयोग हेतु अन्तरिक्ष प्रणालियां अत्यन्त उपयुक्त हैं।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन उद्योग की स्थापना के लिए आवेदन पत्र

7440. **श्री जी० एस० मिश्र** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन आवेदकों के नाम क्या हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में सोयाबीन उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र दिए हैं; और

(ख) उनके सम्बन्ध में आयात एवं निर्यात की स्थिति क्या है;

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) मैसर्स मोदीपान लिमिटेड, मोदीनगर की मध्य प्रदेश में एक सोयाबीन परिष्करण संयत्र स्थापित करने के लिए एक आशयपत्र जारी किया गया है। मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कं० बम्बई का आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है।

(ख) मैसर्स मोदीपान लिमिटेड, मोदीनगर ने 4·34 करोड़ रुपए लागत बीमा भाड़ा मूल्य के पूंजीगत माल का आयात करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है और वह सरकार के विचाराधीन है। परियोजना में एक लाख रुपए तक के कच्चे माल का आयात करने की प्रकल्पना भी है।

(मैसर्स ब्रिटानियां बिस्कुट कं० लि०, बम्बई ने औद्योगिक लाइसेंस दिये जाने हेतु प्रस्तुत किए गए अपने आवेदन पत्र में बताया है कि आयातित मशीनरी की उनकी आवश्यकता 7 लाख रुपए की है। कच्चे माल के आयात के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। सरकार की नीति सोयाबीन परिष्करण एककों पर निर्यात का कोई दायित्व आरोपित करने की नहीं है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा लघु उद्योगों को दिया गया ऋण

7441. **श्री कचरू लाल हेमराज जैन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रत्येक राज्य में लघु उद्योगों को कम ब्याज पर कितना ऋण दिया है और ब्याज दर क्या है;

(ख) क्या मूल्य वृद्धि को देखते हुए लघु उद्योगों के लिए ऋण की सीमा बढ़ाने का विचार है; और

(ग) उनको रियायती दर पर कितनी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है और क्या सरकार का विचार इस अवधि को भी बढ़ाने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

एकाधिकार गृहों को लाइसेंस देना

7443. **श्री हुकमदेव नारायण यादव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार एकाधिकार गृहों को नये उद्योगों की स्थापना के लिये लाइसेंस नहीं देने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : संसद के समक्ष 23 दिसम्बर, 1977 को रखे गये औद्योगिक नीति विवरण के अनुच्छेद 18 में बड़े औद्योगिक गृहों के भावी विस्तार से सम्बन्धित नीति स्पष्ट कर दी गई है। यह अनुच्छेद नीचे उद्धृत किया गया है :—

भविष्य में बड़े औद्योगिक गृहों का विस्तार निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा :—

(क) विद्यमान उपक्रमों का विस्तार तथा नए उपक्रमों की स्थापना एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाता रहेगा। प्रभावशाली उपक्रमों के उपबन्धों सहित इस अधिनियम के उपबन्धों पर कारगर ढंग से अमल किया जायेगा।

(ख) जो उद्योग इस समय क्षमता की स्वतः वृद्धि करने के पात्र हैं उनके अलावा विद्यमान उपक्रमों द्वारा नई वस्तुओं का उत्पादन करने तथा बड़े गृहों द्वारा नए उपक्रमों की स्थापना करने के लिए सरकार के विशिष्ट अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

(ग) बड़े औद्योगिक गृहों की अपनी नई या विस्तार सम्बन्धी परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करने के लिये अपने यहां उत्पन्न किये गये साधनों पर निर्भर रहना होगा। कुछ उद्योग जैसे—उर्वरक, कागज सीमेंट, जहाजरानी तथा पेट्रो रसायन जो पूंजी प्रधान हैं, को उपयुक्त ऋण इक्विटी के लिए अनुमति दी जायेगी, बशर्ते कि ऋण एवं इक्विटी में अनुपात, कम पूंजी प्रधान उद्योगों अथवा सूक्ष्म उद्योगों के बीच इस प्रकार निर्धारित किया जाये कि बड़े गृहों द्वारा उत्पन्न किये गये साधनों का अधिकाधिक उपयोग हो सके।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा ट्रांसफार्मर का निर्माण

7444. **श्री लक्ष्मी नारायण नायक** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में केवल ट्रांसफार्मरों का निर्माण होता है;

(ख) ट्रांसफार्मर में रेडिएटर और कायल बनाने में प्रयोग किये जाने वाले कापर कंडक्टर और इंसुलेशन सामग्री किन-किन स्थानों से प्राप्त की जाती है; और

(ग) क्या सरकार भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के झांसी स्थित एकक में उपर्युक्त सामग्री के निर्माण किये जाने के बारे में शीघ्र विचार करेगी जिससे इसके परिवहन शुल्क और रास्ते में टूट-फूट के खतरे से बचा जा सके ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रांसफार्मरों के निर्माण के लिए कापर कंडक्टर्स तथा विद्युत इंसुलेटिंग सामग्री की सप्लाई के स्रोत ये हैं :—

1. **कापर कंडक्टर**

(क) मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल्स, भोपाल

(ख) इंडियन केबल कम्पनी, जमशेदपुर

(ग) भंडारी मैटलर्जीकल कम्पनी, बम्बई

(घ) दीपक इंसुलेटिंग कंडक्टर, बंगलौर

(ङ) मैसूर वायर्स, बंगलौर

2. **इंसुलेटिंग सामग्री**
पोर्सलिन इंसुलेटर्स

(क) मैसूर पोरसलिन लिमिटेड (बंगलौर)
(बी० एच० ई० एल० का सहायक)

(ख) डब्ल्यू० एस० इंशुलेटर्स, मद्रास

(ग) बंगाल पोटरीज, कलकत्ता

(घ) जयश्री इंशुलेटर्स, कलकत्ता

(ङ) अलाइड इंशुलेटर्स, यू० के०

3. **इन्सुलेटिंग पेपर बी० सी० ए०**

(क) टूलिस रसेल, इंगलैंड

(ख) त्रिवेणी टिश्यूज, कलकत्ता

(ग) ट्रांसफार्मरों की क्वाइल बनाने तथा रेडियटरों में प्रयोग होने वाले कापर कंडक्टर तथा इंशुलेटिंग सामग्री की कम मात्रा में आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन सामानों का बी० एच० ई० एल०, झांसी में निर्माण सुविधायें आर्थिक रूप से जीव्य नहीं समझी जाती हैं। इसके अतिरिक्त ये सामान लघु तथा मध्यम क्षेत्रों में बनाये जाते हैं। परिवहन व्यय तथा सामान प्राप्ति में होने वाला खतरा न के बराबर है।

शौर प्रदूषण

7445. **श्री के० मालन्ना :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत पांच औद्योगिक श्रमिकों में से एक ने शौर प्रदूषण के कारण अपनी श्रवण क्षमता काफी हद तक खो दी है जैसा कि मद्रास में इंस्टीचूट आफ ओटो-रहिनो लारियनोलोजी के निर्देशक प्रो० एस० कामेश्वरन के वक्तव्य में कहा गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रोफेसर ने सुझाव दिया है कि शौर प्रदूषण को रोकने के लिये उद्योगों को रिहाइशी क्षेत्रों से दूर स्थापित किया जाना चाहिये और उद्योगों के आस-पास और सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाये जाने चाहियें; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी पढ़ाने के लिए बजट

7446. **श्री मदन तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी पढ़ाने तथा हिन्दी टाइपराईटिंग और हिन्दी स्टेनोग्राफी की प्रशिक्षण के लिए बजट में गत पांच वर्षों में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) हिन्दी शिक्षण तथा हिन्दी टाइपराईटिंग और स्टेनोग्राफी में सफल प्रत्याशियों की संख्या पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या हिन्दी शिक्षण योजना के बारे में आदेश उदार और व्यापक बना दिये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) पिछले पांच वर्षों में हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन हिन्दी, हिन्दी टाईपिंग और हिन्दी आशुलिपि के प्रशिक्षण पर किया गया व्यय एवं इन वर्षों में विभिन्न परीक्षाएं पास करने वाले प्रशिक्षार्थियों की संख्या निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	व्यय	कुल सफल प्रशिक्षार्थियों की संख्या
1974-75	44,61,000	15,693
1975-76	48,04,600	16,667
1976-77	49,63,000	22,945
1977-78	52,66,000	24,857
1978-79 (फरवरी, 1979 तक)	50,06,615	निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उपरोक्त प्रशिक्षण हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत देश में फैले हुए लगभग 165 पूर्णकालिक एवं अंशकालिक केन्द्रों द्वारा दिया जा रहा है। योजना को और विस्तृत एवं व्यापक बनाने के लिए विचार किया जा रहा है और यथावश्यक नये केन्द्र खोलने का भी प्रस्ताव है।

सचिवों के निजी सचिवों को स्थायी किया जाना

7447. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों में सचिवों के निजी सचिवों के रूप में कार्य कर रहे व्यक्तियों की सेवाओं को स्थायी करने के बारे में विचार किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो कितने वर्ष की विशेषक सेवा के बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाता है ?

गृह मन्त्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) सचिवों के निजी सचिवों को दो वर्ष की अवधि के लिए 'परीक्षण' पर रखा जाता है और उक्त 'परीक्षण' के सन्तोषजनक रूप से पूरा होने पर वे सेवा में स्थायीकरण के पात्र हो जाते हैं और वे सम्बन्धित संवर्ग में मूल रिक्तियों की उपलब्धता के अध्यधीन स्थायी हो सकते हैं।

भारतीय सांख्यिकीय सेवा, ग्रेड III के पद भरा जाना

7448. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विभागों को सलाह दी गई है कि चूंकि ग्रेड IV के अर्हता-प्राप्त अधिकारी उपलब्ध नहीं हैं अत: भारतीय सांख्यिकीय सेवा, ग्रेड III के पद न भरे जायें;

(ख) यदि हां, तो 10 वर्ष से अधिक समय से काम करने वाले ऐसे विभागीय अधिकारियों को जो ग्रेड IV में स्थानापन्न रूप से काम कर रहे हैं पदोन्नति न देने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीधी भर्ती के अधिकारियों को, जिन्होंने 3 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, पदोन्नति दी जा रही है जबकि 10 वर्ष की सेवा वाले विभागीय अधिकारियों की उपेक्षा की जा रही है; और

(घ) क्या इन अधिकारियों की यूनियनों ने सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं ,श्रीमान।

(ख) तथा (ग) भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड III में पदोन्नतियां पूर्णत: ग्रेड IV में अधिकारियों की वरिष्ठता के अनुसार की जाती हैं किन्तु शर्त यह है कि अयोग्य समझे गए व्यक्तियों को अस्वीकार कर दिया जाता है; अत: ग्रेड IV में लम्बी सेवा वाले नियमित अधिकारियों के दावों की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु, कुछ अधिकारी भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV पदों पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे हैं। ऐसे तदर्थ नियुक्ति वाले व्यक्तियों का ग्रेड III में पदोन्नति के लिए विचार किया जाना सम्भव नहीं है, क्योंकि उन्हें ग्रेड IV में नियमित आधार पर नियुक्त नहीं किया गया है।

(घ) भारतीय सांख्यिकीय अधिकारियों को एसोसिएशन से इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु एक एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें केन्द्रीय सरकार के आर्थिक तथा सांख्यिकीय अधिकारियों (श्रेणी II) के हितों के प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। इस अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा समुचित विचार किया गया था किन्तु इसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि भा० सा० से० नियमों के उपबन्धों की उपेक्षा करके और ग्रेड IV में नियमित रूप से नियुक्त अधिकारियों की पदोन्नतियां रोक कर, तदर्थ आधार पर नियुक्त किये गये अधिकारियों की नियमित नियुक्ति के लिए उनमें की गई मांगों को स्वीकार करना सम्भव नहीं था।

"हाई टेक्नोलाजी इलेक्ट्रानिक्स ई० ई० सी० सीक्स 100 परसेंट इक्विटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

7449. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या इलेक्ट्रानिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 20 मार्च, 1979 के फाइनेंसियल एक्सप्रेस (बम्बई संस्करण) में "हाई टेक्नोलाजी इलेक्ट्रॉनिक्स ई० ई० सी० सीक्स 100 परसेंट इक्विटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय भारत का दौरा कर रहे योरोपीय आर्थिक समुदाय के इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधिमंडल के नेता द्वारा कही गई विभिन्न बातों तथा दिये गये सुझावों पर जैसा कि उक्त समाचार में दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में तथा परमाणु, उर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां। ऐसा प्रतीत होता है कि यह समाचार बम्बई के प्रेस सम्मेलन में प्रतिनिधि मंडल के नेता द्वारा दिये गये वक्तव्य पर आधारित है।

(ख) खास-खास अभिमतों पर सरकार की राय नीचे दिये अनुसार है :—

अभिमत	सरकार की राय
(I) "यूरोपीय आर्थिक समुदाय की अपेक्षाकृत कुछ बड़ी फर्में भारत में केवल शत-प्रतिशत साम्यापूंजी (इक्विटी) के आधार पर आना पसन्द करेंगी जबकि अपेक्षाकृत छोटी फर्में सम्भवत: 60:40 साम्यापूंजी के आधार पर आना पसन्द करें।"	विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के मार्गदर्शक को ध्यान में रखते हुए साम्यापूंजी (इक्विटी) सम्बन्धी सहयोग की अनुमति दी जायेगी। शत-प्रतिशत निर्यात के आधार पर शत-प्रतिशत साम्यापूंजी (इक्विटी) के बारे में भी विचार किया जा सकता है।
(II) "सरकारी स्तर पर निर्णय लेने में होने वाला असाधारण बिलम्ब भारत में पूंजी निवेश के मार्ग में बाधक सिद्ध हो रहा है।"	सरकारी अनुमोदन प्रदान करने की कार्य-विधि को लगातार सुव्यवस्थित बनाया गया है ताकि विलम्ब कम से कम हो। आयात सम्बन्धी नीतियों को भी उदार बनाया गया है।
(III) "भारत की यह नीति कि 'सब कुछ देश में ही निर्मित किया जायेगा', नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के आयात के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है क्योंकि प्रतिरक्षा तथा संचार के लिए इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है।"	हमारी इलेक्ट्रॉनिक नीति का लक्ष्य आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। कम्प्यूटरों के क्षेत्र में, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है वहां सुनिश्चित खामियों तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हार्डवेयर (यंत्र सामग्री) तथा साफ्टवेयर (यंत्रेतर सामग्री) के आयात से इन्कार नहीं किया गया है

1	2
	किन्तु, इसका आशय यह कदापि नहीं है कि भारत अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं के प्रयासों और संसाधनों के माध्यम से ही करने का भरसक प्रयास करेगा।
(IV) जहां तक सान्ताक्रुज इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात संसाधन क्षेत्र का सम्बन्ध है, इसके लिए काफी गुंजाइश थी और इसका भविष्य उज्ज्वल था। हां, प्रचार का अभाव अवश्य खलता रहा है। इस क्षेत्र का विदेशों में समुचित रूप से 'प्रचार' नहीं किया गया।	वर्ष 1977-78 में वाणिज्य तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर (यंत्रेतर प्रणाली) के क्षेत्र में भारत से एक प्रतिनिधि मंडल ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय की यात्रा की। अनुबन्धों को और भी सुदृढ़ किए जाने की गुंजाइश है।

पुलिस बल को आधुनिक बनाने के लिए आंध्र प्रदेश का अनुरोध

7450. **श्री जी० मल्लिकार्जुन राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से पुलिस बल को आधुनिक बनाने हेतु और अधिक वित्तीय सहायता का अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये योजना के अधीन 1978-79 के दौरान उनको स्वीकृति किये गये 28.69 लाख रुपये के अतिरिक्त राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय वित्तीय सहायता के रूप में 12.00 लाख रु० की धनराशि स्वीकृत की गयी थी। ये आवंटन 1978-79 के दौरान उपयोग के लिए राज्य सरकार के पास उपलब्ध 11.62 लाख रुपये की बिना खर्च की गई शेष रकम के अतिरिक्त थे।

अम्बर चर्खा योजना पर व्यय

7451. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अम्बर चर्खा" योजना पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) देश में इस समय कितने "अम्बर चर्खों" का इस्तेमाल किया जा रहा है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है समापटल पर रख दी जाएगी।

कपड़ा मिलों द्वारा सूती कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि

7472. **श्रीमती पार्वती कृष्णन**
श्री पी० के० कोडियन
श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री के ए० राजन : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ी-बड़ी कपड़ा मिलों ने हाल ही में सूती कपड़ों के मूल्य बढ़ाये हैं जैसा कि दिनांक 25 मार्च, 1979 के 'इकनामिक टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूती कपड़े का थोक बिक्री मूल्य सूचकांक फरवरी में 185.7 था उससे गिरकर 1979 में 185.5 हो गया। उद्योग मंत्री ने कपड़े के मूल्य के सम्बन्ध में उद्योग से चर्चा की थी। उद्योग ने तीन विकल्प प्रस्तुत करते हुए उत्तर दिया है :—

(1) दिसम्बर, 1978 में चल रहे कपड़े के मूल्य स्तर पर आना; अथवा

(2) 16 मार्च 1979 के पूर्व सूती कपड़े के चल रहे मूल्य स्तर पर मूल्य स्थिर कर देना; अथवा

(3) 16 मार्च 1979 के पूर्व के सूती कपड़े के मिल के निकलते समय के मूल्य की बीजक (इनवाइस) दर में 2 प्रतिशत की कमी कर देना।

इन विकल्पों में से कोई भी सरकार को मान्य नहीं है। सरकार इस समय मिलों द्वारा मूल्यों को उचित स्तर पर ले जाने हेतु लाभकारी कदम उठाने का विचार कर रही है।

योजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं में परिवर्तन

7453. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों, 1977-78 और 1978-79 के दौरान योजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं में कोई गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : **(क)** जी, हां।

(ख) इन परिवर्तनों का का कारण है कि एक निश्चित समयावधि में, गरीबी को कम करने और बेरोजगारी को दूर करने जैसे कुछ मूल उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को स्वीकार करना।

प्राथमिकताओं में परिवर्तनों की प्रमुख बातें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

अब जो विकास की नई कार्यनीति अपनाई गई है, वह 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में विस्तार से बताई गई है। इसका उद्देश्य एक दशक के भीतर गरीबी और बेरोजगारी में पर्याप्त कमी करना है। इन उद्देश्यों के होने वाले प्रभाव, निवेश और उत्पादन में वृद्धि के सन्दर्भ में सुनिश्चित और स्पष्ट रूप में बताए गए हैं। कृषि के विकास के लिए योजनाओं पर पहले की तुलना में और अधिक बल दिया गया है। इस क्षेत्र के अन्तर्गत योजना की कार्यनीति में मुख्य बल, जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से सिंचाई के अधीन क्षेत्र का विस्तार करने तथा ऐसी फसल प्रणालियों और खेती के तरीकों के विकास पर दिया गया है जिससे कि भूमि और जल संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जा सके। भूमि के पुनर्वितरण और फार्म यन्त्रीकरण के

विकास के विनियमन की भी सिफारिश की गई है जिससे कि भूमि और जल के इष्टतम उपयोग के अनुरूप श्रम का अधिकतम उपयोग भी सुनिश्चित किया जा सके ।

औद्योगिक विकास की अपनाई गई कार्यनीति में इस प्रकार के शिल्पविज्ञान अपनाए जाएंगे जिसमें उत्पादन की तुलना में कम पूंजी की जरूरत हो, और जिससे उत्पादन की लागतों पर किसी पर्याप्त मात्रा तक प्रतिकूल प्रभाव न हो । ऐसे शिल्पविज्ञान-विकल्प वाले अनेक उद्योगों का पता लगाया गया है ।

उत्पादकता में वृद्धि करने और दस वर्षों में समयावधि में ग्रामीण बेरोजगारों के लिए पूर्ण रोजगार की व्यवस्था करने के उद्देश्य से क्षेत्र आयोजना का एक गहन कार्यक्रम अपनाया गया है । जनसंख्या के सबसे गरीब वर्गों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आवश्यक आधारभूत व्यवस्था और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराने के आश्वासन को पूरा करने के उद्देश्य से 'परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम बनाया गया है ।

वर्ष 1977-78 और 1978-79 के लिए वार्षिक योजनाएं उपर्युक्त कार्यनीतियों के अनुरूप बनाई गई थीं । इन वर्षों में और 1978-83 की योजना में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए की गई योजना परिव्ययों में वृद्धि इसके साथ लगी सारणियों में बताई गई है ।

सारणी-1

कृषि और सम्बद्ध सेवाओं, सिंचाई, विद्युत और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों के लिए परिव्ययों (केंद्रीय, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) के अवगत आंकड़े

(करोड़ रु०)

	1676-77	1977-78 (ब०अ०)	1978-79 (ब०अ०)	1979-80
1. कृषि और सम्बद्ध सेवाएं (छोटी सिंचाई सहित)	820.44	1170.40	1659.76	1714.00
2 सहकारिता (ग्रामीण क्षेत्र के लिए परिव्यय का 85 प्रतिशत इसके लिए होने का अनुमान है) ।	79.93	90.41	97.49	83.44
3. बड़ी और मझौली सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	686.79	1057.73	1260.60	1258.05
4. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (सामान्य कार्यक्रम)	114.07	194.52	271.98	285.10
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम)—				
ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए लिए राज्य बिजली बोर्डों का अपना कार्यक्रम				

	1976-77	1977-78 (ब० अ०)	1978-79 (ब० अ०)	1979-80
5. विद्युत (उर्जा की खपत के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल निवेश का 15% माना जा सकता है)	202.40	259.54	291.77	320.49
6. उर्वरकों के लिए परिव्य	420.06	305.85	238.17	263.51
	2323.59	3078.59	3699.77	3924.59

सारणी-2

ग्रामीण विकास के लिए अनुमानित सरकारी क्षेत्र योजना परिव्यय

(करोड़ रु०)

क्रम सं०	क्षेत्र	पांचवीं योजना 1974—79	योजना 1978—83
1	2	3	4
1.	छोटी सिंचाई सहित कृषि और संबद्ध कार्यक्रम*	4644	9525
2.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	3434	7925
3.	उर्वरक और कीटनाशक	1555	1688
4.	ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विद्युत*	1676	3527
5.	ग्रामीण सड़कें	500	800
6.	ग्रामीण जलपूर्ति	432	765
7.	ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	729	1482
8.	पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र	450	800
9.	ग्रामीण शिक्षा	846	1400
10.	दूरसंचार और डाक सेवाएं	उ०न०	311
11.	पोषाहार	90	140
12.	समाज कल्याण	10	32
13.	परम्परागत कुटीर और घरेलू उद्योग*	330	1000
14.	ग्रामीण आवास	55	500
	कुल ग्रामीण आवास	14751	29925
	कुल योजना परिव्यय	39322	69380
	कुल योजना परिव्यय के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण परिव्यय	37.5	43.1

*संस्थागत वित्त को छोड़कर

हिमाचल प्रदेश को सीमेंट की सप्लाई

7454. **श्री गंगा सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76, 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान हिमाचल प्रदेश की सीमेंट मांग तथा उसको सीमेंट की सप्लाई कितनी-कितनी रही; और

(ख) क्या भारत सरकार अन्य क्षेत्रों तथा पार्टियों को सीमेंट का आबंटन करने से पूर्व हिमाचल प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का विचार करेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) हिमाचल राज्य सरकार के अनुसार वर्ष 1979 के लिए राज्य की सीमेंट की मांग लगभग 2.45 लाख मी० टन है। पहले के वर्षों की मांग के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। पिछले चार वर्षों में राज्य को आबंटित तथा वास्तविक रूप से सम्भरण की गई सीमेंट की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(000 मी० टनों में)

वर्ष	आबंटन	सम्भरण की गई
1975-76	90.0	52.1
1976-77	120·0	67.6
1977-78	115.5	81.5
1978-79	140.0	115.9

(ख) भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि अन्य कार्यों के लिए सीमेंट देने से पहले सिंचाई तथा बिजली के अन्तर्गत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

ससुराल वालों द्वारा अधिक दहेज के लिए युवा महिलाओं की हत्या

7455. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गत 2 वर्षों में ससुराल वालों द्वारा ऐसी युवा महिलाओं की हत्या के ऐसे कितने मामले हुए जिनमें उनके माता-पिता अधिक दहेज की मांग पूरी न कर सके;

(ख) क्या दिल्ली में ऐसे मामलों की संख्या प्रति वर्ष बढ़ रही है;

(ग) ऐसे अपराधों के लिए कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया व मुकदमा चलाया गया; और

(घ) दहेज की इस बुराई को समाप्त करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क) से (ग) 1977 के ऐसे सात मामलों की तुलना में 1978 के ऐसे तीन मामले थे। कुल तीन व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। मामलों से संबंधित ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	सूचित किए गये	रद्द किए गये	स्वीकार किए गए	चालान किये गये	सिद्ध दोष	दोष मुक्त
1977	7	3	4	1	—	1
1978	3	—	3	1	—	—

वर्ष	विचाराधीन	जांच पड़ताल के लिए लम्बित	लापता
1977	—	—	3
1978	1	2	—

सरकार दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को संशोधित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है । इस दौरान सरकार ने यह व्यवस्था करने के लिये केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में संशोधन किया है कि कोई सरकारी कर्मचारी दहेज न देगा या लेगा अथवा दहेज देने अथवा लेने के लिए अवप्रेरित नहीं करेगा अथवा किसी वधु अथवा वर जैसा भी मामला हो, के माता-पिता अथवा अभिभावकों से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी दहेज की मांग नहीं करेगा ।

खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में वेतनमानों का पुनरीक्षण

7756. **श्री लालजी भाई**
डा० महादीपक सिंह शाक्य } : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के अधिकारियों के वेतनमानों को अरुणाचल समिति की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) अरुणाचल समिति की सिफारिशों के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली सहित अपनी व्यावसायिक इकाइयों के कर्मचारियों को तत्काल से निम्नलिखित वेतनमान दिया है :—

1. 700-30-940-40-1100 रु०
2. 250-12-400-ई० बल०-20-500 रु०
3. 150-7-220-ई० बी०-8-300 रु०
4. 125-6-185- ई० बी०-7-255 रु०
5. 100-5-150-ई० बी०-7-220 रु०
6. 75-4-115-ई० बी०-6-175 रु०
7. 60-3-90-ई० बी०-5-140 रु०
8. 50-2-70-ई० बी०-4-110 रु०

पांडिचेरी का निकट के राज्यों के साथ विलय

7457. **श्री एडुआर्डो फैलीरो**
श्री विजय कुमार एन० पाटिल
डा० रामजी सिंह } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि उनके मन्त्रालय में विचार किए जा रहे प्रस्ताव के अनुसार दमन और दीव का गुजरात के साथ विलय किया जायेगा और उस प्रस्ताव में यह भी व्यवस्था है कि संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी के दूरस्थ क्षेत्रों का निकट के राज्यों केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साथ विलय किया जायेगा;

(ख) क्या वह महसूस करते हैं कि इन बस्तियों को, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है उनके निकट के राज्यों के साथ विलय करने से प्रशासनिक चुस्ती आयेगी; और

(ग) क्या विलय सम्बन्धी इन प्रस्तावों को पूरा किये जाने से एक प्रशासनिक समस्या हल हो जाएगी जो इन बस्तियों से शराब पड़ोसी राज्यों में चोरी छिपे लाने की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) सरकार संबंधित प्रेस रिपोर्ट को देख चुकी है। जैसा कि 21 फरवरी, 1979 को अतारांकित प्रश्न संख्या 229 के उत्तर में कहा गया था सरकार संघ शासित क्षेत्रों में अधिक बेहतर प्रशासन उपलब्ध कराने की दृष्टि से सामान्य रूप से वैकल्पिक संभावनाओं पर विचार करती रही है। इस मामले पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आयु-सीमा

7458. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपनी प्रशासनिक सेवाओं के लिए आयु-सीमा 25 से बढ़ा कर 28 वर्ष कर दी है; और

(ख) क्या सरकार का विचार सचिवालय और अधीनस्थ सेवाओं में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की आयु-सीमा को भी बढ़ा कर 28 वर्ष करने सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में विचार करने का है ताकि पिछड़े वर्गों के अन्य व्यक्तियों को भी लाभ हो सके ?

गृह तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०डी० पाटिल) :

(क) सिविल सेवा परीक्षा में बैठने के लिये ऊपरी आयु-सीमा को 26 वर्ष से (न कि 25 वर्ष से) बढ़ाकर 28 वर्ष कर दिया गया है।

(ख) सरकार द्वारा मामले की जांच की जा रही है।

रोजगारोन्मुख योजनायें

7459. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के अध्ययन दल ने सुझाव दिया है कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और श्रम राज्य विभागों को रोजगारोन्मुख योजनाओं के लिये ध्यान देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो इस शिफारिश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बेरोजगारी को खत्म करने के लिये यह योजना कहां तक सफल सिद्ध होगी ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम के अपने अध्ययन में (1971-74) यह शिफारिश की थी कि केन्द्रीय श्रम मन्त्रालय और राज्यों में श्रम विभागों को प्रशिक्षण और स्व-रोजगार के क्षेत्रों में स्कीमों के लिए नियमित केन्द्र बिन्दुओं के रूप में नामित किया जाना चाहिए और उन्हें शिक्षा मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय और कृषि मन्त्रालय के सहयोग से काम करना चाहिये । शिफारिशों के अन्य ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1. इस सम्बन्ध में श्रम मन्त्रालय और राज्य विभागों के कार्य ये होने चाहिए—
   (1) शिक्षित बेरोजगारों की समस्याओं की मात्रा का अनुमान लगाना,
   (2) रोजगार-प्रधान योजनागत परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता देने के लिए तथा लाभग्राहियों और प्रशासनिक/तकनीकी संवर्गों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए अन्य मन्त्रालयों के साथ संपर्क रखना, और
   (3) स्कीमों की प्रगति के सम्बन्ध में निरन्तर और वस्तुपरक परिशोधन प्राप्त करने के लिये एक स्वतन्त्र एकक की स्थापना करना जिससे कि कमियों को उचित समय पर ठीक किया जा सके।
2. उपर्युक्त मन्त्रालयों और राज्यों के ऐसे ही सम्बन्धित विभागों को कार्यान्वित की जा रही विभिन्न स्कीमों की उपयोगिता का मूल्यांकन विशेष रूप से रोजगार सर्जन की दृष्टि से करना चाहिये ।
3. केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर समन्वय दल स्थापित किये जाने चाहिये जिनके लिये श्रम विभागों के संगठनों को सचिवालयीन सहायता देनी चाहिये । इन समन्वय दलों को राजनीतिक और वरिष्ठ प्रशासनिक—इन दोनों ही स्तरों पर काम करना चाहिए और इनमें श्रम, शिक्षा, उद्योग, कृषि, नागरिक पूर्ति और सहकारिता, वित्त और बैंकिंग—इन मन्त्रालयों के प्रतिनिधि होने चाहिए । जिला स्तर तक प्रचालनात्मक स्तरों पर समानान्तर दल स्थापित किये जाएं, परन्तु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि ये उद्देश्य क्षेत्र स्तर तक पहुँच जाएं । विशिष्ट वित्तीय और परियोजना अनुमोदन के अधिकार भी इन जिला समन्वय समूहों को सौंपे जाने चाहिये ।

(ग) इन सिफारिशों का उद्देश्य विशेष रोजगार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एक प्रभावी संगठनात्मक सहायता की व्यवस्था करना है ।

खादी आयोग द्वारा हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीदा जाना

7460. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी आयोग ने हस्तशिल्प की वस्तुएं खरीदने के लिए संगठनों की एक सूची तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्कूटर उद्योग की क्षमता का उपयोग

7462. **श्री मुरली मनोहर जोशी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर निर्माण करने वाला उद्योग अपनी उत्पादन क्षमता का केवल 19 प्रतिशत का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो स्कूटर निर्माता एककों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक एकक कितनी क्षमता का उपयोग कर रहा है; और क्षमता का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनकी उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सभी स्कूटर निर्माताओं की कुल उत्पादन क्षमता इस समय 25,000 नग की है । 1978-79 में 175,200 स्कूटरों का उत्पादन होने का अनुमान है । अतः क्षमता का वर्तमान उपयोग 70% के लगभग हो रहा है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) मुख्य जिम्मेदारी सम्बन्धित एककों की है कि वह अपने प्रबंध में सुधार लायें और उत्पाद को ग्राहक द्वारा स्वीकार किये जाने योग्य बनायें । जहां कहीं आवश्यक हो सरकारी सहायता प्रदान की जाती है । जहां तक स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, सरकारी क्षेत्र का उपक्रम, का सम्बन्ध है, इसकी क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए कदम उठाये गए हैं और इसके उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । दिसम्बर, 1978 में बनाये गए 3182 स्कूटरों/पावर पैकों की तुलना में जनवरी, फरवरी और मार्च, 1979 में उत्पादन क्रमशः 4220, 4507 और 5008 था ।

विवरण

क्रमांक	फर्म का नाम	उत्पादन क्षमता का वर्तमान उपयोग	कम उपयोग के कारण
1.	मेसर्स ए० पी० आई०, बम्बई ।	68.8%	वित्तीय तथा प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याएं ।
2.	मेसर्स बजाज आटो लि०, पूना ।	81.4%	क्षमता का उपयोग बहुत कुछ अच्छा है ।

1	2	3	4
3.	मेसर्स महाराष्ट्र स्कूटर्स लिमिटेड, पूना।	113.6%	—
4.	मेसर्सस कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।	28.9%	क्षमता के न्यून उपयोग की अधिकांश समस्याएं मुख्यत: फर्म को शुरू में तकनीकी और विपणन समस्याओं के कारण हुई जिसका असर उनकी वित्तीय स्थिति पर भी पड़ा था।
5.	मेसर्स आन्ध्र प्रदेश स्कूटर्स, हैदराबाद।	)	
6.	मे० कर्नाटक स्कूटर्स, बंगलौर।	)	क्षमता का उपयोग बाजार की स्वीकार्यता और उनके ब्रांड के स्कूटरों के लिए मेसर्स स्कूटर्स इंडिया से सप्लाई किये गये पावर पैकों पर निर्भर करता है।
7.	मेसर्स पंजाब स्कूटर्स, नाभा।	)	
8.	मेसर्स बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम, पटना।	)	
9.	मेसर्स वेस्ट बंगाल स्कूटर्स, कलकत्ता।	)	
10.	मेसर्स गुजरात लघु उद्योग निगम, अहमदाबाद।	9%	मांग की कमी तथा तकनीकी समस्याएं।
11.	मेसर्स अरावली स्वचालित वाहन लिमिटेड, अलवर।	14.1%	—वही—
12.	मे० एसकार्ट्स, फरीदाबाद।		वे स्कूटरों का उत्पादन मोटर-साइकिलों की सम्पूर्ण क्षमता के अन्दर करते हैं।
13.	मेसर्स यू० पी० स्कूटर्स, कानपुर।		एकक पिछले तीन साल से बन्द है। वित्तीय तथा तकनीकी समस्याओं के कारण वे स्कूटर नहीं बना रहे हैं।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम, दुर्गापुर को होने वाली कठिनाइयां

7463. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां। 1977-78 में कम उत्पादन/उत्पादकता तथा पश्चात् खराब नकदी हालत के परिणामस्वरूप माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

(ख) इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए सरकार और प्रबंधकों द्वारा विभिन्न कदम उठाये गये हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) कोयला खनन उद्योग को 1978-79 में डिलीवरी के लिए आस्थागित सभी क्रयादेशों को पुनर्जीवित करने तथा बकाया क्रयादेशों के लिए पैसे का भुगतान करने के लिए राजी किया गया था ।

(2) भारत सरकार ने 1978-79 में कार्य संचालन पूंजी के लिए कम्पनी को 12.30 करोड़ रुपये की राशि दी थी।

(3) 1978-79 में स्टेट बैंक आफ इंडिया के पास कम्पनी की नकदी ऋण सीमा 18.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20.50 करोड़ रुपये कर दी गई थी।

(4) कोयला खनन उद्योग को 1978-79 तथा 1979-80 के लिए आवश्यक उपकरणों का अनुमान लगाने तथा एम०ए०एम०सी० के पास क्रयादेश भेजने की सलाह दी गई थी ताकि एम०ए०एम०सी० इन वर्षों के लिए अपने उत्पादन कार्यक्रम की योजना बना सके।

(5) एम०ए०एम०सी० को अपना प्रौद्योगिक आधार सुदृढ़ करने तथा निर्माण रूप रेखा के विस्तार के लिए विख्यात विदेशी पार्टियों के साथ नये सहयोग करार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।

इन उपायों से अच्छे परिणाम निकले हैं। कम्पनी का उत्पादन 1977-78 में 9.46 करोड़ रुपये से बढ़कर 1978-79 में 26.38 करोड़ रुपये हो गया। आगामी वर्ष के लिए यह लक्ष्य 38 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है।

क्रयादेश की स्थिति भी विशेषतया सुधरी है; 31-3-79 को कम्पनी के पास लगभग 80 करोड़ रुपये मूल्य के क्रयादेश मौजूद थे। अधिकाँश क्रयादेश दीर्घावधि में नियमित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण करने के लिये है जिसके बाद अल्प समय में नियमित कार्यक्रम के अनुसार निर्माण की जाने वाली वस्तुओं जैसे कन्वेयर, हाइड्रोलिक प्राप्स क्राप्स बार, रुफ सपोर्ट, कोल ड्रिल्स आदि के लिए क्रयादेशों में अन्तराल रह जाता है, इन वस्तुओं के लिए अधिक क्रयादेश प्राप्त करने की कोशिश की जा रही हैं।

कपड़ा मिलों द्वारा कीमतों में कमी

7464. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों को शीघ्र कीमतें कम करने का निर्देश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा संचालित मिलें भी इसमें शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) सरकार ने सूती वस्त्र उद्योग के साथ बातचीत की है तथा सूती कपड़े के मूल्य कम करने के लिये कदम उठाने का उनसे अनुरोध किया है। वस्त्र उद्योग ने निम्नलिखित तीन विकल्प प्रस्तुत करते हुए उत्तर दिया है :—

(I) दिसम्बर, 1978 में चल रहे कपड़े के मूल्य के स्तर पर आना;

अथवा

(II) 16 मार्च, 1979 के पूर्व प्रचलित मूल्य स्तरों पर सूती कपड़े के मूल्य स्थिर करना;

अथवा

(III) 16 मार्च, 1979 के पूर्व के मिल से निकलते समय की सूती कपड़े के मूल्यों की बीजक दरों पर 2 प्रतिशत तक छूट देना।

इसमें से कोई भी विकल्प सरकार को मान्य नहीं है।

फिलहाल सरकार मिलों को एक उचित स्तर तक मूल्यों को लाने के लिए उन्हें बाध्य करने के अभ्युपायों पर विचार कर रही है।

गैर-सरकारी क्षेत्र और राष्ट्रीय वस्त्र मिलों द्वारा मूल्य कम करने के बारे में अंतिम निर्णय एक साथ लिया जायेगा।

ब्रिटिश उद्योगपतियों द्वारा प्रतिवेदन देना

7465. **डा० पी० वी० पेरियासामी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्मिंघम चेम्बर्स आफ कामर्स द्वारा प्रायोजित ब्रिटिश उद्योगपतियों ने अपने दौरे के पश्चात् संयुक्त उद्यम सहयोग की सम्भावनाओं के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार को प्रतिनिधि मण्डल से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राउरकेला रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज द्वारा डिजाइन की गई नये प्रकार की बैलगाड़ी

7466. **श्री डी० अमात** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला रीजनल इंजीनियरिंग कालेज द्वारा एक नये प्रकार की बैलगाड़ी

का डिजाइन बनाया गया है और निर्माण किया गया है जिसका 11 फरवरी, 1979 को श्री बीजू पटनायक द्वारा उद्घाटन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या बैलगाड़ी छोटे आकार की और कम कीमत की है और छोटे किसान उसे ले सकते हैं; और

(ग) क्या वह पहाड़ी अथवा दुर्गम क्षेत्र में चलाये जाने के लिए उपयुक्त है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) राउरकेला रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज ने यह बताया है कि श्री बीजू पटनायक ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिये छोटे किसानों द्वारा आसानी से खरीदा जा सकने योग्य एक सस्ती व कामचलाऊ बैलगाड़ी के डिजाइन की रूपरेखा बताई थी। डिजाइन अभी तैयार किया जा रहा है।

केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं में राज्यों का प्रतिनिधित्व

7467. **श्री बलदेव सिंह जसरोटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय में कर्मचारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सचिवालय में भर्ती के बारे में कोई राज्यवार कसौटी है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसका अनुसरण किया जा रहा है, और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार केन्द्रीय सचिवालय में सभी श्रेणियों की सेवाओं में राज्य-वार प्रतिनिधित्व देने का है ताकि राज्य-वार और क्षेत्र-वार असन्तुलन दूर हो सके ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तीन केन्द्रीय सचिवालय सेवाओं अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय सेवा, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भर्ती संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन इस प्रयोजन के लिये बनाए गए संगत नियमों के उपबन्धों के अनुसार की जाती है। इन सेवाओं में सम्मिलित कुछ ग्रेडों में आंशिक सीधी भर्ती की जाती है और ऐसी सीधी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली खुली प्रतियोगिता परिक्षाओं के आधार पर की जाती है। सम्पूर्ण देश से ऐसे व्यक्तियों की ये परीक्षाएं देने की स्वतन्त्रता है, जो निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी करते हों। इन सेवाओं में राज्यवार प्रतिनिधित्व देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाओं में ग्रेड I के तदर्थ अधिकारियों को नियमित किया जाना

7468. **श्री वसन्त साठे**
श्री अनन्तराम जायसवाल } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक और सांख्यिकीय सेवाओं में ग्रेड I के बहुत से तदर्थ अधिकारियों द्वारा 6 वर्ष से अधिक तदर्थ सेवा पूरी कर लेने के बावजूद उनको इन सेवाओं में सम्मिलित न किये जाने के कारण उनमें असन्तोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार उनको नियमित करने संबंधी समस्या पर कब से विचार कर रही है और गत पांच वर्षों में वर्ष-वार क्या नीति निर्णय किये गये और मामला इस समय किस अवस्था पर है;

(ग) क्या सरकार ने इन सेवाओं को नवीनतम 'फीडर' सूची तैयार कर ली है और इसे किस वर्ष तक अन्तिम रूप दिया गया है; और

(घ) सरकार श्रेणी I के तदर्थ अधिकारियों की सेवा संबंधी विभिन्न मामलों पर अपना अन्तिम निर्णय कब तक घोषित करेगी ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV के पुनः-गठन के प्रश्न को अन्तिम रूप दिये जाने तक, इन दो सेवाओं के ग्रेड IV पदों पर बहुत सी तदर्थ नियुक्तियों का सहारा लिया गया था। ये तदर्थ नियुक्तियां लम्बी अवधियों से चल रही हैं, जिनके कारण कुछ हद तक असन्तोष व्याप्त हुआ है।

(ख) इन दोनों सेवाओं के ग्रेड IV के पुनर्गठन का प्रश्न, जिसके कारण तदर्थ नियुक्तियां आवश्यक हो गई थी, 1967 से विचाराधीन रहा है। इस प्रयोजन से नियुक्त की गई एक उप-समिति ने ग्रेड IV के पदों की संख्या में काफी कमी लाने के लिए अक्तूबर, 1969 में एक सिफारिश की थी। कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया जा सका था क्योंकि उक्त मामले पर 1970 में गठित तृतीय वेतन आयोग द्वारा 1973 में इसी प्रकार की एक सिफारिश की गई थी। चूंकि मामले में जटिल विषय शामिल थे और इसका प्रभाव बहुत से व्यक्तियों पर पडता था तथा अनेक अधिकारियों से परामर्श किया जाना था इसलिये सिफारिशों की जांच 1975 के अन्त से पहले पूरी नहीं की जा सकी। भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकीय सेवा में भाग ले रहे मंत्रालयों और विभागों तथा संघ लोक सेवा आयोग से, सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावों के बारे में परामर्श किया गया था। संघ लोक सेवा आयोग की सलाह 1978 में उपलब्ध हुई थी। किन्तु भाग ले रहे कुछ एककों ने मौलिक आपत्तियां उठाई थीं जिन पर कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने भारतीय आर्थिक सेवा/भारतीय सांख्यिकीय सेवा बोर्डों के परामर्श से विचार किया था जिसने फरवरी, 1979 में यह सलाह दी है कि सर्वप्रथम एक विस्तृत संवर्ग पुनः-रीक्षा की जानी चाहिए।

(ग) भारतीय आर्थिक सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए 23 नामों की एक प्रवर सूची तैयार करने तथा भारतीय सांख्यिकीय सेवा के ग्रेड IV में पदोन्नति के लिए 20 नामों की एक प्रवर सूची तैयार करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रवर सूचियों में शामिल किए जाने के लिए उन सभी व्यक्तियों पर विचार करने का प्रस्ताव है जिन्होंने फीडर पदों में 30 सितम्बर, 1978 को 4 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है।

(घ) दोनों सेवाओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत संवर्ग पुनरीक्षण आरम्भ किया जा रहा है।

इस पुनरीक्षा के परिणामों के उपलब्ध होने के बाद ही सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिए जा सकते हैं।

भारत में सोवियत संघ द्वारा परमाणु विद्युत संयन्त्र का बनाया जाना

7469. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ भारत में परमाणु विद्युत संयंत्र बनाने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

बेकार पड़े हथकरघे

7470. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विभिन्न राज्यों में अनेक हथकरघा बेकार पड़े हैं और उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इनके खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में बुनकरों की स्थिति में सुधार के लिये सरकार के विचाराधीन योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) यह सच है कि हथकरघा क्षेत्र के अत्यधिक विकेन्द्रीकृत होने तथा देश भर में फैले होने व कुटीर उद्योगों के आधार पर चलने के कारण इसमें कुछ हथकरघे बेकार पड़े हैं, अथवा निविष्टियों, वित्त और विपणन सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाओं का अभाव होने के कारण उनका कम उपयोग किया जा रहा है। बेकार पड़े हथकरघों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) हथकरघा उद्योग को संरक्षण प्रदान करने एवं उसके विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा निम्नलिखित अभ्युपाय किये गए हैं :—

(1) हथकरघा जनता कपड़ा योजना।

(2) सहकारी समिति के अन्तर्गत न आने वाले बुनकरों के लाभ के लिए गहन तथा निर्यात हथकरघा विकास परियोजनायें।

(3) प्रमुख हथकरघा सहकारी समितियों के लिए अंश पूंजी सहायता।

(4) हथकरघा बुनकरों के शीर्षस्थ निकास के लिये अंश पूंजी सहायता।

(5) करघे से पूर्ण व करघे के बाद की परिष्करण सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सहायता।

(6) राज्य हथकरघा विकास निगमों के लिए अंश पूंजी सहायता।

(7) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट की स्वीकृति।

(8) हथकरघा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने व बिक्री बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी प्रचार कार्यक्रम व प्रदर्शनियां तथा मेले।

(9) केन्द्र सरकार भी राज्य सरकारों को राज्य आयोजनगत योजनाओं के लिए एक मुस्त ऋणों व अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता देकर हथकरघा क्षेत्र में उनकी आयोजनगत योजनाओं में सहायता कर रही है।

अनधिकृत हथियार जब्त किया जाना

7471. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 3 वर्षों में वर्ष वार तथा राज्य वार, कितने अनधिकृत हथियार जब्त किये गये;

(ख) जब्त किये गये हथियारों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) हथियारों के लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों का अता-पता रखने और उन पर नजर रखने के विचार से केन्द्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि संशोधित शस्त्र नियम, 1962 को कठोरता से लागू किया जाये; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना प्राप्त होने पर सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जाएगा।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के गृह सचिवों को संबोधित इस मंत्रालय के दिनांक 2-2-1979 के परिपत्र की एक प्रतिलिपि संलग्न है।

[**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए** संख्या एल० टी० 4323/79]

सरकारी क्षेत्रों में कार और ट्रक इंजनों का निर्माण

7472. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार और ट्रक के इंजनों के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे काफी बचत होगी;

(ग) क्या इन इंजनों के लिये विदेशी तकनीकी जानकारी प्राप्त की जायेगी; और

(घ) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (घ) सरकार इस समय मोटर गाड़ी उद्योग को उन्नत करने के लिये सरकारी क्षेत्र की सहभागिता सहित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार कर रही है। कार तथा ट्रक के इंजनों के लिये सरकारी क्षेत्र के संयंत्र हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव सामने नहीं आया है।

लघु उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा सहायता

7473. **श्री नटवर लाल बी० परमार** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का विचार जो विश्व बैंक से सम्बद्ध है, लघु उद्योगों और कृषि क्षेत्र की सहायता करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) इन्टरनेशनल फाइनेन्स कारपोरेशन ने दो प्रस्ताव दिये हैं :—

(1) प्रौद्योगिकी निवेश बैंक की स्थापना करना तथा (2) भारत में इक्विपमेंट लीजिंग कंपनियों की स्थापना करना। इन प्रस्तावों के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं :—

(I) प्रौद्योगिकी निवेश बैंक :

एक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विकास तथा वित्तपोयन संस्थान का बनाना जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग किये जा सकने वाले उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों का पता लगाकर उनका विकास करेगा जिसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग तथा कृषि के बीच उचित सम्बन्धों का संवर्धन किया जा सके तथा जिसके फलस्वरूप कृषीय उत्पादकता में बढ़ोतरी हो, ग्रामीण आय में सुधार हो तथा ग्रामीण विकास के प्रयास सुदृढ़ करने में योगदान मिले।

इस उद्देश्य के लिये बैंक :—

(1) ग्रामीण क्षेत्र का विकास करने के लिये आवश्यक उत्पादों एवं उपकरणों का पता लगाना, उनका विकास करना तथा उनका अनुकूलन करना;

(2) इन उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के सम्बन्ध में तकनीकी वित्तीय तथा वाणिज्यिक पहलुओं की जानकारी देना;

(3) इस प्रकार के उत्पादों का संवर्धन करना तथा स्थानीय निर्माणकर्त्ताओं को वित्त देना।

(II) भारत में उपकरण पट्टेदाता (इक्विपमेंट लीजिंग) कंपनियों की स्थापना करना :—

कृषि तथा उद्योग के लघु उद्यमियों को लाभदेयता तथा शीघ्रतापूर्वक आवश्यक पूंजीगत उपकरणों को निवेश वस्तुयें तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने में पट्टेदारी (लीजिंग) तंत्र का उपयोग करना। इस उद्देश्य के लिये निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने हेतु भारत के प्रत्येक राज्य में लीजिंग कंपनियों की स्थापना करने का विचार है :—

(1) कृषि क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों ही में लघु उद्योगों को समर्थन प्रदान करना; तथा

(2) भारतीय पूंजीगत माल उत्पादक उद्योग को सहायता देना ।

खादी ग्रामोद्योग की स्थानांतरण सम्बन्धी नीति

7474. **श्री के० ए० राजन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में खादी ग्रामोद्योग आयोग की कोई नीति नहीं है तथा कर्मचारियों का स्थानान्तरण निदेशकों की मनमर्जी के अनुसार किया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो स्थानान्तरण के बारे में क्या नीति है;

(ग) क्या खादी आयोग का विचार कार्यकाल प्रणाली आरम्भ करके स्थानान्तरण सम्बन्धी नीति बनाने तथा देश को चार जोनों में बांटकर ज़ोन के भीतर स्थानान्तरण करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने जनवरी, 1974 में कर्मचारियों तथा अधिकारियों के स्थानान्तरण के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किये हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन लिपिकीय कर्मचारियों का स्थानान्तरण केवल प्रक्षेत्रों (जोनों) के भीतर ही किया जाता है । खादी तथा ग्रामोद्योग के अधीन तकनीकी कर्मचारी अखिल भारतीय संवर्ग से सम्बन्ध रखते हैं अतः उन्हें भारत में किसी भी स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकता है । किन्तु जोनों के भीतर ही उनका स्थानान्तरण सीमित करने का प्रश्न आयोग के विचाराधीन है ।

हिमाचल प्रदेश में नमक का उत्पादन

7475. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश के मण्डी क्षेत्र में नमक का उत्पादन अपने हाथ में ले लिया था, और यदि हां, तो किस तारीख को, और इसको अपने हाथ में लेने के क्या कारण थे;

(ख) क्या यह सच है कि अब सरकार ने उत्पादन बन्द कर दिया है, और यदि हां, तो किस तारीख को बन्द किया और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय निष्क्रिय पड़ी सम्पति, प्लाटों तथा मशीनरी का ब्यौरा क्या है और उनका मूल्य कितना है;

(घ) उक्त सम्पत्ति तथा मशीनरी का किस रूप में उपयोग किया जा रहा है;

(ङ) क्या सरकार उन क्षेत्रों में चूने के पानी को बेकार जाते हुए नमक का उत्पादन पुनः आरम्भ करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो यह प्रस्ताव क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) और (ख) जी, हां । भाग "ख" और "ग" राज्यों के वित्तीय एकीकरण, और भारतीय वित्त अधिनियम, 1950 के पारित हो जाने के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा मण्डी नमक खानों का अधिग्रहण 1 अप्रैल,

1950 को किया गया था, नमक का उत्पादन करने के लिये ये खानें 1 मई, 1963 से भारत सरकार के एक उपक्रम मैसर्स हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० को सौंप दी गई थी। मै० हिन्दुस्तान साल्ट्स लि० अभी तक इस क्षेत्र से सेंधा नमक निकाल रहा है।

(ग) तथा (घ) कुछ समय पहले तक माइगल तथा ड्रांग में पैन तथा रिफाइन्ड नमक का बहुत थोड़ी मात्रा में उत्पादन हो रहा था। माइगल में पैन नमक तथा अन्य ढांचे के निर्माण के लिये चीनी मिट्टी तथा नीचे की चिनाई के काम का अंकित मूल्य 26,000 रु० था तथा ड्रांग में नमक रिफाइनरी जिस पर 40,000 रु० निवेश किया गया था, उसे 1978 से इसलिये इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा है कि उसे चलाने की लागत अधिक आती है और कोयले की कमी है।

(ङ) तथा (च) चूंकि पैन तथा रिफाइन्ड नमक तैयार करना आर्थिक दृष्टि से जीव्य क्षम नहीं पाया गया है इसलिये इसे पुनः चलाने का विचार नहीं है तथा नमक की क्यारियों आदि को केवल प्रयोगात्मक कार्यों के लिये ही इस्तेमाल में लाया जाएगा।

राजनिवास, गोआ, दमण और दीव में चोरी

7476. **श्री अमृत कासर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काबो राजनिवास गोआ, दमण और दीव के उप-राज्यपाल के सरकारी निवासस्थान से कुछ प्राचीन कलाकृत्तियां, भू-दृश्य चित्र और चांदी के आयातित बर्तनों की चोरी हो गई है;

(ख) 1 अप्रैल, 1979 को काबो राजनिवास में प्राचीन कलाकृतियों, फर्नीचर, भू-दृश्य चित्रों और बर्तनों आदि का मूल्य कितना था और 28 फरवरी, 1977 को उनका मूल्य कितना था; और

(ग) क्या यह सच है कि एक अतिविशिष्ट व्यक्ति ने लोक निर्माण विभाग, गोआ, दमण और दीव को आदेश दिया है कि वे अपने रिकार्ड में काबो राजनिवास से चोरी गये कथित प्राचीन कलाकृतियों और चित्रों की टूट-फूट और क्षतिग्रस्त रूप में निपटाये गये दिखा दें ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) काबो राजनिवास में ऐसी मदों की कीमत नहीं आंकी गई है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

कनाडा द्वारा तकनीकी संचार उपकरण देने की पेशकश

7477. **श्री शंकर सिंह जी वाघेला** : क्या इलेक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा ने भारत को तकनीकी संचार उपकरण देने की पेशकश की है जिससे देश में अनेक अपराधों का पता लगाने में मदद मिल सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उपकरण का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उक्त उपकरण का परीक्षण किया है तथा उसे स्वीकृति दी है और यदि हां, तो उसके क्या लाभ हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, उर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) : जी नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामोफोन रिकार्डों एककों के द्वारा निर्यात

7479. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामोफोन रिकार्डों का निर्माण करने वाले कितने एककों को अपने मास्टर रिकार्डों का निर्यात करने की अनुमति दी गई थी और इनमें से प्रत्येक कम्पनी द्वारा कितने रिकार्डों का निर्यात किया गया था;

(ख) विदेशों में मास्टर रिकार्डों का प्रयोग करके रिकार्ड डिस्कों को लाने हेतु इनके विदेशी मालिकों द्वारा कितनी रायल्टी अदा की गई थी; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की अनुमति के बिना कितने मास्टर रिकार्डों मास्टर प्रतियों को देश से बाहर भेजा गया था और इस गैर कानूनी निर्यात के लिए दोषी कम्पनियों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सूचना मिली है कि अपने मास्टर रिकार्डों का निर्यात करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से निम्नलिखित तीन कम्पनियों ने अनुमति प्राप्त की है। जैसा कि सरकार को प्राप्त सूचना के अनुसार उनके मास्टर रिकार्डों के निर्यात का ब्यौरा भी नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	मास्टर रिकार्डों का निर्यात (संख्या में)		
		1976	1977	1978
1.	मैसर्स ग्रामोफोन कं० आफ इंडिया लि०	6	38	43
2.	मैसर्स पोलिडोर आफ इंडिया लि०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	22
3.	मैसर्स इंडियन रिकार्डस मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

(ख) कम्पनियों द्वारा भेजी गई जानकारी नीचे दी गई है :—

क० सं०	कम्पनी का नाम	विदेशी मालिकों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा अदा की गई रायल्टी (रुपयों में)		
		1976	1977	1978
1.	मैसर्स ग्रामोफोन कं० आफ इंडिया लि०	**11,91,175	1644	688
2.	मैसर्स पोलिडोर आफ इंडिया लि०	कुछ नहीं	कुछ नहीं	रायल्टी के लेखों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

**पिछले वर्षों में किए गए निर्यातों के लिए की गई अदायगी शामिल है।

(ग) इस बारे में मन्त्रालय के पास कोई जानकारी नहीं है ।

दिल्ली में कोका-कोला कम्पनी का बन्द होना

7480. **श्री पी० ए० संगमा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने सत्ता में आने के तत्काल बाद दिल्ली में कोका-कोला कम्पनी को पूर्णतः बन्द कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोका-कोला कम्पनी को बन्द करके और पेय "77" को शुरू करके सरकार ने भारी मुनाफा कमाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने वर्ष 1977, 1978 और 1979 में पृथक्-पृथक् कितना लाभ अर्जित किया ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने 29 अप्रैल, 1977 को आदेश जारी किये थे जिसमें कम्पनी द्वारा आदेश मिलने की तारीख से एक वर्ष के अन्दर अर्थात् 5 मई, 1978 तक कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन को 40 प्रतिशत से अनधिक गैर आवासीय हितों की एक भारतीय कम्पनी के रूप में अपने आपको परिवर्तित कर लेने के लिए कहा गया था । कम्पनी इस शर्त पर यह आदेश मानने के लिए सहमत हो गई थी कि कोका-कोला कम्पनी, अमरीका को कोका-कोला सान्द्रण के बनाने पर नियंत्रण रखने हेतु भारत में एक किस्म नियंत्रण सह सम्पर्क कार्यालय बनाने की अनुमति दे दी जाये । आवेदन पत्र पर विचार कर लेने के उपरान्त रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने प्रस्ताव रद्द करते हुए 5 अगस्त, 1977 को आदेश जारी कर दिये थे । तत्पश्चात् कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया को यह कहते हुए एक दूसरा अभ्यावेदन दिया कि चूंकि उनका अमरीकी कम्पनी का एक किस्म नियंत्रण कार्यालय बनाने का प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है वे भारत में कोका-कोला तथा फेन्टा बनाने में असमर्थ हैं, साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि कोका-कोला तथा फेन्टा से भिन्न एक नया पेय बनाने हेतु क्या 40 प्रतिशत इक्विटी वाली एक भारतीय कम्पनी के लिए अनुमति दी जायेगी । यह प्रस्ताव भी रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा 8 नवम्बर, 1977 को रद्द कर दिया गया था तथा कोका-कोला एक्सपोर्ट कारपोरेशन ने अपने निर्माण विषयक कार्य-कलाप बन्द कर दिये ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ओरियण्ट पेपर मिल्स, अमलाई में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध

7481. **श्री शरद यादव** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में अमलाई स्थित ओरियन्ट पेपर मिल्स में व्यापक रूप में भ्रष्टाचार तथा कुप्रबन्ध व्याप्त है और क्या इसके कर्मचारी गत चार महीनों से आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस मिल में गत चार महीने से तालाबन्दी चल रही है और इसके फलस्वरूप श्रमिकों के परिवारों को भूखा मरना पड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मिल का अधिग्रहण करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसको कब अधिगृहीत किया जायेगा और यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) अमलाई स्थित ओरियन्ट पेपर मिल्स में अभिकथित कुप्रबन्ध उत्पादन में गिरावट तथा औद्योगिक सम्बन्धों में तनाव के बारे में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं ।

(घ) से (ङ) चूंकि मैसर्स ओरियेन्ट पेपर एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, अमलाई (मध्य प्रदेश) के उत्पादन की मात्रा में गिरावट आई है तथा गिरावट आने की सम्भावना है तथा चूंकि इसका प्रबन्ध इस प्रकार से किया जा रहा है जो न तो उद्योग के हित में हैं और न ही लोकहित में हैं अत: मामले की परिस्थितियों की जांच करने तथा सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के। लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अन्तर्गत सरकार ने 23-3-1979 को एक समिति नियुक्त की है ।

मुरैना में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा उद्योगों की स्थापना

7483. **श्री छवि राम अर्गल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1976 से मार्च, 1979 की अवधि के दौरान मुरैना जिले में कितने शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना के लिये रजिस्ट्रेशन कराये गये और ऐसे उद्योगों की स्थापना कराने वाले शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या कितनी है और कितने मामले अभी तक विचाराधीन हैं और जिला औद्योगिक केन्द्रों मुरैना द्वारा उन्हें कितनी सहायता दी गई और उनके मामले कहां और किस कारण से अनिर्णीत पड़े हुए हैं, और क्या निर्यात हेतु किसी एकक का रजिस्ट्रेशन भी किया गया है और यदि हां, तो एकक और उत्पाद का नाम क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कोल्हापुर, महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना

7484. **श्री राजाराम शंकरराव माने** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में जिला कोल्हापुर के पश्चिमी जोन में छोटे उद्योग आरम्भ करने की योजना सरकार के विचार में है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का उद्योग के विकास में असमानता को किस प्रकार दूर करने का है; और

(ग) इस क्षेत्र से बेरोजगारी किस प्रकार से दूर की जायेगी ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) कोल्हापुर जिले के लघु उद्योगों का संवर्द्धन तथा विकास करना मुख्य रूप से महाराष्ट्र राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। ग्रामीण औद्योगिक विकास कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने और उसमें तीव्रता लाने के लिए लघु क्षेत्र व विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र में सेवाओं तथा सहायता के एक केन्द्र बिन्दु की व्यवस्था करने हेतु देश भर में जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं कोल्हापुर के लिए एक जिला उद्योग केन्द्र हाल ही में स्वीकृत किया गया है। जिला उद्योग केन्द्र द्वारा विस्तृत कार्य योजनाएं बना लिए जाने की सम्भावना है, जिससे स्थानीय साधनों, कुशलता तथा मांगों का पता चल सकेगा, सम्भाव्यता रिपोर्ट व परियोजना विवरण (प्रोजेक्ट प्रोफाइल) तैयार किए जा सकेंगे, और जिले के चहुँमुखी सन्तुलित विकास के लिए विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के अभिकरणों अर्थात् खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, हथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्रों तथा एकीकृत ग्रामीण विकास खण्डों के बीच निकट सम्बन्ध स्थापित किया जा सकेगा व रोजगार के अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जा सकेंगे।

उद्योगों में प्रयुक्त क्षमता

7486. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन उद्योगों में अप्रयुक्त क्षमता 40 प्रतिशत से कम है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस तथ्य पर विचार करने का है कि ऐसे उद्योग उत्पादन शुल्क में कमी कर और बिना किसी अतिरिक्त पूंजी व्यय के बेकार पड़ी क्षमता का उपयोग कर अतिरिक्त नौकरियों की व्यवस्था करने में सफल हो सकते हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : तकनीकी विकास के महानिदेशालय द्वारा जिन 70 चुनींदा उद्योगों की देखभाल की गई है उनके द्वारा विगत पांच वर्षों में उपयोग में लाई हुई तुलनात्मक क्षमता को बताने वाला एक विवरण दिनांक 21-2-1979 को पूछे गए तारांकित प्रश्न सं० 37 के उत्तर में पहले ही सभा पटल पर रखा जा चुका है।

(ख) क्षमता के कम उपयोग के कुछ महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित हैं :—पनपने की लम्बी अवधि, मांग की कमी, बिजली की कटौती, पहले से उत्पन्न की गई अतिरिक्त क्षमता, कच्चे माल की कमी, श्रमिक-संकट, यान्त्रिकी टूटफूट (खराबियां) प्रौद्योगिकीय बाधा से तथा उपलब्ध बाजारों का विद्रोहन करने की असमर्थता। समुचित प्रकरणों में, उत्पादन शुल्क की दरों में कमी करने के लिए सम्बन्धित उद्योग में क्षमता के अल्प-उपयोग के मानदण्ड पर भी विचार किया जाता है।

मारुति कारखाने का अधिग्रहण और जैसप्स कम्पनी की गति गतिविधियों का विविधीकरण

7487. **श्री आर० के० महालगी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटरवाहनों का उत्पादन करने के लिए मारुति कारखाने का अधिग्रहण करने और जैसप्स कम्पनी की गतिविधियों का विविधीकरण करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) इन प्रस्तावों के क्रियान्वयन पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) मोटरगाड़ी उद्योग के उन्नयन पर सम्पूर्ण रूप से विचार करने में मारुति लिमिटेड और जैसप की सुविधाओं को ध्यान में रखा जायेगा। चूंकि इन कम्पनियों के सम्बन्ध में विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने की अवस्था अभी नहीं आई है अतः उनके कार्यान्वयन पर खर्च होने वाली धनराशि बताना सम्भव नहीं है।

भारत-जर्मन जनवादी गंणतन्त्र सहयोग समिति

7488. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच करने के लिए समिति नियुक्त की है कि वर्ष 1957-67 में भारत जर्मन-जनवादी गंणतंण के बीच अनुमोदित 924 सह योग करारों में से 465 कार्यान्वित नहीं होने के क्या कारण हैं और यदि हां, तो समिति आदि के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1967-77 की अवधि में भारत-जर्मनी के बीच कुल कितने अनुमोदित सहयोग करार हुए और उनमें से कितने कार्यान्वित हुए; और

(ग) वर्ष 1977 और 1978 में भारत-जर्मनी के बीच कुल कितने अनुमोदित सहयोग करार हुए और उनमें से कितने कार्यान्वित हुए ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) भारतीय पार्टियों के जर्मन जनवादी गणराज्य (जी० डी० आर०) और जर्मन संघीय गणराज्य (एफ० आर० जी०) के साथ सहयोगों की कुल संख्या क्रमशः नीचे दी गई है :

वर्ष	ज० ग० (जी० डी० आर०)	ज० स० ग० (एफ० आर० जी०)
1967-77	41	504
1977-78	11	113

जो स्वीकृतियां सफल हुई हैं उनकी संख्या के बारे में कोई केन्द्रीकृत सूचना प्राप्त नहीं है।

सिनेमा फिल्मों के आयात पर रोक लगाया जाना

7489. **श्री श्याम सुन्दर गुप्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में अच्छी किस्म की सिनेमा फिल्मों के आयात पर रोक लगा दी है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह भी सच है हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स कारपोरेशन के घटिया किस्म के माल को संरक्षण प्रदान करने के लिए अच्छी किस्म की फोटो फिल्मों कारपोरेशन द्वारा प्रतिबन्ध

लगा दिया गया है और त्रुटिपूर्ण इन्दु फिल्मों से गरीब व्यावसायिक फोटोग्राफरों को कष्ट उठाना पड़ रहा है और इस बारे में उन्होंने प्रदर्शन किया था और विरोध प्रकट किया था; और

(ग) अच्छी किस्म के फोटो फिल्म कागज के आयात की अनुमति देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) ब्लैक एण्ड व्हाइट (पाजिटिव एण्ड साउण्ड निगेटिव) रोल फिल्मों में आयात पर पाबन्दी लगी है क्योंकि देश की समग्र मांग को पूरा करने के लिए इन किस्मों का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में देश में ही किया जाता है।

(ख) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कं० लि० आयातित जम्बो रोल फिल्मों को परिवर्तित करके 120 साइज की एमेच्योर रोल फिल्मों (ब्लैक एण्ड व्हाइट) की सप्लाई कर रहा है। देश में ब्लैक एंड व्हाइट रोल फिल्मों की अस्थाई कमी मुख्यतः आयातित माल के आने में हुए विलम्ब के कारण थी तथा जैसा कि लोक सभा में 21 मार्च, 1979 को तारांकित प्रश्न सं० 426 तथा 4 अप्रैल, 1979 को अतारांकित प्रश्न सं० 6200 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है, सरकार ने वास्तविक मांग तथा पूर्ति के बीच अन्तर को पूरा करने के लिये वर्ष 1978-79 में तैयार रूप में 20 लाख रोल फिल्मों की अतिरिक्त मात्रा आयात करने का निर्णय लिया है। वर्ष 1979-80 में 50 लाख रोल फिल्मों की और अतिरिक्त मात्रा का आयात किया जा रहा है। जैसे ही आयातित माल आ जाएगा, देश में फोटो फिल्मों की कोई कमी नहीं होगी।

(ग) अच्छी किस्म का फोटो फिल्म कागज देश में ही उपलब्ध है तथा विशेष किस्म का कागज जिसका उत्पादन भारतीय उत्पादनकर्ता नहीं कर पा रहे हैं, उसको आयात करने की अनुमति दी गई है।

इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त किये गये विदेशी ठेके

7490. **श्री कृष्ण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इण्डिया लिमिटेड (ई० पी० आई०) को कुल कितने और कितने मूल्य के विदेशी ठेके प्राप्त हुए;

(ख) उन विदेशी ठेकों में से कितने ठेकों का निष्पादन किया गया है तथा इसी अवधि में शेष ठेकों के बारे में स्थिति क्या है;

(ग) क्या इन ठेकों का कार्यकरण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है; और

(घ) क्या इन ठेकों से होने वाले लाभ को वसूल कर लिया गया है, इस समय किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) 1976-77 से 1978-79 तक के तीन वर्षों में इन्जीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (ई० पी० आई०) ने विदेशों में कुल 557.57 करोड़ रुपये मूल्य के 15 ठेके प्राप्त किये।

(ख) इन 15 ठेकों में से चार पूरे किये जा चुके हैं जबकि शेष 11 परियोजनायें कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

(ग) पूरी की गई परियोजनायें ग्राहकों को निर्धारित समझौते के अनुसार तथा उनकी संपुष्टि पर सौंप दी गई है। कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं में केवल ऐन बागजी आवासीय परियोजना के सम्बन्ध में कुछ त्रुटि को छोड़ कर अन्य सभी परियोजनाओं पर पूर्व निश्चित कार्यक्रम के अनुसार कार्य चल रहा है।

(घ) लाभ न्यूनाधिक उसी हद तक कमाया गया है जैसा कि पूरे किये जा चुके ठेकों पर अनुमान लगाया गया है। कार्यान्वयनाधीन परियोजना के विषय में स्थिति हर परियोजना पर भिन्न-भिन्न होने की आशा है। भारत सरकार के इस उपक्रम द्वारा विदेशी ठेकों से प्राप्त लाभों का विवरण खुले रूप से बताना जन हित में नहीं होगा।

हैदराबाद मुक्ति संघर्ष में जीवन का बलिदान करने वाले स्वाधीनता सेनानी

7491. **श्री केशव राव धोंडगे** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद मुक्ति संघर्ष को भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संघर्ष में कितने स्वाधीनता सेनानियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया और उसमें कितने स्वाधीनता सेनानियों ने भाग लिया;

(ग) महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) उनमें से सभी स्वाधीनता सेनानियों को सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से यथा प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) केवल उन स्वाधीनता सेनानियों को पेंशन दी जा सकती थी जो स्वाधीनता सेनानी पेंशन योजना, 1972 में निर्धारित की गई पात्रता शर्तों पर पूरे उतरते थे।

विवरण

प्रश्न के भाग (ख) और (ग) के अनुसार हैदराबाद मुक्ति संघर्ष (राज्य वार) में जीवन का बलिदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या का विवरण

राज्य	भाग लेने वालों की संख्या	जीवन का बलिदान करने वाले व्यक्तियों की संख्या
महाराष्ट्र	3495	135
कर्नाटक	उपलब्ध नहीं है किन्तु 109 व्यक्तियों ने पेंशन के लिए आवेदन किया है।	उपलब्ध नहीं है।

1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	तेलंगाना क्षेत्र से 5211 व्यक्तियों ने पेंशन के लिए आवेदन किया है ।	उपलब्ध नहीं है ।

राज्यों में आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के लिए अवरोध

7492. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा, जम्मू तथा कश्मीर, असम और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों में 1961 से 1965 तक के आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों को 'सुपर टाइम स्केल' दिया गया है जबकि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 1958 के बाद की अवधि के आई० पी० एस० अधिकारी अब भी जिलों के पुलिस अधीक्षकों के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि इससे आई० ए० एस० और आई० पी० एस० अधिकारियों के लिये अवरोध और हताशा की स्थिति पैदा हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस०डी० पाटिल) : (क) से (घ) प्रश्न में उल्लिखित राज्यों के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों में 'सुपर टाइम स्केल' में संवर्ग पद पर काय कर रहे कनिष्ठतम अधिकारी के आबंटन के वर्ष की 1-1-1979 की स्थिति दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

2. जैसा कि देखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के सुपर टाइम स्केल में संवर्ग पदों पर पदोन्नति के अवसर अन्य अनेक संवर्गों की स्थिति की तुलना में अनुकूल हैं । अत: इन तीनों संवर्गों में अवरोध का प्रश्न नहीं उठता ।

3. जहां तक भारतीय पुलिस सेवा का सम्बन्ध है, यह एक तथ्य है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकारी, जिनका आबंटन का वर्ष 1959 के बाद का है, संवर्ग पदों पर सुपर टाइम स्केल में कार्य नहीं कर रहे थे ।

4. सुपर टाइम स्केल में पदोन्नतियां सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है । तथापि केन्द्रीय सरकार अधिकारियों को अनुपातिक रूप से काफी बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति पर, विशेषकर सुपर टाइम स्केल के पदों पर लेकर पदोन्नति 'ब्लाक' संवर्गों की सहायता करती रही है ।

विवरण

भारतीय प्रशासनिक सेवा

कुछ राज्यों में 1-1-1979 को स्थिति के अनुसार सुपर टाइम स्केल के संवर्ग पद पर कार्य कर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्टतम अधिकारी के आबंटन वर्ष को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	आबंटन का वर्ष
1.	हिमाचल प्रदेश	1962
2.	हरियाणा	1961
3.	केरल	1960
4.	मणिपुर-त्रिपुरा	1958½
5.	जम्मू व कश्मीर	1959
6.	असम-मेघालय	1961
7.	महाराष्ट्र	1961
8.	उत्तर प्रदेश	1961
9.	मध्य प्रदेश	1961
10.	पश्चिम बंगाल	1960

भारतीय पुलिस सेवा

कुछ राज्यों में 1-1-1979 को स्थिति के अनुसार सुपर टाइम स्केल में संवर्ग पद पर कार्य कर रहे भारतीय पुलिस सेवा के कनिष्टतम अधिकारी के आबंटन वर्ष को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का काम	आबंटन वर्ष
1.	हिमाचल प्रदेश	1962
2.	हरियाणा	1963
3.	केरल	1963
4.	मणिपुर-त्रिपुरा	1964
5.	जम्मू व कश्मीर	1964
6.	असम-मेघालय	1960
7.	महाराष्ट्र	1961
8.	उत्तर प्रदेश	1959
9.	मध्य प्रदेश	1955
10.	पश्चिम बंगाल	1957

सांभर झील से नमक का उत्पादन

7493. **श्री राम कंवार बेरवा** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांभर झील (राजस्थान) से नमक का उत्पादन करने के बारे में इस स्थान के वाणिज्य तथा व्यापार मंडल से सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन-किन मुख्य मांगों का उल्लेख है; और

(ग) अभ्यावेदनों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इन मांगों को पूरा करने की दृष्टि से नमक उद्योग को सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) जी हां। अक्तूबर 1978 में चेम्बर आफ जेनुइन साल्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, सांभर लेक ने सुझाव दिया था कि उक्त स्रोत से अधिक से अधिक नमक का उत्पादन करने के लिए सांभर झील के समूचे उत्पादन क्षेत्र का पानी निकालने के लिए उच्च शक्ति वाले पम्प सैटों को उपयोग में लाना चाहिए।

(ग) दि सांभर साल्ट लि०, भारत सरकार का एक उपक्रम, इस स्रोत के पुन:स्थापन कार्य में लगा हुआ है जो 1975 की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हो गया था तथा यह नमक का उत्पादन अधिक से अधिक करने के आवश्यक उपाय कर रहा है। इस पर आने वाली भारी लागत को देखते हुए उत्पादन क्षेत्र से पानी की भारी मात्रा निकाल पाना सम्भव नहीं है। कम्पनी के सांभर झील से नमक का अधिकतम उत्पादन करने के कार्यक्रम के लिए सरकार आवश्यक सहायता देती रही है।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए योजनायें

7494. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षित बेरोजगारों के लिए कितनी योजनाओं को इस समय क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) कितनी योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं; और

(ग) इस समय शिक्षित बेरोजगारों की संख्या कितनी है और गत एक वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर तथा असम इन राज्यों में कुछ ऐसी स्कीमें हैं जो विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों के लिये बनाई गई हैं। तथापि शिक्षितों के लिये अधिक रोजगार केन्द्रीय और राज्य योजनाओं दोनों की ही अनेक ऐसी योजनागत स्कीमों से उत्पन्न होंगे, जैसे कृषि विस्तार, पशुपालन और डेरी उद्योग, परिवहन और संचार के विकास तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। संगठित और अनौपचारिक, दोनों ही क्षेत्रों में उद्योग और व्यापार के विस्तार से भी शिक्षित बेरोजगारों को काम मिलेगा।

(ग) पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1978—83) में यह अनुमान लगाया गया कि 1977-78 के अन्त में स्नातक और इंजीनियरी के डिप्लोमाधारक बेरोजगारों की संख्या लगभग 7 लाख थी। मैट्रिक पास व्यक्तियों में बेरोजगारी की मात्रा का अनुमान लगाया जा रहा है। रोजगार

दफ्तरों से प्राप्त सूचना से यह पता चलता है कि मैट्रिक पास व्यक्तियों सहित नौकरी तलाश करने वाले शिक्षित व्यक्तियों की जो संख्या जून, 1977 के अन्त में 53.9 लाख थी, वह बढ़कर जून, 1978 के अन्त में 60.5 लाख हो गई। तथापि, उनमें से कुछ व्यक्ति बिल्कुल बेरोजगार नहीं हैं और अधिक अच्छी नौकरियों की तलाश में हो सकते हैं।

शान्तिपूर्ण प्रयोजन हेतु भूमिगत विस्फोट

7495. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश, वैज्ञानिकों ने शान्तिपूर्ण प्रयोजन हेतु भारत द्वारा भूमिगत विस्फोट किये जाने के पक्ष में राय व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मत से किस हद तक सहमत है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) इस सम्बन्ध में सरकारी नीति क्या है इसे बार-बार संसद में स्पष्ट किया जा चुका है। सरकार को ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि देश के वैज्ञानिकों ने उस नीति के विरुद्ध कोई राय व्यक्त की है।

केरल में उद्योगों का विकास करने के लिए विचार विमर्श

7496. **श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में केरल की यात्रा के दौरान राज्य के मुख्य मन्त्री के साथ वहां छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास करने की सम्भावनाओं पर बातचीत की थी;

(ख) यदि हां तो उस बातचीत का सारांश क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां।

(ख) तथा (ग) लघु तथा बड़े क्षेत्र में राज्य के औद्योगिक विकास कार्यक्रम पर सामान्य चर्चा हुई थी। विशिष्ट कार्यक्रमों के बारे में उद्योग मन्त्री को ठोस प्रस्ताव भेजने के लिए मुख्य मन्त्री मान गये थे।

तमिलनाडु से नमक का निर्यात

7497. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता होने के बावजूद वहां से नमक का निर्यात बहुत कम हो रहा है;

(ख) इस क्षेत्र से निर्यात के बारे में सही स्थिति क्या है और निर्यात की कम मात्रा होने के क्या कारण हैं; और

(ग) तमिलनाडु से नमक के निर्यात को बढ़ाने और उसे गति देने के लिये क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) नमक उत्पादन में काफी कमी आने तथा सुरक्षित भण्डार के कम होने के संदर्भ में नेपाल, भूटान तथा माल द्वीप व अन्य संविदाओं को छोड़कर सितम्बर 1977 में नमक के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इन प्रतिबन्धों के कारण तमिलनाडु से नमक का निर्यात किया जाना 1978 में कम हो गया था। देश में विभिन्न राज्यों के लिए नमक निर्यात करने का कोई कोटा नहीं है। 1978 में नमक के उत्पादन में सुधार आ जाने पर नमक के निर्यात पर लगे प्रतिबन्धों में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है तथा 1979-80 में निर्यात के लिये 2,50,000 मी० टन का कोटा निर्धारित किया गया है। यह आशा की जाती है कि इन छूटों के परिणामस्वरूप तमिलनाडु सहित सभी नमक उत्पादक केन्द्रों से नमक निर्यात बढ़ेगा।

रुई का न्यूनतम और समर्थन मूल्य

7498. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक किस्म की रुई के लिए न्यूनतम और समर्थन मूल्य की घोषणा करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) सरकार रुई के लिए न्यूनतम मूल्य घोषित नहीं करती है। कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा कपास की प्रमुख किस्मों के लिए केवल न्यूनतम समर्थन कीमतें घोषित की जाती हैं। वर्ष 1978-79 के रुई मौसम के लिए कपास की प्रमुख किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा (अक्तूबर, 1978 में) पहले ही घोषित किये जा चुके हैं।

लघु एककों के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन में वृद्धि

7499. **श्री राम सागर** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान केवल लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित 600 मदों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है और वर्ष 1979-80 के दौरान कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है;

(ख) उन उत्पादों के नाम क्या हैं जिनके उत्पादन में आरक्षण के बाद कमी हुई है; और

(ग) किन उत्पादों का उत्पादन स्थिर रहा है और उन उत्पादों के नाम क्या हैं, जिन का कतई उत्पादन नहीं हुआ ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जिन अतिरिक्त वस्तुओं का आरक्षण लघु उद्योग क्षेत्र में किया गया है उन वस्तुओं के उत्पादन के आरक्षण के प्रभाव को अभी बताना समय से पूर्व होगा। चूंकि लघु एककों द्वारा प्रत्येक माह के उत्पादन को बताने की कोई औपचारिक पद्धति नहीं है। आरक्षण के प्रभाव को आंकने के लिए एक अथवा दो वर्ष बीत जाने के बाद आरक्षित वस्तुओं की समीक्षा की जाती है। 1977-78 के पूर्व आरक्षित 116 उद्योगों के मामले में उनकी समीक्षा करने से पता चला है कि 99 उद्योगों के

प्रकरण में, जिनमें, सामान्य (जेनेरिक) औद्योगिक समूह भी शामिल हैं, 1978 के अन्त तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जिन उद्योगों की समीक्षा की गई है तथा जिन उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, उनकी सूची संलग्न है।

विवरण

31-12-1978 तक की आरक्षित उद्योगों की सूची। ×महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है।

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
1.	×	टीन के कनस्तर (डब्बे)
2.	×	ए० सी० एल० कण्डक्टर्स
3.	×	आटोलीफ स्प्रिंग
4.	×	ड्रम तथा बैरल
5.	×	लकड़ी के पेच (स्क्रू)
6.	×	हरीकेन लालटेन
7.	×	पेन्ट तथा वार्निश
8.	×	पी० वी० सी० पादुकाएं
9.	×	बा० टेंसव इंसुलेटर
10.	×	मिनिएचर बल्ब
11.	×	आटोमोबाईल रेडिएटर
12.	×	साइकिलों के टायर व ट्यूब
13.	×	पोटाशियम सिलिकेट
14.	×	सोडियम सिलिकेट
15.	×	रंजक पदार्थ
16.	×	इलैक्ट्रिक हार्न (बिजली के भौंपू)
17.	×	जिंक आक्साइड
18.	×	कैल्शियम सिलिकेट
19.	×	हाईपोडर्मिक सुइयां
20.	×	काजू के छिलके का तेल उद्योग
21.	×	सभी प्रकार की रिबेटें
22.	×	थर्मामीटर
23.	×	रबड़युक्त कपड़ा
24.	×	टायर-इन्फ्लेटर
25.	×	सेव का तेल (मिश्रित योजनाओं के लिए केवल)
26.	×	बाइक्रोमेट्स
27.	×	घरेलू बर्तन (स्टेनलेस स्टील उद्योग को छोड़कर)
28.	×	प्लास्टिक बोर्ड उद्योग
29.	×	टेलिस्कोपिक एरियल
30.	×	मशीन शोप वाइसेज

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
31.	×	मीटल ब्लेड स्विच उद्योग
32.	×	दस्ती नम्बरिंग मशीन
33.	×	मशीन के पेच (स्क्रू)
34.	×	घरेलू विद्युत उपकरण उद्योग
35.	×	स्टील वूल
36.	×	दियासलाई
37.	×	दस्ती स्टैंपिंग मशीन
38.	×	नट तथा बोल्ट उद्योग
39.	×	कागज के उत्पाद बनाने वाले उद्योग
40.	×	विद्यार्थियों के लिए माइक्रोस्कोप (खुर्दबीनें)
41.	×	तीलियां तथा निपलें
42.	×	हाइड्रालिक जैक
43	×	सर्जिकल दस्ताने
44.	×	एक्सपेंडेन्ड मैटल
45.	×	बीम स्केल्स
46.	×	पी० वी० सी० तारें व केबलें (घरेलू टाइप की)
47.	×	लकड़ी के पेच (परिशोधित)
48.	×	पानी के मीटर (संशोधित)
49.	×	चमड़े की पादुकाएं
50.	×	गन मैटल बुश
51.	×	विंड शील्ड-वाइपर्स
52.	×	कपड़ा धोने का साबुन उद्योग
53.	×	तार तथा रेशों के ब्रुश
54.	×	फ्रेंडर स्पूर तथा हथौड़ा उद्योग
55.	×	नापने के सूती कपड़ों के टेप
56.	×	नापने के स्टील वाले टेप
57.	×	टूथपेस्ट उद्योग
58.	×	बसों तथा ट्रकों की सीटें
59.	×	आर्मेचर टेस्टर
60.	×	विद्युत वायरिंग के सहायक सामान तथा लाइट के लिए
61.	×	एक्जास्ट माफलर्स
62.	×	कुट्टी काटने के ब्लेड
63.	×	कंटीली तारें
64.	×	छत व फर्श चमकीली ईंटें (टाइलें)
65.	×	कैंबर टैस्टिंग उपस्कर
66.	×	वाल्व लिफ्टर
67.	×	वैल्ड किए हुए तारों की जाली

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
68.	×	टायर वाल्वों को निकालने वाले औजार
69.	×	फ्यूल लाइन
70.	×	हब कैप
71.	×	ट्रक बाड़ी का निर्माण
72.	×	ट्यूब कटर
73.	×	कमरा शीतक
74.	×	पटाखे
75.	×	प्लास्टिक के हल्के बैटरी केस
76.	×	फार्मूलेटेड परफ्यूमरी कंपाउन्ड्स
77.	×	पाम रोजा तेल
78.	×	4 कि० ग्राम तक के प्रेसर डाइ कास्टिंग
79.	×	प्रैसर-गेज
80.	×	स्पार्क प्लग क्लीनर्स तथा टैस्टर्स
81.	×	ग्लास होरोवर्स
82.	×	कीटनाशक छिड़कने तथा स्प्रे करने का यंत्र
83.	×	स्क्रू एक्सटेंक्टर्स
84.	×	सभी प्रकार के पुलर
85.	×	हार्न बटन
86.	×	टेल, साइड, स्टोप व स्पाट लैम्प को जोड़ने का सामान
87.	×	बैटरी टर्मीनल लिफ्टर्स
88.	×	बैटरी के बल्ब फिटिंग्स
89.	×	बल्ब हार्न
90.		घरेलू बुनाई मशीनें
91.		स्टार्ड रिमूवसी (एक्सटैंक्टर्स)
92.		फ्लेरिंग औजार
93.	×	रिंग कम्प्रेसर्स
94.	×	गियर-फ्लशर्स
95.	×	तार का उत्पाद
96.	×	आर्नामैंटल फिटिंग्स
97.	×	रोलिंग शटर्स
98.		टाय-इन-गेजेज
99.		रिंग एक्सपेंडर्स
100.	×	सन वाइसर
101.	×	सामान ढोने वाली मशीनें
102.	×	मेटेलिक कंडक्ट पाइप
103.	×	एश टायर
104.	×	रिटर के शीशे

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
105.	×	सब रोड्स
106.	×	वस्त्र तथा चमड़े की वस्तुओं के लिए
107.	×	फ्लेमिंग टूल
108.	×	ग्रीस गोंद तथा धातु की फिटिंग्स
109.	×	मीटरिक तौलने के बांट
110.	×	इलै० फ्यूज तथा फ्यूज बक्से
111.	×	प्लास्टिक प्रोसेस्ड उत्पाद
112.		फ्लीयर गेज
113.		पारा डिचलोरो बैंजीन
114.	×	कडेंसर तथा रजिस्टेंस टैस्टर
115.		वाल्व को बदलने तथा उसको दुबारा बदलने के औजार ।

स्टाम्प पेपर तथा टिकटों की बिक्री से आय

7500. **श्री दया राम शाक्य** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में न्यायालयों में प्रति माह कितने मूल्य के स्टाम्प पेपर तथा टिकट बेचे जाते हैं, और गत छः महीनों के लिए प्रत्येक न्यायालय के बारे में इसके आंकड़े क्या हैं; और

(ख) स्टाम्प पेपर तथा टिकटों की बिक्री से सरकार को कितनी वार्षिक आय होती है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि स्टाम्प पेपर तथा टिकट न्यायालयों को प्रत्यक्ष रूप से नहीं बेचे जाते हैं । ये स्टाम्प एजेन्टों के द्वारा जनता को विभिन्न प्रयोजनों के लिए बेचे जाते हैं । गत छः महीनों के दौरान स्टाम्प पेपर तथा टिकटों की बिक्री के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

महीना	न्यायालय/न्यायिक रुपए	गैर न्यायिक रुपए	जोड़ रुपए
अक्तूबर, 1978	14,32,385.65	27,51,687.50	41,84,073.15
नवम्बर, 1978	14,73,221.25	23,52,557.50	38,25,778.75
दिसम्बर, 1978	13,24,675.20	19,20,651.00	32,45,326.20
जनवरी, 1979	17,84,714.45	22,85,604.85	40,70,319.30
फरवरी, 1979	14,15,043.95	34,58,580.50	48,73,624.45
मार्च, 1979	20,02,013.65	31,48,002.00	51,50,015.65

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान 4,46,47,086.25 रु०

बैंक आफ इण्डिया के अधिकारियों द्वारा विदेशी अंशदान अधिनियम तथा नियमों का उल्लंघन

7501. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी अंशदान अधिनियम तथा नियमों के अन्तर्गत वर्ष 1978 में अंशदान नियमों का उल्लंघन करने के कितने मामलों का पता चला है;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1978 में बैंक आफ इंडिया के कुछ अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन किया है परन्तु सरकार के अधिकारियों ने उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और बैंक आफ इंडिया के ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 1978 में ये किन स्थानों पर गए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री घनिक लाल मंडल) : (क) 1976 के विदेशी अभिदाय (विनियम) अधिनियम के उपबन्धों और नियमों के उल्लंघन के कुछ मामलों का पता लगाया गया है और जांच की जा रही है। इस समय उनके ब्यौरे प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

(ख) और (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

रेपसीड और सरसों की फसल में सुधार के बारे में सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम

7502. **श्री चतुर्भुज**
श्रीमती पार्वती देवी
श्री बागुन सुम्बरुई } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेपसीड और सरसों की फसल में सुधार करने और तेल तथा प्रोटीन का उपयोग करने के बारे में भारत और स्वीडन का सहयोगी अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) तोरिया (रेपसीड) और सरसों, जो कि तिलहन की बहुत महत्वपूर्ण फसलें हैं (ये एक ही परिवार क्रुसिफेरी से सम्बद्ध हैं) की कृषि भारत में 35 लाख हैक्टेयर भूमि पर की जाती है। इसका उत्पादन अपेक्षाकृत कम है अर्थात् लगभग 500 कि० ग्राम प्रति हैक्टेयर। रेपसीड और सरसों की खेती का इतिहास प्राचीनतम है, मुंगफली के बाद इनका स्थान सात मुख्य तिलहन फसलों में है और तिलहनों से प्राप्त होने वाली देश की कुल कृषि आय में इनका अंशदान 9% है, फिर भी इनसे सम्बन्धित अनुसंधान और विकास प्रयास की गति बहुत अधिक तीव्र नहीं हैं। रेपसीड और सरसों की खेती और उनके प्रक्रियण के क्षेत्र में स्वीडन के लम्बे अनुभव, जिसके फलस्वरूप वहां पर इसका उत्पादन 2000 से 2,500 कि० ग्रा० प्रति हैक्टेयर तक पहुँच गया है, को ध्यान में रखते हुए, यह उचित समझा गया कि उनके साथ इस क्षेत्र में सहयोग किया जाए। अतः रेपसीड और सरसों के तेल और प्रोटीन उपयोगीकरण पर एक भारत-स्वीडिश सहयोगात्मक

अनुसंधान परियोजना तैयार की गई थी। इस परियोजना में अनुसंधान के तीन पहलू शामिल किये जायेंगे, ये पहलू हैं : कृषि उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी, प्रक्रियण और उत्पाद विकास, और खाद्यांश और तेल का पोषक और आविषालुता विज्ञान सम्बन्धी मूल्यांकन। परियोजना के लिए कुल परिव्यय 125 लाख रुपये है। भारत में इसका समन्वय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा और स्वीडन में 'स्वीडिश एजेन्सी फार रिसर्च एण्ड कोअपरेशन' (एस० ए० आर० ई० सी०) द्वारा किया जायेगा। भाग लेने वाले अभिकरण हैं, आई० सी० ए० आर०, आई० सी० एम० आर०, सी० एस० आई० आर० और डी० एस० टी०। भाग ले रही सस्थाएं हैं :—स्वीडन—स्वीडिश सीड एसोसिएशन, स्वालोद, वीबुलशोल्म प्लांट ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, लैंडस्क्रोना, और पादप कृषि विभाग, स्वीडिश युनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चरल साइंसिज, उप्पसला।

भारत :—पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर बी० सी० राय कृषि विश्वविद्यालय कल्याणी, असम कृषि विश्वविद्यालय, शिलांग, उदयपुर कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, भोपाल, सी० एफ० टी० आर० आई०, मैसूर और एन० आई० एन०, हैदराबाद। दोनों पक्षों द्वारा विस्तृत अनुसंधान योजना के बारे में पहले से ही सहमति हो चुकी हैं, और अनुसंधान कार्य मई, 1979 में किसी समय प्रारम्भ हो जाएगा।

खाद के लिए समुद्री घास की काश्त

7503. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्री घास की चुनी हुई किस्मों, जो खाद के रूप में उपयोगी हैं तथा औषधि एवं अन्य उत्पादों के लिये काम में लाई जाती हैं, की काश्त के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना बनाई जा रही है;

(ख) इस प्रायोगिक परियोजना को कब और कहां आरम्भ किये जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार की अन्य तटवर्ती राज्यों में इसी प्रकार की परियोजनाएं आरम्भ करने की योजना है और यदि हां, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार सभी तटवर्ती राज्यों में इस प्रकार की परियोजना पर विचार करेगी ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) जी हां। सी० एस० आई० आर० के सैन्ट्रल साल्ट एण्ड मैरीन केमिकल्ज रिसर्च इंस्टीट्यूट (केन्द्रीय लवण और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान) भावनगर द्वारा 1 मई, 1979 से मिथापुर (गुजरात में **एन्टेरोमोर्फा**, जोकि एक समुद्री शैवाल है और जिससे कि क्षयरोग निरोधक औषधि तैयार की जाती है, की खेती करने के लिये एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ किये जाने की आशा है। इस सम्बन्ध में सभी प्रारम्भिक कार्य पूरे कर लिए गए हैं।

फिलहाल मैरीन एल्गल रिसर्च स्टेशन (समुद्री शैवाल अनुसंधान केन्द्र), मंडपम (तमिलनाडु) में समुद्री शैवालों की छोटी-छोटी कल्मों का उपयोग करके उद्योगों की दृष्टि से महत्वपूर्ण

समुद्री शैवालों, जैसे कि एगार तैयार करने वाले शैवालों, की खेती भी की जा रही है। मै० सेल्यूलोस प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लि०, सी० एल० एम०, सी० आर० आई० में गोलिडायला की खेती में कृषि के प्रायोजन द्वारा इस प्रयास में सहयोग कर रहे हैं।

(ग) और (घ) मिथापुर में किए जा रहे प्रायोगिक संयंत्र प्रयोगों के परिणामों का मूल्य-मंकन करने के उपरान्त तटवर्ती क्षेत्रों के लिए इसी किस्म की और अधिक परियोजनाओं को हाथ में लेने की योजना है।

भवन निर्माण में "फ्यूनीक्यूलर शैल्स"

7504. **श्री के० मालन्ना** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेन्टर मद्रास ने फ्यूनीक्यूलर शैल्स का विकास किया है जिससे भवन निर्माण में मजबूती लाने के लिये इस्पात के प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) संरचना इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र (एस० ई० आर० सी०) ने कांक्रीट की दोहरी गोलाई की फ्यूनीक्यूलर शैलों का विकास किया है। आकार आकृति द्वारा मजबूती के सिद्धान्त पर आधारित इन शैलों में संरचना से अधिकतम लाभ उठाने के लिए अल्पतम निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। छोटे आकारों के शैलों के निर्माण में प्रतिबलन की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी, दीवारों अथवा मुख्य बीमों पर छत के आधारों के रूप में प्रयोग किये जाने वाली सहायक खण्डों में प्रतिबलन के लिये लोहे का प्रयोग किया जाता है। पुरानी परम्परागत कांक्रीट बीम और स्लेब प्रणाली की तुलना में इस नई छत और फर्श निर्माण की प्रणाली के मुख्य लाभ इस प्रकार हैं :—

—लोहे की लगभग चालीस प्रतिशत तक बचत।

—लागत में लगभग बीस प्रतिशत तक कमी।

—निर्माण के समय में बचत।

—शटरिंग के प्रयोग में कमी।

औद्योगिक और अन्य इमारतों की छतों में बड़े आकार के कंकरीट के फ्यूनीक्यूलर शैलों के निर्माण में शैल की रचना और सिरे की बीम दोनों में प्रतिबलन के लिए लोहा जरूरी होता है। किनारे के भागों को छोड़कर शैल में प्रतिबलन के लिये लोहे का प्रयोग मामूली होता है। किनारों के भागों के और सिरे की बीम के अलावा बड़े आकार के फ्यूनीक्यूलर शैलों का लोहे के प्रतिबलन के बिना केवल ईंटों के प्रयोग द्वारा निर्माण करना सम्भव है। ईंटों की चलती-फिरती शटरिंग के प्रयोग से फ्यूनीक्यूलर शैल की छत का निर्माण करने में लोहे और सीमेंट की खपत कम होती है और लागत भी कम बैठने के साथ निर्माण कार्य में भी समय कम लगता है।

सिलचर में सेना कर्मचारियों से डाइनामाइट की छड़ें बरामद किया जाना ।

7505. **श्री अहमद हुसैन** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस ने गत 6 महीनों में असम में सिलचर स्थान पर कुछ सैनिको से डायनामाइट की छड़े और डेटोनेटर फ्यूज बरामद किये थे;

(ख) यदि हां, तो बरामदगियों के बारे में ब्यौरा क्या है और ऐसे तत्वों के प्रति सतर्कता को तेज करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार को शक है कि इन अपराधियों का अन्य देशों के शरारती तत्वों के साथ गठजोड़ था और यदि हां, तो इस स्थिति का किस प्रकार से सामना करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा राज्य को आवंटित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के भा० प्र० से०/भा० पु० से० के अधिकारी

7506. **श्री के० प्रधानी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1978 तक उड़ीसा राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कितने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी आबंटित किये गये हैं; और

(ख) सम्बद्ध कैडरों में ऐसे अधिकारियों को कुल संख्या की तुलना में उनका अनुपात क्या है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) 1-1-1979 को स्थिति के अनुसार अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

सेवा का नाम	कार्य कर रहे अधिकारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के अधिकारियों की संख्या	अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारियों की संख्या	कार्य कर रहे अधिकारियों की कुल संख्या से अनुपात	
				अनु० जा०	अनु० ज० जा०
भारतीय प्रशासन सेवा	173	12	4	6.94	2.31
भारतीय पुलिस सेवा×	100	5	2	5.00	2.00

×1977 की परीक्षा के परिणामों के आधार पर सेवा में नियुक्त ऐसे अधिकारी शामिल नहीं हैं जिनके राज्य संवर्गों में आबंटन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है ।

विम्को कारखाने का बन्द होना

7507. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, मद्रास और पोर्ट ब्लेयर स्थित विम्को कारखानों के बन्द होने का खतरा उत्पन्न हो गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कारखानों के इस प्रकार बन्द होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या बहुत बड़ी संख्या में श्रमिकों की आजीविका के प्रश्न को ध्यान में रखते हुए विम्को कारखाने का अधिग्रहण करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विम्को के कार्यों की जांच कराने का विचार है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और समापटल पर रख दी जाएगी ।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी विकास पर व्यय

7508. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **गृह** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन ने आदिवासी विकास के लिए गत दो वर्षों में कुल कितना व्यय किया है;

(ख) डुगांग क्रीक पर कुल कितना व्यय किया गया है और ओंगें लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) गत दो वर्षों से आदि मजनजाति विकास समिति को कुल कितना अनुदान प्राप्त हुआ है और यह धनराशि किस पर खर्च की गई और क्या उपलब्धियां हुई;

(घ) क्य आदिम जनजाति विकास समिति के लेखों की कोई लेखा-परीक्षा की गई थी ; यदि नहीं, तो क्यों नहीं, और यदि हां, तो किसके द्वारा; और

(ङ) आदिवासियों को वितरित उपहारों पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा सूचित व्यय के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

1977-78	49.162 लाख रु०
1978-79	47.702 लाख रु० (जनवरी, 1979 तक) 18,102 आदिवासियों को लाभ पहुँचा ।

(ख) डुगांग क्रीक तथा साऊथ बे में ओंगें लोगों की संख्या 112 है तथा उन पर किया गया व्यय इस प्रकार है :—

1977-78	4.796 लाख रु०
1978-79	1.312 लाख रु० (जनवरी, 1978 तक)

(ग) 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान आदिम जनजाति विकास समिति द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता से प्राप्त की गई राशि क्रमशः 3.75 लाख रु० तथा 6.50 लाख रु० थी। समिति द्वारा यह राशि प्रत्यक्ष रूप से तथा सरकारी विभागों के माध्यम से :—

वृक्षारोपण

फलवाटिकाओं

सब्जी उद्यानों

उचित दर दुकानों

ओंगें लोगों के लिए झोपड़ियां

सूअर बाड़ों में सूअरों के रखरखाव

सामाजिक कार्यकर्त्ताओं तथा चिकित्सा कर्मचारीगण

जैसी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खर्च की गई थी।

(घ) वित्तीय वर्ष 1976-77 तथा 1977-78 के लिए समिति के लेखों की प्रशासन के लेखा अधिकारी द्वारा विधिवत लेखा परीक्षा की गई थी। उप महा लेखाकार पोर्ट ब्लेयर की समिति के 1976 से 1979 तक के लेखों की लेखा परीक्षा करने के लिए कहा गया है।

(ङ) 1977-78 के दौरान 5041.43 रु० तथा 1978-79 के दौरान 17,733,30 रु० आदिवासियों के लिए उपहारों तथा शोमपेन्स के लिए राशन की वस्तुओं आदि पर भी खर्च किये गए थे।

साड़ियों का उत्पादन

7509. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के जेतपुर स्थान पर एक लघु उद्योग हाथ से छपी साड़ियों का उत्पादन कर रहा है;

(ख) जेतपुर शहर में इस समय हाथ से छपी साड़ी बनाने वाले ऐसे कितने छोटे-छोटे कारखाने काम कर रहे हैं और उन सभी कारखानों में प्रतिवर्ष लगभग कितनी तथा कितने मूल्य की साड़ियों का उत्पादन करते हैं;

(ग) क्या जेतपुर में बनी हुई हाथ से छपी साड़ियों का अब निर्यात भी किया जाता है; और यदि हां, तो उनका कितनी मात्रा में प्रतिवर्ष निर्यात किया जाता है;

(घ) यदि नहीं, तो इन साड़ियों का निर्यात करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है और इनका निर्यात कब से करने का विचार है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या जेतपुर की साड़ियां भारत में लोकप्रिय हुई हैं और यदि हां, तो उन्हें विदेशों में निर्यात न करने के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इनके निर्यात के लिए कोई योजना तैयार करने का है और यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) 1976 में जेतपुर की हाथ की छपी हुई साड़ियों के बारे में अखिल भारतीय हस्त-शिल्प बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1976 में जेतपुर में हाथ की छपी साड़ियां बनाने वाले छोटे कारखानों की संख्या 400 आंकी गई । हाथ की छपी साड़ियों का वार्षिक उत्पादन 4464 लाख रुपए का आंका गया ।

(ग) से (ङ) जेतपुर की हाथ की छपी साड़ियां भारत भर में काफी लोकप्रिय हैं तथा उनका निर्यात भी किया जा रहा है किन्तु निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । वर्ष 1976-77 में हाथ की छपी साड़ियों का कुल निर्यात 23.97 लाख रुपये का था । जेतपुर साड़ियों के निर्यात संवर्धन हेतु कोई विशेष योजना नहीं है । इन वस्तुओं के निर्यात पर रेलभाड़ा मुक्त मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से नकद पूरक सहायता का प्रावधान है ।

इंडस्ट्रियल ऐक्सपोर्ट एण्ड मार्किटग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (इण्डिया) राजकोट का ज्ञापन

7510. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट एण्ड मार्किटिंग कोआपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (इंडिया) राजकोट (गुजरात) से उनकी सोसाइटी के विकास के लिए ऋण देने के बारे में दिनांक 13 मार्च, 1979 को कोई नया आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है और उससे उसमें क्या शिकायत की गई है;

(ग) सरकारा द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है और क्या करने का विचार है;

(घ) उपरोक्त सोसाइटी को कितने धन की आवश्यकता है और उसमें से तत्काल कितने धन की आवश्यकता है; और

(ङ) इस इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कम-से-कम आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) यह अभ्यावेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा समिति को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने तथा राज्य स्तर के सहकारी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता अपर्याप्त होने के सम्बन्ध में है ।

(ग) से (ङ) समिति ने 55 लाख रुपये की वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था, जिसमें से उनकी तुरन्त आवश्यकताएं 5 लाख रुपये होना बताई गई है । चूंकि सहकारी समितियों का विकास करना राज्य का मामला है तथा राज्य सरकारें योजना आयोग के परामर्श पर अन्तिम रूप दिये गये राज्य योजना आवंटनों में से सहकारी समितियों को सहायता देती है, इसलिए समिति को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से सम्पर्क स्थापित करने की सलाह दे दी गई थी ।

दिल्ली में वेश्यावृत्ति

7511. **श्री युवराज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने गत दो वर्षों में बढ़ती हुई वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) 1977 के 61 मामलों की तुलना में 1978 के दौरान वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम के अधीन 58 मामलों का पता लगाया गया था। इस अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

(i) ध्यान में आने वाले दलालों और वेश्याओं की गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी जा रही है।

(ii) ऐसे अपराध में लिप्त अपराधियों का पता लगाने के लिए साधन जुटाये जाते हैं और आसूचना एकत्रित की जाती है।

(iii) अक्सर छापे मारे जाते हैं और होटलों, रेस्तराओं, और अतिथि गृहों में भी आकस्मिक जांच की जाती हैं।

(iv) ऐसे अपराध पर कार्रवाई करने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा में दुराचार विरोधी विशेष दस्ते की स्थापना की गई है।

दिल्ली में अवैध रूप से शराब बेचा जाना

7512. **श्री युवराज** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में अवैध शराब बेचने के आरोपों में कोई गिरफ्तारियां हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) 1977 और 1978 के दौरान अवैध शराब के व्यापार के सम्बन्ध में दर्ज किए गए मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	दर्ज किये गये मामले	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति	बरामद की गई मात्रा
1977	1219	1271	38169 बोतलें
1978	2100	2188	68760 बोतलें

इस अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) ऐसे अपराधों में लगे हुए और बदनाम क्षेत्रों में रह रहे अपराधियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

(ii) साधन जुटाए जाते हैं और आसूचना एकत्रित की जाती है।

(iii) स्थानीय पुलिस द्वारा सतर्कता के अतिरिक्त दिल्ली पुलिस अपराध शाखा का तस्करी विरोधी दस्ता और आसूचना कक्ष ऐसे अपराधों पर कार्रवाई करते हैं। वे ऐसे स्थानों पर छापों और नाकाबन्दी का आयोजन करते हैं जहां अवैध शराब की बिक्री अथवा तस्करी की जाती है।

(iv) दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 के अधीन अगस्त, 1978 से अवैध शराब बनाने वाले 61 व्यक्ति निष्कासित किये जा चुके हैं;

कालीन उद्योग पर उत्पादन शुल्क के प्रस्तावों का प्रभाव

7513. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पानीपत और सोनीपत में हाथ से बुने जाने वाले कालीन उद्योग पर इस वर्ष के बजट में उत्पादन शुल्क सम्बन्धी प्रस्तावों का विपरीत प्रभाव पड़ा है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं।

(ख) क्या मद्रास से प्रकाशित दिनांक 23 मार्च, 1979 के 'हिन्दू' में 'एक्साइज डिपार्टमेंट वियू हिट्स एन इंडस्ट्री' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ग) क्या इस वजह का किसी अन्य उद्योग पर कोई ऐसा प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या उद्योगों पर इस बजट के प्रभाव को आंकने के लिए कोई अध्ययन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) हस्त शिल्प पर लागू नहीं होता।

(घ) और (ङ) अभी तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या

7514. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में 1961 तथा 1971 के जनगणना रिपोर्टों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों की कितनी-कितनी जनसंख्या रिकार्ड की गई;

(ख) क्या 1971 की जनगणना में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या में कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो इनमें कमी होने के क्या कारण हैं जबकि अन्य जनसंख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) इन लोगों की संख्या में कमी को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उक्त (क) में उल्लिखित विवरण से प्रतीत होगा कि 1971 की जनगणना में अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या में कोई कमी नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ): उक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

1961 तथा 1971 की जनगणना के अनुसार भारत, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित्त जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	जनसंख्या			
	अनुसूचित जातियों की		अनुसूचित जनजातियों की	
	1961	1971	1961	1971
1	2	3	4	5
भारत	64,449,275	80,005,398	30,130,184	38,015,162
1 आन्ध्र प्रदेश	4,973,616	5,774,548	1,324,368	1,657,657
2. असम	731,490	912,557	1,164,641	1,606,648
3. बिहार	6,536,875	7,950,652	4,204,770	4,932,767
4. गुजरात	1,367,255	1,825,432	2,754,446	3,734,422
5. हरियाणा	1,364,136	1,895,933	—	—
6. हिमाचल प्रदेश	643,851	769,572	122,326	141,610
7. जम्मू तथा कश्मीर	284,131	381,277	—	—
8. केरल	1,434,817	1,772,168	212,762	269,356
9. मध्य प्रदेश	4,253,024	5,453,690	6,678,410	8,387,403
10. महाराष्ट्र	2,226,914	3,025,761	2,397,159	2,954,249
11. मणिपुर	13,376	16,376	249,049	334,466
12. मेघालय	1,261	3,887	639,161	814,230
13. मैसूर (कर्नाटक)	3,117,232	3,850,034	192,096	231,268
14. नागालैंड	126	*	343,697	457,602
15. उड़ीसा	2,763,858	3,310,854	4,223,757	5,071,937
16 पंजाब	2,486,812	3,348,217	—	—

1 2	3	4	5	6
17. राजस्थान	3,359,640	4,075,580	2,309,447	3,125,506
18. सिक्किम	@	@	@	@
19. तमिलनाडु	6,067,327	7,315,595	251,991	311,515
20. त्रिपुरा	119,725	192,860	360,070	450,544
21. उत्तर प्रदेश	15,399,881	18,548,916	—	198,565†
22. पश्चिम बंगाल	6,890,314	8,816,028	2,054,081	2,532,969
संघ शासित क्षेत्र				
1. अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	—	14,122	18,102
2 अरुणाचल प्रदेश		339	298,157	369,408
3. चंडीगढ़	14,223	29,073	—	—
4. दादरा तथा नागर हवेली	985	1,332	51,259	64,445
5. दिल्ली	341.555	635,698	—	—
6. गोवा, दमन तथा दीव	—	16,514	—	7,654
7. एल० एम० तथा ए० द्वीपसमूह (लक्षद्वीप)	—	—	23,391	29,540
8. मिजोरम	5	82	261,014	313,299
9. पांडिचेरी	56,846	72,921	—	—

स्रोत: (i) भारत की जनगणना 1961 खंड 1 भारत, भाग-II (क) (II) संघीय प्राथमिक जनगणना उद्धरण।

(ii) भारत की जनगणना 1961, 1969 का पेपर सं० 1

(iii) भारत की जनगणना 1971, शृंखला 1 भाग-II ग (1) सामाजिक और सांस्कृतिक सारणियां।

टिप्पणियां : * नागालैंड राज्य के सम्बन्ध में केवल अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित की गई थी।

@ संविधान (छत्तीसवां संशोधन) विधेयक, 1975 के कारण सिक्किम 26 अप्रैल, 1975 से संविधान के अधीन एक राज्य बना। संबंधित संवैधानिक उपबन्धों के अधीन सिक्किम में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां केवल जून, 1978 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

† 1961 की जनगणना के समय उत्तर प्रदेश में कोई समुदाय अनुसूचित नहीं किया गया था।

अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विकास के बारे में कार्यदल का प्रतिवेदन

7515. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के विकास सम्बन्धी कार्यदल ने मन्त्रालय को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में कार्यदल ने क्या मुख्य शिफारिशें की हैं; और

(ग) उक्त सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु मन्त्रालय ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) कार्यदल के प्रतिवेदन में की गई शिफारिशों का सारांश सदन के पटल पर रखा गया है । कार्यदल ने अपने प्रतिवेदन में अनुसूचित जातियों के लिए आर्थिक विकास कार्यक्रमों के महत्व पर बल दिया है । इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित हैं; राज्य सरकारों और केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगभूत योजना तैयार करना राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगमों की स्थापना करना और उनके लिये केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था करना; विशिष्ट व्यवसायिक दलों जैसे कृषि मजदूरों, सीमान्त और लघु कृषकों, चर्मकारों और अन्य दस्तकारों के लिए निदेशित राज्यों तथा केन्द्र के विकासीय विभागों द्वारा योजनायें तैयार करना और कार्यान्वित करना; प्राथमिक शिक्षा और वयस्क साक्षरता, स्वास्थ्य सेवायें, आधारभूत सुविधाओं सहित आवास जैसे शैक्षिक तथा सामाजिक कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने और जाति रहित समाज के स्वप्न को साकार करने के लिये कार्यक्रम ।

(ग) कार्यदल का प्रतिवेदन राज्य सरकारों और केन्द्रीय मन्त्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है और उनके साथ आगे की कार्यवाही की जा रही है । भारत सरकार ने कई राज्यों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन भी किये हैं जिनमें कार्यदल की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया था । आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मणिपुर, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी ने अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगभूत योजनायें तैयार कर ली हैं, 14 राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम बनाए जा चुके हैं और इन निगमों को केन्द्रीय सहायता के लिए एक योजना हाल ही में आरम्भ की गई है ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल० टी० 4324/79]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आल इण्डिया एसोसिएशन का गठन

7516. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के असैनिक कर्मचारियों ने 1977 में आल इंडिया एसोसियेशन बनाया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस एसोसियेशन को मान्यता देने के लिए मन्त्रालय को जोरदार सिफारिश की गई है;

(ग) क्या विधि विभाग और श्रम मन्त्रालय ने भी अपनी स्वीकृति देने के लिये सिफारिशें की हैं; और

(घ) यदि हां, तो अब तक मान्यता न देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

बिहार सिविल सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर में पदोन्नति

7517. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सिविल सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर में पदोन्नति देने के लिए चयन समिति ने दिसम्बर, 1978 में एक सूची बनाई थी;

(ख) क्या उस सूची में उन अधिकारियों के नाम भी सम्मिलित हैं जिनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप अनिर्णीत पड़े हैं;

(ग) क्या गृह मन्त्रालय ने पत्र संख्या 10/9/69-ऐस्ट (एस० सी० टी०) दिनांक 8 जुलाई 1969 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कैडर में पदोन्नति के लिए चयन सूची में सम्मिलित किये जाने के मामले में सामान्य श्रेणी के अधिकारियों की तुलना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों को कुछ रियायतें देने की व्यवस्था है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/जन जातियों के तथा सामान्य श्रेणी के कुछ योग्य अधिकारियों को जिनके विरुद्ध कोई आरोप अनिर्णीत नहीं हैं, उपेक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान । राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के लिये प्रवर सूची तैयार करने हेतु चयन समिति की एक बैठक 28 तथा 29 दिसम्बर, 1978 को हुई थी ।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा यथा-अनुमोदित प्रवर सूची इस विभाग में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है । अतः प्रवर सूची में शामिल किये गये राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों के नामों के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है ।

(ग) गृह मन्त्रालय के दिनाँक 8 जुलाई, 1969 के पत्र सख्या 10/9/69-स्थापना (अनु० जा०) में दिए गए अनुदेश राज्य सिविल सेवा के उन अधिकारियों पर लागू नहीं हैं, जिनके लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति हेतु प्रवर सूची में शामिल करने के लिए विचार किया जाता है ।

(घ) तथा (ङ): उपर्युक्त (ख) भाग के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मूल्य सूचकांक में शामिल की गई वस्तुयें

7518. **श्री राम विलास पासवान**
श्री कचरूलाल हेमराज जैन } : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित थोक मूल्य सूचकांक में दैनिक प्रयोग की सभी वस्तुयें शामिल की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसमें शामिल की गई वस्तुओं के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या ये वस्तुयें पूरी तरह से वास्तविक मूल्य स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक प्रकाशित किये जाते हैं।

(ख) दैनिक इस्तेमाल की सभी वस्तुयें इसमें शामिल की गई हैं। इन वस्तुओं को दर्शाने वाला विवरण संलग्न हैं। थोक मूल्यों के बुलेटिन की एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) थोक मूल्य सूचकांक (कृषि वस्तुओं के बारे में थोक बाजारों के मूल्य और तैयार वस्तुओं के लिए उत्पादन शुल्क सहित कारखाने से निकलते समय की कीमतें दर्शाता है। थोक कीमतों तथा खुदरा कीमतों में वितरण मार्जिन परिवहन लागत तथा बिक्री कर के कारण आम-तौर पर कुछ अन्तर होता है। श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किये जा रहे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में खुदरा कीमतें दी होती हैं।

विवरण

थोक मूल्यों के सूचकांक में शामिल की गई रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं की सूची

संशोधित श्रृंखला (आधार 1970-71 = 100)

चावल	केला	तोरिया तथा सरसों
गेहूँ	काजू	खोपरा
ज्वार	सेव	सोयाबीन
बाजरा	आम	कच्चा तम्बाकू
जौ	दूध	कोयला
मक्का	घी	कोक
रागी	मक्खन	मिट्टी का तेल
चना	अंडे	पेट्रोल

अरहर
मूंग
मसूर
उड़द
बनस्पति
आलू
शकरकन्दी
प्याज
टेपिओका
टमाटर
फूल गोभी
मटर
फल
संतरा
वनस्पति
मूंगफली का तेल
सरसों का तेल
नारियल का तेल
जिंजेली तेल
करन्डी तेल
माल्ट युक्त आहार
नमक
ग्लुकोज
मृदु पेय
ब्रवरेज
कत्था
सिगरेट
तम्बाकू के अन्य उत्पाद
बीड़ी
सूती कपड़ा (मिल निर्यात)
खादी कपड़ा
हथकरघा एवं
शक्तिचालित करघों का कपड़ा
बुनाई की ऊन
ऊनी कपड़ा

मछली
मांस
काली मिर्च
मिर्च
हल्दी
बड़ी इलायची
अदरक
अन्य मसाला
तथा मसाले
चाय
काफी
सुपारी
कच्ची रुई
मूंगफली
कयर के गलीचे तथा विछावन
कागज
चमड़े के जूते
रबड़ तथा प्लास्टिक
के जूते
टायर
ट्यूब
तैयार भेषज
साबुन
केश तेल
पाउडर टल्क फेस
क्रीम/स्नो
सिंथेटिक डिटर्जेंट
मंजन
टुथ पेस्ट
सोड ऐश
बलीचिंग पाउडर
दियासलाइयां
गिलास
चूड़ियां
फ्लास्क

डिब्बा बन्द दूध
शिशु आहार
डिब्बा बन्द फल
तथा बनस्पति
डिब्बा बन्द मछली
मैदा
आटा
सूजी
बिस्कुट
डबलरोटी
चीनी
खांडसारी
गुड़
—
रेजर ब्लेड
फ्लैग लाइट टार्च
सुखी बैटरी
बिजली के लैम्प
रेडियो रिसीवर/
टेली विजन
घड़ियां तथा
दीवार की
घड़ियां
फाउन्टेन पेन
टुथ ब्रुश
कंघे
ऊनी खादी
रेशम तथा नकली रेशम
के वस्त्र
नायलोन/टेरीन
मिश्रित कपड़ा
क्राकरी
लालटेन
आयल प्रैशर लैम्प
ताले
बर्तन

उद्योगों में हड़ताल करने के अधिकार पर रोक लगाने के बारे में राज्यों द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना

7519. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ उद्योगों, प्रतिष्ठानों और उपक्रमों में हड़ताल करने अथवा आन्दोलन करने के अधिकार पर रोक लगाने के बारे में गत दो वर्षों के दौरान कितने राज्यों ने कानून बनाये हैं अथवा अध्यादेश जारी किये हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक कानून अथवा अध्यादेश की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सम्बद्ध राज्यों द्वारा कानून बनाये जाने अथवा अध्यादेश जारी करने की क्यों आवश्यकता पड़ी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राजनैतिक अथवा सामाजिक संगठनों पर रोक लगाने के बारे में कानून अधिनियमित करना

7520. **डा० राजो सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता पार्टी की चुनाव घोषणा में यह वायदा किया गया था कि सरकार ऐसे कानून बनायेगी जिसके अन्तर्गत किसी भी राजनैतिक अथवा सामाजिक संगठनों पर बिना स्वतंत्र जांच किये रोक नहीं लगायी जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा कानून कब तक अधिनियमित किये जाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारक) अधिनियम, 1967 और इसके संशोधनों के अधीन, यदि सरकार के विचार में कोई एसोसिएशन गैर-कानूनी एसोसिएशन बन गई हो तो वह ऐसी एसोसिएशन को अधिसूचना द्वारा गैर-कानूनी घोषित कर सकती है और ऐसी कोई अधिसूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वाला कोई न्यायाधिकरण, जो "गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) न्यायाधिकरण" के नाम से जाना जायेगा, इसमें की गई घोषणा की पुष्टि न कर दें, न्यायाधिकरण के समक्ष कोई भी कार्यवाहियां न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी।

इसलिये कोई नया कानून बनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

बहुराष्ट्रिक निगमों द्वारा ड्राइसैलों और ड्राई बैटरियों का निर्माण

7521. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ड्राई बैटरी/ड्राई सैलों का निर्माण करने वाले एककों की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ख) प्रमुख निर्माता कौन हैं और प्रत्येक निर्माता की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में बहुराष्ट्रिक निगम अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक ड्राई सैल और ड्राई बैटरियां बना रहे हैं।

(घ) क्या एक जापानी बहुराष्ट्रिक कम्पनी को इस उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) देश में ड्राई बैटरी सैल बनाने वाले एककों की कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता 12,910 लाख है जिसमें मैसर्स यूनियन कारबाईड इण्डिया लि० को जो पूरी तरह से प्रतिरक्षा के उपयोग के लिये है, स्वीकृत की गई 720 लाख की क्षमता भी शामिल है।

(ख) ड्राई बैटरी उद्योग के एककों के नाम तथा उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) एक बहुराष्ट्रिक कंपनी अपने दो एककों में लाइसेंस प्राप्त/पंजीकृत क्षमता से अधिक ड्राई सैल बना रही है।

(घ) तथा (ङ) जापानी बहुराष्ट्रिक कंपनियों की निम्नलिखित भारतीय कंपनियों के साथ, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है, तकनीकी सहयोग और अथवा भागीदारी है :—

क्र० सं०	भारतीय कम्पनी का नाम	विदेशी सहयोगकर्त्ता का नाम	भागीदारी की प्रतिशतता
1.	मै० इंडो नेशनल लिमिटेड, मद्रास	मै० मतसुशिता इलेक्ट्रिक इण्डस्ट्रियल क०, जापान	40%
2.	मै० लखन पाल नेशनल लि०, बड़ौदा	—वही—	40%
3	मै० तोशिखा आनन्द बेटरीज, कोचीन	मै० तोशिखा रे-ओ-बैंक, जापान	40%
4.	मै० पंजाब आनन्द बेटरीज, मोहाली	—वही—	कुछ नहीं

विवरण

लाइसेंस प्राप्त क्षमता सहित फर्मों के नाम

क० सं०	फर्म का नाम	गणना की इकाई	लाइसेंस प्राप्त क्षमता
1.	यूनियन कारबाइड (आई) लि०, कलकता	संख्या दस लाख में	210
2.	—वही— मद्रास	—वही—	60
3.	—वही— हैदराबाद	—वही—	60
4.	एस्ट्रेला बैटरी लि०, बम्बई	—वही—	205
5.	हवेरो इण्डस्ट्रीज लि०, बम्बई	—वही—	72
6.	जीप फ्लैशलाइट इण्ड० लि०, इलाहाबाद	—वही—	222
7.	तोशीबा आनन्द बैटरीज लि०, कोचीन	—वही—	90
8.	पंजाब आनन्द बैटरीज मोहाली (पंजाब)	—वही—	60
9.	लाखनपाल नेशनल लि०, बड़ौदा	—वही—	60
10.	इण्डो नेशनल लि०, नालौर	—वही—	60
11.	जे० के० बैटरीज, भोपाल	—वही—	60
12.	जेसन इलेक्ट्रानिक लि०, गाजियाबाद	—वही—	60
13.	मै० यूनियन कारबाइड इण्डिया लि०, (सुरक्षा के लिए)	—वही—	72
			1291

ग्लैक्सो लेबोरेटरीज, बम्बई को बी 77/600 मिनी कम्प्यूटर सीरीज का आयात करने के लिए लाइसेंस दिया जाना

7522. **श्री एस० आर० दामाणी** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका से बी० 77/600 मिनी कम्प्यूटर सीरीज का आयात करने के लिए सरकार ने ग्लैक्सो लेबोरेटरीज, बम्बई को लाइसेन्स दे दिया है ।

(ख) यदि हां, तो इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) क्या यह सच है कि कम्पनी की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्लैक्सो लेबोरेटीज के पास पहले से ही एक सक्षम आई० बी० एम० कम्प्यूटर है;

(घ) यदि हां, तो नये कम्प्यूटर की आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या नये आयातित कम्प्यूटर की स्थापना से कर्मचारियों की छंटनी होगी और कम्पनी में भावी रोजगार के अवसर समाप्त हो जायेंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) 4, 95, 883 डालर ।

(ग) तथा (घ) इस प्रणाली का आयात आई० बी० एम०-1401 किस्म के पुराने कम्प्यूटर को बदलने के लिए किया गया है । उक्त आई० बी० एम०-1401 किस्म का कम्प्यूटर वर्ष 1967 से कम्पनी द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा है और अब अप्रचलित हो गया है।

(ङ) इस नई कम्प्यूटर प्रणाली के प्रकल्पित अनुप्रयोगों में सामूहिक योजना बनाना, अनुसंधान तथा विकास-कार्य, उत्पादन सम्बन्धी योजना बनाना आदि शामिल हैं । कम्पनी ने आश्वासन दिया है कि इस कम्प्यूटर प्रणाली के आयात के फलस्वरूप वर्तमान कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी ।

पुलिस कान्सटेबलों का वेतनमान

7523 **श्री धर्मबीर वशिष्ठ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस कान्सटेबल को 353.25 रु० का मासिक वेतन मिलता है जबकि हिन्दुस्तान स्टील में एक अकुशल श्रमिक को 460 रु० और गुडइअर इंडिया टायर फैक्टरी अथवा ग्लेक्सो, बम्बई में सफाई वाले को 600 रु० अथवा उसके लगभग वेतन मिलता है;

(ख) इन वेतनों का तर्क क्या है;

(ग) धर्मवीर आयोग ने पुलिस कान्सटेबलों के वेतनमानों को बढ़ाने के सम्बन्ध में किस प्रकार की सिफारिशें की हैं; और

(घ) सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मन्डल) : (क) तथा (ख) सरकार को जानकारी है कि कई राज्यों में कान्सटेबल का वेतन सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र, औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक क्षेत्रों में एक अकुशल कामगार के वेतन की तुलना में कम है । सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र अथवा औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक क्षेत्रों के श्रमिकों के वेतनमानों की अपेक्षा भिन्न आधारों पर निर्धारित किए जाते हैं । ये वेतनमान कई सम्बन्धित तत्वों पर विचार करने के पश्चात् निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) तथा (घ) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुलिस कार्मिकों और कुछ अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों के वेतन ढांचे में एक सम्बन्ध स्थापित करने की सिफारिश भी शामिल है । यह सरकार के विचाराधीन है परन्तु आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय आयोग द्वारा अपनी अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् ही लिया जाएगा ।

हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में लघु कुटीर उद्योगों के कार्यकरण में सुधार लाना

7524. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा, पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में लघु औद्योगिक क्षेत्र तथा कुटीर उद्योगों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा जहां अपेक्षित है, उसके आंकड़े क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

केन्द्रीय उद्योग मन्त्री द्वारा 23 दिसम्बर, 1977 को घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसार जिला उद्योग केन्द्र लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास करने का एक केन्द्र बिंदु है । ये केन्द्र एक ही स्थान पर सेवाएं एवं सुविधाएं प्रदान करेंगे । सरकार ने हरियाणा के लिए 11 हिमाचल प्रदेश के लिये 12 तथा पंजाब के लिये 2 जिला उद्योग केन्द्रों के लिए स्वीकृति दे दी है । हरियाणा में 72 उद्यमियों का पता लगाया गया है तथा नये उद्यमियों को सहायता देने के लिए 90 परियोजना कार्यवृत्त तैयार किये गये हैं। इस अवधि में 42 नये एककों की स्थापना की गई थी जिनमें से 40 लघु एकक हैं तथा 2 दस्तकारी एकक हैं ।

जर्मनी संघ गणराज्य के साझे में कुल मिलाकर 3.85 करोड़ रुपये की लागत से लुधियाना में एक केन्द्रीय औजार कक्ष (टूल रूम) सुविधा स्थापित की जा रही है। जालंधर में एक हस्तटूल संस्थान की अतिरिक्त सुविधा भी स्थापित की जा रही है । ये दोनों केन्द्र इन तीनों राज्यों में स्थित लघु औद्योगिक इंजीनियरी एककों का पर्याप्त तकनीकी समर्थन प्रशिक्षण, परीक्षण तथा सामान्य सुविधाएं देने की व्यवस्था करेंगे ।

केन्द्रीय सरकार ने राज्य शीर्ष समिति तथा हरियाणा में हथकरघा विकास निगम के शेयर पूंजी आधार को सुदृढ़ बनाने हेतु 10 लाख रुपये की सहायता देने की स्वीकृति प्रदान की है । राज्य के लिये एक गहन तथा एक निर्यात उत्पादन परियोजना की स्वीकृति दी गई है । अभी तक गहन परियोजना के लिये 60.24 लाख रुपये तथा निर्यात उत्पादन परियोजना के लिये 20 लाख रुपये राज्य सरकार को दे दिये गये हैं। हिमाचल प्रदेश में 165 उद्यमियों का पता लगाया गया है तथा 238 परियोजना कार्यवृत्त तैयार किये गये हैं । 80 नये औद्योगिक एककों की स्थापना की गई है । केन्द्र सरकार ने ऋण के रूप में 7 लाख रुपये दिये हैं । ताकि राज्य सरकार हथकरघा विकास निगम के शेयर पूंजी के आधार को सुदृढ़ बना सके । एक निर्यात उत्पादन परियोजना की स्वीकृति दी गई है और इस उद्देश्य के लिये राज्य को 20 लाख रुपये की राशि दी गई है ।

पंजाब में 276 उद्यमियों का पता लगाया गया है तथा 23 परियोजना कार्यवृत्त तैयार किये गये हैं । साथ ही, 396 नये औद्योगिक एककों की स्थापना की गई है जिसमें 218 दस्तकारी एकक तथा 178 लघु एकक हैं । बुनकरों को शेयर पूंजी सहायता देने तथा सहकारीता समितियों के सदस्य बनाने के लिये राज्य सरकार को 5 लाख रुपये का एक ऋण दिया गया है । इस प्रकार राज्य में 23 नई हथकरघा बुनकर सहकारी समितियां आयोजित की गई हैं । केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को राज्य शीर्ष समिति तथा हथकरघा विकास निगम के शेयर पूंजी के आधार को सुदृढ़ बनाने के लिये ऋण के रूप में 20 लाख रुपये की स्वीकृति दी है । राज्य के लिये एक राज्य उत्पादन परियोजना की मंजूरी दी गई है तथा इस प्रयोजन के लिये केन्द्र द्वारा राज्य सरकार को 10 लाख रुपये की राशि दे दी गई है ।

पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय हस्तकला बोर्ड द्वारा हाथ में लिये गये अथवा प्रस्तावित विकास के महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) उपर्युक्त राज्यों में 1978-79 के अंत तक गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करके तथा उत्पादन एवं रोजगार के आधार को विशद करने हेतु अखिल भारतीय आधार पर गलीचा बुनाई का एक वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है, जो इस प्रकार है :—

राज्य	बोर्ड द्वारा सीधे ही स्थापित किये गये केन्द्रों की संख्या	राज्य निगम द्वारा चलाये जा रहे केन्द्रों की संख्या
1. हरियाणा	7	—
2. पंजाब	3	10
3. हिमाचल प्रदेश	3	17

वर्ष 1979-80 में इन राज्यों में निम्नलिखित नये बुनाई केन्द्रों की स्थापना करने का विचार है।

राज्य	निगम द्वारा 1979-80 के दौरान स्थापित करने हेतु प्रस्तावित केन्द्रों की संख्या
1. हरियाणा	10
2. पंजाब	30
3. हिमाचल प्रदेश	10

प्रत्येक केन्द्र में 50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

(2) रेवाड़ी (हरियाणा) में 35 प्रशिक्षणार्थियों को गलात्मक धातुशिल्प में प्रशिक्षण देने के लिये शीघ्र ही एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला जा रहा है। धातु शिल्प के और अधिक उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करने की आवश्यकता साथ ही, पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना के विषय में भी अध्ययन किया जा रहा है।

(3) जहां तक लकड़ी तथा हाथी दांत की हस्तकारी का सम्बन्ध है, होशियारपुर (पंजाब) में छः प्रशिक्षणार्थी 16 फरवरी, 1979 से दो वर्षों की अवधि के लिये आंतरिक कार्य करने हेतु शिषिक्ष प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण ले रहे हैं।

(4) दस्तकारों को हस्तकला की वस्तुओं का विपणन करने, कच्चे माल की प्राप्ति/वितरण करने हेतु हस्तशिल्प बोर्ड ने पंजाब, तथा हरियाणा के राज्य लघु उद्योग

निगमों को शेयर पूंजी सहभागिता के रूप में क्रमशः 15 लाख रुपये तथा 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

समेकित कपड़ा नीति की उपलब्धियां

7525. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित कपड़ा नीति घोषणा दिनांक 7 अगस्त, 1975 को परिणामस्वरूप गत 6 महीनों में विशेषरूप से हथकरघा और खादी क्षेत्रों में किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त की गईं; और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों की "क्लोदियर्स टू दी मासेज" (जन साधारण) के लिए कपड़ा जुटाने वालों के रूप में क्या भूमिका रही।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) नीति सम्बन्धी विवरण की घोषणा 7 अगस्त, 1978 को कर दी गई थी किन्तु सच पूछा जाये तो वस्त्र जैसे बिखरे हुए क्षेत्र में कितनी उपलब्धि हुई इसकी मात्रा बताने के लिये यह समय बहुत कम है, फिर भी यह तो कहा ही जा सकता है कि मंदी की पहले वाली स्थिति से अब वस्त्र की अर्थव्यवस्था में एक मोड़ आ गया है। संगठित क्षेत्र में धागे के उत्पादन में 9.45 प्रतिशत तथा कपड़े के उत्पादन में 2.21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह स्वयं इस बात का संकेत है कि हथकरघा क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई है। संगठित क्षेत्रों में करघों की क्षमता पर रोक लगा दी गई है। कंट्रोल के कपड़े के नए नमूने को कार्यान्वित कर दिया गया है। कच्चे माल के सम्बन्ध में भारतीय कपास निगम ने मध्यवर्ती स्टाक चलाने तथा एन० टी० सी० एवं गैर-एन० टी० सी० मिलों को सप्लाई करने हेतु अधिक खरीदारी करने की अपनी अतिरिक्त भूमिका अदा की है। निगम ने अपने खरीद केन्द्र बढ़ा दिए हैं तथा वह सूत की 8 लाख गाठें प्राप्त कर चुका है।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन करने में अपना प्रभावशाली अंशदान किया है। इन सब के साथ-साथ मोटे एवं मध्य श्रेणी के कपड़े के उत्पादन की वर्तमान व्यवस्था से उसे "जनता वस्त्र बनाने वाले" की भूमिका अदा करने वाला कहा जाने लगा है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम में उत्पादन स्तर 95 करोड़ मीटर तक बढ़ गया है और उसके अपने इतिहास में निगम को सर्वप्रथम नकद राशि का लाभ हुआ है।

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ द्वारा आरम्भ की गई परियोजनायें

7526. **श्री ए० के० साहा**
श्री भगत राम } : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन, चंडीगढ़ ने वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान कितनी परियोजनाएं आरम्भ की थीं तथा प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इसमें से कितनी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं तथा उनमें से कितनी परियोजनाओं का उद्योग ने वाणिज्यिक उपयोग आरम्भ कर दिया है तथा शेष परियोजनाओं की क्या स्थिति है;

(ग) पहले वर्षों की अधूरी परियोजनाओं की परियोजनावार स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन पर प्रतिवर्ष कुल कितनी धन राशि खर्च की जाती है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के समा-पटल पर रख दी जायेगी।

पंजाब विद्युत बोर्ड को जिलेटिन सप्लाई

7527. **चौधरी बलबीर सिंह** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब बिद्युत बोर्ड द्वारा शाहनान एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के लिए मैसर्स इन्डियन डिटोनेटर्स लि० को 2½ टन जिलेरिन विस्फोटक पदार्थ सप्लाई करने हेतु आर्डर दिया गया था; और

(ख) क्या सप्लाई में विलम्ब किया गया, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) देश में उत्पादित औद्योगिक विस्फोटकों के वितरण पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। स्वदेशी उत्पादनकर्ता उनके द्वारा बनाये गये प्राथमिकता मानदंडों के आधार पर विस्फोटकों का वितरण करते हैं। मैसर्स इन्डियन डेटोनेटर्स लि० (जिसे मैसर्स आई० डी० एल० कैमीकल्स लि० के नाम से जाना जाता है) स्लरी टाइप के औद्योगिक विस्फोटकों का उत्पादन करते हैं न कि जिलेटिन विस्फोटकों का।

आयात प्रतिस्थापन उत्पादों का निर्माण करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी का निर्यात करने की योजनाओं वाले उद्योगों को रियायतें दिया जाना

7528. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आयात प्रतिस्थापन उत्पादों का निर्माण करने और स्वदेशी प्रौद्योगिकी का निर्यात करने की योजनाओं वाले उद्योगों को और सुविधाएं तथा रियायतें देने पर विचार कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : आयात प्रतिस्थापना के क्षेत्र में नई वस्तुओं को बढ़ावा देने हेतु आयात नीति में आयात पर प्रतिबंध लगाने पर, विशेषकर विकासशील उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु, विचार किया गया है। आयात प्रतिस्थापन पुरस्कार बोर्ड प्रति वर्ष उन व्यक्तियों व संगठनों को पुरस्कार देता है जो आयात प्रतिस्थापन हेतु वस्तुओं का विकास करते हैं। देशी प्रौद्योगिकी के विकास एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित प्रोद्यौगिकी द्वारा स्थापित उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना तथा वाणिज्यिक विदोहन हेतु देशीय अनुसंधान व विकास के परिणामों के उपयोग जैसे कुछ कदम नीति स्तर पर उठाए गए हैं।

वस्त्र, पटसन, चीनी, चमड़ा, खाद्य सामग्री के डिब्बों, हल्के इंजीनियरी उत्पादों, आटोमोटिव हिस्से-पुर्जों, बिजली के सहायक सामानों आदि के क्षेत्रों में स्थानीय फर्मों के सहयोग से भारतीय उद्यमियों द्वारा विदेशों में स्थापित किए गए औद्योगिक एकक प्रोद्योगिकी के निर्यात के प्रमाण हैं। चीनी मिलों, सीमेंट मिलों, वस्त्र मिलों, कोक ओवन संयंत्रों, थर्मल वायलरों, अधिक टेंशन व अतिरिक्त अधिक टेन्शन वाली विद्युत पारेषण लाइनों, बिजली के उप-स्टेशनों व नगरों और कारखानों में साधारणतया बिजली पहुंचाने जैसे क्षेत्रों में परामर्श, डिजाइन व इंजीनियरी सेवाओं सहित परियोजनाओं व प्रौद्योगिकी का निर्यात किया गया है। विदेशों विशेषकर फारस की खाड़ी व मध्य पूर्वी देशों के साथ भारतीय संगठनों द्वारा हवाईअड्डे, रेलवे, आवास, हस्पताल आदि के लिए किए गए बड़े नागरिक इंजीनियरी ठेकों पर काम चल रहा है।

भारतीय परियोजना निर्यात और भारत व अन्य विकासशील देशों में संयुक्त उद्यम को आपसी सहयोग व लाभप्रद व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाने वाले तन्त्र के बढ़ते हुए महत्व को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने हाल ही में विदेशों में संयुक्त उद्यमों में विनियोग करने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को उदार बनाया है। विदेशी विनियोग हेतु राजनैतिक जोखिम को पूरा करने हेतु निर्यात ऋण गारंटी निगम ने भी सितम्बर, 1978 में एक विदेशी विनियोग बीमा योजना शुरू की है। भारतीय औद्योगिक बैंक भी अपनी बिल पुनर्कटौती योजना के माध्यम से ऐसे संयुक्त उद्यमों के प्रवर्तकों को उचित सहायता दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत निर्यात कार्य हेतु विदेशों में संयुक्त उद्यम कंपनियों की इक्विटी के समक्ष आस्थगित भुगतान की शर्तों पर देशी मशीनें खरीदी जा सकती हैं।

अब तक के अंतराल को पूरा करने व इस बारे में सरकार की नीति के संदर्भ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने विदेशों में संयुक्त उद्यमों के प्रवर्तकों द्वारा विदेशों में विनियोग करने के लिए वित्त प्रदान करने हेतु, चाहे वह इंजीनियरी वस्तुओं, मशीनों और पूंजीगत, उपकरणों के निर्यात के रूप में हो या इक्विटी में उनके अंशदान के समक्ष नगद राशि के रूप में हो, 'विदेश विनियोग वित्त योजना" शुरू की है। यह योजना 15 मार्च, 1979 से शुरू की गई है।

सोवियत अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों के एक दल का दौरा

7229. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **अन्तरिक्ष** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या बंगलौर में किये जा रहे भारत के दूसरे उपग्रह के परीक्षणों में भाग लेने के लिए सोवियत अन्तरिक्ष वैज्ञानिकों का एक दल हाल ही में वहां आया है ?

रक्षा मन्त्रालय तथा परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : जी, हां।

सोयाबीन उद्योग स्थापित करने के लिए मोदीयान लि० का आवेदन पत्र

7530. **श्रीमती मृणाल गोरे** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक एकीकृत सोयाबीन परिष्करण संयंत्र की स्थापना करने के लिए उद्योग विभाग को एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है; और

(ग) क्या सोयाबीन पर आधारित उद्योगों सम्बन्धी एककों की स्थापना के लिए औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी अपने मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सरकार ने परिवर्तन किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी हां ।

पुलिस अधिकारियों को केन्द्रीय फारेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण

7531. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या उक्त प्रयोगशाओं में पुलिस अधिकारियों को फारेंसिक विज्ञान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) केन्द्रीय फारेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालाओं को मूलरूप में अपराधों की जांच में वैज्ञानिक सहायता के लिए नमूना प्रयोगशाला के रूप में स्थापित किया गया था । इन प्रयोगशालाओं को दैनिक आधार पर प्रदर्शित आपराधिक मामलों की जांच करने और वैज्ञानिक सलाह देने के लिए वैज्ञानिक उपकरण दिये गये हैं। राज्यों में ऐसी ही श्रृंखलाबद्ध प्रयोगशालाओं के स्थापित किए जाने से केन्द्रीय फारेन्सिक विज्ञान प्रयोगशालायें अधिकांश रूप से अनुसंधान कार्य में लगी हैं ।

(ख) जी नहीं श्रीमान् । किन्तु पुलिस अधिकारियों को राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों और भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में भी फारेन्सिक मेडिसिन में प्रशिक्षण दिया जाता है। अपराध विज्ञान तथा फारेन्सिक विज्ञान संस्थान में फारेन्सिक पुलिस अधिकारियों के साथ अन्य लोगों के लिए भी सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया है।

मैसर्स सेन रेले द्वारा नई साइकिल का उत्पादन

7532. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन रेले कम्पनी, जिसका प्रबन्ध सरकार के हाथों में है, एक माडल की बाइसिकल का उत्पादन कर रही है जो ग्रामीण जनता की आवश्यकताओं को पूरा करेगी; और

(ख) यदि हां, तो उस बाइसिकल का मूल्य कितना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ग) कारखाने से निकलते समय का प्रति साइकल मूल्य लगभग 280 रु० है ।

प्रौद्योगिकी का कम प्रसार

7533. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ**: क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण निर्धनता का एक कारण प्रौद्योगिकी का कम प्रचार है, यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) देश के उन्नत राज्यों ने किस प्रकार की प्रौद्योगिकी प्रगति की है और उसे अविकसित राज्यों को अन्तरित करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) और (ख) कम उत्पादकता के कारणों में से एक कारण है, कृषि और ग्राम उद्योगों में अपनाया गया शिल्प विज्ञान का सामान्य स्तर, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में कम आय होती है। विशेष रूप से अधिक उपज देने वाली किस्मों, जल प्रबन्ध, उर्वरकों के उपयोग, आदि के सम्बन्ध में उन्नत शिल्प विज्ञान को अपना करके कृषि उत्पादन में वृद्धि की दिशा में पर्याप्त प्रगति की जा चुकी है। वैज्ञानिक कृषि के शिल्प विज्ञान के अधिक विस्तृत प्रकीर्णन को सुनिश्चित करने के लिए अनेक उपाय किये जा रहे हैं, जैसे कृषि विस्तार सेवाओं में वृद्धि, विस्तार कार्यकर्त्ताओं और किसानों का आवधिक प्रशिक्षण, प्रदर्शन, आदि। लघु और ग्राम उद्योगों के क्षेत्र में विज्ञान और शिल्पविज्ञान के कार्यक्रमों को बढ़ाने के अलावा जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के रूप में एक प्रमुख उपाय किया गया है, जिससे ग्राम उद्योगों की शिल्पविज्ञान सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी होंगी और उसका प्रकीर्णन हो सकेगा।

अमरीका द्वारा सप्लाई की गई सामग्री के बारे में न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन का दृष्टिकोण

7534. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन**
प्रो० समर गुह } : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका के न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशन ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि यदि अमरीका सरकार तारापुर सन्यन्त्र सम्बन्धी करार की एकतरफा समाप्ति कर देती है तो भी भारत अमरीका डुमेस्टिक लेजिस्लेशन के अधीन अमरीका द्वारा सप्लाई की गई सभी सामग्रियों हेतु निर्धारित सुरक्षा-उपबन्धों का पालन करने को बाध्य होगा;

(ख) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1979 के 'हिन्दू' में 'दिल्ली सरप्राइज्ड एट० एन० आर० सी० एग्रीमेंट' शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समाचार में कही गई बातों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) न्यूक्लियर रेगुलेटरी कमीशनरों ने यह मत व्यक्त किया है कि यदि भारत अमरीका के उस नये कानून का पालन नहीं करता है, जिसके अनुसार समूची सेफगार्ड-व्यवस्था का लागू होना आवश्यक है, तो अमरीका तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए ईंधन देने की अपनी संविदागत बाध्यता से मुक्त हो जायेगा और भारत के पास सेफगार्ड-व्यवस्था के समाप्त करने का कोई आधार नहीं रहेगा।

(ख) जी, हां।

(ग) भारत सरकार का मत यह है कि तारापुर के लिए ईंधन की सप्लाई रोके जाने का अर्थ यह होगा कि अमरीका ने सहयोग करार को वस्तुतः तोड़ दिया है, तथा ऐसी स्थिति में,

भारत करार की प्रतिबन्धात्मक धाराओं का, जिनमें सेफगार्ड-व्यवस्था लागू होना भी शामिल है, पालन करने के लिए बाध्य नहीं रहेगा ।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वित्तीय सहायता

7535. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति
श्री निहार लास्कर } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को अपने फालतू कल पुर्जों के बैंक में कल पुर्जों का स्टाक बढ़ाने के लिए कुछ और धनराशि देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए 8.05 करोड़ रुपयों की राशि 'रिलीज' की जा चुकी है;

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स को कितनी धनराशि दी जाएगी; और

(घ) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स क्या-क्या पुर्जे खरीदेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) भारत सरकार ने भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी० एच० ई० एल०) को रूस और अमरीकी मूल के गैर बी० एच० ई० एल० मेक के तापीय जनित्रण सेटों के लिए जो देश में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों और विद्युत प्रदाय उपक्रमों में चालू है, फालतू पुर्जों की खरीद के लिए ब्याज धारक ऋण देने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए अब तक 12.55 करोड़ रुपये की कुल राशि दी गई है। 4.5 करोड़ रुपये की राशि 1976-77 में दी गई थी और 8.05 करोड़ रुपये की राशि मार्च, 1979 में दी गई थी ।

(ग) बी० एच० ई० एल० को फालतू पुर्जे खरीदने, स्टाक करने और जारी करने और स्टाक का मानीटरिंग करने का काम सौंपा गया है। बिजली बोर्डों द्वारा फालतू पुर्जों के लिए चुकाये जाने वाले मूल्य के बारे में नीति की इस समय जांच की जा रही है ।

(घ) उपयोग करने वाले विद्युत बोर्डों की बिक्री करने के लिए 50 मे० वा० और 100 मे० वा० के रूसी मेक के और 62.5 मे० वा० के जनरल इलेक्ट्रिक/यू० एस० ए० मेक के तापीय जनित्रण सेटों के लिए बी० एच० ई० एल० अधिकांशत: फालतू पुर्जों की खरीद करेगा ।

हिन्दी जानने वाले राजपत्रित अधिकारियों को अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धि दिया जाना

7536. **श्री मोहन लाल पिपिल** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी की कार्य योग्य जानकारी न रखने वाले सभी केन्द्रीय सरकार अधिकारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत निर्धारित परीक्षायें पास करनी आवश्य हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन परीक्षाओं में सफल रहने वाले कर्मचारियों को अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धियां दी जाती हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि राजपत्रित अधिकारियों को भी अग्रिम वार्षिक वृद्धियां पाने के हकदार बनाया गया है यदि हां, तो कब से; और

(घ) क्या इस तिथि से पहले इन परीक्षाओं में सफल रहने वाले राजपत्रित अधिकारी अग्रिम वार्षिक वेतन वृद्धियां पाने के हकदार नहीं हैं; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रपति के 27 अप्रैल 1960 के आदेश के अन्तर्गत, हिन्दी का सेवा कालीन प्रशिक्षण, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, औद्योगिक संस्थानों के कर्मचारियों और कार्य प्रभारित कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए बाध्यकर हैं। पदों की ड्यूटियों के अनुरूप, सभी कर्मचारियों को निर्धारित स्तर की हिन्दी परीक्षा-प्रबोध, प्रवीण या प्राज्ञ पास करनी होती है। परीक्षाओं में सफल होने वाले कर्मचारियों को अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करने पर, विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाते हैं, जिसमें एक वेतन वृद्धि के बराबर 12 महीने के लिए वैयक्तिक वेतन भी शामिल है।

(ग) और (घ) जिन राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्राज्ञ का स्तर निर्धारित हैं वे जून 1973 में हुई प्राज्ञ परीक्षा से और जिनके लिये प्रवीण का स्तर निर्धारित है वे दिसम्बर, 1973 में हुई प्रवीण परीक्षा से ऊपर उल्लिखित वैयक्तिक वेतन के पात्र माने गये हैं। विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहनों को उनसे सम्बन्धित आदेश जारी होने की तारीख से ही प्रभावी माना जाता है। ऐसे आदेश, स्वीकृति के समय निश्चित प्रावधान के अभाव में, पूर्व प्रभावी नहीं होते।

सीमा सुरक्षा बल के जवानों का बर्खास्त किया जाना

7537. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा सुरक्षा दल के बटालियन 72 के ऐसे जवानों की कुल संख्या कितनी हैं जिनको दिसम्बर, 1977 से फरवरी, 1979 तक नौकरी से बर्खास्त किया गया और स्वेच्छा से निवृत्त हुए और डाक्टरी दृष्टि से अयोग्य होने के कारण सेवा से निकाले गये जवानों की संख्या कितनी है; और

(ख) इन कर्मचारियों की, प्रत्येक मामले में, नौकरी कितने वर्ष की हो चुकी है और उनका शेष सेवाकाल कितना कितना है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क)	(i)	सेवा से बर्खास्त किये गए जवानों की कुल संख्या	3
	(ii)	स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए जवानों की कुल संख्या	38
	(iii)	डाक्टरी आधार पर सेवा से हटाये गये जवानों की कुल संख्या	11

(ख)1 (i) उपर्युक्त (क) (i) में उल्लेखित कार्मिकों द्वारा 4,7 और 15 वर्ष ।

(ii) (क) (ii) में उल्लेखित 38 कार्मिकों के से 20 कार्मिकों ने 20 से 23 वर्ष तक और 18 कार्मिकों ने 23 से 25 बर्ष तक सेवा की है ।

(iii) उपर्युक्त (क) (iii) पर उल्लेखित 11 कार्मिकों में से 10 कार्मिकों ने 7 से 18 वर्ष तक और 1 व्यक्ति ने 25 वर्ष तक सेवा की है ।

2. (i) (क) (i) पर उल्लेखित वर्ग के लिए 31, 28 और 20 वर्ष ।

(ii) (क) (ii) पर उल्लेखित वर्ग के लिये 20 कार्मिकों को अभी 13 से 15 वर्ष तक सेवा करनी थी और शेष 18 को 10 से 12 वर्ष तक ।

(iii) उपर्युक्त क (iii) पर उल्लेखित वर्ग के लिए 10 व्यक्तियों को अभी 17 से 28 वर्ष तक और शेष 1 व्यक्ति को 10 वर्ष सेवा करनी थी ।

सीमा सुरक्षा बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस/केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की संख्या

7538. **श्री रामानन्द तिवारी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1978 को सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कर्मचारियों की मंजूरशुदा संख्या कितनी है; और

(ख) प्रत्येक बल में राजपत्रित अधिकारियों व अराजपत्रित कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) :

		बी० एस० एफ	सी० आर० पी० एफ०	सी० आई० एस० एफ०
(क)		84833	73712	35990
(ख)	राजपत्रित	1572	1090	371
	अराजपत्रित	83261	72622	35619

वर्ष 1981 में जनगणना करने के लिये उठाये गये कदम

7539. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 में जनगणना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ख) जनगणना के समय किन-किन अतिरिक्त पहलुओं सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जाएगी; और

(ग) क्या जनगणना में आर्थिक पहलुओं तथा आंकड़ों पर अधिक जोर दिया जाएगा ताकि आयोजन के लिए अधिक सही आंकड़े एकत्रित हो सके ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (ग) 1981 में जनगणना की जानी है और उससे काफी पहले प्रारम्भिक सर्वेक्षण शुरू किया जाएगा । यह विचाराधीन है कि क्या केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा 1982 के लिए निर्धारित आर्थिक जनगणना का

जनसंख्या जनगणना के गृहसूचीबद्ध करने के कार्य के साथ समन्वित किया जा सकता है ? यह भी विचार है कि आगामी जनगणना के दौरान शिक्षा, रोजगार की अवधि, कुल जनन-क्षमता, शारीरिक रूप से विकलांग लोग, पीने का पानी, सफाई और बिजली, मकान के लिए स्थान, प्रव्रजन, राष्ट्रीयता आदि जैसी मदों के सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जानी चाहिए ।

लघु उद्योगों के उत्पादन के लिए आरक्षित मदों के उत्पादन में वृद्धि और कमी

7540. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 और 1978-79 में केवल लघु उद्योग के उत्पादन के लिए आरक्षित 600 अतिरिक्त मदों के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है; और 1979-80 में इसमें कितनी वृद्धि की संभावना है;

(ख) उन मदों के नाम क्या हैं जिनके उत्पादन में आरक्षण के कारण कमी हुई है; और

(ग) उन मदों के नाम क्या हैं जिनके उत्पादन में वृद्धि हुई है और उन वस्तुओं के नाम क्या हैं जिनका बिल्कुल उत्पादन नहीं हुआ है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जिन अतिरिक्त वस्तुओं का आरक्षण लघु क्षेत्र में किया गया है उन वस्तुओं के उत्पादन के आरक्षण के प्रभाव को अभी बताना समय से पूर्व होगा । चूंकि लघु एककों द्वारा प्रत्येक माह के उत्पादन को बताने की कोई औपचारिक पद्धति नहीं है । आरक्षण के प्रभाव को आंकने के लिये एक अथवा दो वर्ष बीत जाने के बाद आरक्षित वस्तुओं की समीक्षा की जाती है । 1977-78 के पूर्व आरक्षित 116 उद्योगों के मामले में उनकी समीक्षा करने से पता चला है कि 96 उद्योगों के प्रकरण में, जिनमें सामान्य (जेनेरिक) औद्योगिक समूह भी शामिल हैं, 1978 के अन्त तक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई हैं। जिन उद्योगों की समीक्षा की गई है तथा जिन उद्योगों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, उनकी सूची संलग्न हैं ।

विवरण

31-12-1978 तक की आरक्षित उद्योगों की सूची (× महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है)

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
1.	×	टीन के कनस्तर (डिब्बे)
2.	×	ए० सी० एस० कण्डक्टर्स
3.	×	आटोलीफ स्प्रिंग
4.	×	ड्रम तथा बैरल
5.	×	लकड़ी के पेच (स्क्रू)
6.	×	हरीकेन लालटेने
7.	×	पेन्ट तथा वार्निश

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
8.	×	पी० वी० सी० पादुकाएं
9.	×	बा० टेंशन इंसुलेटर
10.	×	मिनिएचर बल्ब
11.	×	आटोमोबाईल रेडिएटर
12.	×	साइकिलों के टायर व ट्यूब
13.	×	पोटाशियम सिलिकेट
14.	×	सोडियम सिलिकेट
15.	×	रंजक पदार्थ
16.	×	इलैक्ट्रिक हार्न (बिजली के भौंपू)
17.	×	जिंक आक्साइड
18.	×	कैल्शियम सिलिकेट
19.	×	हाईफोडर्मिक सुइयां
20.	×	काजू के छिलके का तेल उद्योग
21.	×	सभी प्रकार की रिबेटें
22.	×	थर्मामीटर
23.	×	रबड़युक्त कपड़ा
24.	×	टायर इन्फ्लेटर
25.	×	सेव का तेल (मिश्रित योजनाओं के लिये केवल)
26.	×	बाइक्रोमेट्स
27.	×	घरेलू गर्तन (स्टनलेस स्टील उद्योग को छोड़कर)
28.	×	प्लास्टिक बोर्ड उद्योग
29.	×	टेलिस्कोपिक एरियल
30.	×	मशीन शोप वाइसेज
31.	×	मीटल क्लेड स्विच उद्योग
32.	×	दस्ती नम्बरिंग मशीन
33.	×	मशीन के पेच (स्क्रू)
34.	×	घरेलू विद्युत उपकरण उद्योग
35.	×	स्टील वूल
36.	×	दियासलाई
37.	×	दस्ती स्टैंपिंग मशीन
38.	×	नट तथा बोल्ट उद्योग
39.	×	कागज से उत्पाद बनाने वाले उद्योग
40.	×	विद्यार्थियों के लिए माइक्रोस्कोप (खुर्दबीनें)
41.	×	तीलियां तथा निपलें
42.	×	हाइड्रालिक जैक

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
43.	×	सर्जिकल दस्ताने
44.	×	एक्सपेडेंन्ड मैटल
45	×	बीम स्केल्स
46.	×	पी० वी० सी० तारें व केबलें (घरेलू टाइप की)
47.	×	लकड़ी के पेच (परिशोधित)
48.	×	पानी के मीटर (संशोधित)
49.	×	चमड़े की पादुकाएं
50.	×	गन मैटल बुश
51.	×	विंड शील्ड वाइपर्स
52.	×	कपड़े धोने का साबुन उद्योग
53.	×	तार तथा रेशों के ब्रुश
54.	×	पेंडर स्पूर तथा हथौड़ा उद्योम
55.	×	नापने के सूती कपड़े के टेप
56.		नापने के स्टील वाले टेप
57.	×	टूथपेस्ट उद्योग
58.	×	बसों तथा ट्रकों की सीटें
59.	×	आर्मेचर टेस्टर
60.	×	विद्युत वायरिंग के सहायक सामान तथा लाइट के लिये
61.	×	एक्जॉस्ट माफलर्स
62.	×	कुट्टी काटने के ब्लेड
63.	×	कंटीली तारें
64.	×	छत व फर्श चमकीली ईंटें (टाइलें)
65.		कैंबर टैस्टिंग उपस्कर
66.	×	वाल्व लिफ्टर
67.	×	वैल्ड किए हुए तारों की जाली
68.	×	टायर बाल्वों को निकालने वाले औजार
69.	×	फ्यूल लाइन
70.	×	हब कैप
71.	×	ट्रक बाड़ी का निर्माण
72.		ट्यूब कटर
73.	×	कमरा शीतक
74.	×	पटाखे
75.	×	प्लास्टिक के हल्के बैटरी केस
76.	×	फार्मूलेटेड परफ्यूमरी कंपाउन्ड्स
77.	×	पाम रोजा तेल

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
78.	×	4 कि० ग्राम तक के प्रेसर डाइ कास्टिंग
79.	×	प्रैसर-गेज
80.	×	स्पार्क प्लग क्लीनर्स तथा टैस्टर्स
81.	×	ग्लास होरोवर्स
82.	×	कीटनाशक छिड़कने तथा स्प्रे करने का यंत्र
83.		स्क्रू एक्सटेंक्टर्स
84.	×	सभी प्रकार के पुलर
85.	×	हार्न बटन
86.	×	टेल, साइड, स्टोप व स्पाट लैम्प को जोड़ने का सामान
87.	×	बैटरी टर्मीनल लिफ्टर्स
88.	×	बैटरी के बल्ब फिटिंग्स
89.	×	बल्ब हार्न
90.		घरेलू बुनाई मशीनें
91.		स्टार्ड रिमूवसी (एक्सटैंक्टर्स)
92.		फ्लेरिंग औजार
93.	×	रिंग कम्प्रेसर्स
94.	×	गियर-फ्लशर्स
95.	×	तार का उत्पाद
96.	×	ग्रार्नामैंटल फिटिंग्स
97.	×	रोलिंग शटर्स
98.		टाय-इन-गेजेज
99.		रिंग एक्सपेंडर्स
100.	×	सन वाइसर
101.	×	सामान ढोने वाली मशीनें
102.	×	मेटेलिक कंडक्ट पाइप
103.	×	एश टायर
104.	×	रिटर के शीशे
105.	×	सब शेड्स
106.	×	वस्त्र तथा चमड़े की वस्तुओं के लिए
107.	×	फ्लेमिंग टूल
108.	×	ग्रीस गोंद तथा धातु की फिटिंग्स
109.	×	मीटरिक तौलने के बाट
110.	×	इलै० फ्यूज तथा फ्यूज बक्से
111.	×	प्लास्टिक प्रोसेस्ड उत्पादन

क्र० सं०		उद्योगों का नाम
112.		फ्लीयर गेज
113.		पारा डिचलोरो बैंजीन
114.	×	कडेंसर्स तथा रजिस्टेंस टैस्टर
115.		वाल्व को बदलने तथा उसको दुबारा बदलने के औजार

मध्य प्रदेश में रीवा, मन्दसौर तथा होशंगाबाद में सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए आवेदन पत्र

7541. **श्री सुखेन्द्र सिंह**
श्री हुकम चन्द कछवाय
श्री दयाराम शाक्य } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए मार्च, 1979 तक कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन थे;

(ख) क्या राज्य के रीवा, राजगढ़, मन्दसौर और होशंगाबाद जिलों में ऐसे उद्योगों की स्थापना करने का राज्य का प्रस्ताव काफी समय से विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो मार्च तक उस पर कितनी प्रगति हुई और उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में सीमेंट का उत्पादन करने के लिए औद्योगिक लाइसेन्सों की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित चार आवेदन पत्रों पर विभिन्न अवस्थाओं में विचार हो रहा है :—

क्र० सं०	आवेदन का नाम	प्रस्तावित स्थान	क्षमता (लाख मी० टनों में
1.	मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० (विविंग) कं० लि०	जावाद, जिला—मन्दसौर	8.00
2.	मै० मोदी रबर लि०	भट्टापारा जिला—रायपुर	9.00
3.	मै० दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि०	रेवा जिला—रेवा	7.00
4.	मै० इण्डियन रेयन कारपोरेशन लि०	होशंगाबाद जिला—होशंगाबाद	5.40

नियन्त्रित कपड़े के मामले में अनियन्त्रित घोटाला

7542. **श्री जी० एम० बनातवाला**
डा० रामजी सिंह } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 24 मार्च, 1979 के 'बिल्ट्ज' में 'अन्कन्ट्रोल्ड स्केण्डल इन कंट्रोल्ड क्लाथ' शीर्षक समाचार को देखा है, यदि हां, तो उसमें क्या कहा गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने का है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 24 मार्च, 1979 के ब्लिट्ज में छपे प्रेस समाचार में नई नियन्त्रित वस्त्र योजना की आलोचना इस धारणा पर की गई है कि वस्त्र मिलों को नियन्त्रित कपड़े का उत्पादन करने से छूट दे दी गई है तथा नियन्त्रित कपड़ा उपभोक्ता तक नहीं पहुँच रहा है। 1-10-1978 से प्रत्येक मिश्रित (कम्पोजिट) मिल को कानूनी दायित्व सौंपे जाने के बजाय वर्ष में 4000 लाख वर्ग मीटर कपड़े का उत्पादन व सम्भरण संविदा-आधार पर कपड़ा प्राप्त करके बनाए रखना होगा। उपभोक्ता के लिए मूल्य अपरिवर्तित रहे हैं, उपभोक्ता मूल्य कपास के मूल्यों की कमी को ध्यान में रखने के पश्चात भी उत्पादन लागत से कम है अतएव नियन्त्रित कपड़े के उपभोक्ता मूल्य और कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

नियन्त्रित कपड़े के वितरण के बारे में राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये गये हैं अत: नियन्त्रित कपड़े का खुदरा वितरण व उसका पर्यवेक्षण करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। जब तक नियन्त्रित कपड़े के गलत स्थान पर पहुँचने के खास उदाहरण न बताए जायें तब तक मामले की कोई जांच करना उचित नहीं समझा जाता है।

जाओरा, मन्दसौर में सीमेंट कारखाने की स्थापना करना

7543. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को जिला मन्दसौर में जाओरा में एक सीमेंट कारखाने की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो यह कब प्राप्त हुआ था; और

(ख) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जी, नहीं। किन्तु जिला मन्दसौर (मध्य प्रदेश) में जावद में 8.0 लाख मी० टन वार्षिक क्षमता के एक सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने के लिए मै० ग्वालियर रेयन सिल्क मैन्यु० (वीविंग) कम्पनी लि० से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र के सम्भरण के लिए तथा भारतीय सीमेंट

निगम की नीमच परियोजना के विस्तार के लिए इस क्षेत्र में चूने पत्थर से मण्डारों की पर्याप्तता की तकनीकी जांच की जा रही है ।

मध्य प्रदेश में सोयाबीन उद्योग स्थापित करने के लिए प्रस्ताव

7544. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए कोई अनुशंसा पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो कब; और

(ख) सरकार इन उद्योग को स्थापित करने के सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है और इस प्रस्ताव को स्वीकृति कब तक दी जाएगी तथा इस सम्बन्ध में बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) मध्य प्रदेश सरकार ने अगस्त, 78 में मध्य प्रदेश में सोयाबीन पर आधारित एक उद्योग लगाने की सिफारिश की थी ।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा कम्पनी के अनुरोध पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

आयात नीति के बारे में समिति गठित किया जाना

7545. **श्री सरत कार** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृत्रिम रेशे के लिए, विशेषकर पालिस्टर फिलामेंट यार्न के सन्दर्भ में, आयात नीति के बारे में सुझाव प्राप्त करने के लिए कोई समिति गठित की थी; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट अभी सरकार के विचाराधीन है तथा सिफारिशों पर शीघ्र ही निर्णय लिए जाने की आशा है । उसके पश्चात् एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

सेवा निवृत अधिकारियों को पुनर्नियुक्ति

7546. **श्री सरत कार** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा मन्त्रालय-वार पुनः नियुक्त किये गए सेवा निवृत्त अधिकारियों के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले केन्द्रीय सरकार के ऐसे वरिष्ठ अधिकारियों की संख्या कितनी है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० बी० पाटिल) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) किसी सरकारी कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति असाधारण तथा आपवादिक परिस्थितियों में ही जब कभी आवश्यकता होती है लोक हित में की जाती है। इसलिए उन अधिकारियों की संख्या निर्दिष्ट करना सम्भव नहीं है जिन्हें निकट भविष्य में पुनर्नियुक्त किया जा सकता है।

केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा में हिन्दी अधिकारियों के पदों को शामिल करना

7547. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1969 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा हिन्दी अधिकारियों के पदों के लिये आयोजित परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के ग्रुप 'क' और ग्रुप 'ख' में शामिल किया जा रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो उक्त परीक्षा का नतीजा घोषित होने पर उन उम्मीदवारों की स्थिति क्या होगी जो उक्त सेवा में शामिल नहीं होंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) सन् 1969 में हिन्दी अधिकारियों के पदों को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली गई परीक्षा से सम्बन्धित प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी थी, क्योंकि इससे पहले ही यह मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर की गई एक याचिका का विषय बन गया था। जहां तक प्रस्तावित केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का सम्बन्ध है इस सेवा के पदों पर भर्तियां सेवा के अनुमोदित भर्ती नियमों के अनुसार ही की जानी प्रस्तावित हैं।

लक्षद्वीप अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन से ज्ञापन

7548. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्षद्वीप अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, उन मिनी एकक के अध्यक्ष ने 2 फरवरी, 1979 को प्रधान मन्त्री को, जब वह वहां आये थे, एक ज्ञापन दिया था और केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ 12 मुद्दे रखे गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मन्त्री ने इसे विचारार्थ तथा जांच हेतु गृह मन्त्री को भेज दिया था;

(ग) यदि हां, तो उनमें से कितने मुद्दों पर अब तक विचार किया गया था; और

(घ) क्या लक्षद्वीप प्रशासन को उनकी क्रियान्वित हेतु कोई निदेश जारी किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। ज्ञापन में बीस मांगें थी, जिनमें से कुछ पर स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जबकि अन्य के मामले में निर्णय केवल सम्बन्धित मन्त्रालयों/विभागों के साथ विचार-विमर्श करके लिया जा सकता है। अतः प्रधान मन्त्री कार्यालय से प्राप्त होने के पश्चात् 12-3-79 को उचित कार्यवाही, जहां आवश्यक हो सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग के साथ विचार-विमर्श करके, करने के

निदेशों सहित उक्त ज्ञापन प्रशासक लक्षद्वीप को भेज दिया गया था। प्रशासक को ज्ञापन 30-3-1979 को प्राप्त हो गया था।

लक्षद्वीप में पुलिस विभाग में भर्ती

7549. **श्री पी० एम० सईद** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में लक्षद्वीप की प्रधान मन्त्री की यात्रा के दौरान उनके ध्यान में यह बात लाई गई थी कि लक्षद्वीप पुलिस विभाग में भर्ती की प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और उनसे यह भी अनुरोध किया गया था कि पुलिस विभाग के ग्रुप (सी) और (डी) स्टाफ में भर्ती केवल स्थानीय उम्मीदवारों से की जाये;

(ख) यदि हां, तो पुलिस विभाग में होने वाली नियुक्ति के सम्बन्ध में लोगों को होने वाली अन्य किन कठिनाइयों को उनके ध्यान में लाया गया है;

(ग) क्या उन्होंने उन पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में लक्षद्वीप प्रशासन को कोई निदेश जारी किये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) फरवरी, 1979 में प्रधान मन्त्री की लक्षद्वीप यात्रा के दौरान उनको अनेक ज्ञापन प्रस्तुत किये गये थे। उनमें से एक में पुलिस में भर्ती के प्रश्न को भी उठाया गया था।

पुलिस में भर्ती से सम्बन्धित एक ज्ञापन समेत प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किये गये सभी ज्ञापनों की लक्षद्वीप प्रशासन से परामर्श करके जांच की जा रही है।

सूदखोरों के शिकंजे में हरिजन श्रमिक

7550. **श्री पी० एम० सईद**
श्री निहार लास्कर
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित सरकारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हरिजन श्रमिकों की एक बड़ी संख्या, जिनमें से अधिकांश अशिक्षित हैं; परम्परागत सूदखोरों के शिकंजे में हैं;

(ख) यह सर्वेक्षण कब किया गया था;

(ग) सर्वेक्षण प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन हरिजनों को सूदखोरों के शिकंजे से छुड़ाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (घ) 13 मार्च, 1979 के हिन्दुस्तान टाइम्स में उल्लिखित सर्वेक्षण रिपोर्ट आगरा में चुने हुए पेशों में अनुसूचित जातियों के कामगारों के कार्य और रहन सहन की दशाओं से सम्बन्धित एक पायलेट जांच की रिपोर्ट है। यह पायलेट जांच भारत सरकार के श्रम मन्त्रालय के श्रम ब्यूरों द्वारा की गई थी। इस सर्वेक्षण में झाड़ू लगाने, अस्वच्छ कार्य करने, चमड़ा कमाने, जूता बनाने और हड्डी पीसने के कार्यों में

लगे अनुसूचित जातियों के कार्य और रहन सहन के कार्यावरण सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे किये गये थे। इसमें अन्य बातों के साथ इन कामगारों की ऋणग्रस्तता भी आ गई थी, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	चमड़ा कमाना	जूता बनाना	झाड़ू लगाना तथा अस्वच्छ कार्य करना
ऋण लेने वाले परिवारों का प्रतिशत	60	58	65
परम्परागत साहूकार से लिये गये ऋण का प्रतिशत	61	56	88
निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए लिए गये ऋण की रकम का प्रतिशत :—			
(क) विवाह या अन्य धर्मानुष्ठान, बीमारी तथा शिशु जन्म	44	32	77
(ख) घरेलू उपभोग	13	13	8

इस सर्वेक्षण में अनुसूचित जातियों में सामाजिक सेवाओं और सुख सुविधाओं का स्तर भी लिया गया था। रिपोर्ट की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भेज दी गई हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष रूप से प्राइमरी चमड़ा कामगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चमड़ा विकास और विपणन निगम लि० भी उपयुक्त कार्यक्रमों पर विचार करता रहा है।

लाइसेंसिंग औपचारिकताओं को दूर करने के लिए एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री की ओर से ज्ञापन

7551. **श्री पी० एम० सईद :** क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एसोसियेटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने केन्द्रीय मन्त्री को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य क्या सुझाव दिये गये हैं;

(ग) उनमें से कितनों की जांच की गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने लाइसेंसिंग औपचारिकताओं को पूर्णतः हटाने की मांग की है; और

(ङ) कितनों पर सहमति हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली नगर निगम के सदस्यों के भत्तों तथा सुविधाओं में वृद्धि के लिए अभ्यावेदन

7553. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम से कुछ अभ्यावेदन मिले हैं कि निगम के सदस्यों का भत्ता बढ़ाया जाये और उन्हें कुछ अन्य सुविधाएं दी जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को अधिक भत्ते क्यों नहीं दिये जाते और टेलीफोन की सुविधाएं आदि क्यों नहीं दी जाती ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) सरकार को निगम के सदस्यों के भत्तों में वृद्धि और कुछ और अधिक सुविधाएं देने के लिए दिल्ली के महापौर और दिल्ली नगर निगम की स्थाई समिति के अध्यक्ष से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधानिक (47वां संशोधन) विधेयक, 1978 और एक विधान सभा बनाने के लिए संघशासित क्षेत्र सरकार विधेयक संसद में पहले ही पुरः स्थापित किये जा चुके हैं, उनके द्वारा उठाए गए मामले दिल्ली की नई सरकार द्वारा निर्णय के लिए छोड़ दिये गये हैं जो दिल्ली की विधान सभा बनने के पश्चात बनाई जाएगी।

लघु उद्योगों का कार्यकरण

7554. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक लाख से पांच लाख रुपये तक की प्रदत्त पूंजी वाली छोटी गैर-सरकारी लिमिटेड कम्पनियों का कार्यकरण गत 2-3 वर्षों में बहुत ही असन्तोषजनक रहा;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे चुने गये 1125 संगठनों का गहन अध्ययन भी किया था;

(ग) यदि हां, तो कार्यकरण का ब्यौरा क्या है और कर अदा करने के बाद क्या मुनाफा हुआ; और

(घ) ऐसे छोटे एककों की हालत सुधारने के लिए सरकार का क्या विशिष्ट कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

तस्करी की घड़ियां एच० एम० टी० के माध्यम से बेचने के लिए एक विशेष सैल का स्थापित किया जाना

7555. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तस्करी की घड़ियाँ एच० एम० टी० के माध्यम से बेचने के लिए एक विशेष सैल स्थापित करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) सरकार ने तस्करी की घड़ियों के निपटान का काम एच० एम० टी० को सौंपने का निर्णय लिया है। इस कार्य के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष प्रकोष्ठ (सैल) नहीं बनाया जायेगा।

स्थायी पदों का सावधि पदों में बदला जाना

7556. **श्री के० लकप्पा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे नियम हैं जिनके अनुसार उन स्थायी पदों को, जिन पर कर्मचारियों को स्थायी किया जाता है, उन पदों के दावेदारों की मांग अथवा सहमति के बिना, सरकार द्वारा स्थायी किए जाने के अधिकार को लेकर मनमाने ढंग से सावधि पदों में बदला जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो वे क्या हैं; और

(ग) क्या स्थायी पदों का सावधि पदों में बदले जाने के बारे में नियम हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं और इसके लिये निर्धारित प्रक्रिया क्या है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मूल नियम 9 (30-क) के अनुसार, सावधिक पद का अभिप्राय एक ऐसे स्थायी पद से है जिस पर कोई भी वैयक्तिक सरकारी कर्मचारी एक सीमित अवधि से अधिक कार्य नहीं कर सकता। गैर-सावधिक स्थायी पदों को सावधिक पदों में बदलने सम्बन्धी कोई नियम नहीं है।

1978-79 के लिए केन्द्रीय योजना के परिव्यय का उपयोग न किया जाना

7557. **श्री अनन्त राम जायसवाल** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष केन्द्रीय योजना के लिए निर्धारित परिव्यय में से 272 करोड़ रुपयों की राशि का उपयोग नहीं किया गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन विभागों/मन्त्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी योजनाओं के लिए नियत की गई कुल धनराशि का उपयोग नहीं किया जिसके कारण निर्धारित लक्ष्य पूरे नहीं हो सके तथा ऐसी योजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनके लक्ष्य में कितनी कमी रही; और

(घ) क्या योजना आयोग ने वर्ष के दौरान योजनाओं को क्रियान्वित का पुनर्वलोकन किया था और यदि हां, तो कब तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) से (घ) 1978-79 के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय के परिशोधित अनुमानों से 272 करोड़ रु० की कमी प्रकट होती है। संलग्न विवरण में 1978-79 के लिए मंत्रालयवार बजट परिव्यय और परिशोधित अनुमान दिए गए हैं। वित्त मन्त्री ने 28 फरवरी, 1979 को 1979-80 के लिये अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया था और यह स्पष्ट किया था कि मुख्य कमियां पैट्रोलियम, उर्वरक और दूर संचार के क्षेत्रों में थीं जिसके कारण थे तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अपतट कार्यक्रम के कुछ निर्माण कार्यों की पुनः चरण बद्धता और स्थगन, पैट्रोलियम क्षेत्र में और उर्वरक परियोजनाओं में परिव्ययों में कमियां, जिसमें मुख्य रूप से ट्राम्बे-5 और कोचीन चरण-2 इकाइयां और महाराष्ट्र में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नये गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र आते हैं, तथा दूर संचार परियोजनाओं के लिये उपस्कर और सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब। कुछ क्षेत्रों में वास्तविक लक्ष्यों की प्राप्ति में भी कमियां रही हैं, परन्तु व्यय में कमियों के कारण होने वाले स्कीमों में व्यक्तियों के साथ इन्हें सीधे सम्बद्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि इन व्यतिक्रमों का प्रभाव आने वाले कई वर्षों के उत्पादन के लक्ष्यों पर होगा।

योजना आयोग कुछ चुने हुए क्षेत्रों में स्कीमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करता रहा है और जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां कमियों को सम्बन्धित मन्त्रालयों के ध्यान में लाया गया है जो आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिये उत्तरदायी हैं। कार्यान्वयन अभिकरणों, मंत्रालयों और योजना आयोग द्वारा सभी स्तरों पर योजनागत स्कीमों के प्रबोधन की प्रणाली में सुधार करने के लिये उपाय किए गये हैं।

विवरण

केन्द्रीय वार्षिक योजना 1978-79 करोड़ (रु०)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	योजना परिव्यय	परिशोधित अनुमान
1.	कृषि	718.72	674.48
2.	परमाणु ऊर्जा	131.34	118.76
3.	नागरिक पूर्ति और सहकारिता	34.79	34.48
4.	कोयला	274.96	264.84
5.	वाणिज्य	15.50	12.64
6.	संचार	355.10	311.18
7.	शिक्षा और संस्कृति	115.76	109.24
8.	इलेक्ट्रानिक्स	22.57	17.90
9.	उर्वरक और रसायन	283.15	257.06

1	2	3	4
10	वित्त	201.83	198.07
11.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	258.20	235.13
12.	भारी उद्योग	82.30	80.50
13.	गृह	32.80	32.56
14.	औद्योगिक विकास	316.37	302.18
15.	सूचना और प्रसारण	25.62	18.70
16.	सिंचाई	30.42	31.12
17.	श्रम	4.99	3.84
18.	खान	103.45	99.26
19.	कार्मिक	0.25	0.25
20.	योजना	7.53	7.12
21.	पैट्रोलियम	629.88	524.57
22.	विद्युत	188.73	195.79
23.	रेलवे	535.30	552.59
24.	पुनर्वास	30.00	27.10
25.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	47.47	39.96
26.	नौवहन और परिवहन	328.94	364.38
27.	समाज कल्याण	20.11	19.18
28.	अंतरिक्ष	54.92	35.92
29.	इस्पात	567.00	569.32
30.	पूर्ति	0.72	0.38
31.	पर्यटन और नागर विमानन	103.26	115.66
32.	निर्माण और आवास	142.11	137.67
	जोड़	5664 09	5391.83

असम में सरकारी क्षेत्र के कागज मिलों का पूरा होना

7558. **श्री बेदब्रत बरूआ** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में इस समय निर्माणाधीन सरकारी क्षेत्र के दो कागज मिलों के कब पूरा होने की सम्भावना है;

(ख) दोनों परियोजनाओं की कुल लागत का पृथक-पृथक नवीनतम प्राक्कलन क्या है; और

(ग) सरकार के नवीनतम रिकार्ड के अनुसार प्रत्येक परियोजना पर कितना खर्च किया गया है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) नौगोंग कागज परियोजना (आसाम) दिसम्बर, 1980 में तथा कछार कागज परियोजना दिसम्बर, 1981 में चालू हो जाने की आशा है ।

(ख) तथा (ग)

परियोजना का नाम	परियोजना की कुल स्वीकृत लागत	31-3-79 तक किया गया व्यय
	(करोड़ रु० में)	(करोड़ रु० में)
नौगोंग कागज परियोजना	114.25	16.87
कछार कागज परियोजना	114.00	10.77

सशस्त्र मिजों द्वारा सिमलुंग, त्रिपुरा पर हमला

7560. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल**
श्री यादवेन्द्र दत्त } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सशस्त्र मिजों के एक दल द्वारा 19 मार्च, 1979 को त्रिपुरा के सीमा स्थित एक गांव सिमलुंग पर हमले की ओर दिलाया गया है जब उन्होंने गांव में लूटमार की, आगजनी की, महिलाओं से छेड़खानी की तथा उनसे बलात्कार किया और फिर गांव में मकानों में आग लगा दी;

(ख) यदि हां, तो सशस्त्र मिजों द्वारा ऐसे नृशंस हमलों को किये जाने से रोकने के लिए क्या निवारक उपाय अपनाये गये हैं; और

(ग) प्रभावित परिवारों को तथा विशेषकर बेघरबार हुए परिवारों को क्या राहत दी गई है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और आगे घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार ने उपयुक्त उपाय किये हैं और सी० आर० पी० एफ० और बी० एस० एफ० समेत सभी पुलिस दस्तों को सावधान कर दिया गया है और क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है ।

(ग) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रभावित परिवारों को 840 रुपए नकद और चावल, नमक, दाल आदि के रूप में 300 रुपए की वस्तुएं देकर उदार सहायता दी गई है । उनको काम के बदले अनाज कार्यक्रमों में भी लगाया गया था । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक परिवार को मकान बनाने के लिए 150 रुपए का भुगतान किया गया है । परिवारों को खण्ड योजनाओं के अधीन उनके कपड़े बुनने के लिये सूत भी दिया गया है । नष्ट हुए मकानों को सरकार की सहायता से पुनः निर्मित किया गया है और त्रिपुरा में पड़ोसी गांवों के मिजों लोगों द्वारा स्वैच्छिक श्रम किया गया है ।

पूर्वी तथा पूर्वोत्तर में सरकारी क्षेत्र के उद्योग

7561. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के एककों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उनकी उत्पादन क्षमता, उपयोग की जारी क्षमता के प्रतिशत का एककवार, तथा वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों के विस्तार के लिए आज तक चलाये गये कार्यक्रमों तथा उनसे प्राप्त परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान अधिकांश एककों को घाटा हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो इन तीन वर्षों में इन एककों को हुए लाभ अथवा घाटे का एककवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इस समय प्रत्येक एकक के निदेशक मण्डल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (च) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विभागीय जलपान गृहों में काम करने वाले कर्मचारी

7562. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केन्द्रीय सरकार के प्रतिष्ठानों के विभिन्न विभागीय जलपान गृहों में कार्यरत कर्मचारियों को मजूरी की दरों तथा अन्य सेवा शर्तों में कोई समानता नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इन कर्मचारियों को मजूरियों की दरों तथा सेवा सम्बन्धी शर्तों में सुधार करने तथा वर्तमान विषमताओं को दूर करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के विभागीय जलपान गृहों के कर्मचारियों को मजदूरी की दरों तथा सेवा की शर्तों में समानता है।

(ख) सेवा की शर्तों तथा मजदूरी में सुधार हेतु पुनरीक्षा एक निरन्तर प्रक्रिया है।

टेलीविजन कम्पनियों द्वारा बिक्री के बाद अच्छी सेवा न की जाने के बारे में शिकायतें

7563. **श्री एस० आर० रेड्डी** : क्या इलैक्ट्रानिकी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राइवेट इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनियों विशेषकर टेलीविष्टा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लि० द्वारा निर्मित टेलीविजन सैटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस कम्पनी द्वारा बिक्री के बाद अच्छी सेवा न किये जाने के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या सरकार को पता है कि स्टैण्डर्ड टेलीविजन डीलर्स जैसी अन्य कम्पनियां भी हैं जो कि बिक्री के बाद गारण्टी पत्र के बावजूद भी सैट को बदलने की परवाह नहीं करते; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार एक ऐसा सैल बनाने का है जहां ऐसी शिकायतों पर विचार किया जा सके ?

रक्षा मंत्रालय तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1978 में निजी क्षेत्र में दूरदर्शन सेटों का कुल उत्पादन 1,93,633 था। इसी अवधि में मेसर्स टेलीविस्टा इलेक्ट्रानिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा उत्पादित दूरदर्शन सेटों की संख्या 34,782 थी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार के पास उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के उत्पादों के लिए गुणवत्ता सम्बन्धी मानकों को लागू करने की कोई नियामक शक्ति नहीं है। तथापि इलेक्ट्रानिकी विभाग का विचार है कि दूरदर्शन सेटों के लिए भारतीय मानक संस्थान की "आई० एस० आई० चिन्हांकन योजना" लागू की जाय।

संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के अन्तर्गत सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का समाप्त किया जाना

7564. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 मार्च, 1977 से 24 मार्च, 1979 की अवधि के दौरान संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 के अधीन एक या अधिक सरकारी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संविधान के उक्त अनुच्छेदों को समाप्त करने अथवा उनमें संशोधन करने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) संविधान के अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (क) और (ख) के अधीन सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी/सेवा से हटाये जाने के मामलों से सम्बन्धित सूचना कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा मानीटर नहीं की जाती है। जहां तक अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) के अधीन कार्रवाई का सम्बन्ध है, 24-3-1977 से 24-3-79 तक की अवधि के दौरान ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) इस मामले में सरकार का दृष्टिकोण, संविधान के अनुच्छेद 310 और अनुच्छेद 311 (2) के परन्तुक (ग) का लोप किए जाने के लिए संसद सदस्य श्री भगत राम द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) बिल, 1978 पर हुई बहस के दौरान पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, यदि पूरे अनुच्छेद 311 (2) को संविधान से निकाल दिया जाता है तो इसके खण्ड (1) और (2) द्वारा सरकारी कर्मचारियों को दिया गया संरक्षण समाप्त हो जायेगा।

योजना आयोग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि

7565. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के प्रशासकीय तथा लिपिक कर्मचारियों की संख्या में नीचे से लेकर ऊपर तक निरन्तर वृद्धि होती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वृद्धि की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) उक्त विस्तार के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त विस्तार की प्रवृत्ति को रोकने का निर्णय किया है और यदि हां, तो कैसे और कब ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फजलुर्रहमान) : (क) से (घ) योजना आयोग के प्रशासनिक और लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की संख्या में हाल के वर्षों में वृद्धि नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय के कर्मचारी निरीक्षण एकक ने योजना आयोग के सम्पूर्ण कर्मचारियों का एक विस्तृत कार्य अध्ययन किया था और विशेषज्ञों तथा अनुसंधान कर्मचारियों सहित परन्तु चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर 1 अक्तूबर, 1977 से कुल संख्या 1019 से कम करके 904 कर दी गई थी।

लघु उद्योगों में प्रौद्योगिकी विज्ञ उपक्रमियों को विशेष सुविधाएं

7566. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने वर्ष 1977 और 1978 के दौरान देश में विभिन्न लघु औद्योगिक एककों में प्रौद्योगिकी विज्ञ उपक्रमियों को कोई अतिरिक्त अथवा विशेष सुविधाएं दी गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त सुविधाओं को दिये जाने से प्राप्त चहुंमुखी लाभों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां।

(ख) अगस्त, 1974 से लघु उद्योग सेवा संस्थानों व नामोद्दिष्ट संस्थानों में औद्योगिक उद्यमीयता में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले इंजीनियर उद्यमियों को बाद में दी जाने वाली सहायता के रूप में योजना चालू है। जुलाई 1976 से इस योजना के लाभ सभी इंजीनियर उद्यमियों को चाहे उन्होंने औद्योगिक उद्यमीयता का प्रशिक्षण किया है अथवा नहीं किया हो, मिलने लगा है। योजना के अन्तर्गत 7 प्रतिशत की ब्याज दर तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा अधिक से अधिक 20,000/-रुपये तक प्रति वर्ष दिये गये ऋणों पर लगने वाली ब्याज की सामान्य दर के बीच

आने वाले अन्तर सरकार द्वारा ब्याज राजसहायता दी जाती है। ब्याज राजसहायता योजना औद्योगिक रूप से पिछड़े 247 क्षेत्रों में से किसी क्षेत्र में लघु एकक स्थापित करने वाले इंजीनियर उद्यमियों के लिए दो वर्ष तक की अवधि के लिए तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में एकक स्थापित करने वाले उद्यमियों के लिए 3 वर्ष तक की अवधि के लिए सीमित है। लघु उद्यमी अपने दावे राज्य के उद्योग निदेशालय में करते हैं उन्हें उद्योग मंत्रालय भारत सरकार से प्रतिपूर्ति राशि मिलती है। 1977-78 में 39 एककों को 2,17,967/- लाख रुपये की ब्याज राजसहायता दी गई थी।

अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति

7567. **श्री मनोरंजन भक्त**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के कितने सरकारी कर्मचारियों को आपातकाल के दौरान विभागवार अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था;

(ख) क्या जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद तुरन्त उन्हें सेवा में पुनः वापस ले लिया गया था; यदि हां, तो कितनों को और कब तथा क्या उन्हें पूरे लाभ दिये गये थे; और

(ग) क्या अभी भी कुछ मामले सरकार द्वारा निर्णय न किये जाने के कारण निलम्बित पड़े हैं; यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मण्डल): (क) आपातकाल के दौरान निम्नलिखित विभागों में कुल 48 सरकारी कर्मचारी अनिवाय रूप से सेवानिवृत्त किये गये थे।

लिपिकीय स्थापना	4
ए० पी० डब्ल्यू० डी०	2
जिला जेल	1
वन	2
परिवहन	3
नौवहन	21
पुलिस	15
	48

(ख) 48 में से 23 सरकारी कर्मचारियों को निम्नलिखित विभागों में उनके सामने दी गई तारीखों को पुनः नियुक्त किया गया। अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्ति की तारीख से पुनः नियुक्ति की तारीख तक की अन्तरावधि के निरूपण के निर्णय भी प्रत्येक के सामने दिये गये हैं।

विभाग	सरकारी कर्मचारियों की संख्या	पुनः नियुक्ति की तारीख	अन्तरावधि के बारे में निर्णय
1	2	3	4
लिपिकीय स्थापना	1	3-5-78	अकार्य-दिन
ए० पी० डब्ल्यू० डी०	1	10-3-78	ड्यूटी
	1	30-8-78	देय तथा स्वीकार्य अवकाश
जेल	1	10-3-78	ड्यूटी
परिवहन	1	2-4-78	ड्यूटी
	1	4-4-78	ड्यूटी
नौवहन	1	31-12-76	ड्यूटी (उसकी सामान्य सेवा-निवृत्ति की तारीख तक)।
	4	1-8-78	ड्यूटी
	1	17-8-78	ड्यूटी
	1	7-9-78	ड्यूटी
वन	2	28-2-78	ड्यूटी
पुलिस	1	12-4-78	ड्यूटी
	1	2-3-78	ड्यूटी
	1	10-4-78	ड्यूटी
	2	10-4-78	)
	1	13-4-78	) देय तथा स्वीकार्य अवकाश
	1	5-9-77	)
	1	9-9-77	)

(ग) केवल एक ऐसा मामला है जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

पांडिचेरी की सिपुर्दगी समझौते का उल्लंघन

7568. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन आरोपों की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र सरकार तथा पांडिचेरी प्रशासन ने भारत और फ्रांस द्वारा पांडिचेरी की सिपुर्दगी के समझौते के अनेक उपबन्धों का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) (क) ऐसा कोई आरोप सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों में अनुसंधान और विकास के मूलभूत ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता

7569. **श्री एडुआर्डो फैलीरो** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उद्योगों में अनुसंधान और विकास के मूलभूत ढांचे में सुधार करने की आवश्यकता की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सरकार देश की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप उचित तकनीक के विकास व प्रौद्योगिकी को तथा वैज्ञानिक स्थापनाओं के एक सुविकसित अवस्थापना सम्बन्धी ढांचे की आवश्यकता को महत्व देती है। औद्योगिक नीति विवरण के पैरा 15 व 22 इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट करते हैं। इनको नीचे दिया जा रहा है :—

15. हमारी सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के अनुरूप प्रौद्योगिकी के विकास तथा उसके लागू करने की तरफ अभी तक पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। अब से यह औद्योगिक नीति का एक अभिन्न अंग होगा तथा सरकार यह सुनिश्चय करेगी कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जाय लघु तथा ग्रामीण उद्योगों में लगे कर्मचारियों की उत्पादकता और उपार्जन क्षमता में सुधार करने के लिए उपयुक्त छोटी तथा साधारण किस्म की मशीनों और उपकरणों का विकास तथा अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रभावी और समन्वित व्यवस्था सुनिश्चित करने का विशेष प्रबन्ध किया जाएगा। इसके अलावा सरकार उत्पादन की इस प्रकार की तकनीकों को सर्वांगीण ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के साथ समन्वय करने का प्रयास भी करेगी।

22. देश में वैज्ञानिक संस्थानों का सुविकसित ढांचा है। भविष्य में भारतीय उद्योगों का विकास जहां तक संभव हो सके देशी प्रौद्योगिकी पर निर्भर होना चाहिये। यद्यपि देशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिये व्यापक क्षेत्र प्रदान किया जाएगा फिर भी यह आवश्यक है कि भारतीय प्रौद्योगिकी का विकास उच्च और कुशल उत्पादन के उद्देश्यों के अनुरूप हो और यह अपने आप में समाज के लिये तत्काल जरूरी वस्तुओं का उत्पादन करने में विलम्ब का कारण न बने। हमारी विशाल जनता के जीवन स्तर के सुधार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का योगदान होना चाहिये।

प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार जटिल और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जिनमें भारतीय कौशल और प्रौद्योगिकी का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, बाहर से देश में प्रौद्योगिकी के निरन्तर प्रवाह की आवश्यकता समझती है। ऐसे क्षेत्रों में सरकार उपलब्ध सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी को सीधे खरीद लेने और उसे देश की आवश्यकता के अनुरूप अनुकूलित करने को प्राथमिकता देगी। भारतीय कंपनियों को विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने

की अनुमति दी जाती है उनके लिए यह आवश्यक होगा कि उपयुक्त मामलों में वे पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास सुविधायें स्थापित करें ताकि आयातित प्रौद्योगिकी को ठीक प्रकार से अनुकूलित किया जा सके तथा उसे आत्मसात किया जा सके। सरकार विदेशी विनियोजन बोर्ड के सचिवालय में विदेशी सहयोग की एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री की भी स्थापना करेगी ताकि इन प्रयत्नों को जारी रखा जा सके।

पश्चिम बंगाल के स्वाधीनता सेनानियों के आश्रितों को परिवार पेंशन की मंजूरी

7570. **डा० विजय मंडल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरूलिया जिले के स्वाधीनता सेनानियों के ऐसे कितने आश्रितों (पत्नियों), जिनके पति मर गये हैं, ने उन्हें परिवार पेंशन मंजूर किये जाने के लिए सरकार से अपील की है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने कितने आश्रितों को अभी तक परिवार पेंशन मंजूर नहीं की है;

(ग) उनके आवेदन-पत्र कब से विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) उनके शीघ्र निपटान के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के स्वतन्त्रता सेनानियों की पत्नियों से 27 आवेदन पत्र एवं पुरूलिया जिले से 16 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिनमें उनके पति की मृत्यु के कारण उनको पारिवारिक पेंशन मंजूर करने का अनुरोध किया गया है। इनमें से बांकुरा जिले के 22 मामलों में और पुरूलिया जिले के 14 मामलों में पारिवारिक पेंशन पहले ही मंजूर की गई है। बांकुरा जिले के शेष 5 मामले और पुरूलिया जिले के शेष 2 मामले जनवरी/फरवरी, 1979 से अनिर्णीत हैं जिनमें पश्चिम बंगाल सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गये हैं और उनसे उत्तर आने पर इन मामलों को निपटाया जायेगा।

हरिजन सशस्त्र स्वयंसेवी दल

7571. **डा० विजय मंडल**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक
श्री शंकर सिंह जी बाघेला } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने सशस्त्र हरिजन स्वयंसेवी बल बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से गैर हरिजनों में आतंक पैदा नहीं हो जायेगा;

(ग) क्या सरकार ने समूचे देश में ऐसे बल स्थापित करने के बारे में इस बीच निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसे निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) से (घ) संविधान के अधीन कानून और व्यवस्था का विषय राज्य का विषय है। कानून और व्यवस्था से सम्बन्धित समस्याओं से, जो समय समय पर उत्पन्न हो सकती हैं, निपटने के लिये विभिन्न उपायों पर विचार करना और उनको अपनाना सम्बन्धित राज्य सरकारों का कार्य है। बिहार के चुने हुए जिलों में कुछ हरिजन परिवारों को प्रारम्भिक प्रशिक्षण देने के पश्चात शस्त्र देने का एक प्रस्ताव सक्रिय रूप से बिहार सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार ने बिहार सरकार को सूचित किया है कि यदि नागरिकों के कुछ वर्गों को शस्त्र देना बिल्कुल ही वांछनीय है तो उनको अनुशासन की किसी संहिता के अधीन अवश्य ही लाया जाना चाहिए ताकि उचित नियन्त्रण रखा जा सके। ऐसा उपयुक्त व्यक्तियों को होमगार्डों के रूप में भर्ती किया जा सकता है जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस के सहायक के रूप में कार्य कर सकें और अधिकतर पुलिस नियमों और विनियमों के अधीन रह सकें। जहां तक भारत सरकार को जानकारी है, इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव अन्य राज्य सरकारों के विचाराधीन नहीं हैं।

जेलों की दशा पर विचार करने के लिए राज्यों के गृह मन्त्रालयों का सम्मेलन

7572. **श्री बागुन सम्बरुई** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में, जेलों की दशा के सम्बन्ध में हुई आलोचनाओं को देखते हुए उनकी दशा में सुधारों पर विचार करने हेतु राज्यों के गृह मन्त्रालयों का एक सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकले ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) और (ख) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जेल सुधार के उपायों पर विचार करने के लिए 9 अप्रैल, 1979 को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था।

सम्मेलन में हुई सहमति इस प्रकार है :—

(1) आदर्श जेल मैनुअल की रूपरेखा पर जेल मैनुअल का एक वर्ष के भीतर शंशोधन किया जाना चाहिए।

(2) जेलों में अधिक भीड़, विशेषकर विचाराधीन कैदियों के संदर्भ में, विचार-विमर्श को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इस सम्बन्ध में विचारणाधीन कैदियों की संख्या कम करने के उचित उपाय किए जाने चाहिए।

(3) विचारणाधीन कैदियों को उपयोगी व्यवसाय प्रदान करने के उपाय किए जाने चाहिए।

(4) जहां जेलों का दौरा करने वालों की राज्यस्तर की समितियां नहीं हैं, वहां उनक गठन किया जाना चाहिए।

(5) जिला स्तर और राज्य स्तर की पुनरीक्षण समितियों के कार्य को क्रियाशील बनाया जाना चाहिए ताकि जांच-पड़ताल और विचारण में विलम्ब के कारणों का पता लगाया जा सके । जिला स्तर और राज्य स्तर की समितियों को विचाराधीन कैदियों की सहायता करने के लिए जटिल मामलों का पुनरीक्षण करने तथा सम्भव तरीके ढूंढने के लिए क्रमशः तीन महीने और छः महीने में कम से कम एक बैठक करनी चाहिए ।

(6) विधि अधिकारी पूरे समय या आंशिक समय के लिए जेलों से सम्बद्ध होने चाहिएं ताकि विचारणाधीन कैदी ठीक ढंग से अपने मुकदमें लड़ सकें।

(7) आन्दोलनों के दौरान जो लोग गिरफ्तारी देते हैं, उनके लिए शिविर जेलों, इत्यादि में कम सुरक्षा प्रबन्धों की पृथक व्यवस्था की जा सकती है।

(8) बोर्स्टल संस्थाओं की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ।

(9) राज्य के साधनों और केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि में से ही रहन-सहन की दशा में अधिकतम सुधार किया जाना चाहिए।

(10) जेल कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण तथा शिक्षण दिया जाना चाहिए ।

एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री के लिए एजेन्सियां

7573. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 में एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री के लिए देश के विभिन्न भागों में एजेन्सियां देने के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किये गए थे;

(ख) राज्य-वार कितनी एजेन्सियां दी गई ; और

(ग) उनमें से कितनी एजेन्सियां प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों और आदिवासियों को दी गई और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ये एजेन्सियां दी गई हैं और उनके नाम और पतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां । एच० एम० टी० घड़ियों की बिक्री के लिए अधिकृत स्टाकिस्टों और अधिकृत सब-एजेन्टों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे ।

(ख) नियुक्त किए गए अधिकृत स्टाकिस्टों की राज्यवार संख्या नीचे दी जाती है :—

क्र० सं०	राज्य	संख्या
1.	बिहार	4
2.	उत्तर प्रदेश	11
3.	हरियाणा	4
4.	पंजाब	2

1	2	3
5.	राजस्थान	7
6.	हिमाचल प्रदेश	1
7.	जम्मू और काश्मीर	1
8.	पश्चिम बंगाल	7
9.	गोवा	1
10.	भूटान	1
11.	उड़ीसा	3
12.	आसाम	4
13.	उत्तर पूर्वी राज्य	4

(ग) वित्तीय तथा तकनीकी क्षमताओं और ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए अनुभव के अनुसार तथा एच० एम० टी० घड़ियों की कुल खरीद के लिए आश्वासन देने पर नियुक्तियां की गई हैं। इसलिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों तथा आदिवासियों को उनका इन समुदायों से सम्बन्ध रखने के कारण एजेन्सी देने का प्रश्न ही नहीं उठता है और इस तरह एच० एम० टी० ने इनके बारे में कोई आंकड़े इकट्ठे नहीं किए हैं।

ग्रामीण औद्योगिकीरण के लिए विशेष अभियान चलाना

7574. **श्री अमर सिंह वी० राठवा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार पूरे देश में ग्रामीण औद्योगिकीरण कार्यक्रम के लिये एक विशेष अभियान चलाने के लिए विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो दी जाने वाली संभावित सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) लघु, ग्रामीण तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन हेतु एक प्रमुख अंग की व्यवस्था करने और एक ही स्थान पर निवेश-पूर्व, निवेश तथा निवेश के बाद की अवस्थाओं में विकेन्द्रीकृत औद्योगिक क्षेत्र को सभी सेवाएं तथा समर्थन प्रदान करने के लिए 1 मई, 1978 से जिला उद्योग केन्द्र कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

(ख) ये केन्द्र लघु उद्यमियों द्वारा अपेक्षित सभी सेवाएं तथा समर्थन प्रदान करेंगे जिनसे उपयुक्त योजनाओं का पता लगाना संभाव्यता रिपोर्टें तैयार करना, मशीनरी तथा उपकरण की पूर्ति के लिए प्रबन्ध करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना, विपणन तथा विस्तार सेवाओं के लिए ऋण सुविधाओं एवं निदेश की व्यवस्था करना शामिल है।

ग्वालियर रेयन

7576. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ग्वालियर रेयन को यह निदेश दिया गया है कि कम्पनी में

बिड़लाओं की अंशपूंजी को कम करने और शेयर के विकीर्णन के विचार से जनता को नये पूंजी शेयर बेचे जायें; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस निर्णय से बिड़लाओं का प्रभाव समाप्त हो जायेगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जानकारी इकट्टी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेडियो रिसीवर निर्माण उद्योग

7577. **डा० मुरली मनोहर जोशी** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेडियो रिसीवर निर्माण उद्योग अपनी केवल 62 प्रतिशत क्षमता का उपयोग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो रेडियो रिसीवर बनाने वाली मुख्य कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा पूर्ण उत्पादन न करने के क्या कारण हैं? और

(ग) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि इस उद्योग की पूर्ण क्षमता का उपयोग हो ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं। रेडियो रिसीवरों के निर्माण के लिए संगठित क्षेत्र के प्रमुख एककों को जो लाइसेंस प्रदान किये गये थे, उसके संदर्भ में वर्ष 1978 में उन्होंने अपनी 73 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया है। लघु उद्योग के क्षेत्रों में रेडियो रिसीवरों के उत्पादन पर क्षमता सम्बन्धी कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(ख) संगठित क्षेत्र में प्रमुख एककों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) मैसर्स फिलिप्स (इंडिया) लिमिटेड

(2) मैसर्स बुश इंडिया लिमिटेड

(3) मैसर्स मरफी इंडिया लिमिटेड

(4) मैसर्स नेल्को

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद द्वारा लघु उद्योग और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये कार्यक्रम तैयार करना

7578. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद कोई ऐसा कार्यक्रम या योजना तैयार कर रही है जिसके अन्तर्गत कुछ खास या चुनी हुई वस्तुओं का उत्पादन बड़े उद्योगों के बजाय लघु उद्योग द्वारा किया जायेगा, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण में सुधार करने के उपाय भी सुझाने के लिये कहा गया है; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया गया है कि राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद को अपने कार्यों का निर्धारण करना चाहिए तथा तदनुसार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में योगदान देना चाहिए।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने 15-3-79 को हुई बैठक में सरकार की आर्थिक व औद्योगिक नीति के अनुरूप अपने क्रियाकलाप पुनः निश्चित करने का निर्णय किया था। परिषद ने तुरन्त कार्रवाई हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों का पता लगाया है :—

(1) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, विकास आयुक्त (लघु उद्योग) व अन्य संगठनों के सहयोग से साबुन और माचिस उद्योगों का विकास।

(2) लघु क्षेत्र का विकास-विद्यमान एककों में उत्पादिता में सुधार और विकास आयुक्त (लघु उद्योग) के सहयोग से आरक्षित वस्तुओं के लिए लघु एककों के विकास को बढ़ाना।

(3) सरकारी क्षेत्र के उन संगठनों की उत्पादिता में सुधार, जिनमें कम उत्पादिता है या जो रुग्ण हैं।

(4) ट्रेड यूनियनों को सम्मिलित करने हेतु उपयुक्त योजनाएं बनाना ताकि वे अपने आन्दोलन में उत्पादिता को एक आवश्यक अंग के रूप में लें।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने कुटीर/लघु क्षेत्र में साबुन व माचिस उद्योगों के विकास हेतु विस्तृत प्रस्ताव तैयार किये हैं। परिषद अन्य क्षेत्रों के बारे में प्रस्ताव तैयार कर रही है।

राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद विद्युत क्षेत्र में उत्पादिता में सुधार लाने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है और राष्ट्रीय वस्त्र निगम के रुग्ण एककों व इंजीनियरी उद्योग में उत्पादिता सुधार के क्षेत्रों व बम्बई बन्दरगाह तथा मुगल सराय में रेलवे यार्ड में जमाव की समस्याओं का पता लगाने हेतु शीघ्र अध्ययन करेगी।

(ग) राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद का उद्देश्य देश में उत्पादिता के प्रति अधिक जागरूकता लाना और मानव मशीन माल व विद्युत के रूप में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के उद्देश्य से उत्पादिता सेवाएं प्रदान कराना है। राष्ट्रीय उत्पादिता परिषद ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए उत्पादिता सेवाएं स्थापित कर दी हैं।

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मिलों को हुआ लाभ

7579. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम, मध्य प्रदेश के अधीन किस-किस मिल को वर्ष 1978-79 के दौरान लाभ हुआ और किस-किस मिल को उपरोक्त अवधि में हानि हुई;

(ख) पिछले 2 वर्षों की तुलना में इस लाभ और हानि की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) प्रत्येक मिल पर 1977-78 और 1978-79 के दौरान आधुनिकीकरण पर तथा अन्य मदों पर कुल कितना व्यय किया गया ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि० के अधीन जिन मिलों ने वर्ष 1978-79 में (अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 तक) लाभ कमाया अथवा हानि उठाई हैं उनके नाम निम्नलिखित हैं :—

लाभ कमाने वाली मिलें (बोनस के लिए किये गये प्रावधान को छोड़कर)	जिन मिलों को हानि हुई (बोनस के लिए किये गये प्रावधान को छोड़कर)
1. बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर	1. हीरा मिल्स, उज्जैन। 2. स्वदेशी कॉटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इंदौर। 3. न्यू भोपाल टेक्सटाइल मिल्स, भोपाल। 4. बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स, राजनन्द गांव। 5. इन्दौर मालवा यूनाइटिड मिल्स, इन्दौर। 6 कल्याणमल मिल्स, सिलनाथ कैम्प।

(ख) वर्ष 1978-79 (अप्रैल, 1978 से फरवरी, 1979 तक) के दौरान 1976-77 तथा 1977-78 के उत्पादन मूल्य के मुकाबिले हुए लाभ/हानि की प्रतिशतता निम्नलिखित है :—

क्रमांक	मिल का नाम	उत्पादन मूल्य की तुलना में लाभ/हानि की प्रतिशतता		
		1978-79 (अप्रैल, 78 से फरवरी, 1979 तक)	1977-78	1976-77
1.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	+ 0.4	— 0.5	— 3.0
2.	हीरा मिल्स	— 3.9	— 7.5	— 9.8
3.	स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स	—19.8	—18.9	—20.9
4.	न्यू भोपाल टेक्स० मिल्स	—10.5	—14.0	—24.3
5.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स	—10.3	—13.4	—18.7
6.	इन्दोर मालवा यूनाइटेड मिल्स	—14.4	—15.7	—34.5
7.	कल्याणमल मिल्स	—19.6	—16.7	—23.6

(ग) वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान राष्ट्रीय वस्त्र निगम (मध्य प्रदेश) लि० के अधीन प्रत्येक मिल के बारे में पूंजी प्रकृति की अन्य मदों तथा आधुनिकीकरण पर किये गये व्यय की राशि निम्नलिखित है :—

रु० (लाख में)

क्रमांक	मिल का नाम	1977-78		1978-79 (अप्रैल, 78 से फरवरी 1979 तक)	
		आधुनिकीकरण	अन्य वस्तुएं	आधुनिकीकरण	अन्य वस्तुएं
1.	इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स	20.92	6.39	4.06	—
2.	कल्याणमल मिल्स	33.93	4.00	1.12	10.02
3.	स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स	—	—	3.74	—
4.	हीरा मिल्स	65.49	5.09	28.43	2.73
5.	न्यू भोपाल टेक्स० मिल्स	15.22	—	26.89	0.15
6.	बंगाल नागपुन काटन मिल्स	30.23	2.92	24.10	—
7.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	—	4.15	—	—

संकटग्रस्त औद्योगिक एककों में पूंजी विनियोजन

7580. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋण के रूप में अथवा अन्य रूप से रुग्ण औद्योगिक एककों में कुल कितनी पूंजी लगाई गई;

(ख) सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्रों में लगाई पूंजी का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण अथवा धनराशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है; और

(घ) इन रुग्ण एककों में कपड़ा, पटसन और चीनी औद्योगिक एककों की संख्या कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) रुग्ण औद्योगिक उपक्रम की कोई सर्वस्वीकृत परिभाषा नहीं है अत: रुग्ण औद्योगिक एककों में कुल पूंजी निवेश में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण के रूप में अथवा किसी अन्य प्रकार से लगाई गई

राशि के बारे में संक्षेप में बताना सम्भव नहीं है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्हें हानि हुई है उनके बारे में जानकारी सरकारी उद्यमियों के ब्यूरों की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट में सदैव ही उपलब्ध होती है जो वित्त मन्त्रालय द्वारा सभा पटल पर रखी जाती है।

(ग) जब कभी बैंक औद्योगिक उपक्रमों को किसी विशिष्ट कार्य के लिए कार्यकारी पूंजी ऋण आदि देते हैं तब यह सभी उनकी परिसम्पत्तियों को गिरवी रख कर दिया जाता है। वे इन ऋणों का भुगतान, जब भी कभी बिक्री से आय होती है, तब करते हैं। जहां तक वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये गये सार्वधिक ऋणों का सम्बन्ध है, सावधिक ऋणों के संस्थानों के द्वारा भुगतान किये जाने सम्बन्धी समय सूची निर्धारित की जाती है। काफी हद तक ऋण लेने वालों को इस समय सूची को मानना पड़ता है। इन ऋणों का भुगतान करने सम्बन्धी उपक्रमों की क्षमता को देखते हुए, वे समय सूची में उचित समंजन कर लेते हैं।

(घ) मार्च, 1978 के अन्त में वस्त्र, पटसन तथा चीनी उद्योग के ऐसे औद्योगिक उपक्रमों की संख्या, जिनके पास एक करोड़ रु० तथा उससे अधिक का बैंक ऋण है और जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों के आधार पर बैंकों द्वारा रुग्ण पाये हैं, निम्न-लिखित हैं :—

(1) वस्त्र (एन० टी० सी० मिलों को छोड़कर)	74
(2) पटसन	31
(3) चीनी	28
योग :	133

कपड़े के बारे में सरकारी उपक्रमों को मार्गदर्शी निदेश

7581. **डा० पी० बी० पेरियासामी** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सहित सभी सरकारी उपक्रमों के लिये कुटीर उद्योग बोर्ड तथा हथकरघा बोर्ड से अपनी कपड़े आदि सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के बारे में क्या मार्गदर्शी निदेश तैयार किये गये हैं;

(ख) इन मार्गदर्शी निदेशों में कुटीर उद्योग बोर्ड तथा हथकरघा बोर्ड ने अपने कपड़ों तथा अन्य वस्तुओं की बिक्री द्वारा कितना लाभ उठाया है; और

(ग) क्या निर्धारित मार्गदर्शी निदेशों का पालन न करने वाले सरकारी उपक्रमों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) रेलवे सहित सरकारी क्षेत्र के सभी उपक्रमों के लिए हथकरघा क्षेत्र से अपनी कपड़े सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करने के बारे में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार नहीं किए गए हैं। कुटीर उद्योगों के बारे में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों को एकत्रित किया जा रहा है तथा सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) हथकरघा क्षेत्र के प्रकरण में प्रश्न ही नहीं उठता। कुटीर उद्योगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

(ग) हथकरघा क्षेत्र के मामले में प्रश्न ही नहीं उठता। कुटीर उद्योगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

सरदार भगतसिंह की स्मृति का अनुरक्षण

7583. **श्री समर गुह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार भगतसिंह की स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने की निरन्तर मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरदार भगतसिंह की एक प्रतिमा संसद भवन के अहाते में स्थापित करने की मांग दिल्ली वासियों द्वारा की गई है;

(ग) क्या गृह मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय के माध्यम से लाहौर जेल में, जहां भगतसिंह को फांसी दी गई थी, उनकी एक प्रतिमा स्थापित करने के लिए पहल करेगी; और

(घ) महान क्रान्तिकारी भगतसिंह की स्मृति को बनाये रखने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) समय-समय पर ऐसी मांगें की जाती रही हैं।

(ख) सरकार को संसद भवन के परिसर में सरदार भगतसिंह की प्रतिमा लगाने का एक सुझाव 1965 में प्राप्त हुआ था। परिसर लोक सभा के अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में आता था, इसलिये प्रायोजकों से यह अनुरोध किया गया था कि मामले पर आगे कार्यवाही करने से पहले अध्यक्ष की अनुमति प्राप्त की जाये। उस पत्र का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। सम्भवतः प्रायोजकों ने उस विचार को छोड़ दिया था।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) केन्द्र और राज्य सरकारें हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाती हैं। जिन व्यक्तियों ने भारत के स्वतन्त्रता संग्राम में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था उन सभी की स्मृति में उस दिन पूर्वाहन 11 बजे दो मिनट का मौन रखा जाता है।

फोटोस्टेट मशीनों का निर्माण

7584. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फोटोस्टेट मशीनों का निर्माण कर रही कम्पनियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ कम्पनियों ने उक्त मशीनें बनाने के लिए सरकार से अनुमति प्राप्त नहीं की है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) संगठित क्षेत्र में फोटो कापीइंग मशीनों का निर्माण करने वाले तकनीकी विकास के महानिदेशालय की सूची में दर्ज तीन एकक हैं। इन एककों का नाम इस प्रकार है :—

1) मैसर्स अडवानी आरलीकॉन प्रा० लि० बम्बई ।

2) ,, मानील एण्ड मागौर गाजियाबाद ।

3) ,, दास रिप्रोग्राफिक प्रा० लि० कलकत्ता ।

(ख) और (ग) "फोटो कापीइंग मशीन" वस्तु उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत नहीं आती है । अतः इस वस्तु को बनाने के लिए उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कोई लाइसेंस/अनुमति आवश्यक नहीं है ।

ब्रोमाइड पेपर की कमी

7585. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश में ब्रोमाइड पेपर की भारी कमी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ब्रोमाइड पेपर की कमी के कारण ब्रोमाइड प्रिंटरों को गम्भीर संकट का मुकाबला करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) देश में ब्रोमाइड पेपर की कोई भारी कमी नहीं है । किन्तु, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लि० (एच० पी० एफ०) के केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा बनाये गये ब्रोमाइड पेपर (जैसे डबल वेट लस्टर साफ्ट) की एक विशेष किस्म की कमी बताई गई थी । ब्रोमाइड पेपर की इस किस्म में कमी का कारण इसकी भाड़ा में अचानक वृद्धि होना है । इस मद की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स द्वारा हाल ही में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये अभ्युपाय किये गये हैं ।

फोटो सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

7586. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में फोटो सम्बन्धी वस्तुओं के निर्माताओं ने अपनी वस्तुओं के मूल्य बढ़ा दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी हां ।

(ख) निर्माताओं द्वारा फोटो सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्य मुख्य रूप से चांदी के मूल्य में बढ़ोतरी के कारण बढ़ाये गये जो उनके नियन्त्रण से बाहर है । यद्यपि, चांदी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया है । फोटो सम्बन्धी वस्तुओं के मूल्यों पर इसके प्रभाव का अनुमान लगाना अभी समय पूर्व होगा ।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग प्रबन्ध में कर्मचारियों द्वारा भाग लिया जाना

7587. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और इसकी अन्य संस्थाओं के प्रबन्ध में कर्मचारियों को भाग लेने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । आयोग की नीतियों व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कर्मचारी पहले से ही भूमिका (उपयोगी व सक्रिय भूमिका) निभा रहे हैं । आयोग द्वारा जिन संस्थानों को सहायता दी गई है उन संस्थानों में साधारणतया दो-स्तरीय (टू-टीयर) प्रबन्धक हैं अर्थात् यद्यपि मूलभूत शक्तियां संस्थान के न्यासधारी मंडल के पास होती हैं तो भी रोजमर्रा की व्यवस्था संचालक मंडल द्वारा की जाती है और इस मंडल में साधारणतया कर्मचारियों को शामिल किया जाता है । संस्थानों के नीति निर्धारण व रोजमर्रा के प्रबन्ध के विभिन्न स्तरों पर भी कर्मचारियों को शामिल किया जाता है और अनेक मामलों में तो निष्ठावान सेवा रखने वाले कर्मचारियों को भी न्यासधारी मंडल में शामिल किया गया है ।

सौराष्ट्र में दस लाख टन की क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र की स्थापना करना

7588. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र में दस लाख टन की क्षमता वाले सीमेंट संयंत्र की स्थापना की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना है;

(ग) क्या यह संयंत्र स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करेगा;

(घ) क्या इसका उत्पादन दक्षिण गुजरात और रत्नागिरि में स्थापित किये जाने वाले दो क्लिंकर ग्राइंडिंग संयंत्रों पर निर्भर करेगा; और

(ङ) इस परियोजना की लागत क्या होगी, इसे किस प्रकार पूरा किया जायेगा और इससे कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) गुजरात में मगदल्ला तथा महाराष्ट्र में रत्नागिरि में स्थित दो पिसाई एककों के साथ दस लाख मी० टन की क्षमता के लिए जफाराबाद में एक क्लिकर संयंत्र की स्थापना के लिये मैसर्स नर्मदा सीमेंट कम्पनी लि० के एक प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है ।

(ग) परियोजना की 11.50 करोड़ रुपये की कुल पूंजी में गुजरात सरकार का विचार 1.73 करोड़ रुपये की अंश पूंजी लगाने का है ।

(घ) यह फर्म जफाराबाद में उपलब्ध स्थानीय चूने के पत्थर का उपयोग करेगी ।

(ङ) इस परियोजना की अनुमानित लागत 56.41 करोड़ रुपये है, जिसे 5.20 करोड़ रुपये तक प्रवर्त्तकों के अंशदान द्वारा 4.80 करोड़ रुपये तक जनता में इक्विटी शेयर जारी करके, जनता को 1.5 करोड़ रुपये तक अधिमान शेयर जारी करके तथा वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों से 44.91 करोड़ रुपये तक की धनराशि का सावधिक ऋण लेकर पूरा किए जाने का विचार है । इस प्रस्ताव से 433 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की सम्भावना है ।

राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना

7589. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर० ए० पी० पी०, और आर० ए० पी० पी० II परियोजनायें इस समय चल रही हैं;

(ख) यदि नहीं, तो वे कब तक बिजली पैदा करना शुरू कर देंगी;

(ग) क्या इन संयन्त्रों में किसी विदेशी सहायता अथवा सामग्री का उपयोग किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इन्हें किस देश से प्राप्त किया जाता है और ये किन शर्तों के अधीन दिये जाते हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना का पहला यूनिट काम कर रहा है। आशा है कि उस परियोजना का दूसरा यूनिट भी उसे आरम्भ में चालू करने के लिए आवश्यक भारी पानी की पूरी मात्रा के उपलब्ध हो सकने पर इस वर्ष चालू कर दिया जायेगा।

(ग) तथा (घ) राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दोनों यूनिट कनाडा से प्राप्त तकनीकी जानकारी के आधार पर बनाये गये हैं। कनाडा ने हमें ऐसे उपस्कर और सामग्री देकर भी सहायता की, जो भारत में उपलब्ध नहीं थे। कनाडा द्वारा सप्लाई बन्द कर दी जाने पर, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना के दूसरे यूनिट के लिये आरम्भ में आवश्यक भारी पानी की अधिकांश मात्रा सोवियत संघ से प्राप्त की गई थी। दोनों ही देशों से प्राप्त सामग्री के साथ अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की सेफगार्ड व्यवस्था के लागू किये जाने की शर्त जुड़ी हुई थी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से मिनी कम्प्यूटरों और माइक्रो कम्प्यूटरों का निर्माण करने की योजना

7590. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **इलेक्ट्रानिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सहयोग से मिनी और माइक्रो कम्प्यूटरों का निर्माण करने की कोई योजना है;

(ख) क्या इस बारे में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक प्रतिनिधि मण्डल ने इस देश की यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां, तो इसकी क्या शिफारिशें हैं और उनके बारे में सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) कम्प्यूटरों तथा इलेक्ट्रानिक संघटक पुर्जों के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मार्च 1979 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से प्रमुख कम्प्यूटर कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 27 विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत के दौरे पर आया है।

(ग) प्रतिनिधि-मण्डल ने सरकार को कोई विशिष्ट शिफारिशें नहीं की हैं।

खेलकूद सामग्री उद्योग के लिए लकड़ी

7591. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद सामग्री उद्योग के लिए लकड़ी की उपलब्धता की स्थिति में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य रूप से लकड़ी पर आधारित खेल के सामान में इस्तेमाल किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल अच्छी किस्म का बेत है जिसे कर्नाटक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूहों से प्राप्त करके उसकी उपलब्धता में सुधार किया जा रहा है। क्रिकेट के बल्ले बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली बिलो क्लेफ्ट की पूर्ति जम्मू तथा कश्मीर राज्य से की जाती है। बिलो लकड़ी की उपलब्धता में सुधार करने हेतु, जो उद्योग को कम मात्रा में उपलब्ध है, सिक्किम तथा भूटान में अन्य स्रोतों का पहले ही पता लगा लिया गया है और क्रिकेट के बल्ले बनाने में उनकी उपयुक्तता के लिए नमूनों की जांच की जा रही है। हाकी तथा विभिन्न किस्मों के बल्ले बनाने में इस्तेमाल होने वाली मल्बरी तथा ऐश वुड भी कम मात्रा में मिलता है और कृषि मन्त्रालय इसको बागान लगाने के लिए इसके क्षेत्र में वृद्धि करने तथा उपलब्ध स्रोतों की कारगर उपयोगिता के पहले ही प्रभावी उपाय कर रहा है। खेल का सामान बनाने वाले उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है।

वाहनों की सप्लाई में कमी

7592. **श्री श्याम सुन्दर लाल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि वाणिज्यिक वाहनों की सप्लाई में निरन्तर कमी होने के कारण गत दो वर्षों के दौरान क्रेताओं के प्रतीक्षा-समय में वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि इन वाहनों तथा यहां तक कि इन टायरों को भी अत्यधिक लाभ कमा कर बाजार में बेचा जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने तथा उक्त शोषण को रोकने के लिए उनका विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) वाणिज्यिक वाहनों के उत्पादन में कोई गिरावट नहीं आई है। वास्तव में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन 1978-79 में बढ़कर 68,225 नग हो गया जबकि 1977-78 में यह 41,244 नग था। तथापि वाणिज्यिक वाहनों की मांग में भी वृद्धि हुई है तथा विशेष रूप से टेल्को और अशोक लेलैंड की अधिक पसन्द की जाने वाली मेकों की चैसिसों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसी आशा है कि 1979-80 में किये जा रहे विभिन्न उपायों से वाणिज्यिक वाहनों की सप्लाई में और सुधार हो जायेगा।

(ख) तथा (ग) प्रीमियम आदि लेने से सम्बन्धित कदाचार की गुन्जाइश को कम करने के उद्देश्य से उत्पादन वृद्धि के लिए कदम उठाये गए हैं। इसके अतिरिक्त दिनांक 21-3-1979 को जारी किये गये आदेश द्वारा सरकार ने इसके खरीदने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए नये वाणिज्यिक वाहनों की पुनः बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

हिमाचल प्रदेश में एच० एम० टी० की यूनिट की स्थापना

7594 **श्री दुर्गाचन्द : उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिंजौर की भांति हिमाचल प्रदेश में एच० एम० टी० का एक बड़ा कारखाना स्थापित किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसकी स्थापना कब तक की जायेगी ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं तथा ऐसा कारखाना स्थापित करने का मानदण्ड क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) पिंजौर में एच० एम० टी० का कारखाना ट्रैक्टर और मशीनी औजार बनाने के लिए है। उत्पादों की वर्तमान उत्पादन क्षमता तथा उनकी संभावित मांग को देखते हुए पिंजौर जैसा एक दूसरा कारखाना स्थापित करने के लिए एच० एम० टी० में किसी बड़े निवेश की जरूरत नहीं है।

खादी ग्रामोद्योग भवन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का भरा जाना

7595. **डा० महादीपक सिंह शाक्य**
श्री लालजी भाई } : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली में प्रत्येक कैडर में अनुसूचित जातिय और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कोटे को भर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी संख्या कितनी है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में दिन दहाड़े चोरियां

7596. **श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आमतौर से दिल्ली में तथा विशेषतया जमुनापार बस्ती विश्वास नगर, शाहदरा

दिल्ली-32 में अगस्त, 1978 से दिसम्बर, 1978 के दौरान दिन दहाड़े चोरियों की कुल कितनी घटनायें हुईं;

(ख) क्या अब तक इनमें से कोई मामला हल किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) अगस्त, 1978 से दिसम्बर. 1978 के दौरान दिन दहाड़े चोरियों के मामलों के सम्बद्ध ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

	रिपोर्ट किये गये	रद्द किये गये	मंजूर किये गये	चालान किये गये	सिद्ध दोष ठहराये गये	दोष मुक्त किये गये
(i) संघशासित क्षेत्र, दिल्ली	4827	95	4732	364	29	2
(ii) विश्वास नगर, शाहदरा का क्षेत्र	14	—	14	—	—	—

	विचारण के लिए लम्बित	जांच पड़ताल के लिए लम्बित	लापता
(i) संघशासित क्षेत्र, दिल्ली	333	248	4120
(ii) विश्वास नगर, शाहदरा का क्षेत्र	—	2	12

20 बड़े घरानों को लाइसेंस देना

7597. **श्री हलीमुद्दीन अहमद** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 के बाद 20 बड़े औद्योगिक घरानों को कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये;

(ख) क्या बिड़ला बन्धुओं को सबसे अधिक लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो किस संगठन को सबसे अधिक लाइसेंस मिले हैं; और

(घ) क्या सरकार पांच करोड़ से ज्यादा के लाइसेंस केवल सहकारी समितियों को देगी और उन उद्योगों को चलाने के लिए संसद सदस्यों को वियुक्त किया जाएगा ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ग्रामोफोन रिकार्डों का उत्पादन

7598. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने एकक ग्रामोफोन रिकार्ड बना रहे हैं, उनके नाम क्या हैं, उनकी स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता कितनी है तथा गत पांच वर्षों का उनका वार्षिक उत्पादन कितना-कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इनमें से प्रत्येक एकक में कुल कितनी बिक्री हुई; और

(ग) इनमें से प्रत्येक एकक ने गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितना निर्यात किया और उन कम्पनियों को कितनी राशि स्वदेश भेजने की अनुमति दी गई और उनकी विदेशी साम्य पूंजी कितनी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) देश में ग्रामोफोन रिकार्ड के निर्माण हेतु तीन स्वीकृत कम्पनियां हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	स्वीकृत क्षमता (लाखों में)	उत्पादन (संख्या लाखों में)				
			1974	1975	1976	1977	1978
1.	मै० ग्रामोफोन कं० आफ इंडिया लि०	90.21	70.69	69.79	63.71	68.59	78.63
2.	मै० पाली डोर आफ इंडिया लि०,	16.80	7.17	9.06	10.72	10.38	10.00
3.	मै० इंडियन रिकार्डस मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०	23.40	शून्य	शून्य	शून्य	3.14	(अनुमानित) 5.91

(ख) इन कम्पनियों का विगत तीन वर्षों का बिक्री सम्बन्धी पण्यावर्त इस प्रकार बताया गया है :—

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	बिक्री पण्यावर्त (ग्रामोफोन रिकार्डस) (रुपये लाखों में)		
		1976	1977	1978
1.	मै० ग्रामोफन कं० ऑफ इंडिया लि०	747.66	831.41	10 9.16
2.	मै० पोलीडोर ग्राफ इंडिया लि०	141.80	152.09	उपलब्ध नहीं
3.	मै० इंडियन रिकार्डस मैन्यु० कं० लि०	शून्य	22.95	56.73

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक कम्पनी द्वारा किया गया ग्रामोफोन रिकार्डों का निर्यात इस प्रकार बताया गया है :—

क्र० सं०	कम्पनी का काम	निर्यात (रुपये लाखों में)		
		1976	1977	1978
1.	मै० ग्रामोफोन कं० ग्राफ इंडिया लि०	133.32	161.74	215.11
2.	मै० पोलीडोर ग्राफ इंडिया लि०	37.12	46.03	उ० न०
3.	मै० इंडिया रिकार्डस मैन्यु० कं० लि०	शून्य	1.13	5.50

मैसर्स पोलीडोर ग्राफ इंडिया लि० तथा मैसर्स ग्रामोफोन कम्पनी ग्राफ इंडिया लि० के पास विदेशी इक्विटी है। मैसर्स पालीडोर ग्राफ इंडिया लि० ने विगत तीन वर्षों में कोई लाभांश नहीं भेजा है। मैसर्स ग्रामोफोन कं० ग्राफ इंडिया द्वारा विगत तीन वर्षों में भेजा गया लाभांश इस प्रकार है :—

वर्ष	लाभांश के रूप में भेजी गई धन राशि (रुपये लाखों में)
1976	9.54
1977	1.55
1978	9.72

मंत्रालयों में हिन्दी में कार्य के लिए कर्मचारी

7599. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों का इसलिए पूरी तरह क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है कि अनुवाद कार्य तथा अधिनियम उपबन्धों के क्रियान्वयन सम्बन्धी काम के लिये पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं;

(ख) क्या प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय के लिए हिन्दी में काम करने के लिए न्यूनतम कर्मचारी निर्धारित नहीं किये गये हैं जिसके परिणामस्वरूप इस सम्बन्ध में काम की प्रगति अत्यंत धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक मंत्रालय/कार्यालय में पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) से (ग) सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि कुछ मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में हिन्दी से सम्बद्ध काम के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी नहीं हैं। सम्बद्ध मंत्रालय/विभाग इस विषय में उचित कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ मानकों के आधार पर हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों आदि की नियुक्ति के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

श्री के० गोपाल (करूर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : किस विषय पर ?

श्री के० गोपाल : नियम 367 के अधीन, श्रीमान्, कल जबकि ऊर्जा मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा की गई थी, एक ऐसी घटना हुई थी जो पहले कभी नहीं हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस मामले पर विचार कर लिया है। प्रो० मावलंकर तथा श्री रवि ने एक पत्र लिखा है। मैं इस बारे में सम्बन्धित सभापति से बातचीत करूंगा। यह उठाने लायक मामला नहीं है।

श्री के० गोपाल : मेरी बात कुछ भिन्न है। क्या वही मांगें दोबारा मतदान के लिए रखी जा सकती हैं ? कल की कार्यवाही संकलन के पृष्ठ 25545 पर कहा गया है:

सभापति महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कार्य सूची के स्तम्भ 2 में ऊर्जा मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 28 से 30 के सामने दिखाई गई मांगों के शीर्षकों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1979 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पंजीलेखा राशियों से क्रमश: अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाये।"

जो इसके पक्ष में हों वे हां कहें;

"कुछ सदस्यों ने" 'हां' कहा।

सभापति महोदय : जो इसके विरुद्ध है वे 'न' कहें,

कुछ सदस्यों ने 'नहीं' कहा।

सभापति महोदय : मेरे विचार से 'हां' कहने वाले विजयी हुए.....।'

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : खड़े हुए और कहा कि मेरे कटौती प्रस्तावों का क्या हुआ। उन्हें अलग से मतदान के लिए नहीं रखा गया है। तब सभापति ने कहा :

"यदि आप मत विभाजन चाहते हैं तो इस मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर मत विभाजन होगा : **(व्यवधान)** यदि आप मत विभाजन नहीं चाहते तो मैं यह मान लेता हूँ कि मांगें पारित हो गई हैं **(व्यवधान)**"

यही बात हुई थी। तब हममें से कुछ-एक ने आपत्तियां उठाई थीं।

अध्यक्ष महोदय : गोपलजी क्या हमें यह मामला समाप्त कर देना चाहिए ?

श्री के० गोपाल : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि दो बजे मंत्री महोदय को बोलने के लिए कहा गया था। श्री सोमनाथ चटर्जी तथा श्री पूर्ण नारायण सिन्हा अपने लिये पांच मिनिट चाहते थे। उन्हें अनुमति नहीं दी गई। मन्त्री को बोलने को कहा गया था। यह सारी प्रक्रिया अवैध थी। मैं कल की घटना पर आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में विनर्णय देने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री के० गोपाल : यहां विभाजन की घण्टी केवल बजट मांगों को मतदान के लिए बजी थी। परन्तु इसके बाद यह मान लिया गया जैसे कि यह मत-विभाजन श्री राजन द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों के लिए हुआ था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने मामले की जांच की है। मैं यह कहता हूँ कि यह मामला अब समाप्त हो चुका है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं कि मामला समाप्त हो चुका है। उसे हम समाप्त मान सकते हैं यदि इससे भविष्य के लिए कोई शिक्षा ले ली जाये।

अध्यक्ष महोदय : हम इससे सबक सीखेंगे।

श्री के० गोपाल : हमें इससे सबक सीखना चाहिए। किसको सबक सीखना चाहिये ? गत सप्ताह हमने आपको लिखा था। कि... .....

अध्यक्ष महोदय : हम पीठासीन अधिकारी इससे सबक सीखेंगे।

श्री के० गोपाल : कृपया एक मिनिट सुनिये। गत सप्ताह हमने इस बारे में लिखा था कि किस प्रकार सभा की कार्यवाही चलाई जा रही है। दलों को आबंटित समय नहीं दिया गया जबकि शासक दल के सदस्यों तथा मंत्रियों को बोलने के लिये कहा गया। यह बात पहली बार नहीं हुई है। इसीलिए मुझे क्रोध आया है। कल-परसों सभा में गणपूर्ति नहीं थी जबकि जनता पार्टी का एक भी सदस्य सभा में मौजूद नहीं था जबकि अ सन्यदस्य यहां उपस्थित थे।

अध्यक्ष महोदय : यही बात मुझे दूसरी ओर भी दिखाई देती है।

श्री के० गोपाल : आप रिकार्ड देख लीजिये यदि हमने गल्ती की होगी तो हम क्षमा-

याचना के लिये तैयार हैं। हमने गल्ती नहीं की है। क्योंकि आप सुझाव दे रहे हैं कि मामले को अब समाप्त कर दिया जाये तो मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूँ। परन्तु भविष्य में कृपया यह देखें कि कार्यवाही उचित रूप से चले।

अध्यक्ष महोदय : मैं सम्बन्धित सभापति से विचार-विमर्श करूंगा।

पी० जी० मावलंकर : बात केवल इतनी है कि क्या आपने रिकार्ड देखा है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसका अक्षरशः अध्ययन किया है।

श्री के० गोपाल : श्री बीजू पटनायक तक ने भी यही बात कही थी...(**व्यवधान**)।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : यदि सभापति की ओर से कोई आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं तो उन्हें कार्यवाही से निकाल दिया जाना चाहिये। मैं यह एक अनुरोध कर रहा हूँ। सभापति ने मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी। आप कृपया रिकार्ड देख लीजिए। उन्होंने कहा कि उन्हें निकाल दिया जायेगा।

श्री के० गोपाल : यहां लोग गणपूर्ति की मांग करते हैं। जब वहां गणपूर्ति नहीं थी तब भी सभा की कार्यवाही चलती रही। यह बात भी हम आपको बताना चाहते हैं। यह अनुचित है। वह सज्जन लोकतन्त्र की बात कर रहे थे। क्या सभा को धराशाही करने का यही तरीका है। यह अनुचित है (**व्यवधान**)।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति-शान्ति अब मैं बोल रहा हूँ। मैंने कार्यवाही वृतांत को देखा है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : कृपया पूरा वृतांत पढ़िये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने समूचा वृतांत पढ़ा है। मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि ऐसी घटना भविष्य में न हो। आप हमें क्षमा कर दीजिए। अथवा हमें आपको क्षमा कर देना चाहिए ये मामले उठाने लायक नहीं हैं।

श्री के० गोपाल : हम नहीं चाहते कि आप हमें क्षमा करें। हमने कुछ नहीं किया है। हम झगड़ा नहीं करना चाहते। आपने हमारे लिए क्या किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं विशिष्ट रूप से इस मामले के बारे में यह सब कुछ कह रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : (डायमण्ड हार्बर) श्रीमन्, मैं आधा मिनिट के लिए गार्डनरीच वर्कशाप तथा भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जहां हमें 15 करोड़ रुपये की हानि हुई है।

अध्यक्ष महोदय : विषय यह नहीं है। मैं आपको बता चुका हूँ कि आप नियम 337 के अधीन सूचना दे सकते हैं। यदि आप इस विषय को अब उठाते हैं तो मैं आपको नियम 377 के अधीन उसे उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

अब पत्र सभापटल पर रखे जायेंगे। श्री अडवाणी !

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1979-80 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरे वार मांगें

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए** संख्या एल० टी० 4308/79]

शाह जांच आयोग का तीसरा तथा अन्तिम प्रतिवेदन और प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण, विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन अधिसूचना और अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखने के कारण बताने वाला विवरण

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : महोदय, श्री धनिक लाल मंडल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आपात के दौरान सत्ता का दुरुपयोग, ज्यादतियां तथा कदाचार किए जाने की जांच करने के लिए गठित शाह जांच आयोग के दिनांक 6 अगस्त, 1978 के तीसरे और अन्तिम प्रतिवेदन (*हिन्दी संस्करण) की एक प्रति।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी० 4309/79]

(3) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 1086 की एक प्रति, जो दिनांक 31 मार्च, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उगांडा से विदेशियों विषयक आदेश 1972 तुरन्त रद्द किया गया है।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित अधिसूचना का हिन्दी संस्करण उसके अंग्रेजी संस्करण के साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गए देखिए।** संख्या एल० टी० 4310/79]

वर्ष 1979-80 के लिए इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : मैं वर्ष 1979-80 के लिए इलैक्ट्रानिक्स विभाग के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए,** संख्या एल०टी० 4317/79]

— ———

*प्रतिवेदन का अंग्रेजी संस्करण 31 अगस्त, 1978 को सभा पटल पर रखा गया था।

लोक लेखा समिति

124वाँ प्रतिवेदन

श्री पी० बी० नरसिम्हा राव (हनमकोंडा) : मैं तम्बूओं, एसम्बली स्प्रिगों, अंगोला कमीजों और गन मैटल सिल्लियों की खरीद पर लोक लेखा समिति के 20 वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 124वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

सरकारी उपक्रमों संबंधी सम्पत्ति

40वाँ प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (पाँचवीं लोकसभा) के 75वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 40वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, मैं मद संख्या 7 के बारे एक निवेदन करना चाहता हूँ । कार्य सूची के अनुसार "श्री एच० एम० पटेल जमशेदपुर में स्थिति के बारे में एक वक्तव्य देंगे" । पाद टिप्पणी के अनुसार यह वक्तव्य पाँच बजे दिया जायेगा और उसके बाद इस पर चर्चा होगी । मेरा निवेदन यह है कि यदि वक्तव्य इस समय दिया जाता है तो हम इस पर विचार कर सकेंगे और इस पर अर्थपूर्ण चर्चा भी हो सकती है । लेकिन यदि इसे पांच बजे दिया जाता है और फिर इस पर चर्चा की जाती है तो यह चर्चा सार्थक नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि वक्तव्य तैयार है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे 2 बजे म० प० वक्तव्य दें ।

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं पूछ कर आपको बताऊंगा कि वक्तव्य तैयार है कि नहीं ।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : महोदय, मेरा एक दूसरा निवेदन है कि चर्चा का समय दो घंटे तक सीमिति न किया जाए (**व्यवधान**) ।

अध्यक्ष महोदय : हालांकि यह कार्यसूची में शामिल नहीं है । तथापि मैंने श्री जार्ज फर्नान्डीज को अनुमति दी है कि वे न्यायमूर्ति श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में गठित बड़े औद्योगिक गृहों संबंधी जांच आयोग के बारे में एक वक्तव्य दें क्योंकि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है ।

बड़े औद्योगिक गृहों सम्बन्धी जांच आयोग के बारे में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : जैसा कि माननीय सदन को पता है, भारत सरकार की 18 फरवरी, 1970 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री ए० के० सरकार की अध्यक्षता में बड़े औद्योगिक गृह संबंधी जाँच आयोग (सरकार कमीशन) का गठन किया गया था । आयोग की नियुक्ति करने की अधिसूचना के अनुसार उसकी रिपोर्ट अधिसूचना की तारीख अर्थात 17 फरवरी, 1971 से एक वर्ष के अन्दर सरकार

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

को दी जानी थी। आयोग अपनी जाँच पूरी नहीं कर सका तथा सरकार द्वारा प्रति वर्ष उसकी अवधि बढ़ायी गई है। आयोग पर 1970-71 से लेकर 1978-79 तक कुल मिलाकर 1,64,00,946 रुपये का व्यय हुआ है तथा चालू वर्ष में आयोग पर होने वाले व्यय का अनुमान 21 लाख रुपये लगाया गया है। आयोग यद्यपि 9 वर्ष से अधिक समय तक मौजूद रहा तो भी उसने अभी तक कोई रिपोर्ट पेश नहीं की है।

फरवरी, 1970 में आयोग की स्थापना किए जाने के उपरान्त उसने जाँच आयोग अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार जनता को जानकारी दी जाने के लिए आमन्त्रित करते हुए अगस्त, 1970 में एक अधिसूचना जारी की थी। चूंकि जनता से इस अधिसूचना का सन्तोषजनक उत्तर नहीं मिला तथा आयोग ने यह महसूस किया कि इससे कोई सहायता भी नहीं मिलेगी, इसलिए आयोग ने स्वयं ही अपने एक जांच-पड़ताल संगठन की सहायता से आरोपों के सम्बन्ध में तथ्य इकट्ठे करना प्रारम्भ कर दिया था। उसने भारत सरकार तथा वित्तीय संस्थानों की फाइलों की जाँच करनी शुरू कर दी तथा जाँच से सम्बन्धित रिकार्ड भी देखे। अब तक 10,000 से अधिक फाइलों की जाँच की गई है। आयोग द्वारा अपनायी गई इस क्रिया विधि के परिणामस्वरूप आयोग के कार्य-संचालन में पर्याप्त विलम्ब हुआ। रिकार्ड प्राप्त कर लेने के बाद में आयोग के जांच पड़ताल संगठन के अधिकारियों को यह निर्धारण करने की दृष्टि से कि क्या कोई ऐसी अनियमितताएं हुई हैं जिनके बारे में जाँच की जानी है व सम्बन्धित व्यक्ति पर जिम्मेदारी नियत करनी है अथवा जो संस्थान प्रथमदृष्टया उसके लिए जिम्मेदार हैं उनके सम्बन्ध में सूचना का विश्लेषण करने में काफी समय लगाना पड़ा था। प्राथमिक जाँच समाप्त हो जाने के बाद भी आयोग द्वारा जाँच रिपोर्ट पर विचार किया गया था तथा प्रतिकूल प्रभाव वाले सम्भावित लोगों को सुनवाई का अवसर देना पड़ा था तथा अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। इन सुनवाइयों में आयोग के परामर्शदाता द्वारा संगत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे तथा जिन लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना थी उन्हें मामले के विषय में अपने बचाव के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने अथवा अन्यथा स्वयं अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया गया था। पालन की गई यह प्रक्रिया तथा भारी परिमाण में इन कागजातों को देखने में पर्याप्त समय लगा।

आयोग की नियुक्ति की अधिसूचना में ही विचारार्थ विषयों का स्वरूप बड़ा विशद एवं विभिन्न प्रकार का था जिसमें 1956 से 1966 की अवधि के अधिकांश औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में समस्त औद्योगिक लाइसेंसिंग का अवलोकन करना पड़ा था। आयोग से अपेक्षा की गई थी कि वह अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के बारे में जाँच करे तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे—

(1) औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति, जाँच समिति द्वारा बताई गई अनियमितताओं, चूकों अथवा अनौचित्यों के उदाहरण अपनी रिपोर्ट में देना।

(2) वित्तीय एवं अन्य संस्थाओं द्वारा बड़े औद्योगिक गृहों को दी गई वित्तीय सहायता।

(3) बिड़ला समूह की फर्मों के बारे में अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विस्तार से दिए गए आरोप।

(4) बिड़ला समूह के बारे में लगाए गए ऐसे अनेक आरोप जिनकी जनहित में और अधिक जांच की जानी थी।

(5) ऐसी अनियमितताओं, चूकों या अनौचित्यों को भविष्य में पुनः न होने देने का सुनिश्चय करने के लिए आयोग के विचार से जनहित में आवश्यक या वांछनीय अभ्युपाय, चाहे वे पद्धतियों के बारे में हों या अन्य किसी विषय के बारे में।

(6) पहले भेजे गए मामलों से सम्बन्धित या उनसे उत्पन्न होने वाले मामलों से सम्बन्धित ऐसे अन्य आरोप या मामले जो उसकी जानकारी में लाए जाएं।

आयोग के सम्मुख ऐसे विस्तृत व विविध किस्म के विचारार्थ विषय होने के कारण ही 9 वर्ष से अधिक की अवधि का यह असाधारण विलम्ब हुआ है और आयोग अपनी रिपोर्ट नहीं दे सका है।

बिड़ला समूह की फर्मों द्वारा कलकत्ता व पंजाब तथा हरियाणा के उच्च न्यायालयों में अनेक याचिकाएं दायर करने के कारण भी आयोग के कार्य में बिलम्ब हुआ है। आयोग की कार्रवाइयों के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए कुल मिलाकर तीस फर्मों ने उच्च न्यायालयों ने याचिकाएं दायर की थीं। कलकत्ता, पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालयों द्वारा 10-9-1970 से 25-9-1974 तक की अवधि में विभिन्न तारीखों को याचिकाओं और। या स्थगन आदेश के लिए दायर की गई याचिकाओं पर अंतरिम आदेश जारी किए गए थे। सरकार द्वारा इन स्थगन आदेशों को खत्म करने हेतु या तो कोई पर्याप्त कार्रवाई की गई थी और न इन मामलों की मार्च, 1977 तक सुनवाई करने के लिए तत्काल अभ्युपाय किए गए थे। जब वर्तमान सरकार ने मार्च तथा अप्रैल, 1977 में कार्य सम्भाला तब इन मामलों की सुनवाई कराने तथा स्थगन आदेशों को खत्म करने हेतु तत्काल परामर्श किए गये थे। पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय में दर्ज कराई गई रिट् याचिका खर्च सहित खारिज कर दी गई थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिकाओं पर सुनबाई शुरू हुई। ओरियंट पेपर मिल्स द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर की गई रिट याचिका पर सुनवाई हुई और जांच आयोग, नियुक्त करने संबंधी अधिसूचना की अनुसूची (ग) की संख्या 2, 4, 9, 11, 12 तथा 13 को खत्म करने का (स्ट्राइकिंग डाउन) फैसला सुना दिया और उच्च न्यायालय ने नियम को अबाधित बना दिया।

आयोग की रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने में हो रही असाधारण देरी को देखते हुए संसद में तथा उससे बाहर काफी आलोचना हुई है। यह अनेक संसद प्रश्नों का विषय भी बना है और आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी के बारे में कई संसद सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, आयोग से इस बारे में परामर्श किया गया था कि क्या वह अपनी अन्तिम रिपोर्ट दी जाने के बारे में कोई समय सीमा बता सकेगा। आयोग ने सरकार को सूचित किया था कि 1981 तक आयोग द्वारा अपना कार्य पूरा करना सम्भव नहीं होगा। केवल अन्तरिम रिपोर्ट ही 18 महीने से अधिक समय ले लेगी और इस अवधि में सरकार को प्रति वर्ष लगभग 20 लाख रुपये का भारी व्यय करना पड़ेगा। वह आयोग द्वारा पहले किये गये कार्य

[श्री जार्ज फर्नान्डीस]

के बारे में छः महीने में एक अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी सहमत होने में हिचकिचा रहा था। इसी बीच न्याय मूर्ति सरकार ने प्रधान मन्त्री को अपना त्यागपत्र भी दे दिया था।

इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए सरकार को निम्नलिखित सम्भव कार्रवाई करने के लिए विचार करना पड़ा था—

(1) सरकारी कोष में काफी व्यय करने और बिना किसी ऐसे अश्वासन के कि इससे लाभप्रद परिणाम निकलेंगे इसे भली भांति जानते हुए भी आयोग को अनिश्चित काल के लिए चलाते रहना;

(2) आयोग को इसका कार्य जैसी हालत में था उसी हालत में छोड़ते हुए तत्काल समाप्त करना; तथा

(3) न्यायमूर्ति सरकार का त्यागपत्र स्वीकार करना तथा आयोग को उसकी मौजूदा हालत में ही समाप्त करना, किन्तु उन व्यक्तिगत मामलों का भी पता लगाना जिनमें विद्यमान सरकारी विभागों द्वारा और आगे जाँच करके की जाने वाली कानूनी कार्रवाई के लिए प्रथमदृष्टया साक्ष्य उपलब्ध था। आयोग द्वारा किए गए काम से उत्पन्न बड़े औद्योगिक गृहों के बारे में सामान्यतः उठाई गई समस्याओं का पता लगाने का सरकार प्रयत्न करेगी।

क्योंकि यह विषय जनता से संबंधित था और इस विषय पर अनेक संसद प्रश्न होते थे मैंने आगामी कार्यवाई के लिए जिसका कि सरकार कमीशन के काम के बारे में अनुसरण किया जाये विचार विमर्श करने हेतु विरोध पक्ष के नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस विचार विमर्शों को सुकर बनाने हेतु आयोग के कार्यकाल को दो बार अर्थात फरवरी 1979 से मार्च, 1979 तथा मार्च 1979 से अप्रैल, 1979 तक बढ़ाया गया। मैंने उनके सामने पूरी पृष्ठभूमि बताई कि कैसे यह मामला प्रारंभ हुआ और कैसे बाद में आयोग का गठन हुआ तथा सरकार के सामने उपस्थित विकल्पों को भी बताया जिनका पहले उल्लेख किया जा चुका है। इन विचार विमर्शों के संदर्भ में और संगत बातों पर पूर्णतः विचार कर लेने के उपरान्त सरकार ने ऊपर (3) पर लिखित कार्यवाई करने का निश्चय किया है। तदनुसार सरकार ने न्यायमूर्ति श्री ए० के० सरकार का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है और आयोग को आज से समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का प्रस्ताव आयोग के सभी अभिलेखों को जिनमें जाँच रिपोर्टें जो इसने अभी तक पूरी की हैं अधिकार में लेकर संबंधित मंत्रालयों/विभागों को आयोग के प्रारंभिक निष्कर्षों/निर्णयों को ध्यान में रखकर विधिसम्मत कार्यवाही के लिए देने का है।

निष्कर्षतः मैं दोहराना चाहूंगा कि सरकार को बड़े औद्योगिक गृहों संबंधी नीति, संसद में 23 दिसम्बर, 1977 को रखे गये औद्योगिक नीति विवरण में स्पष्ट कर दी गई है। अपनी लाइसेंसीकरण नीति से सरकार बड़े औद्योगिक गृहों की गतिविधियों को देश के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप नियमित करेगी यह सुनिश्चित करना सरकार की नीति होगी कि कोई एकक या कोई व्यापारी वर्ग बाजार में एकाधिकारी या अधिपत्य की स्थिति ग्रहण न कर ले। बड़े औद्योगिक गृहों की वर्तमान औद्योगिक गतिविधियों की भी समीक्षा की जायेगी ताकि परस्पर

सम्बद्ध उत्पादन उत्पन्न अनौचित्यपूर्ण व्यवहार को हटाया जा सके। सामाजिक दायित्व का सुनिश्चय करने हेतु वितीय संस्थाओं, जिनकी बड़े उद्यम स्थापित करने या चलाने में सहायता लेना जरूरी है, से आशा की जाती है कि वे अपने द्वारा वित्त प्रदाय किए गए एककों के कार्यों पर निगरानी रखने में अधिक सक्रिय भूमिका निभायेंगे ताकि प्रबंध के अधिकाधिक विषयानुकूल व राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हटाने का सुनिश्चय किया जा सके।

मुझे विश्वास है कि इस नीति के क्रियान्वयन में सरकार को सदन के सभी वर्गों से सहयोग मिलेगा।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में मरूस्थल का विस्तार

चौधरी राम मक्कासर गोदारा (बीकानेर) : केन्द्रिय शुष्क क्षेत्र गवेषणा संस्था जोधपुर के वैज्ञानिकों के मतानुसार राजस्थान में रेगिस्तान निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। इस रेगिस्तान क्षेत्र में रेत की मात्रा बढ़ रही है और हाल के कुछ वर्षों में यह भयावह रूप धारण कर गया है। यह स्थिति कितनी भयंकर हो गई है इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि बाडमेर नगर के उत्तर पूर्व में एक पहाड़ी चालीस वर्ष पहले रेत से पूर्ण मुक्त थी किन्तु अब वह स्थान रेत में दब गया है। बाडमेर, जालौर और जोधपुर जिलों में पहाड़ियों की आड़ में भारी मात्रा में रेत एकत्र हो रही है। जोधपुर शेरगढ़ मार्ग पर भी रेत का जमाव बढ़ता जा रहा है और अनेक स्थानों पर रेत के टीले बन गये हैं। जोधपुर नगर के चारों ओर रेत की ढेरियाँ प्रकट होने लगी हैं और प्रतिदिन—उनका आकार बढ़ रहा है। जोधपुर जैसलमेर राजमार्ग पर रेत की गहनता इतनी विकराल हो गई है और इस मार्ग को रेत ने इतना ढक लिया है कि इसकी दिशा बदलना आवश्यक हो गया है। जैसलमेर से सोम को जाने वाला मार्ग कुछ ही वर्षों में रेतीले टीलों में विलीन हो जाएगा। पोकरण, शेरगढ़ और ओसियान में प्रतिदिन रेत के टीलों का जमघट हो रहा है। बाड़मेर में शिवनामक स्थान और बीकानेर जिले में छतरगढ़ और नोखा रेत के महासागर में शीघ्र ही अन्तर्ध्यान हो जाएंगे। फीरोजपुर, भटिंडा, हिसार, पश्चिमी महेन्द्रगढ़, झंझुन, सीकर और नागौर जिलों में भी रेत की मात्रा बढ़ रही है। इन क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में रेत का घेरा तेज गति से बढ़ रहा है। हमारे देश में रेत के एकत्र होने की गहनता और विस्तृत भूभाग में इसका फैलाव किसी विभीषिका से कम नहीं है। यदि समय पर इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो इसके गम्भीर परिणाम होंगे जिनकी कल्पना से हृदय कांप उठता है। मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ कि इस महत्वपूर्ण समस्या के प्रति सरकार का ध्यान आकृष्ट करूं और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कारवाई कर रही है उससे सदन को अवगत कराया जाए।

(दो) कोचीन पत्तन का विकास

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : महोदय, नियम 377 के अधीन, मैं निम्नांकित मामला उठाना चाहता हूँ:

कोचीन पत्तन बन्दरगाह सामुद्रिक दुनिया में अरब सागर की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। कोचीन पत्तन भारत के समुद्री व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यह देश के समृद्ध प्रमुख

[श्री के० ए० राजन]

पत्तनों में से एक है जहाँ नौवहन और व्यापार के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। कोचीन सम्पूर्ण केरल और कर्नाटक तथा तमिलनाडु के भागों तक फैले समृद्धिशाली तथा सशक्त पश्च प्रदेश की सेवा करता है।

पत्तन का भविष्य इसके तत्काल विकास पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इस पर विचार करते हुए, कोचीन पत्तन न्यास ने कोचीन पत्तन के विकास के लिए समाकलित योजना के बारे में एक परियोजना प्रतिवेदन पेश किया है। अब यह प्रतिवेदन स्वीकृति के लिए परिवहन मत्रांलय में पड़ा हुआ है।

26.08 करोड़ रु० की लागत वाले परियोजना प्रतिवेदन में निम्नलिखित बातें हैं :

(1) अर्नाकुलम चैनल में 07—09 घाटों के सामने तेल-पोत घाट जो 1,15,000 कुल भार वाले पोतों के लिए काम आ सके।

(2) 40,000 कुल भार वाले पोतों के लिए एक उर्वरक घाट जहाँ मशीन से माल उतारने की सुविधा हो।

(3) पहले चरण में जो केवल परियोजना प्रतिवेदन में ही शामिल है, शुरू में 35 फुट डुबाव की व्यवस्था होगी। इससे 11,500 कुल भार वाले तेल-पोत 63,000 कुल भार के साथ पत्तन पर आ सकेंगे। बाद के चरण में अतिरिक्त तलकर्षण द्वारा, 40 फुट तक डुबाव (ड्राफ्ट) की व्यवस्था की जा सकेगी।

यह परियोजना निम्नांकित लाभों के कारण स्वीकृत परियोजना मानी गई है:

(क) पत्तन का अर्नाकुलम चैनल सापेक्ष रूप से स्थायी तथा अपने आप पर निर्भर है और इस चैनल के साथ-साथ उन्नत सुविधाएं मितव्ययी सिद्ध होंगी, मुख्यतः तलकर्षण के दृष्टि-कोण से।

(ख) कोचीन शिपयार्ड चैनल की चौड़ाई बढ़ा दी जाए तो उसका लाभ वे अपने 75,000 कुल भार वाले तथा इससे भी अधिक भार वाले जहाजों के लिए उठा सकेंगे। भारत सरकार चैनल को शिपयार्ड की कीमत पर चौड़ा करने के प्रस्ताव का अनुमोदन सिद्धान्त रूप में पहले ही कर चुकी है।

(ग) वर्तमान 09 घाट, जिसका उपयोग कच्चा माल उतारने के लिए उर्वरक तथा रसायन, त्रावनकोर द्वारा किया जा रहा है, पूरी तरह से कन्टेनर आपरेशंस के लिए मुक्त कर दिया जाएगा।

परियोजना के कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप देश को माल-भाड़े में काफी बचत होगी। अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 640 लाख रू० की बचत होगी और आर्थिक प्रतिलाभ की आन्तरिक दर करीब 24.3 प्रतिशत होगी।

मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रीय अर्थव्यस्था के सकल हित में और कोचीन पत्तन के सर्वाधिक हित में इस परियो जना को मंजूरी दी जाए।

(तीन) भटिण्डा में गुरुनानक बिजली घर बन्द होने का समाचार

श्री भगतराम (फिल्लौर) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं यह मामला उठाना चाहता हूं :

ता० 23-3-1979 के "**दि ट्रिब्यून**" में समाचार प्रकाशित हुआ है कि गुरु नानक देव तापीय संयत्र, भटिण्डा (पटियाला) कोयले की कमी के कारण 21-3-79 को बन्द कर दिया गया। संयंत्र की स्थापित क्षमता 440 मे० वा० है। संयंत्र के बन्द किए जाने से पंजाब के लोगों के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न ही जाएंगी। इससे राज्य के औद्योगिक तथा कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उर्जा और रेल मन्त्रालयों की गलत आयोजना तथा दूरदर्शिता की कमी के कारण राज्य के मजदूर-वर्ग और किसानों को हानि होगी। इसके अलावा, पंजाब सरकार को भारी नुकसान होगा।

24 मार्च के समाचार-पत्र में यह भी सूचना दी गई है कि जिला गुरदासपुर में धारीवाल वूलिन मिल्स, धारीवाल ने कोयले की असमान सप्लाई के कारण 3,500 कर्मचारियों की छटनी कर दी है। कहा जाता है कि मिल को उसकी जरूरत का कोटा नहीं मिल रहा है जो सरकार द्वारा नियत किया था और उन्हें खुले बाजार से कोयला खरीदना पड़ता है। राज्य के अन्य भागों में भी यही स्थिति है। यमुना नगर में और हरियाणा के अन्य शहरों में कोयले की अत्यधिक कमी है।

कल ही के समाचार-पत्र में यह खबर दी गई है कि पंजाब कोयले के गंभीर संकट से गुजर रहा है और वहाँ उद्योगों के बन्द हो जाने की आशंका है। कोयले की कमी के कारण देश में रद्द की गई 104 गाडियों में से 79 गाड़ियाँ उत्तरी जोन में रद्द की गई हैं जिनमें से अधिकांश पंजाब में हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरी अनुमति के बिना अनेक बातें कह डाली हैं।

श्री भगत राम : केवल दो वाक्य और।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री भगत राम : रेल मन्त्री से बार बार मिले सरकारी आश्वासनों के बावजूद, दिल्ली से अमृतसर को जाने वाली जनता गाड़ी, जो पंजाब के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण गाड़ी है, नहीं चलाई जा सकी। मेरा निवेदन है कि सरकार संयंत्र के बन्द होने की वजह से हुई क्षति की प्रतिपूर्ति करे और संयंत्र को पुन: चालू करने के लिए तत्काल कोयला दे। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि रद्द की गई गाड़ियों को फिर से तत्काल चलाया जाए और राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोयले की पर्याप्त सप्लाई का आश्वासन दे।

(चार) केरल के कन्नानूर जिले में डीजल और पेट्रोल की कमी का समाचार

श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली (कासर गोड) मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के इस मामले को उठाना चाहूंगा जिसने मालाबार, विशेषकर केरल के कन्नूर जिले में लोगों के दैनिक जीवन में

[श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली]

भारी संकट पैदा कर दिया है। डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की कमी के कारण, एक-तिहाई बसें या तो पूरी तरह बन्द कर दी गई है अथवा आंशिक रूप से रोक दी गई। पेट्रोल पंपों के सामने लम्बी कतारें लगी रहती हैं। अनपेक्षित घटनाएं न हों इसलिए पेट्रोल पंपों के सामने पुलिस सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। कई-कई घन्टों की प्रतिक्षा के बावजूद, प्रत्येक वाहन को 5 या 10 लीटर डीजल ही मिलता है। इसका कुल परिणाम यह है कि आटो-रिक्शा, बसें तथा कारें नहीं चल रही हैं और दूर के इलाकों से आने वाले साधारण लोगों को कठिनाई हो रही है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तेल का अभाव है, इसलिए फसलों की सिंचाई लगभग ठप्प हो गई है। इसके अलावा, उपलब्ध सब्जियाँ भी नगरों में नहीं पहुँच रही हैं क्योंकि लारियाँ उन्हें बाजारों में नहीं ले जा सकती, और इससे बाजारों में सब्जियों का अभाव हो रहा है। इसी कारण सब्जियों तथा अन्य वस्तुओं के भाव और बढ़ गए हैं। इसके अलावा मत्स्यग्रहण पोत भी तेल की कमी के कारण नहीं चल सकते हैं जिससे न केवल मछुआरों के रोजगार के क्षेत्र में स्थिति संकटमय हो गई है बल्कि बाजार में भी मछली उपलब्ध नहीं है।

महोदय, शायद आपको मालूम न हो कि मेरे जिले का काफी बड़ा भाग पहाड़ी क्षेत्र में आता है। उस क्षेत्र के लोग परिवहन के लिए मुख्यत: अपनी जीपों पर निर्भर करते हैं। पेट्रोल सप्लाई की विकट कमी से उनके दैनिक जीवन में गहरा संकट उत्पन्न हो गया है। वे न तो अपने खरीद तथा विक्रय केन्द्रों तक जा सकते हैं और न ही जीवन की साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं।

आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इन जिलों को डीजल और पेट्रोल तत्काल और अविलम्ब भेजा जाए।

अनुदानों की मांगें—1979-80

उद्योग मन्त्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब हम उद्योग मंत्रालय के लिए अनुदान की मांगों पर आगे चर्चा करेंगे। मंत्री महोदय कितना समय लेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : करीब एक घंटा।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : (दुर्गापुर) यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि इसका सम्बन्ध औद्योगिक विकास से है और यह रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है। यदि उद्योग मंत्री द्वारा सारे देश में यदा-कदा दिए गए उग्र भाषणों से जनता सरकार की नीति के व्यावहारिक कार्यान्वयन का संकेत मिलता है, तब तो बड़े व्यापारियों के भाग्य का निर्णय अब तक हो गया होता। किन्तु, ऐसा नहीं हुआ क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं और बड़े व्यापारी भी समझते हैं कि उग्र भाषण केवल जनता के लिए होते हैं। वे लोग आनन्द से अधिकाधिक लाभ कमाते हैं उस समय भी जब कि उद्योग मंत्री सख्ती से उनकी खिलाफत कर रहे हों। उद्योग मंत्री के भाषणों और एकाधिपतियों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व जान पड़ता है।

बहुराष्ट्रीय उद्योगपति, विशेषकर वे जो जर्मनी के हैं, सबसे अच्छा समय बिता रहे हैं। गत दो वर्षों के दौरान किए गए सहयोग के समझौते इस बात का स्पष्ट संकेत हैं। कोका कोला

का राष्ट्रीयकरण किया गया था लेकिन अब भारी मुनाफा कमाने की दृष्टि से अन्य बहुत से लोग भारत में प्रवेश कर गए हैं। इन सहयोग समझौतों में से अनेक उन क्षेत्रों में हैं जहाँ हमारे पास विकसित प्रौद्योगिकी पहले से ही मौजूद है। गत वर्ष के दौरान किए गए 273 विदेशी सहयोग-समझौतों में से, औद्योगिक मशीनरी के क्षेत्र में केवल 70 ही किए गए थे, जिससे यह बात स्पष्ट हो जाती है।

छोटे पैमाने के उद्योगों पर जो बल दिया जा रहा है वह तो भारत के बड़े व्यापारियों और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बीच हुए कुत्सित सौदों पर पर्दा डालने के लिए केवल धुएं की चादर के समान है। हथकर्घा उद्योग को ही लीजिए। हालांकि सरकार द्वारा घोषित वस्त्र-उद्योग नीति के अनुसार, देश में वस्त्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मुख्य भूमिका हथकर्घा तथा खादी उद्योग को सौंपी गई हैं, फिर भी हथकर्घा उद्योग भारी संकट की स्थिति से गुजर रहा है। अभी भी, राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कपड़ा मिलों को जो ऋण दिया जा रहा है वह हथकर्घा उद्योग को सहकारी बैंकों से मिलनेवाले ऋण से 10 गुना अधिक है। इसके अलावा हथकर्घा उद्योग को दिए गए ऋण का दलालों द्वारा दुर्विनियोजन किया जाता है और यह ऋण वास्तविक बुनकर तक नहीं पहुँच पाता है। हथकर्घा बुनकरों को सप्लाई किया जानेवाला धागा अत्यधिक मंहगा है और कताई मिल इस व्यवसाय में बड़ा पैसा बना रहे हैं। नई कपड़ा नीति की घोषणा के बावजूद हथकर्घा उद्योग की स्थिति पहले जैसी ही दयनीय बनी हुई है।

सरकार की नई कपड़ा नीति के अनुसार राष्ट्रीय वस्त्र निगम से तो कम मुनाफे वाला स्टैण्डर्ड कपड़ा बनाने के लिए कहा जा रहा है जबकि बढ़िया और उत्कृष्ट किस्म के कपड़े का उत्पादन करने की इजाजत निजी क्षेत्र को दी जा रही है। निर्यात संवर्धन के नाम पर आधुनिकी-करण की इजाजत बडे कपड़ा मिल मालिकों को दी जाती है। जैसा कि अनुभव से पता चलता है, भारत में स्वचालित करघों की शुरूआत निर्यात को बढ़ावा देने के नाम पर की गई थी लेकिन मिल मालिकों को स्वचालित करघों से बने कपड़े के लिए अंततोगत्वा भारत में ही बाजार मिल गया।

इस तरह नई कपड़ा नीति से निजी क्षेत्र के मिल-मालिकों का ही हित साधन होगा और यह नीति हथकर्घा उद्योग में लगे वास्तविक बुनकरों की रक्षा नहीं कर सकेगी। इसके अलावा राष्ट्रीय वस्त्र निगम के मिलों के लिए निजी क्षेत्र के मिलों के साथ मुकाबला करना बहुत कठिन होगा।

उद्योग मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र यूनिटों में अफसर शाही, भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार पहले की तरह ही विद्यमान है। कुल मिला कर, इसका कार्य वांछित स्तर से नीचे है। उद्योग मंत्री ने सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए मार्गोपाय सुझाने हेतु केन्द्रीय मजदूर संघों की एक समिति का गठन किया। सभी केन्द्रीय मजदूर संघों को इस समिति से सम्बद्ध किया गया और उन्होंने पिछले वर्ष अगस्त में एक सर्वसम्मत प्रतिवेदन मंत्री महोदय को प्रस्तुत किया। मंत्री महोदय ने तत्काल ही प्रतिवेदन की स्वीकृति की घोषणा कर दी। तब से

[श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर]

अब तक 8 माह से भी अधिक बीत चुके हैं लेकिन प्रतिवेदन की एक भी सिफारिश कार्यान्वित नहीं की गई है जिसके परिणामस्वरूप सरकारी क्षेत्र उपक्रम पहले जैसी ही संकट की स्थिति में बने हुए हैं।

एम. ए. एम. सी, दुर्गापुर गहरे संकट में है। यह एक सरकारी क्षेत्र उपक्रम है। मैंने एम. ए. एम. सी. के कुप्रबंध की उचित जांच किए जाने की बार-बार मांग की है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इसकी जांच कराई जाए और इसे स्वस्थ बनाने के लिए उपाय किए जाएँ।

मुझे इस बात से बहुत हैरानी है कि भेल के आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी होने के बावजूद सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को करोड़ों रु० की हानि के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के प्रति कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं दृढ़तापूर्वक यह मांग करता हूं कि 'भेल' के सारे कार्यकरण की पूरी जांच की जाये और भेल तथा मंत्रालय के दोषी अधिकारियों को कठोर सजा दी जानी चाहिये।

बीमार एककों के अधिग्रहण संबंधी सरकारी नीति भी बहुत विलम्बकारी है और उससे सरकार को भारी हानि हो रही है। एकक को बीमार बनाने के लिए उत्तरदायी प्रबन्धक इस नीति के कारण सारी गबन की गई धनराशि के उत्तरदायित्व से बच निकलते हैं और उससे एकक को सक्षम बनाने में दिक्कतें आती हैं। अधिग्रहण के पश्चात भी एकक अफरशाही के सुपुर्द कर दिया जाता है जो अपने स्वार्थ के लिए भारी धनराशियों का व्यय करते हैं। तथापि श्रमिक सरकार की नीतियों के कारण कष्ट उठाते ही रहते हैं।

ब्रेथवेट में प्रबन्धकों ने अनेक कार्य दूसरी कम्पनियों को सौंप दिये जिसके कारण सरकारी क्षेत्र के उपक्रम ब्रेथवेट में कम काम रह गया। श्रमिकों की यूनियन ने इस नीति का विरोध किया परंतु सरकार ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अफसरशाही इस कम्पनी को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा रही है। जिसके परिणाम स्वरूप कम्पनी के संसाधन कम हो रहे हैं। जब श्रमिक मांग उठाते हैं तो उनकी मांगों को अस्वीकार करने के लिये कम्पनी की वित्तीय स्थिति का बहाना बताया जाता है।

जैसप एण्ड कम्पनी में प्रबन्धकों तथा श्रमिकों की मांगों के संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। परंतु मन्त्रालय रास्ते में आ गया और उसने मामलों के निपटान का विरोध किया। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के कार्यकरण में अफरशाही के इस प्रकार के हस्तक्षेप से उपक्रम किस प्रकार चलाया जा सकता है ? एक विख्यात भूतपूर्व मजदूर यूनियन नेता के अधीन मन्त्रालय होते हुए यह बात और भी न समझ में आने वाली है।

मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी में एकक का अधिग्रहण कर लिया गया है परंतु भारी संख्या में श्रमिकों को अभी भी काम नहीं दिया गया है। नये प्रबन्धक द्वारा पूर्व उत्पादन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा और श्रमिक दिक्कतें सह रहे हैं। मशीनरी अनुपयुक्त पड़ी है और श्रमिकों को अफसरशाही गड़बड़ी का सामना करना पड़ रहा है।

बाल्मर लौरी एण्ड कम्पनी, बम्बई की यूनियन ने उद्योग मन्त्री पर खुला आरोप लगाय

है कि उन्होंने यूनियन और प्रबन्धकों के बीच समझौते के कार्यान्वयन के विरोध में एक नोट लिखा है। सरकार के उत्तरदायी अधिकारी भी इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। अत: इस आरोप को हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिये। कुछ लोगों ने इस प्रकार की टिप्पणी देखी है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि स्थिति को स्पष्ट करें। श्रमिक पिछले वर्ष 10 अक्तूबर से हड़ताल पर हैं और हड़ताल अभी भी जारी है। मुझे बताया गया है कि सरकारी उपक्रम ब्यूरो अब समझौते के अस्तित्व को मंजूरी देने को सहमत हो गया है। उत्पादन की इस हानि के लिये कौन उत्तरदायी है ?

जब 2.5 लाख पटसन मजदूरों की हड़ताल 50 दिन तक जारी रही तो मंत्री महोदय एक मूक दर्शक के समान व्यवहार कर रहे थे। हालांकि कुछ एकक सरकार के थे परंतु फिर भी क्या कारण है कि केन्द्रीय सरकार श्रमिकों की मांगों के बारे में चुप रहीं और बड़े पटसन मिल मालिकों के साथ मिल गई। अन्त में अपनी संयुक्त संघर्ष के द्वारा मजदूर जीत गये। परंतु उद्योग मंत्रालय मजदूरी के समर्थन में हस्तक्षेप करने में असफल रहा। आप जानते हैं कि बड़े बड़े पटसन मील मालिक कम मूल्य के और अधिक मूल्य के बीजकों के द्वारा प्रतिवर्ष काला धन कमाते हैं और उसे विदेशों में जमा कराते हैं। अत: पटसन उद्योग को बचाने लिये मैं इसके तत्काल राष्ट्रीयकरण की मांग करता हूं।

मैसर्स लोगान जूट मशीनरी कम्पनी, प्राईवेट लिमिटेड, एक विदेशी कम्पनी की सहयोगी थी। इसका अधिग्रहण किया गया और इसका प्रबन्ध मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी को सौंपा गया परंतु प्रबन्धकों की सहायता के साथ उक्त विदेशी कम्पनी का एक प्रतिनिधि विदेशी कम्पनी के लिये क्रयादेश प्राप्त कर रहा है और इस कारण से यह कम्पनी बीमार हो रही है। मैंने एक पत्र लिखकर माननीय मन्त्री को सारे तथ्य बताये हैं। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इस समय आगे आएँ और इसका राष्ट्रीयकरण करें जिससे कि लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी बीमार न बने।

आप जानते हैं कि बैगन निर्माण उद्योग मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में केन्द्रित है। क्रयादेशों की कमी के कारण वे अपनी एक तिहाई क्षमता का उपयोग कर रहे हैं। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे रेल मंत्री तथा अन्य सम्बद्ध लोगों से सम्पर्क स्थापित करें और जिससे कि यह उद्योग अपनी अधिकतम निर्धारित क्षमता पर उत्पादन कर सके और रोजगार में वृद्धि की जा सके।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की सहयोगी कम्पनी, इंजीनियरिंग प्रोडक्टस इंडिया लिमिटेड दिल्ली एक गैर-सरकारी ठेकेदार कम्पनी सिम्पलैक्स एण्ड कम्पनी से बहुत माल खरीद रही है। सिम्पलैक्स एण्ड कम्पनी के मजदूरों ने यह बात सरकार को बताई है। परंतु बेईमान ठेकेदारों और दिल्ली में सरकारी क्षेत्र में गठजोड़ मंत्रालय द्वारा सहन किया जा रहा है। इस सिम्पलैक्स कम्पनी ने दिल्ली पुलिस तथा गुण्डों की सहायता के साथ इन मजदूरों पर आक्रमण किया जिन्होंने ये कदाचार सरकार के ध्यान में लाने की ईमानदारी प्रदर्शित की।

[श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर]

हमारा दल और मैं व्यक्तिगत रूप से लघु तथा कुटीर उद्योगों का विकास चाहते हैं परंतु उसके साथ ही यह नहीं चाहते कि वर्तमान कम्पनियों को बन्द कर दिया जाये।

इस संबंध में मैं विमको माचिस फैक्टरी के संबंध में उल्लेख करना चाहता हूं जो माचिस का निर्माण करती है। लगभग 8,000 परिवार अपने जीवनयापन के लिए विमको पर निर्भर हैं। संगठित क्षेत्र पर उत्पाद शुल्क बहुत अधिक बढ़ा दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि विमको का अधिग्रहण कर लिया जाये अथवा फैक्टरी को चलाने की मजदूरों की सहकारिता बनाई जाये अथवा इसका राष्ट्रीकरण किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर: मुझे 2-3 मिनट का समय दें।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं, आप पहले ही अधिक समय ले चुके हैं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर: मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

यह बात हैरानी पैदा करने वाली नहीं है कि इस उद्योग का विकास बहुत मन्दा है। बहुत अधिक मात्रा में पैसा लगाने के बाद भी औद्योगिक उत्पादन में केवल 8 प्रतिशत वृद्धि दृष्टिगत हुई है। पूर्वी अंचल में बिजली के अभाव में उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। उद्योग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय में इस बात के लिए समन्वय होना चाहिए कि पूर्वी अंचल और सम्पूर्ण देश में उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और उनका समुचित रूप से विकास हो। मेरी मांग है कि हल्दिया पश्चिम बंगाल में पोत निर्माण एकक की स्थापना की जाये।

हमारे देश में मन्दी है और आन्तरिक मार्किट दिन प्रतिदिन संकुचित हो रही है तथा आर्थिक संकट बढ़ रहा है। यदि स्थिति को सुधारनें के लिए तत्काल उपाय न किये गए तो उद्योग और भी गम्भीर संकट में डूब जायेंगे।

मैं मंत्री महोदय से विभिन्न राज्यों के जिला विकास केन्द्रों के कार्य निष्पादन के बारे में जानना चाहता हूं और जानना चाहता हूँ कि उन्होंने विशेषरूप से पश्चिम बंगाल में बांकुरा तथा पुरुलिया जैसे पिछड़े जिलों में लघु तथा कुटीर उद्योगों की स्थापना में कहाँ तक सहायता की है।

प्रगतिशील भूमि सुधारों के बिना तथा जमींदारों के भूमि पर अधिपत्य को समाप्त किये बिना उद्योगों के विकास तथा उनमें रोजगार के विकास में कोई विकास नहीं हो सकता। विदेशी पूंजी के द्वारा किये जा रहे शोषण को पूरी तरह समाप्त किए बिना तथा राष्ट्रीय एकाधिकार कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बिना उद्योगों में बेरोजगारी तथा भारतीय लोगों की गरीबी दूर करने का आधार नहीं बन सकता।

श्री उग्रसेन (देवरिया) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उद्योग मन्त्री जी ने इस सदन में जो उद्योग मन्त्रालय का बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ दो तीन बातों के लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूँ। इस सदन में माननीय सदस्यों ने जो अपने

मत व्यक्त किए हैं उनको मैंने बड़े ध्यान से सुना है। अभी-अभी कामरेड हाल्दर को भी सुना। यहां पर बहुत से मंत्री आए और चले गये। अगर टी० ए० पाई का बोर्ड हटाकर जार्ज फर्नान्डीस का बोर्ड लगा दिया गया तो उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हम तो सिद्धांत वाले आदमी हैं। डा० लोहिया के सिद्धांतों में हम विश्वास करते हैं। हम तो यह देखते हैं कि किसी व्यक्ति या किसी सरकार के आने से कोई फंडामेण्टल चेंज हुआ या नहीं। हमारे उद्योग मंत्री ने अपने शासन काल में दो-तीन नीतियाँ चलाई हैं जैसे इण्डस्ट्रियल पालिसी, टेक्सटाइल पालिसी। पिछले तीस सालों में पुरानी सरकार की कोई नीति नहीं थी। "कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुनबा जोड़ा।" मंत्रियों के बेटे बेटी कारपोरेशन्स के मालिक बन गए। बड़े मियां बड़े मियां, छोटे मियां सुभान अल्ला। उद्योग मंत्री ने जो उद्योग नीति चलाई है वह, जैसा कि शास्त्री जी ने कल कहा, रोजगार-परक है। मैं एक ही उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उन्होंने कालीन उद्योग का प्रशिक्षण चलाया। वहां पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, चार-पांच महीने की ट्रेनिंग के बाद वे बड़ी अच्छी कालीन बना लेते हैं जो कि विदेशों में जाकर बिकती है। हमको देखकर ताज्जुब होता है। गांवों में नदी किनारे जो बच्चे पहले बकरियां चराते थे वह इस काम में लग गए हैं। वे साढ़े तीन आने रोज पर अपनी गुजर करते रहे थे जबकि बिड़ला तीन लाख रुपए रोज पर गुजर करते हैं।

हम तो साढ़े-तीन आने वाले लोग हैं और उन्हीं लोगों के नुमाइन्दे की हैसियत से मैं यहाँ पर आया हूं। उन लोगों के बच्चे बहुत बढ़िया कालीन बना कर अपना पेट भरते हैं। खादी विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन में गांधी जी के चेले जरूर बैठे थे, लेकिन उन्होंने उनके सिद्धान्तों का सत्यानाश कर दिया। करंजिया साहब ने एक बार लिखा था—हू—किल्ड गांधी? गांधी को किसने मारा था? क्या गोडसे ने मारा था? गोडसे ने नहीं, इन गांधी के चेलों ने मारा था। गाँधी जी के सारे सिद्धांतों की इन चेलों ने हत्या कर दी। इस खादी-विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन में कौन-कौन लोग बैठे थे? बड़े बड़े नेता वहां बैठे थे और आज भी एक हैं—बक्शी साहब, जो कहते हैं मैं तो यहीं रहूंगा। काश्मीर का शहद खाते हैं—मुझे कोई ऐतराज नहीं है, खायें।

आप कमीशन के पिछले सालों के लक्ष्यों की बात को छोड़ दीजिए—परिव्यय कितना हुआ? 1973-74 में 15.97 करोड़ का परिव्यय हुआ, उत्पादन हुआ—155.12 करोड़ का और रोजगार मिला 18.12 लाख लोगों को। 1977-78 में परिव्यय हुआ—44.65 करोड़ का, उत्पादन हुआ—250.82 करोड़ का और रोजगार मिला—23.14 लाख लोगों को। 1978-79 में परिव्यय हुआ—66 करोड़ का, उत्पादन हुआ—314.15 करोड़ का और रोजगार मिला—28.50 लाख लोगों को। क्या 30 वर्षों में कभी इतना हुआ, इतने लोगों को काम मिला? मैं तो मंत्री जी से एक बात कहूंगा कि आप एक टैकनीकल कमेटी बनाइये, जिसमें नेताओं को मत रखिए, वरना वे भी सिल्क पहनने लगेंगे और काश्मीर का शहद खाने लगेंगे। उस टेकनीकल कमेटी से यदि खादी कमीशन की जांच हो जाय तो बहुतों के घर नीलाम हो जायेंगे।

[श्री उग्रसेन]

हमारे मंत्री जी ने रोजगार-परक उद्योग नीति चलाई है ताकि हमारे ग्रामीण अंचल के लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम मिल सके। कहीं पर फर्टिलाइजर का कारखाना लगता है—65 करोड़ रुपया उस में लग जाता है और उससे काम मिलेगा—1600 आदमियों को। अब चूंकि उसमें मेकेनाइज्ड मशीने लगती हैं तो काम केवल 800 को ही मिलेगा—इससे क्या फायदा है। मंत्री जी, आप 10 करोड़ रुपया मेरे पूर्वांचल में लगा दीजिए—बहराइच से लेकर बलिया तक—हजारों लोगों को रोजगार मिल जाएगा और फिर आपका "बक-अप" हो जाएगा, फिर कोई हम को काट नहीं सकता है, जनता पार्टी को हटा नहीं सकता है।

दूसरी नीति मंत्री जी ने टेक्सटाइल की चलाई। आप जरा इसकी मुख्य बातों को सुन लीजिए--"हथकरघा तथा खादी क्षेत्र को देश की वस्तुओं की आवश्यकता को पूरा करने का प्रमुख कार्य सौंपा गया है।" यानी देश की जनता को कपड़ा पहनाने का काम खादी-विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन को दे दिया गया है। मैं आप को बताता हूँ—1 सितम्बर 1979 से एन० टी० सी० ने जनता को कपड़ा पहनाने और साथ ही बेरोजगारों को काम देने की योजना चलाई है। 10 हजार नौजवानों को केवल काम ही नहीं मिल रहा है, बल्कि बैंकों द्वारा 4500 रुपया दिया जाता है, जिस से वे कपड़ा खरीदते हैं और बाजार में बेचकर 450 रुपये महावार का फायदा उठाते हैं। इसमें कन लोगों को लिया गया है--जो अनएम्पलाएड यूथ्स हैं, जो हाई-स्कूल पास हैं। यह ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत 3 सालों के अन्दर 5 लाख नौजवानों को काम मिलेगा उन लोगों को काम मिलेगा जो सड़क पर झण्डा लेकर घूम रहे थे, हम लोगों को माँ-बहिन की गालियाँ देते थे—अब वे इस योजना से काम में लग जायेंगे।

दूसरी बात—"कम से कम सम्भव समय में नियन्त्रित कपड़े के उत्पादन कार्य को प्राव-स्थाबद्ध रूप में मिल क्षेत्र से हथकरघा क्षेत्र को दे दिया जाएगा।" आज लोग बड़ा हल्ला कर रहे हैं कि हम से नियन्त्रित कपड़ा बनाने का काम क्यों छीन लिया गया है। यहाँ पर इस बात को लेकर प्राइवेट सैक्टर की बड़ी वकालत हुई है। डा० रामजी सिंह जी, जनता पार्टी में भी बहुत से ऐसे जिगर-के-टुकड़े हैं जो प्राइवेट सैक्टर की बात करते हैं—मैं पूछता हूँ—30 सालों में प्राइवेट सैक्टर ने क्या किया ? रूस की क्रान्ति के बाद लेनिन ने कहा कि सबको जूता पहनाया जाय। वहाँ पर तय किया गया कि किस को पहले पहनाया जाय और उसके बाद 5 साल का प्रोग्राम बनाकर सारे रूस की जनता को जूता पहना दिया गया, लेकिन पहले यह तय किया गया किस को प्रायोरिटी दी जाय।

"संगठित मिल तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्र की बुनाई क्षमता को स्थिर करके हथकरघा तथा खादी क्षेत्रों की क्षमता का पूर्णतम बिकास सुनिश्चित किया जाएगा।" इसका मतलब है कि कोई जापानी मिल लगाना चाहे या कापड़िया की कोहिनूर जैसी मिल लगाना चाहे, तो मंत्री जी उसकी इजाजत नहीं देंगे। तो मंत्री जी ने ऐसा हुक्म दिया, जिससे छोटे-छोटे करघे वाले जो बुनकर हैं, जो बेकार हैं, उनको काम मिल जाए और मोटा कपड़ा भी गरीब लोगों को पहनने को मिल

जाए। इसी तरह से ऊन का है। अमृतसर को जितनी मदद इसके लिए मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली। इस तरह से आप देखें कि यह हमारी वस्त्र नीति है।

इसके बाद मैं श्रम नीति पर आता हूं। 5 फेक्टर्स आफ प्रोडक्शन हैं, जिनमें लेबर बहुत प्रमुख है। अगर मजदूर का पेट न भरे और मजदूर हड़ताल करता रहे, झगडा करता रहे, वर्क टू रूल करता रहे, मशीन पर जाकर सीटी बजाता रहे और काम न करे, तो क्या होगा। मंत्री जी का एक छः सूत्री कार्यक्रम अखबार में छपा था। उसमें उन्होंने कहा था :

"सभी क्षेत्र के मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक मजदूर संसद बुलाई जाए जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर विचार करे तथा राष्ट्रीय निर्माण में मजदूरों की भूमिका निर्धारित करें।

दूसरा यह था :

"राष्ट्र पुनर्निमाण सेना बनायी जाए। यह संगठन राष्ट्रीय स्तर पर बने और सशस्त्र फौजों की तरह विभिन्न ब्रिगेडों में बांटा जाए" लाखों लोग उसमें भर्ती किये जाएं और भर्ती करने के बाद उन्हें भत्ता दे दिया जाए और उनको काम में लगा दिया जाए। ये दो प्रमुख कार्यक्रम थे जिनके बारे में मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता था। यह हमारी उद्योग नीति, वस्त्र नीति और श्रमनीति थी और उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि इसमें कमी इसलिए पड़ रही है क्योंकि इसमें थोड़ा-सा वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट नहीं है। यह पब्लिक सेक्टर की बात है।

अभी श्री जी० डी० सोमानी मेमोरियल लेक्चर में भाषण देते हुए मंत्री जी ने कहा था। मैं एक मिनट से ज्यादा इसके लिए नहीं लूंगा। मैं इसको पढ़ देता हूं। उन्होंने क्या कहा है, वह मैं आपको बताता हूं। वर्कर्स पार्टीसिपेशन इन मैनेजमेंट पब्लिक सेक्टर में होना चाहिए और सब मिलों में एक कायदे से हर स्तर पर नीचे से ऊपर तक अगर वर्कर्स पार्टीसिपेशन हो, मजदूरों को प्रबन्ध में हिस्सेदारी दे दी जाए, तो वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यहां पर प्राइवेट सेक्टर के लिए कहा गया कि उनको घाटा हो गया है। आप जरा मेरी बात को सुनिए कि उनके घाटे की क्या हालत है। उनको घाटा क्यों हो रहा है ? इसके बारे में जो कहा गया है, उसको मैं आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

> "एक और पहलू जिसकी आलोचना करने वाले जानबूझ कर अवहेलना करते हैं वह यह है कि आज के बहुत से सरकारी उपक्रम गैर सरकारी क्षेत्र से अधिकार में लिए गए थे चूंकि वे रुग्ण थे। राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चालित बीमार कपड़ा मिलें बीमार तथा हानि वाले एकक थे। करोड़ों रुपयों के निवेश वाले ब्रेथवेट, जेस्सपस, आर्थर बटलर, ब्रिटानियां इंजीनियरिंग, ग्रेशम एण्ड ग्रेवन, बर्न स्टैण्डर्ड, रिचर्डसन एण्ड क्रूडास जैसे इंजीनियरिंग एकक भी, जिनमें लगभग 100,000 श्रमिक काम करते हैं, इसी वर्ग में आते हैं। इन एककों से लाभ की आशा नहीं की जा सकती।"

इनसे तत्काल लाभ की आशा कैसे की जा सकती है ? चूंकि वे सभी बीमार हैं। हमने उनको अधिकार में लिया है। हमने उनको स्वस्थ बनाने के लिए लिया और मैं आपको बताऊं मुझे जुलाई की फीगर्स याद हैं। एन० टी० सी० ने 113 जो मिलें ली हैं, उन्होंने 38 लाख रुपये

[श्री उग्रसेन]

का मुनाफा दिया है। ये मिलें क्यों ली गई। ये इसलिए ली गई कि एक लाख वर्कर्स जो हैं, अगर ये मिलें नहीं चलती हैं, तो वे कहां जायेंगे, इतनी बड़ी प्रोपर्टी कहां जायेगी। माथुर साहब हमारे मित्र हैं। वे बड़ी वकालत प्राइवेट सेक्टर की कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर के बहुत प्यारे लोग अब यहां से चले गये हैं वकालत करने के लिए। प्राइवेट सेक्टर में क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय, आप जरा ध्यान से सुनिए, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं।

श्री उग्रसेन : हिन्दी आप समझते हैं, आप हिन्दी बहुत जानते हैं। मैं 1972 से 1975 की फीगर्स देता हूं। उस वक्त जनता पार्टी का राज्य नहीं था। मुहतरमा की सारे मुल्क में हुकूमत थी। 1972 से 1975 की फीगर्स मैं दे रहा हूं। डा० रामजी सिंह जी जरा ख्याल कीजिए। टाटा की टर्नओवर क्या थी, वह मैं आप को बताता हूं।

"45 कम्पनियों की सूची में टाटा समूह का नाम सबसे ऊपर है, बिड़ला, मफतलाल और जे० के० सिंहानिया क्रमानुसार उसके बाद में हैं।

इस अवधि के दौरान, टाटा गृह का कुल व्यापार 689.91 करोड़ रु० से बढ़कर 1060.04 करोड़ हो गया तथा कर पूर्व लाभ 48.83 करोड़ रु० से बढ़कर 75.45 करोड़ का हो गया···"

यह तो टाटा हो गया। अब बिरला के बारे में सुन लीलिए। 553.86 करोड़ रुपये की पूंजी थी और 44 करोड़ रुपये मुनाफ़ा था। वह तीन साल में बढ़ कर 936.3 करोड़ हो गई और मुनाफा हो गया 83 करोड़ रुपये।

15 अगस्त, 1947 को, अंग्रेजों के चले जाने के बाद बिरला की हैसियत 45 करोड़ की थी। आज की हैसियत 1081 करोड़ की है। टाटा की हैसियत 65 करोड़ की थी आज उसकी हैसियत 11-12 सौ करोड़ रुपये की है। यह उनकी हैसियत हमने या हमारे बाप ने नहीं बनायी। यह हैसियत उनकी मोहतरमा और उनके बाप ने बनायी है। कौन है प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने वाले लोग ? ये हैं।

भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं।

जब हम पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर जो इकोनोमिक्स पढ़ाते थे—उस इकोनोमिक्स की किताब का पहला वाक्य था—

भारत एक अमीर देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं। देश अमीर है टाटाओं, बिड़लाओं, सिंहानियाओं, मफतलाल, रूगंटा खटाऊ आदि के लिए।

यह किसकी पूंजी बढ़ती चली जा रही है ? क्या यह हमारे देश के गरीबों की आमदनी बढ़ रही है ? नहीं ! हमारे देश में आज भी लोग साढ़े तीन आना पर जिंदगी बसर करते हैं। रात को खेत में सोते हैं और जिन्हें दोनों वक्त खाना नसीब नहीं होता। वे क्या इंसानियत की जिंदगी जीते हैं ? आज हिन्दुस्तान के 30 से 40 करोड़ लोग गरीबी की सीमा के नीचे हैं।

एक साहब यहां राष्ट्रीयकरण के खिलाफ बोल रहे थे। आप समाजवाद के सिद्धान्तों को मानते हैं और आप यहाँ राष्ट्रीयकरण के खिलाफ बोलते हैं। यह कैसा समाजवाद है ? पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कामर्स मिनिस्ट्री के नीचे थी। मंत्री जी ने यह बहुत अच्छा काम किया कि उसे अपनी मिनिस्ट्री के नीचे ले आये। टेक्सटाइल विभाग कामर्स मिनिस्ट्री के साथ रहना उसी तरह से है जैसे कि गधे के साथ सींग। मैंने इस बारे में यहाँ सवाल उठाया था और मंत्री जी ने फौरन टेक्सटाइल विभाग अपनी मिनिस्ट्री में ले लिया। जूट इंडस्ट्रीज कृषि मंत्रालय में थी। उसे भी मंत्री जी ने अपनी मिनिस्ट्री में ले लिया। जूट बोर्ड बना हुआ है। दूसरे लोग कहते हैं कि हम 6-7 सौ के भाव में जूट खरीदेंगे। वह कहता है कि हम 3-4 सौ में खरीदेंगे। मैं कहता हूँ कि सारी जूट मिलों का टेकओवर होना चाहिए।

अब रह गयी चीनी मिलों की देन। चीनी मिल-मालिकों ने हम लोगों को कब्र से निकाल कर मारा और लूटा है। मेरे जिले में 14 मिलें हैं। 30 लाख की आबादी है। वहाँ 12-14 लाख लोग भूख से मरते हैं। वे बिल्कुल स्टारविंग प्वाएंट पर हैं। बिचारे गेंदासिंह जो अब नहीं रहे, कहते रहे कि उनका राष्ट्रीयकरण होगा लेकिन अब तक नहीं हुआ। उनके चेले-चाटे हलुआ खाते रहे। राष्ट्रीयकरण तो हुआ नहीं थापर ने वहाँ से ले जाकर सारी चीनी कलकत्ता में बेची, सारी मशीनरी निकाल कर ले गया और वहाँ बेच दी। मैं इस बात की मांग करता हूँ कि जितनी भी चीनी मिलें हैं, जो शूगर का प्रोडक्शन करती हैं, जिनका प्रोडक्शन काफी है उन सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए। अब तो सरकार ने पाँच लाख टन चीनी विदेशों को भी भेजने का फैसला कर लिया है। सभी चीनी मिलों को सरकार अविलम्ब अपने हाथ में ले। कई कोआप्रेटिव की मिलें हैं, शूगर कोरपोरेशन की मिलें हैं। अभी एच० एम० टी० में मुनाफा हो रहा है। वहाँ 16 करोड़ की पूंजी लगी है और उसमें 18 करोड़ का नुकसान होगा। शूगर कारपोरेशन में लाभ होगा कैसे ? पहले कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर सब लोग खा पीकर चले गये। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चीनी मिलों को अपने अण्डर कीजिए।

अब मैं पूर्वांचल की गरीबी की बात करता हूं। वहाँ पर कांग्रेसियों ने और अंग्रेजों ने एक मिल नहीं लगायी। मंत्री जी ने अपने मंत्रालय की रिपोर्ट में लिखा है। मैं और किसी बड़े कारखाने की बात नहीं करता, मैं मार्डन बेकरी की बात करता हूँ जिसकी रोटी हम खाते हैं। उसने कितना मुनाफा कमाया, कितने लोगों को काम दिया है। मैं अहमदाबाद यूनिट का मुआयना करने गया। वहाँ मेरी यूनियन के लोग अनशन कर रहे थे। मैंने उन्हें समझा-बुझाकर मामला सुलझाया। आज मार्डन फैक्ट्री के यूनिट सारे हिन्दुस्तान में हैं।

हाथ से यहाँ काम होता है। मजदूर अधिक काम करते हैं। यह छोटा सा कारखाना आपने चला रखा है और कितनी कामयाबी से यह चल रहा है। नेशनलाइजेशन का क्यों मज़ाक उड़ाया जाता है यह मेरी समझ में नहीं आया है। मैं समझता हूँ कि अगर पब्लिक सैक्टर मैदान में न होता तो टाटा-बिड़ला आदि देश को लूट कर खा जाते, लोगों का उन्होंने खून चूस लिया होता। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पब्लिक सैक्टर को बढ़ाने की बात कही थी। मैं चाहता हूँ कि इसको बढ़ावा मिले।

[श्री उग्रसेन]

पूर्वांचल की मैं बात कर रहा था। वह बड़ा गरीब इलाका है। वहाँ पर कोई कल कारखाने नहीं हैं। हमारे यहाँ बगास होती है। घास भी होती है जिससे कागज की मिल लगाई जा सकती है। अपने नाम पर, अल्लाह के नाम पर, खुदा के नाम पर आप देवरिया जिले में एक बड़ा कारखाना लगा दें तो उस इलाके का बड़ा भला हो सकता है। उस कारखाने के चारों तरफ़ इंडस्ट्रियल कम्प्लैक्स बन जाएगा और लोगों को रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। हथिया में कारखाना आपने लगाया, दुर्गापुर में लगाया, दूसरे बड़े-बड़े कारखाने लगाए, नूनमाटी में फर्टिलाइज़र का लगाया और उनके साथ-साथ वहाँ पर सबसिडयरी कम्प्लैक्स बन गए। वहाँ पर पूर्वांचल में भी ऐसा हो सकता है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस ओर आप अवश्य ध्यान देंगे।

आपने जिस तरह मिर्जापुर, धोई, बनारस में किया है उसी तरह से हमारे यहाँ पर भी कारपेट की वीविंग सेंटर बना दें बहराइच से बलिया तक ताकि बच्चे इनमें ट्रेनिंग पा सकें और कालीन बना सकें। इन कारपेट्स को बेचकर वे अपनी रोजी-रोटी कमा सकते हैं और तुरन्त उनको रोजी मिल सकती है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और मंत्री महोदय ने जो औद्योगिक नीति चलाई है, जो श्रम नीति को इम्पीटस दिया है, उसके लिए उन्हें बधाई देता हूँ और इन बजट माँगों का समर्थन करता हूँ। आपको भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे समय दिया।

अध्यक्ष महोदय : अगले सदस्य का नाम पुकारने से पहले मैं सभा को सूचित करना चाहूँगा कि गृह मंत्री ने मुझे सूचित किया है कि वह 3 बजे म. प. एक वक्तव्य देंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या उसे परिचालित किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : हम जितनी अधिक प्रतियां संभव होंगी उपलब्ध करने की कोशिश करेंगे।

(श्री धीरेन्द्र नाथ बसु पीठासीन हुए)

श्री आर० शेलन्थाइवेलू (तिरुनचेन गोड) : सभापति महोदय, उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1979-80 के लिये अनुदानों की माँगों पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे जो अवसर दिया गया है उसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 1977-78 वर्ष की तुलना में औद्योगिक विकास दर में 1978-79 में जो 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, उद्योग मंत्री उसके लिए अपनी पीठ सहला सकते है। वर्ष 1977-78 की 3.6 प्रतिशत की विकास दर की तुलना में यह दर लगभग दो गुना है और 1970-71 से 1977-78 तक की अवधि के लिये 4.9 प्रतिशत की औसत दर से भी यह पर्याप्त अधिक है। परन्तु मुझे विश्वास है कि पूर्णतया निष्पक्ष रूप से विचार के आधार पर यह स्वीकार करने वाले वह प्रथम व्यक्ति होंगे कि वर्षों तक श्री जवाहर लाल नेहरु तथा बाद में आने वाले अन्यों की बुद्धिमत्तापूर्ण और दूरदर्शी नीति द्वारा राष्ट्र को तीव्र गति से विकास एवं प्रगति की अवस्था पर ले जाने के लिये तैयार किए गए मजबूत आधार ढांचे के कारण यदि औद्योगिक

विकास में इतनी प्रगति हुई है तो वह किसी भी प्रकार से कम नहीं है। गत दो वर्षों के अच्छे मौसम, जिसके कारण कृषि उत्पादन सन्तोषजनक हुआ, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संघर्षहीन वातावरण और स्वयं अर्थ व्यवस्था द्वारा पैदा की गई स्वाभाविक गति के बावजूद यदि अर्थव्यवस्था में गिरावट आई होती तो इसमें हैरानी होती। तथापि, मैं जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उद्योगों के समेकित विकास, बड़े तथा लघु क्षेत्रों के लिये व्यक्त की गई चिंता के महत्व को कम नहीं करना चाहता। पूरे एक वर्ष तक शासक जनता पार्टी में चलने वाले आन्तरिक संघर्ष के कारण आशंकाएं उत्पन्न हो गई थीं कि क्या विकास कार्यक्रमों में भयंकर गत्यावरोध आ जायेगा। भाग्य से, पार्टी में मतभेद दूर कर लिये गये हैं। अतः अर्थव्यवस्था को संकट में नहीं डाला गया। परंतु फिर भी यह कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि यदि केन्द्रीय मंत्री मंडल ने एकजुट होकर तथा एक उद्देश्य को लेकर अब तक की प्राप्त प्रगति की नींव पर निर्माण करने का प्रयास किया होता तो उपलब्धियां और भी असाधारण एवं स्थायी हो सकती थीं।

किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की मूलभूत आवश्यकता इस बात की है कि वह दृढ़तापूर्वक और बिना किसी गलती के औद्योगिक विकास के लिये हमारे प्रयासों की दिशा को निर्दिष्ट करे। चूंकि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र की भूमिका सरकारी क्षेत्र की तुलना में कम महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यह आवश्यक है कि पूंजी निदेश के वातावरण में सुधार किया जाय और जबकि गैर-सरकारी क्षेत्र काफी लम्बे समय के लिए अपनी पूंजी और क्षमताओं को जोखिम में डाल रहा है, तो उसमें विश्वास की भावना उत्पन्न की जानी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि मंत्री महोदय कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बार-बार भाषण दे रहे हैं। ऐसे भाषणों से प्रभावित उद्योगों के रचनात्मक प्रयासों पर प्रतिबन्ध लगेगा। यह एक सराहनीय बात होगी कि ऐसी घोषणायें मंत्रिमंडल की गहन समीक्षा के बाद की जाय, जिससे अनावश्यक आशंकाओं की वजह से उत्पादन प्रयासों में कोई रुकावट न पड़े।

मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्य निस्पादन का मूल्यांकन करने से यह पता चलता है कि अनेक उपक्रमों को हुए शुद्ध घाटे के बारे में वास्तविक चिन्ता प्रकट करने के लिए गुंजाइश है। सम्भवतः 'चिन्ता' शब्द एक हल्का शब्द है। इसके क्या कारण हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, जिनके पास आवश्यक पूंजी है, आवश्यकतानुसार सभी मशीनरी है, आवश्यकतानुसार पूरी जनशक्ति है, आशानुरूप कार्यकरण में क्यों असफल रहते हैं ? श्रीमान्, इससे पता चलता है कि इन उपक्रमों के प्रबन्ध में ऊपर से लेकर नीचे तक सुधार करने की आवश्यकता है। काम करने की इस दर से आप यह आशा कैसे करते हैं कि ये उपक्रम छठी पंचवर्षीय योजना के बहुत सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में आन्तरिक संसाधन उत्पन्न कर सकेंगे ? इस प्रकार जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि केन्द्रीय प्रशासनिक व्यवस्था की सराहना नहीं की जा सकती।

वर्ष 1977 में जनता सरकार द्वारा घोषित औद्योगिक नीति बहुत व्यावहारिक है, परन्तु अपने ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित करने के लिए उसकी गति पूरी तरह से तीव्र नहीं की गई है।

[श्री आर० शेलन्थाइवेलू]

अगर हम योजना आयोग के दल की सिफारिशों का अध्ययन करें, तो पता चलता है कि मन्त्रालय को काफी सुधार करने के प्रश्न पर विचार करना होगा।

कोई भी व्यक्ति औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के स्वरूप और नीति के उद्देश्यों को समझ सकता है, परन्तु अगर हम व्यावहारिक मार्गदर्शन नहीं दे रहे और स्थानों के नाम को विनिश्चित नहीं कर रहे, तो लोग असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें यही पता नहीं चलेगा कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र कौन से हैं आदि आदि। वर्ष 1978-79 के प्रतिवेदन में यह स्पष्ट किया गया है कि पिछड़े वर्ग के शिक्षित स्नातकों को एन० टी० सी० में रोजगार देने के मामले में विचार किया जायेगा। परन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे कितने स्नातकों को नौकरी में खपाया गया है और उन्हें कितना लाभ प्राप्त होगा।

श्रीमान जी, तमिलनाडु में मूल उद्योग और लघु उद्योगों को प्रारम्भ करने के लिए कच्चे माल, व्यापक संसाधन, चूने के संसाधन होने के बावजूद, अन्य राज्यों की तुलना में उद्योगों की स्थापना करने के मामले में तमिलनाडु की उपेक्षा की गई है। फिर भी अपने सीमित वित्त और केन्द्रीय सहायता से तमिलनाडु अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रहा है। और यह सब केवल सरकार और नियुक्त कर्मचारियों की क्षमता से किया जाता है।

तमिलनाडु में, सेलम जिला में सीमेंट संयन्त्रों और कागज मिलों के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए और वहाँ उद्योग प्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं यह कह सकता हूँ कि वहाँ चमड़ा कमाने के व्यवसाय और जूता उद्योग के लिए काफी सम्भावनायें हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भारत के दक्षिणी भागों में कुछ अधिक संख्या में एकक स्थापित करने के लिए सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए।

श्रीमान् जी, भारतीय रुई निगम के बारे में सरकार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मन्त्री महोदय को भली प्रकार पता है कि मिल में बने कपड़े और वस्त्रों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं और वे आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूँ कि रुई के उत्पादकों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है। कम कीमत की वजह से उन्हें वह पैसा भी नहीं मिल रहा है, जो उन्होंने लगा रखा है।

इस मौके पर मैं केन्द्रीय सरकार पर इस बात के लिए जोर देना चाहूँगा कि तमिलनाडु के सेलम जिले में रुई खरीद मण्डी की स्थापना की जानी चाहिए। मेरे जिले में रुई का भारी मात्रा में उत्पादन होता है और रुई उत्पादकों को अपनी रुई बेचने के लिए दूरस्थ स्थानों पर जाने में बड़ी कठिनाई होती है चूंकि अधिकांश रुई उत्पादक अनपढ़ होते हैं, उनकी सहायता की जानी चाहिए। उन्हें राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा रहा। रुई उत्पादन के मामले में भी उनको हर तरह से प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों की स्थापना के लिए अधिक मात्रा में ऋण और राज

सहायता देने के लिए कार्यवाही करने के लिए अनुसूचित बैंकों को समुचित आदेश दिये जाने चाहिए ।

जहाँ तक हथकरघा क्षेत्र का सम्बन्ध है, मेरा राज्य तमिलनाडु सबसे आगे है और विशेष रूप से मेरा निर्वाचन क्षेत्र, तिरुचेनगोडे, एरोडे, एडापडी आदि जैसे स्थानों का नाम इस बारे में उल्लेखनीय हैं । माननीय मन्त्री महोदय इन स्थानों के बारे में परिचित होंगे और उन्हें इन क्षेत्रों के व्यक्तियों से अनेक अध्यावेदन प्राप्त हुए होंगे । अगर धागे और करघे बुनकरों को सरकारी सहकारी समितियों के अध्यक्ष से सप्लाई किए जाएँ, तो बुनकरों को लाभ होगा और हथकरघा बुनकरों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए सरकार को यथासम्भव शीघ्र एक समिति का गठन करना चाहिए । मैं यह सुझाव देना चाहूँगा कि कुछ मदें केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित की जानी चाहिए ।

मन्त्रालय ने मिल निर्मित वस्तुओं की कीमत को कम करने और देश में उत्पादित सभी प्रकार के कपड़ों के प्रत्येक मीटर पर अनिवार्यत: मूल्य अंकित करने के प्रश्न को गम्भीरता से नहीं लिया है । सरकार को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नई विभागीय खुदरा एन० टी० सी० दुकानें खोलनी चाहिए । इससे शहरों में गये बिना और अपनी खरीद करने के लिए समय खराब किए बिना ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जरूरत के कपड़े भी खरीद करने में लोगों की सहायता होगी ।

मन्त्रालय ने स्पष्ट रूप से अपने प्रतिवेदन में कहा है कि नारियल-जटा उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, परन्तु राज्य सरकार के मार्गदर्शन के बावजूद इसे लोकप्रिय बनाने के लिए मन्त्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है । गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ जिला उद्योग केन्द्रों का समन्वय करने के लिए मन्त्रालय को उपाय ढूँढ़ने चाहिए और तभी हम यह कह सकेंगे कि जनता सरकार उद्योग के क्षेत्र में अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही है ।

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान एक अन्य पहलू की ओर आकर्षित करना चाहूँगा और वह यह है कि मन्त्रालय सभी राज्यों को कच्चे माल का सामान वितरण करने और उनकी उचित माँगों और वास्तविक जरूरतों को पूरा करने में असफल रहा है । मैं यह भी कहना चाहूँगा कि उद्योग मन्त्रालय के प्रयासों के बावजूद तमिलनाडु राज्य को निराश किया गया है । मैं तमिलनाडु में उद्योगों के बारे में केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूँगा । तमिलनाडु सरकार ने लम्बी दूरी के लगभग सभी बस मार्गों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है और वे राज्य निगमों के माध्यम से बसों को चला रहे हैं । वे बसों को कुशलता से, प्रतिस्पर्द्धात्मक और लाभप्रद ढंग से चला रहे हैं और प्राइवेट बस आपरेटर अपने संसाधन और शक्तियों का अन्य कार्यों में उपयोग कर रहे हैं । टिस्को का राष्ट्रीयकरण करने की चर्चा है, परन्तु अगर हम टिस्को का राष्ट्रीयकरण करने के बजाय, वर्तमान सरकारी उपक्रमों में सुधार करने और टिस्को के साथ उन्हें वास्तविक रूप से प्रतिस्पर्द्धात्मक बनाने के लिए कार्यवाही करनी चाहिए । निश्चित रूप से, यह सरकार के लिये वस्तुत: चुनौतीपूर्ण कार्य है । इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करूँगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि सरकारी उपक्रमों का संचालन कुशलतापूर्वक किया जाय और इसके परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों से बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने आप समाप्त हो जायेंगी ।

[श्री आर० शेलन्याइवेलू]

अन्त में, मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूँगा कि वह तमिलनाडु के लघु उद्योगों की ओर विशेष ध्यान दें, जिससे उन्हें समुचित रूप से लाभ हो सके। अनेक लघु एककों को, निश्चित रूप से उनके उचित और गम्भीर मार्गदर्शन से लाभ हुआ है।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ।

पिछली सरकार बराबर इस बात की दुहाई देती रही कि हमें देश में बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना है। लेकिन वह नीति केवल चर्चा तक ही सीमित रही और उसके द्वारा जनता को गुमराह किया गया। अब भी सदन में कांग्रेसी सदस्यों ने जो विचार प्रकट किए हैं, उनसे लगता है कि वे दोहरी नीति पर चलना चाहते हैं, अर्थात् बड़े-बड़े उद्योगों को उद्योगपति चलाते रहें और सार्वजनिक क्षेत्र में भी उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि दो तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर उनका पूंजीवादी व्यवस्था में विश्वास है, तो उन्हें खुले हृदय से कहना चाहिए कि देश में बड़े-बड़े उद्योग बड़े-बड़े पूंजीपतियों के हाथ में ही रहने चाहिए। अगर उनका समाजवादी व्यवस्था में विश्वास है, अगर वे देश में हो रहे शोषण को खत्म करना चाहते हैं और अगर वे यहाँ पर अमीर और गरीब के बीच की चौड़ी खाई को पाटना चाहते हैं, तो उन्हें स्पष्ट रूप से यह कहना चाहिए कि बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना बहुत जरूरी है।

आज हमारे देश में जो स्थिति है, उसको देखते हुए हमारा मूल सिद्धान्त होना चाहिए कि बड़े-बड़े उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। इसके कुछ कारण हैं। केवल राष्ट्रीयकरण का नाम देने का ही प्रश्न नहीं है। निजी उद्योगों में जो लाभ होता है, वह बड़े-बड़े उद्योगपतियों के घर में जाता है, श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है और जो चीजें उनमें तैयार होती हैं, उनका मूल्य भी अधिक होता है। आज कहा जाता है कि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। उत्पादन बढ़े जरूर, लेकिन उसका वितरण किस तरह हो और उसकी कीमत क्या निश्चित हो ? यह बात भी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह देखना चाहिए कि छोटा से छोटा आदमी उन चीजों को खरीद सके। राष्ट्रीयकरण के मानी यह है कि जब शासन के हाथ में उद्योगों की व्यवस्था होगी, तो यह प्रबन्ध किया जायेगा कि जिन चीजों का उत्पादन जरूरी है, उनका उत्पादन हो, उनकी उचित कीमत निश्चित हो और श्रमिक भी उद्योगों में भागीदार हों। श्रम मंत्री ने भी कहा है कि उद्योगों के लाभ में श्रमिकों का भागीदार होना जरूरी है। अभी इसमें कुछ अड़चनें आ रही हैं। हमारे उद्योग मंत्री बड़ी कार्य-कुशलता, दिलेरी और साहस के साथ काम कर रहे हैं। आज देश की गरीब जनता, देश का साधारण आदमी, राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। आज बड़-बड़े उद्योगपति सारे देश का शोषण कर रहे हैं। उद्योग मंत्री की जैसी भावना है, उसके अनुसार उन्हें इस शोषण को खत्म करने के लिए राष्ट्रीयकरण की नीति का दृढ़ता से पालन करके उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और आगे उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में ही होनी चाहिए।

माननीय उद्योग मंत्री ने औद्योगिक नीति की जो घोषणा की है, मैं उसकी सराहना

करता हूँ। कुछ माननीय सदस्य कहते हैं कि इस बारे में केवल बातें की जाती हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि पहले जब कभी मैं रास्ते से निकलता था, तो बुनकर मेरा हाथ पकड़ कर कहते थे कि हमारे पास कोई धंधा नहीं है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। लेकिन आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में बुनकर लोग कहते हैं कि अब हमें काम मिल गया है। 'जनता धोती' और 'जनता साड़ी' बनाने का काम हर घर में हो रहा है। बम्बई के बड़े-बड़े व्यापारी टेरीलीन के कपड़े तथा दूसरे कपड़े खरीदने के लिए देहात में आते हैं। यह उद्योग मिलों का मुकाबला कर रहा है। सरकार ने उस कपड़े की डिलिव्री के लिए पचास पैसे से एक रुपये प्रति-मीटर तक सहायता की है, ताकि उसकी कीमत कम हो जाये और गरीब आदमी भी उसे खरीद सकें।

अभी तक यह देखा गया कि बड़े-बड़े शहरों में उद्योगपतियों ने बड़े-बड़े कारखाने खोले, जिसके कारण शहरों की आबादी बढ़ी। गाँव का जो गरीब आदमी शहर में आया, उसे काम तो जरूर मिल गया, लेकिन उसके रहने के लिए जगह नहीं है। इसलिए यह घोषणा की गई है कि जिस शहर की आबादी पांच लाख से ज्यादा है, वहां कोई बड़ा उद्योग नहीं खोला जायेगा तथा कुछ उद्योग धन्धे ग्रामीण क्षेत्र में खुलेंगे। क्या वे घोषणाएं कार्यान्वित नहीं हो रही हैं? हो रही हैं। पिछले तीस सालों में उनके लिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी दो सालों में कुछ न कुछ काम हो रहा है, लोगों को काम मिला है।

मैं चाहता हूँ कि जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनको कार्यान्वित होना चाहिए। जो लोन मिलता है उसमें स्टेट बैंक और ग्रामीण बैंक जो हैं इनका भी सहयोग होना चाहिए क्योंकि अभी किसी धन्धे या काम के लिए ऋण मिलने में कठिनाई होती है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें उनका सहयोग होना चाहिये ताकि लोगों को ऋण जल्दी मिल सके।

लाइसेंस देने में कुछ उदार नीतियां भी बनाई गई हैं। लेकिन अभी वह कार्यान्वित नहीं हो रही हैं। जैसे कई लोग चाहते हैं कि जो नागरमोथा होता है उससे तेल निकालें लेकिन हिन्दुस्तान में उसके कुल चार-पाँच ही कारखानें अभी हैं। उन क्षेत्रों में जैसे टीकमगढ़ है, वहां सबसे ज्यादा नागरमोथा पैदा होता है, उससे तेल निकालने का एक प्लांट वहाँ लगना है। अब कहा जाता है कि दस हजार रुपये रायल्टी के देने पड़ेंगे। एक छोटा-सा धन्धा है, उसके लिए दस हजार रुपया देंगे तब लाइसेंस मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की बन्दिश बन्द होनी चाहिए। मैंने लिखापढ़ी की तो कहा गया कि इस बारे में राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद् से सम्पर्क स्थापित कीजिए। मैंने सरकार से लिखापढ़ी की है, सरकार कार्यवाही करे उसको छूट दे ताकि वह धन्धा इच्छुक व्यक्ति खोल सके।

उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए एक बुन्देलखण्ड विकास परिषद् बनाई हुई है। वह परिषद् तो बना दी, बहुत दिनों से बनी है लेकिन अगर जानकारी की जाय तो उद्योग के मामले में या विकास के मामले में कभी एकाध दो बैठक शायद हो गई होगी, नहीं तो और कोई नहीं हुई। वह इसलिए बनाई गई थी कि तमाम जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड के जिले हैं, वे बहुत पिछड़े हैं, गरीब इलाके हैं, वहां पर उद्योग धन्धे चलाने चाहिए। लेकिन उसकी कोई

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

बैठक नहीं हो सकी। मैं चाहता हूं कि अगर यह बुन्देलखण्ड विकास परिषद् बनी है तो जल्दी-जल्दी उसकी बैठक होनी चाहिये और इस बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास के लिए जल्दी से जल्दी धन्धे वहाँ खोलने चाहिए ताकि लोगों को वहाँ काम मिल सके।

सर्वेक्षण भी हो रहा है कि कहाँ उद्योग खुलने चाहिए। हम चाहते हैं कि सही तौर से सर्वेक्षण होना चाहिए। धन्धा कहाँ खुले ? जहाँ कच्चा माल हो, और दूसरे साधन हों, श्रमिक मिलते हों, इन सारी चीजों को देखकर ही वहाँ धन्धे खोलने चाहिए। अभी तक यह नहीं देखा गया। लेकिन अब हम यह चाहते हैं कि इस तरह से देख करके जहां कच्चा माल है, जहाँ पानी की सुविधा है, मजदूर मिलते हैं, सारा मैटीरियल जहाँ मौजूद है, इस तरह की सारी चीजें जहाँ मुहैया हैं वहीं पर धन्धे खुलें और लघु उद्योग ज्यादा से ज्यादा खोले जाने चाहिए।

टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया और झांसी जिले में सबसे ज्यादा बुनकर लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो उनको उज्जैन, कानपुर और दूसरी जगहों में भागते फिरना पड़ता है वह भागना न पड़े और वहीं उनको सारी मदद या जो भी आवश्यक सामान है वह मिले। जिस तरह से झांसी में एक छोटा सा सूत का कारखाना है उसी तरह से टीकमगढ़ जिले में भी एक सूत का कारखाना खोला जाय ताकि लोगों को उसमें काम मिल सके।

सीमेंट की बहुत कमी है इसलिए ज्यादा से ज्यादा सीमेंट के कारखाने अब खोलने चाहिए। जैसा कि कल शास्त्री जी ने कहा, रीवां जिले में और आस पास में सतना, रीवां और सीदी जिले में चूना और दूसरे पत्थर जिनसे सीमेंट बन सकता है, मुहैया हैं। इसलिए एक सीमेंट का कारखाना रीवां में स्थापित होना चाहिए। उसमें कोई भी अड़ंगा नहीं लगना चाहिए, यही हम चाहते हैं।

जो चीजें बनती हैं या जो उत्पादन होता है उसमें मैं एक और चीज चाहता हूँ। अभी तक लोगों के दिमाग उसी तरह के बने हुए हैं, वह चाहते हैं कि यथास्थिति बनी रहे। यानी जैसी स्थिति है उसमें मामूली सुधार होता जाय, वह इसी में प्रसन्न हैं। नहीं, उसमें आमूल परिवर्तन होना चाहिए। देश की जनता और देश के गरीब आदमी यह चाहते हैं कि आमूल परिवर्तन होना चाहिए। अभी चाहे वह शक्कर कारखाने के मालिक हों या और दूसरे कारखानों के मालिक हों वे उस व्यवस्था में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर देते हैं और दिखा देते हैं कि हमें घाटा हुआ। घर में दस-दस कारें हैं, एक जहां रहते हैं वहाँ पर और दस बड़े-बड़े शहरों में। यानी जो उससे मुनाफा हुआ वह सारा उनकी जेब में जाता है और दिखा देते हैं कि हम घाटे में जा रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि जो भी धन्धा खुले उसमें जो मैनेजमेंट है उस पर खर्चा कम होना चाहिए ताकि श्रमिकों को हम ज्यादा वेतन दे सकें। और उसमें जिन चीजों का उत्पादन होता है उनकी कीमत हम कम कर सकें। अभी तो कीमत बढ़ाई जाती है। आपातकाल के समय में कपड़े के मिल मालिकों ने पाँच प्रतिशत और कीमतें बढ़वाई थीं। अधिकारियों से मिलकर मिल मालिक उन चीजों की कीमत बढ़वा लेते हैं। इसलिए उपभोक्ता संकट में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि उप-

भोक्ताओं को सस्ती चीजें मिलें। उदाहरण के लिए नमक एक ऐसी चीज है जिसकी आवश्यकता साधारण से साधारण व्यक्ति को होती है। लेकिन नमक बरसात में महंगा और दुर्लभ हो जाता है। नमक को सस्ता किया जाना चाहिए और आसानी से वह उपलब्ध होना चाहिए। आम जनता को यह कहने का अवसर नहीं आना चाहिए कि नमक और मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। इसकी ओर शासन का ध्यान जाना चाहिये।

कई और चीजें हैं जिनका उत्पादन बढ़ना चाहिए। कई चीजों का उत्पादन घटा है। ताँबा, बुनियादी धातुयें, इस्पात, ढलुवाँ लोहा इनके उत्पादन में कमी हुई है। शासन को ध्यान देना चाहिए कि उत्पादन क्यों कम हुआ है और उसके कारण ढूंढ़ना चाहिए। हमने देखा है कि किसी चीज का उत्पादन करना होता है तो उसकी योजना बन गई, सरकारी अधिकारी भी तैनात हो गए, स्थान का चयन भी कर लिया गया लेकिन उसके बाद नहीं देखा जाता कि काम हो भी रहा है या नहीं। अभी हम भटिण्डा गए थे, वहाँ देखा कि खाद के कारखाने का दो साल से परीक्षण चल रहा है। नरसिंह जी, मंत्री महोदय भी गए थे। वहीं के लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ, आप आ गये, काम की शुरूआत हो गई। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर किसी कारखाने की स्थापना की जाये तो उसका निरीक्षण भी किया जाये, उसकी इंक्वायरी भी की जाये। अभी कोई इंक्वायरी नहीं की जाती है इसीलिये उस काम का अच्छा नतीजा भी नहीं निकलता है। शासन को इस सम्बन्ध में सचेत रहना चाहिए, छोटे या बड़े कारखाने, जो भी स्थापित किए जायें उनका पूरा निरीक्षण होना चाहिए ताकि उनका लाभ जनता को मिल सके।

अभी कल मैंने यह बात नोट की थी कि जो बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं उन्होंने कितना पैसा लिया और किस तरह से उद्योग चलाये, किस तरह की ढिलाई और गल्तियाँ कीं उसकी जाँच के लिए एक कमीशन बना था। आज उद्योग मंत्री ने बताया कि कमीशन 9 साल तक जाँच करता रहा लेकिन उसका परिणाम कुछ नहीं निकला। उसके अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तो उसका क्या कारण था ? आज कहा गया कि सरकार जाँच करेगी। ठीक है, मैं चाहता हूँ ऐसे घोटाले पर पानी न फेरा जाये। अभी तक तो यही होता रहा कि एक किसान को पांच सौ रुपये की तकावी बकाया देनी हो तो उससे कह दिया जाता है कि एक ऋण तुमने ले रखा है इसलिये अब नहीं मिलेगा परन्तु दूसरी ओर बड़े-बड़े आदमी दस-दस बार ऋण लेते रहे। टाटा, बिड़ला जैसे बड़े-बड़े लोगों पर करोड़ों रुपये का बकाया है लेकिन उनसे वसूली नहीं होती है। एक गरीब किसान पर एक हजार का बकाया हो तो उसकी जमीन नीलाम कर दी जाती है। आज एक किसान मेरे पास टीकमगढ़ से चलकर आया और बताया कि एक-दो हजार के लिये उसकी जमीन कुर्क कर ली गई। दूसरी ओर टाटा, बिड़ला पर करोड़ों का बकाया है। तो इस प्रकार का भेदभाव क्यों होता है ? इस शासन में कानून का राज्य चलना चाहिये। किसी प्रकार का भेदभाव छोटे-बड़े में नहीं होना चाहिये। बड़े आदमियों के लिये दूसरा कानून और छोटे आदमी के लिए दूसरा कानून —इस प्रकार का भेदभाव नहीं चलना चाहिये जैसा कि हमारे संविधान में कहा गया है।

कानून सभी के लिये बराबर है लेकिन अभी तक छोटे-बडे में अन्तर किया गया है। इस

[श्री लक्ष्मी नारायण नायक]

खाई को हमें पाटना होगा। हम चाहते हैं कि गरीबों को भी न्याय मिले, बड़े आदमियों को अतिरिक्त सुविधायें न दी जायें और जो बड़े-बड़े उद्योगपति हैं जिन्होंने इस देश का शोषण किया है, देश को लूटा है उनसे इस को बचाया जाये। इसके लिये जरूरी है कि इस बात की जाँच की जाए कि उन्होंने कितनी गड़बड़ी की है। जिस तरह से किसी तालाब में बहुत से स्रोत होते हैं और उन सब स्रोतों से वह तालाब भर जाता है, इसी तरह से जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, विभिन्न स्रोतों से उनके तालाब भरते रहे हैं, उनकी आमदनी बढ़ती जाय—इसी प्रकार के प्रयास चलते रहे हैं। इसलिये मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूँ कि वह इन करोड़पतियों पर नियन्त्रण लगाये और इनके स्रोतों को समाप्त किया जाय और उन स्रोतों को जनता की तरफ बखेरा जाय, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बखेरा जाय, ताकि वे भी महसूस कर सकें कि यह हमारा देश है और हमको भी यहाँ पर रहने का हक है।

उद्योग किसी भी देश की प्रगति और विकास का साधन होता है। हमारी गरीब जनता को आज तक यह साधन नहीं मिला है। इसलिये मैं चाहूँगा कि जो क्षेत्र अभी तक विकसित नहीं हुए हैं उनका विकास किया जाय, वहाँ उद्योग-धन्धे खोले जायें। जैसा मैंने अभी आप से कहा—बुन्देलखण्ड क्षेत्र में टीकमगढ़, छतरपुर, झांसी, पन्ना, दतिया, बांदा, हम्मीरपुर—ये ऐसे इलाके हैं जहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है। खासतौर से टीकमगढ़ की तरफ ध्यान दिया जाय—जहाँ अदरक बहुत पैदा होती है, जिसका जिन्जर बनाया जा सकता है। वहाँ पर कीटनाशक दवाओं का कारखाना है, लेकिन उसको जौरा पत्थर नहीं मिलता है, उसको लाइसेंस नहीं देते हैं। 6 लाख रुपया कारखाने में लगा हुआ है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जो कारखाने वहाँ पर बने हुये हैं—उनकी मदद कीजिये, वहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध है, इसलिए उनको पनपने के लिये लाइसेंस दीजिये। टीकमगढ़ में सबसे ज्यादा भूसा होता है जिससे स्ट्रा-बोर्ड बन सकता है, लेकिन शासन उस तरफ ध्यान नहीं देता। मध्य प्रदेश में कई ऐसे स्थान हैं—जैसे बस्तर का इलाका, जो बहुत गरीब है, झाबुआ, सीधी, मंडला ये कई ऐसे स्थान हैं जो आदिवासी क्षेत्र हैं—जिन में नये उद्योग खुलने चाहिये ताकि वे क्षेत्र प्रगति कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे साहस के साथ आगे कदम बढ़ायें और राष्ट्रीयकरण करके अपने दिये हुए वायदों को पूरा करें।

श्रीमती पार्वती देवी (लद्दाख) : सभापति, महोदय मुझे उद्योग मंत्रालय की मांगों पर बोलने का आप ने मौका दिया, इसके लिये आप को धन्यवाद देती हूँ। लद्दाख में ठंड अधिक है, जमीन रेतीली है और वर्षा कम होती है। नदी के किनारे और पर्वतों के बीच कहीं-कहीं जमीन के चप्पे हैं जहां खेती होती है। लद्दाख में केवल 16 प्रतिशत जमीन पर ही खेती होती है। लद्दाख में बहुत अधिक गरीबी है।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य की पूर्ति उद्योगों की स्थापना द्वारा ही की जा सकती है। नये आर्थिक कार्यक्रम में लघु उद्योगों के विकास और

स्थापना के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने और ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यवता है। लद्दाख में इन सुविधाओं का नितांत अभाव है। यद्यपि सारे देश में छोटे उद्योगों ने काफी प्रगति की है किन्तु लद्दाख अभी भी पिछड़ा हुआ है। यदि लद्दाख में लघु उद्योगों पर जोर नहीं दिया गया तो वहाँ गरीबी और बढ़ जायगी। पिछड़े क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में लघु उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। सुदृढ़ अर्थ-व्यवस्था का सामाजिक, राजनीतिक और मनोज्ञानिक क्षेत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नवीनतम जानकारी के अनुसार जम्मू और कश्मीर राज्य में 1214 नई यूनिटों का रजिस्ट्रेशन किया गया और 861 नई औद्योगिक यूनिटें स्थापित की गई। लगभग 207 लाख रुपया उद्योग स्थापित करने वालों को कर्ज दिया गया है। 11 लाख रुपये सीड-मनी और 42 लाख रुपये की नगद सहायता दी गई है। इस में लद्दाख को जो सहायता मिली वह बहुत कम है।

उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 31 दिसम्बर, 1978 तक राज्य में नये उद्योग-कर्मियों की संख्या 577 थी। इनमें लद्दाख में केवल दस हैं। पूरे राज्य में 861 नये यूनिट स्थापित किये गये जिनमें लद्दाख में केवल 6 हैं। राज्य में 206 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया, जिसमें से लद्दाख के हिस्से में केवल 7 लाख रुपये आये हैं। राज्य के लिये सीड-मनी के 11 लाख रुपये में से लद्दाख को कुछ नहीं मिला। नगद सहायता की 74 लाख रुपये की रकम में से लद्दाख को एक लाख रुपया मिला। पूरे राज्य में 4305 लोगों को रोजगार मिला।

यह सर्वविदित है कि उद्योगों के विकास के लिये आधारभूत सुविधाएँ आवश्यक हैं। लद्दाख में बिजली, संचार, तकनीकी प्रशिक्षण आदि का अभाव है। यदि विकास के बुनियादी साधन जुटाये जायें तो लद्दाख जिले का तेजी से औद्योगिक विकास हो सकता है। लद्दाख में पूंजी का अभाव है। सड़कों व परिवहन के साधनों की कमी है और अनुकूल वातावरण भी नहीं है।

लद्दाख में पशमीना ऊन और दस्तकारी की चीजों के उत्पादन की काफी संभावना है। इन योजनाओं के अंतर्गत लोगों को काफी रोजगार मिल सकता है। लद्दाख में स्थानीय साधनों और क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया है। ग्रामीण दस्तकारों, भूमिहीनों और लघु उद्योग के लिये उद्योग-धन्धे शुरू करने के लिये मार्गदर्शन की व्यवस्था नहीं है। ग्राम स्तर पर औद्योगिक विकास सेवा आवश्यक है और इससे गाँवों की अर्थव्यवस्था का सुधार होगा।

लद्दाख में एकांत और उपेक्षा की भावना पैदा हो जाती है। वहां उद्योगों के विकास पर पर्याप्त ध्यान देना आवश्यक है। केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय का यह कर्तव्य है कि लद्दाख की औद्योगिक प्रगति के बारे में हर वर्ष उनका मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार करवाएँ।

पंचवर्षीय योजना के बावजूद भी लद्दाख की अर्थ-व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है। श्री गजेन्द्र गडकर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि :

[श्री पार्वती देवी]

"लद्दाख हमारे देश का अत्यन्त महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्र है और इसके विकास पर राज्य सरकार और केन्द्र सरकार दोनों को अधिक ध्यान देना चाहिये।"

यह देश का सबसे अधिक पिछड़ा हुआ जिला है। लद्दाख में पशमीना, ऊन और खनिज पदार्थों के आधार पर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है। वहाँ ताँबा, क्रोमाइट, गंधक और बोराक्स भी मिल सकता है। जड़ी-बूटियाँ, खुमानी, सेब और अखरोट का भी व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।

मुझे विश्वास है कि सरकार इन सब बातों पर ध्यान देगी और लद्दाख के जीवन को खुशहाल बनाने के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न प्रयत्न करेगी।

श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर) : मैं उद्योग मंत्रालय की माँगों के बारे में कुछ अभिमत व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

सर्वप्रथम मैं उद्योग मंत्री को उद्योग विभाग को गतिशील बनाने के लिये बधाई देना चाहता हूँ। वस्तुतः उनकी नीति गतिशील नहीं है, विभाग के बारे में प्रतिदिन अखबारों में समाचार प्रकाशित हो रहे हैं।

मंत्रालय से उद्योग और औद्योगिक नीति के विनिमयन के बारे में आशा की जाती है। जहाँ तक लाइसेंसियों का सम्बन्ध है, मंत्रालय ने 5 करोड़ रु० के कुल पूंजी निवेश की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले लगभग सभी उद्योगों को छोड़ दिया है। हालाँकि उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले बड़े उद्योग मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के बाहर हैं, क्योंकि मंत्रालय उनसे निपट पाने में असमर्थ है। उद्योग मंत्री देश के सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्र का विनिययन नहीं कर पा रहे। परन्तु फिर भी जहां तक आर्थिक संकट ग्रस्त उद्योगों का सम्बन्ध है, मंत्रालय ने कई कारखानों का विशेष रूप से कपड़ा कारखानों का अधिग्रहण किया है। वे 108 या 110 कारखानों का प्रबन्ध सँभाल रहे हैं। परन्तु यहां भी उद्योग मन्त्री का कार्य हाउस सर्जन अथवा अस्पताल के अधीक्षक की तरह का है। उन्हें किसी बीमार उद्योग को अस्पताल में भर्ती करना होता है, उसे स्वस्थ बनाना होता है और उसके बाद अगर पहले के प्रबन्धक उस उद्योग को मंत्रालय से लेने का प्रयास करते हैं, तो मंत्रालय पर दबाव डाला जाता है और मंत्रालय को वह कारखाना छोड़ना पड़ता है।

मैं बम्बई के कमानी उद्योग का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। उस कारखाने का पारिवारिक प्रबन्धकों द्वारा कुप्रबन्ध किया जा रहा था। इसलिए उनमें से एक कारखाने को बीमार घोषित कर दिया गया। सरकार ने उस कारखाने का प्रबन्ध अपने नियन्त्रण में ले लिया है। उस कारखाने ने अब लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया है और अब कमानी ग्रुप और सरकार के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। कमानी समूह उस कारखाने के प्रबन्ध को सरकार से अपने हाथ में लेने के लिए तुला हुआ है। सम्भवतः समाजवादी उद्योग मंत्री के लिए यह परीक्षा की घड़ी है। हमें यह देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी कि कमानी समूह सफल रहता है या

मंत्री महोदय सफल रहते हैं। वे लगभग सभी राजनैतिक पार्टियो में, मंत्रालय में, प्रशासन में और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दबाव डालने में समर्थ हैं। मुझे उद्योग मन्त्री से सहानुभूति है कि उन्हें सारी बाधाओं से जूझना पड़ रहा है। मैं उनकी सफलता की विशेष रूप से कमानी ग्रुप के विरूद्ध संघर्ष में सफलता की कामना करता हूँ और मुझे आशा है कि वह उस कारखाने को सरकारी कारखाने के रूप में बनाये रखने में सफल रहेंगे।

मेरा अगला प्रश्न लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में है। दिसम्बर, 1977 में घोषित नई उद्योग नीति में ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में बड़े पैमाने पर फैले हुए क्षेत्र में कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के प्रभावी संवर्धन पर जोर दिया गया था। लघु उद्योग क्षेत्र में उन सभी वस्तुओं का उत्पादन करने दिया जायगा, जिनका उत्पादन करने में वह समर्थ है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए 807 भेदों का आरक्षण किया गया है। इसके अलावा अति लघु क्षेत्र का निर्धारण किया गया है। 50,000 से कम आबादी के लिए एक लाख रु० का पूंजी निवेश और उक्त क्षेत्र के लिए विशेष योजनायें बनाई गई हैं। अन्त में डी० आई० सी० के माध्यम से औद्योगिक प्रशासन का विकेन्द्रीय करण करने का लक्ष्य रखा गया है।

अनेक डी० आई० सी० का गठन किया गया है। यह केन्द्र प्रायोजित योजना है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनुदान देती है। राज्य सरकार डी० आई० सी० के प्रबन्धक के रूप में एक अधिकारी को नियुक्त करती है। वह कच्चे माल की सप्लाई, बिजली सप्लाई म्यूनिसिपल लाइसेंसिंग आदि जैसी जिला स्तर की सभी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए उत्तरदायी होता है। लघु उद्योग का सही आशय क्या है ?

हमारा अनुभव गत तीस वर्षों के दौरान यह रहा है कि इसका लाभ छोटे पैमाने के उद्योग पतियों को दिया जाना था परन्तु यह लाभ हमेशा उद्योग-गृहों तथा धनी लोगों को मिलता रहा। क्या मन्त्री महोदय की यही मंशा है कि इन लोगों को और आगे सुदृढ़ किया जाए ! हमारी जानकारी के अनुसार ये तथाकथित औद्योगिक बस्तियाँ पनपती रही हैं। बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पेश किये गये वित्तों पर इन बड़े लोगों का एकाधिकार हो जाता है। इसलिए लघु उद्योग इस बड़े उद्योग का उपांग बन गया है। यह एक स्वतन्त्र उद्योग नहीं है क्योंकि यह बड़े उद्योग जैसे मोटरकार उद्योग तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स जैसे उद्योगों के लिये सहायक उत्पाद तथा फालतू पुर्जे बनाता है। क्या यही सरकार की नीति है ? यदि सरकार लघु उद्योग तथा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहती है तो उसके लिए कार्य का वास्तविक क्षेत्र परिष्करण उद्योग है। लघु उद्योग निश्चित रूप से कृषि पर आधारित होना चाहिए क्योंकि कृषि उर्वरकों तथा ट्रेशरों, तौलने की मशीनों आदि कृषि-उपकरणों पर आधारित है जो कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें ये स्वतंत्र रूप से बनाने में सक्षम हैं। तभी वे स्वतंत्र रह सकते हैं। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि कोल्हापुर के लोगों ने ही सर्वप्रथम भारत में बड़े पैमाने पर डीजल इंजनों का निर्माण किया था। परन्तु क्या हुआ ? एकाधिकार प्राप्त किर्लोस्कर ने इस उद्योग का अधिग्रहण पर लिया और लघु उद्योग नीचे चला गया। वास्तव में वह बन्द हो रहा है। अब तो यह बड़े उद्योगों के लिए फालतू पुर्जे बनाने वाला अथवा उनसे काम माँगने

[श्री दाजीबा देसाई]

वाला उद्योग बनकर रह गया है। ये छोटे उद्योग बड़े लोगों से अर्थात बम्बई के बड़े एकाधिकार प्राप्त उद्योगों अथवा कार उद्योग जैसे अन्य बड़े-बड़े उद्योगों से काम मांगते हैं तथा इस प्रकार अपनी आय बनाये रखने का प्रयास करते हैं। यह तो प्रोत्साहन देना नहीं हुआ, यह नीति तो छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की नहीं हुई। यह बात तो बड़े उद्योगों की सहायता करने की है ताकि वे अपने ही सहयोगी उद्योगों का विकास कर सकें। यह पूँजीवादी पद्धति है। जापान में बड़े उद्योगपति फालतू पुर्जे बनाने के लिए छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन देते हैं ताकि औद्योगिक शक्ति एक कारखाने में केन्द्रित न हो जायें तथा वे श्रमिक विकेन्द्रित रहें और अपना कोई श्रमिक संघ न बना सकें अथवा सौदेबाजी करने की शक्ति न प्राप्त कर पायें और उपलब्ध मजूरी पर ही काम करने को बाध्य रहें।

अतः, इस सरकार द्वारा तथा पहली सरकार द्वारा अपनाई गई लघु उद्योग सम्बन्धी यह नीति बड़े उद्योग को ही सहायता पहुँचा रही है। यही बात मैं कहना चाहता हूँ।

मेरा तीसरा मुद्दा विकास परिषदों के बारे में है। भारत सरकार ने इन विकास परिषदों का गठन किया है और उन्हें सरकार तथा उद्योग के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क माध्यम की भूमिका निभानी है। अब उनका पुनर्गठन किया जा रहा है ताकि वे अधिक लाभप्रद सिद्ध हों। उनमें श्रमिकों को छोड़कर सभी को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करूँगा कि वह इन परिषदों में श्रमिकों को भी शामिल करें अथवा उन्हें प्रतिनिधित्व दें।

धन्यवाद !

श्री रूपलाल सोमानी (भीलवाड़ा) : सबसे पहले मैं उद्योग मंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन के विकास की दर में इस वर्ष आठ प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई है। जब कि पिछले वर्ष 1977-78 में यह वृद्धि 3.9 प्रतिशत थी।

मेरे विचार से देश के वे उद्योग जो कि बुनियादी उद्योग हैं सार्वजनिक स्वामित्व में होने चाहियें। लेकिन वर्तमान से बड़े उद्योगों के जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनकी उत्पादन क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। सरकारी क्षेत्र के कई उद्योगों में भारी पूंजी लगने पर भी उनमें घाटा हो रहा है। यदि राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं के उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिये मुनाफे के मापदण्ड को छोड़ भी दिया जाय तो भी उनकी स्थापित उत्पादन क्षमता का पूरा उपयोग होना चाहिये। आज जो बड़े सरकारी प्रतिष्ठान हैं उनमें अपव्यय होता है, विशेषतौर से आतिथ्य और मनोरंजन के क्षेत्र में। सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की छठी रिपोर्ट जो अभी लोक सभा के पटल पर रखी गई है उसमें इस तथ्य को अच्छे ढंग से बताया गया है। उनमें प्रबन्ध कुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है। समिति ने इस रिपोर्ट में लिखा है :

"समिति यह कहने के लिए बाध्य है कि यदि सरकारी क्षेत्र को रुचिविहीन, सिद्धांतहीन

और लापरवाह वेतनभोगियों के हाथों में छोड़ दिया गया तो यह क्षेत्र कभी सफल नहीं हो सकेगा।"

यह प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम के घाटे की कुल राशि जो 61 करोड़ रु० तक पहुँच गई थी गत दो वर्षों में घाटे की यह प्रवृत्ति कम होकर चालू वर्ष में इन मिलों में हानि रहित स्थिति आ जायेगी।

जनता सरकार की औद्योगिक नीति देश में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की है। यद्यपि बड़े, मंझौले, लघु एवं ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन देना है, फिर भी इसका प्रमुख कार्य ग्रामीण एवं छोटे-छोटे नगरों में व्यापक रूप से फैले हुए लघु उद्योग, कुटीर और ग्रामोद्योगों का विकास करना है, ताकि देश में बेकारी दूर करने और सब को काम धंधा मिल सके ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो सके। लेकिन यह तभी सम्भव हो सकेगा जब संगठित और विकेन्द्रित या असंगठित क्षेत्र के कार्य और भूमिका को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सके। उसी उद्देश्य से लघु उद्योग क्षेत्र में 807 वस्तुओं का उत्पादन आरक्षित किया गया है। यह इस दिशा में अवश्य ही पहला कदम है। लघु उद्योगों के विकास के लिये ऋण सुविधायें, कच्चे माल की उपलब्धि, तकनीकी मार्गदर्शन आदि सभी आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उन्हें प्राप्त हो सकें, हमारे देश में एक वर्ष में 246 जिला उद्योग केन्द्र स्थापित किये गये हैं और शेष इस वर्ष में स्थापित हो जायेंगे। इन 246 जिला उद्योग केन्द्रों से 102 लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है और उसमें 375 करोड़ रुपये का विनियोजन हुआ है और 6 लाख आदमियों को उनसे काम मिला है। यह हमारे लिये उत्साहवर्द्धक बात है। लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याओं के लिये जब तब जैसा मौका आता है राहत के लिये, मदद के लिये कार्यवाही की जाती है। लेकिन उनके विकास के स्थायित्व के लिये एक सतत, स्थाई और समन्वित नीति की आवश्यकता है।

प्रमुख समस्या यह है कि लघु और ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र में बड़े उद्योगों की घुस-पैठ को कैसे रोका जाय ? इस बारे में एक तथ्य उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूँ। मोदी और बिड़ला की मशीन से कारपेट उत्पादन करने का लाइसेंस इस शर्त पर दिया गया था कि वे अपने द्वारा उत्पादित ऊन धागे का उपयोग अपने यहाँ मशीन से कारपेट के उत्पादन में करेंगे, जो कि निर्यात के लिये होगा। लेकिन आज वही घुसपैंठ बाजार में हो रही है और जितनी छोटी ऊन धागे की मिलें हैं उनके सामने कठिन समस्या पैदा हो रही है। इस प्रकार की परोक्ष रूप से जो घुसपैंठ हो रही है, उसको रोकने की बहुत आवश्यकता है।

लघु उद्योगों की दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कच्चे माल का अभाव इसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। सरकार ने कपड़ा धोने के साबुन, माचिस और चमड़े के सामान को लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित किया है। लेकिन कपड़ा धोने का साबुन बनाने वाले जो एकत्र हैं, उनको कास्टिक सोडा और सोडा ऐस के बारे में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। संगठित क्षेत्र के पास अपने कारखाने हैं और इसलिए उन्हें कच्चे माल की कोई दिक्कत नहीं होती है। आवश्यकता इस बात की है कि देश में जितना उत्पादन होता है, उसमें से लघु उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को प्राथमिकता देकर कच्चा माल उपलब्ध किया जाए।

[श्री रूपलाल सोमानी]

इसके अतिरिक्त उन्हें बिजली और कोयला भी उचित मात्रा में और नियत समय पर मिलना चाहिये। कई गाँवों में छोटे-छोटे चूने के भट्टे लगे हुए हैं, लेकिन उनको उनकी जरूरत के अनुसार कम से कम कोयला भी उपलब्ध नहीं होता है। लघु उद्योगों की आर्थिक स्थिति को को बेहतर बनाने के लिए उन्हें सब सुविधायें मिलनी चाहिये मगर बिजली और कोयला नियत मात्रा में उपलब्ध न होने से उन्हें काफी कठिनाई होती है।

लघु उद्योगों के तकनीकी विकास के साथ-साथ इस बात का भी प्रयत्न किया जाना चाहिए कि उनकी प्रबन्ध कुशलता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो।

मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सरकार ने हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। हम जानते हैं कि हथकघा उद्योग का देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। रोजगार की दृष्टि से इस उद्योग का कृषि के बाद दूसरा नम्बर आता है। इस क्षेत्र में लगभग 220 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है, जबकि सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग में 820 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार होता है। देश भर में 38 लाख हथकरघे हैं, जिनके द्वारा एक करोड़ से भी अधिक लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। इस उद्योग को एक मजबूत नीव पर खड़ा करने के लिए यह आवश्यक है कि उसको सूत नियत मूल्य पर और समय पर उपलब्ध होता रहे। यह सब जानते हैं कि रुई के भाव में कमी होने के बाद भी सूत के भाव में उसके अनुपात से कमी नहीं हुई है। इससे इस उद्योग के आगे बढ़ने के मार्ग में बहुत बड़ी रुकावट आई है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हथकरघा उद्योग की उत्पादन क्षमता को 230 करोड़ मीटर से बढ़ाकर 270 करोड़ मीटर तक, और इस नई योजना की अवधि तक 370 करोड़ मीटर तक, बढ़ा दिया गया है। जैसा कि कई लोगों का विचार है, आवश्यकता इस बात की है कि बड़े, मध्यम, लघु और ग्राम उद्योगों के बीच में क्षेत्र को इस प्रकार आरक्षित किया जाये कि जो चीज ग्राम उद्योग में पैदा की जा सकती है, उसका उत्पादन लघु उद्योग के क्षेत्र में नहीं हो, और जिस चीज का उत्पादन लघु क्षेत्र में हो सकता है, वह बड़े उद्योगों के क्षेत्र में उत्पादित न हो। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा, तब तक लघु उद्योगों और ग्राम उद्योग का विकास समुचित रूप से नहीं हो सकेगा।

हम जानते हैं कि देश के ग्रामीण अंचलों में—चाहे हिमालय की तराई हो, काश्मीर हो या पश्चिमी राजस्थान हो घर बैठे कताई के माध्यम से कतवारियों को रोजी दी जाती है। कई ऐसे स्थान हैं, जहाँ आजीविका कमाने के लिए खेती और पशु-पालन के अलावा कताई उद्योग का ही सहारा है। लेकिन जब तक इस कताई के इस धन्धे का आरक्षण नहीं होगा तब तक दूर-दूर तक गांवों में फैला हुआ कताई उद्योग पनप नहीं सकेगा। जिस तरह मोदी और बिड़ला की बड़ी ऊनी धागा मिलें छोटी ऊनी धागा मिलों को कमजोर करती हैं, उसी तरह छोटी धागा मिलें हाथ-कताई के काम को नष्ट कर देंगी। इसलिए उनको आरक्षण देने की बहुत बड़ी जरूरत है। मुझे बहुत खुशी है कि खादी और ग्रामोद्योग के क्षेत्र में इस वर्ष अधिक पूंजी का प्रावधान किया गया है।

अन्त में मैंयह कहना चाहूँगा कि सभी दृष्टि से चाहे खनिज पदार्थ हों चाहे दूसरे कच्चे माल हों राजस्थान के प्रचुर मात्रा में उसकी संभावनायें हैं लेकिन बड़ा विरोधाभास है इस बात में कि कच्चे माल का प्राचुर्य होते हुए भी वहां का औद्योगिक विकास बहुत कम हुआ है और सार्वजनिक क्षेत्र में पूंजी-निदेश भी वहाँ पर केवल 2.16 प्रतिशत हुआ है। हम जानते हैं कि खनन वस्तुओं में अभ्रक के उत्पादन में राजस्थान तीसरे नम्बर पर आता है। राजस्थान के जिला भीलवाड़ा में ही सबसे अधिक अभ्रक प्राप्त होता है। वहाँ पर अभ्रक पर आधारित उद्योग आसानी से लगाये जा सकते हैं। इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ में बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरक का कारखाना लगाने के लिए जल, कच्ची वस्तुएँ और भूमि सब प्रकार की विधाएं मौजूद हैं। उदयपुर में ऐस्बेस्टस की खानें प्रचुर मात्रा में हैं। उसके आधार पर कई छोटे उद्योग विकसित हो सकते हैं। राजस्थान जो कि औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है उसकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

एक बात और कह कर मैं उद्योग मंत्रालय की इन अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। जैसा कि ऊपर मैंने कहा है जब तक विकेन्द्रित-असंगठित उद्योगों के क्षेत्र का आरक्षण नहीं होगा तब तक सभी क्षेत्रों में एक भ्रम-कन्फ्यूजन पैदा होगा। हाल ही में हमारे उद्योग मंत्री ने नेशनल कन्वेंशन आफ पब्लिक एंटर प्राइजेज को सम्बोधित करते हुए कहा था—

"अब सरकारी क्षेत्र को उपभोक्तावस्तुओं के क्षेत्र में भी आना चाहिए ताकि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सामान्य जनता की पहुँच के भीतर आयें।"

अब यह बात उन्होंने सहज इस भावना से कही है कि जनोपयोगी वस्तुओं की कमी के कारण गरीब जनता को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन इस बात से हमारी औद्योगिक नीति में भ्रम फैलता है जबकि हमने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि—

"जो चीज़ें लघु उद्योग के एकक बना सकते हैं उनका उत्पादन बड़े पैमाने के उद्योगों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हों अथवा गैर सरकारी क्षेत्र में।"

इसलिए मेरा यही निवेदन करना है कि इस प्रकार का भ्रम-कन्फ्यूजन उत्पन्न होने का अवसर हमें कम से कम देना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ और माननीय उद्योग मंत्री को पिछले साल में जो प्रगति हुई है उसके लिए बधाई देते हुए उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की माँगों का समर्थन करता हूँ।

श्री कुसुमकृष्ण मूर्ति (आमालापुरम) : सभापति महोदय, मैं वर्तमान सरकार की नई उद्योग नीति के कार्यकरण पर कुछ टिप्पणियाँ करना चाहूँगा।

प्रारम्भ में मूल बात तो यह है कि किसी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की प्रगति अधिष्ठापित औद्योगिक क्षमता के समुचित उद्योग पर निर्भर करती है। आज हमारे देश में तकनीकी विकास महानिदेशक ने कुछ चुने हुए लगभग 70 ऐसे उद्योगों को ही एक विशिष्ट सूची में रखा है जिनकी उत्पादकता गत पाँच वर्षों के दौरान बहुत ही भिन्न-भिन्न रही है। इस सूची में शामिल उद्योगों में से कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों में वर्ष 1978 के दौरान उत्पादकता में बहुत ही

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

गिरावट आई है। ये उद्योग रेल डिब्बों का उत्पादन, विद्युत तथा ट्रांसफार्मरों, मशीनी उपकरणों, सिन्थैटिक डेटरजेन्टों, आटो-टायरों शीशे तथा तांबे का वितरण करते हैं। इसके अतिरिक्त, हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था की मूल आवश्यकताओं यथा विद्युत, कोयला तथा श्रमिक के वर्ग अभी तक भारी संकट में हैं। जब तक सरकार उन्हें इस संकट से मुक्त करने के अपने दायित्व को महसूस नहीं कर रही तब तक हमारी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में सोचे गये लक्ष्यों को प्राप्त करना बड़ा कठिन होगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि बड़े पैमाने के राष्ट्रीयकरण के मामले में सरकार के खेमे में काफी भ्रम तथा परस्पर विरोधाभास व्याप्त है। उदाहरणार्थ, प्रधान मंत्री महोदय यह बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि वह मात्र राष्ट्रीयकरण के नाम पर बड़े पैमाने के उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना पसन्द नहीं करते जबकि सरकार के अन्य वक्तव्यों में बड़े आकर्षक शब्दों में कहा जाता है कि प्रत्येक अपेक्षणीय बड़े पैमाने के उद्योग को राष्ट्रीयकरण करना होगा। इसके अलावा उद्योगों की एक भारी सूची को प्रतिबन्धित करके औद्योगिक विनियम अधिनियम के उपबंधों का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया गया है। हमारी अर्थव्यवस्था के लाभ तथा हानि एवं अन्य पहलुओं पर मेरे साथियों द्वारा बहुत कुछ कह दिया गया है। अब मैं सरकार की नई औद्योगिक नीति के कार्यकरण के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय द्वारा गत वर्ष अपनी माँगे रखते हुए जो कुछ कहा गया था मैं उसका उद्धरण रखना चाहूँगा। उन्होंने विशिष्ट रूप से कहा था कि :

"छोटे, कुटीर, घरेलू तथा ग्रामीण क्षेत्रों पर जोर दिया जायेगा।"

इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने यह भी कह दिया था कि :

"मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में नई उद्योग नीति की क्रियान्वित पर काफी प्रकाश डालेगा और सदस्य भी प्रभावित होंगे।" अब यदि हम नई उद्योग नीति के कार्यकरण को देखें जिसमें ग्रामीण आधार वाले लघु उद्योगों पर जोर दिया गया था, तो कुछ तथ्य प्रकाश में आते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ ठोस उदाहरण पेश करना चाहूँगा कि ग्रामीण आधार वाले लघु उद्योगों के साथ नई उद्योग नीति की घोषणा के बाद क्या व्यवहार किया गया है। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश में लोहा तथा इस्पात बड़ी भारी मात्रा में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग में लाये जाते हैं। तीन संयुक्त निदेशकों से युक्त एक कार्य बल ने कच्ची सामग्री के प्राक्कलनों के पुनरीक्षण के सभी जिलों का दौरा किया था। हम कार्यबल आंध्र प्रदेश में केवल लघु उद्योग एककों की वर्ष 1978 के लिए लोहे तथा इस्पात की प्रभावी माँग का सावधानी से हिसाब-किताब लगाया था। इस प्रभावी मांग को सम्बन्धित जिला अधिकारियों ने भी प्राक्कलन की न्यूनतम सम्भव हद तक पुनरीक्षित करने के लिए जांच की है। यह सब कुछ इसलिए किया गया कि अतिरेकपूर्ण प्राक्कलन न हो। प्रभावी माँग को 93,000 टन से घटाकर 58,000 टन कर दिया गया है। बड़ी अजीब सी बात है कि राज्य सरकार को 58,000 टन की आवश्यकता के स्थान पर केवल 16,000 टन समग्री ही दी गई है। अन्त में लोहा तथा इस्पात नियं-

न्त्रक को वर्ष 1979-80 के लिए 56,000 टन की माँग भेजी गई थी। अत: जब तक काफी सामग्री को एकक मात्रा में सप्लाई नहीं की जाती और समय पर नहीं की जाती तो नई उद्योग नीति में इस पर जोर देने का कोई हक नहीं है। इस प्रकार क्षेत्र के लघु उद्योगों को अपेक्षित कच्ची सामग्री की उचित सप्लाई का सुनिश्चय नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्ति मैं एक अन्य उदाहरण देना चाहूंगा। आंध्र प्रदेश में लघु क्षेत्र के अधीन 185 फाउंडरी एकक हैं जिनमें प्रतिमास 3,000 टन बी० पी० हार्डकोक की आवश्यकता रहती है। जिला उद्योग केन्द्रों के खुल जाने से इन फाउंडरियों की प्रभावी न्यूनतम मासिक मांग 4,000 टन आंकी गई है। इन प्राकलनों को आधार बनाकर उद्योग आयुक्त ने 4,000 टन के भार रेक प्रतिमास की सिफारिश की है परन्तु निदेशक, रेल मूवमेंट ने प्रति तिमाही में केवल चार रेकों के लिए ही मंजूरी दी है और इस वर्ष की जनवरी-मार्च की प्रथम तिमाही केवल एक रेक ही भेजा गया है और हैरत की बात है कि वह रेक भी अभी तक हैदराबाद नहीं पहुंचा है। आंध्र प्रदेश में लघुक्षेत्र का यह हाल है और कच्ची सामग्री के अभाव में उनमें से बहुत से एकक तो बन्द ही हो गये हैं। बहुत ही विचित्र बात है कि क्योंकि तिमाही समाप्त हो चुकी है तो शायद रेलवे अधिकारी चार रेकों की मंजूर शुदा सीमा को भी रद्द कर दें। जब तक पहली तिमाही के शेष रहे रेकों को अगली तिमाही में नहीं जोड़ा जाता इन एककों को कड़े संकट का सामना करना पड़ेगा। जब तक इन रेकों की सप्लाई उचित रूप से नहीं की जाती ये एकक पहले हो चुकी अपनी हानि की प्रतिपूर्ति नहीं कर पायेंगे। छोटे पैमाने के क्षेत्र के साथ यह व्यवहार किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कोल इण्डिया तथा भारतीय रेलवे के बीच एक प्रतिद्वन्द्विता निरन्तर रूप से जारी है। जब तक कोई समन्वय करने वाली एजेन्सी स्थापित नहीं की जाती, कठिनाइयों पर काबू पाना संभव नहीं होगा। लघु क्षेत्र के उद्योग के विकास आयुक्त को समन्वय एजेंसी के रूप में मनोनीति किया जाना चाहिए ताकि कोल इण्डिया तथा भारतीय रेलवे के साथ मंत्रणा करके भेजे गये माल का मोनिटरिंग कार्य किया जा सके।

श्रीमन, उद्योग मंत्री महोदय ने अपनी मांगों पर अपने भाषण में इस बात पर जोर दिया था और इस पहलू का विशेष रूप से जिक्र किया था। मैं उनके भाषण से एक उद्धरण देता हूं। उन्होंने कहा था :

> "डी० आई० सी० को किसी भी रूप में जिसकी सहायता की जरूरत होगी वह उसे उपलब्ध कराई जायेगी क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि ये डी० आई० सी० अन्ततः हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में उत्प्रेरक बनेंगे। डी० आई० सी० के बिना उद्योग नीति की उन्नति के लिये कोई उत्प्रेरणा नहीं मिल पायेगी।"

उन्हें अत्यन्त विशिष्ट रूप से कहा है कि ग्रामीण आधार वाले लघु क्षेत्र को नियमित रूप से वरीयता दी जायेगी। परन्तु वास्तविक रूप में कच्ची सामग्री की समय पर कोई सप्लाई नहीं हो रही है।

आंध्रप्रदेश में पैराफिन मोम भी एक महत्वपूर्ण तथा सबसे सस्ती सामग्री है जिसे ग्रामीण आधार वाले सर्वाधिक लघु एककों द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग अधिकतर चमड़े

[श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति]

की वस्तुओं के उत्पादन में होता है जिसके बारे में मंत्री महोदय ने काफी कुछ कहा था और मांगों पर बोलते हुए अपनी चिन्ता तथा हमदर्दी प्रकट की थी। जिन वस्तुओं में पैराफिन मोम का व्यापक रूप से उपयोग होता है वे इस प्रकार हैं :—

तारपोलिन
मोम लगा कागज
क्लोरीन युक्त पैराफिन मोम
डेटरजेंट्स
सूखी बैटरियां
पेंसिलें
कार्बन पेपर
माचिसें
रबड़ से बनी वस्तुयें
मोमबत्तियां आदि

इनका उपयोग अधिकांशत: ग्रामीण क्षेत्रों में होता है और यदि उचित सप्लाई समय पर न मिले तो उन्हें गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आंध्र प्रदेश सरकार नये खोले गये जिला उद्योग केन्द्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 13 मीटरी टन के इस कोटे में वृद्धि के लिए निरन्तर मांग करती रही है। इस मांग का मूल्यांकन किया गया है। इस समय यह माँग 6,000 मीटरी टन वार्षिक है। आयातित पैराफ़िन मोम तथा देश में ही उत्पादित पैराफिन मोम के मूल्यों का परस्पर समीकरण करने पर मेरे विचार से इसे निर्बाध रूप से उचित दरों पर उपलब्ध कराने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लघु क्षेत्र को कच्ची सामग्री की नियमित सप्लाई करने के लिये यही बुद्धिमानी होगी कि इसका उत्तर-दायित्व आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम को सौंप दिया जाये जो 12 कच्ची सामग्री सेवा केन्द्रों का सफलतापूर्वक प्रबंध करता रहा है। अत: उक्त निगम को कच्ची सामग्री का एक मात्र वितरक मान लिया जाये जिसके फलस्वरूप लघु क्षेत्र को बहुत लाभ पहुंचेगा।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो ने लघु क्षेत्र के औद्योगिक एककों को सहायता देने के उद्देश्य से अनेक विशिष्ट सुविधायें देना शुरू की हैं।

उदाहरण के लिये, बयाना, प्रतिभूजया, टेंडरजेंट आदि मांगने के बारे में नियमों में ढील देने के सम्बन्ध में उन्होंने ऐसा किया है। परन्तु इस बारे में कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की गई है। जब तक सरकारी उपक्रमों को आवश्यक अनुदेश न दिये जायें, ये आदेश प्रभावी ढंग से लागू करना बहुत कठिन है।

मध्य प्रदेश राज्य में स्टोर खरीद नियमों में संशोधन किया गया है और अन्य सभी राज्यों ने इस परिवर्तन की प्रशंसा की हैं। मध्य प्रदेश के लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं को

निश्चित प्राथमिकता देने के लिये संशोधन किये जाते हैं। इसी प्रकार ए० पी० एस० एस० आई० डी० सी० को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किये गये परिवर्तनों की भांति लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की वसूली के लिये एजेंसी के रूप में नामित भी किया जा सकता है। वे कुछ उद्योगों का पता लगायेंगे और उन्हें लघु उत्पादों की खरीद में कुछ तरजीह दी जायेगी।

इसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की घोषित नई औद्योगिक नीति के अनुसरण में भारत सरकार को चाहिये कि वह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक पर जोर डाले कि वह एस० एस० आई० डी० सी० को अपेक्षित पुनर्वित सुविधाएँ दे ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित औद्योगिकी करण करने के लिये लघु क्षेत्र का वित्तपोषण कर सके क्योंकि वाणिज्यिक बैंक विशेषकर लघु क्षेत्र को तथा रुग्ण लघु औद्योगिक एककों को अतिरिक्त धन मंजूर करने में वर्षों पुरानी अनिच्छा रखते हैं।

मैं अपना भाषण समाप्त करते समय एक महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहूँगा कि जुलाई, 1979 में माननीय उद्योग मंत्री ने सभा में मुझे विशेष आश्वासन दिया था कि वह गैर सरकारी क्षेत्र में 'आरक्षण के नियम' को क्रियान्वित करने की वांछनीयता पर विचार करेंगे। देश में लगभग चार लाख गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक हैं जिनमें रोजगार की अत्यधिक क्षमता विद्यमान है। जब तक गैर-सरकारी क्षेत्र एककों में भी आरक्षण का नियम शीघ्र क्रियान्वित नहीं किया जायेगा। हम अपने देश में कमजोर वर्गों के लिये उचित रोजगार पैदा नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री कचरूलाल हेमराज जैन (बालाघाट) : सभापति महोदय, आपने उद्योग मंत्रालय की मांगों पर मुझे भाग लेने का मौका दिया, इस के लिए धन्यवाद।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ और बहुत बड़ा धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। मेरे जिले बालाघाट में तांबे का भंडार मलासखंड में मिला था और 11 साल से वह योजना रुकी हुई थी और आपने उसको पिछले साल बड़े अच्छे ढंग से शुरू किया है और सन 1981 में उस में उत्पादन होने लगेगा और खेतरी के मेल्टिंग प्लान्ट में आ कर उसका तांबा बनेगा। साथ ही साथ एक और आश्वासन मेरे जिले को मिला था और मैं यह याद दिला दूं कि जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, उस दिन से पहले हमारे देश से विदेशों को जाने के लिये केवल मैंगनीज और चाय, ये दोनों आइटम्स ही थे, जिनको एक्सपोर्ट कर के पैसा मिलता था। मेरे जिले में विश्वव्यापी प्रसिद्ध मैंगनीज का भंडार है और वहां जो अभी मैंगनीज की खान है ब्रिटिश शासन के जमाने में उस का प्रबन्ध सी० पी० एम० ओ० के हाथ में था और अब उसका प्रबन्ध मैंगनीज और इण्डिया लि० के हाथ में है, जिसमें 51 परसेंट शेयर हमारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के हैं और उसके माध्यम से वह चल रही है। हम आठ सालों से फेरो मैंगनीज प्लान्ट की मांग करते रहे हैं और इस सरकार से भी करते रहे हैं। बडी मुश्किल से मैंगनीज प्लान्ट डालने का लाइसेंस दिया लेकिन मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रालय को बता देना चाहता हूँ कि देश के अन्दर 9 फेरो मैंगनीज प्लान्ट प्राइवेट पार्टी चला रही है और उनका प्रबन्ध सरकार के हाथो में जाने से रोकने के लिए लाबी दिल्ली में बसी हुई है और पूरा मंत्रालय, ऊपर से लेकर नीचे तक और

(श्री कचरूलाल हेमराज जैन]

मैंगनीज ओर इण्डिया लिमिटेड के जितने भी डाइरेक्टर्स हैं, उन सबको जेबो में रख कर यह जो काम है, उसमें बिलम्ब होता है। स्टील मिनिस्टर ने यह कहा है कि सन् 1981 में उत्पादन शुरू हो जाएगा लेकिन आज यह बात होती नज़र नहीं आ रही है और उसमें कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। आज भी मैंगनीज और इण्डिया लि० के डाइरेक्टर्स उन 9 फेरो प्लान्ट के मालिकों से बँधे हुए हैं और गवर्नमेंट के फेरो प्लान्ट के काम में रुकावट डालने के लिए तत्पर हैं। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में पिछड़ा जिला है। यहां पर हर प्रदेश के लोग यह कहते हैं कि हमारा प्रदेश सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि मेरा मध्य प्रदेश पिछड़ा हुआ है लेकिन यह मैं जरूर कहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश हैं जहां पर नैसर्गिक साधन बहुत ज्यादा हैं जहां पर इतने किस्म के मिनरल्स हैं, इतने किस्म की धातुएँ हैं और इतने किस्म की उपलब्धियाँ हैं जैसी भारत के किसी और प्रदेश में नहीं हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है। कागज के कारखाने के लिए कहा गया, तो उद्योग मंत्रालय से जवाब आया कि खुलने वाला है। बालाघाट के लिए कागज के कारखाने के लिए कहा गया, तो जवाब आया खुलेगा, पत्र लिखा गया, मांग की गई, तो आश्वासन दिया जाता है कि वहां कागज का कारखाना खुलेगा। वहां पर इतनी बांस की उपज है कि तीन कागज मिलों को वहां से बांस जाता है, बालाघाट से रा-मैटीरियल जाता है। मेरे जिले में भी कागज का कारखाना खुलेगा, मैं नहीं कह सकता क्योंकि बिरला की पूरी ग्रिप लगी हुई है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि जो वास्तविक उद्योग हैं, वे वहां पर खोले जाएँ जहां उनका मेटीरियल मिलता है। आज यह कहा जाता है कि रेलवे वैगन नहीं मिलते हैं और इस तरह से रा-मेटीरियल भेजने में परेशानी होती है। जहां पर बांस रहता है, वहां पर कागज क्यों नहीं बनाते। माँग होती है तो कहते हैं कि जरूर बनेगा। कब बनेगा, इस का पता नहीं। मैं आप के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। हम एक तरफ कह रहे हैं कि उद्योग मंत्री बड़े मशहूर मजदूर नेता हैं और सारे भारतवर्ष में में जार्ज फर्नाण्डीस साहब एक मजदूर नेता माने जाते हैं और दूसरी तरफ मजदूरों का कोई भला नहीं हो रहा है। मेरे जिले में जो मैंगनीज ओर इण्डिया का उद्योग चल रहा है, जिसमें 51 परसेंट शेयर भारत सरकार के हैं, वहां पर एक मजदूर को 5 रुपये 80 पैसे रोज मिलते हैं। उसको 800 फुट अण्डर ग्राउण्ड में नीचे माइन में जा कर काम करना पड़ता है और आइरन के मजदूर को 9 रुपये 20 पैसे रोज मिलते हैं। वह सरफेस में आइरन ओर में काम करता है और उसमें केवल दो क्वालीटीज होती हैं। मैंगनीज में 8 क्वालीटीज होती हैं और मजदूर को छांटना पड़ता है और उसमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन उसको 5 रुपये 80 पैसे रोज ही मिलते हैं। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मैंगनीज ओर को इण्डिया ओर लि० के डाइरेक्टर्स से मिल कर उन 9 फेरो प्लान्ट वालों ने यूनियन के साथ समझौता करके सस्ते रेट में बेच दिया।

मैंगनीज 260 रुपये टन में बिका और उससे बनने वाला फेरो 22 सौ रुपये टन में बिक रहा है। बार-बार इस सदन में आवाज उठाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। बड़े लोगों की इस

तरीके की गिरफ्त चल रही है जिससे कि गरीब मजदूरों का पेट कट रहा है, उनकी उन्नति में रुकावट आ रही है। इस ओर मन्त्रालय ध्यान दे।

लघु उद्योगों की बहुत चर्चा चल रही है। लेकिन हम मन्त्री जी को तब धन्यवाद देंगे जब कि उनका इम्प्लीमेन्टेशन हो जाएगा। सरकार की तरफ से बहुत-सी सुविधाएँ देने की बात चली है। हमारे यहाँ जो कोआप्रेटिव बैंक और कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं उनके लोग किसानों से 50 परसेंट और 33 परसेंट की जो सब्सीडी आप किसानों को दे रहे हैं उनमें से 20 परसेंट की रिश्वत मांगते हैं। वे कहते हैं कि यह हमें दो तब यह आपको मिलेगी। इस चीज को न तो प्रदेश में और न केन्द्र में कोई देखने वाला है। यहाँ पर आराम से कह दिया जाता है लेकिन वहाँ जो हालत खराब होती हैं उसको नहीं देखा जाता।

सभापति जी आज एक क्वेश्चन आया था उसके बारे में जार्ज फर्नाण्डीस साहब ने हिन्दुस्तान मोटर्स के बारे में जवाब दिया था। कृषि मन्त्रालय से अनाज सस्ता कराया गया लेकिन आपका मन्त्रालय कम से कम साइकिल तो सस्ती करा दे। किसान की चीजों के दाम सस्ते हैं लेकिन कोई भी साइक्लि आज 325 रुपये से कम की नहीं है। आप अपने मन्त्रालय की कोई ऐसी आइटम लीजिए जिससे कि सारे देश की जनता आपको बधाई दे कि आपने कोई चीज सस्ती करायी है। साइकिल कोई पेट्रोल या डीजल से नहीं चलती है। लेकिन उसके दाम भी आज आसमान को छू रहे हैं। किसान के लिए सरकार ने बड़ी दया दिखायी और कह दिया कि अनाज की आवाजाही पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रहेगा। आपने किसानों का गन्ना सस्ता कर दिया लेकिन आपके कारखानों में बनने वाले किसी उपकरण के दाम सस्ते नहीं हुए हैं। सभी उपकरणों के दाम पहले से बढ़े हैं, ट्रेक्टर के दाम बढ़े हैं। आज हमारा किसान इनकी वजह से तड़प रहा है। उस ओर आपका ध्यान होना चाहिए।

सभापति जी, मैंने बार बार इस बात को दोहराया है कि आपकी सरकार बनने के बाद से कपड़े के 25 परसेंट बढ़े हैं। मन्त्री महोदय मालिकों को चेतावनी दे रहे हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि जार्ज साहब इन्हें कितनी ही चेतावनी दें, ये मिल-मालिक इतने पक्के हैं कि ये आपकी बात पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं हैं। उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है। मैं जानता हूँ कि सारे देश के अन्दर 25 परसेंट कपड़े के रेट बढ़े हैं। हमारे मन्त्री जी इन मिल-मालिकों को धमकियाँ दे रहे हैं, हम देखना चाहते हैं कि वे कितनी पूरी होती हैं। अगर उन पर अमल हो गया तो मैं उनको बधाई दूंगा।

साइकिल आज किसान की जीविका के लिए आवश्यक है, भारत के दूसरे नागरिकों की जीविका के लिए भी आवश्यक है। आप उसे ऐसा बनाइये जिससे कि वह दो सौ रुपये में सभी को मिल सके। इससे देश की जनता को लगेगा कि आपने कुछ काम किया है।

इतना ही कहते हुए, मैं आपके कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। आप के कामों की सफलता के लिए हम सहयोग देने को तैयार हैं। मैं आपके कार्यक्रमों का समर्थन करता हुआ और मांगों का समर्थन करता हुआ समाप्त करता हूँ।

श्री आर० एन० राकेश (चायल) : सभापति महोदय, मैं उद्योग मन्त्री की अनुदान माँगों का समर्थन करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ । उसी सन्दर्भ में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ ।

औद्योगिक विकास केवल संतुलित औद्योगिक नीति द्वारा ही संभव है । पिछले दो वर्षों में औद्योगिक विकास के लिए हमने काफी प्रयास किया, सरकार ने काफी प्रयास किया लेकिन अपेक्षित लाभ हमें नहीं मिला । सच बात तो यह है कि पंडित नेहरू ने हैवी इंडस्ट्रीज की स्थापना पर जोर दिया था और इनकी स्थापना करके देश को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न देखा था । हम आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से आगे बढ़े हैं । बहुत कम चीजें आज ऐसी हैं जिनके लिए हमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ता हैं । लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि हम छोटी इंडस्ट्रीज के पक्ष में नहीं हैं, उनके हम पक्षधर नहीं है । अगर छोटे उद्योग धंधों को बढ़ावा देना है तो बड़े उद्योग धंधों की उपेक्षा हम नहीं कर सकते हैं । यदि कृषि का विकास करना है तो थैशर, ट्रैक्टर आदि हमें हैवी इंडस्ट्रीज के द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं, वहीं से उनकी पूर्ति हो सकती है । हमें बैलगाड़ी की भी और रेलगाड़ी की भी, पैरगाड़ी की भी और हवाई जहाज की भी जरूरत है । इसलिए हैवी इंडस्ट्रीज के साथ-साथ छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज का भी हमें ध्यान करना है । बड़ी इंडस्ट्रीज की अगर हम उपेक्षा करते हैं, उन्हें हम बढ़ावा नहीं देते हैं तो मैं समझता हूँ कि छोटी इंडस्ट्रीज के टूल्ज के लिए हमें विदेशों पर निर्भर करना पड़ेगा । देश की आर्थिक नीति का आधार छोटी इंडस्ट्रीज हो सकती हैं और वे आवश्यक भी हैं लेकिन साथ-साथ बड़ी इंडस्ट्रीज की उपेक्षा करके हम अपेक्षित कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं ।

उद्योग मंत्री जी समाजवादी दल के सदस्य रहे हैं और सरकार में आने से पहले इन्होंने हमेशा समाजवाद की बात कही है, इनके रोम-रोम में समाजवाद समाया हुआ है, भीतर और बाहर दोनों से वह पुराने समाजवादी हैं । इसलिए मैं उनसे मांग करता हूँ कि जो आवश्यक उपयोगी वस्तुएं हैं जैसे कपड़ा है, चीनी है, इन मिलों का वह राष्ट्रीयकरण करें । इंसान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जो चीजें हैं उन मिलों का वह राष्ट्रीयकरण करें । वह केवल धमनियां ही न दें, केवल बयान ही न दें, बल्कि उस पर अमल भी करें ।

प्राइवेट सैक्टर ने हमेशा ही सरकारी इंडस्ट्रीज चूंकि घाटे में चलती हैं इस वास्ते वह निजी सैक्टर की वकालत करता रहा है । लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि सरकारी इंडस्ट्रीज में श्रमिकों का लाभ देखा जाता है, उनको राहत मिलती है जबकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में श्रमिकों की गाढ़ी कमाई का शोषण होता है, उनके खून और उनके मांस को नोच-नोच करके मालिक लोग लाभ कमाते हैं । प्राइवेट मिल मालिक तीस साल से चाँदी के जूते के बल पर यही दलील पेश करते रहे हैं कि चूंकि पब्लिक सैक्टर घाटे में चलता है और प्राइवेट सैक्टर मुनाफे में इस वास्ते सरकार को प्राइवेट सैक्टर में इंटरफीयर नहीं करना चाहिये । मैं माँग करता हूं कि जितना प्राइवेट सैक्टर है इसका मंत्री महोदय जनहित में, राष्ट्रहित में राष्ट्रीयकरण करें ।

पिछले दो बरस में लघु उद्योग धंधों के बारे में सदन के अन्दर और बाहर भी बड़ी-बड़ी दलीलें दी गई हैं और कहा गया है कि इनसे बेरोजगारी दूर होगी । लेकिन इसको मैंने तो कहीं

नहीं देखा है। सदन में बहुत से माननीय सदस्य बैठे हुए हैं और मैं नहीं समझता हूं कि इनमें से दस-बीस भी दावे के साथ यह कह पाएंगे कि उनके क्षेत्रों में लघु उद्योग धंधों के द्वारा किसी की भी बेरोजगारी दूर हुई है। मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूं। चैल मेरा संसदीय चुनाव क्षेत्र है। मैंने पूरे इलाहाबाद की खोजबीन की है और कोई भी आदमी मुझे खोजने पर ऐसा नहीं मिला है जो इन उद्योग धंधों के द्वारा लाभान्वित हुआ है और उसने बेरोजगारी से मुक्ति पाई हो। इसी संदर्भ में मंत्री जी का ध्यान बुनकरों की ओर दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने मऊऐमा के बुनकरों के लिये क्या किया है, भिमड़ी के बुनकरों के लिये क्या किया है, फैजाबाद में अकबरपुर और भऊनाथभंजनपुर के बुनकरों के लिये आपने क्या किया है? उनकी समस्यायें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। उनके बीच में आज भी घोर संकट है। जनरल बजट में तरह तरह के टैक्स लगा दिये गए हैं जिनसे उनकी हालत और भी खराब हो गई है। फर्रूखाबाद में जहां छपाई होती है उनको रंग दिलाने के लिये आपने क्या किया है?

साथ ही साथ मैं कारपेट की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपको भदोही (मिर्जापुर) के बारे में पूरी जानकारी है कि कारपेट का सबसे ज्यादा ऐक्सपोर्ट भदोही (मिर्जापुर) से ही होता है। लेकिन उनके मजदूरों की हालत आज दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। आज से 7-8 साल पहले इलाहाबाद जनपद में गंगा पार में चायल के सिराथू, मंझनपुर और खागा तहसील में कारपेट इंडस्ट्री का काम बड़ी तेजी से शुरू हुआ था और वहाँ के लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिली थी। लेकिन पिछले दो सालों में उनको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला है, और सारा का सारा उनका काम ठप्प हो गया है और हजारों लोग बेकार होते जा रहे हैं। अगर आपको लघु धंधों को बढ़ावा देना है, कारपेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो इलाहाबाद में जो कारपेट के उद्योग-धंधे में लगे हुए मजदूर हैं उनकी हालत को सुधारा जाय।

इसी सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग के उन लोगों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जो गांधी जी की नीतियों के अन्तर्गत ताड़ के पेड़ से नीरा निकालकर गुड़ बनाते थे। यह पौलिसी गांधी जी ने चलायी थी। लेकिन नशाबन्दी के नाम पर ताड़ से नीरा निकालना बन्द कर दिया गया है जिससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनकी बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके अनुदानों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान पहाड़ के फलों की ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे कल ही बताया गया है, और टेलीफोन से मैंने कनफर्म किया है कि तमाम फल जो वहाँ होते हैं वह सड़ रहे हैं। उनके प्रीजर्वेशन के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है। मैं चाहता हूँ कि फलों की सुरक्षा के लिए सही कदम उठाये जायें।

मंत्री महोदय बड़े समाजवादी हैं। लेकिन आपके यह अनुदान भी उनके लिए हैं जिनके पास सब कुछ है। उनके लिए नहीं हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि आप समाजवादी हैं इसलिए आपको इस मांग के अन्दर रखना चाहिए था कि एक परिवार में जीवन-यापन का एक साधन होना चाहिए। लेकिन जिनके पास खेत हैं, मिलें हैं, बिजनेस है, नौकरियां हैं उनके लिए इस बजट में सब कुछ है। लेकिन उनके लिए जिनके पास कुछ नहीं है जो करोड़ों की तादाद

[श्री आर० एन० राकेश]

में हैं, भूखे हैं, नंगे हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए इसमें कोई खास बात नहीं कही गई है। लगता है कि मंत्री जी ने इसमें कोई संशोधन नहीं किया है। आपकी भावनाओं के अनुसार यह अनुदान पेश नहीं किए गये हैं। इसलिए आप अपनी भावनाओं के अनुसार इस अनुदान में आवश्यक संशोधन कीजिये।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि औद्योगिक विकास का कार्य स्टेट इण्डस्ट्रीज कौरपोरेशन के ऊपर छोड़ा गया है। लेकिन स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कौरपोरेशन्स क्या कर रही है ?

अन्य राज्यों की बात न कहकर मैं दिल्ली इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जहाँ इस कार्पोरेशन के द्वारा उद्योग-धंधों को बढ़ावा देने का काम होना चाहिए था, उन्हें सही बुनियाद देने का काम होना चाहिए था, वहाँ उसका 60 से 80 प्रतिशत स्टाफ शराब बेचने का काम कर रहा है और करवा रहा है। जब इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन उद्योग-धंधों के विकास के काम को छोड़कर शराब बेचने और बिकवाने का काम कर रहा हो, तब इस देश की इण्डस्ट्रीज का क्या होगा ? यह देश कहां जायेगा ? इसलिए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर फिर से विचार करें और इन संस्थाओं को सही दिशा देने की कोशिश करें।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदान-मांगों का समर्थन करता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया।

* **श्रीमती वी. जयलक्ष्मी** (शिवकाशी) : सभापति महोदय, उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मुझे कुछ कहने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ।

मुझे ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की विशेष सुविधा प्राप्त है जहाँ अधिकांश ऐसे लघु औद्योगिक एकक हैं जो माचिस, पटाखे बनाते हैं तथा जहाँ हजारों हथकरघा बुनकर हैं। औद्योगिक विनियमन एवं विकास (संशोधन) विधेयक पर बोलते हुए मेरे सहयोगी श्री वसंत साठे तथा श्री उन्नीकृष्णन ने 'विमको' के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे शिवकाशी के माचिस निर्माताओं के हस्त निर्मित क्षेत्र के एकाधिकार का उल्लेख किया। उद्योग मंत्री महोदय ने वाद-विवाद का उत्तर देते समय कहा था कि यह बात अभी तक उनके ध्यान में नहीं लाई गई है। स्वयं मैंने शिवकाशी में माचिस उद्योग पर इस हस्त-निर्मित क्षेत्र के शिकंजे के बारे में बार-बार उल्लेख किया है और बाल श्रम निवारक विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेते हुए मैंने इन लोगों द्वारा बाल श्रमिकों के शोषण के बारे में विशिष्ट रूप से उल्लेख किया था। मैं महसूस करती हूँ कि उद्योग मंत्री महोदय ने यह कहकर सभा को गलत सूचना दी है कि उन्हें शिवकाशी में हस्त-निर्मित क्षेत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

* तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

मैं 25 मार्च, 1979 के 'बिजनेस स्टैण्डर्ड' में 'स्माल स्ट्राइक इटरिच' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित उस समाचार का उद्धरण देती हुई अपनी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल कराना चाहूँगी जिसमें ऐसे आंकड़े दिए हुए हैं जिन्हें देखकर दुःख होता है :—

"तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में शिवकाशी, सत्तूर और कोविलपट्टी क्षेत्र में लगभग 55 समूह हैं। उनके बीच वे 330 ऐसे एककों पर स्वामित्व किए हुए हैं जो हस्त-निर्मित माचिसों का उत्पादन करते हैं और 93 ब्रांड नामों में उनके शेयर हैं। बारह समूहों का शिवकाशी में 90 एककों पर स्वामित्व है, 13 समूहों का सत्तूर में 103 एककों पर नियन्त्रण है और कोविलपट्टी में 231 एकक 40 समूहों के अंतर्गत आते हैं।

पांच समूह जिनका सात या ज्यादा एककों पर स्वामित्व है, का शिवकाशी में 68 कारखानों पर नियन्त्रण है। ये आंकड़े सत्तूर के लिए 6 और 70 हैं तथा कोविलपट्टी के लिए 13 है और 103 हैं।

इन समूहों में सबसे बड़े ये हैं : अरसान (24), पी. अय्या नाडार (15), पायोनियर (13)—ये सभी शिवकाशी के हैं। मनोहर (16), नटराज मैच ट्रेडिंग कं० (13), जॉन जयप्रकाश (13), भद्र-काली (11) और रानी मीरा (10)—ये सभी सत्तूर के हैं तथा न्यू ज्योति (22), गणपति मैच वर्क्स (13), कामरिन (11) और गोमतीज (10)—ये सभी कोबिलपट्टी के हैं।

हस्त-निर्मित माचिस उद्योग पर कुछ ऐसे अन्य परिवारों का भी प्रभुत्व है जिनका विवरण 'विजनेस स्टैण्डर्ड' के संवाददाता के ध्यान में नहीं आया।

आज सुबह एक तारांकित प्रश्न था तथा मेरे माननीय मित्र श्री चन्द्रप्पन ने हस्त-निर्मित माचिस उद्योग में शिवकाशी के 17 समृद्ध परिवारों की एकाधिकारवादी भूमिका पर अपने अनुपूरक प्रश्न आधारित किए। उद्योग मंत्री महोदय ने उत्तर दिया कि वह इसकी गहराई पूर्वक जांच करवायेंगे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या मंत्री महोदय जांच का आदेश दे चुके हैं और यदि नहीं तो उनका विचार यह जाँच कब तक आरम्भ करवाने का है ?

इस सभा को इस बात की जानकारी है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाएँ आयोग ने विमकों का उत्पादन देश में माचिसों की कुल मांग का 30 प्रतिशत तक नियन्त्रित कर दिया। विभिन्न कारणों से 'विमकों' मांग का केवल 28 प्रतिशत ही उत्पादन कर रही है। शेष 72 प्रतिशत उत्पादन लघु क्षेत्र और कुटीर एककों के बीच बांट लिया गया है। 62 प्रतिशत उत्पादन शिवकाशी के 17 समृद्ध परिवारों की छत्रछाया के अन्तर्गत एककों द्वारा किया जा रहा है और केवल 10 प्रतिशत उत्पादन सहकारी क्षेत्र, सर्वोदय संघ, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के एककों द्वारा किया जा रहा है। जैसे 'विमकों' की सुस्थापित उत्पादन पद्धति है उसी तरह ये बी-श्रेणी के लघु एकक भी अपने पोटेशियम क्लोरेट कारखाने सुस्थापित व्यापार लेबलों, विस्तृत वितरण केन्द्रों सहित स्थापित उत्पादन पद्धति पर कार्य कर रहे हैं। केरल तथा कर्नाटक में कमची और लेप के उनके अपने कारखाने होने के अतिरिक्त उन्होंने सिक्किम, अण्डमान और निकोबार

[श्रीमती वी०जयलक्ष्मी]

द्वीप समूह में कमची और लेप के अपने कारखाने स्थापित करके अपना कार्य क्षेत्र बढ़ा लिया है। इन सब बातों के साथ वे लघु क्षेत्र कहलाने का दम भरते हैं।

सहकारी क्षेत्र तथा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अधीन कुटीर एककों की हालत ऐसे हैं जैसे कड़ाहे में से निकले और आग में गिर पड़े। 'विमकों' पर एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के उत्पादन प्रतिबन्ध लगे हुए हैं परन्तु इन तथाकथित लघु एककों पर उत्पादन सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है। 'विमकों' कमची और लेप के लिए प्रति घन फुट लठ्ठा 2 रुपये से 4 रुपये तक में प्राप्त कर सकता है परन्तु कुटीर उद्योगों के लिए लठ्ठे 10 रुपये से 40 रुपये तक पड़ते है। कुटीर एकक पैराफिन मोम, पोटेशियम क्लोरेट, माचिस के नीचे कागज तथा सरेस की अपनी आवश्यकताओं के लिए इन एकाधिकार गृहों की दया पर निर्भर करते हैं। आप कुटीर एककों की सोचनीय स्थिति के बारे में भली-भांति कल्पना कर सकते हैं जिनके बारे में जनता सरकार बार-बार कहती रहती है।

महोदय, मैं यह बात आपके ध्यान में लाना चाहूँगी कि 'विमकों', माचिसों की मांग का केवल 28 प्रतिशत उत्पादन कर रही है, मजूरी और बोनस के रूप में अपने 8000 श्रमिकों को जो स्थायी श्रमिक कहलाते हैं तथा अपने सहायक एककों के 40,000 कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 6 करोड़ रुपये अदा करती है। 62 प्रतिशत मांग के उत्पादन के लिए इन बी-श्रेणी के माचिस कारखानों में 2 लाख श्रमिक काम कर रहे हैं। इन एककों का 2 लाख श्रमिकों के लिए वार्षिक मजूरी बिल औसतन 8 करोड़ रुपये का बनता है। 'विमको' में काम करने वाले श्रमिक को प्रति दिन 35 रुपये मिलते हैं जबकि बी-श्रेणी के श्रमिक को दिन के 3.5 रुपये मिलते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि मैं 'विमको' की कोई तरफदार नहीं हूँ। इस बहुराष्ट्रीय कम्पनी 'विमको' का विघटन किया जाना चाहिए। परन्तु संगत प्रश्न यह है कि इस 30 प्रतिशत उत्पादन क्षमता को किसे सौंपा जाये, इसे किसी भी हालत में शिवकाशी, सत्तूर और कोविलपट्टी के 17 समृद्ध परिवारों, जिन्हें अन्य प्रकार से माचिस उद्योग के बादशाह कहा जा सकता है, के अन्तर्गत जो माचिस एकक हैं उन्हें नहीं दिया जाना चाहिए। इसे पूर्ण रूप से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और सहकारी क्षेत्रों को दिया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हुआ तो मैं शिवकाशी के इन अमीर परिवारों के अधीन इन तथाकथित छोटे एककों के उत्पादन पर कानूनी प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दूंगी।

एक दिन वित्त मंत्रालय में हमारे राज्य मंत्री श्री सतीश अग्रवाल मदुरै में थे। उनसे कहा गया कि बी-श्रेणी के माचिस एककों पर उत्पादन शुल्क में और कमी की जाये। श्री अग्रवाल ने उत्तर दिया कि उन्होंने केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के एक सदस्य श्री वेंकटरामन को माचिस उद्योग और इसकी वित्तीय सक्षमता का स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिए प्रति नियुक्त किया गया है। मैं उद्योग मंत्री महोदय को इस बात से अवगत कराना चाहूँगी कि डी-श्रेणी के माचिस एककों पर उत्पादन की सीमा लगी हुई है, अर्थात् एक वर्ष में 7 करोड़ 50 लाख

तीलियां। परन्तु खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि बी-श्रेणी के एककों पर कोई सीमा नहीं है। यह अत्यधिक अनुचित बात है। मैं न केवल यह मांग करती हूँ कि छोटे औद्योगिक एककों अर्थात् बी-श्रेणी के कारखानों द्वारा माचिस के उत्पादन पर सीमा लगाई जाये अपितु सहकारी क्षेत्र, सर्वोदय संघ तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग के अधीन माचिस एककों को राज सहायता प्राप्त दरों पर कच्चा माल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इन समृद्ध परिवारों द्वारा संचालित इन छोटे एककों को उत्पादन-शुल्क में कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए। मैं सरकार से यह अपील भी करूँगी कि वह इस क्षेत्र की उत्पादन शुल्क में कमी करने की ओर कोई ध्यान न दे। इसी प्रकार डी-श्रेणी के माचिस एककों पर उत्पादन लेवी में वृद्धि न की जाये। मेरे निर्वाचन क्षेत्र शिवकाशी के इस उद्योग की पेचीदगियों की मुझे काफी जानकारी है। मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बोल रही हूँ।

मैं उद्योग मंत्री महोदय के ध्यान में एक और अनुचित माँग लाना चाहती हूँ जो खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, सर्वोदय संघ के अन्तर्गत आने वाले एककों द्वारा की जा रही है। उन्हें बम्बई स्थित खादी तथा ग्रामोद्योग आयुक्त, श्री नाग को 200 रुपये का ड्राफ्ट भेजने के लिए विवश किया जा रहा है कि वे ऐसा करके खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत आने वाले वास्तविक एकक होने का प्रमाण-पत्र प्राप्त करें। मंत्री महोदय को चाहिए कि वह कुटीर एककों पर इस अवांक्षित बोझ को समाप्त करें। इस कार्य के लिए उन्हें 200 रुपये अदा करने के लिए क्यों बाध्य किया जाये ?

एक निराधार आशंका भी है कि यदि विमको का विघटन कर दिया गया तो माचिस का अकाल पड़ जायेगा। मैं अधिकारपूर्ण रूप से कह सकती हूँ कि माचिस का कोई अकाल नहीं पड़ेगा और हस्त-निर्मित माचिस क्षेत्र देश की समूची आवश्यकता पूरी कर सकेगा। हम उत्पादन पूरा कर सकेंगे। केवल एकमात्र बाधा यह है कि कुटीर एककों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता तथा कच्चे माल की नियमित सप्लाई का उपबन्ध नहीं है। इन 17 अमीर परिवारों द्वारा संचालित छोटे एकक वाणिज्यिक बैंकों से 70 प्रतिशत निवेश धन प्राप्त करते हैं। ये परिवार उधार लिये हुए धन से अमीर बन गये हैं और यहाँ तक कि वे श्रमिकों को कानूनी न्यूनतम मजूरी का भुगतान नहीं करते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अब से आगे केवल कुटीर एककों को ही पर्याप्त वित्तीय सहायता मिले।

दुर्भाग्यवश माचिसों को रेलवे में परिवहन हेतु आवश्यक वस्तुओं की सूची के अन्तर्गत नहीं लाया गया है।

यदि उन्हें (ङ) से (ग) श्रेणी में लाया जाये तो उन्हें रेल माल डिब्बों के लिए अच्छी प्राथमिकता प्राप्त हो सकती है। अब वे माल डिब्बों के आबंटन के लिए रेल अधिकारियों की कृपा पर निर्भर हैं। मैं उद्योग मंत्री से अनुरोध करूंगी कि वह अपने सहयोगी रेल मन्त्री से इसे क्रियान्वित कराने के लिए कहें। एक बार परिवहन समस्या का यदि समाधान हो जाता है तो 'घ' श्रेणी के उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा और दूरस्थ क्षेत्रों में भी सप्लाई समय पर मिल सकेगी।

[श्रीमती वी० जयलक्ष्मी]

हमारे देश में कृषि के बाद हथकरघा उद्योग में रोजगार के अधिकतम अवसर हैं। खेद है कि शिवरामन समिति की हथकरघा तथा शक्तिचालित करघों के लिए कपड़े के लिए आरक्षण के बारे में सिफारिशें अभी तक प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं की गई हैं यद्यपि बहुत पहले ये सरकार को प्रस्तुत की जा चुकी हैं। गत सप्ताह तमिलनाडु में हथकरघा विभाग के मंत्री से साक्षात्कार का मुझे अवसर मिला। उन्होंने मुझे बताया कि राज्य सरकार को इस नीति को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया है परन्तु इसे प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने के लिए उन्हें अधिकार नहीं दिये गये हैं। आरक्षण का उल्लंघन करने के बहुत से मामले तमिलनाडु सरकार न्यायालय में ले गयी। 100 रुपये से 500 रुपये तक जुर्माना देकर ये लोग छूट जाते हैं। इनके लाइसेंस समाप्त करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है, केन्द्रीय सरकार ही ऐसा कर सकती है। जब तक यह अधिकार राज्य सरकार को नहीं दिया जाता तब तक आप राज्य सरकार से किस प्रकार आशा कर सकते हैं कि वे हथकरघा तथा शक्तिचालित करघा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा सकते हैं ? सामान्यतया यह कहना कि राज्य सरकार ने योजना प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं की है सरासर अनुचित है। जब तक राज्य सरकार को उचित अधिकार नहीं दिये जाते तब तक शिवरामन समिति की सिफारिशों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।

हथकरघा बुनकरों को 300 करोड़ रुपये की राशि के ऋणों की आवश्यकता है। अब तक केवल 25 करोड़ रुपये की राशि, 20 करोड़ भारतीय रिजर्व बैंक के सहकारी ऋण संस्थानों से तथा 5 करोड़ वाणिज्य बैंकों से, उपलब्ध हो पाया है। यहां मैं एक बहुत ही रुचिपूर्ण विरोधाभास का उल्लेख करूंगी। भारतीय रिजर्व बैंक इस उद्देश्य के लिए दिये गये ऋणों पर केवल $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत ब्याज लेता है। परन्तु अन्ततः जब तक ये हथकरघा बुनकरों तक पहुंच पाते हैं, बुनकर से 14 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। यदि मैं यह बात पूंछूं कि गैर सरकारी क्षेत्र की मिलों को आधुनिकीकरण के लिये 5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण किस प्रकार उपलब्ध हो जाते हैं तो मुझे वामतंथी उग्रवादी कहा जायेगा। क्षेत्रों आदि का भेदभाव किए बिना हथकरघा बुनकरों को कम ब्याज दर पर ऋण दिए जाने चाहिए। मन्त्री महोदय को, जिन्होंने हथकरघा बुनकरों को गरीबी से निकालने का वचन दिया है, सुनिश्चित कराना चाहिये कि बुनकरों को दिए जाने वाले ऋणों की ब्याज दर पर्याप्त रूप में कम की जायेगी और उनकी पूर्ण ऋण आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी।

निजी मिलों को स्टैण्डर्ड कपड़े के उत्पादन दायित्व से छूट दी गई है। देश की स्टण्डर्ड कपड़े की पूरी मांग हथकरघा क्षेत्र और खादी ग्रामोद्योग आयोग यूनिटों से पूरी की जायेगी। स्टैण्डर्ड कपड़े की इतनी अधिक मात्रा का उत्पादन होने की किस प्रकार आशा की जा सकती है जबकि इन क्षेत्रों के उपकरण पुराने हो और उनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन भी नहीं हों। 80 प्रतिशत हथकरघा बुनकर पुराने ढंग की मशीनों का प्रयोग करते हैं। मैं मांग करती हूं कि हथकरघा बुनकरों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए एक समिति बनाई जाये ताकि वे देश के पर्यन्त स्टैण्डर्ड कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए अपने करघों को आधुनिक प्रकार के बना सक।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं यह मांग करूंगी कि भारी उद्योगों के लिए औद्योगिक विकास बैंक की भांति एक पृथक हथकरघा विकास वित्त निगम गठित किया जाये ताकि एक केन्द्र से हथकरघा बुनकरों की आवश्यकतायें अविलम्ब पूरी हो सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री बेगाराम चौहान (गंगानगर) : सभापति महोदय, इस समय हमारे उद्योग मन्त्री जी सदन में विराजमान हैं, मैं उनके सामने राजस्थान के गंगानगर जिले की कुछ बातें रखना चाहता हूं। हमारे गंगानगर जिले में कपास और नर्मा की खेती बहुत ज्यादा होती है। कपास और नर्मा का भाव 1974-75, 1975-76 में, जबकि यहां पर पहले भूतपूर्व कांग्रेस की सरकार थी, 500 रुपए क्विंटल का भाव था, लेकिन हमारी जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद हमारे किसान से वह कपास और नर्मा 250 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया गया है। मैंने इस सम्बन्ध में कई पत्र मन्त्री महोदय को लिखे, परन्तु पत्रों का कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

मैं उद्योग मन्त्री जी से कहना चाहता हूं—यदि इसी तरह से किसानों के साथ अन्याय होता रहा, तो किसान इस अन्याय को बरदाश्त नहीं करेंगे। मुझे यह देखकर बड़ा अफसोस हो रहा है कि जनता पार्टी की सरकार के समय में किसानों के साथ इस तरह का अन्याय हो रहा है। उद्योग मन्त्री जी, मैं सही बात कह रहा हूं, यदि विश्वास न हो तो इसकी जांच करवा लें। 1975-76 में कपास-नर्मा का भाव 500 रुपए से कम नहीं था, लेकिन आज 250 रुपए के भाव में उनसे लिया गया और जब किसानों से सारा माल खरीद लिया गया, तो उसका भाव आज 400 रुपए का हो गया है। उद्योग मन्त्री जी की उद्योगपतियों के साथ वार्ता चल रही है। आप कहते हैं कि 4 मई को मीटिंग बुला कर इसके बारे में तय करेंगे। किसानों के पास से तो सारा कपास-नर्मा चला गया, अब 4 मई को आप कुछ भी तय करें, या न करें, किसानों को उससे कोई लाभ नहीं होगा। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा—आप इस पर गम्भीरता के साथ विचार करें। किसानों के साथ यदि ऐसा ही व्यवहार होगा, तो आप समझ लीजिये—82 परसेन्ट वोट किसानों के हैं, हमारी यह सरकार चलने वाली नहीं है—मैं यह बात दावे के साथ कह रहा हूं।

सभापति जी, हमारे कपास-नर्मा के भाव तो कम हो गए, लेकिन कपड़े का भाव को देखिये। अभी हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि कपड़े का भाव 20 परसेन्ट बढ़ा दिया गया है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया, जब हमारे कपास-नर्मा के भाव कम हो गए तो कपड़े का भाव कैसे बढ़ा दिया गया ? यह सब इसलिए है कि बड़े उद्योगपतियों की मन्त्री जी के साथ वार्ता होती रहती है। मैं एक बात साफ तौर से निवेदन करना चाहता हूं—4 मई तक मीटिंग बुला कर कपास-नर्मा का भाव बढ़ा दीजिये, तब तो ठीक है, यदि नहीं बढ़ायेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं—हम जनता पार्टी में नहीं रहेंगे, जनता पार्टी को छोड़ देंगे। आज हमारे किसानों की क्या हालत है ? किसान एक बीघे के अन्दर 300 रुपये की खाद डालता है, लेकिन उसको 250 रुपये एक क्विंटल पर मिलते हैं।

(श्री बेगाराम चौहान]

तो मैं यह निवेदन करूंगा कि 4 मई के पहले इस पर पुनर्विचार करके नरमा-कपास के आने वाले भाव 400-450 रुपए प्रति क्विंटल तय किये जाएं। इससे कम नहीं करना, किसान इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

जमशेदपुर में विद्यमान स्थिति के बारे में वक्तव्य

गृहमन्त्री श्री एच० एम० पटेल— महोदय, मैं 11 और 12 तारीख को जमशेदपुर में विपदग्रस्त घटनाओं के सम्बन्ध में गहन चिन्ता और अत्यधिक दुःख के साथ यह वक्तव्य दे रहा हूं। दंगों के स्वरूप मारे गये और जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या और नष्ट की गई सम्पत्ति के कारण जो कटुता पैदा हो गई उसे हम सभी की ओर से सतत प्रयासों से कुछ समय के पश्चात ही दूर किया जा सकता है। जब मुझे 12 तारीख की शाम को यह मालूम हुआ कि एक एम्बूलैंस गाड़ी को आग लगाने की एक भयंकर दुर्घटना हुई है जिसके परिणामस्वरूप अनेक निःसहाय महिलाओं और बच्चों की मृत्यु हुई, तो मैंने यह पता लगाने के लिए जमशेदपुर जाने का निश्चय किया कि यह हृदय विदारक दुर्घटना किस कारण हुई। बिहार के मुख्यमन्त्री तथा सभी संबंधित अधिकारी भी जमशेदपुर में थे। मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि स्थिति नियंत्रण में लाई जा रही है तथा शान्ति स्थापित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। मारे गये व्यक्तियों की संख्या उस समय लगभग 50 बताई गई थी। परन्तु जब मुझ 16 तारीख को यह मालूम हुआ कि हताहतों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से 100 तक पहुंच गई है, तो मैंने महसूस किया कि मुझे सदन में रिपोर्ट देने से पूर्व पुनः जमशेदपुर जाना चाहिए। मैं कल फिर जमशेदपुर गया था। अब स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है। इन दंगों से प्रभावित लोगों को राहत देने-पहुंचाने हेतु पुनर्वास, सदभावना की बहाली तथा सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने की जटिल समस्याओं के लिए अनेक स्वैच्छिक संगठनों द्वारा निभाई गई भूमिका अनुकरणीय है, जिससे हमें आशा रखनी चाहिए।

मैं दो बार जमशेदपुर गया हूं वहां मुझे राज्य प्राधिकारियों तथा अनेक लोगों के साथ बातचीत करने से ज्ञात हुआ है कि 11 तारीख को जमशेदपुर में जो दंगे हुए उनका कारण अप्रैल के प्रथम सप्ताह में हुई घटनायें हैं। दिमना बस्ती के आदिवासियों ने एक निश्चित मार्ग से जुलूस निकालने की अनुमति देने के लिए आवेदन किया था। आवेदकों को गत वर्ष इस मार्ग से जुलूस निकालने के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। लोगों ने इसके विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की थी। उच्च न्यायालय ने स्थानीय प्राधिकारियों के निर्णय का समर्थन किया। अनुमति न देने का कारण यह था कि जुलूस के लिए चुना गया मार्ग मुसलमानों की बस्ती से गुजरता है। जब इस वर्ष अनुमति नहीं मिली तो सभी 72 अखाड़ों ने जो रामनवमी को जुलूस निकालते हैं निर्णय किया कि जब तक दिमना बस्ती के लोगों के मामले का समाधान नहीं होता, जुलूस नहीं निकालेंगे।

इससे नगर में गंभीर तनाव हो गया। पूर्वोपाय के रूप में लगभग 140 ज्ञात समाजविरोधी तत्वों को 11 तारीख से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था।

इसी दौरान दोनों समुदायों के नेता आपस में मिले और समझौता कर लिया जिससे उन्होंने जुलूस के लिए मार्ग निर्धारित किया जो संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं जाएगा। समझौते पर औपचारिक रूप से दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते तथा समय-सारणी जिस पर सहमति हुई थी के अनुसार दिमना बस्ती के लोगों ने 11 अप्रैल को प्रातः 8 बजे एक जुलूस निकाला ताकि झंडा अपने लक्ष्य पर प्रातः 10 बजे प्रवाहित किया जा सके। तदनुसार जुलूस जिसमें अनेक मुसलमान भी थे, उस स्थान तक शान्तिपूर्वक बढ़ता रहा जहाँ यह पुराने रास्ते से मिलता है।

इस दौरान जुलूस के साथ स्थानीय नेताओं में से एक और विधानसभा के एक सदस्य ने आग्रह किया कि जब तक प्राधिकारी त्रिवेदी नामक पुजारी जो पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से था, को नहीं छोड़ दिया जाता, जुलूस आगे नहीं बढ़ेगा। जब जिला प्राधिकारी ऐसी रिहाई के लिए सहमत नहीं हुए, जुलूस में बिलम्ब हो गया। इस दौरान जुलूस का आकार बढ़ना आरम्भ हो गया। दूसरी ओर जुलूस का नियन्त्रण और भीड़ के आकार में वृद्धि ने आस-पास के क्षेत्रों में उत्तेजना अथवा तनाव अथवा भय उत्पन्न कर दिया। इन परिस्थितियों में कुछ पत्थर, विस्फोटक आदि फेंके गये थे। जुलूस की व्यवस्था भंग हो गई थी। जुलूस का मार्गदर्शन कर रहे पुलिस दल ने अश्रु गैस और लाठी प्रहार का आश्रय लिया। लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। मांगों क्षेत्र में हुए झगड़े की खबर बड़ी शीघ्रता से फैली। जैसा कि ऐसे अवसरों पर होता है, अतिरंजित अफवाहों ने स्थिति को गंभीर बना दिया। शहर के विभिन्न भागों में हिंसा फैल गई और आगजनी की अनेक घटनाओं की सूचना मिली। जिला प्राधिकारियों ने कर्फ्यू लगा दिया और सैनिक प्राधिकारियों से सहायता मांगी।

सेना की कुमुक के वहाँ पहुँचने और सेना तथा उपलब्ध स्थानीय पुलिस द्वारा गश्त लगाने से स्थिति में कुछ अन्तर आया। परन्तु मैं यह नहीं कह सकता 11 तारीख को स्थिति नियन्त्रण में थी। 11 तारीख की रात्रि एवं 12 तारीख को आगजनी एवं हिंसा की घटनायें जारी रहने के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में जान-माल की क्षति हुई। इन दो दिनों में अशान्ति के दौरान सम्पूर्ण बाजार जिसमें सभी समुदायों के लोगों की दुकानें थीं, जला दिया गया। शहर के विभिन्न भागों में आगजनी की अनेक घटनायें हुई। इसके अतिरिक्त मुसलमानों कीशिया रह के सम्पूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया गया और उसे जला दिया गया। जब सेना और पुलिस आगजनी के कारण घिरे हुए लोगों को बचाने का प्रबन्ध कर रहे थे और अपने वाहनों में सुरक्षित स्थानों को भेज रहे थे तो वह दुर्घटना घटी जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है। एक एम्बुलेंस बड़ी संख्या में स्त्रियों और बच्चे को लेकर कानवाई छोड़कर गई। उसमें आग लगाई गई जिससे अन्य घटनाओं की अपेक्षा सबसे अधिक जानें गई। 12 तारीख की रात्रि सेना, सीमा सुरक्षादल तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की अतिरिक्त कुमुक जमशेदपुर पहुँच गई। उसके बाद स्थिति धीरे-धीरे नियन्त्रण में लाई गई यद्यपि 12 तारीख को भी संगठित हिंसा की तीन घटनायें हुईं और 14 तारीख को भी आगजनी और छुरेबाजी की कुछ इक्का-दुक्का वारदातें हुईं। 16 तारीख के बाद किसी अप्रिय घटना की रिपोर्ट

[श्री एच० एम० पटेल]

नहीं मिली है। किन्तु प्रतीत होता है कि घटनाचक्र के प्रारम्भ से ही बड़ी संख्या में पुलिस तथा अर्ध सैनिक बलों को तैनात किया जाता तो स्थिति न बिगड़ती।

मरने वालों की कुल सख्या लगभग 110 तक पहुंच गई है। इसमें वे 8 व्यक्ति भी शामिल हैं जो सेना तथा पुलिस की गोली से मरे है। घायलों की बड़ी संख्या है जो लगभग 325 हैं। 1200 से अधिक व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और सेना को असाधारण रूप से अनेक अवसरों पर गोली चलानी पड़ी। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि स्वयं सेवी संगठनों द्वारा विपत्ति में पड़े हुए लोगों की देख-रेख करना वास्तव में प्रशंसनीय है। मैं विशेष रूप से टिसको और टेलको तथा गुजरात सनातन समाज का उल्लेख करता हूं। इस माननीय कार्य में रामकृष्ण मिशन तथा भारत सेवा आश्रम संघ भी सक्रिय है। जिन लोगों के मकानों को क्षति पहुंचाई गई है उनको रहने के लायक बनाने के लिए सामग्री देने के लिए प्रबन्ध किए गए हैं। जिन व्यक्तियों के मकान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं उनको बसाने के लिए यथाशीघ्र अस्थाई निर्माण करने का भी विचार है। दंगों के शिकार व्यक्तियों को सभी सम्भव सहायता दी जाएगी। इस समय जमशेदपुर में तैनात बल भी पर्याप्त है। ये बल पूरी तरह सामान्य स्थिति कायम होने तक निश्चय ही जमशेदपुर में रहेंगे। जो कर्फ्यू पहले ही दिन लगाया गया था उसमें अब ढील दी जा रही है। परन्तु यह माननी पड़ेगी कि वहां अभी तनाव का वातावरण है। इसलिए निगरानी रखनी पड़ेगी। हालांकि सद्भाव तथा सौहार्दता कायम करने के प्रयास किये गये हैं।

अभी अनेक प्रश्न बाकी हैं जिनका उत्तर नहीं दिया गया। न जिला प्रशासन अनेक समस्याओं का सामना कर रहा है। हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि वह प्रत्येक घटना का विस्तृत ब्यौरा दे सकेगा कि ऐसी घटना का क्या कारण है और इसके दोषी कौन हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण जिसके अध्यक्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा, नियुक्त करने के निर्णय की घोषणा पहले ही कर चुके थे। हम शेष प्रश्नों का उत्तर इस न्यायाधिकरण से प्राप्त होने पर दे सकेंगे।

हालांकि मैं निसंदेह कठिन स्थिति से निपटने में निर्णय की गलतियों की संभावना से इंकार नहीं कर सकता हूँ फिर भी स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा इस प्रयोग के लिये सूझबूझ का प्रदर्शन किया गया है उसकी मुझे प्रशंसा करनी चाहिए। मैं सेना के उन अधिकारियों की प्रशंसा करूंगा जिन्होंने तुरन्त कारगर अथक प्रयत्न किया और दूसरों के लिये एक उदाहरण स्थापित किया।

प्रभावित लोगों को अपने घरों को वापिस लौटने के लिये राजी करना, जिनके मकान नष्ट हो गये हैं उनके पुर्ननिर्माण में उनकी सहायता करना, उनको पुनः बसाने में सहायता करना, और सुरक्षा सद्भाव तथा सौहार्दता कायम करना तुरन्त के कार्य हैं। इस उद्देश्य के लिये बिहार के मुख्यमंत्री ने इन सभी पहलुओं और सकची बाजार के पुनर्निर्माण समेत पुर्नवास के कार्यक्रम की घोषणा की। मैं इस सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि इस दिशा में कोई कसर बाकी नहीं रखी जायेगी।

कुछ माननीय सदस्य : खड़े हो गए—

श्री के० के० राजन (त्रिचूर) : क्या मैं कोई स्पष्टीकरण मांग सकता हूँ ?

सभापति महोदय : सभी सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने तथा आगे स्पष्टीकरण मांगने का पर्याप्त अवसर मिलेगा।

श्री एच० एम० पटेल : वक्तव्य की प्रतिलिपियां तैयार कराई जा रही हैं। वे बहुत जल्दी ही उपलब्ध होंगी। आशा है आप मुझे क्षमा करेंगे क्योंकि मैं कुछ देर पहले ही आया हूं।

अनुदानों की मांगें, 1979-80-जारी

उद्योग मंत्रालय—जारी

सभापति महोदय : हम मांगों पर चर्चा जारी रखेंगे।

***श्री ए० सुन्ना साहिब** (पालघाट) : सभापति महोदय, उद्योग मंत्रालय की अनुदान मांगों में भाग लेने के लिए आपने मुझे ये अप्रत्याशित अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं केरल का हूं। मैं पालघाट निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया हूं। पालघाट की औद्योगिक आवश्यकताओं पर बल देते हुए मैं अपना भाषण शुरू करूंगा। गत दो वर्षों के दौरान मैं बराबर यह अनुरोध करता रहा हूं कि पालघाट जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाए। मुझे बताया गया था कि जब तक योजना आयोग इसे उस रूप में घोषित नहीं करता, तब तक सरकार इस संबंध में कुछ नहीं कर सकेगी। आप सारे पालघाट जिले को पिछड़ा-क्षेत्र घोषित न करें। लेकिन पालघाट जिले के जो वास्तव में पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके साथ तो आपके जिला उद्योग केन्द्र बेहतर व्यवहार कर ही सकते हैं। जिस क्षेत्र में 5 से 10 लाख तक की आबादी हो चाहे वह शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, और वहां कोई भी उद्योग न हो, तब तो जिला उद्योग केन्द्र को उस क्षेत्र पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

हर्ष की बात है कि देश के जाने-माने मजदूर संघ के नेता श्री जार्ज फर्नान्डीस इस समय उद्योग विभाग के मन्त्री हैं और वह केरल में मालाबार क्षेत्र के पिछड़ेपन से पूरी तरह परिचित हैं। इस स्थिति को महसूस करके, उन्होंने एक सीमेंट कारखाना वहां स्थापित करने की घोषणा हाल में ही की हैं। श्री फर्नान्डीस के इस सराहनीय कदम का स्वागत करते हुए मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि केरल के लिए व्यापक औद्योगिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाए क्योंकि केरल की स्थिति सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि केरल में रबड़ का प्रचुर उत्पादन होता है। दुर्भाग्यवश इस राज्य में रबड़ पर आधारित उद्योगों की कमी है। 1971 से हम मांग कर रहे हैं कि केरल में विदेशी सहयोग से या उसके बिना ही, रबड़ पर आधारित उद्योग लगाए जाएं। हमारी दलीलों का कोई असर नहीं हुआ है। औद्योगिक एककों को स्थापित करने में सहायता करने के बजाए, हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार की नीति मौजूदा औद्योगिक सेवाओं के लिए भी प्रतिकूल है। उदाहरण के लिए 1979-80 के केन्द्रीय बजट में जिसे कृषि विकास के लिए गति प्रदान करने वाला बजट कहा

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री ए० सुन्ना साहब]

गया है, आयात शुल्क की छूट विदेशों से आयात किए जा रहे शक्ति चालित हलों को दी गई है। इस बात को अनदेखी कर दी गई है कि इस आयात शुल्क छूट से शक्ति चालित हल बनाने वाले उस कारखाने पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसमें चार हजार मजदूरों को रोजगार मिला हुआ है। बड़ी मुश्किल से तो केरल में कुछ रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गये हैं और केन्द्रीय सरकार की नई आर्थिक नीति द्वारा उन पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। यदि शक्ति चालित हलों का आयात किया गया, तो देशी कारखाने को अवश्य ही अपना काम बन्द करना पड़ेगा। परिणामस्वरूप 4000 मजदूरों का रोजगार छिन जाएगा। उद्योग मन्त्री को चाहिए कि वह केरल में शक्ति चालित हल बनाने वाले कारखाने को बचाने की दृष्टि से माननीय उपप्रधान मन्त्री (वित्त) से अपने स्तर पर बातचीत करें और इस सम्बन्ध में अवश्य ही कुछ निश्चियात्मक कदम उठाएं।

भारत में हथकर्घा उद्योग को रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त है, पहला स्थान कृषि को प्राप्त है। केरल में करीब 5000 हथकर्घा बुनकर भुखमरी के द्वार पर खड़े हैं। विभिन्न कारणों से वे अपनी उत्पादन गतिविधियों को बनाए नहीं रख सके हैं। धागे का मूल्य उनकी पहुँच से परे हैं। यही समय है जब केन्द्रीय सरकार हथकर्घा बुनकरों को आर्थिक सहायता प्राप्त दरों पर धागा सप्लाई करने का प्रबन्ध कर सकती है।

जबकि हम जिला उद्योग केन्द्रों के युग में आ गए हैं, मैं औद्योगिक एस्टेट युग का उल्लेख करना चाहूंगा जो 1962 में शुरू हुआ था। गहन अंधकार में आप काली बिल्ली की खोज करते हैं। उसी तरह यदि आप इन औद्योगिक एस्टेटों में किसी औद्योगिक क्रियाकलाप की तलाश करेंगे तो आपके हाथ कभी भी कुछ नहीं लगेगा। आपको रेगिस्तान में तो हरा-भरा स्थल मिल सकता है लेकिन इन औद्योगिक एस्टेटों में आपको कुछ नहीं मिल सकता। इन एस्टेटों में इमारतें तो हैं, लेकिन वे मधुमक्खी के हितों की तरह सक्रिय नहीं बन पाए हैं। इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि जिला औद्योगिक केन्द्र भी औद्योगिक एस्टेटों का ही प्रतिरूप न बन जाएं। आपको इन जिला उद्योग केन्द्रों को सांविधिक शक्तियां देनी चाहिए जिससे कि वे उस क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता का उपयोग करने के लिए मौके पर ही निर्णय कर सकें। जैसा कि मैं कुछ देर पहले कह चुका हूं, केरल में सहकारी क्षेत्र में 4000 विद्युत करघे हैं। विद्युत करघों के उत्पादन में इतनी अधिक बाधाएं हैं कि वे पूर्ण उपयोगिता के स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। विद्युत करघों को जीवित बनाए रखने के लिए कार्रवाई की कोई स्वीकृत योजना होनी चाहिए। यदि केन्द्र 1.36 लाख रु० देता है तो वही काफी नहीं है। केन्द्र पहले 36 लाख रु० और बाद में 1 करोड़ रु० दे सकता है। लेकिन विद्युत करघे बाद की उस अवस्था तक सक्रिय नहीं रह सकते। यहां प्रश्न उठता है केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का। 4000 विद्युत करघे, 50 व्यक्ति प्रति करघे के हिसाब से 2 लाख लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करेंगे। केरल के लिए यह एक वरदान होगा। उद्योग मन्त्री को केरल में इन विद्युत करघों को तत्काल सहायता देने के लिए कोई योजना तैयार करनी चाहिए क्योंकि केरल में शिक्षित बेरोजगार व्यक्ति भरे पड़े हैं।

केरल में अखबारी-कागज का कारखाना लगाए जाने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं। यह केवल घोषणा तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। 'घोषणा' के बाद घोषणा ही नहीं होती रहनी चाहिए। 1979 से 1980 तक, इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। केरल में शिक्षित बेरोजगार लोग इसमें किसी विलम्ब को सहन नहीं कर सकते। यह योजना बिना किसी बिलम्ब के कार्यान्वित की जानी चाहिए।

कोयम्बतूर, जिसे दक्षिण भारत का मेनचेस्टर कहा जाता है और जहां का प्रतिनिधित्व स्वयं सभापति महोदय करते हैं, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र पालघाट के निकट में वहां एक उपकरण कारखाना लगाने का प्रस्ताव था। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रस्ताव का क्या हुआ। केरल में केन्द्रीय सरकार का कोई सरकारी क्षेत्र उपक्रम नहीं है। केरल ने सबसे अधिक तकनीकी कार्मिक दिए हैं। लेकिन निरंतर बढ़ती जा रही शिक्षित बेरोजगारी के कारण यह सारी तकनीकी जानकारी व्यर्थ हो गई है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि तकनीकी योग्यता रखने वाले इन बेरोजगार युवकों को वित्तीय सहायता देनी चाहिए। यहां मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि अरब सागर में विदेशी नौ सेनाओं के गुप्त विभ्रमण के कारण केरल का महत्व सामरिक दृष्टि से बढ़ गया है। जलवायु की दृष्टि से भी केरल हमारे रक्षा बलों के काम आने वाली वस्तुएं बनाने का कारखाना लगाए जाने के लिए आदर्श स्थान है। राज्य सरकार ने ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए रूपरेखा सुझाई है। मेरी इच्छा है कि माननीय उद्योग मन्त्री इस मामले पर पूरी गंभीरता से विचार करें। आप विदेशी सहयोग न लें क्योंकि हमारे यहां देशीय तकनीकी क्षमता प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। श्री जार्ज फर्नान्डीस को केरल में औद्योगिक समृद्धि के युग की आधार शिला रखनी चाहिए।

हमारे उप प्रधान मन्त्री (वित्त) श्री चरण सिंह ने अपने पहले केन्द्रीय बजट में खादी तथा ग्राम उद्योग एककों के लिए कुछ और छूटें दी हैं। माचिस बनाने वाले एककों के मामले में, उन्होंने उत्पादन शुल्क 50 प्रतिशत कर दिया है। इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से खादी तथा ग्रामद्योगों को बढ़ावा देने की गांधीवादी विचारधारा के प्रति कृतसंकल्प हूं क्योंकि हमारे देश में रोजगार का एकमात्र चिरस्थायी स्रोत वही है। लेकिन दुर्भाग्य से, खादी तथा ग्रामोद्योग एककों ने अभी तक लाभ कभी नहीं कमाया है। उनके भाग्य में घाटा ही बदा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने उनको आधारभूत प्रोत्साहन और नेतृत्व प्रदान नहीं किया है। पर्याप्त तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के अभाव में कर-छूट देने का क्या लाभ है ? उदाहरण के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग एककों को कच्ची सामग्री के लिए इधर से उधर दौड़ना पड़ता है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का जिस राष्ट्रीय क्षेत्र कम्पनी के साथ संयुक्त कार्यक्रम है, उस पर इतना अधिक उत्पादन-शुल्क लगाया जा रहा है जो बरदाश्त के बाहर है। लघु उद्योगों का अपना पृथक अस्तित्व है और उनके कार्यकलापों का क्षेत्र बिलकुल अलग है। मेरा सुझाव है कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योग एक दूसरे के पूरक होने चाहिए, बजाए इसके कि वे एक-दूसरे का मुकाबला करें।

केरल में जो तकनीकी जानकारी उपलब्ध है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है उसे खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। भारत सरकार अपने अपरचित वित्तीय संसाधनों के बल पर कम से कम समयोचित योजनाएं तो इस दिशा में बना ही सकती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीस को उद्योग मन्त्री के रूप में पाकर हम स्वयं को भाग्यशाली समझते हैं। कुटीर उद्योगों के प्रति उनके सांसर्गिक उत्साह ने खादी तथा ग्राम उद्योगों के उद्देश्य से प्रति समर्पण की एक नई भावना को जन्म दिया है। वह श्रमिक अधिकारों के केवल संरक्षक ही नहीं हैं बल्कि उन्हें औद्योगिक एककों की स्थापना करके देश भर में शिक्षित बेरोजगारों का रक्षक भी बनना चाहिए। इस काम को हम चाहे विदेशी सहयोग से करें या देशी जानकारी का उपयोग करके लेकिन देश को औद्योगिक विकास के माध्यम से समृद्धि के पथ पर अग्रसर अवश्य करना होगा।

[ए० सुन्ना साहिब]

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ और मैं सभापति महोदय को धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कुछ शब्द कहने का मुझे अवसर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा (रामपुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्योग मंत्रालय के अनुदानों की जो मांगें प्रस्तुत की गई हैं उसके समर्थन में मैं अपना मत व्यक्त करने जा रहा हूं। हमारा देश कृषि पर आधारित अर्थ-व्यवस्था पर निर्भर करता है। जनसंख्या में लगातार जो वृद्धि होती जा रही है उसके भयंकर परिणाम राष्ट्र के सामने उत्पन्न होकर आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस समस्या का समाधान केवल औद्योगीकरण के द्वारा ही संभव है। मंत्री जी के द्वारा औद्योगीकरण की नीति के ऊपर जब प्रकाश डाला गया तो उन्होंने राष्ट्र को इस बात का विश्वास दिलाया कि जो आज राष्ट्र के सामने बेरोजगारी की बहुत भयंकर समस्या खड़ी है, हम अपनी नई नीति के माध्यम से उसका निश्चित रूप से समाधान करेंगे। महात्मा गांधी ने इस देश के लिए जो स्वप्न छोड़े थे, पिछले तीस सालों में कांग्रेस सरकार ने उनको साकार नहीं किया। अब जनता सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम उन स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रयास करेंगे। अभी जो हमारे सामने समस्या खड़ी हो रही है। उस पर मैं अपने विचार व्यक्त करने जा रहा हूं। बेरोजगारी की स्थिति आज हमारे देश में ऐसी है कि 2 करोड़ शिक्षित बेरोजगार हैं जिनकी संख्या 1983 तक बढ़ कर 5 करोड़ हो जाएगी और आज खेतिहर मजदूर 18 करोड़ की संख्या में हैं जो अर्द्ध-बेरोजगारी की स्थिति में हैं। वे अपने आने वाले भविष्य को देख रहे हैं और जनता सरकार के समय में इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि शायद हमारा भविष्य सुधर जाय।

गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों के सम्बन्ध में अनेक माननीय सदस्यों ने यहां पर अलग-अलग मत व्यक्त किये लेकिन सच्चाई यह है कि 60-70 फीसदी लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं और रहने के लिए मकान नहीं। राज्य सरकारों द्वारा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं, राज्य सरकारों द्वारा अन्त्योदय योजना पर बहुत बल दिया जा रहा है परन्तु सच्चाई यह है कि जिला स्तर पर अन्त्योदय योजना की स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि इससे इस समस्या का समाधान होने वाला नहीं है।

औद्योगीकरण के लिए तीन-चार बातों की आवश्यकता होती है। हम कह सकते हैं कि चार "एम" की आवश्यकता होती है—मनी, मैन-पावर, मैटीरियल और मार्केट। इस सम्बन्ध में मन्त्री जी ने एक आधारशिला रखी है और सम्भवतः उसी के द्वारा वे इस देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेन्टर्स की स्थापना की है। इस कार्य को लिए हुए प्रायः दो वर्ष पूरे हो रहे हैं लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी स्थिति बड़ी दयनीय है। मैं इण्डस्ट्रीज कंसल्टेटिव कमेटी का भी सदस्य हूं। मैंने उत्तर प्रदेश की सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से कहा लेकिन अभी तक हमारे जिले में इसकी स्थापना नहीं हुई है। जिन स्थानों पर इनकी स्थापना हो भी चुकी है वहां की जानकारी के अनुसार वहां भी समुचित ढंग से कार्य नहीं चल रहा है। जिन अधिकारियों को वहां पर लगाया गया है उनकी ओर से अड़चनें पैदा की जा रही हैं। माननीय मन्त्री जी ने तो बहुत सुन्दर आधारशिला रखी है, उनका प्लान बहुत सुन्दर है बशर्ते कि वे इसको साकार करने में सफल हो जाएं। माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेन्टर से वहां पर रजिस्टर्ड होने वालों की

संख्या मागेंगे तथा साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद कितने दिन में कितनी सहायता प्रदान की गई। मैं समझता हूं अधिकारियों द्वारा जिस तरह का कार्य वहां पर होना चाहिए उस तरह का कार्य नहीं हो रहा है। इस दिशा में मंत्री जी को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

उद्योग मंत्रालय को समुचित रूप से चलाने के लिए आज जिन प्रमुख चीजों की आवश्यकता है वह हैं विद्युत, सीमेंट, लोहा, कोयला एवं डीजल। आज जो वर्तमान स्थिति है उसकी जिम्मेदारी इस जनता सरकार पर नहीं है। पिछले तीस वर्षों की गलत प्लानिंग के दुष्परिणाम आज हमको भोगन पड़ रहे हैं। पिछली पांच वर्षीय योजनाएं समाप्त होने के बाद भी अन्य क्षेत्रों की तरह रेलवे में विस्तार दिखाई नहीं पड़ता। राजस्थान में रेलवे का बहुत अभाव है। रेल विभाग स्टीम इंजनों को कोयला प्रोवाइड नहीं कर पाता। कोयले की कमी के कारण ही स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज चौपट हो रही है। विद्युत की समस्या भी सामने आती है। अभी बंगाल में विद्युत की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई थी जिसके कारण रोजाना एक अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। विद्युत की कमी का प्रमुख कारण कोयले का अभाव ही है। कोयले के उत्पादन के सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि रूस में 80 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है, चीन में 40 करोड़ टन कोयले का उत्पादन होता है लेकिन हमारे भारत में 11 करोड़ टन का उत्पादन होता है। जबकि भारत में 83 अरब टन कोयले का भण्डार है। यदि कोयले का उत्पादन दुगुना कर दिया जाये तब भी 500 वर्ष तक हम कोयले की कमी महसूस नहीं करेंगे। हमारे माननीय मन्त्री जी को को आर्डिनेशन के माध्यम से इस समस्या का समाधान करना है।

इसी के साथ-साथ सीमेन्ट हमारी इण्डस्ट्रीज की आधारशिला है। सच्चाई यह है कि माननीय मंत्री जी के प्रयास से पिछले वर्ष सीमेंट का उत्पादन पीक पर पहुंच गया था, सीमेंट का मैक्सिमम उत्पादन किया गया लेकिन आज जिस प्रकार से प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में निर्माण कार्य चल रहा है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उसके परिणामस्वरूप आज हमारे सामने समस्यायें विकराल रूप धारण कर के खड़ी हैं। मंत्री जी ने आयात की व्यवस्था की है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा—अपने अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें कि जिन लोगों ने लाइसेंसेज के लिए एप्लाई किया हुआ है, फीजिविलिटी रिपोर्ट दी जा चुकी है, फिर भी उनको लाइसेंसेज क्यों नहीं दिये जा रहे हैं। आज हमारे देश के पास 50 अरब रुपये की फारन-करेन्सी है, लेकिन उसके उपरान्त भी बी० एच० ई० एल० में माडर्नाइजेशन की व्यवस्था नहीं हो रही है। मंत्री जी ने जर्मनी, जापान और कुछ अन्य देशों के साथ कोलाबोरेशन करके कुछ सुधार की व्यवस्था की है। मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूंगा हमें सीमन्ज और बी० एच० ई० एल० के माध्यम से टर्बाइन्ज बनाने की समस्या का वार-फूटिंग पर समाधान करना चाहिए।

स्टील की स्थिति आज यह है कि पिछले 6 महीनों से स्टील की प्राइसेज बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। स्टील हमारी काटेज इण्डट्रीज की बैक-बोन है, लेकिन आज जो स्थिति है उसमें बड़े-बड़े मोनोपोलिस्ट्स ने बाजार में स्टील के मूल्यों में वृद्धि करके एक ही रात में लाखों-करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाया है। इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर इस पर नियन्त्रण का प्रयास किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : दो मिनट और।

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : मुझे तीन मिनट और दे दीजिये।

ये वे लोग हैं जिन्होंने पिछले तीस सालों में करोड़ों रुपया कमाया है, लेकिन आज भी उनकी

[श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा]

नीयत में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए इस तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैन-पावर और काटेज इण्डस्ट्रीज की सहायता से इस तरह की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह से सुलझाया जा सकता है, जिसके लिए हमारी सरकार प्रयास भी कर रही है।

सभापति महोदय : घण्टी बजने के बाद मैं आपको तीन मिनट का समय दे चुका हूं। कृपयः अपनी सीट ग्रहण करें।

श्री मानकर : वह अनुपस्थित हैं।

श्री मनोहर लाल : ···(व्यवधान) सदन का नियंत्रण आप नहीं कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं।

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : माननीय सभापति जी, माननीय उद्योग मंत्री जी द्वारा जो उद्योग मंत्रालय की मांगें प्रस्तुत की गई हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी भी देश की उन्नति, किसी भी देश का आर्थिक विकास उद्योग और कृषि पर निर्भर होता है। जापान और यू० एस०एस०आर० का उदाहरण आज सारी दुनिया के सामने है, वे आज दुनिया के सब देशों से आगे हैं, हिन्दुस्तान भी उन के उदाहरण पर अमल करके आगे आ सकता है। अब तक यदि हमारे उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता, जहां कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो हमारा हिन्दुस्तान दुनिया के तमाम देशों से आगे रहता। हमारे हिन्दुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे हिन्दुस्तान को जितना आगें बढ़ना चाहिये था, उतना नहीं बढ़ पाया। मुझे यह कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि हमारे जार्ज फरनान्डीज साहब बहुत ही डायनैमिक करैक्टर के आदमी हैं, इनके अन्दर बहुत ज्यादा स्फूर्ति है, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि दो सालों में, जब से वे सरकार में आये हैं, ऐसा मालूम पड़ता है कि उनके अन्दर जो डायनैमिक स्प्रिट थी, उसमें जंग-सा लग रहा है! यह समय बार-बार नहीं आता है—आज जो समय हमारे उद्योग मंत्री को मिला है, हम समझते हैं कि वे देश में ऐसा काम कर देंगे, जैसा कि वे सरकार में आने से पहले, विरोध-पक्ष में रह कर कहते थे। सारे हिन्दुस्तान के मजदूरों के अन्दर उनका नाम है, लेबर लीडर की हैसियत से सारे हिन्दुस्तान का मजदूर उनको जानता है। जब हमारे उद्योग मंत्री ने अपनी नई इण्डस्ट्रीयल पालसी की घोषणा की थी, उस समय उनके चार मकसद थे और जहां तक मैं समझ पाया हूं वे चार बातें ये थीं—

1. उपभोक्ता सामान अधिकता से मिले,
2. काम पाने की क्षमता अधिक हो,
3. आर्थिक प्रगति की दिशा क्षीण व केन्द्रित न हो, तथा
4. रिमूवल-आफ-इम्बैलेंसेज।

इस तरह से ये चार चीजें हैं जो हमारे उद्योग मंत्री जी ने औद्योगिक नीति के अन्तर्गत दिखाई हैं लेकिन हमको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन चार चीजों को लेकर जनता सरकार की औद्योगिक नीति आगे नहीं बढ़ पाई। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि हमारे उद्योग मंत्री जी जो करना चाहते हैं, वह लाल-फीताशाही और नौकरशाही के कारण हो नहीं पा रहा है। अभी शर्मा जी ने बताया था कि जो औद्योगिक केन्द्र खोलने की बात है, उनके लिए भी लालफीताशाही और अफसर-शाही काम नहीं होने दे रही है। हमने और जनता पार्टी की सरकार ने—जनता पार्टी के चुनावपत्र में,

घोषणा-पत्र में यह डिक्लेयर किया था कि हम छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों से अपने देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने गांवों की दशा को सुधारना चाहते हैं। गांवों की तरफ जनता सरकार का ध्यान भी गया है। महात्मा गांधी जी का समाजवाद यह था कि छोटे उद्योग-धन्धों की सिर्फ सहायता ही न की जाएं बल्कि उनको सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाएं। जब ऐसा होगा तभी देश समृद्धशाली बन सकेगा, देश तरक्की कर सकेगा। इस तरह का इन्तजाम करना चाहिए लेकिन वह इन्तजाम हो नहीं पा रहा है। हम चाहेंगे कि उद्योग मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। छोटे उद्योग-धन्धों को आगे बढ़ाने की बात तो की जा रही है लेकिन साथ ही साथ यह भी देखना पड़ेगा कि छोटे उद्योग धन्धों को बढ़ाने के लिए जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वे उन तक पहुंच भी रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। इस तरफ काफी ध्यान देने की जरूरत है।

आज आप यह देखें कि सारे हिन्दुस्तान का जो टोटल कैपिटल है, उसका तीन-चौथाई भाग 20 घरानों के पास है, तीन-चौथाई भाग पर वे कब्जा किये हुए हैं और ये टाटा, बिरला, सिंघानिया, जयपुरिया वगैरह ही इसको कैप्चर किये हुए हैं और बाकी जो एक-चौथाई हिस्सा है, वह हिन्दुस्तान के बाकी लोगों के पास है। देश के टोटल केटिल का तीन-चौथाई भाग इन 20 बड़े घरानों के पास रहना, इस बात का द्योतक है, इस बात का सबूत है, कि अभी तक बराबर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिन्दुस्तान में यह पहले भी हुआ है और आज भी वे ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी, इन 20 बड़े लोगों ने जो तीन-चौथाई कैपिटल कैप्चर किया हुआ है और इण्डस्ट्री के माध्यम से उसको लगा रखा है, उसको नेशनलाइज कर दें, तो हम समझते हैं कि बहुत से लोगों की जो दिक्कतें हैं, वे साल्व हो जायेंगी, उनकी प्राब्लम्स साल्व हो जायेंगीं। इसमें कुछ हिचकिचाहट हो सकती है कि उनको नेशनलाइज कैसे किया जाए। मैं यह कहूंगा कि हमारे उद्योग मंत्री जी इन 20 बड़े घरानों की पूरी इण्डस्ट्रीज को अगर नेशनलाइज कर देंगे, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर हम इन 20 बड़े घरानों की बजाए उन 70,72 करोड़ लोगों को, जो हिन्दुस्तान में रहते हैं, राहत प्रदान करते हैं, तो जरा भी संकोच नेशनलाइज करने के बारे में नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी जोरदार मांग है कि इन इण्डस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन जरूर होना चाहिए। समय क्योंकि बहुत कम है, इसलिए मैं अब अपने कानपुर के विषय में कुछ कहना चाहता हूं और उन विषयों की तरफ मंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं, जिन पर उन्हें तुरन्त ध्यान देना है। मैं नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन की मिल की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो मिलें एन० टी० सी० की हैं, उनकी हालत बहुत खराब है और उनमें बड़ा कुप्रबन्ध है और इतना मिसमैनेजमेंट है कि उनमें बराबर घाटा होता जा रहा है। पब्लिक अन्डरटेकिंग्स की जितनी भी फैक्टरियां हैं या कम्पनियां हैं, वे सभी घाटे में जा रही हैं। एन० टी० सी० की जो मिलें हैं उन मिलों में बड़ी मात्रा में चोरी होती है। अभी 30 मार्च की ही बात है। स्वदेशी काटन मिल, जिसको टेक ओवर कर लिया गया है, उस स्वदेशी काटन मिल में 10 ट्रक कोयले की चोरी हुई लेकिन वह मामल दबा दिया गया। इससे पहले इसी स्वदेशी काटन मिल में बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा चोरी हुआ था लेकिन उस मामले को भी दबा दिया गया था और आज स्वदेशी काटन मिल में लाखों गज कपड़ा डम्प पड़ा हुआ है, इकट्ठा पड़ा हुआ है। अगर वहां से निकल कर वह कपड़ा मार्केट के अन्दर आ जाए तो उन गरीब लोगों को जिनको कपड़ा नहीं मिलता है, वह मिलने लगेगा। स्टोर और गोडाउन्स में वह पड़ा हुआ है और निकल कर नहीं आ रहा है। कानपुर में जब राज्य उद्योग मंत्री श्री जगदम्बी प्रसाद यादव गये थे, तो उनको ले जाकर मैंने उसको दिखलाया था कि कितनी मात्रा में वह डम्प पड़ा हुआ है और वह सड़ रहा है। अगर वह कपड़ा माकट में आ जाए

[श्री मनोहरलाल]

और गरीबों को मिलने लगे, तो जनता का बहुत फायदा होगा। आज एन० टी० सी० की जो मिलें है वे घाटे में जा रही हैं हलांकि इधर काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन जितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, उतना नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि जो कम्पनी टेकओवर की जाती है, उसमें वही अफसर काम करते हैं जोकि पहले से उस कम्पनी में होते हैं। मिसाल के तौर पर जयपुरिया की जो विदेशी काटन मिल ली गई, तो उसका अधिकारी वर्ग, अफसर वही थे, जो जयपुरिया जी के थे। उनका जो सम्बन्ध पुराने उद्योगपतियों से है, वे कभी नहीं चाहेंगे कि जनता सरकार के द्वारा जो मिल टेक ओवर की गई हो, वह मिल सही ढंग से चले। वह सही ढंग से काम करे, यह वे कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए मैं मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे एन० टी०सी० की तरफ जरूर ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि जो टेनरी और फुटवेयर कम्पनी है, जिसको टेफको कहते हैं, वह तीन करोड़ रुपये के घाटे में चल रही है।

हालांकि मंत्री जी ने हमारे से बातचीत के बाद वहां 20-21 अधिकारियों को निकाला है। लेकिन जितना प्रोडक्शन वहां हो सकता है, वह नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि वहां अधिकारियों में पार्टीबंदी है और इसकी वजह से वहां बहुत हालत खराब होती जा रही है। कहा जाता है कि वहां पुरानी मशीनें हैं और पुरानी मशीनें होने की वजह से वहां काम नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा यह दावा है कि यह एशिया के अन्दर चमड़े का सबसे बड़ा कारखाना है और उसके अन्दर बहुत अच्छी काम करने वाली मशीनें लगी हैं। कानपुर में 70 और टेनिरियां हैं जो चमड़ा बनाती हैं। वे सब मुनाफे की तरफ जा रही हैं और टेफको दिन-प्रति-दिन घाटे की तरफ जा रहा है। वहां के मजदूरों की ग्रेडिंग की एक बहुत पुरानी मांग चली आ रही है। एन० पी० सी० ने इसके लिए अपनी रिपोर्ट दे दी है लेकिन मंत्रालय इसको अभी देख रहा है और उसने अपनी आखिरी रिपोर्ट नहीं दी है। ग्रेडिंग के मामले को लेकर वहां के मजदूरों ने अनशन कर रखा है। हमारा निवेदन है कि वहां के मजदूरों की अन्तरिम रूप से ग्रेडिंग कर दी जाए जिससे उनका असंतोष दूर हो जाए और उनका जो अनशन चल रहा है वह खत्म हो जाए। वहां अधिकारियों का ग्रेडिंग हो चुका है।

टेफको में जो चमड़े का काम होता है, वह जो जूते बनाता है उनका सबसे बड़ा परचेजर डिफेंस मंत्रालय है। हमारा मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस तरह से आरडिनेंस के कारखानों को डिफेंस मंत्रालय को दे दिया गया है उसी तरह से इस चमड़े का काम करने वाले टेफको कारखाने को भी डिफेंस मंत्रालय को दे दिया जाए। इससे, इस समय इसमें जो घाटा हो रहा है वह नहीं होगा और यह अच्छी तरह से चलने लगेगा। यह हमारा सुझाव है।

उद्योग मंत्रालय के अधीन जो चीजें आती हैं उनको बनाने में दूसरे विभागों के कोआपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि स्टील का मामला है, सीमेंट का मामला है और दूसरे कच्चे माल का मामला है। मिसाल के तौर पर मैं बुनकर भाइयों की बात आपके सामने रखना चाहता हूं। उनको सूत नहीं मिलता है। जो करघे सप्लाई करने वाली एजेंसी है वह आपके डिपार्टमेंट में है लेकिन सूत उनको कामर्स मिनिस्ट्री से मिलता है। आज उन्हें सूत नहीं मिल पा रहा है। इन दोनों विभागों के अलग-अलग होने से बुनकरों को कठिनाई होती है और वे अपना उत्पादन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सूत देने वाला महकमा भी इण्डस्ट्री मिनिस्ट्री में ही रहना चाहिए।

हमारे कानपुर में कैलाश मिल 28 महीने से बन्द है जिसके बंद होने की वजह से पांच हजार मजदूर बेकार हैं। उसके टेकओवर करने के बारे में कुछ प्रयास किया गया है लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। हम चाहते हैं कि इसका टेक ओवर जल्दी से किया जाए जिससे कि वहां के पांच हजार मजदूरों को जो कि बेकार हैं, रोजी-रोटी मिल सके। जयपुर जूट उद्योग ढाई महीने से बंद है। वहां भी ढाई हजार मजदूर बेकार हैं। हमारा निवेदन है कि जिस तरह से जयपुर सीमेंट उद्योग कानपुर का टेक ओवर किया गया है उसी तरह से इसका भी टेक ओवर होना चाहिए जिससे कि वहां के मजदूरों को रोटी-रोजी मिल सके।

उत्तर प्रदेश में कानपुर के आस-पास के कुछ जिले बहुत ही पिछड़े हुए हैं। इनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। ये जिले हैं फतेहपुर, हमीरपुर और उन्नाव। हमें बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन्नाव के अन्दर एक लेदर काम्प्लेक्स बनाया गया है और वह बिजली की कमी की वजह से बेकार पड़ा हुआ है। इसको तीन साल से ऊपर हो चुके हैं लेकिन यह बेकार पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय इधर ध्यान दें।

सभापति महोदय : आपने निर्धारित समय से अधिक पहले ही ले लिया है। मैं अब अगले वक्ता को बुला रहा हूं। श्री राचैया !

श्री बी० रचैया (चमराजनगर) : सभापति महोदया, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे उद्योग मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर बोलने का अवसर दिया।

महोदया, जितना समय मुझे आबंटित किया गया है उतने समय में यदि मैं सारे विषय को शुरू से आखिरी तक लेना चाहूँ, तो उसके साथ न्याय नहीं कर सकूंगा, इसलिए मैं कुछ ऐसे महत्व-पूर्ण मुद्दों तक ही सीमित रहना चाहूंगा जिन पर सबसे पहले चर्चा करने की आवश्यकता है। रेशम के उत्पादन में भारत को विश्व में पांचवां स्थान प्राप्त है। भारत में 3700 टन रेशम का उत्पादन होता है जिसमें तीस लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और आज स्थिति यह है कि रेशम का उत्पादन करने वाले देशों में से भारत इस 'मल्टी-वॉल्टाइन रेस' को 'बाई वॉल्टाइन रेस' में बदलने का भरसक प्रयत्न कर रहा है। विश्व बैंक और केन्द्रीय रेशम बोर्ड की सहायता से राज्य सरकार इस 'बाइ वॉल्टाइन रेस' का विकास कर सकी है, और उसके परिणामस्वरूप, हम 'बाइ वॉल्टाइन रेशम कोष' का उत्पादन करने में सफल हुए हैं और हम धीरे-धीरे 'मल्टी-वॉल्टाइन रेस' को हटा रहे हैं। इस प्रक्रिया में किसान यह अपेक्षा करते हैं कि सरकार इन किसानों द्वारा उत्पादित रेशम के मूल्य का बचाव करके उन्हें कुछ प्रोत्साहन दे। अत : 'बाइ वॉल्टइन रेस' को परिवर्तित करने का काम वृद्धि पर है और भारत वास्तव में 3,700 टन रेशम का उत्पादन कर रहा है और तीस लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। यह उद्योग कृषि पर आधारित है और सरकार का उद्देश्य ग्राम-आधा-रित उद्योगों, कृषि पर आधारित उद्योगों और लघु पैमाने के उद्योगों की, सहायता करना है। इस उद्योग में यह तीनों गुण हमें मिलते हैं और इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि मंत्रालय अन्य विकसित देशों से रेशम का आयात करने की अनुमति न दे ताकि हमारे यहां के रेशम उद्योग की रक्षा हो सके।

अब मैं कुछ शब्द रेशम अपशिष्ट के बारे में कहना चाहूंगा। हमारे यहां तीन स्पन-सिल्क मिल हैं ; इसीलिए जब तक देश की मांग की पूर्ति न हो, तब तक आप रेशम अपशिष्ट के निर्यात की अनु-

[श्री बी रचैया]

मति न दें। अत: मैं मंत्री महोदय से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करना चाहूंगा कि रेशम अपशिष्ट का निर्यात करना रोक दिया जाए और स्पन-सिल्क मिलों को अपेक्षित कच्चा माल सप्लाई किया जाए ताकि वहां जो लोग रोजगार पा रहे हैं उन्हें काम मिलता रहे। इसके अलावा, मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जब सरकार ग्रामीण तथा लघु पैमाने के उद्योगों को इधर-उधर फैलाने और उनके विकास पर जोर दे रही है तो उन उद्योगों में उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्ची सामग्री भी उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से बड़ी मात्रा में इस्पात तथा कच्चा लोहा आबंटित करने का अनुरोध किया था। लेकिन 75,000 टन की मांग के बदले केवल 39,000 टन ही दिया गया है। इसी तरह पैरेफिन मोम भी, जिसकी राज्य सरकार को जरूरत थी, सप्लाई नहीं किया गया है, और इसीलिए मैं मंत्री महोदय से आग्रह कर रहा हूं कि इस मांग को भी पूरा किया जाए।

कई औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृति के लिए राज्य सरकार के पास पड़े हुए हैं। इन लाइसेंसों के बारे में कर्नाटक सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि रेजर ब्लेड परियोजना, मत्स्य जाल बनाने की परियोजना, सेलीसामलिक अम्ल परियोजना ब्लैक मैटल परियोजना को स्वीकृति प्रदान की जाए। इनके अलावा चौदह लघु-इस्पात संयंत्र प्रस्ताव भी स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित हैं। यदि इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी जाए तो ग्रामीण उद्योग शीघ्र ही विकसित हो जाएगा और हम लोगों को रोजगार दे सकेंगे।

महोदय, आपने जिला उद्योग केन्द्र उस आशय से आरम्भ किया है कि जिलों में औद्योगिक विकास में समन्वय हो और विकास की गति तेज हो। औद्योगिक एकक इसीलिए आरम्भ किए गए हैं। फिर भी सात जिलों को ही जिला उद्योग केन्द्र दिए गए है।

राज्य सरकार ने चार और जिलों को ऐसा घोषित करने का अनुरोध किया है। उसने अनुरोध किया है कि 41 तालुकों से औद्योगिक रूप से पिछड़े तालुक घोषित किया जाए जैसा कि कुछ अन्य राज्यों के बारे में किया गया। यदि राज्य सरकार की ये मांगें मान ली मान ली जाती हैं तो मेरे विचार से राज्य सरकार हाथ में लिये गये कार्य को जारी रख सकेगी। मुझे इस बात से कुछ दुख हुआ कि उद्योग मन्त्री विदेशों से घड़ियों के आयात की अनुमति दी है। घड़ियों का बड़े पैमाने पर आयात किए जाने के कारण हमारे कुछ लघु एककों को, जिन्होंने घड़ियों का निर्माण प्रारम्भ किया है; बन्द होना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में श्री शैलम सहकारी औद्योगिक एस्टेट, बंगलौर द्वारा इस परियोजना को आरम्भ करने पर 10 करोड़ रु० का व्यय किया जा चुका है और वे प्रतियोगिता का सामना करने में समर्थ नहीं हुए हैं। 7-5 लाख घड़ियों के आयात की अनुमति दी गई है। हमने देखा है कि उनमें से बहुत सी बेची नहीं गई हैं। अत: इस बात को देखने के लिए कि हमारे स्वदेशी माल का उपयोग हो और अपने बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूँगा कि वे घड़ियों का आयात न करें। वे इस बात को देखें कि लघु औद्योगिक एककों को, जिन्होंने भारी पूंजी निवेश के साथ काम करना आरम्भ किया है, वास्तव में संरक्षण मिले। अत: इन घड़ियों का आयात तत्काल रोका जाना चहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री मोती भाई आर० चौधरी (बनासकांठा): सभापति महोदया, उद्योग मंत्रीजी ने अपने मंत्रालय से संबंधित जो अनुदान की माँगे रखी हैं उनका मैं समर्थन करता हूं और जिस लगन से, तेज गति से

अपने मंत्रालय में वह काम कर रहे हैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं। देश में बाढ़ आने से कोयला और बिजली की तंगी रहने पर भी उन्होंने विकास की जो 8 प्रतिशत की दर तय की थी उसको पूरा किया है। नई उद्योग नीति, कपड़ा नीति बनाई है और उसको अमल में लाने के लिए उत्साह से काम कर रहे हैं। फिर भी यह सब घोषित करने से वह काम नहीं हो पाता है। जिला स्तर पर इस नीति का कोई अमल अभी तक नहीं हो रहा है। इस बात की ओर इनको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान कुछ बातों की ओर खींचना चाहता हूं और कई सुझाव भी देना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो बार-बार राष्ट्रीयकरण के बारे में कह रहे हैं ऐसा न कह कर देश में जो पब्लिक सेक्टर में कई उद्योग चल रहे हैं वह आज घाटे में चल रहे हैं। पहले इनमें सुधार किया जाए फिर राष्ट्रीयकरण किया जाएगा तो अच्छी बात होगी। राष्ट्रीयकरण करते जायें और करोड़ों रुपयों की निधि बेकार में जाये और घाटे में चलते रहें तो ऐसे राष्ट्रीयकरण से कोई फायदा नहीं होगा। इसका उल्टा असर उद्योगों पर और उत्पादन पर होता है। इसलिए जो उद्योग राष्ट्रीयकरण में है और पब्लिक सैक्टर में हैं पहले वह अच्छे ढंग से चलें इसकी ओर ध्यान दिया जाए क्योंकि उनमें अभी भी करोड़ों रुपये का घाटा है।

मंत्री जी, सीमेंट उद्योग के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं। देश नव निर्माण की ओर बढ़ रहा है इसीलिये सीमेंट की ज्यादा से ज्यादा जरूरत देश में होती है। काफी मात्रा में सीमेंट बाहर से मंगा रहे हैं फिर भी उसकी कमी है। हर राज्य में इसकी मांग ज्यादा है और इसके बिना कोई भी निर्माण का काम नहीं हो पाता है। स्माल फार्मर्स के लिए छोटे-मोटे काम बनाने के लिए, लघु सिंचाई के कामों के लिए सरकार की ओर से सबसिडाइज किया जा रहा है, लेकिन सीमेंट नहीं मिलता है। कूएं बनाने के लिए भी लोगों को सीमेंट नहीं मिल पाता है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि इस समय बाहर से जितना सीमेंट मंगवाया जा रहा है, उससे ज्यादा सीमेंट मंगवाया जाये, ताकि देश में सीमेंट की कमी न रहे। मंत्री महोदय इस बारे में तीव्र गति से कदम उठायें।

पोजोलेना सीमेंट के बारे में गुजरात में बहुत कठिनाई हो रही है। गुजरात सरकार ने कहा है कि निर्माण काम में, बांध और मकान बनाने के लिए, यह सीमेंट काम में नहीं आयेगा। पोजोलेना सीमेंट में जितने प्रतिशत दूसरे माल का मिश्रण करना होता है, उससे ज्यादा मात्रा में मिश्रण किया जाता है, इसलिए घटिया किस्म का सीमेंट बनता है, जिसके कारण निर्माण-काम में नुकसान होता है। या तो उसको रोका जाये, और या हर जगह उसका लैबोरेटरी टैस्ट करवाने की व्यवस्था की जाये, ताकि उसकी बजह से नुकसान न हो।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र बनासकाँठा, में चूने का पत्थर है और उससे सीमेंट बन सकता है, लेकिन वहां सीमेंट का कोई कारखाना नहीं है। चूँकि वह एक पिछड़ा हुआ जिला है, इसलिए वहाँ पर यह उद्योग स्थापित करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि गुजरात के अन्य जिलों के साथ, जो पिछड़े हुए घोषित हैं, बनासकाँठा को भी एक पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर दिया जाये, ताकि लोग वहाँ पर नये उद्योग स्थापित करने के लिए आ सकें। वहाँ पर सीमेंट कार्पोरेशन के द्वारा सीमेंट का कारखाना लगाया जाये।

अब मैं काटन कार्पोरेशन के बारे में कुछ कहता चाहता हूं। इस साल गुजरात में 22 लाख

[श्री मोती भाई आर० चौधरी]

बेल रुई पैदा होने का अनुमान है। किसानों और सहकारी समतियों के पास गत साल की रुई भरी पड़ी हुई है। निर्यात के लिए छूट दी गई है, लेकिन उसके लिए बहुत कम मात्रा निश्चित की गई है। इसके अलावा निर्यात की नीति पर अमल करने में बहुत समय लगता है, इसलिए निर्यात समय पर नहीं हो पाता है। इस कारण रुई का दाम बहुत कम हो गया है। जो नई किस्म की रुई, हाइब्रिड रुई पैदा होती है, उसको इतना रोग लग चुका है कि किसानों को उसके लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता है। कीटनाशक दवाओं में मिलावट होती है और उनका भाव भी बढ़ गया है। इसलिए किसानों को कपास पैदा करने में बहुत नुकसान हो रहा है। मंत्री महोदय को यह व्यवस्था करनी चाहिए कि समय पर कपास का निर्यात किया जाये, ताकि किसानों को कुछ पैसा मिल सके।

काटन कार्पोरेशन ने 15 लाख बेल्ज काटन खरीदना निर्धारित किया था, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक उसका 50 प्रतिशत भी नहीं खरीदा गया है। काटन कार्पोरेशन खरीद में बहुत विलम्बकारी नीति पर चल रहा है। इसलिए कपास को तेज गति से और समय पर खरीदा जाये। किसान का माल बाजार में आने से पहले ही इस की तैयारी करनी चाहिए, जिससे काटन कार्पोरेशन के जरिये कपास खरीदी जा सके।

रुई की सपोर्ट प्राइस बहुत कम है। गेहूं, पैडी और आयलसीड्ज की सपोर्ट प्राइस में वृद्धि कर दी गई है, लेकिन काटन की सपोर्ट प्राइस कई सालों से एक ही चली आ रही है। हाइब्रिड कपास पैदा करने में ज्यादा खर्चा पड़ता है व्याज का दर भी ज्यादा हो गया है, मजदूरी, बिजली और खाद भी ज्यादा महंगी हो गई है। इसको देखते हुए काटन की सपोर्ट प्राइस कम है, जिससे किसानों को बहुत नुकसान हो रहा है। इसलिए उसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ाई जाये।

सरकार ने जिस औद्योगिक नीति की घोषणा की है, वह बहुत अच्छी है, लेकिन जिला स्तर पर उसका कुछ प्रभाव नहीं है। जो जिला औद्योगिक केन्द्र खुले हैं उनके लिए फरनीचर, मोटर-गाड़ियों और किराये के मकान के लिए बजट प्राविजन किया गया है, लेकिन वहाँ कुछ काम नहीं होता है। जिस जिले में औद्योगिक केन्द्र है, वहां कौन सा उद्योग लग सकता है, उसमें कौन सा माल पैदा हो सकता है और उसके वितरण की क्या व्यवस्था हो सकती है, इसके बारे में कोई चिंता नहीं है।

इसका कारण यही है कि जिला औद्योगिक केन्द्रों में जिनके हाथ के नीचे यह काम सौंपा जाता है, प्रोमोशन देकर उन को आफिसर बना देने से यह काम नहीं हो पाएगा। यह उद्योग की जो हमारी नई नीति है जिसे आज गांवों में फैलाना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले तो हमारी इस नई नीति को समझने वाले और इसको अमल में लाने वाले अधिकार जब तक जिला केन्द्रों पर नहीं होंगे तब तक यह काम होने वाला नहीं है। इसलिए जो जिला उद्योग केन्द्र हैं सबसे ज्यादा जिसकी ओर हम ध्यान खींच रहे हैं और जिसके द्वारा हम बेकारी दूर करने जा रहे हैं, जिस की ओर हमने ज्यादा ध्यान दिया भी है वहां पर इस काम के लिए अच्छे आफिसर रख कर इस को पूरा-पूरा अमल में लाया जायगा और इसके बारे में पूरी पूरी सावधानी रखी जाएगी और ध्यान रखा जाएगा, ऐसी आशा मैं रखता हूं।

पावर टिलर के बारे में मुझे कुछ कहना है। पावर टिलर हमारे देश में बहुत कम मात्रा में बनता है। इसका इस्तेमाल भी कम होता है। बाहर से पावर टिलर मंगाने के लिए प्रावधान इसमें

किया गया है और सौंपा जा रहा है। इस देश में जो यह उद्योग चल रहा है। ज्यादातर तो पब्लिक सैक्टर में वह काम चल रहा है। अगर बाहर से पावर टिलर मंगाया जाएगा तो जो उद्योग मर करके जी रहा है उसको नुकसान होने वाला है। इसलिए पावर टिलर बाहर से मंगाने के बजाय यहीं वह पावर टिलर अच्छी तरह से बने इसकी व्यवस्था करनी चाहिए और उसके लिए इन को ऋण देने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। केवल इसके स्पेयर पार्ट्स जो बाहर से मंगाने आवश्यक हों वह मंगाए जायें। स्पेयर पार्ट्स भी बहुत कम प्रतिशत में बाहर से मंगाने की जरूरत होगी क्योंकि 80 प्रतिशत माल तो उसका यहीं बनता है। यह तो शक्ति चालित हल या पावर टिलर है, ज्यादातर इसका काम छोटे-छोटे उद्योगों के जरिए होता है, लघु उद्योगों में बनता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए बाहर से यह पावर टिलर नहीं मंगाना चाहिए। बल्कि इसके लिए उनको ऋण देने की व्यवस्था करनी चाहिए और कम मात्रा में बाहर से जिन स्पेयर पार्ट्स को मंगाने की जरूरत है केवल उतना ही मंगाने की छूट देनी चाहिए। उस पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी में रियायत देनी चाहिए जिससे कि हमारा जो उद्योग यहां चल रहा है वह पनप सके।

अनएथोराइज्ड पावर लूम्स जो चलते थे उनको एथोराइज करने की औद्योगिक नीति घोषित कर दी गई थी, उसी समय यह जाहिर कर दिया गया था और उसके लिए तारीख भी निश्चित कर दी गई थी कि 31 मार्च के पहले यह कर दिया जायगा। हमारे गुजरात में क्या हुआ कि ऐक्साईज वालों ने एल-4 लाइसेंस दे दिया लेकिन टैक्सटाइल कमिश्नर की ओर से समय पर न देने के कारण ऐक्साइज अधिकारियों ने वह जो पावर लूम चल रहे थे उनको बन्द करवा दिया और हजारों मजदूर बेकार हो गये। माननीय मंत्री जी का ध्यान भी हमने इस ओर आकर्षित किया था। लेकिन इस के बारे में जिस तेज गति से काम होना चाहिए था वह नहीं होने से मजदूरों को भी नुकसान हुआ और हम जो अच्छे काम कर रहे हैं उस की प्रतिक्रिया भी जो सुचारु रूप से होनी चाहिए वह नहीं होती है। तेज गति से काम नहीं चल रहा है। जो नीति हमने घोषित की है, निचले स्तर पर उसको अमल में लाने के लिए तेज गति से कदम उठाना चाहिए। यह जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें यह काम जितनी जल्दी होना चाहिए उतनी जल्दी नहीं हो सकता है। मंत्री जी चाहे जितनी तेज गति से काम करेंगे लेकिन इनके जो हाथ-पांव हैं वह तो ब्यूरोक्रेसी है, उस में यदि गति तेज नहीं होगी तो हमारा काम नहीं हो सकता है।

आखीरी बात कहना चाहता हूं। गुजरात में एक काटन की मिल थी कड़ी में। सात साल से वह बन्द पड़ी है। उसके मालिक ने बैंकों से बहुत ज्यादा लोन ले लिया और मिल बन्द कर के वह चले गए। वह सात साल से बन्द पड़ी है। हजारों मजदूर बेकार हो गए हैं। दो साल पहले एक दूसरी पार्टी ने उन दुर्गा काटन मिल का नाम बदल कर नवज्योति काटन मिल रखा और उसको चालू किया लेकिन तीन-चार महीने में फ़िर उसको बन्द कर दिया। वह अभी भी बन्द पड़ी है। एन०टी०सी० के द्वारा वहां इन्वेस्टिगेशन कमेटी जांच करने के लिए आई थी। लेकिन चार-पांच महीने हो गए, उस की भी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। कड़ी मिल के हजारों मजदूर बेकार पड़े हुए हैं। मैं आशा रखता हूं कि अभी सरकार इसकी ओर ध्यान देगी। और यह जल्दी भी चालू हो जाये ऐसी व्यवस्था करेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस डिमांड का समर्थन करता हूं।

श्री रामकिशन (भरतपुर) : सभापति महोदया, उद्योग विभाग की मांगों के समर्थन से पहले

[श्री रामकिशन]

मैं कुछ सवालों पर खास तौर से उद्योग मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि पिछले साल हमारे देश के औद्योगिक उत्पादन में 8 प्रतिशत के आस पास वृद्धि हुई है। लेकिन इस वृद्धि के पीछे नई पूँजी का नियोजन हो ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। असल में मालूम ऐसा पड़ता है कि पिछले समय में जिन कारखानों की उत्पादन क्षमता का उपयोग नहीं हो रहा था उसका उपयोग किया गया है।

यदि आंकड़ों के आधार पर इन्वेस्टमेंट को देखा जाये तो ऐसा मालूम होता है कि पिछले साल में इन्वेस्टमेंट घटा है। असली बात तो यह है कि हिन्दुस्तान के प्राइवेट उद्योग की नीति यह रही है कि वे निरन्तर सुविधाओं की मांग करते रहें और उसके साथ-साथ पैदावार में कमी करके कृत्रिम अभाव की स्थिति पैदा करके मुनाफा कमायें। ये अपना मुनाफा तो कमा ही लेते हैं लेकिन दूसरी ओर लोगों को जो रोजगार मिलना चाहिए, लोगों को सस्ती चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, उस सम्बन्ध में इस देश के साथ एक प्रकार से वे धोखाधड़ी करते हैं। इस बात में आज प्राइवेट उद्योग सफल होता जा रहा है। मंत्री जी को तो हम अच्छी तरह से समझते ही हैं, उनके विचार को भी जानते हैं लेकिन आज जिस प्रकार का जनता पार्टी का गठन है और जिस प्रकार जनता पार्टी की भूमिका है क्या उसमें वे इस सम्बन्ध में प्रभावशाली कदम उठा सकेंगे जिससे प्राइवेट उद्योगों को सही रास्ते पर लाया जा सके पहली आवश्यकता तो इस बात की है कि देश की जरूरत के अनुसार, उपभोक्ता की दृष्टि से तथा समतामूलक समाज के निर्माण की दृष्टि से उद्योगों को सही रास्ते पर लाया जाये। यदि इसमें जनता कामयाब होती है तो यह उसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। लेकिन मौजूदा हालत में वातावरण में ऐसा सम्भव दिखाई नहीं पड़ रहा है। इमर्जेन्सी में पुरानी कांग्रेस सरकार ने उद्योगपतियों को हर प्रकार की सुविधायें दी थीं, उनके टैक्स में भी कमी की थी क्योंकि उनकी निरन्तर यह माँग रही है कि टैक्स बहुत ज्यादा है, बचत नहीं हो पाती है जिसके कारण इन्वेस्टमेंट का रेट कम हो जाता है।

लेकिन हमने देखा कि 75-76 और 76 77 में जो सहायता उनको दी गई उसके बाद भी इन्वेस्टमेंट घटता चला गया। पिछले साल भी उनको कई प्रकार की सुविधायें दी गईं लेकिन उसके बावजूद जुलाई, 1977 और जून, 1978 के बीच में पूँजी नियोजन 16.1 प्रतिशत से घटकर 14.2 प्रतिशत रह गया। इसका मतलब यह है कि इस देश के प्राइवेट उद्योगों को देश के निर्माण में जितनी रुचि रहनी चाहिए वह रुचि वे नहीं ले रहे हैं। उद्योगों को लेकर इस देश में समय समय पर नकली लड़ाई शुरू कर दी जाती है—कभी छोटे और बड़े उद्योगों की और कभी सरकारी और प्राइवेट उद्योगों की। इस देश के संगठित उद्योग सार्वजनिक उद्योगों के खिलाफ़ अभियोग लगाकर अपनी स्थिति को बचाने की कोशिश करते हैं।

मैं नहीं मानता कि सार्वजनिक उद्योगों में कुप्रबंध नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है। सार्वजनिक उद्योगों के प्रशासकों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक उद्योगों में जो खराबियाँ गिनाई जाती हैं उनके आधार पर सुधार लाने की दृष्टि से यदि सार्वजनिक उद्योगों की निन्दा की जाये तो बात समझ में आ सकती है लेकिन सार्वजनिक उद्योगों की कमजोरियों का लाभ उठाकर पूँजीवाद की स्थापना की बात कही जाए तो वह सर्वथा अनुचित है। यदि पूँजीवाद के द्वारा देश का विकास सम्भव होता तो बात कुछ समझ में आ सकती थी लेकिन एशिया तथा अफ्रीका के देशों में पूंजी निर्माण की शक्ति बहुत कम है और जमीन पर दबाव अधिक है। यहां पूंजीवाद के द्वारा देश का विकास नहीं

किया जा सकता। पुरानी सरकार के टाइम में कुछ लोग सार्वजनिक उद्योगों के पक्ष में बोलते थे लेकिन आज स्थिति उल्टी है। तरह तरह के लोग बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका काम ही सार्वजनिक उद्योगों को बदनाम करना है। यदि सुधार की दृष्टि से आलोचना की जाए तो बात समझ में आती है लेकिन अगर सार्वजनिक उद्योगों को समाप्त करने की दृष्टि से आलोचना की जाए तो उसमें हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। समतामूलक समाज और पूंजी विहीन समाज की स्थापना ही हमारी कसौटी होगी। मैं समझता हूं हमारे जार्ज साहब को इस कसौटी पर उतरने के लिए मानसिक तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

मैं एक बात समझ नही पा रहा हूं—सार्वजनिक क्षेत्रों के बारे में आज तरह-तरह की बातें कही जा रही हैं—इन में घाटा हो रहा है, इसलिए इन को समाप्त किया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं—क्या निजी क्षेत्रों में घाटा नहीं होता है? क्या घाटा होने पर उनको भी समाप्त कर दिया जाता है? यदि उन में प्रबन्ध की वजह से घाटा होता है या उन में भ्रष्टाचार है तो उसको दुरुस्त किया जाना चाहिए। आज देश के निर्माण का केवल यही रास्ता है और हमें इस पर दृढ़ता से जुट जाना चाहिए।

दूसरा बड़ा बड़ा सवाल यह है कि आज हम जिस वातावरण में आये हैं या किस प्रकार की ट्रेनिंग हमारी रही है—डा० राम मनोहर लोहिया के सम्पर्क में हम सभी लोग रहे हैं—उनका सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि विलासिता की चीजों के उत्पादन पर बन्दिश लगाई जाय, उन का उत्पादन कम किया जाय। हमारे उद्योग मंत्री जी इस दिशा में कुछ कर सकेंगे, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। लेकिन यदि वे इस दिशा में कुछ नहीं कर सके तो यह निश्चय बात है कि हम अपनी पुरानी मान्यताओं के खिलाफ आचरण के दोषी पाये जायेंगे। विलासिता की चीजें कौन-सी है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन जैसे आज मोटरकार का उत्पादन बढ़ रहा है—इस पर रोक लगाइये। देश में साइकिल उत्पादन बढ़ता है,—बसों का उत्पादन बढ़ता है, ट्रकों का उत्पादन बढ़ता है,—तो यह ठीक है हमें इनका उत्पादन बढ़ाना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कारों का उत्पादन बन्द कर देना चाहिए, चाहे वे कितनी ही मंहगी हो जाय। अगर इन के उत्पादन की छूट दी भी जाय, तो थोड़ी सी छूट दी जाय। यदि इस दिशा में हम चलेंगे तब वास्तव में हिन्दुस्तान के उपभोक्ताओं की कुछ मददकर सकेंगे अन्यथा उन की मदद नहीं होगी— इस बात को मंत्री जी को ध्यान में रखना चाहिए।

यह बात सही है कि इस साल हमारा उत्पादन बढ़ा है, लेकिन यह उत्पादन सब दिशाओं में नहीं बढ़ा है, केवल कुछ चीजों में बढ़ा है, जैसे चीनी में बढ़ा है, जिंक में बढ़ा है, बिजली में बढ़ा है। हालांकि बिजली में सम्पूर्ण रूप से तो बढ़ा है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र में जहां बहुत बड़े-बड़े कारखाने निर्यात का सामान पैदा करते है, वहां स्थिति बहुत खराब है। इस सम्बन्ध में पूरी कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी चीजों का उत्पादन घटा है—खास तौर से स्टील कोयला और सीमेंट का उत्पादन घटा है। सभापति महोदय, आप जानते हैं, दुनिया में बीसियों सभ्यताये इस लिए नष्ट हो गई कि समाज की जरूरत का उन के अन्दर उत्पादन नहीं हो सका और यही स्थिति आज हमारे देश में भी पैदा होने वाली है। आज हमारे देश में इन सब चीजों के नियोजन की जरूरत है और इस दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट का विस्तार करना चाहिए, बिजली का विस्तार करना चाहिए, कोयले का विस्तार करना चाहिए। प्राइवेट उद्योगों को इन कामो से हाथ नहीं डालने देना चाहिए। इसके लिये जितने भी संघर्ष की जरूरत हो, हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है और

[श्री रामकिशन]

ये चीजें हमारे मुल्क के लिए बेसिक चीजें हैं।

अब एक दूसरी चीज की तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं--- जो आज एक चिन्ता का कारण बनी हुई है। वह है —औद्योगिक विवाद तथा श्रम-दिनों की हानि। मैं समझता हूं हमारे जार्ज साहब एक बहुत बड़े ट्रेड यूनियनिस्ट रहे हैं, मैं उन को इस सम्बन्ध में क्या सलाह दूं, क्योंकि मेरा भी इस आन्दोलन से बहुत सम्पर्क नहीं रहा है। लेकिन आप देखें—1976 से पहले श्रम विवादों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, जितनी 1976 के बाद बढ़ती गई है और इसी कारण से श्रम-दिनों की हानि भी बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी खास तौर से श्रम विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए मेरा कहना है कि जब तक श्रम विवादों का निबटारा है नहीं होगा, आये दिन होने वाली हानि को रोका नहीं जा सकेगा। अब इसके लिए कौन सी मशीनरी पैदा की जाय, किस प्रकार से इस मामले को सुलझाया जाय—यह बात मैं सरकार पर छोड़ता हूं, लेकिन श्रम दिनों की हानि आप जितनी कम कर सकेंगे उतना ही अच्छे उत्पादन की सम्भावना पैदा कर सकेंगे। जब तक उत्पादकता नहीं बढ़ेगी, तब तक हम समतामूलक समाज नहीं बना सकेंगे।

इसी सम्बन्ध में, सभापति जी मुझे एक-दो बातें और कहनी हैं। हमारे देश में इस वक्त औद्योगिक क्षेत्र में जितनी पूंजी लगी हुई है, रोजगार की दृष्टि से यह 10 प्रतिशत लोगों को रोजगार नहीं दे पाती है। इस समय 40 प्रतिशत के आस पास यह पूंजी है और इसके द्वारा पूरा रोजगार न देने की वजह से खेती पर जोर बढ़ता जा रहा है। खेती पर इतना ज्यादा वजन बढ़ गया है कि मुझे शंका है कि वह इतने ज्यादा वजन को संभाल पायेगी। इस काम में हमारे बड़े उद्योग बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सकते हैं, यह काम सिर्फ छोटे उद्योगों से ही सम्भव है। जब मैं छोटे उद्योगों की बात करता हूं तो इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे बड़े उद्योगों से कोई नफरत है—लेकिन यह बात बिल्कुल साफ है कि बड़े उद्योग उन में लगी हुई पूंजी को दृष्टि में रखते हुए पूरा रोजगार नहीं दे सकते हैं। इस समय घरों में काम करने वाली इकाइयों की संख्या हमारे देश में 90 लाख के लगभग है, जिन में 1 करोड़ 60 लाख लोग काम करते हैं। ऐसी हालत में जब बड़े उद्योग ज्यादा काम नहीं दे सकेंगे तो बाजार सिकुड़ जायगा, जब पैदावार होगी और उसका खरीदार नहीं होगा या लोगों की खरीद की शक्ति कम होती चली जाएगी, तब हमारे देश के सामने दूसरी प्रकार की क्राइसिस पैदा हो जाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि छोटे उद्योगों की अधिक से अधिक मदद करें।

अब मैं एक खतरे की तरफ और ध्यान खींचना चाहता हूं और उसका यहां पर जिक्र करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अब आप बैठिये।

श्री राम किशन : मैं एक मिनट ही और लूंगा, मैं खत्म कर चुका हूं।

सभापति महोदय : अगर खत्म कर चुके हैं, तो बैठिए। श्री ओडियन।

श्री राम किशन : एक सवाल यह है कि नये बजट में*

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने अगले वक्ता का नाम पुकार लिया है। केवल उनका भाषण कार्यवाही वृतान्त में सम्मलित किया जायेगा।

* कार्यवाही वृतान्त म सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० के० कोडियन (अड्र) : **सभापति महोदय**, मेरे पास समय बहुत कम है अतः मैं संक्षेप में ही बोलूंगा। इस सरकार द्वारा जिस औद्योगिक नीति का अनुसरण किया जा रहा है वह इस देश में उपभोक्ताओं के हितों के विरुद्ध है। मैं इस कारण कह रहा हूं चूंकि अधिकतर उपभोक्ता उद्योग गैर-सरकारी क्षेत्र में है। चाहे यह चीनी है या कपड़ा अथवा साबुन अथवा कोई अन्य आवश्यक वस्तु जिसका उद्योग अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाता है। वे सभी गैर सरकारी पूंजीपतियों के हाथों में रहने दिये गये हैं जो विभिन्न प्रकार की हेराफेरियों के द्वारा आम आदमी का शोषण करती हैं और लाभ कमाती हैं। पिछले वक्ता द्वारा चीनी-कपड़ा, औषधियां आदि जैसे उपभोक्ता के उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग का प्रबल समर्थन करता हूं। मंत्री महोदय ही कुटीर एवं लघु उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए जिला उद्योग केन्द्रों की प्रिय योजना को भी धक्का लगेगा चूंकि लघु एवं कुटीर उद्योगों में बनाई जाने वाली वस्तुओं को गैर-सरकारी अधिकारियों के व्याख्यानों में निर्मित वस्तुओं से मुकाबला करना पड़ेगा और इसका जिला औद्योगिक केन्द्रों पर तथा उनके अधीन उद्योगों के कार्यकरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे जिन बातों का प्रचार करते हैं उनके प्रति निष्ठावान हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था कि उनका यह निश्चित विश्वास है कि उत्पादन के प्रमुख स्थान सामाजिक नियंत्रण के अधीन होने चाहिये। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया था। यदि वे इस बारे में ईमानदार हैं तो वे उपभोक्ता उद्योगों को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए तत्काल कदम उठा सकते हैं।

मैं जिला औद्योगिक केन्द्रों के सम्बन्ध में कुछ टिप्पणियां करना चाहता हूं। हमें सचेत होना होगा और यह देखना होगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों की, जहां निर्धन से निर्धन व्यक्ति रहते हैं, उपेक्षा करके जिला मुख्यालय तथा उनके आसपास के क्षेत्रों में स्थिति कुटीर एवं लघु उद्योगों के केन्द्र बनकर ही न रह जायें। ये केन्द्र सबसे पहले अपना ध्यान नारियल जटा, हथकरघा, हस्तशिल्प, काजू, मछली पकड़ने, आदि की ओर अपना ध्यान केन्द्रित करें।

मैं माननीय मंत्री को यह भी बताना चाहता हूं कि जिला विकास केन्द्रों के गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ सम्बन्धित किया जाना चाहिए। आखिरकार उनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं लघु उद्योगों का विकास तथा कृषि उद्योगों का संवर्धन है। इसलिए इसको गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ समन्वित किया जाना जरूरी है। इस समय योजना में जिला विकास केन्द्र तथा गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रम के बीच संबंध का कहीं कोई उल्लेख नहीं है।

अन्तिम बात को मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरा अपना राज्य-केरल को जो औद्योगिक क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र, दोनों में न्यूनतम मजूरी दरों में सबसे अधिक दे रहा है, अब मजूरी की ऊंची दरों का सामना करना पड़ रहा है नारियल जटा, काजू तथा बीड़ी उद्योगों ने पड़ौसी राज्यों, कर्नाटक तथा तामिलनाडु में स्थानान्तरिक होने प्रारंभ हो गये हैं, जहां न्यूनतम मजूरी केरल राज्य से बहुत कम हैं। काजू फैक्टरी मालिक कच्चे काजू की तस्करी कर रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार इस तस्करी को रोकने को अपनी पूरी कोशिश कर रही है परन्तु यह जारी है चूँकि फैक्टरी मालिक इन फैक्टरियों को पड़ौसी राज्यों में लेजाकर वहां पर उपलब्ध सस्ते स्राम का शोषण कर सकते हैं और इस प्रकार केरल राज्य की औद्योगिककरण की योजना को आप सफल बना सकते हैं।

सभापति महोदय : अब आप समाप्त करें। और अधिक समय न लें।

श्री पी० के० कोडियन : अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे तमिलनाडु तथा

[श्री पी० के० कोडियन]

कर्नाटक राज्य के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करके उनको न्यूनतम मजूरी को कार्यान्वित कराने का अनुरोध करें ताति केरल से उद्योग स्थानान्तरण रुक सके।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर): उद्योगों पर चर्चा करते समय इस सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए किये गये प्रयासों की, जो रोजगार पैदा करते हैं, सराहना करनी चाहिए। अब तक केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय द्वारा देश में 260 जिला औद्योगिक केन्द्र स्थापित कर चुका है और 48,000 उद्योगों का चयन कर चुका है तथा उनको 33,500 नए राज्यों की स्थापना करने के लिए 13,000 परियोजना रूपरेखाएं तैयार करने में सहायता कर सका है जिनमें 22,500 शिल्पियों को काम मिलेगा। इन सभी प्रयासों से एक लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा होंगे। 364 बीमार एककों को भी सदस्यता दी गई है और लगभग 36,000 बीमार एककों को विपणन तथा कच्चा माल प्राप्त करने में सहायता दी गई है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने, जिनमें वह भी सम्मलित हैं, जो सर्वसाधारण की तानाशाही चाहते हैं, सरकार के सराहनीय प्रयासों की आलोचना करते हुए कहा है कि ये केवल कागजी बातें हैं जिनके क्षेत्र में कोई परिणाम दृष्टिगत नहीं होते। उनका स्वयं का समाज के प्रतियोग उन लोगों द्वारा उनके बहकावे में आकर दिखाई गई अस्थायी कमजोरी का लाभ उठाना है और आलोचना करना अथवा शान्ति का समर्थन करना है। वह समझते हैं कि उनके हाथों में शक्ति आने पर ही देश उनके औद्योगिकीकरण की योजना के अनुसार प्रगति कर सकता है। वे उद्योगों के सरकारी स्वामित्व, प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण तथा हर वस्तु के सामाजिकीकरण के समर्थक हैं। परन्तु भाषणों के दौरान उन्होंने सरकार के कुछ प्रमुख उद्योगों के सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत करने के प्रयासों का समर्थन नहीं दिया है। उनके विचारों, प्रचार तथा व्यवहार में परस्पर अन्तर विरोध है। मुझे आशा थी कि विपक्ष के प्रगतिशील तत्व सरकार के प्रमुख उद्योगों को अधिकार में लेने के प्रयासों का समर्थन करेंगे। परन्तु दुर्भाग्य से यह नहीं हुआ है। हममें से बहुत से लोग उन उद्योगों में ट्रस्टीशिप की भावना को फैलाना चाहते हैं जो इस गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण नहीं करते कि फैक्टरियों तथा उद्योगों के मालिक राष्ट्रीय सम्पत्ति के केवल अभीरक्षक हैं और उनको मजदूरों को मजूरी तथा सुविधाओं से वंचित करके कमाए गए लाभ तथा अतिरिक्त लाभ को उन लोगों के लाभ के लिए उनके पास वह धन है उद्योग के विकास में फिर से लगा देने में असफल रहते हैं, अपने पास रखने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

सरकार अपनी नीतियां इसी दिशा में बना रही है और एक स्पष्ट दिशा जिससे उन लोगों के मन के संशय दूर हो जाने चाहिए जो इस तेजी से बदलते भारत में जनता की हालत को सुधारने में लगे हैं। उक्त नीति के वास्तविक कार्यान्वियन से पूर्व सभा के इस पक्ष के उन सदस्यों के मन में भी कुछ संशय पैदा हुए हैं जिनमें वे भी सम्मिलित हैं जो इस सभा में तथा बाहर भी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण पर विचार प्रकट करते हैं। मैं अपने स्वयं के राज्य का उदाहरण पेश कर सकता हूं। राज्य की विधान सभा ने पहले यह संकल्प किया था कि बीमार चाय फैक्टरियों का प्रबन्ध करने वाली विभिन्न चाय कम्पनियों के कार्यकरण की जांच की जाये ताकि भारत केन्द्र सरकार को तेल कम्पनियों के साथ-साथ उनको भी अधिकार में लेने के प्रश्न पर सलाह दी जा सके। इससे चाय बागान के मालिक उद्योग पतियों में भय व्याप्त हो गया। हाल में राज्य की विधान सभा ने जिसमें कांग्रेस सब से बड़ा विपक्षी

दल है सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित करके सरकार से सिफारिश की है कि चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये। उसके तत्काल पश्चात बड़े उद्योगपतियों ने अपना रंग दिखाया। उन्होंने सरकारी पक्ष के कुछ कमजोर सदस्यों को अपने पक्ष में किया और शासन के विरुद्ध एक संकट पैदा किया जा रहा है। वे नहीं चाहते कि सरकार चाय उद्योग को अपने अधिकार में ले चूँकि यह बहुत ही श्रम प्रधान है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है। क्या हुआ ? दिल्ली में बातचीत प्रारंभ हुई। कलकत्ता में बातचीत प्रारम्भ हुई। वाणिज्य मंत्री तक पहुंचा जा रहा है और बाद में डिब्रूगढ़ में उन्हें आमंत्रित किया गया। मंत्री महोदय को कहा जा रहा है कि चाय उद्योग का राष्ट्रीयकरर न किया जाये। मंत्री महोदय कहते हैं कि "अश्वतथामं हतो किन्तु इति गजः" अर्थात् पूर्ण उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, परन्तु केवल बीमार एककों का राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। इस प्रकार की बातें हो रही हैं और चाय उद्योग के राष्ट्रीयकरण का बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। इसके साथ ही, यह भी ध्यान देने की बात है कि उद्योग मंत्री टाटा उद्योग के अधिकार में लेने की बात की तो समाचार पत्रों में तथा स्थान-स्थान पर इस्पात उद्योग में गैर सरकारी क्षेत्र की प्रशंसा की जाने लगी और गलत आंकड़े पेश किये जाने लगे कि इस्पात में सरकारी क्षेत्र में हानियां हो रही हैं और सरकार द्वारा और अधिक इस्पात सयंत्रों का राष्ट्रीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही जमशेदपुर में भी कुछ गड़बड़ी हुई। वहां पर होने वाली गड़बड़ी में बड़े व्यापार गुटों का भी हाथ हो सकता है। जमशेदपुर की गड़बड़ी में, जिसमे 110 लोगों की जाने गई, सरकार के इस्पात उद्योग के राष्ट्रीकरण के इरादे भी प्रकट करने के कारण हो सकती। अभी आधे घण्टे के पश्चात यहां पर इस बात पर चर्चा होने वाली बातों के बारे में सावधान रहना चाहिए। सरकार के एक प्रवक्ता ने तथा योजना आयोग के एक सदस्य प्रो० राज कृष्ण ने औद्योगिक के निवेश ही सीमा में कटौती की बात की। आज सुबह को मैंने टाइम्स आफ इन्डिया में एक स्वतंत्र पत्रकार का एक लेख पढ़ा है जिसमें कहा गया है कि बड़े ग्रहों के अवसर को कम करना देश के लिए खतरनाक है। गत वर्ष जारी की गई औद्योगिक नीति के विवरण में भी. हालांकि उस पर भारी चर्चा की जानी है, आर्थिक शक्ति के कुछ धनवान लोगों के हाथों में होने को रोकने की बात की गई थी। परन्तु पैसे वाले सरकार के विचारों को सहन नहीं कर सकते और देश में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं।

चाय उद्योग के बारे में अपनी थोड़ी-सी जानकारी के आधार पर मैं अनुरोध करता हूं कि चाय बागान उद्योग—जो कि सबसे बड़ा रोजगार प्रधान उद्योग है, के प्रबन्ध और अर्थव्यवस्था में उद्योग मंत्रालय का भी हाथ होना चाहिए। इस उद्योग के खेती पहलू पर कृषि मंत्रालय का नियंत्रण है, वाणिज्यिक पहलू वाणिज्य मंत्रालय देखता है और उद्योग को निर्माण पहलू पर किसी का भी नियन्त्रण नहीं है। मेरा विचार है कि उद्योग मंत्रालय का देश के चाय बगान उद्योग पर नियन्त्रण होना चाहिए जिसके निर्मित उत्पादन देश में बेचे जाते हैं और और विदेशी मुद्रा अर्जन के लिये निर्यात किये जाते हैं। मंत्रालय के प्रतिवेदन में चाय की ही नहीं चाय के पैकट बनाने, चाय बैग तथा इन्सटेंट चाय का कोई उल्लेख नहीं है। हालांकि भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है हमारे पास मुश्किल से चार चाय के बैग बनने वाली मशीनें हैं हालांकि बैग में भारी चाय हमारे लिए अधिक विदेशी मुद्रा अर्जन करती है। मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसके साथ ही मंत्री महोदय से मैं अनुरोध करता हूं कि जिला उद्योग केन्द्रों के कार्यकरण की

[श्री पूर्ण नारायण सिन्हा]

ओर ध्यान दें। राज्यों में भी कुछ राज्य औद्योगिक विकास निगमें हैं। उन पर भी उद्योग मंत्रालय का कुछ नियन्त्रण होना चाहिए। उदाहरण के रूप में, आसाम में एक राज्य औद्योगिक विकास का नियम है जिसने कुछ तकनीशियनों तथा अफसरों पर पैसा व्यय करके जो नए उद्यमियों में अभिप्रेरणा उत्पन्न नहीं कर सकते, धन एवं समय गंवाया है। वे प्रतिमास 80,000 रु० के लगभग वेतन तथा परिलब्धियां पाते हैं। कोई उद्यमी कोई प्रस्ताव लेकर उनके पास नहीं जाता। यही बातें हर राज्य में हो रही हैं। शायद केन्द्रीय मंत्रालय को संसद सदस्यों, विधानसभा सदस्यों, वित्तीय संस्थानों तथा औद्योगिक उपक्रमों के प्रतिनिधियों की एक राज्य समीति का गठन करना चाहिए जो जनता की भलाई के लिए कुछ कार्य कर सके।

श्री वयालार रवि (चिरयिन्किल): सभापति महोदय; समय की कमी के कारण मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मंत्री महोदय के बिचारों उनके विश्वास तथा उनके दल के द्वारा बनाई गई नीति से सहमत हूं। मैं चाहता हूँ कि इसके कार्यान्वयन में उनको सफलता प्राप्त हो।

मैं केवल जिला उद्योग केन्द्रों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह विचार तो बहुत अच्छा है। परन्तु दुर्भाग्य से मेरे राज्य सहित राज्यों में यह निहित स्वार्थ के अधिकारियों के लिए पदोन्नति कर एक मार्ग बन गया है। मैंने स्वयं एर्नाकुलम स्थित त्रिवेन्द्रम जिला उद्योग केन्द्र में असहनीय स्थिति देखी है, जिला उद्योग केन्द्रों में कुछ जान डालने की कोशिश की।

दूसरे नारियल जटा के संबन्ध में मैं अधिक वर्णन नहीं करना चाहता। चूंकि मैं नियम 377 के अन्तर्गत मंत्री महोदय का ध्यान पहले ही इस ओर आकार्षित कर चुका हूं और मुझे विश्वास है कि उनके अधिकारियों द्वारा इस संबन्ध में वक्तव्य उनके आगे प्रस्तुत किया जा चुका होगा। नारियल जटा उद्योग को बचाने के लिए आपको हर प्रयास करना होगा। कच्चे माल की उपलब्धता तात्कालिक समस्या है। अतः मैं माँग करता हूं कि नारियल जटा के कार्य के निर्यात पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाया जाए और नारियल जटा कि वस्तुओं का निर्माण करने वालों को फाईबर तथा नारियलजटा यार्न उपलब्ध किया जाए। कृपया इस बारे में कुछ करें।

तीसरे मैं चाहता हूं कि श्री जार्ज फर्नान्डिस कुवैत में इन्जीनियरिंग प्रजैक्ट्स आफ इन्डिया की परियोजनाओं के बारे में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाएं। मान लो कि कुवैत, सरकार दंडात्मक कार्य का सहारा ले तो उस स्थिति में क्या होगा? मैं जानता हूं कि यह आपका किया हुआ काम नहीं है। यह पिछली सरकार का है। परन्तु पहले गलत हुई बातों को सुधारने के लिए आपको कार्यवाई करनी है। मुझे आप से यह शिकायत है कि आप पहले किये गये गलत कामों को सुधार नही रहे हैं।

भेल-सीमन्स समझौते के साथ श्री जार्ज फर्नान्डिस का भावनात्मक सम्बन्ध एक अन्य संवेदनशील मामला है। मुझे यह कहने में दुख हो रहा है कि मैंने आज टाइम्स आफ इन्डिया में एक मनगढ़न्त कहानी देखी है। रिपोर्ट में कहा है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी कुछ अन्य क्षेत्रों में देश में उपलब्ध हैं। जब यह देश में उपलब्ध हैं तो क्या हमारा इसे साईमन्स से आयात करना उचित है? क्या इससे भारतीय उद्योग को सहायता मिलेगी। हां यदि आप समझते हैं कि और आप इस संसद तथा इस राष्ट्र को सन्तुष्ट करा सकते हैं कि यह प्रौद्योगिकी अच्छी है तो स्थिति दूसरी होगी। मैं इस बात से सहमत हूं कि सीमन्स तथा अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी की प्रौद्योगिकी अच्छी है मैं इस पर आशंका

नहीं व्यक्त कर रहा। मैं मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि भावात्मक रुख अपनाने के स्थान पर वह यथार्थवादी रुख अपनाएं।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इसमें अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों का चरित्र संशयपूर्ण है। मेरे इस मामले को उठाने का मुख्य कारण भी यही है। हमें उन लोगों की सारी पृष्ठभूमि को याद रखना है जिन्होंने इस समझौते में जल्दबाजी दिखाई। हम स्वयं आपके सचिव से आरम्भ करे कि वह किस प्रकार चौगुटे के माध्यम से सचिव बने, जिस चौगुटे से आप आज भी अप्रसन्न हैं। वह उनको नियन्त्रित कर सके और आज वह आप को भी नियन्त्रित किए हैं। उसकी क्षमता को देखें। आगे डा० सरीन की पृष्ठभूमि की ओर देखें कि वे गत 17 वर्षों से कहां पर काम कर रहे थे और डा० शुक्ला, जिसने श्रीकृष्णामूर्ति के लड़के को अमरीका में और बाद में भेल में रोजगार दिया। तीन संसद सदस्यों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जो आप तक पहुंच गया होगा। फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया गया है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली है और एक विज्ञापन कम्पनी के मामले में उनको दोषी पाया है। आपको उसका बचाव नहीं करना चाहिये। मैं चाहता हूं कि आपका मंत्रालय ऐसे भ्रष्टाचारी और अनैतिक तत्वों से मुक्त रहे।

*श्री **गणनाथ प्रधान** (सम्बलपुर) : सभापति महोदया, मैं उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर उड़िया में बोलना चाहता हूं। मैं पूरे दिल से मांगों का समर्थन करता हूँ। माननीय मंत्री द्वारा पद ग्रहण किये 2 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है परन्तु मुझे दुःख है कि हमने औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय प्रगति प्राप्त नहीं की है। हमने बड़े उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिये कोई कदम नहीं उठाये हैं। बड़े औद्योगिक ग्रहों की आपत्तियों में दिन-रात वृद्धि हो रही है और वे धन जमा कर रहे हैं। परन्तु समान वितरण के अभाव में निर्धन लोगों को उचित मूल्यों पर औद्योगिक वस्तुएं नहीं प्राप्त हो रहीं। औद्योगिक वस्तुओं की कीमतें बढ़ रही हैं और बड़े उद्योगपति बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। सरकार ने ऐसी वस्तुओं की कीमतें नियत नहीं की हैं। ऐसा लगता है कि सरकार का बड़े उद्योगपतियों पर कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्योगपति उत्पाद का मूल्य नियत करते हैं परन्तु जब हम बाजार से उसकी खरीद करते हैं हमें उस कीमत पर नहीं मिलती। वे हमेशा ज्यादा कीमत लेते हैं।

हमारे देश में कुछ ऐसे सरकारी संगठन हैं जो माल की बिक्री में संलग्न हैं। इन संगठनों में सामान का मूल्य नियत नहीं किया जाता। विभिन्न वस्तुओं की कीमतें एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक समय से दूसरे समय भिन्न-भिन्न रहती हैं। हमें सरकारी उपक्रमों की दुकानों से औषधियां तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं होतीं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि विभिन्न औद्योगिक उत्पादों का मूल्य नियत किया जाये। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जाये कि ये वस्तुएँ नियत मूल्यों पर बेची जाएं।

मान लीजिये किसी उत्पाद का मूल्य एक रुपया है तो यह एक रुपये पचास पैसे से अधिक मूल्य पर नहीं बेचा जाना चाहिये।

चुनाव घोषणापत्र में हमने लोगों को आश्वासन दिया था कि कुटीर उद्योगों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायेगी। हमने यह आश्वासन भी दिया था कि सभी अत्यावश्यक वस्तुएं उचित दरों पर बेची जायेंगी और सभी गांवों में उपलब्ध भी होंगी। परन्तु गत दो वर्षों के आश्वासन

* मूल उड़िया में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

[श्री गणनाथ प्रधान]

का क्रियान्वयन नहीं हुआ प्रतीत होता है। मुझे प्रसन्नता है कि उद्योगमंत्री ने हाल ही में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये कुछ योजनाओं को कार्यरूप देने की घोषणा की है। यदि इसका क्रियान्वयन उचित रूप से किया जाता तो हमारे ग्राम स्तर पर सभी अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो जायेगी।

हमने पंचायत स्तर पर उद्योगों के विकास के लिये योजना बनाई थी। परन्तु खेद के साथ करना पड़ता है कि हमारी योजना के अनुसार पंचायत स्तर पर उद्योगों का विकास नहीं हुआ है। पंचायत स्तर पर उद्योगों का विकास करने के लिये कार्यक्रम आरम्भ किया गया था। परन्तु इन जिला औद्योगिक केन्द्रों ने अपना कार्य निष्ठा के साथ नहीं निभाते। यही कारण है कि हमें पंचायत स्तर पर उद्योगों की स्थापना में कोई प्रगति दृष्टिगत नहीं होती है।

यद्यपि हमारी ग्राम्य अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यदि ऐसा नहीं है तो इसका एकमात्र कारण सतर्कालियों की असफलता है। सरकार ने कोकाकोला के मामले में साहसिक कदम उठाया परन्तु सनलाईट साबुन के मामले में सरकार कुछ भी नहीं कर सकी। हमारे इस आश्वासन को काफी देर हो चुकी है कि माचिस, साबुन, जूते आदि जैसी वस्तुओं के लिये कुटीर उद्योग विकसित किये जायेंगे। हमें इस बात का ध्यान रखने के लिये कदम उठाने चाहियें कि मोची, कुम्हार बढ़ई आर्थिक प्रगति करें। विभिन्न पंचायतों के उद्योगों का विकास तीव्रगति से होना चाहिए। सभी ग्रामवासी अत्यावश्यक वस्तुओं के मामले में किसी सीमा तक आत्मनिर्भर होने चाहियें ताकि वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को गांवों से बाहर न जाना पड़े। भूतकाल में लोगों को अपनी आवश्यकता की वस्तुएं उनके गांवो में ही उपलब्ध हो जाती थीं। सभी कृषि उपकरण उनके गांवों में ही उपलब्ध होते थे। बदलती हुई परिस्थितियों में उनके पुराने दृष्टिकोण भी बदल गये हैं और वे खेती की आधुनिक प्रणाली अपनाने लगे हैं। अतः सभी अत्यावश्यक वस्तुएं गांवों में उपलब्ध कराने के लिए सरकार को विशिष्ट कदम उठाने चाहियें। यह तभी संभव हो सकेगा जब लघु उद्योगों का विकास हो। कुटीर उद्योगों के विकास के साथ ही ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जायेगा। पंचायतों में उद्योगों के विकास के लिए जिला उद्योग केन्द्रों को निष्ठा से कार्य करने चाहियें। उन्हें इस प्रकार से कार्य करना चाहिये कि उद्योग को कोई हानि न हो।

अक्सर एक प्रश्न उठता है कि हमारे राज्य में कच्चा माल उपलब्ध नहीं है परन्तु यह सत्य नहीं है। हमारे वन्य क्षेत्र में सभी कच्चे माल बहुतायत में उपलब्ध हैं। अतः हमें बाहर से कोई कच्चा माल आयात नहीं करना चाहिये। जो हमारे वन्य क्षेत्र में उपलब्ध है हमें उसका उपयोग करना चाहिये। हमारी बेरोजगारी की समस्या का तभी समाधान हो सकता है। हमारे ग्रामवासी लाभान्वित होंगे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यह विशेषतया गरीब आदिवासियों और हरिजनों के हित में होगा। क्योंकि इससे उनमें कार्य करने की लगन पैदा होगी और उससे उनकी स्थिति में सुधार होगा।

अब मैं नमक उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। उड़ीसा के समुद्रतट पर नमक बहुत मात्रा में उपलब्ध है। भूतकाल में स्थानीय लोग इस धन्धे में लगे थे। अब वे इस कार्य को भली भांति नहीं कर सकते क्योंकि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के बड़े उद्योगपतियों ने इन्हीं क्षेत्रों में अपने नमक उद्योग स्थापित कर दिए हैं। उन्होंने वहां हजारों एकड़ भूमि पर कब्जा कर लिया है। इन बड़े उद्योगपतियों

से स्थानीय लोग परेशान होते हैं। मंत्री महोदय को इन गरीब लोगों का परेशान किया जाना बन्द करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहियें।

अन्त में मैं अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने का धन्यवाद करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री **सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय मेरी कुछ बातों को नोट करें क्योंकि विस्तार में जाने का समय नहीं है।

मुख्य बात, जिस पर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं यह है कि उनके मंत्रालय द्वारा, न केवल समाज उद्योगों को फिर से चालू करने हेतु अपितु उद्योगों को ऋण लेने से बचाने के लिए, एक समेवित नीति बनाई जानी चाहिए थी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि हमारे देश में धन राशि का अन्य कार्यों में लगाकर तथा कुप्रबन्ध आदि द्वारा अच्छे उद्योगों को रुग्ण उद्योग बनाने वाला भी एक उद्योग है। कुछ उद्योगपतियों द्वारा अपनाई जाने वाली औद्योगिक नीति और औद्योगिक सम्बन्धों से उद्योग रुग्ण होते हैं, परन्तु आज जो व्यक्ति धनराशि को अन्य कार्यों में उपयोग करने तथा कुप्रबन्ध के लिए उत्तरदायी हैं उनके विरुद्ध कोई अनुवर्ती कार्यवाही अभी तक नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह अपने मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और कम्पनी कार्यों के लिए उत्तर-दायी तथा बड़ी कम्पनियों के मामले देखने वाले विधि मंत्रालय के बीच समन्वित प्रयास करें। ऐसा समन्वय न होने से विलम्ब होता है और उद्योग रुग्ण बनते जाते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की भूमिका भी ऐसा मामला है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। मेरे विचार से उद्योग मंत्रालय यह कहकर मामले को नहीं टाल सकता कि यह मामला वित्त मंत्रालय से सम्बन्धित है अतः वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। अतः समन्वित प्रयास की आवश्यकता है। दूसरे जिला उद्योग केन्द्रों के बारे में, जो कि मंत्री महोदय की औद्योगिक नीति की आधारशिला है, मैं श्री रवि की इस बात से सहमत हूं कि मंत्री महोदय भी अब तक हुई प्रगति से संभवतया संतुष्ठ नहीं होंगे।

मुझे पता है जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से इस औद्योगिक नीति को क्रियान्वित करने की कार्य राज्य सरकारों का है परन्तु संभवतया यह भी मंत्रालय में शीर्षस्थ लोगों के कुछ चहेते व्यक्तियों को रोजगार देने का यह भी एक आम साधन बन गया है। मुझे संदेह है कि मंत्री महोदय की नीति निष्ठापूर्वक जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।

अब प्रबन्ध तथा ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी जैसी फर्मों में चलाते औद्योगिक सम्बन्धों का प्रश्न आता है। मंत्री महोदय कृपया इस पर ध्यान दें।

ब्रेंटफोर्ट इन्डिया नामक एक फर्म है। मैंने मंत्री महोदय को लिखा है। उन्होंने बताया है कि उसका प्रबन्ध एन्ड्रयू यूल एण्ड कम्पनी जैसी सरकारी प्रबन्ध वाली कम्पनी द्वारा अपने अधिकार में ले लिया जायेगा। वहां कार्य कर रहे कर्मचारियों से कहा गया है कि यदि वे अपने कार्य पर बने रहना चाहें तो उन्हें वेतन के रूप में उनके वेतन का 60 प्रतिशत दिया जायेगा। परन्तु उनकी बकाया राशियों का क्या होगा ? इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इससे यदि असन्तोष नहीं तो अनिश्चितता तो पैदा हो ही गई है। मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय इस पर ध्यान दें। यह एक ऐसी फर्म है जिसका परिसम्पतियां निजी प्रबन्धकों ने समाप्त कर दी हैं और एण्ड्रयूमूल प्रबन्ध में भागीदार थी। इसी फर्म को प्रबन्ध फिर दिया जा रहा है परन्तु उनका क्या होगा जो पहले इसके लाभ से लाभान्वित थे।

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

सरकार ने 'यूनियन जूट' का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया है। चेयरमैन तथा महाप्रबन्धक के बंगले और कार्यालय आदि के नवीकरण पर बहुत बड़ी राशि व्यय की गई है और 5000, 6000 रुपये मासिक वेतन के बड़े-बड़े पद बनाये गए हैं, परन्तु एक कनिष्ठ असिसटेंट को इस तर्क पर नहीं लिया गया कि उसने महाप्रबन्धक से उचित समय पर भेंट नहीं की। यह दृष्टिकोण है। इन मामलों से लोग परेशान हैं। मैंने मंत्री महोदय को लिखा है कि सरकार ने यद्यपि बहुत से उद्योगों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लिया है, परन्तु कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रति दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है कि पुराना प्रबन्ध अभी तक चल रहा है। इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब मैं सीमेंट कोटे के प्रश्न पर आता हूं। सीमेंट की कमी के साथ-साथ हम बांकुरा और पुरालिया में, जो परम्परा से पिछड़े जिले रहे हैं और वर्षों तक पिछड़े रखे गये हैं, सीमेंट कारखाने की मांग करते रहे हैं। वर्ष 1979 की प्रथम तिमाही पश्चिम बंगाल के लिये सीमेंट का कोटा 45,000 मीटरी टन था। जिसमें से हमें केवल 10,000 टन ही उपलब्ध हुआ। तिमाही समाप्त होने के पश्चात शेष मात्रा का क्या होगा? हम चाहते हैं कि न केवल कोटा ही पूरी मात्रा में और समय पर मिले अपितु यदि कोई मात्रा शेष रह जाती है तो उसे आगे जोड़ दिया जाना चाहिये ताकि यह अगली तिमाही में प्राप्त हो सके।

एक मामला इन्स्ट्रूमेंटेशन के लिमिटेड के बारे में है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई है। मैंने एक प्रश्न पूछा था और मंत्री महोदय को कई बार लिखा और वह इस पर विचार भी कर रहे हैं परन्तु अभी तक उन्होंने निर्णय नहीं किया है। 'इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड' सरकारी फर्म है। बैस्टोबैल इन्डिया लिमिटेड, जो एक विदेशी फर्म है, के इसमें भारी मात्रा में शेयर हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अनुसार इसे अपने शेयर कम करने हैं। जालान बन्धुओं और सूरजमल नागर मल ग्रुप के शेयर बहुत अधिक मात्रा में हैं जालान बन्धु विदेशी फर्मों के अधिकांश शेयर खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जालान बन्धुओं से शेयर प्राप्त करने के प्रयास कर रही है ताकि उनका नियंत्रण इस पर हो सके परन्तु सरकार अभी निर्णय नहीं कर सकी है।

कुछ दिन पहले ही मंत्री महोदय ने एक अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कहा था कि सरकार ने निर्णय नहीं किया है। इससे लोगों के मन में अनिश्चितता की भावना पनप रही है। वे अधुनातन उपकरणों के निर्माता हैं और श्रमिकों की ओर से मैंने अनेक बार मंत्री महोदय को अभ्यावेदन भेजे हैं कि वह कृपया निर्णय करें ताकि नियन्त्रण जालान बन्धुओं के हाथ में न चला जाए। दूसरी ओर यह इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड—जो एक सरकारी क्षेत्र की कम्पनी है—के पास रहे। संभवतया मंत्री महोदय को इस मामले में जांच करने का समय न मिला हो। जालान बन्धुओं के नियन्त्रण में चले जाने की श्रमिकों की आशंका दूर की जाये।

एक अन्य मामला, जिसके बारे में मैं मंत्री महोदय को बार-बार कष्ट देता रहता हूं वह कलकत्ता स्थित पेटेंट्स कार्यालय के बारे में है। यह उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। गंभीर आरोप लगाये गए हैं। मंत्री महोदय ने अपने एक संयुक्त सचिव को कलकत्ता भेजकर कृपा की।

तत्पश्चात एक सतर्कता अधिकारी को भी भेजा गया। परन्तु उस समय तक काफी गड़बड़ की जा चुकी थी। इसके बाद भी इस मामले में कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जा रही है। यह महत्वपूर्ण क्षेत्र है और मैं मंत्री महोदय, श्री फर्नांडीस से अनुरोध करता हूं कि वह उन व्यक्तियों की रिपोर्टों पर न चलें जिनके विरुद्ध आरोप लगाये गए हैं कि वे व्यक्ति स्पष्टतया अपने कार्यों पर पर्दा डाल कर रिपोर्ट देंगे। यह ऐसा मामला है जिसमें, मुझे विश्वास है कि यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जांच के लिये भेजा जाये जिसका कोई स्वार्थ नहीं है तो वह अनेक अनुचित बातों, अनेक अनियमितताओं को देखेगा जो पहले की जा चुकी है। इस देश में सरकारी विभाग में श्रमिकों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है मानो वे श्रेणी दो के नागरिक हों। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कलकत्ता स्थित पेटेंट्स कार्यालय की जांच करें।

इसके बाद जिस अन्तिम मामले के बारे में मैं उन्हें तकलीफ दूंगा वह सामान्यतया सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में है। यद्यपि मंत्री महोदय कहते हैं कि सरकारी उद्यम ब्यूरो ऐसा हस्तक्षेप नहीं करता है तथापि जहां तक सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्धों का सम्बन्ध है सरकारी उद्यम ब्यूरो अत्यधिक प्रत्यादेश करने के रूप में विद्यमान हैं। इन सरकारी उपक्रमों में इनमें से कुछ बड़े अधिकारी, प्रबन्धक या तो सरकारी उद्यम ब्यूरो से डरते हैं या वे इसके साथ साठ-गांठ किये हुए हैं। उनमें से कुछ अधिकारी स्वभाव से कर्मचारी-विरोधी और श्रमिक-विरोधी हैं और वे श्रमिकों को उनके वैध अधिकारों से वंचित करने की कोशिश में सरकारी उद्यम ब्यूरो के सहारे का लाभ उठा रहे हैं। यह एक अन्य मामला है जिसमें मंत्री महोदय का सक्रिय हस्तक्षेप आवश्यक है ताकि कम से कम सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक सम्बन्ध खतरे में न पड़ें।

अन्त में मैं इस देश कुटीर उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह बहुत ही स्पष्ट रूप से निर्धारित करें कि क्या सहायता आप दे सकेंगे। बैंक बाधक के रूप में काम कर रहे हैं न कि प्रोत्साहन देने के रूप में और न ही किसी ऐसे रूप में काम कर रहे हैं कि जिनसे छोटे उद्यमी कुटीर तथा लघु क्षेत्र में औद्योगीकरण के लिये जितनी पूंजी उनके पास है उससे कुछ कर सकें। आपके पास प्रस्ताव हैं परन्तु उन्हें क्रियान्वित करने की पद्धति नहीं है। अतः इसे केवल कागजों पर रखने के बजाय इस मामले की जांच करें और ठोस कार्यवाही निर्धारित करें कि इस देश के बेरोजगार युवक किस प्रकार कुटीर उद्योग स्थापित करने के प्रस्तावों का लाभ उठा सकें ताकि उस माध्यम से हम उनके लिए श्रेष्ठतर स्थिति पैदा कर सकें। धन्यवाद।

जमशेदपुर की विद्यमान स्थिति के बारे में चर्चा

अध्यक्ष महोदय : अब हम सभा के समक्ष विचाराधीन विशेष चर्चा करते हैं। श्री हरिकेश बहादुर ने जमशेदपुर की स्थिति के बारे में 18 अप्रैल, 1979 को सभा में मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर चर्चा करने के प्रस्ताव की सूचना दी है। मेरे समक्ष यह एकमात्र प्रस्ताव है।

श्रीमती मोहसिना किदवई (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, आज जिस मसले पर बहस करने के लिए यह हाउस बैठा है—वह एक बहुत ही अहम मसाला है। जमशेदपुर—जो स्टील सिटी कहलाता है—वहां पर हुए इस वाक्य से मुल्क में सैकुलरिज्म में विश्वास रखने वालों के लिए एक चेलेन्ज है, एक चुनौती है। जमशेदपुर सिटी में आज जो कुछ हो रहा है, वह इस बात का एक सबूत है कि इस

श्रीमती मोहसिना किदवई

मुल्क के संविधान की जो आस्था सैकुलरिज्म में थी, वह आज हिलती हुई नजर आ रही है, कमजोर हो रही है। मुझे आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जनता पार्टी की सरकार जब बनी थी, उस समय उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर कसम खाई थी कि हम महात्मा गांधी के नक्शे-कदम पर चलेंगे।

अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी का वह ख्वाब जिसको यह जनता पार्टी की सरकार पूरा करने चली थी, महात्मा गांधी का वह खूबसूरत ख्वाब जिसे उन्होंने हिन्दुस्तान को एक ऐसे बाग की तरह देखा था कि जिसमें हर रंग के फूल को, हर खुश्बू के फूल को बराबरी से झूमने और खिलने का हक हासिल हो आज उसी खूबसूरत ख्वाब को, उसी दिलकश ख्वाब की ताबीर को इतनी सख्त चोट इस जनता की सरकार ने दी है कि वह खूबसूरत बाग प्रभावित हो गया है और आज वह बाग ऐसे बाग में परिवर्तित हो गया है जहां मजहब और कौम के नाम पर नफरत की जहरीली आंधियां चल रही हैं, जहां अकसीरियत और वकलियत के नाम पर नंगा नाच नाचा जा रहा है, जहां इन्सानियत कराह रही है और जहां मानवता शर्म से झुकी जा रही है। आज उसका खुला खून जमशेदपुर में दिखाई दे रहा है। आज जो कुछ हो रहा है, इस वक्त के वो होम मिनिस्टर हैं उनमें जरा भी शर्म होती, तो वे अपने इस्तीफे के साथ इस हाऊस में आते और यह कहते कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं क्योंकि मैं उन ताकतों को नहीं रोक सका जो आज इस मुल्क में यह सब गड़बड़ करा रही हैं···**व्यवधान**···अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाह रही थी, आपके माध्यम से हाऊस से यह कहना चाहती हूं कि हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो बयान दिया है···**व्यवधान**···मैं यह कहना चाह रही थी कि मैं किसी पार्टी की बिना पर नहीं बोल रही हूं, मैं एक इंसान की हैसियत से इस हाऊस में बोल रही हूं। आज जमशेदपुर में जहां बर्बरता और जुल्म का नंगा नाच हो, जहां इनकी पार्टी में शामिल एक जमायत है, आज ये लोग अपनी आंखें खोल लें, जो कल तक आर० एस० एस० को कल्चरल आर्गेनाइजेशन कहते थे, आज मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि वे लोग जो कल तक मुसलमानों की बोट लेने के लिए इमाम बुखारी साहब को झूठे-सच्चे वाक्यात सुना कर हर जगह मगरमच्छ के आंसू बहा कर इमर्जेन्सी को रोक रहे थे कहाँ हैं आज वे इमाम बुखारी और उनके साथी। आज जो जमशेदपुर में हो रहा है। वह सिर्फ जमशेदपुर में ही नहीं हुआ है, अलीगढ़, बनारस और लखनऊ में जितने भी वाक्यात हुए हैं, उन्हें अगर आप देखें तो वे सब एक वाक्य की कड़ी नजर पड़ी है। हमारे होम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट आज दिया है, उस स्टेटमेंट से हम क्या नतीजा निकालते हैं? जो एक बुनियाद थी, उस बुनियाद का तजकिया नहीं किया, जो एक पूरा माहौल बन रहा था पिछले एक महीने से, 15 दिन से, उस माहोल का पूरा तजकिरा नही किया। मैं पूछना चाहती हूं कि बावजूद मुखालफत के, बावजूद पूरी मुखालफत के, आर० एस० एस० का केन्द्र वहां पर क्यों लगा? जमशेदपुर में तीन, चार दिन तक मुस्तकिल आर० एस० एस० का केम्प रहा और आर० एस० एस० के उस कैम्प में क्या कहा गया। बालासाहिब देवरस ने जो आज हिन्दू राष्ट्र के नाम पर महात्मा गांधी के ख्वाब को चकनाचूर करना चाहते हैं। क्या तकरीर की उन्होंने? मैं आप से दरख्वास्त करूंगी कि बाला साहिब देवरस की तकरीर का टेप इस हाऊस में सुनाया जाए। उन्होंने जो तकरीर की, वह इतनी सेनसेटिव थी, इतनी प्रोवोकेटिव थी, इतनी जजबात को उभारने वाली थी कि कोई भी सेन्सीबल आदमी उसको सुनकर अपने होशोहवास में नहीं रह सकता जितने भी इस मुल्क में न्यूज पेपर्स हैं उन सब को निकाल कर देखिए। सब ने यह

लिखा है कि यह झगड़ा एकदम से भड़कने वाला झगड़ा नहीं था। यह झगड़ा पूरी प्लानिंग, पूरी तैयारी के साथ हुआ है।

पिछले साल भी जब इसके बारे में झगड़ा चल रहा था तब भी डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने इसकी परमीशन नहीं दी थी। मैं किसी मजहबी जलूस के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हर जलूस को शांति और कायदे-कानून से निकाला जाना चाहिए। हर जलूस को निकालने का कायदा होता है उसका रूट होता है। वहां डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज के पास बाकायदा उस जलूस के रूट का नक्शा होता है। जिस रूट से जलूस पिछले सालों में निकलते रहे होते हैं उन्हीं से उनको निकाला जाता है। पिछले साल भी इन्होंने जलुस निकालना चाहा था लेकिन उसकी इजाजत नहीं दी गई। जैसा कि मिनिस्टर साहब ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी उसके बारे में केस को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद से बराबर यह कोशिश होती रही कि किसी तरह से हम अपने जलूस को उस रूट से निकालें जो कि एक सेंसिटिव रूट है। इस बात की पांच अप्रैल को कोशिश की गई जिस दिन कि रामनवमी थी, 6 को और 7 अप्रैल को भी निकालने की कोशिश की गयी लेकिन उसकी परमीशन उन्हें नहीं मिली। सात तारीख को वहां की अखाड़ा समिति जिसका कि मिनिस्टर साहब ने नाम लिया, एक इश्तियारेंगेज पेम्फलेट निकाला। उस पेम्फलेट में किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया वह जरा देखने की चीज है। मुझे ताज्जुब होता है कि किस तरह से मजहब के नाम पर लोगों का खून खौलाया जाता है, किस तरह से उन्हें प्रवोक किया जाता है। हमारे मिनिस्टर साहब ने उस पेम्फलेट का जिक्र नहीं किया।

यह पेम्फ़लेट सात तारीख को निकला जिसमें कहा जाता है कि वहाँ के जो एस० पी० हैं वे एन्टी हिन्दू हैं और वह हमारा जलूस नहीं निकलने देंगे। यहां हिन्दुओं को कुचला जा रहा है। यह सारी बातें उसमें थीं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि आपकी इन्टेलिजेंस ने, सी० आई० डी० उसकी आपको इत्तिला नहीं दी कि इस तरह का वहां पेम्फलेट निकला है। हमारे मुल्क में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो ऐसी फिजा फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं कि कहां कितने लोग मर गए।

आपकी जनता पार्टी के एक एम० एल० ए० ने, जब डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज ने इस जलूस क निकलने की इजाजत नहीं दी तो बिहार सरकार के एक मिनिस्टर हैं श्री शंकर टेकरीवाल, उन पर पोलिटिकल प्रेशर डाला और उन मिनिस्टर साहब ने डिस्ट्रिक्ट अथारिटीज को यह जलुस निकालने की इजाजत देने के लिए मजबूर किया। फिर इस जलूस को 11 अप्रैल को निकालने की इजाजत दी गयी। (व्यवधान)

उस जलूस को लीड कर रहे थे श्री दीनानाथ पाण्डे जो कि आर० एस० एस० के एम० एल० ए० हैं। (व्यवधान) मैंने गलती की है, वे जनसंघ के एम० एल० ए० हैं। जनता पार्टी में जनसंघ भी शामिल है जो कि मजलूम इन्सानों का कत्लेआम करता है। यह बात मैं महसूस करती हूं कि वे जनसंघ के एम० एल० ए० हैं। लेकिन जनसंघ में लोग आर० एस० एस० से ट्रेनिंग ले कर आते हैं। उसके कैम्पों में जब उन पर ठप्पा लग जाता है तब वे जनसंघ में आते हैं। जनसंघ के सभी लोगों की ट्रेनिंग वहीं पर होती है। उन्हीं की वजह से आज सारे मुल्क में यह हो रहा है।

मैं अपनी कांस्टीच्युएन्सी की बात आपको बताती हूं जहां कि मैं घूम कर आयी हूं। आपको अन्दाजा हो जाना चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे यहां एक छोटा-सा मन्दिर बना है और उस इलाके में बना है जहां कि मुस्लिम पापुलेशन ज्यादा है। नौमी के दिन वहां पर एक गोश्त का टुकड़ा डाल दिया गया जिस पर कि उर्दू में बड़ी प्रवोकेटिव भाषा में लिखा हुआ था। वह भाषा

[श्रीमती मोहसिना किदवई]

ऐसी थी कि जिससे कि हिन्दू, मुसलमान अपने होशोहवास में न रहें और वहां झगड़ा फसाद हो लेकिन वहां के लोगों ने मिलजुल कर इस बात की कोशिश की कि ऐसा न हो और वहां की पुलिस ने भी जल्दी से एक्सन लिया। जिसने वह गोश्त का टुकड़ा फेंका था वह पक्का मुस्लिम था।

इनका कोई मजहब या धर्म नहीं होता, ये न हिन्दू होते हैं और न मुसलमान होते हैं, ये इंसानियत के खून के प्यासे होते हैं, इंसान के खून के प्यासे होते हैं, ये इस मुल्क के नैशनल इंटैग्रेशन को खत्म करना चाहते हैं, बेसिक कंसैप्ट जी सैक्यूलरिज्म का है, उसको खत्म करना चाहते हैं और फिर से मुल्क को बरबादी के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। मैं यह नहीं कहती कि हम लोगों में बल्कि आप में से भी बहुत से लोगों ने मिल कर इस मुल्क को एक गुलशन की हैसियत दी थी और इसको आप बरबाद न होने दे। अलीगढ़ में जो कुछ हुआ क्या वह मामूली वाकया था ?

पैम्फलेट में जो लिखा हुआ है कि पुलिस और बिहार मिलेटरी पुलिस हमारा साथ देती है, हमारे साथ हमदर्दी करती है और अगर आप गए होंगे तो आपको भी लोगों ने यह बात कही होगी और इसकी भी जांच होनी चाहिए। लोगों ने बताया हमें किसी हिन्दू ने नहीं मारा है, हमको बिहार पुलिस ने मारा है, बिहार मिलेटरी पुलिस ने मारा है। अलीगढ़ में भी लोगों ने कहा था कि हमको पी० ए० सी० के लोगों ने मारा है। कानपुर में भी लोगों ने यही कहा था कि हमको पी० ए० सी० वालों ने मारा है, बनारस में भी यही कहा था कि हमारी दुकानों को पी० ए० सी० वालों ने आग लगाई है। मैं कहना चाहती हूं कि आप सी० बी० आई० से इस सब की जांच करवाएँ और पता लगवाएं कि जो फोर्स आप डिप्लाए करते हैं रायट एफैक्टिड एरियाज में उस फोर्स के लोग कौन होते हैं, मिलेटरी और पी० ए० सी० और पुलिस के लोग होते हैं या वे होते हैं जिन्होंने उनकी वर्दियां पहन रखी होती है और जो दूसरे लोग होते हैं।

अलीगढ़ में रायट्स हुए तो उसमें वहीं आर०एस०एस० के लोग बहुत से पकडे गए पी०ए०सी० की वर्दी में। आज आपको इस बात पर यकीन नहीं आएगा लेकिन आगे चलकर आपको इस बात पर जरूर यकीन आ जाएगा।

यह कहा गया है कि तीन दिन का कैम्प आर० एस० एस० का हुआ। उसमें खासतौर से रामनवमी की बात कही गई। यह कहा गया कि हमें जलूस यहाँ की डिस्ट्रिक्ट आथोरिटीज निकालने नहीं दे रही है। जो आर० एस० एस० के या जनसंघ के एम० एल० ए० उस जलूस को लीड कर रहे थे, में होम मिनिस्टर से पूछना चाहती हूं कि उनको पकड़ा क्यों नहीं गया, क्यों उनको बन्द नहीं किया गया ? आप खुद कहते हैं कि वह जलूस में शामिल थे और उन्होंने वहां जलूस को रोका। वहां रोकने का सवाल क्या था ? दो-चार दिन पहले भी जब पुलिस वालों ने देखा कि जइाजत देनी पड़ेगी, तो एक दिन पहले उन्होंने वहां बहुत-सी गिरफ्तारियां कीं और उसमें सुदेश प्रभाकर जो आर० एस० एस० के संचालक हैं उनको भी पकड़ा और उन्होंने जो बात वहां पर मजिस्ट्रेट के सामने जो उनको पकड़ने के लिए गये थे कहीं वह आपको स्टिफन साहब बताएंगे, सुनाएंगे। मैं उसको सुनाना नहीं चाहती हूं क्योंकि वक्त कम है। मैं दो-तीन बातें ही आखिर में कहना चाहती हूं।

मिनिस्टर साहब ने कहा है कि नुकसान कितना हुआ है इसका पता लगाने के लिए उनको वक्त चाहिए। लेकिन कितने लोग बेघर हो गये हैं और कितने रिलीफ कैम्प्स में हैं यह जानकारी तो उनको देनी चाहिये। यह भी उन्होंने नहीं दी है उन्होंने हमें स्टेटमेंट की कापियां भी नहीं दी हैं। ताकि हमें

पता चलता कि वाकयात क्या है। जो उन्होंने पढ़ कर सुनाया उतना ही हमें मालूम हो सका है।

मैं यह भी मांग करती हूं कि पूरी सी० बी० आई० की इनक्वायरी होनी चाहिए और पता लगाया जाना चाहिए कि पेम्फलेट किसने लिखा, किसने निकाला और सात तारीख को बांटा गया तो इसका नोटिस क्यों नहीं लिया गया। इसकी पूरी इनक्वायरी होनी चाहिए कि पी०ए०सी०या बिहार मिलेटरी पुलिस के कौन लोग थे जिन्होंने जुल्म किया और जिन्होंने जुल्म किया उनके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं।

तीसरी बात यह है कि इस तरह की जो फार्सिस हैं उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है। जो सरकार में है और बाहर भी है सरकार को चाहिये कि उनको इकट्ठा करके, उनको एक जगह बिठाकर, उनको कोई रास्ता निकलने के लिए कहे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो यह मुल्क बड़ी खतरनाक हदों को छुये बगैर नहीं रहेगा और छू रहा है। मुल्क में जो रिलिजस माइनोरटीज हैं उनमें एक सैंस आफ इन सिक्योरिटीप्रिवेल कर गई है। उसको निकालना किसी भी हकूमत में अकसरियत का काम होता है, उसका कर्ज होता है अक्सरियत का फर्ज होता है कि उस मुल्क की अकलियत को वह आराम से रहने दे और अकलियत में सैंस आफ सिक्योरिटी पैदा करे कहीं पर हो अकलियत अक्सरियत के रहमोकरम पर होती है जब तक अक्सरियत इस निगाह से उसकी तरफ न देखे कभी अकलियत खुश नहीं रह सकती है। ईसाई भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, सिक्ख भाई हैं, इनको आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हर एक में बेचैनी है, इंतशार है और एकदम से कहीं लावा न फुट पड़े इसका उनको डर है। अभी भी वक्त है हकूमत होश में आए। आस्तीन के जो सांप हैं उनको निकाल बाहर करें नहीं तो ये मुल्क को खत्म करके ही दम लेंगे मुल्क का जो बेसिक कंरेक्टर है, नैशनल इंटेग्रेशन है कौमी यहजहती है, उस बेसिक कसेप्ट को ये खत्म करना चाहते हैं। आज भी वक्त है कि आप होश में आए और इनसे किनाराकशी करें और जब तक आप इनसे किनाराकशी नहीं करते हैं मैं समझती हूं कि आप अपनी मंजिल को पा नहीं सकते हैं।

और आखिर में एक शेर आपके लिए अर्ज करना चाहती हूं शायद आपकी आंखें खुल सकें :

राह रऊ रहबरे मंजिल को तो देख,
अखतल की तरफ राह बदलता सा लगे है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आजादी के इतने सालों के बाद भी आज हमारे देश में साम्प्रदायिक दंगे होते रहते हैं, और यह साम्प्रदायिक दंगे हमारे देश के हर हिस्से में हो रहे हैं। किसी विशेष पार्टी के व्यक्ति को इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरना कि उसने ही ऐसा किया है यह बहुत मुनासिब बात नहीं है। मैं यह बात साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी जो बराबर इस बात के लिये लगे रहे और अपनी कुर-बानी भी दे दी कि हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई की तरह, इन्सान की तरह देश में रहें, उसके बावजूद भी आज हमारे देश के तमाम लोग कन्युनल रायट्स कराते हैं, और इसलिए कराते हैं कि उनसे उनका कुछ राजनीतिक हित और स्वार्थ सिद्ध होने को होता है। तमाम रिपोर्ट्स अखबारों में आयीं, किसी ने कांग्रेस (आई) को जिम्मेदारा ठहराया, किसी ने आर० एस० एस० को जिम्मेदार ठहराया, और किसी ने किसी को जिम्मेदार ठहराया। इस तरह से तरह-तरह के लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन इस में जो भी व्यक्ति जिम्मेदार हैं मैं तो चाहूंगा कि इसकी जाँच हो और मुझे

[श्री हरिकेश बहादुर]

उम्मीद है कि हमारी सरकार इस कार्य को करने में कुछ उठा नहीं रखेगी, न्यायसंगत तरीके से पूरे मामले की जांच होगी और इन दंगों के लिए जिम्मेदार सभी अपराधियों को कठोरतम दंड दिया जायेगा।

अभी श्रीमती मोहसिना किदवई कह रही थीं कि अलीगढ़ में दंगे हुए, जमशेदपुर में दंगे हुए। जमशेदपुर में जो हुआ दर्दनाक बात है, लेकिन उनकी बात से साफ जाहिर था कि किसी एक दल को जिनकी की सरकार है उसे जिम्मेदार ठहराना चाहती थीं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि यह दुर्घटनायें चाहे जहां भी हो रही हों, चाहे अलीगढ़ हो या जमशेदपुर हो या हैदराबाद हो, जहां कहीं हो रही हैं इनकी तीव्र निन्दा करनी चाहिए और सख्ती के साथ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए जो कम्युनल रायट्स कराते हैं। हैदराबाद में क्या हुआ, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं, एक तिलमिलाने वाली घटना घटी थी। एक मुसलमान के सामने, पत्नी को पति के सामने रेप किया गया और बाद में पत्नी के सामने पति की हत्या कर दी गई। अगर इस तरह की दर्दनाक घटनायें हुई हैं तो उनको भी याद करना पड़ेगा, और अगर इसी प्रकार की घटनायें होती हैं तो हमें निन्दा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमको पूरा तैयार होना पड़ेगा कि अगर इस देश को गांधी के स्वप्नों का भारत बनाना है, अगर यहां पर साम्प्रादायिक सद्भाव स्थापित करना है तो हों सभी प्रकार के राजतीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर देश में साम्प्रदायिक सद्भाव स्थापित करना होगा। अगर आप यह महसूस करते हैं कि किसी दूसरे पर आरोप लगाकर, या हम आप पर आरोप लगाकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते है, , तो यह गलफहमी है, हम देश के साथ गद्दारी करेंगे। अगर सम ऐसा काम करेंगे तो हम अपने कर्त्तव्यों के प्रति सझग नहीं माने जायेंगे। हम सबको इस प्रकार की घटनाओं की तीव्र निन्दा करनी चाहिए। और इसके खिलाफ जीवन भर संघर्ष करें और कुरवानी के लिए भी हों और आपको तैयार होना पड़ेगा।

जमशेदपुर में काफी लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। हम यहां चाहे जितने भी इस पर आंसू बहायें, हम महसूस करते हैं कि वहां पर प्रशासन ने अपनी जिम्मेदारी को ठीक ढंग से निभाया नहीं। जब इस बात की पहले से ही जानकारी हो रही थी कि कुछ लोग किसी प्रोसेसन को निकालने में अवरोध उत्पन्न करेंगे, या कुछ लोग जबर्दस्ती प्रोसेसन निकालना चाहते हैं, और इससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो प्रशासन को उससे सख्ती से निपटना चाहिए था। लेकिन लगता है कि इसमें कुछ कमी रही है। जब इस पूरे मामले की जाँच होगी, तो सब बातें सामने आ जायेंगी।

धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, वह वास्तव में धर्म की अवहेलना की जा रही है। जो लोग धर्म को सबसे कम समझते हैं अथवा बिल्कुल ही नहीं समझते हैं, वही धर्म के नाम पर हिंसा करते हैं। धार्मिक कट्टरता अथवा धर्मांधता के कारण हिंसा करना धर्म पर एक भीषण अत्याचार है। ऐसे लोग धर्म का पालन नहीं करते बल्कि उसका शोषण करते है, और धर्म के साथ अधर्म करते हैं। हमें इन भावनाओं को अपने मनों में स्थान देना पड़ेगा, और उनका प्रचार करना पड़ेगा। केवल कुछ सियासी लाभ, राजनैतिक लाभ के लिए इधर-उधर जाकर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने से देश में कभी साम्प्रदायिक सद्भाव नहीं हो सकता है, और जो दंगे आज हो रहे हैं वे समाप्त नहीं हो हो सकते हैं।

हममें से प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि आम हिन्दू आम मुसलमान और आम सिख तथा

ईसाई सभी शान्तप्रिय हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहते हैं। आज सुर्फुद्दीन नाम के एक व्यक्ति का स्टेटमेन्ट निकला है, जो तीस साल का एक नौजवान है मेरे जैसा। उसने दस करोड़ रुपये की सरकारी सम्पत्ति की अपनी जान हथेली पर रख कर रक्षा की। यह सरकारी सम्पत्ति एक हिन्दू के घर रखी हुई थी। जब माव उसको डेस्ट्राय, बर्वाद, करने के लिए आया, तो उसने उन लोगों को रोका। वहां झगड़ा भी हुआ, मगर फिर भी उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाया।

ऐसे व्यक्ति के प्रति हम सब के मन में सम्मान होना चाहिए और ऐसे लोगों को सभी प्रकार से पुरस्कृत करना चाहिए और इनाम देना चाहिए, जो साम्प्रदायिक सद्भाव और एकता के लिए, सम्पत्ति को बर्वादी से बचाने के लिए, जन-धन की रक्षा के लिए कुरबानी देने के लिए सामने आते हैं। हमें ऐसे लोगों को अवश्य इनाम देना चाहिए और उनकी सराहना करनी चाहिए।

जो कुछ भी वहां हुआ है, मैं विश्वास करता हूं कि सरकार उसकी जांच करेगी और दोषी लोगों को दंड देगी। मैं सुझाव के तौर पर कुछ बातें कहना चाहता हूं।

जैसा कि मैंने सुर्फुद्दीन के बारे में कहा है, जो लोग जन-धन की रक्षा के लिए इस प्रकार का कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए।

सभी वर्गों के प्रतिनिधियों की मिली जुली शान्ति समितियां बनानी चाहिए जो साम्प्रदायिक सद्भाव आपसी एकता और सौहार्द के वातावरण का निर्माण कर सकें।

जहां पर भी इस तरह से कम्युनल रायट होता है और साम्प्रदायिक सद्भाव को तोड़ने की चेष्टा की जाती है, वहां सामूहिक जुर्माने की पद्धति लागू करनी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो इसके लिए संसद में कानून पास करना चाहिए।

पुलिस फोर्स को रीआर्गजन करने को बहुत आवश्यकता है। जब कोई दंगा होता है, कोई इस तरह का आक्रमण होता है, कोई इस प्रकार का झगड़ा होता है, तो पुलिस लोग भी उसमें इनवाल्व होते हैं, चाहे यू० पी० में पी० ए० सी० हो, बिहार में बिहार मिलिटरी पुलिस हो, हैदराबाद में भी ऐसा कोई संगठन होगा। इस लिए पुलिस फोर्स को रीआर्गनाइज किया जाये और माइनारिटीज के लोगों को उनमें से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाये, ताकि उनकी रक्षा की जा सके।

इस पूरे मामले की जांच कर के अपराधियों को कड़ा दण्ड देना चाहिए। अलीगढ़ में जो कुछ हुआ, उसकी जांच हो जुकी है। लेकिन मुझे पता नहीं कि उसके बारे में क्या कार्यवाही की गई। जोरहाट में एक कांड हुआ—प्रधान मंत्री जी का हवाई जहाज गिर पड़ा। कहा गया था कि उसकी जांच होगी। मुझे पता नहीं चल पाया कि क्या उसकी जांच हुई और कौन लोग उसमें दोषी पाये गए। कहा जाता है कि उस एयरपोर्ट पर 7 बजे के बाद हवाई जहाज नहीं उतारना चाहिए। लेकिन वह प्रधान मंत्री जी का हवाई जहाज था। पन्द्रह दिनों में उसकी जांच होनी चाहिए थी और अपराधियों को दण्डित किया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

कम्युनल रायट या दूसरी घटनाओं के बारे में जांच समितियां बन जाती हैं, मगर उनकी जांच की रिपोर्ट बहुत देर से आती है। इसलिए जो कोई भी सीरियस घटना हो, जमशेदपुर, अलीगढ़ या हैदराबाद का काँड हो, या कोई ट्रेन एक्सिडेंट हो, उसके बारे में जो जांच समिति बनाई जाए, उसकी रिपोर्ट फौरन आनी चाहिए और उसके अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए।

पुलिस स्ट्रासिटीज की भी जांच होनी चाहिए। यह पता लगाना चाहिए कि क्या उसने कोई अत्याचार किए हैं। जांच के बाद पुलिस के जो लोग दोषी पाए जायें, उन्हें दण्डित किया जाना चाहिए।

अगर इन दंगों के पीछे कोई आर्थिक कारण हो, कोई अन्य कारण हो, या कोई लोकल प्राबलम हो, तो उसकी डीप्ली स्टडी करना चाहिए और उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फायर ब्रिगेड की तरह, जब आग लगी, तो उसको बुझा दिया, और बाद में उस की तरफ कोई ध्यान न दिया।

जो एन्टी-सोशल एलिमेंटस साम्प्रदायिक सदभाव और साम्प्रदायिक एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हर जगह उनकी एक लिस्ट बननी चाहिए। जब कभी भी तनाब की स्थिति उत्पन्न हो, तो ऐसे लोगों को पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

[श्री हरिकेश बहादुर]

क्योंकि इसके लिए कानून है।···(व्यवधान)·····

उनकी जरूर गिरफ्तारी करनी चाहिए, वह चाहे आर० एस० एस० के हों चाहे उनके दल के हों, किसी भी दल के हों, उनको सब को गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं

श्री विजय कुमार मलहोत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जमशेदपुर में जो घटना हुई है वह बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही हृदय विदारक है। इस घटना से मानवता लज्जित हुई है, इंसानियत बहुत नीचे गिरी है। मैं पूरे जोर के साथ इसकी निन्दा करना चाहता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि वहाँ पर मरने वाला हर इंसान एक हिन्दुस्तानी है, वहाँ पर जिसकी भी हत्या हुई है, जिसकी भी मौत हुई है वह एक हिन्दुस्तानी है और हिन्दुस्तानी का खून वहाँ पर गिरा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस कांड से हमें जरूर इस बात को देखना चाहिए कि हिन्दुस्तान के अंदर इस तरह की गलत बातें आगे न हों। इस कांड के अंदर जो बातें सामने आई हैं उनसे मालूम पड़ता है कि एक प्रोसेशन को लेकर बात शुरू हुई। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि ऐसे प्रोसेशन जिनसे साम्प्रदायिक दंगे हो सकें, उनके बारे में विचार करना चाहिए कि उनको निकलने दिया जाए या न निकलने दिया जाए। हालांकि यह बात सिद्ध हो चुकी है एक कोर्ट की जजमेंट से कि प्रोसेशन निकालना एक मौलिक अधिकार है। लेकिन जो प्रोसेशन या धार्मिक जुलूस आगे जाकर किसी जगह पर साम्प्रदायिक दंगे में परिवर्तित होता है उसके बारे में काफी देशव्यापी तौर पर विचार होना चाहिए।

दिल्ली के अंदर आप देखते हैं कि यहाँ पर राम नवमी का जुलूस हो या रामलीला का जुलूस हो, वह सारी मस्जिदों के आगे से गुजरता है। इसी तरह हजरत पैगम्बर साहब का जन्म दिन जिस दिन मनाया गया, उनके जुलूस का सारे मन्दिरों ने और गुरुद्वारों ने स्वागत किया। यहाँ पर उनके साथ मिलकर के प्यार और मोहब्बत के साथ यह सारी स्थिति चली। यह हालत सारे देश में क्यों नहीं हो सकती है ? जहाँ एक धर्म की मेजोरिटी है वहाँ दूसरे धर्म का जुलूस ही नहीं निकल सकता है, यह स्थिति कोई अच्छी स्थिति नहीं है।

मैं इस मौके पर यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले अनेक दंगे हुए। भिवंडी में दंगा हुआ, सम्भल के अंदर दंगा हुआ, अलीगढ़ के अंदर दंगा हुआ, अहमदाबाद में हुआ और बड़े-बड़े कमीशन बैठाए गए। उस कमीशन ने बड़ी-बड़ी रिपोर्टें दीं। परन्तु आज तक एक भी रिपोर्ट के ऊपर पूरी तरह से अमल करने का काम नहीं हुआ। उन रिपोर्टों के मुताबिक यदि कार्यवाही की जाय तो शायद आगे दंगे होने की संभावना कम हो सकती है।

परन्तु मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि इन दंगों से सबक लेकर इनको आगे रोकने के बजाय वह इन दंगों का राजनैतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मेरी बहन किदवई ने यहां पर कुछ कहा, वहाँ लोगों ने होम मिनिस्टर से भी यह कहा कि हमें किसी हिन्दू ने नहीं मारा, हमें पुलिस ने मारा उसके पहले वह कहती हैं कि नहीं, इसमें आर० एस० एस० का हाथ है। अगर पुलिस ने मारा, किसी हिन्दू ने नहीं मारा तो आर० एस० एस० का हाथ उसमें कहाँ से आ सकता है ? कितना कंट्रैडिक्शन है उनकी बात में। परन्तु कुछ लोग हैं जिनको इस बात से खुशी होती है, अगर कहीं पर दंगे हों तो उनके मन के अंदर, दिल के

अंदर मानो बड़ी खुशी की लहर दौड़ती है कि आ गया मौका, अब हम आर० एस० एस० को गाली दे सकते हैं। लोगों की लाशों के ऊपर गिद्धों की तरह बैठकर और गिद्धों की तरह नोच-नोच कर खाने वाले लोग जो अपने राजनैतिक स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए इन दंगों का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं, मेरा कहना है कि उनसे ज्यादा गिरा हुआ इंसान नहीं हो सकता जो बजाय इस बात के अन्दर जाने के कि दंगे कैसे रोके जाएं, सिर्फ उसमें से राजनैतिक उल्लू सीधा करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा ही दंगों के अंदर आर० एस० एस० का हाथ रहा है। अहमदाबाद के अंदर दंगा हुआ। उन्होंने इसी तरह के चार्जेज लगाए और सारे चार्जेज के अंदर इसी बात को दोहराया गया कि आर० एस० एस० का हाथ है। इसके बाद वहाँ कमीशन बैठा जिसके अंदर जगमोहन रेड्डी थे, जिसके अंदर जस्टिस अकबर थे और एक और जस्टिस, तीन जस्टिस उस के अंदर थे और तीनों ने मिलकर यूनानिमस रिपोर्ट में कहा है कि यह चार्ज बिलकुल बेबुनियाद और बिलकुल गलत है। इसके अंदर किसी आर० एस० एस० का कोई हाथ नहीं था और न आर० एस० एस० की वहाँ पर जो मीटिंग हुई थी उसका कोई जिक्र उसमें आया। यही बात भिवंडी के बारे में कही गई। इसके बाद तीसरे कमीशन की रिपोर्ट में भी यही बात कही गई। परन्तु कोई मौका मिलना चाहिए।

मैं इसके अंदर के वाकयात का जिक्र नहीं करना चाहता, सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जमशेदपुर में उस दिन क्या हुआ। पहले दिन होम मिनिस्टर साहब का बयान था, वहाँ के चीफ मिनिस्टर का बयान आया था और उसके अंदर जो डा० अखौरी और कालकानन्दन सिंह हैं वह किस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं ? डा० अखौरी कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और कालकानन्दन सिंह जी हैं उनका ताल्लुक कम्यूनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी से है। ये दोनों आदमी वहाँ पर जुलूस को जो आगे जा रहा था, उस को आगे जाकर रोक दिया जाय, इसकी कोशिश करते रहे और जिस जनता पार्टी के विधायक का जिक्र कर रहे हैं उसने बार-बार लोगों से यह कहा कि यहाँ पर जुलूस आगे बढ़ना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी झंडे का संकल्प करता है वही झंडे का विसर्जन भी करे।

झगड़ा इस बात पर हो रहा था कि हनुमान मन्दिर का जो पुजारी है उसने झंडे का संकल्प किया था और उसका विसर्जन उसको करना चाहिए था लेकिन बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और धार्मिक तौर पर वह विसर्जन नहीं कर सकता था। इसीलिए मांग उठाई गई कि पहले उसको रिहा किया जाए। परन्तु जनता विधायक ने कहा कि यह जरूरी नहीं है, उसको रिहा किए बिना जुलूस आगे ले जाया जाए। उसमें मुसलमान सदस्य भी शामिल थे जो उनके साथ जा रहे थे। परन्तु जुलूस को रोक दिया गया और जुलूस को रोकने के बाद मस्जिद के पास से उसके ऊपर पत्थर गिराए और उसके ऊपर बम गिरा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि बाद की जो घटनाएं हुईं वह बहुत शर्मनाक और निन्दनीय हैं। किसी को भी किसी के ऊपर हाथ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु क्या यह सत्य नहीं है, यह कहते हैं कि वहाँ पर हिन्दुओं ने प्लान करके हत्याकाण्ड किया, वहाँ पर पहले दिन जो लोग घायल होकर अस्पताल में गए उनमें 56 में से 45 हिन्दू थे और मरने वालों में पहले दिन 9 आदमी हिन्दू थे ? क्या पहले दिन

[श्री विजय कुमार मलहोत्रा]

हिन्दुओं ने संकल्प करके हिन्दुओं की हत्या की और उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि इस तरह की घटना की जाए ? जिस तरह से बात को रखा जा रहा है, मैंने पहले कहा···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको उन्हें बोलने से रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब तक यह असंसदीय नहीं है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

श्री सौगत राय : महोदय, क्या यह साम्प्रदायिक प्रचार है ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक यह असंसदीय नहीं है, मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : मैं कहना चाहता था कि जिस आदमी ने वहाँ पर अस्पताल को जाती हुई वान पर हमला किया····· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य यह बात ध्यान में रखेंगे कि हमारा विचार स्थिति को शांत करना, सुरक्षित करना है। आपको या तो सभा के अन्दर या सभा के बाहर स्थिति भड़कानी नहीं चाहिये या आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये जिससे स्थिति भड़के।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि जिस किसी ने मुसलमान पर हाथ उठाया या जिसने एम्बुलेंस गाड़ी पर बम गिराया वह इन्सान नहीं था, उससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता—उसको भी हम कन्डेम करना चाहते हैं लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो तरीका है दुनिया भर में···**(व्यवधान)** आप देखें कि कहीं भी कोई मर्डर होता है तो उसका मोटिव देखा जाता है कि किसका क्या मोटिव था। कौन लोग हैं जो हिन्दुस्तान में दंगा कराना चाहते हैं ? मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर जमशेदपुर में सी० पी० एम० के जो लोग हैं और कांग्रेस (आई) के जो लोग हैं···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप उन्हें बोलने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं।

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : तीनों की मंशा क्या है ; कांग्रेस (आई) का एक ही तरीका है कि सारे देश में रायट्स हो जायें, खूनखराबा हो जाए तो बाद में किसी तरीके से वे वापिस आने की बात सोच सकते हैं। मैं होम मिनिस्टर साहब को सावधान करना चाहता हूं, इस साजिश को वे जरूर देखें कि वे लोग इस तरीके से सारे देश में आग फैलाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, चाहे शिया-सुन्नियों का झगड़ा हो जाए, हरिजन-सवर्ण का झगड़ा हो जाए या कोई दूसरा झगड़ा हो जाए, उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कांग्रेस (आई) की चाल है—इस बात को भी देखना चाहिए। मैं अपोजीशन के लोगों से भी यह रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि यह जो इस तरह की हवा फैल रही है कि हिन्दुस्तान में माइनारीटिज का कत्लेआम हो रहा है, माइनारिटीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है—यह भी एक प्री-प्लान्ड बात है। इसके द्वारा वे सारी दुनिया में साबित करना चाहते हैं···**(व्यवधान)** आप श्रीमती गांधी के समय के रायट्स और इस समय के रायट्स की स्थिति को देखें। आप इस बात को भी देखें···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल अपील कर सकता हूं उससे अधिक नहीं। मैं जानता हूं कि दोनों ओर से उग्र भाषण दिये जा रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप चाहते हैं कि इसे अन्तर्राष्ट्रीय पाठकों द्वारा पढ़ा जाये··· **(व्यवधान)**

श्री विजय कुमार मलहोत्रा : अध्यक्ष महोदय, होम मिनिस्टर साहब इस बात को भी देखें—क्या इस बात का ताल्लुक इससे तो नहीं हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बंगला देश जा रहे थे, बंगला देश में उनकी बातचीत होने वाली थी, इसलिये बगला देश जाने से पहले कांग्रेस (आई) के लोगों ने इस तरह की बात की कि वहाँ पर दगे हो जायं और प्राइम मिनिस्टर जिस मकसद से जा रहे हैं उसमें कोई रुकावट डाली जा सके।

हमारे दोस्त जो कह रहे हैं, उनकी इस बात को छोड़कर हमें यह देखना चाहिये कि दंगे रोके कैसे जा सकते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार तमाम पार्टियों के लोगों को बैठा कर, उसकी नेशनल इन्टीग्रेशन कौन्सिल को रिवाइव करके, इस बात को देखा जाय और और हिन्दुस्तान में एक नेशनल-मेन-स्ट्रीम में सब को लाने की कोशिश की जाय। चाहे जिन्ना की टू-नेशन-थ्योरी हो या इनकी मल्टी-नेशनल थ्योरी हो—इनके बजाय सब लोगों को एक नेशन, एक राष्ट्र के आधार पर एक मेन-स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाय··· **(व्यवधान)** ××

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित न करें।

श्री अहसान जाफरी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय ने जगमोहन रेड्डी आयोग के प्रतिवेदन को गलत ढंग से उद्धृत किया है कि आयोग ने बताया है कि वे पार्टियां वहां थीं। इसके विपरीत प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि दंगों के दिनों में जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की थी···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है परन्तु शुद्धि करने वाला प्रश्न है। निदेश 115 के अधीन मैं इस मामले की जाँच करूंगा। मैंने प्रतिवेदन पढ़ा नहीं है।

श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी (अनन्तनाग) : स्पीकर साहब, यह लोक सभा की बदकिस्मती रही है कि हर सेशन में हमें फिरकेवाराना फिसादात पर बहस करनी पड़ती है। यहां प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं—हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट कोई कल्चरल फोरम नहीं है और खुद प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का ऐतराफ किया है कि आर० एस० एस० एक कल्चरल फोरम है, पोलिटीकल पार्टी नहीं है, लेकिन अब सबूत देने की जरूरत नहीं है, ज्योंही यहां आर० एस० एस० का नाम लिया जाता है—ये जो उसको कल्चरल आर्गेनिज़ेशन कहते हैं···**(व्यवधान)** वे वहां से खड़े हो जाते हैं। क्या इससे बढ़ कर कोई और सुबूत चाहिये कि आ० एस० एस० पोलिटीकल आर्गेनिज़ेशन है और हिन्दुस्तान की पार्लियामेन्ट में मौजूद है और हिन्दुस्तान में ज़हर फैला रही है।

मुझे अफसोस है—विजय कुमार मलहोत्रा ने कहा—राष्ट्रीयकरण की वही थ्योरी कि सब को एक होना चाहिये—इसी थ्योरी ने हिन्दुस्तान को बरवाद किया है···**(व्यवधान)**···

××कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मो० शफी कुरेशी]

एक विजय कुमार मलहोत्रा, जो लाहौर में पैदा हुए, एक एडवानी जो कराची में पैदा हुए, वह हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी बन सकते हैं, लेकिन जो मजलूम बिहार में पैदा हुआ, जिसके आबाओ-इजदाद वहीं मरे, उसको कहें कि वह सैकेण्ड-क्लास सिटिजन है—यह इन्साफ नहीं है, यह जुल्म है। इसी किस्म के जहर ने हिन्दुस्तान की फिजा को खराब किया है। आपको तो मशहूर होना चाहिए कि हिन्दुस्तान की सर-जमी ने आपको पनाह दी, आप अपनी जान बचाकर पाकिस्तान से आए. देश को बचाने के लिए पाकिस्तान से नहीं आए···(**व्यवधान**)···

स्पीकर साहब, मुझे कहना तो बहुत कुछ है। लेकिन आज मैं एक अखबार के एडीटोरियल को पढ़ रहा था। शायद उसके पढ़ने से मेरे भाइयों को समझ आये। वह यह कहता है—

"जमशेदपुर और नवाही इलाकों में 104 अशखास मौत से हम आगोश हो चुके हैं। आखिर ये इसी धरती के लाल थे, जिनका खून बहा। इनका कुसूर था तो सिर्फ यह कि इन्होंने इस सरजमीं पर जन्म लिया। इनकी खता थी तो यह कि इनकी कोई खता न थी। आह, कौन बतायेगा कि इनमें से कितने पुलिस की गोलियों का निशान बने, कितने फिसादियों की जारहयत का शिकार हुए। वह जो भी थे—हिन्दू थे, मुसलमान थे —मगर आखिर इसी मुल्क के रहने वाले थे।

इन्होंने इस मुल्क को अपना समझा था। इस मुल्क के बनाने और संवारने में इनका हाथ रहा होगा। इन्होंने खुद या इनके आबाअजदाद ने इस मुल्क को आजाद कराने में कुर्बानियां दी होंगी। मगर वाहसरता महात्मा बुद्ध की जन्मभूमि पर इन्हें बेदर्दी से हलाक कर दिया गया। वह अदमतशद्दुद के सब से बड़े अलमबरदार की सरजमीन पर तशद्दुद का शिकार हो गये। जीव-हत्या के मुखालिफ महावीर जी के जन्म स्थान पर इनकी हत्या कर दी गई। जिस सरजमीन से महात्मा गाँधी ने अपनी अदम तशददुद पर मबनी पहली तहरीक का आगाज किया था, वहाँ तशददुद का वह मजाहिरा हुआ कि आसमान कांप उठा होगा और धरती लरज गई होगी। जिस सरजमीन को आजाद कराने के लिए राजेन्द्र प्रसाद और मजहरुलहक ने, जगजीवन राम, श्रीकृष्ण सिन्हा, अली इमाम, डाक्टर सईद मोहम्मद और अबुमल मोहसिन मौलाना सजाद बिहारी ने शाना-व-शाना जद्दो-जहद और कुर्बानियां दी थीं, आजादी के बाद इस सरजमीन के सपूतों का आए दिन खून बहाया जा रहा है। जिस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए जय प्रकाश ने आन्दोलन किया था और बगावत का आलम बुलन्द किया था, आज वहाँ पर बेगुनाहों को मारा जाता है। मैं समझता हूं कि अगर हम इस तरीके से ये जो फसादात होते हैं, इन पर गौर करें, तो शायद इसी नतीजे पर पहुँच सकते हैं लेकिन गैर जजबात की रू में बह कर पोलीटीकल फायदा उठाने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूं कि किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते।

कई माननीय सदस्य : आप क्या कह रहे हैं ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : मैं वाकयात बयान कर रहा हूं। जमशेदपुर में जो खूनी ड्रामा खेला गया, तमाम अखबारों के जिनकी कटिंग्स मेरे पास मौजूद हैं उन्होंने कहा है कि यह सोची-समझी तहरीक और साजिश के तहत किया गया है और इसमें काफी पहले से तैयारी थी। इसको फसाद का नाम देना ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं कि यह फसाद नहीं था बल्कि कत्लेआम करने के लिए पहले से एक तहरीक बनाई गई थी।

अब इसका जो पैटर्न है, इस फसादात को शुरू करने का जो तरीका है, आप यह देखेंगे कि यह बिल्कुल बदला नहीं है। कुछ रोज पहले आर० एस० एस० के सीनियर लोग वहां जाते हैं, कैम्प लगाते हैं कालेजों में जा कर, इंस्टीट्यूशन्स में जा कर, और 8 दिन के बाद जब जुलूस निकालना होता है, तो बहाना किया जाता हैं कि जुलूस जो है वह मस्जिद के करीब से निकले और मस्जिद से बम निकला और इस पर फसाद हुआ। मैं पूछता हूं कि जब 20,000 लोगों का जुलूस निकलता है या 10,000 लोगों का जुलूस निकलता है, तो क्या वे बेवकूफ लोग हैं, मस्जिद में जो 200 या 100 आदमी हैं वे क्या अपने को हलाक करने के लिए इतने बड़े जुलूस पर हमला कर सकते हैं ? यह नामुमकिन है। मस्जिद एक ऐसी जगह है, जिसको ही जिम्मेदारी का निशाना बनाया जाता है और बिल्कुल यही पैटर्न हर जगह, जहाँ पर फसाद हुए हैं, अपनाया गया है और इसी पैटर्न को दोहराया गया है। जमशेदपुर में जो कुछ हुआ है, उसके बारे में जो कुछ अखबारों में आया है, वह मैं बता सकता हूं। ये अखबार मेरे पास हैं। इसमें लिखा है :

"संसद सदस्यों ने सर्वनाश के बारे में वर्णन किया है कि यह पूर्वनियोजित था। यह दंगा अध्यापकों और छात्रों द्वारा विरोध के बावजूद एक स्थानीय कालेज में आर० एस० एस० द्वारा आयोजित शिविर के बाद में हुआ। सेन्ट्रल अखाड़ा समिति, जिस पर आर० एस० एस० का प्रभुत्व है, ने उत्तेजनात्मक पर्चे बांटे और पूर्ण बचाव के साथ साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काईं। एक जनता विधायक···"

—मंत्री महोदय ने इसे स्वीकार किया है।

श्री कंवरलाल गुप्त : यह समाचार-पत्र कौन सा है ?

श्री मोहम्मद शफी कुरेशी : यह 'पैट्रियट' का सम्पादकीय है। इसके आगे कहा गया है कि :

"···एक जनता विधायक तथा आर० एस० एस० के नेता ने मस्जिद के सामने रामनवमी के जुलूस को रोका और उत्तेजनात्मक भाषण दिये···"

यहाँ पर यह देखने की बात है कि जुलूस को रोका जाता है, जनता पार्टी का, आर० एस० एस० का एक एम० एल० ए० जुलूस को रोकता है और मस्जिद के करीब रोकता है और मस्जिद से जब जुलूस आगे को जाता है, तब शोर किया जाता है कि एक बम फटा है और मिनटों में ही निहत्थे, मासूमों को लूटा जाता है, कत्ल किया जाता है। तो क्या यह सोची समझी कार्यवाही नहीं है ? मैं अपनी पार्टी की तरफ से इस बात का एलान करना चाहता हूँ कि हम इस फसाद के लिए आर० एस० एस० को जिम्मेदार ठहराते हैं और आर० एस० एस० को तो आजकल बदकिस्मती से एक क्रेडीविलिटी मिली हुई है क्योंकि वे हुकूमत का साथ देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ चुका है कि मौजूदा जनता सरकार इस बात पर गौर करे कि अगर वह कम्यूनल हारमनी इस मुल्क में लाना चाहती है, तो क्या वह उसे आर० एस० एस० को साथ लेकर ला सकती है ?

आज सब से बड़ी मुश्किल हो गयी है कि अविलयत में, माइनोरिटीज में एक खौफ, दसशत, अनसरटेन्टी पैदा हो गयी है और ये चीजें तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक कि हुकूमत में आर० एस० एस० एक पोलिटिकल जमात है और वह हिन्दुस्तान के अवाम में मौजूद है। जब तक ऐसी जमात हुकूमत में रहेगी तब तक ऐसे झगड़े यह करवाती रहेगी।

[श्री मो० शफी कुरेशी]

इसके साथ-साथ मेरे पास अखबार हैं जिनमें यह कहा गया है कि यह सारी चीप्लान्ड थी। आप हिन्दुस्तान टाइम्स, स्टेट्समैन, पेट्रियट, हिन्दू किसी भी अखबार को देख लीजिए, सभी यह कहते हैं कि यह बात पूरी तैयारी के साथ, पूरी साजिश के साथ वहां की गई जिसका कि नतीजा आज हमारे सामने है।

अब इन्होंने यहां कह दिया कि चूंकि वजीरेआजम बंगला देश जा रहे थे, इसलिए उनके मिशन को नाकाम कराने के लिए यह सब खेल खेला गया। इससे बढ़कर आर० एस० एस० की जहनियत का सबूत और क्या हो सकता है ? मैं अफसोस करता हूं आर० एस० एस० की जहनियत पर। वे यह चाहते थे कि जब मोरारजी देसाई दूसरे कारोबार का, इकोनोमिक डेवलपमेंट का फैसला करने के लिए वहाँ जाएं तो वहां के लोगों को यह बता दिया जाए कि हिन्दुस्तान जहाँ दूसरी चीज़ें उन्हें दे सकता है वहाँ एक ह्यूमन स्केल्टन भी सस्ते में दे सकता है। यहाँ पर आदमी की जान सस्ते में मिल सकती है। इसकी मिसाल आपको जमशेदपुर और अलीगढ़ में देखने को मिल गई है। इस तरह की बातें करके आप हिन्दुस्तान की तौहीन करते हैं। आप हिन्दुस्तान के वकार को नीचे गिराते हैं। जो कुछ जमशेदपुर में हुआ उससे सारे हिन्दुस्तानियों का सिर शर्म से झुक गया है। हम उस जहनियत के खिलाफ हैं जो जहनियत किसी मुल्क में आग लगाती है, चाहे वह जहनियत किसी भी फिरके से ताल्लुक रखती हो।

अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि वहां घरों को लूटा गया, लोगों को लूटा गया। वहां मुसलमानों को मारा गया। बहुत से लोगों को अपनी जगह छोड़ कर दूसरी जगह पनाह लेने पर मजबूर किया गया। जब दूसरी जगह लोग पनाह लेने के लिए गये तो जो कनवोय बना था, उसमें एक वेन थी, जिसमें छोटे-छोटे बच्चे और औरतें बैठी हुई थीं। उस वेन का ड्राइवर आर० एस०एस० से ताल्लुक रखता है, उसने उस वेन को इस कनवोय से निकाल कर और सड़क पर लाकर बम से उड़ा दिया। उसमें 50 से ज्यादा मुसलमान बच्चे मारे गये। कहते हैं कि यह कांगी ने, सी०पी०एम० ने, कांग्रेस ने किया। यह जुल्म इन जुल्मियों ने किया। जब तक हम सब लोग इन जुल्मियों के खिलाफ एकजुट हो कर उनका मुकाबला नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान से यह चीज़ खत्म नहीं हो सकती है।

एक शफीउल्लाह स्टील मिल में मजदूर था। जिसका कोई कसूर नहीं था। वह सिर्फ यह जानता था कि कुछ दिन पहले आर०एस०एस० के लोगों ने आकर पोस्टर निकाला था कि अब वक्त आ चुका है, इसका बदला लिया जाएगा। उसकी बीवी को जला दिया गया। उसके पांच छोटी-छोटी मासूम लड़कियां थीं जिनमें से दो नौजवान थीं। उनके साथ रेप किया गया और तीन लड़कियां अभी तक लापता हैं। अगर इस किस्म के वाकयात इस मुल्क में होते रहे तो माइनोरिटीज क्या आप से कोई तवोक्को रख सकती है ?

जब बिहार जल रहा था तो हिन्दुस्तान के वजीरेआजम एलीफेन्ट पोलो देख रहे थे। तीन दिन के बाद हिन्दुस्तान के होम मिनिस्टर वहां जाते हैं, वापस आते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन बेबसी का आलम उनके सामने था। श्री कर्पूरी ठाकुर जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको हटाने के लिए, उनके खिलाफ साजिश करने के लिए पहले से ही आर०एस०एस० का यह निशाना था। आर०एस०एस० जानता था कि जब तक यह खूनी ड्रामा नहीं खेला जाएगा तब तक उनको

नहीं हटाया जा सकेगा। वे वहां पर खुद मजबूर थे क्योंकि उनके पास में अथारिटी नहीं थी। ऐसी सूरत में जब हम इन सारे वाकयात का मुतालबा करते हैं तो यह नतीजा सामने आता है कि यह एक सोची-समझी वेल प्लान्ड स्कीम थी जिसके तहत वहां माइनोरिटीज को कत्ल किया गया।

जनता पार्टी के एक जिम्मेवार मेम्बर श्री मधु लिमये जिनकी हम बहुत कद्र करते हैं, वे कहते हैं कि इस में आर०एस०एस० का हाथ था, आर०एस०एस० ने ये दंगे करवाये। श्री फजलुर रहमान जो एक मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अगर हिन्दुस्तान का यही होम मिनिस्टर है तो हिन्दुस्तान को खुदा बचाये। उन्होंने कहा कि ये फसादात आर०एस०एस० ने करवाये। हमारे पास सबूत मौजूद हैं। मेरे पास ऐसे लोगों के नाम मौजूद हैं जिन्होंने अपनी आंखों से देखा कि कौन-कौन आर०एस०एस० के जल्लाद और बड़े-बड़े कातिल जलूस लेकर के मुसलमानों का कत्लेआम करवाने जा रहे थे। अगर नाम चाहिये तो मेरे पास नाम हैं और मैं दे सकता हूं। श्री परमेश्वर, एम० एल० सी०, राम अवतार सिंह सालिक एम० एल० ए०, कामरेड जे० बी० सिंह, कामरेड नारायण जगन्नाथ शास्त्री, कमारेड·····(**व्यवधान**) आर० एस० एस० के वहां पर थे·····

अध्यक्ष महोदय : अच्छा है कि नाम न लें।

श्री कंवर लाल गुप्त : गलती हो गई है।

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी : देखना होगा कि किस स्कीम के तहत इन गुंडे, लफंगे, बदमाश लोगों ने इकट्ठे होकर मुसलमानों को उजाड़ दिया है। 45000 से ज्यादा लोग इस वक्त उजड़ चुके हैं। जो लोग दस तारीख को अपने-अपने घरों में अपने-अपने बाल बच्चों के साथ शान्ति से रह रहे थे : अठारह तारीख को वे अपने बाल बच्चों के साथ नहीं हैं, नीचे उनके खुदा की ज़मीन है और ऊपर खुदा का आसमान है, और उनके पास अपना सिर ढकने के लिए जगह नहीं है। अभी तक मालूम नहीं है कि सरकार ने उनके लिए क्या किया है, उनको बसाने के लिए क्या काम किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि माइनोरिटीज़ में जो कान्फिडेंस शेक हो रहा है उसको कैसे वापिस लाया जाए। एक रांची नहीं, एक जमशेदपुर नहीं बल्कि मुम्किन है इस किस्म के और भी जमशेदपुर तैयार किए जा रहे हों और इस किस्म का खूनी ड्रामा और भी जगहों पर खेला जाए। मैं वजीरे आज़म से अपील करना चाहता हूं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, चौ० चरण सिंह उनसे कहना चाहता हूं कि वक्त आ चुका है और वह खामोश बैठे नहीं रह सकते हैं, सैलाब सिर के ऊपर से जा चुका है और तारीख आपको गुनाहगार ठहराएगी क्योंकि आप जालिमों के खिलाफ और मजलूमों के हक में आवाज नहीं उठाते हैं, कातिलों को कत्ल करते हुए देखते हैं लेकिन कुछ आवाज़ नहीं उठाते हैं। जहां तक हमारी जमायत का ताल्लुक है हम इन जालिमों के खिलाफ लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे, हमारी बुनियादी पालिसी है कि हिन्दुस्तान काश्मीर से कन्याकुमारी तक तभी एक रह सकता है जबकि तमाम मजहब, तमाम दीन, तमाम अकीदों को मानने वालों को बराबरी के हक मिलें और आर० एस० एस० जो सिर निकाल रहा है, जहर फैला रहा है जब तक इसका खात्मा नहीं किया जाएगा तब तक माइनोरिटीज़ अपने आप को महफूज़ नहीं समझेंगी।

[श्री मो० शफी कुरेशी]

जमशेदपुर में जो कुछ हुआ है उससे हमें यह सबक सीखना होगा कि जहां-जहां पर भी ये कम्युनल आर्गेनाइजेशंज़ हैं और फंक्शन करती है उन पर मुकम्मिल बैन लगा दिया जाए। अलीगढ़ के दंगों पर हुई बहस के वक्त भी मैंने यही कहा था और वजीरे आज़म वक्ती तौर पर मान भी गए थे कि ये जो शाखायें हो रही हैं, वहां जो डंडे चलाना, छुरी चलाना और तलवार चलाना सिखाया जा रहा है, यह चीन और पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं आ सकता है क्योंकि उनके पास बम हैं, तोपें हैं, हवाई जहाज़ हैं। ये सब तैयारियां अंदरूनी तौर पर की जा रही हैं ताकि उनको मौका मिले अकलियत वालों को मारने का। अगर यह ट्रेनिंग इसी तरह से चलती रही तो माइनोरिटीज़ में कान्फिडेंस कहां से पैदा होगा ? जब तक गवर्नमेंट इस बात पर साफ नहीं होगी और अगर वह कम अज कम आर०एस०एस० को बैन नहीं करते हैं तो यह जो आर० एस० एस० अपनी ताकत दिखाना चाहता है निक्कर धारी बन कर, निक्करें पहन कर, तलवार और डंडे हाथ में ले कर जब तक इस तरह की चीज़ पर रोक नहीं लगाई जाएगी और जब तक मुल्क में ऐसी फिज़ा पैदा नहीं होती है जिस में अकलियतें महफूज़ अपने आपको समझें तब तक डैमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। जम्हूरत का सबसे बड़ा टैस्ट यह है कि मुल्क में जो अकलियतें हैं, माइनोरिटीज़ हैं वे अपने आप को किस कद्र महफूज़ समझती हैं। अगर इस मुल्क में माइनोरिटीज़ अपने आपको महफूज़ नहीं समझती हैं तो मैजोरिटी को सोचना होगा कि उनकी हिफाज़त कैसे की जाए, उनमें कान्फिडेंस कैसे भरा जाए, भरोसा और एतमाद किस तरह से उनमें पैदा किया जाए। वह काम इस सरकार का है। आज इस सरकार की क्रेडेबिलिटी पूरी नहीं है और तब तक नहीं हो सकती है जब तक आर०एस०एस० का जहर इनके साथ लगा हुआ है। इस जहर से आपको अमृत को अलग करना होगा। जहर से जब आप अमृत को अलग करेंगे तभी मुल्क में अमन और सलामती कायम हो सकती है।

रसीद मसूद (सहारनपुर) : बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम
सौ बार कर चुका है तू इम्तहां हमारा ।

सबसे पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पिछली बार जब रायट्स पर यहां बहस हुई थी तब भी यह कहा गया था कि पार्लियामेंट का सिर्फ यह फर्ज़ नहीं है कि हम अपने ग्रीवेंसिस को गवर्नमेंट तक पहुंचाते रहें और गवर्नमेंट का कोई फर्ज नहीं है कि वह हमें प्रोटेक्शन दे और अगर ऐसी ही बात है तो मैं समझता हूं कि इस तरह की मोशन पार्लियामेंट में लाने से कोई फायदा नहीं है और बेहतर है कि न ही लाई जाएं। लेकिन अगर मोशन्स आते हैं, सचेश्चन्स आते हैं तो सरकार को उनको कैरी आउट करना चाहिये। हमारे दोनों तरफ़ के मेम्बरान ने कुछ बातें कहीं हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दू राष्ट्र का नारा देने वाले लोग अगर अपने आपको बेगुनाह कहें और उसके बाद होम मिनिस्टर साहब ने अपने बयान में तस्लीम किया है कि जो एम०एल० ए० जलूस को लीड कर रहा था वह आर०एस०एस० से ताल्लुक रखता है, फिर आप बतायें कैसे देश तरक्की कर सकता है ? हिन्दुस्तान के अन्दर 80 फ़ीसदी हिन्दू हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि 75 फ़ीसदी हिन्दू नान-कम्युनल हैं। यही आर०एस०एस० के लोग हिन्दू राष्ट्र का नारा देने वाले लोग जो कि सिर्फ़ साढ़े तीन लाख के करीब मराठा ब्राह्मण हैं वही पूरे देश पर डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहां एक डिक्टेटरशिप कायम हो जाय। यह इस बात का सबूत

है, जैसा कुरेशी साहब ने कहा है कि आर०एस०एस० जहां मौजूद हैं वहीं इस तरह की फ़िज़ा फैलाता है। हम भी यही चाहते हैं मैजोरिटी की यहां हुकूमत हो। मगर चाहते हैं कि जो 80 फ़ीसदी लोग मज़दूर हैं, देहातों में रहते हैं, गरीब हैं उन्हीं की हुकूमत इस देश में हो, न कि साढ़े तीन लाख मराठा ब्राह्मणों की हुकूमत हो।

एक माननीय सदस्य : साठे साहब भी हैं।

श्री रसीद मसूद : ऐक्सेप्शन्स हर जगह हो सकते हैं। अभी मौहतरमा मौहसिना किदवई ने कहा कि वह बहैसियत इन्सान के बोल रही हैं। मुझे खुशी है कि 30 साल में इन्सानियत उनकी जगी और वह भी जनता सरकार के जमाने में जगी है कम से कम।

झगड़ा क्यों हुआ? यह कोई नया नहीं है। सारे अखबारों को देखिये तो मालूम होता है कि प्री-प्लान्ड झगड़ा है। पिछले साल से इसकी बुनियाद पड़ी हुई है। जब यह जलूस निकालना चाहते थे तब उस वक्त भी सड़क नम्बर 14 के रूट को अपनाने की बात थी। लेकिन उस वक्त सरकार ने इजाजत नहीं दी थी। इस मर्तबा भी पूरे बिहार के अन्दर 5 तारीख को रामनवमी का जलूस निकला। लेकिन जमशेदपुर में नहीं निकला। क्योंकि यह चाहते थे कि रूट नम्बर 14 से जायेंगे, और सरकार इजाज़त नहीं देना चाहती थी। इसलिये कि वह जानती थी कि अगर इस रूट से जायेंगे तो झगड़ा होगा। हुकूमत समझती थी कि माइनारिटी को प्रोटेक्शन दिया जाय। लेकिन हमारी हुकूमत के अन्दर जो कुछ लोग हैं और हिन्दू राष्ट्र में यकीन करते हैं वही उस जलूस को लीड करते हैं और कत्लेआम करते हैं। मैं इस रायट को हिन्दू-मुसलमान का रायट कहने के लिये तैयार नहीं हूं। क्योंकि कोई झगड़ा हिन्दू-मुसलमान का नहीं है। कोई भी हिन्दू या मुसलमान जो कि सेंसेबिल है वह झगड़ा पसन्द नहीं करता है। झगड़ा सिर्फ उन लोगों में है जो हिन्दू राष्ट्र का नारा देना चाहते हैं। जो कहते हैं कि अगर कोई बहाना नहीं भी है तो नफ़रत ही फैलाओ और शायद वह आखिर में कामयाब हो जायें। लेकिन वह अपनी इस स्कीम में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि यहां की मिट्टी और पानी के अन्दर कम्युनलिज़्म नहीं है। हो सकता है कि आप प्लान बनायें, पिछले 30 साल से बना रहे हैं, हमारी बदकिस्मती है कि हमने आप पर ऐतबार किया और हम अपनी गलती को महसूस करते हैं। आप श्री कर्पूरी ठाकुर को बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि वह पुरानी बी०एल०डी० से ताल्लुक रखते हैं। अलीगढ़ में भी इसीलिये आपने झगड़ा कराया कि वहां बी०एल०डी० की हुकूमत थी। अभी माननीय विजय कुमार मलहोत्रा ने कहा कि दिल्ली में भी जलूस निकला लेकिन यहां कोई झगड़ा नहीं हुआ। हां, यहां आपकी हुकूमत है और इसलिये आप अपनी हुकूमत को बदनाम नहीं करना चाहते। लेकिन जहां मज़दूरों का, गरीबों का, मज़लूमों का नुमाइन्दा मुख्य मंत्री है उसको आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप पैसे वाले लोग हैं, सरमायेदारों की कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं इसलिये जो आदमी गरीबों की बात करता है उसकी हुकूमत को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने श्री राम नरेश यादव की सरकार को इसीलिये गिराया। वहीं पर आप ऐसे काम कर रहे हैं जहां बी०एल०डी० की हुकूमत है। आखिर क्यों ऐसी ही जगहों पर झगड़े हो रहे हैं? मैं फिर कहता हूं कि यह झगड़ा हिन्दू-मुसलमान रायट नहीं है। यह झगड़ा गरीबों, मज़दूरों और देहातियों के साथ सरमायेदारों का है। कुछ लोग इसको हिन्दू-मुस्लिम रायट का नाम देकर फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह फायदा नहीं उठा पायेंगे। (**व्यवधान**) झगड़ा हैदराबाद में हो,

[श्री रसीद मशूद]

संभल में हो या अलीगढ़ में हो, हिन्दू की तरफ से हो या मुसलमान की तरफ से हो, हमें उसे कंडैम करना चाहिये और उन्हें सज़ा मिलनी चाहिये, जो झगड़े के लिये जिम्मेदार हैं।

मेरे ख्याल में आज जो हिन्दू राष्ट्र का नारा देते हैं और अपने आपको ज्यादा राष्ट्रवादी समझते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उनसे ज्यादा राष्ट्रवादी हूं। मैं मुसलमान हूं और इस बात को साबित करता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में जिस वक्त लाठी चार्ज हुआ था, उस वक्त मैंने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उस वक्त मेरा रस्टीकेशन हुआ था। आज तक इनमें से कोई भी एक आदमी दिखाये, जिसने अगर मुसलमान पर जुल्म हुआ है, तो सफर किया हो।

हिन्दुस्तान की अकलियत इस बात को पसन्द नहीं करती है और न करेगी कि उसको सैकिंड दर्जे का शहरी माना जाये। यह किस को कहते हैं और कौन से हिन्दू राष्ट्र की बात करते हैं ?

हरिजन को यह हिन्दू नहीं मानते, क्योंकि जब मराठवाड़ा में यूनिवर्सिटी का नाम बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रख दिया, जिसने अपनी ज़िन्दगी मुल्क की खिदमत में गुजार दी, तो ये लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर पाये, इन्होंने उसके अन्दर आग लगा दी। जो असली हिन्दुस्तान का द्रविण है, उसको हिन्दुस्तानी मानने के लिये तैयार नहीं हैं और उनको यह सैकिंड दर्जे का शहरी मानते हैं। यह कौन सा हिन्दू राष्ट्र है ? यह अलावा मुसलमान के, जितनी हमलावर कौमें हुई हैं इस मुल्क में उनको हिन्दुस्तानी कहते हैं और उनको हिन्दुस्तानी नहीं कहते हैं जो हिन्दुस्तान के मालिक हैं।

सिर्फ बात में फर्क हो सकता है, कुछ कौमों ने 5 हजार साल पहले हमला किया हो, कुछ कौमों ने दो हजार साल पहले और कुछ कौमों ने एक हजार साल पहले हमला किया हो, लेकिन जब हमलावर का वक्त आता है, जब बाहर के लोगों की बात आती है तो ये लोग यहां हिन्दू राष्ट्र का नारा देते हैं। एक साथ झगड़ते हैं।

अगर हिन्दुतान को हुकूमत देनी है, ओरिजनल लोगों को हुकूमत देनी है तो द्रविड़ो को हुकूमत दे दीजिये, हमें कोई एतराज नहीं है। हिन्दुस्तान के द्रविड़ों और अछूतों को यह सैकिंड दर्जे का शहरी मानते हैं और हिन्दुस्तान को हिन्दू राष्ट्र का नारा देते हैं। यह कैसे हुकूमत चलेगी ?

बहुत-सी बातें कही गई हैं। अभी मलहोत्रा साहब ने कहा कि झगड़े से पहले कुछ लोग मारे गये हैं, जिसको उन्होंने उधर से डिनाई भी किया। लेकिन यह बात सही है कि 7 तारीख को जिस एक माइनोरिटी के आदमी की दुकान जली जमशेदपुर में, उसका कोई ज़िक्र नहीं करता है कि क्यों जली। उससे जाहिर होता है कि झगड़ा कोई स्पौन्टेनियस नहीं था, एकदम शुरू नहीं किया गया। मलहोत्रा साहब ने फरमाया कि मोहसिना साहिबा कह रही हैं कि बी०एम०पी० ने मारा है और फिर कहती हैं कि आर०एस०एस० ने मारा है। वह बिल्कुल सही कहती हैं। इसलिये सही कहती हैं, जैसा मैंने कहा कि रायट हिन्दू-मुसलमान का नहीं है, सब-हिन्दू इसमें इन्वाल्व नहीं हैं, 90 परसेंट हिन्दू इसमें इन्वाल्व नहीं हैं बल्कि 10 परसेंट लोग जो हिन्दू राष्ट्र का नारा देते हैं, यह किसी भी जगह माइनोरिटी को मार नहीं सकते हैं इसलिये इन्हें अपने लोगों को

पुलिस और पी०ए०सी० में भेजना पड़ता है, उसका सहारा इन्हें लेना पड़ता है। यह कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि मोहसिना कभी आर०एस०एस० कहती हैं और कभी बी०एम०पी० कहती हैं। इसलिये हमें देखना है कि हमारे मुल्क का मफाद किस में है। मैं आपसे कोई खौफज़दा नहीं हूं बल्कि दरख्वास्त करता हूं कि यह मुल्क हर फिसाद के साथ कुछ न कुछ पीछे चला जाता है। मेरी दरख्वास्त है कि इस मुल्क को आगे बढ़ाइये, मैं यह यकीन के साथ कहता हूं कि अगर हमारी हुकूमत इनको कंट्रोल नहीं कर सकी, इनके नज़रिये को बदलने में नाकामयाव हो गई तो वह दिन दूर नहीं कि हमें इसी तरह से निकाल कर बाहर फेंक दिया जायेगा जिस तरह से कांग्रेस को फेंका है।

डा० रामजी सिंह : (भागलपुर) अध्यक्ष महोदय, अभी जिस वातावरण में आरोप और प्रत्यारोप के वातावरण में हम चर्चा कर रहे हैं, उससे इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। जमशेदपुर में जो कुछ हुआ, और जिसने भी किया, उससे आज सम्पूर्ण राष्ट्र का माथा झुका हुआ है।

हमारे प्रदेश का एक अखबार लिखता है :—

'इस सब बात को ध्यान में रखे बिना कि हम क्या हैं और कहां हैं, जमशेदपुर में हुए पागलपन के लिए हम सभी का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, जिसकी वजह से न केवल लोगों की हत्या की गई, वे घायल हुए और बहुत बड़ी संख्या में बेघरवार हो गए, बल्कि इससे सरकार की क्षमता भी व्यक्त हुई है और इससे लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में हमारे लम्बे-चौड़े दावों का खोखलापन भी प्रकट होता है।"

जनता पार्टी का एक दल वहां एनक्वायरी करने के लिए गया था, जिसके सदस्य श्री गुलाम मुहम्मद खाँ साहब, डा० सरोजिनी महिषी और श्री मधु लिमये थे। मैं उसकी सारी रिपोर्ट आपके समक्ष नहीं रख सकूंगा। उन लोगों ने वहां पर जाकर सारी स्थिति को देखा, जो बीस-पच्चीस हज़ार लोग कैम्पों में बैठे हुए हैं, और जहां पर ये हत्यायें हुई हैं, उन सब को देख कर और पुलिस के आफिसर्ज़ से मिलकर और कम्पनी के लोगों से बातचीत करके उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, मैं उसकी कुछ झांकियाँ आपके सामने रखना चाहता हूं :—

"जमशेद बिहार का एक प्रमुख औद्योगिक नगर होने की वजह से वहाँ बड़ी संख्या में ठेकेदार और उसके ऐजेन्ट हैं और इस क्षेत्र में उनके गुण्डे हैं। इस बारे में, जमशेदपुर में धनबाद क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं, जिसने अभी हाल में हिंसा और बड़े पैमाने पर हत्या की घटनाओं का स्थल रहा है।"

मैं केवल कुल बिन्दु आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी पक्ष पर आरोप लगाने का मेरा आशय नहीं है।

"हमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य, डा० अकोरी की भूमिका के बारे में भी बताया गया, जो जमशेदपुर में सातवें दशक में हुए दंगों से सम्बद्ध रहे हैं। इस सभी तत्वों ने औद्योगिक नगर में रामनवमी के त्यौहार के अवसर पर उपद्रव करने की योजना बनाई थी, जिससे वर्तमान बिहार सरकार को बदनाम किया जा सके।"

[श्री रामजी सिंह]

मैं उसकी एक और झांकी आपके सामने रखना चाहता हूं :—

"मगर, इस बारे में दो घोर विरोधी दृष्टिकोण हैं। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि यह समाज विरोधी तत्वों और गुण्डा लोगों की वजह से हुआ है, जो उपद्रव करने लिए कटिबद्ध थे, जो कर्पूरी ठाकुर सरकार को गिराना चाहते थे और इस उपद्रव के लिए उत्तरदायी थे।"

इस इन्क्वायरी रिपोर्ट की कुछ और बातें हैं, मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं :—

"ऐसा प्रतीत होता है कि समाज विरोधी तत्वों ने मजदूर संघ आन्दोलन में ही घुसपैठ की है।"

यह मालूम होना चाहिए कि वहां पर आई० एन० टी० यू० सी० की सबसे बड़ी यूनियन है।

"इस साम्प्रदायिक दंगे की वजह से श्रमिक वर्ग की एकता को गहरी क्षति पहुंची है।"

लेकिन सबसे दुखदायक बात है कि जो हत्याओं का सिलसिला चला, उसमें पुलिस का भी योगदान रहा। मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता हूं। शुरू में लोगों ने अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं किया।

"पुलिस द्वारा दृश्य पटल पर आने के बाद ही भीड़ अल्पसंख्यक बस्तियों की ओर मुड़ी और उसने लूटपाट और आगजनी की घटनाएं शुरू कर दी। पुलिस असहाय बनी खड़ी देखती रही अथवा ऐसा दावा किया गया है कि उसके एक वर्ग ने भीड़ के साथ साँठ-गाँठ करके विनाश-कार्य में सहयोग दिया। भले ही पुलिस दंगाइयों के प्रभाव में आ गई हो या असहाय होकर देखती रही हो या उसने भीड़ के साथ साँठ-गाँठ की हो, व्यवस्था को कायम रखने में विफलता तो साबित होती ही है।"

मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यह स्थिति बहुत ही हृदय द्रावक है। कल जमशेदपुर के टिस्को के डाइरेक्टर से मेरी डेढ़ घंटे तक बात हुई। जे० आर० डी० भी यहाँ आए और उन लोगों ने जो वहाँ की रिपोर्ट दी है वह बहुत ही हृदय-द्रावक है। सचमुच में उसमें कोई शक नहीं है कि यह केवल एक स्पौन्टेनियस आउटबर्स्ट नहीं था, यह पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। मैं मद्रास में था तो वहाँ के हिन्दू अखबार ने भी यह लिखा—इट इज़ मेटिकुलसली प्लान्ड।

राम नवमी 5 तारीख को हुई और दंगा 11 तारीख को हुआ। असल में स्थिति तो यह है कि वह अखाड़ा जिसको गत वर्ष परमिशन नहीं दी गई थी उसको ले करके 64 अखाड़े वालों ने संकल्प किया कि जब तक उस का झंडा नहीं उठेगा हम यह नहीं उठने देंगे। उसके बाद ही यह सारी असंतोष की बात हुई। 6 दिनों तक सारे जमशेदपुर में तनाव होता रहा। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि जब एकाएक उस असंतोष की ज्वाला फूट पड़ी तो उस समय जमशेदपुर के पास पुलिस की इतनी कमी थी कि वह इतने बड़े असंतोष को नहीं दबा सकती थी। 13 तारीख को जब मैं पटना पहुंचा था तो वहां के मुख्य मंत्री कर्पूरी ठाकुर और गुलाम सरवर बदहवास जमशेदपुर से पहुंचे थे। उन लोगों की हालत खराब थी। वे कभी सपने में भी दंगे के बारे में सोच

नहीं सकते थे। सचमुच में वहाँ की स्थिति आज कहने योग्य नहीं है। जब हम कुछ इधर की कहते हैं और उधर की कहते हैं तो वह बेकार की बात होती है। लेकिन मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जमशेदपुर में आर्म्स का इतना बड़ा भण्डार है और अभी तक उस पर कुम्बिंग शुरू नहीं हुई। वहाँ पर मिलिट्री के ऊपर फायर किया गया। वहाँ पर सी० आर० पी० के ऊपर फायर किया गया और इतनी जगह फायरिंग हुई है कि आज अगर मिलिट्री को फ्री हैंड नहीं देंगे तो क्या स्थिति होगी, मैं नहीं कह सकता। इसलिए जरूरी है, जिस तरह से नक्सलाइट्स का उच्छेदन करने के लिए जमशेदपुर के एक-एक घर की कुम्बिंग की गई है। उसी तरह अगर जमशेदपुर में रायट को खत्म करना चाहते हैं तो चाहे अखाड़े वाले हों या और कोई हों, सभी के घरों की कुम्बिंग होनी चाहिए। अगर दो दिन में कुम्बिंग पूरी कर सकते हैं तो आगे वहाँ और कुछ नहीं हो सकता है।

वहाँ की स्थिति बहुत गम्भीर है। यह कहते हैं कि यहां कुछ नहीं किया जा रहा है। 20 हजार लोगों को खाना टिस्को दे रहा है। बिहार के मुख्य मंत्री ने सारे कारखानेदारों को वहाँ बुलाया और उसके बाद अद्भुत काम वहाँ कर रहे हैं। 20 हजार लोगों को रोज खाना टिस्को दे रहा है, 5 हजार को टेल्को दे रहा है और अन्य छोटी-छोटी संस्थाएं दे रही हैं।

ऐसी स्थिति में बहुत गम्भीरता के साथ इस पर विचार होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हिन्दू नहीं मरे हैं। लेकिन हिन्दू के मरने का यह मतलब नहीं है कि मुसलमानों को मारा जाय। लेकिन यह भी बात स्पष्ट है कि एक तरफा बात नहीं हुई है। मानगो के बगल में आदिवासियों के ऊपर हमला हुआ है, उनका खून हुआ है —नौ आदिवासियो का। मेरे पास तो रिपोर्ट है लेकिन मैं और इसके बारे में कह करके लोगों की समवेदना को उभाड़ना नहीं चाहता। लेकिन यह बात सही है कि कुछ मिलिटेंट लोग हैं दोनों तरफ के और मैं कहना चाहूंगा, खास तौर से माननीय प्रधान मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि देश में एक व्यापक षडयंत्र है भुट्टो साहब की फांसी के बाद समूचे देश में अस्तव्यस्तता फैलाने का। समूचे वेस्ट बंगाल में एनर्जी को अस्त-व्यस्त करना और हिन्दुस्तान के सबसे सिरमौर औद्योगिक नगर जमशेदपुर को अस्त-व्यस्त करना और वहाँ यह सब करके— मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ, मेरा इशारा ही काफी होगा बड़े लोगों के लिए—क्या पाकिस्तान कोई ऐडवेंचर करना चाहता है ? मैं कोई प्रमाण नहीं देना चाहता, लेकिन इस बात को भी नजर अन्दाज नहीं किया जा सकता।

इसीलिए मैं यह आपसे कहना चाहूंगा, एक बात यह निश्चित है कि आज की पुलिस जो है इससे काम नहीं चलेगा। जयप्रकाश जी आज बीमार हैं। आज मुझे यहाँ लोक सभा में भाषण करने के लिए रहना पड़ा है, मुझे वहाँ रहना चाहिए था। अभी भी वहाँ शांति सेना के सौ आदमी पहुंचे हैं। 1964 में जब संयुक्त विधायक दल की मिनिस्ट्री वहाँ थी और महामाया बाबू जब बिहार के मुख्य मन्त्री थे, तो उनकी सरकार को भी हटाने के लिए 1964-66 में दंगा हुआ था।

इसलिए इसके सम्बन्ध में हमें इसके राजनीतिक पक्ष को भी सोचना चाहिए। आज जब दंगे की बात होती है तो समूचा राष्ट्र मर्माहत, कलंकित और अपमानित प्रतीत होता है। इसलिए आज इस लोकसभा में हमें इस पर कुछ सोचना चाहिए। इन्दिरा जी के ट्रायल के लिए हम स्पेशल कोर्ट्स बना सकते हैं तो इन्सानियत को समाप्त करने वालों के लिए भी हमें समरी ट्रायल, स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था करनी होगी।

[श्री रामजी सिंह]

नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल को पुनर्जीवित करने के लिए मैंने तीन बार प्रधान मन्त्री जी से अपील की है लेकिन आज तक उसकी कोई बैठक नहीं हो सकी। मैं अनुरोध करूंगा कि नेशनल इंटिग्रेशन कौंसिल को पुनर्जीवित करना चाहिए ताकि देश में साम्प्रदायिक दंगे उभारकर राजनीतिक लाभ उठाने की जो बातें चल रही हैं उसका अवसर किसी को न दिया जाए।

गांधीजी ने कहा था कि हिन्दू-मुसलमान की समस्या विधि और व्यवस्था की समस्या नहीं है, लॉ एण्ड आर्डर की समस्या नहीं है। जमशेदपुर तो एक कास्मोपोलिटन टाउन है वहाँ पर इस तरह की फिरकेवाराना बातें किस तरह से हुईं—यह बात समझ में नहीं आती है। बिहार मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में मैं आपसे बिना किसी का पक्ष लिए कह सकता हूँ कि उसने इसको रोकने की पूरी कोशिश की है। जो न्यायिक जाँच हो रही है उसमें हम सभी को पूरा सहयोग करना चाहिए और अगर हो सके तो वहां पर जाकर हर मोहल्ले में शान्ति की स्थापना का प्रयत्न करना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : श्रीमान जी, जमशेदपुर में जो कत्ले आम हुआ है, उसके लिए सारे विश्व के सामने हमारी निन्दा हो रही है। उसने देशवासियों को या बाकी दुनिया वालों को देने के लिए हमारे पास कोई उत्तर नहीं है। यह बड़ी चिन्ता की बात है कि केन्द्रीय मन्त्रिमन्डल के एक मन्त्री ने आज यह कहा है कि जमशेदपुर के उपद्रवों की योजना जनता पार्टी के एक घटक दल द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने गृह मन्त्री की इस टिप्पणी के बारे में आपत्ति की है कि इस्पात नगर के मुस्लिमों ने उपद्रवों की शुरुआत की। उन्होंने यह भी कहा है कि "अगर हमारे गृह मन्त्री इस प्रकार के हैं, तो केवल भगवान ही देश का रक्षक है।"

श्री पटेल के निष्कर्षों का सत्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है और इससे हम में से अनेक लोगों को दुःख पहुंचा है। यह बात पूरी तरह गलत है कि मुस्लिमों ने उपद्रवों की शुरुआत की।

एक बहुत बड़े दैनिक समाचार पत्र ने यह कहा है कि सम्पूर्ण अभियान की बड़ी बारीकी से योजना बनाई गई थी और इस बात की इस दुखद तथ्य से पुष्टि होती है कि गिरोहबानों, गुण्डों और आधुनिक हथियारों को उपद्रव शुरू होने से कई दिन और कई सप्ताह से चोरी-छिपे जमशेदपुर में लाया जा रहा था।

एक माननीय सदस्य : किस समाचार पत्र में कहा गया है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हिन्दुस्तान टाइम्स। यह कहा गया है कि यह तथ्य कम महत्वपूर्ण है कि हिंसक घटनाओं के पहले दो दिनों के दौरान, पटना पहुंचने वाली खबरों में यह कहा गया था कि पुलिस और उपद्रवियों के बीच जबर्दस्त लड़ाई हुई जिसमें उपद्रवकारी हावी रहे और अन्त में फौज बुलाना पड़ा।

श्रीमान जी, 5 अप्रैल को सामान्यतः बिहार में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता है और महावीर झण्डा जुलूस निकाले जाते हैं। परन्तु जमशेदपुर में यह सब 6 अप्रैल को किया गया। वहाँ एक बस्ती है जिसका नाम डीयना है। जमशेदपुर में 72 अखाड़े हैं। पिछले वर्ष एक नया

जुलूस निकाले जाने की योजना थी और उन्होंने सड़क नं० 14 से होकर जुलूस निकालने की अनुमति माँगी, परन्तु अनुमति नहीं दी गई। इसलिए उन्होंने पिछले वर्ष जुलूस नहीं निकाला। इस वर्ष फिर अनुमति मांगी और सड़क नं० 14 होकर जुलूस ले जाने पर जोर दिया, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। जुलूस आयोजकों और प्रशासन के बीच इस प्रश्न पर विवाद था कि जुलूस को ले जाने के लिए कौन से मार्ग का चुनाव किया जाए। चूंकि अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी थी, इसलिए उन्होंने 6 अप्रैल को जुलूस नहीं निकाला। परन्तु बाद में 72 अखाड़ों में से 7 अखाड़ों ने 6 अप्रैल को जुलूस निकाला, बाकी अखाड़ों ने इस बात के विरोध में जुलूस ले जाने से इन्कार कर दिया क्योंकि प्रशासन ने डीयना बस्ती अखाड़े को एक विशिष्ट मार्ग अर्थात् सड़क नं० 14 से जुलूस ले जाने से इनकार कर दिया था।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रभुत्व वाली केन्द्रीय रामनवमी समिति के कोई श्री राम नारायण भी उनमें से एक थे। प्रशासन ने उस सभा के लोगों में से लगभग 150 लोगों को गिरफ्तार किया जिनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कट्टरवादियों में से एक श्री त्रिवेदी भी थे।

29 मार्च से 3 अप्रैल तक राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ का एक शिविर लगा था जिसे स्वयं बाला साहिब देवरस ने सम्बोधित किया था और यह शिविर जमशेदपुर में तीन दिन तक चला था।

कदमा बाजार में रानीपट्टी नामक एक क्षेत्र है जहाँ 7 अप्रैल की रात्रि को एक दुकान जला दी गई थी। 9 अप्रैल, 1979 की रात्रि को रानी कुडार स्थान पर एक मकान को भी आग लगा दी गई थी। यही घटना उत्तेजना का कारण बनी।

एक अन्य नई घटना घटी। रात्रि के 10 बजे उस क्षेत्र के मुसलमानों ने समझौते का एक सूत्र पेश किया और तदनुसार जलूस सड़क नं० 15 से शुरू हुआ तथा मुख्य सड़क पर आया। इस के पश्चात् जब वह मुख्य सड़क पर मस्जिद के पास एक स्थान पर पहुंचा तो एक स्थानीय विधायक श्री दीनानाथ पाण्डेय ने जो कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्त्ता है, जलूस को रोक लिया तथा धमकी दी कि उपद्रव करने वाले उन 150 व्यक्तियों को विशेष रूप से श्री त्रिवेदी को जब तक रिहा नहीं किया जायेगा, वह सड़क को रोके रहेंगे और जलूस केवल उनकी लाश के ऊपर से होकर गुजर सकेगा।

7 तारीख को रामनवमी समिति द्वारा दिल्ली में एक इश्तिहार परिचालित किया गया जिसमें पुलिस अधीक्षक को हिन्दुओं का शत्रु बताया गया था। इश्तिहार में पुलिस आफीसर को हिन्दुओं का शत्रु कहकर उसकी निन्दा की गई थी और रामनवमी समितियाँ अपने जलूस निकालने तथा दीयना बस्ती के जलूस को भी जिसे अनुमति नहीं दी गई थी, को निकालने तथा मुख्य सड़क पर मस्जिद के निकट आकर मिलने का आह्वान किया गया था।

यह सब कुछ भली प्रकार नियोजित किया गया था और इसका उद्देश्य अकथनीय विनाश तथा अल्पसंख्यकों का नुकसान करना था। श्री कुरेशी ने अपने कथन में थोड़ी सी गलती की है। परमेश्वर सिंह, विधान परिषद सदस्य, साम्यवादी, श्री राम अवतार सिंह, भूतपूर्व विधा-

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

यक, कॉमरेड जे०पी० सिंह, सदस्य सचिव, भारतीय साम्यवादी दल, कॉमरेड नारायण, जगन्नाथ शास्त्री तथा कॉमरेड बी० के० गाँगुली सभी इस घटना के मौके के गवाह थे।

इस जुलूस का नेतृत्व डा० मसीह ने अपने हाथों में एक झण्डा लेकर किया था और यह जुलूस प्रातः 9-30 बजे मस्जिद पर पहुंचा। प्रातः 9-30 बजे तथा 11-30 बजे के बीच राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेतृत्व वाले जुलूस की ओर से मस्जिद पर ईंटें तथा पत्थर बरसाये गये। डा० मसीह से मुस्लिम झण्डा छीन लिया गया था।

इस भयावह उपद्रव के आयोजन में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी के दो ठेकेदार —सर्वश्री मंगल सिंह तथा सुखदेव भी शामिल थे।

बिहार सैनिक पुलिस राष्ट्रीय स्वयं सेवक के उपद्रवकारियों को समर्थन तथा सहायता दे रही थी। इस बात के सबूत हैं कि बुलाबासा में इन लोगों ने मुसलमानों को सीधे गोली से उड़ा दिया। मस्जिद का इमाम भी मारा गया था।

'टिस्को' के शीट मिल्स, क्वार्टर न० 8, रोड न० 17, फार्म एरिया कुडना के एक श्री शफ़ी उल्लाह की भी हत्या कर दी गई थी। उसकी पत्नी तथा उसके पुत्र की भी हत्या कर दी गई थी और उसकी दो जवान लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया।

'टेलको' के कुख्यात गुण्डे गिरीश को बिहार पुलिस की गाड़ी में यात्रा करते देखा गया।

इस क्षेत्र में जहाँ कि, जनसंघियों का प्रभुत्व है मुख्य मंत्री की फियेट गाड़ी नहीं दौड़ती क्योंकि शासक दल के दो गुटों में लड़ाई है। यहाँ तक कि बिहार सैनिक पुलिस ने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शियाबुद्दीन तथा स्वास्थ्य मंत्री ज़ाबिर हुसैन के साथ जाने से इन्कार कर दिया था।

ऐसे भी अनेक उदाहरण थे जहां सरकारी संगठनों, जिनमें पुलिस भी शामिल है, ने उन लोगों को सहायता अथवा प्रश्रय देने से इन्कार कर दिया था जो उस खतरनाक घड़ी में निश्चित रूप से मारे जा सकते थे।

जमशेदपुर में मुसलमानों की एक लाख की जनसंख्या में से 45,000 मुसलमान उजाड़ दिये गये हैं, और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि शरणार्थी शिविर केवल मुसलमानों से ही भरे हुए थे। यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि मुसलमान ही संतप्त हैं और कि उन्होंने इस मामले में कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं की थी।

जब मुसलमानों को एक गाड़ी में बालुबासा से शिविरों में लाया जा रहा था तब वह गाड़ी केवल मुसलमान महिलाओं तथा बच्चों से ही भरी थी और उसके चालक ने जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का आदमी था, उस गाड़ी को सामान्य मार्ग से हटाकर सीतारम्बेरा ले गया जहां उस पर पेट्रोल छिड़ककर महिलाओं तथा बच्चों सहित गाड़ी में आग लगा दी थी। यह स्थान अधजले शवों से भरा पड़ा था। इन में से बचने वाला छः वर्षीय शिरालो 'टिस्को' अस्पताल में है।

शासक वर्ग के लिये साम्प्रदायिक दंगे करना एक प्रभावी साधन रहा है। अंग्रेजों ने विशेष रूप से रामसे मैकडोनल्ड ने इस तरीके की खोज की थी तथा इसे प्रभावपूर्ण बनाया था। कांग्रेस में 30 वर्ष के शासन काल में तथा अब जनता शासन में के लोग इसी ढर्रे के प्रशासन तथा नीतियों को चला रहे हैं। जब कभी भी स्वाधीनता सेनानियों/किसानों/कर्मचारी संघों ने व्यापक रूप से आन्दोलन किया तब तब अंग्रेजों ने साम्प्रदायिक दंगे कराने को, सर्व प्रथम हथियार के रूप में उपयोग किया। जो कुछ 1946 में हुआ था, वह इसकी एक ज्वलंत उदाहरण है। जब कभी भी हिन्दू तथा मुसलमान तथा विभिन्न शक्तियां उपद्रव करने को उद्यत होती हैं, और बाहर भारी जन-अभियान चल रहा होता है उस समय साम्प्रदायिक दंगे को हथियार के रूप में इस्तमाल किया गया (व्यवधान) यह बड़े खेद की बात है कि आज के शासक—कांग्रेसी शासक तथा जनता पार्टी के शासक गण अंग्रेजों वाले उसी मार्ग को अपना रहे हैं और जाने अनजाने उसी शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं। प्रायः प्रत्येक चुनाव से पूर्व, यहाँ-वहाँ एक बड़ा साम्प्रदायिक दंगा हो जाता है। अलीगढ़ का उदाहरण हाल ही का है। यहां तक कि गृह मंत्रालय ने भी सही आँकड़े बताने का कष्ट नहीं किया है। उदाहरणार्थ, मैंने मृतकों की संख्या जाननी चाही थी और यह वर्ष 1973 के बाद के आकड़े नहीं दे सका। और इस अवधि तक साम्प्रदायिक दंगों में मारे गये व्यक्तियों की कुल संख्या 1073 है।

दुर्भाग्य से, देश में वे अनैतिक राजनीतिज्ञ मुसलमानों को अपने हाथों के मोहरे बनाते हैं जो स्वयं को सफलतापूर्वक शासन में बनाये रखते हैं। साम्प्रदायिक दंगे कराये जाते हैं। वर्ष 1971 में जब 'गरीबी हटाओ' के झूठे आधार पर शासन में आई तो उसके पश्चात् साम्प्रदायिक दंगे हुए। वर्तमान सरकार ने भी उस नीति को नहीं छोड़ा है।

मैं उपद्रवग्रस्त अनेक स्थानों पर गया हूं। मेरठ, अहमदाबाद, कटक तथा भिवन्डी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

पुलिस, अर्द्धसैनिक तथा रक्षा सेनाओं में मुसलमानों का स्पष्ट अभाव एक उल्लेखनीय बात है जिनके कारण असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। हिन्दूराज स्थापित करने को आतुर कुछ लोगों ने प्रशासकीय व्यवस्था, पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक संगठनों में अपने गुर्गे फैला रखे हैं और वे ही इन साम्प्रदायिक उपद्रवों के लिये उत्तरदायी हैं। मैं आपको इसके दो उदाहरण दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं दो मिनट और लूंगा। मुझे···

अध्यक्ष महोदय : आपको बहुत सी बातें कहनी होंगी। परन्तु और भी बहुत से सदस्यों को बोलना है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरे पास जांच आयोगों के प्रतिवेदनों का एक पुलिन्दा है। मैं जेनपुर तथा सुचेतपुर (जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश) में हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में जांच आयोग के प्रतिवेदन से उद्धरण पेश करूंगा। उसमें कुछ बातें कही गई हैं। मुसलमानों को पुलिस तथा अर्द्ध सैनिक संगठनों एवम् सेना में पर्याप्त संख्या में भर्ती किया जाना चाहिये ताकि उनमें सुरक्षा की भावना पैदा हो। प्रधान मंत्री महोदय ने यहां आश्वासन दिया था कि संसद सदस्यों की

[श्री ज्योतिर्मय बसु]

एक समिति गठित की जायेगी। उस आश्वासन का क्या हुआ ? हमने उसके बारे में फिर कभी कुछ नहीं सुना।

गृह मंत्रालय की इस वर्ष की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक दंगों के आंकड़े दिये गये हैं। एक तरफ तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के एक सुदृढ़ शासक-शक्ति सत्ता में होने के कारण तथा दूसरी ओर इन खोखली प्रतिज्ञाओं के कारण हमें कोई आशा की किरण नजर नहीं आती है। हम तो देश के लोगों से अपील करते हैं, कि होश में आयें और इस तरह की गंभीर स्थिति को रोकें और यदि सरकार उसे नहीं रोक सकती तो सरकार अयोग्य है और उसे शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री सैयद लियाकत हुसैन (फतेहपुर) : अध्यक्ष महोदय, हमारा हिन्दुस्तान गौतम और गांधी का देश है। दोनों अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी को अगर कोई सबसे ज्यादा प्यारी चीज़ थी तो वह अहिंसा थी। लेकिन अफसोस है कि उस अहिंसा के पुजारी को हिंसा का शिकार होना पड़ा। हम उस वक्त यह समझे थे कि गांधी जी की शहादत के बाद यह फिरकापरस्त जहरीले अनासिर खत्म हो गये हैं। लेकिन हमारे मुल्क की यह बदनसीबी और बदकिस्मती है कि वह जहरीले अनासिर हमारे समाज में अभी भी मौजूद हैं जो कहीं जमशेदपुर में, कहीं अलीगढ़ में, कहीं हैदराबाद में, कहीं रांची में किसी न किसी शक्ल में नजर आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज गांधी जी की रूह करवट ले रही होगी जमशेदपुर के मामले को लेकर। अगर गांधी जी जिन्दा होते तो शायद आज वे जमशेदपुर की गलियों में होते और वहां मुसीबतजदा औरतों के आँसू पोंछ रहे होते जिनके कि शौहरों को मार डाला गया है, जिनको कि बेघरबार कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस से ज्यादा बदकिस्मती क्या होगी कि जिस दिन वहां दंगे हुए तो अखबार में आया कि 6 आदमी मारे गये हैं। लेकिन तीसरे दिन अखबार में आता है कि 87 तक मरने वालों की फिगर पहुंच गयी है। इस से अन्दाजा लगाया जा सकता है कि इन तीन दिनों में जमशेदपुर में एक बर्बरियत का राज था। वहां लोग लूटे गये, बेघर किये गये। घरों में आग लगायी गयी। मोहल्लों को बर्बाद किया गया। यहां तक कि औरतों की अस्मत और इज्जत को भी नहीं बख्शा गया। उनकी अस्मत लूटी गयी, इज्जत लूटी गई। यह हमारे लिये बड़े शर्म की बात है। इस से ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे दूसरे मेम्बरान ने कहा कि यह एक सोची-समझी मंसूबा-बंदी का नतीजा था। उस समय हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाती है जब कोई अवाम का नुमाइन्दा इस में शरीक हो जाता है जिसको कि अवाम ने चुन कर के इसलिए भेजा है कि वह उनके हकूकों की हिफाजत करेगा। आज जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, हम सब इसलिए यहां बैठे हुए हैं कि जनता के हकूक की रक्षा करेंगे। चाहे असेम्बली में मेम्बर हो, चाहे पार्लियामेंट में हों, जब हम लोगों में से कोई फिरकापरस्त लोगों के साथ शामिल हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इस से ज्यादा बदकिस्मती की कोई बात नहीं हो सकती है।

आज मैं देख रहा हूँ कि इधर से उधर मामले को फुटबाल गेंद की तरह उछाला जा रहा है। दीनानाथ पाण्डे किसी पार्टी के आदमी हों। मैं उनसे कहूंगा कि वे अपनी जमीर को टटोलें।

क्या उन्होंने कोई काम ऐसा किया है जिससे पूरे मुल्क का आज सिर शर्म से नहीं झुक गया है ? अगर ऐसी बात है तो यह हमारे लिये सोचने की बात है कि क्या हम ऐसी ताकतों को बढ़ने देंगे या उनको खत्म किया जाना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय, आज हम हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी, सुप्रीम इंस्टीच्युशन में हैं। आज पार्लियामेंट का यह फर्ज है कि हिन्दुस्तान में जितने रहने वाले लोग हैं उनके हकूकों की हिफाजत की जाये, उनके जानोमाल की हिफाजत करे। लेकिन हो यह रहा है कि हम आज मर्शिया कर रहे हैं, हम खाली मातम कर रहे हैं। यह पहला वाकया नहीं है। 1947 से लेकर न जाने इस किस्म के कितने वाकयात होते रहे हैं। यहां मोशन आये, उन पर मातम किया गया, मर्शिया पढ़े गये। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हमने इसके बारे में कोई इफेक्टिव स्टेप्स लिये ? अगर हमने ये नहीं लिये तो मैं समझता हूँ कि हमारी इस सुप्रीम इंस्टीच्यूशन ने अपना हकूक सच-मुच में अदा नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मैं अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आये दिन जो झगड़े हुआ करते हैं, ये मामूली बात नहीं हैं। यह भी बात नहीं है कि ये झगड़े आज हुए हैं आगे न होंगे। ये कल भी हो सकते हैं। इसके लिए पार्लियामेंट को कोई ऐसा कानून पास करना चाहिए जिससे कि आने वाले वक्त में फिरकेवाराना फसादात न हों और उनसे इस मुल्क का सिर शर्म से न झुक जाए।

अध्यक्ष महोदय, यह माइनोरिटी का सवाल नहीं है। यह सवाल है पूरे मुल्क की सलामियत का, देश की इन्टेग्रिटी का। अगर यही हालत रही, अगर ऐसे दंगे होते रहे तो सवाल पैदा होता है कि क्या मुल्क की इंटेग्रिटी बरकरार रहेगी ? जिस तरक्की के लिए यहां से कानून पास कि ये जाते हैं, क्या वह तरक्की हो सकेगी ? अगर आये दिन ऐसे दंगे होते रहेंगे तो हमारी सारी की सारी जहनियत उधर लग जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, जिस्म में अगर कहीं फोड़ा हो जाए तो वह पूरे जिस्म में सड़ांध पैदा कर सकता है, उसे खत्म कर सकता है। मेरी गुजारश है यह जो फोड़ा है फिरकापरस्ती का और यह जो जहर है इसको हमेशा के लिए खत्म किया जाए।

एक बात मैं और देख रहा हूं। जितनी भी पोलिटकल पार्टीज़ हैं उनका···ध्यान मैं इधर दिलाना चाहता हूँ। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस आदर्श के लिए गांधी जी जीवत रहे और जिस आदर्श के लिए उन्होंने अपनी सहादत दी थी उसको भुलाया जा रहा है। कभी यहां बोट क्लब पर हंगर स्ट्राइक की जाती है और कभी डैमंस्ट्रेशन किए जाते हैं और आए दिन ऐसा होता रहता है और कभी इस तरह की चीज वेजिज़ के नाम पर और कभी किसी जानवर के नाम पर होती रहती है। लेकिन इंसानियत के नाम पर जब भी कोई बड़ा इशू सामने होता है तो कोई भी पौलिटिकल पार्टी उसके लिए न कोई डैमंस्ट्रेशन करती है और न ही हंगर स्ट्राइक। कम्युनल रायट्स को ले कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। यह हम सब के लिए सोचने का मौका है। जब कभी इस तरह का वाकया होता है तो हम देखते हैं फुटबाल की तरह पोलिटिकल पार्टीज़ इसको इधर से उधर और उधर से इधर उछालती है। इस तरह से यह जो

[श्री सैयद लियाकत हुसेन]

समस्या है यह हल नहीं होगी । हम को बैठ कर सोचना होगा और स्टैप्स लेने होंगे ताकि आइंदा इस तरह की कोई बात न हो । मैं प्राइम मिनिस्टर से और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से भी अपील करता हूँ कि इस सिलसिले में हाउस एक कानून फौरन बनाए ।

यहां पर यह कहा गया है कि जमशेदपुर में करीब चालीस हजार लोग बेघर हो गए हैं । उनके सामने मसला आबादकारी का है, रोजी का है, खाने-पीने का है । मैं इस तरफ आपका खास तौर पर ध्यान दिलाऊंगा ताकि जो लोग बेघर हो गए हैं उनको सहारा दिया जा सके ।

आखिर में गांधी जी से मुताल्लिक में एक शेर पढ़ूंगा और आपका तवज्जह उस तरफ दिलाऊंगा :

कत्ल गांधी से दर्स न लिया गर तूने,

तुझ में ऐ कौम वजुज सोरिशो व सर कुछ भी नहीं ।

अहिंसा के नाम पर, इंसानियत के नाम पर मैं हाउस से गुजारिश करूंगा कि वह इस पर फौरन कानून बनाए और इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो फौरन इफैक्टिव स्टेप्स सरकार ले और देखे कि आने वाले वक्त में कभी भी ऐसी घटना न होने पाए जिससे हमारा सिर शर्म से नीचे झुके ।

आपका शुक्रिया ।

डा० मुरली मनोहर जोशी (अलमोड़ा) : जो कुछ जमशेदपुर में हुआ है उसके लिए सारा देश और सारी मानवता अपने आप को लज्जित अनुभव करती है । दुनिया में कहीं पर भी साम्प्रदायिक आधार पर या पूजा पद्धति के आधार पर मानव मानव का रक्तपात करता है वह निन्दनीय है और उसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए कम है । आज देश में जहाँ कहीं भी ऐसी घटना होती है और नागरिक होने के नाते हमारे होते हुए यह होती है तो हम सब के लिए यह लज्जा की बात होनी चाहिये । लेकिन हमें जरा इसकी मीमांसा करनी होगी, जरा गहराई में जाना होगा । जमशेदपुर की बाबत बहुत सी बातें कही गई हैं । यह कहा जा रहा है किसी एक संगठन ने, कुछ खास लोगों ने, सारे मामले को पूर्व नियोजित षडयंत्र के रूप में रखा । मैं सहमत हूं कि यह घटना अचानक नहीं घटी, एक दम से नहीं घटी, यह घटना पूर्व नियोजित थी । अगर आप सारी घटना की तरफ ध्यान दें तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे षडयंत्र रचा गया था और किस प्रकार से तनाव जमशेदपुर में था ।

मेरे दोस्तों ने अखबार पढ़े । मैं भी आपके सामने 16 अप्रैल, 1979 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" से कुछ अंश उद्धृत करता हूं :

"विभिन्न वर्गों के लोगों से बातचीत करके इस संवाददाता को वर्तमान साम्प्रदायिक दंगों की उत्पत्ति के बारे में जो जानकारी मिली उससे स्पष्ट है कि धनबाद की तरह यह इस्पात नगरी भी इन समाज विरोधी लोगों के लिए स्वर्ग बन गई है जो कोयला क्षेत्र में गुंडा विरोधी कानून का कड़ाई के साथ लागू किये जाने के बाद हाल में बड़ी संख्या में यहां आए हैं । इन लोगों के आने से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों में कुछ समय से 'दादागिरी' बड़े स्तर पर फैल

रही है जिससे कानून पसन्द नागरिकों का जीवन दूभर बनता जा रहा है। इस प्रकार साम्प्रदायिक तनाव धीरे-धीरे परन्तु निरन्तर बनता जा रहा है।

"गत चार अथवा पांच महीनों से तनाव में वृद्धि करने में दो प्रमुख कारण जिम्मेदार रहे हैं---एक कुख्यात अपराधी अनवर की मृत्यु जो स्थानीय अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों में "दादा" के नाम से जाना जाता था और पुलिस की मुठभेड़ तथा न्यायालय की डिगरी के अन्तर्गत स्थानीय प्रशासन द्वारा टाटा की जमीन पर निर्मित मदरसा एवं ईदगाह का बुलडोजर से गिराया जाना।

भय का साम्राज्य

"अनबर ने, जिसने अपने लोगों पर अपना प्रभाव जमाया हुआ था, नगर में भय का वातावरण फैलाया हुआ था। हत्या, डकैती, बलात्कार और अपहरण सहित नृशंस अपराधों के दर्जन से अधिक मामलों में उसकी तलाश थी। पुलिस पार्टी के साथ हुई सशस्त्र मुठभेड़ में मारे जाने के कुछ दिन पूर्व उसने एक पुलिस अधिकारी को धमकी दी थी कि यदि तुमने मेरे विरुद्ध कार्यवाही नहीं रोकी तो तुम्हारी लड़की का तीन-चार दिन में अपहरण कर लिया जायेगा।

यह स्थिति की गंभीरता है। इन दादाओं ने ऐसा भय का वातावरण बनाया हुआ था। यह दादा कौन हैं ? इन लोगों को, जो कोयला क्षेत्र में दादा बने हुए थे, कोयला क्षेत्र से निकाल दिया गया था और अब वे जमशेदपुर में कम्युनिस्टों और कांग्रेस (इ) के दोस्त बने हुए हैं।

मैं दुबारा उद्धरण दे रहा हूँ :

"उसकी मृत्यु के बाद उसके मदान्ध समर्थकों ने उसके गिरोह की सहायता से एक विशाल जलूस निकाला। टाटा की जमीन पर अवैध रूप से बने मदरसा एवं ईदगाह को गिराने के विरोध में लोगों ने जलूस भी निकाला। उनको संदेह था कि यह सब बहुसंख्यक समुदाय के नेताओं के कहने पर किया गया।

"इस प्रकार पिछले कुछ महीनों से बन रहा तनाव[11] अप्रैल को जोर पकड़ गया। 'महावीर झंडा' का जलूस, जिनमें हिन्दू और मुसलमान नेता शामिल थे, बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा उन मार्गों से ले जाया गया जिसके लिए स्थानीय अधिकारियों ने अनुमति दी हुई थी।" **(व्यवधान)**

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस महाबीरी झंडे की चर्चा की जा रही है और यह कहा जा रहा है कि रामनवमी की समिति में, जिन्होंने इसको निकाला, किसी खास संगठन का बाहुल्य था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि उसको निकालने वाले श्री कालिका नन्दन सिंह थे। गृह मंत्री इसकी जांच करें कि कौन हैं डा० अखोरी ? क्या इन्होंने कॉंग्रेस (आई०) के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा था ? क्या यह कांग्रेस (आई) के नेता नहीं थे जमशेदपुर में ? और क्या कालिका नन्दन सिंह और राम अवतार सिंह ने मिल कर यह बात कही कि इसी रास्ते से जलूस निकलना चाहिये। कालिका नन्दन सिंह ने भाषण दिया कि जब हिन्दुओं की बस्ती में से मुसलमानों के ताज़िया निकल सकते हैं, तब क्या वजह है कि रामनवमी का झंडा इस मुस्लिम बस्ती से नहीं जा सकता ? इस की जाँच होनी चाहिये। और जब जनता पार्टी के विधायकों ने श्री पांडे,

[डा० मुरली मनोहर जोशी]

श्री कार्तिक कुमार और मोहम्मद अयूब ने यह कहा कि जलूस इस रास्ते से न निकाला जाय, और अगर निकाला जाय तो उसमें हम तीन आदमी सिर्फ झंडा लेकर जायेंगे और बाकी लोग उस रास्ते से न आयें, बल्कि दूसरे रास्ते से आयें तो उस वक्त कालका नन्दन सिंह और डा० अखोरी ने कहा कि नहीं जलूस इसी रास्ते से निकलेगा। क्यों नहीं वहाँ के पुलिस और नागरिक प्रशासन ने इस बात को कहा कि यह विधायकों का प्रस्ताव ठीक है ? यह बात भी रेकार्ड पर है, गृह मंत्री जी बतायें कि जब यह प्रस्ताव रखा गया था तो इसको क्यों नामन्जूर किया गया ? और उसके बाद 10 तारीख को कालिका नन्दन सिंह, डा० अखोरी, राम अवतार सिंह सी० पी० आई० और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ बैठ कर रात के डेढ़ बजे यह प्रस्ताव किया प्रशासन के साथ और इसमें समझौता हुआ कि जलूस इसी रास्ते से निकाला जाएगा और उस दिन 11 बजे जलूस निकालने के लिये एक पर्चा, बिना प्रेस का नाम लिखे, बिना प्रेस लाइन के पहले से निकाला गया। मैं श्रीमती मोहसिना किदवई की इस बात से सहमत हूं कि इस पर्चे की जाँच होनी चाहिये कि किस ने निकाला है। जहां तक मेरी जानकारी है 5 तारीख को कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर में, श्रीमती किदवई की पार्टी के लोगों के साथ मिलकर साजिश की गई कि वहाँ पर एक ऐसा पर्चा निकाला जाये, 11 तारीख को जलूस निकाला जाये और उस जलूस पर पत्थर-बाज़ी करवाई जाये और उसके बाद इस देश में साम्प्रदायिक दंगे करवाये जायें। 30 साल तक 78 दंगों का यही पैटर्न रहा है। मैं अपने दोस्त श्री रशीद मुहम्मद से सहमत हूँ कि काँग्रेस हुकूमत ने 30 साल तक अपने जमाने में इसी तरह के दंगे होने दिये हैं। और आज ऐसी पैटर्न से आप ही के लोग (**व्यवधान**) साठे साहब, आप भी पुराने आर० एस० एस० के हैं, आप आर० एस० एस० के इन्फिलट्रेटर कांग्रेस (आई) में हैं। मैं बताना चाहता हूं आप यहाँ और कल्पनाथ राय जी वहां, दोनों ही पुराने संघी हैं। (**व्यवधान**) आप हमको क्या बतायेंगे, आकर देखिये, आप यहां इन्फिलट्रेटर हैं। संघ वालों से आप पार नहीं पायेंगे, यह इधर ही नहीं, उधर भी बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो बात कही जा रही है कि यह जो जलूस वहां निकला, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो कुछ वहाँ हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसकी निन्दा की जानी चाहिये, भर्त्सना की जानी चाहिये। पर कभी-कभी जब उन्माद आता है, जब कभी-कभी जुनून उठता है और खासतौर पर मज़हबी ख्यालात से उठता है, धार्मिक भावनाओं पर उठता है, आवेश होता है तो मनुष्य, मनुष्य नहीं रह जाता है, हैवान हो जाता है। यह आज दुनिया में कई जगह हो रहा है, हिन्दुस्तान में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, हमारे पड़ोसी देशों में हो रहा है। आज हालत यह हो गई है कि सारी दुनिया में हो रहा है। इसकी तरफ हमें ध्यान देना होगा। आखिर आज बीसवीं सदी में (**व्यवधान**) सारी दुनिया में आर० एस० एस० नहीं हैं। ईरान में आर० एस० एस० नहीं हैं।

श्री वसन्त साठे : रिफ्यूजी कैम्प में कितने हिन्दू हैं, यह बताइये।

डा० मुरली मनोहर जोशी : सारी दुनिया में आज जहाँ कहीं भी धार्मिक आवेश और आक्रोश है, उसकी निन्दा की जानी चाहिये और अक्सर होता है, (**व्यवधान**) आप जैसे व्यक्ति ही हर जगह उपद्रव करवाते हैं, आप लोकसभा में भी उपद्रव करवा रहे हैं और समाज में भी उपद्रव करवा रहे हैं। आप अपनी प्रवृत्ति में उपद्रवकारी हैं। यह सब जानते हैं कि आप उपद्रव

कराने वाले हैं। आपका जन्म ही संभवतः उपद्रव मचाने के लिए हुआ है। तो आपका जन्म ही इसीलिये हुआ है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ जमशेदपुर में हुआ है, उसकी जिम्मेदारी श्रीमती मोहसिना किदवई और श्री साठे की पार्टी पर डालनी चाहिये।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि श्री मलहोत्रा की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि भारतवर्ष और बंगला देश के सम्बन्ध न सुधरने पायें, इसके लिये आप साज़िश कर रहे हैं, आप षडयन्त्र कर रहे हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में सम्बन्ध मधुर न होने पायें, इसके लिये आप षडयन्त्र कर रहे हैं। मैं आप पर आरोप लगाता हूं। **(व्यवधान)**

डा० मुरली मनोहर जोशी : आप क्या बात कहती हैं, आपका उस पार्टी से सम्बन्ध है, जो विदेशों से पैसा ले रही है। आज आप विदेशी ताकतों से हिन्दुस्तान में उपद्रव बढ़वाने के लिये पैसा ले रही हैं। आपकी पार्टी विदेशों से धन लेती चली जा रही है। आपकी पार्टी विदेशों से मिलकर इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है।

जमशेदपुर में जो कुछ हुआ है, यह उसी साजिश का परिणाम है। (व्यवधान) यह उसका एक लक्षण मात्र है।

अध्यक्ष महोदय : डा० जोशी !

डा० मुरली मनोहर जोशी : अध्यक्ष महोदय, मुझे साठे साहब डिस्टर्ब कर रहे हैं। साठे साहब, आप कलेजा थामकर सुनिये, आपके काम जब देश के सामने रखे जायेंगे, आपके नेताओं की इस देश को बेचने की जो साजिशें हैं, जब वह देश के सामने रखी जायेंगी, तो हिन्दुस्तान आपको इतिहास के पन्नों से हटा देगा। आप इतिहास को कलंकित कर रहे हैं, आप इस देश को कलंकित करने वाले लोग हैं। (व्यवधान) भारत का हरेक नागरिक समान नागरिकता का अधिकार रखता है। जनता पार्टी धार्मिक आधार पर नागरिकता में मतभेद नहीं करती है, यह आप करते रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री जोशी, आपने पहिले ही काफी समय ले लिया है। अब मैं दूसरे वक्ता को बुलाता हूं।

श्री ए० अशोकराज (पेरम्बलूर) : मैं अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से कुछ कहना चाहता हूं। नरसंहार की जगह से दूर लोकसभा में बोलता हुआ मैं इन घटनाओं पर अपना गहरा दुख प्रकट करना चाहता हूं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां इस प्रकार की असभ्य घटनाएं हो रही हैं। जमशेदपुर की हिंसा हाल के वर्षों में हुए दंगों से अधिक नृशंस है। यह जानते हुए दुख होता है कि 100 से भी अधिक व्यक्ति मारे गए और 350 से भी अधिक व्यक्ति घायल हुए तथा हजारों व्यक्ति बेघरबार हो गए। गृहमंत्री महोदय चार दिन में दूसरी बार वहाँ गए। वे वहाँ ऐसी दुःखदायी घटना के कारणों को जानने के लिए वहाँ गए। मैं उनके निःस्वार्थ प्रयासों की सराहना करता हूँ परन्तु मुझे आश्चर्य है

[श्री ए० अशोक राज]

कि वे अपने प्रयासों में सफल हुए हैं या नहीं। अपने वक्तव्य में मंत्री महोदय ने बताया है कि स्थिति अब पूरी तरह से नियंत्रण में है। परन्तु मुझे इस पर विश्वास नहीं है। समाचारपत्रों से मुझे पता लगा है कि राज्य सरकार महसूस करती है कि कुछ क्षेत्रों में तनाव व्याप्त है और वहाँ कुछ समय के लिए सेना की गश्त लगाने की आवश्यकता है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि वहां सेना, सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा सतर्कता प्रयास रखे जाने की आवश्यकता है। हमें प्रभावित लोगों की वास्तविक भावनाओं पर विचार करना चाहिए। ऐसी घटनाओं का अनुभव हमें इन पर विचारे करने और उचित रूप से काम करने के लिए बाध्य करता है।

मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस समस्या पर राजनैतिक अथवा साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से विचार नहीं करें। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इससे समस्या हल नहीं होगी। हमें सभी संप्रदायों के लोगों को सद्भावना के साथ रहने के लिए प्रेरित करना चाहिए। एक बात जो मेरे दिमाग में आती है वह है दोनों समुदायों के लोगों के द्वारा हथियार रखना। मुझे डर है कि दोनों समुदायों के सदस्यों ने बड़ी संख्या में हथियार जमा किये हैं। यद्यपि मैं इसके शुरुआत में नहीं जाना चाहता, मैं महसूस करता हूँ कि दोनों तरफ से काफी तैयारियां हैं। यदि ऐसी बात है तो प्रभावशाली लोग इसके पीछे हो सकते हैं। उन प्रभावशाली लोगों को गुंडों की सेवाएं मिली हुई हैं। मेरा अनुरोध है कि दोनों समुदायों के सदस्यों से जो गैर लाइसेंस शुदा हथियार रखे हुए हैं उन्हें केन्द्रीय सरकार जब्त करें।

हमें यह देखना चाहिए कि इस प्रकार की बातें और कहीं नहीं होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि इन दंगों से पीड़ितों को सभी संभव सहायता दी जानी चाहिए। हजारों लोग बेघरबार हो गये हैं। इसके अतिरिक्त सभी लोगों में अपने पुराने स्थानों में रहने के लिए विश्वास पैदा किया जाना चाहिए। यद्यपि राज्य सरकार तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण नियुक्त करेगी, मैं यह बताना चाहता हूं कि लोगों को निर्भय होकर न्यायाधिकरण के समक्ष बोलने दिया जाना चाहिए। सांप्रदायिक दंगों को यदा कदा किए जाने वाले प्रयासों को रोका नहीं जा सकता। इसके लिए सतर्कता समितियाँ नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है जो कि न केवल दंगा वाले क्षेत्रों पर स्थायी आधार पर निरन्तर निगरानी रखेगी अपितु विभिन्न धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं के बीच समन्वय बनाए रखने में सहयोग के मूल्य के बारे में लोगों को शिक्षित करने का कार्य भी करेगी। ऐसी समितियों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा वातावरण पैदा किया जाये जिसका राजनैतिक अथवा आपराधिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग न किया जा सके।

एक बार यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक जिले में सही खुफिया रिपोर्टों के आधार पर निवारक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी जिला मजिस्ट्रेटों और जिला पुलिस सुपरिटेंडेंटों पर निर्धारित की जानी चाहिए। ऐसे प्रस्ताव पर भी गंभीरता से विचार नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है कि सरकार कम से कम ऐसे प्रस्ताव को गंभीरता के साथ क्रियान्वित करे। श्रीमन्, मानव के प्रति मानव की अमानवता के कारण हजारों लोग अत्यन्त असुरक्षा की स्थिति में हैं। यदि आदमी अच्छाई के लिए संगठित होते हैं तो धरती पर ही स्वर्ग बन जाता है और यदि आदमी साम्प्रदायिक उत्तेजना में सम्प्रदाय विरोध के स्वार्थ हेतु संगठन बनाता है तो वहीं नरक

पैदा हो जाता है। हमें प्रयास करने चाहियें कि इससे पहले कि साम्प्रदायिकता का कैंसर देश को अपने पंजे में ले ले, इसे उन्मूलन कर दिया जाए। हमारे कार्यकलाप और रवैये घावों को भरने के हों और इस रोग को रोकने के हों। शाश्वत सतर्कता से ही स्वाधीनता का प्राप्त होना कहा जाता है। हमारे देश में शाश्वत सतर्कता से साम्प्रदायिक सद्भावना प्राप्त होती है।

हमें विश्व के सामने यह सिद्ध कर देना चाहिए कि हम अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं।

अन्त में मैं कहूँगा कि यदि हम साम्प्रदायिक तंगदिल का त्याग नहीं करते तो हमारी भावी पीढ़ी हमें आग में फेंक देगी। वह शान्ति और सभ्यता का नया संसार रचेंगे।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा यह चाहती है कि सभा की कार्यवाही को एक घण्टा बढ़ा दिया जाये ?

कई सदस्य : हाँ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। श्री ब्रज भूषण तिवारी !

(श्री डी० एन० बसु पीठासीन हुए।)

श्री ब्रज भूषण तिवारी (खलीलाबाद) : सभापति महोदय, आज यह सचमुच हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है और साथ ही साथ हम इसे अपने सार्वजनिक जीवन या राजनैतिक जीवन की हार भी मानते हैं कि 31 वर्ष की आजादी के बाद भी हमारे देश में इस प्रकार के भीषण दंगे होते रहते हैं। जमशेदपुर में घटी घटना ने तो यह साबित कर दिया कि जो आज की सदी है यह कितनी क्रूर सदी है। किस प्रकार से बेगुनाह लोगों की हत्याएं की गईं और सब से बड़ी बात यह कि जो तथ्य अभी प्रकाश में आए कि एक मोटर वैन के अन्दर औरतें थीं, बच्चे थे, उनके ऊपर बम फेंका गया, उन्हें जलाया गया, उनकी जान ली गई, यह सचमुच ही बहुत चिन्ता की बात है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। परन्तु यदि हम केवल रस्मी बहस करें तो उससे कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बहुत बहसें हुई हैं साम्प्रदायिक दंगों पर। आजादी के बाद साम्प्रदायिक दंगों पर आज तक सोलह से ज्यादा कमीशन बिठाए गए। उन्होंने अपनी तमाम रेकमेंडेशंस भी दीं। परन्तु उन रेकमेंडेशंस का कहां तक हमने पालन किया उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। तभी हम जाकर किसी सही नतीजे पर पहुच सकते हैं। जमशेदपुर के बारे में जो तथ्य आए हैं उनसे यह बात तो साफ हो जाती है कि इस घटना के पीछे काफी बड़ी साजिश थी और तमाम प्रकार के तत्व उसमें एक साथ मिल गए थे। जो गृहमंत्री जी का बयान है उसमें पूरे तथ्य नहीं आए हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब ढूंढ़ना पड़ेगा और उसकी छानबीन करनी पड़ेगी। पहला सवाल यह है कि अगर 6 अप्रैल को जुलूस 14 नम्बर रोड से नहीं निकला तो 11 अप्रैल को क्यों निकलने दिया गया ? यह जुलूस जब 14 नम्बर रोड से शांतिपूर्ण ढंग से निकल गया तो मस्जिद के पास बेल रोड पर यह जुलूस क्यों रुका ? पाँच तारीख को राम नवमी थी, चार दिन तक उस पर बहस मुबाहिसा होता रहा। पिछले साल की मुकदमेबाजी का भी जिक्र किया गया। वहाँ के जिला प्रशासन के लोग आश्वस्त थे कि अब तो मामला तय हो जायगा। मेरी जानकारी के अनुसार जनता पार्टी के

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]

जिम्मेदार लोगों ने जमशेदपुर के जिला प्रशासन पर दबाव डाला कि इनको जुलूस निकालने की इजाजत दी जाय । यह विचित्र बात है और मेरी जानकारी यह भी है कि श्री कैलाशपति मिश्र जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वे वहां के कलक्टर, एस० पी० से कहते हैं कि तुम जुलूस निकालने दो । श्री कर्पूरी ठाकुर वहां के मुख्य मंत्री हैं, उनके पास गृह विभाग है इसलिए उनसे पूछ ताछ करनी चाहिए थी जबकि वहां पर यह मालूम था, इसके पहले ऐसे तथ्य आए हैं कि वहां पर गुण्डों का किस प्रकार का साम्राज्य था ।

इस बारे में 'हिन्दू' ने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है :

"परन्तु जमशेदपुर में ठेकेदारों, गुण्डों तथा 'दादाओं' का बाहूल्य है जो घनी आबादी वाले तथा गन्दे क्षेत्रों में रहते हैं, जहां छोटी-छोटी औद्योगिक बस्तियाँ बस गई हैं । यह सब जानते हैं कि इन ठेकेदारों ने, जिनमें अधिकांश बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के छपरा, सिवान तथा गोपालगंज जिलों तथा विशेष कर बलिया के लड़ाकू राजपूत हैं, गत कुछ वर्षों के दौरान काफी धन तथा प्रभाव अर्जित कर लिया है मुख्यतः इसलिये कि उनके संबंध सशक्त राजनैतिक तथा जातिगत संबंध हैं ।

उनका इसलिये भी भय है क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियारों से लैस गुण्डों के बड़े-बड़े दल हैं । अपने जातिगत सम्पर्कों तथा धन की शक्ति के बल पर उनका पुलिस सहित सारे प्रशासन पर भी प्रभुत्व है । ठेकेदारों की सेवा में रत गुण्डों तथा दादाओं में तथा उनके संरक्षण में पल रहे गिरोहों में गाँवों के अनपढ़ गंवार लोग हैं । ऐसे लोगों में धार्मिक उत्तेजना पैदा करना संसार का सबसे सरल काम है । यही बात जमशेदपुर में हुई ।

जनता विधायी दल की बैठक में शक्ति परीक्षण के समय कर्पूरी ठाकुर की सरकार को परेशान तथा बदनाम करने के लिये इससे अधिक अच्छा क्या हो सकता था कि वहां साम्प्रदायिक दंगा करा दिया जाये, और इसलिये इस साम्प्रदायिक दंगे के संचालन उन ठेकेदारों को ही करना था जो धनबाद की हत्याओं के संबंध में एक जनता विधायक के गिरफ्तारी के कारण राज्य सरकार से बहुत क्रुद्ध थे ।"

तो मैं कहना चाहता हूं कि बिहार के अन्दर एक नफरत और घृणा का वातावरण बहुत जिम्मेदार लोग, ऊंची जाति के जो लोग हैं, उनके द्वारा फैलाया गया क्योंकि उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास का है। चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, हर जगह पर ऐसा एटमास्फीयर बनाया गया ताकि कर्पूरी ठाकुर की सरकार को गिराया जा सके ।

इसके साथ ही साथ एक महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि जब जनता पार्टी के जिम्मेदार लोग ऐसी खतरनाक चीजों में दखलन्दाजी करते हैं तो यह और भी गम्भीर मामला बन जाता है । सरकारी दल से सम्बन्धित किसी व्यक्ति की तिल भर की साम्प्रदायिकता दूसरे के पहाड़ भर की साम्प्रदायिकता से अधिक खतरनाक हो सकती है । श्री दीनानाथ पांडे जो विधायक हैं, उनका इससे सम्बन्ध है या नहीं - इसकी जांच हो रही है लेकिन उन्होंने, जब तीन बटा चार जुलूस का हिस्सा निकल गया तब एक बटा चार हिस्सा जो रह गया उसको क्यों रोका और क्यों इस बात

का दबाव डाला गया कि जब तक लोग रिहा नहीं किए जायेंगे, जुलूस आगे नहीं बढ़ेगा ? वहां के एस०पी० जो कि एक हरिजन हैं उनके बारे में पर्चे बांटे गए । साथ ही वहाँ पर बड़ी जाति के लोग, साम्प्रदायिक लोग एवं संगठन और गुण्डे मिलकर साजिश करके इतना भीषण नर हत्या काण्ड करवा दिया । इसलिए यह एक गम्भीर विषय है । साथ ही यह सवाल भी उठता है कि नरमी क्यों दिखाई गई और दीनानाथ पांडे या जो भी जिम्मेदार लोग थे उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया ? केवल चन्द लोगों को गिरफ्तार कर लेने से काम नहीं चलेगा, जिम्मेदार लोगों को भी गिरफ्तार करना पड़ेगा । और बिना किसी भेदभाव के, कौन हमारे बीच में है, कौन उधर है, हमें इस साम्प्रदायिकता के ज़हर को दबाना पड़ेगा । आज हमारे प्रजातन्त्र के लिये यह कसौटी है कि हम अपने अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा कर पाते हैं या नहीं । यह बड़े शर्म की बात है कि वहाँ के अल्पसंख्यकों के मन में बिहार की मिलिट्री पुलिस के बारे में शक पैदा हो, पी० ए० सी० के बारे में शक पैदा हो । यह जो आरोप लगाया गया है कि वहाँ की पुलिस के लोगों ने बड़ी बरबरता के साथ गोलियाँ चलाईं, लोगों को लूटा—यह बड़ी गम्भीर बात है। साम्प्रदायिकता का ज़हर, जातिवाद का ज़हर यदि हमारी पुलिस में, हमारी सेना में, हमारे प्रशासनिक विभाग में फैलता है—तब फिर हम कहाँ रहेंगे, कहां हमारा वजूद रहेगा—इस पर हमें विचार करना होगा ।

इसलिये मैं चाहूँगा कि इसकी जांच हो और साथ-साथ एक ऐसी "रायट-फोर्स" बनाने की आवश्यकता है जिस में तमाम वर्ग के लोग रहें और उसमें खास तौर से जो अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ी जातियों के हैं, हरिजन हैं, ऐसे लोगों को फोर्स में रखा जाय, तभी आप माइनारिटीज, बैकवर्ड और हरिजनों के मन में विश्वास पैदा कर सकेंगे कि उन की भी सुरक्षा हो सकती है, उन की जानो-माल की रक्षा हो सकती है ।

हमें अपने इतिहास के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन करना होगा । यह हिन्दू और मुसलमान का मामला केवल ला-एण्ड- आर्डर का मामला नहीं है । यह हमारी सामाजिक समस्या है, हमारी सांस्कृतिक समस्या है और जो लोग इस देश में इस विचारधारा को पनपाना चाहते हैं कि जो भारत के अन्दर पैदा होने वाले मजहब में विश्वास करते हैं वही भारतीय हैं, वही राष्ट्रीय हैं, वही हमारी संस्कृति है—यह देश के लिये खतरनाक विचारधारा है । इस पर भी चिन्तन करना पड़ेगा । आज हिन्दू और मुसलमानों का सवाल नहीं है, हमें अपने इतिहास को दूसरे नज़रिये से पढ़ना होगा, पूरे मुग़ल काल का देसी और परदेशी के बीच में बटवारा करना होगा, बजाय हिन्दू और मुसलमान के बीच बटवारा करें । हम को ऐसी संस्कृति की तरफ़ जो आदमी को आदमी से जोड़ती है—तवज्जह देनी होगी । हमारी संस्कृति और कला में ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो समन्वित दृष्टिकोण रखते थे, जिन्होंने पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था—चाहे कबीर हों, गुरु नानक हों, रहीम हों—आज हमारी तवज्जह उन की तरफ नहीं है, हम को उनकी तरफ़ तवज्जह देनी होगी, तब जा कर एक सम्यक-दृष्टि, एक राष्ट्रीय-दृष्टि, एक सेकुलर-दृष्टि बन सकती है ।

इसलिये आज हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है—केवल दोषारोपण करने से काम नहीं चलेगा । हमको और आपको, सब को अपने कलेजे पर हाथ रख कर यह विचार करना पड़ेगा ।

[श्री ब्रज भूषण तिवारी]

वहाँ की सरकार---जिसके मुख्य मंत्री हमारे श्री कर्पूरी ठाकुर हैं—ने तीन जजों की एक जुडीशियल एन्क्वायरी बैठाई है। वहाँ के जितने सामाजिक संगठन हैं उन्होंने 40 हजार पैकेट खाने के रोज बाँटने की वहाँ पर व्यवस्था की है। उन लोगों को कैम्प्स में रखा गया है। लेकिन आज उनकी सब से बड़ी समस्या यह है कि वे बे-घर-बार हो गये हैं। पूरे-के-पूरे बाज़ार जला कर राख कर दिये गये हैं—उन लोगों को फिर से बसाने की समस्या है—इसके लिये भी वे कृतसंकल्प हैं। लेकिन बिहार की सरकार में जो इन-स्टेबिलिटी पैदा कर दी गई है और खास तौर पर ऐसे मौके पर वहाँ की कैबिनेट के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिये हैं—यह एक बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के इन-एफेक्टिव होने का। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे खुशी है—जितने लोग माइनारिटीज़ के और दूसरे वहाँ पर गये, सब ने वहाँ के मुख्य मंत्री की ईमानदारी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है। मैं जानता हूँ उनकी अपनी मजबूरियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे होम मिनिस्टर ने अपने बयान में उनकी तारीफ की है, क्योंकि वे एक पिछड़े हुए गरीब तबके के इन्सान हैं, जिन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिये लड़ाई लड़ी है। उनके मन में दर्द है। आज हमको हर स्तर पर इस कम्यूनलिज्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, इस जहर को समाप्त करना पड़ेगा, प्रशासनिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर और दूसरे तमाम स्तरों पर इसको खत्म करना होगा। राजनीतिक स्तर पर भी संकुचित दृष्टि को समाप्त करना पड़ेगा।

इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर पुरजोर शब्दों में माँग करूंगा कि केवल जाँच होकर न रह जाय, जो दोषी हों, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए और जो अब तक के कमीशन्स की रिकमेंडेशन्स हैं, नेशनल इन्टेग्रेशन कौंसिल की रिकमेंडेशन्स हैं, उन रेकमेंडेशन्स को अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए।

श्री सत्य देव सिंह (गोंडा) : सभापति महोदय, आज इस देश के सर्वोच्च सदन में एक बार फिर एक बड़े घृणित कांड पर विचार करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं।

1 मार्च 1977 से 31 जनवरी 1979 तक जो सरकारी आँकड़े हैं, उनके अनुसार अब तक 410 दंगे हुए और उनमें 150 लोग मारे गये तथा 2553 घायल हुए लेकिन इस दफा जो दंगा अभी जमशेदपुर में हुआ है, इस अकेले दंगे में अभी जो गृह मंत्री जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है, उसके अनुसार 110 लोग मर चुके हैं, अस्पतालों में कितने और मर जाएंगे यह पता नहीं है, कितनी लाशें गायब हैं, इसकी अभी कोई जानकारी नहीं है और कितने धन-सम्पत्ति का नुकसान हुआ है, इसके बारे में आँकड़े अभी सामने नहीं आए हैं और सब से बड़ी बात यह है कि बीसियों हजार सुरक्षा के स्थान पर पहुंच गये हैं मानो कोई बाढ़ या तूफान आया हो या सी प्रकार का कोई प्राकृतिक प्रकोप हुआ हो और वहाँ से लोग अलग ले जाये गये हों। यह एक गंभीर मसला है। पिछले कई वर्षों से, जब से हम गुलाम हुए और उसके बाद आजादी के 32 वर्ष बीत गये हैं, दंगों का यह सिलसिला चलता रहा है और ये दंगे सिर्फ एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच हुए हों, ऐसी बात नहीं है, सहधर्मियों के बीच भी दंगे हुए हैं और होते रहे हैं। इसलिए जब हम इस पर विचार करते हैं तो पूरे परिप्रेक्ष्य में, पूरे मामले पर इनटोटेलिटी हमें विचार करना

पड़ेगा और सिर्फ दोषारोपण से काम नहीं चलेगा लेकिन आज यहाँ पर बात करते हैं या भाषण करते हैं, तो यह मान कर करते हैं कि मानो यह तय कर लिया है कि कौन कौन इसके दोषी हैं और उसके बाद तमाम गलत उदाहरण पेश किये जाते हैं। इधर के भाईयों ने कहा और उधर के भाईयों ने कहा और कुछ ने तो यहाँ के गणमान्य नेताओं का नाम भी लिया है और इस तरह से जब वे इस तरह की बातें कहते हैं, जब टाइम से पहले ही विचार कर लेते हैं, तो जूडीशियल इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी या सी० बी० आई० इंक्वायरी की कोई बात नहीं रह जाती है। आज जब हम दंगों के बारे में विचार करते हैं तो मानवता के आधार पर, कल्चर, क्रीड-कास्ट और रेस के आधार पर नहीं विचार करना चाहिए। किसी का खून किसी से पतला नहीं है, किसी को भी लाठी पड़ती है तो उसको कम चोट नहीं लगती है। श्रीमन्, ये दंगे कैसे हुए, इसके पीछे कौन लोग थे, इन तथ्यों में जाना ही पड़ेगा। यह कहना कि इस प्रकार से यह हो गया, यह ठीक नहीं है। यह स्पष्ट तथ्य है और आज जो इंक्वायरी कमेटी बैठ रही है, तो यह बात उसके सामने आ जाएगी कि कौन यहाँ पर गलत बयानी कर रहा है और कौन सही बोल रहा है। इस दंगे के पीछे जो लोग हैं, उनके अन्दर मुख्य हैं श्री कालिका नन्दन सिंह।

एक माननीय सदस्य : श्री जी० आर० डी० टाटा नहीं हो सकते ?

श्री सत्य देव सिंह : जी० आर० डी० टाटा भी हो सकते हैं। इसमें किसी जाति की कोई सीमा नहीं है। श्रीमन्, पिछले वर्ष भी यह झंडा नहीं उठा। 1964 के करीब में झंडे के जो विभिन्न अखाड़े लगते हैं, वे राम नवमी को लगते हैं। राम नवमी 6 तारीख को पड़ती थी। यह मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने यह निर्णय दिया कि इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों का निर्णय अन्तिम निर्णय है कि किस रास्ते से जुलूस जाए। यह स्वाभाविक है कि जो जुलूस है, वह उसी रास्ते से जाए जिस रास्ते से कायदे के अनुसार हर प्रकार के त्यौहार चाहे वह हिन्दुओं का हो, मुसलमानों का हो, सिक्खों का हो या ईसाइयों का हो, या किसी का भी हो, में जुलूस जाए, लेकिन यह बात नहीं की गई। इस बात के लिए इन तीनों विधायकों का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात पर गौर करिये और जुनून में मत बहिये। तीनों विधायक और वहाँ के सभी एम० पी० वहाँ के अधिकारियों से मिलते हैं। तीनों विधायकों ने कहा कि यह महाबीरी झण्डा पिछले वर्ष भी नहीं उठा था और इस वर्ष भी यह झंडा नहीं उठ रहा है। इस झंडे को लेकर हम गली नम्बर 24 से चले जाएं और बाकी का जलूस बाद में आकर के यहाँ मिलें। इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। दस तारीख की रात में ऐसे लोगों के जो कि जनप्रतिनिधि नहीं हैं, जो यहाँ आकर बोल नहीं सकते हैं, और जिनका नाम आज यहां घसीटा जा रहा है, उनको तो जिला प्रशासन ने, जिला अधिकारियों ने इग्नोर करके एक विशेष व्यक्ति डा० अखौरी के दबाव में आकर के इस बात का निर्णय ले लिया कि जलूस 14 नम्बर की गली से जाएगा क्योंकि इन लोगों ने, सी० पी० आई० के लोगों ने और कालिका नन्दन सिंह ने इस बात का आश्वासन दिया कि साहब हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम ठेकेदार हैं कि जलूस 14 नम्बर की गली से निकाला जाएगा। दस हजार का जलूस था और उसमें कुछ सौ डेढ़ सौ ऐसे लोग थे जो नाच-गाने और ढाल-तलवार से लेस थे। श्रीमन्, यह बात आज नहीं बोलनी चाहिए थी कि इसके पीछे किसका हाथ था लेकिन जब कहा गया है तो मैं कहता हूँ कि इसके पीछे

[श्री सत्यदेव सिंह]

कालिकानन्दन सिंह का हाथ ज़रूर है और कालिकानन्दन सिंह कांग्रेस के हैं। इस प्रकार के लोगों का नाम लेकर इसमें कोई लाभ नहीं होगा। सवाल यह है कि यह आदिवासियों का जलूस था और इस आदिवासियों के इस जलूस के डीफेक्टो और डीज्यूरी सब कुछ कालिकानन्दन सिंह थे। 11 तारीख को जलूस निकलता है तो उससे पहले हिन्दू अखबार लिखता है कि इस बात की रिपोर्ट है, एक इंजीनियर साहब ने पटना से कहा है कि वहां पर एक बहुत बड़ा बिल्ड अप गुण्डों का हो रहा है, बदमाशों का हो रहा है। जमशेदपुर एक कास्मोपोलिटन सिटी है। सभी वक्ताओं ने भी यह बात कही है कि वह लेबर सिटी है जहाँ सब से ज्यादा एक दूसरे का कर्म के आधार पर, न कि जाति के आधार पर सम्बन्ध है। वे मेहनतकश लोग हैं, उनके पास समय नहीं है कि वे इन चीजों के लिए उतरें।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इन लोगों ने वहाँ जलूस निकाला। हमारे एम० एल० ए०, श्री दीनानाथ पाण्डेय का नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने जलूस को रोका, इससे बड़ा ट्रेवेसिटी आफ ट्रूथ कोई नहीं हो सकता है। उन्होंने तो बार बार यह प्रयास किया कि जलूस वहाँ न रुकने पाये। वे जिला प्रशासन के पास भी गये। लेकिन ये तीन व्यक्तियों जिनमें डा० अखौरी और कालिकानन्दन सिंह भी हैं, ने यह कहा कि जब हमारी गली से मुसलमान गुजर सकते हैं तो हम्र भी वहाँ से गुजर सकते हैं। यह फैक्ट है और इसको नजरअन्दाज करके और पेसनेट हो कर अगर आप सोचेंगे तो आप इसकी तह में नहीं पहुंच सकते। आज तक जितने दंगे हुए हैं उनके बारे में भले ही हम एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर लें लेकिन यह सत्य है कि पांच परसेंट आबादी दंगा करती है और 95 परसेंट आबादी सफर करती है। आज वहां तीस हजार आदमी केम्पों में हैं। उनमें से कोई भी दंगा करने नहीं गया था, कोई घर जलाने नहीं गया था। मस्जिद के पास जब जलूस पहुंचता है तो उस पर गोली और बम फेंके जाते हैं। (व्यवधान) आप में अपने ऊपर विश्वास नहीं है। (व्यवधान) श्रीमन्, मैं बोल रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। श्रीमन्, आप अगर आजादी के बाद से आज तक जितने दंगे हुए हैं उनका इतिहास उठा कर देखेंगे तो पायेंगे कि दंगे किस ने शुरू करवाये। यह एक सत्य है जिसको आप झुठला नहीं सकते हैं। दंगों की जितनी रिपोर्ट्स हैं उनको उठा कर देख लीजिए। यहां पर जजबात से काम नहीं चलेगा, फैक्ट्स को लीजिए। श्री साठे साहब को यह बात सब से ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि वे भी एक स्वयंसेवक रहे हैं और यहाँ इस तरह की बातें कर के शायद वे यह सोचते हैं कि अपनी पार्टी में उनकी बात बड़े जोर से बन जाएगी। मैं तो साठे साहब को कहूँगा कि आपको दुःख नहीं होना चाहिए कि आपका आर० एस० एस० से सम्बन्ध था।

आर० एस० एस० का नाम सब जगह लिया जाता है। सबसे पहले इसे ही खोजा जाता है। इससे पहले अलीगढ़ में दंगे हुए। उससे पहले जितने दंगे हुए, उन सब की रिपोर्ट्स उठाकर देखिये। 71 में दंगे हुए थे उनकी रिपोर्ट उठा कर देखिये। बतलाइये कि कहां आर० एस० एस० के लोगों का हाथ रहा है? यहाँ टोटली एग्जरेटिड बात कही जाती है। हां, यह बात जरूर है कि ऐसी किसी भी बात से पहले हम लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। जब तक आप भेदभाव

चलायेंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि हिन्दू सेक्यूलर कोई कौम नहीं है। जो भी लोग यहाँ आये, क्रिश्चियन आये—क्रिश्चियनिटी इन केरल इज एज ओल्ड एज क्रिश्चियनिटी इटसेल्फ। मुसलमान यहां आये। सब हमारे भाई बन कर रहे। जो हमारे आक्रान्ता होकर आये, व्यापारी हो कर आये, उनको भी हमने बसाया।

श्रीमन् आर० एस० एस० की बात मैंने कही। सी० पी० एम० के श्री ज्योतिर्मय बसु साहब बैठे हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने दण्डकारण्य में कौन-सी मानवता दिखाई है। जब बाढ़ की विभीषिका बंगाल में आई थी तो सी० पी० आई० के केडर के लोग चुन-चुन कर वहाँ भेज दिये गये (**व्यवधान**) सत्य कड़वा लगता है (**व्यवधान**) श्रीमन्, एक प्रश्न यह है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं यह निर्णय नहीं दे रहा हूँ कौन सत्य बोल रहा है।

श्री सत्यदेव सिंह : यू आर नाट जज, यू आर स्पीकर। आप तो सच ही वहो कह रहे हैं जो ठीक है। श्रीमन्, जब जब दंगे होते हैं तो पी० ए० सी० और पुलिस पर यह आरोप लगाया जाता है कि इन्होंने ज्यादती की, इन्होंने गुण्डई की। मैं इस बात से बिल्कुल इत्तिफाक करता हूं कि जिन पुलिस कर्मचारियों ने गुण्डई की हो, ज्यादती की हो—उन्हें दोहरी सज़ा मिलनी चाहिये क्योंकि वे तो देश में कानून तथा व्यवस्था के रक्षक हैं।

लेकिन श्रीमन्, एक बात देखिये, आप जज रहे हैं, पुलिस का कर्मचारी तीन सौ रुपये पाने वाला है, उसको आप इस विभीषिका में झोंकते हैं, उसके पीछे भी परिवार है। वह मजिस्ट्रेट जो वहाँ होता है वह क्या कर सकता है ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आपने बहुत अधिक समय ले लिया है।

श्री सत्यदेव सिंह : इन दंगों के पीछे जो राजनीति काम करती है और फिर यहां पर यह सब कहा जाता है, उससे आप ज्यादा दिन पब्लिक की आंखों से छिपे नहीं रह सकते। यह बात अलग है कि आप पार्लियामेंट में बैठकर के कुछ भी इजहार कर लें और तथ्यों को छिपा लें।

श्री के० ए० राजन (त्रिचूर) : वास्तव में ही यह साम्प्रदायिक, ज्ञान-विरोधी, प्रशासकीय धोखाधड़ी तथा **बी० एम० पी०** की ज्यादतियों के कारण था कि जमशेदपुर नगर में यह सब दुर्घटना हुई। मैं दो दिन तक जमशदेपुर में रहा। मैंने दंगाग्रस्त सभी क्षेत्रों, मोहल्लों तथा शरणार्थी शिविरों का दौरा किया था। मैंने अधिकारियों तथा बिहार के मुख्य मंत्री से भी बातचीत की थी। जमशदेपुर की सारी स्थिति को समूचे तौर पर राजनैतिक पृष्ठ भूमि में देखा गया है। राजनैतिक स्थिति के कारण ही यह घटना हुई।

मुझे यह कहने की जरूरत नहीं है कि अलीगढ़ तथा अन्य स्थानों पर क्या हुआ था। अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है जो कि आग में तेल का काम करती है और अब इन चीजों में ईसाईयों को भी लाया जा रहा है।

शहर में यह तनाव की स्थिति 6 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल, प्रात: 4-30 बजे तक चलती रही। इन सभी चीजों के बारे में बातचीत तथा चर्चायें चल रही थीं। इश्तिहार दोनों ओर से बंट रहे थे। दोनों ओर से धमकियां दी जा रही थीं। दो स्थानों पर मूसलमानों के घर लटे गये और

7 तथा 9 तारीख को दुकानें लूटी गयां। शहर में यह सब कुछ हो रहा था। इस समय तक दादा लोग जिनका जिक्र श्री जोशी तथा श्री जनार्दन पुजारी ने किया है बुला लिये गये और इस घटना के लिये उन्हें तैयार कर लिया गया। मैं यह खेद के साथ कहता हूं कि इन ठगों तथा पिन्डारियों ने ही एक कामरेड की धनबाद में हत्या की थी। आपको याद होगा कि हम लोग साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ रहे थे। यह सब कुछ हुआ। आप जानते हैं कि क्या स्थिति है। वास्तव में सारी स्थिति विस्फोटक हो गई। हर चीज पूर्व नियोजित थी। जलूस को 8 बजे चलना था वह बहुत शांतिपूर्वक चला। एक मुसलमान डाक्टर इसका नेतृत्व कर रहा था। सब कुछ शांत था। प्रातः 10 बजे बिना किसी कारण दो-एक सज्जन जो कि एक स्थानीय विधायक थे, ने जलूस को रोक लिया। इसका क्या कारण था! रुकावट डालने के पीछे मंशा क्या थी! बात चीत-चल रही थी। संघर्ष हो रहा था। समूचा शहर सक्रिय था। एक-डेढ़ घण्टे के भीतर 10,000 लोग एकत्रित हो गये। स्थानीय लोग कहते हैं कि उनमें से अधिकांश लोग बाहर के थे और वहां लाये गये थे। निश्चित वक्त पर ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई। इन सब बातों के इलावा प्रशासकीय धोखाधड़ी क्या है? जबकि जलूस चल रहा था रांची रोड के बीच में एक गाड़ी जल रही थी। हम वहां उतर गये। मैने गाड़ी में झांका। बड़ी दयनीय दशा थी। 13 या 14 तारीख को उस गाड़ी में लाशें जल रहीं थीं। प्रशासन उस समय क्या कर रहा था? इसे लोगों को डराने तथा धमकाने के लिये दिखावे के रूप में रखा गया था। क्या हो रहा है? सारे मामले में प्रशासन यही कुछ करता रहा है। यह पूर्व नियोजित था। पहले से निश्चित किया हुआ था ताकि ऐसी घटना हो और शहर में आग लगा दी जाये। सौभाग्य से अपने वर्ग के प्रति सचेत औद्योगक श्रमिकों ने स्वंय को इस विध्वंस से दूर रखा। 1964 में ऐसा नहीं हुआ था। यदि ऐसी घटना 1964 में हुई होती तो सारे शहर की वही दशा होती जो वर्ष 1979 में हुई है। परन्तु वर्ग-सचेत औद्योगिक श्रमकों ने अपने आपको इस विनाश कार्य से परे रखा।

इसके बाद मैं शरणार्थी शिविर में गया। वहां 8-10 शरणार्थी शिविर हैं। 150 से 200 शरणार्थी तक उनमें रखे गये थे। मैं कहता हूं कि उनमें मुसलमानों के अलावा हिन्दू अथवा अन्य किसी समुदाय का एक भी व्यक्त नहीं था। वहां केवल मुसलमानों के शरणार्थी शिविर थे। मैं यह बात प्रमाणित कर सकता हूँ। मैंने अधिकारियों से पूछा कि क्या अन्य समुदायों के भी कोई शिविर हैं, उत्तर मिला नहीं। जमशेदपुर शहर में केवल मुस्लिम शरणार्थी शिविर थे। जब विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो रही थी तो बिहार सैनिक पुलिस की क्या भूमिका थी? वह तो विनाशलीला कर रही थी। वह पक्षपात कर रही थी। बिहार सैनिक पुलिस के प्रमुख तथा अधीनस्थ अधिकारियों के बीच विवाद थे। पुलिस आग में घी का काम कर रही थी। विनाश, बलात्मक, लुटपाट तथा अन्य अपराध कर रही थी। यह हमारे देश के लिये बड़े शर्म की बात है कि यहां उत्तर प्रदेश में प्रादेशिक सशस्त्र पुलिस तथा बिहार सैनिक पुलिस जैसे संगठन हैं। हमें इन संगठनों का पुनर्गठन करना चाहिये वरना देश की रक्षा नहीं हो सकेगी। यदि ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृति होती है तो हमारी सारी प्रतिष्ठा विकृत हो जायेगी। हमारी सारी संस्कृति विकृत हो जायेगी। जो कुछ हमारी उपलब्धि होगी वह धराशायी हो जायेगी। वे साम्प्रदायिक सुधार-विरोधी लोग कौन हैं जो इस तरह का दर्शन पढ़ा रहे हैं? उस शहर में एक सप्ताह पहले क्या हो रहा था? जनसंघ की एक गुप्त सभा हुई थी। राष्ट्रीय स्वंय सेवक संघ की एक भारी रैली हुई थी जिसको उसके प्रमुख ने सम्बोधित किया था।

जो लोग इस प्रकार के दर्शन का प्रचार कर रहे हैं तथा लोगों को इस का शिक्षा दे रहे हैं वहीं इन बातों के लिये जिम्मेवार हैं। बहुसंख्यक समुदाय का यह दायित्व है कि वह अल्पसंख्यकों के कल्याण का खयाल रखे। यदि यह काम हाथ में नहीं लिया जायेगा तो देश को भारी संकट का सामना करना पड़ता रहेगा। आप आर० एस० एस० के रूप में जाने जाते है। मैं कहता हूं इसका अर्थ है राष्ट्रीय संहार संघ। आप आग से खेल रहे हैं। मैं अपील करता हूं कि सभी धर्मनिर्पेक्ष तथा लोकतांत्रिक शाक्तियों,श्रमिक वर्ग तथा अन्य प्रगतिशील शक्तियों का एक साथ मिलकर देश के हित में इस बला को समाप्त कर देना चाहिये। जमशेदपुर की घटना उन लोगों को एक चेतावनी है जिसके राजनैतिक दिग्दर्शन में आज देश का प्रशासन चल रहा है।

श्री मती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर): श्री मन्, आपने कहा है कि सदस्यों को अपना भाषण करने के पश्चात् सभा से चले नहीं जाना चाहिये वरन अन्य सदस्यों की बात भी सुननी चाहिये। जनता पार्टी के सचेतक श्री जोशी शब्दों की जादूगरी दिखाने के पश्चात् उसका उत्तर सुनने के लिये यहां सभा में उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : केवल वही ऐसे व्यक्ति नहीं हैं बहुत से सदस्य हैं जो बोल चुके हैं तथा यहां इस समय नहीं बैठे हैं।

श्री ए० के० राय(धनबाद): श्री मन् सभा में यह रीति है कि उपद्रवों की भर्त्सना की जाए और उपद्रवों की यह रीति है कि होते ही जाये। कभी-कभी हम यह महसूस करते हैं कि संसद एक वार्त्ता शाला नहीं है बल्कि एक रोदनशाला है। मैंने सुना है कि विदेशों में कुछ स्थानों पर जब कोई बुरा अवसर आता है तो वहां पेशेवर मातम करने वाले किराये पर बुलाये जाते हैं और वे आते हैं तथा मातम करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस सभा में हम लोग भी पेशेवर मातम करने वालों का एक समूह हैं। कहीं हरिजन जलाये गये। कहीं आदिवासियों के साथ बलात्कार किया गया। कुछ स्थानों पर अल्पसंख्यकों को मार डाला गया। और हम जो कि मानव अधिकारों के लिये लड़ने वाले शूरवीर योद्धा हैं, यहां सभी धर्म निर्पेक्ष तत्व एकत्रित हैं और यहां एकत्रित होना हमारा दायित्व है आपको इस लिये परेशान करते हैं कि हमें भाषण देने तथा मातम करने के लिये अधिक समय दें तथा फिर भले जाने दें। मैं कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय स्वंय सेवक केवल आज दंगे नहीं करा रहा है। वह तो शुरू से ही ऐसा कर रहा है। परन्तु हम क्या कर रहे हैं? जमशेदपुर में श्रमिक वर्ग का बाहुल्य है। क्या यह हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं कि हम किसी घटनाओं को रोकें?

अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यहां बैठा है। यह संघ सब जगह घुस आया है। यह संघ साम्प्रदायिक राजनीति का प्रतीक है। हमने समूचे राजनैतिक जीवन को, देश के हर राजनैतिक क्षेत्र को अवरुद्ध कर दिया है।

यह बताया गया था कि धनबाद कोयला क्षेत्रों से गुण्डे जमशेदपुर बुलाये गये थे। मैंने यह भी सुना कि ये गुण्डे कम्यूनिस्टों से संबंधित थे। कम्यूनिस्टों से अर्थ है सभी प्रकार के कम्यूनिस्ट। परन्तु मैं कहता हूं कि आपको ईमानदार होना चाहिये। कृपया यह देखें कि गुण्डा अधिनियम के अधीन धनबाद में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति कौन था। वह एक जनता विधायक था किसी अन्य दल का नहीं, भारतीय साम्यवादी दल, कांग्रेस तथा किसी अन्य दल का विधायक नहीं था। वह जनता

[**श्री ए० के० राय**]

पार्टी का विधायक था। यह एक सत्य है। आपको इतना निर्भीक तथा ईमानदार होना चाहिये कि यह तथ्य स्वीकार करें। बिहार में जनता पार्टी का शासन है और आप ही का मंत्री आपके ही विधायक को गुण्डा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार कर रहा है। उस विधायक को टिकट किसने दिया था ? आपके दल के अध्यक्ष ने क्यों कि वह व्यक्ति इन्हीं की जाति का है तथा इन्हीं के जिले का है। जमशेदरपुर के गुण्डे तथा दादा लोग कहां से शक्ति प्राप्ति करते हैं ? यहां जनता पार्टी तथा टाटा बंधुओं से। टाटा बंधु पटना से कर्पूरी ठाकुर के शासन को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। वहां गुण्डे राजनैतिक आवरण में काम करते हैं तथा राजनैतिक अनाचार करते हैं। जब वहां कांग्रेस का शासन था तो वे लोग बड़े मजे से कांग्रेस के साथ थे जब जनता पार्टी शासन में आई तो वे उसके साथ हो लिये। कल को यदि हम भी सत्ता में आयें तो शायद वे हमारे दल के साथ आ मिलें। मेरा कहना है कि हमें इमानदारी से कुछ आत्मचिन्तन करना चाहिये।

धर्म निर्पेक्षता का अर्थ आंसू बहाना नहीं है चाहे वे आंसू मगरमच्छ के जैसे हों या गाय जैसे। धर्मनिर्पेक्षता का अर्थ है साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ना। जब दंगे हुए थे तब गांधीजी दिल्ली या पटना में आंसू नहीं बहा रहे थे वरन् वह नोवाखाली गये थे। आप जानते ही हैं कि गणेश शंकर विद्यार्थी ने साम्प्रदायिकता के विरुद्ध लड़ते हुए अपने प्राण दे दिये थे।

जमशेदपुर में 4 लाख श्रमिक हैं। यह हमारे लिये शर्म की बात हैं कि हम श्रमिक वर्ग को एक जुट नहीं कर सके तथा उन साम्प्रदायिकों को परास्त नहीं कर सके। हम ऐसा नहीं कर सके। हमें ईमानदार होकर अपना दोष मानना चाहिये। हमें स्वयं पर लज्जा आनी चाहिये।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो पैदा ही साम्प्रदायिकता के लिये हुआ है। और हम इसे रोकने के लिये जन्मे हैं (समय की घण्टी बजती है)।

अध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो गया है।

श्री ए० के० राय : हमारे यह जाने बिना ही घण्टी बजा रहे हैं कि यह मौत का घण्टा है।

यही कुछ जमशेदपुर में हुआ। मुझे समूचे क्षेत्र का दौरा करने का अवसर मिला था। मैंने देखा था कि कैसे पुलिस लोगों को लूट रही थी। वे हरिजनों को मार रहे थे। वे सभी सम्प्रदायों के साथ हर तरह की शरारत कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि समूची केन्द्रीय सुरक्षा पुलिस को भंग कर दिया जाये और उन्हें गुण्डों के समान अवैध घोषित कर दिया जाये।

मैं आपको बता दूं कि जमशेदपुर एक कोयला पट्टी नहीं है। यह एक सुनियोजित शहर है। जमशेदपुर में गलियां अथवा उप-गलियां नहीं हैं। समूचे क्षेत्र में किसी भी दंगे के लिये कोई गुंजाइश नहीं है।

जमशेदपुर में टाटा बंधुओं के अलावा कोई अन्य नियोक्ता नहीं है अतः मेरा कहना है कि इन ठेकेदारों के बारे में, वे घटनास्थल पर कैसे पहुंचे, ठेकेदारों को किसने बुलाया और कौन उनका पोषण कर रहा है इन सब बातों की जांच की जानी चाहिये। यह सब काम टाटा आयरन एन्ड स्टील कंपनी का है।

इस सभा में गत वर्ष हमने सुवर्ण रेखा नदी के संबंध में चर्चा की थी जिसमें एक ठेकेदार ने कुछ आदिवासियों को उस में फेंक दिया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको और समय नहीं दे सकता।

श्री ए० के० राय : इसके साथ ही, जब दिल्ली में हत्या की घटना हुई तो बिल्ला और रंगा को फांसी चढ़ा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक तो नहीं।

श्री ए० के० राय : उन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया है। परन्तु शिवजी सिंह के मामले में हालांकि उसने गंभीर अपराध किया था, उसपर मामला शुरू नहीं हुआ।

इसी प्रकार,1964 में, जमशेदपुर में दंगे हुए थे और 500 लोग मारे गये थे। यद्यपि कुछ मामले चलाए गए थे परन्तु आप को यह जानकर हैरत होगी कि एक भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। सभी लोग बेदाग छूट गए। अतः मेरा कहना है कि मामले की न्यायिक जांच की जानी चाहिए। न्यायपूर्ण भी होनी चाहिये। उस का प्रतिवेदन शीघ्र आए और लोगों को दण्डित किया जाए। मामले की द्रुतता का यही तकाजा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन !

श्री मित्र बसु : श्री मन्, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं रहा।

एक माननीय सदस्य : श्री मित्र वसु को समय दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे किसी का वकालत नहीं चाहिए। समय नहीं है। मुझे मन्त्री महोदय को कम से कम 15 मिनट देने हैं। इसके अलावा मैंने शासक दल की बजाय विपक्ष के सदस्यों को अधिक समय दिया है।

श्री सी० एम० स्टीफन(इद्दीकी) : इस समय देर तक हम यहां इस प्रयास में हैं कि हम अपने उन बहुत सारे भाईयों के कब्र पर अपना शोक प्रकट कर दें जो हर प्रकार से स्वच्छ रिकार्ड वाले होते हुए भी उक्त विनाशलीला में मार दिए गए। मैं चाहता हूं कि शासक दल इस अवसर को मात्र मातम करने के लिए नहीं वरन स्थिति की गम्भीरता को महसूस करने में इस्तमाल करे।

मैं उस एक बात पर जोर देना चाहता हूं जिसका यहाँ पहले ही जिक्र किया जा चुका है और वह यह है कि, उस घटना की विशिष्टिता यह है कि यह एक औद्योगिक शहर में घटी है, किसी ग्रामीण क्षेत्र में नहीं जहां मतांधता के कारण दंगे होते हैं, वरन् ऐसी जगह हुई जो कि एक उन्नत औद्योगिक शहर है जिसका संस्कृति ही औद्योगिक है। अब प्रश्न यह है कि यह घटना कैसे घटी ? अनेक पहलू दर्शाये गये हैं। जब हम सारे मामले को देखते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है।

एक बात जिसका जिक्र मंत्री महोदय के वक्तव्य में आया है वह जलूस के बारे में झगड़ा होना। सारा मामला लगभग पांच दिन तक चलता रहा। यह बात हमारे सोचने की है कि उन पांच दिनों तक राजनैतृत्व ने क्या किया जब कि तनाव बढ़ता ही जा रहा था। तथापि, अन्ततः समझौता हो गया और विधायक श्री पाण्डे भी समझौते में शामिल थे। समझौते में यह था कि जलूस एक खास

[श्री सी० एम० स्टीफन]

क्षेत्र में एक खास समय तक जाकर समाप्त हो जायेगा। 8 बजे यह शुरू होता है 10 तक वह अपने गन्तव्य स्थल पर पहुंचता है। एक विशिष्ट समय पर 9 बजे वह एक स्वीकृत मार्ग पर पहुंचता है जिसपर कोई विवाद नहीं है। उसी समय विधायक आकर अड़ जाता है कि जलूस अब आगे नहीं बढ़ेगा।

और मांग क्या है ? मांग यह है कि श्री तिवारी को रिहा किया जाये । श्री तिवारी को कब गिरफ्तार किया गया था ? मन्त्री जी का कहना है कि श्री तिवारी और अन्य 139 व्यक्तियों को उस दिन गिरफ्तार नहीं किया गया था अपितु उससे पहले गिरफ्तार किया गया था। 11 तारीख से पूर्व गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद समझौता हुआ था। जलूस शान्तिपूर्वक निकलता है और एक खास जगह पर आता है। समझौते के हस्ताक्षरकर्त्ता अपनी जगह पर आते हैं और जलूस को रुकने के लिए कहते हैं। क्या यह मामूली बात है? निश्चय ही समझौता से वे संतुष्ट नहीं थे। इसके पीछे निश्चय ही कोई योजना थी। मैं इसका सम्बन्ध किसी और से या आर० एस० एस० से जोड़ना नहीं चाहता हूं परन्तु इस परचे के बारे में तथ्य को भुलाया नहीं जा सकता। यह सोच समझ कर बनाई गई योजना है। आगजनी हुई और अन्य बातें घटित हुईं। यह पहली अवस्था है।

दूसरे चरण पर मेरा आरोप निश्चय ही भारत के गृहमन्त्री के विरुद्ध है। मेरा गृहमन्त्री पर आरोप है कि या तो वे अक्षम हैं, अथवा उनका उनके साथ मिलीभगत है। 11 तारीख को यह घटना घटी और 10 बजे से लेकर पूरा दिन हिंसा का नाच होता रहा। गृहमन्त्री के वक्तव्य के अनुसार अगजनी प्रातः 10 बजे आरम्भ हुई। सारा दिन ऐसा ही होता रहा। मुझे रात 9 बजे सूचना मिली। जमशेदपुर के ट्रेड यूनियन के नेताओं ने मुझे बार-बार टेलीफोन किया कि जमशेदपुर जल रहा है और कोई बचाव के लिए नहीं आ रहा है।

सेना को बुलाया गया परन्तु इससे कुछ नहीं हुआ। तब मैंने प्रधानमन्त्री को फोन किया। प्रधानमन्त्री ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है। फिर मैंने गृहमन्त्री को फोन किया। गृहमन्त्री ने मुझे बताया कि कोई सूचना नहीं मिली है। जमशेदपुर नगर प्रातः 10 बजे से जला रहा है। जिला अधिकारियों द्वारा सेना बुलाई जा रही है। ऐसा मन्त्री महोदय ने बताया। प्रधानमन्त्री और गृहमन्त्री को इसके बारे में जानकारी नहीं है। साढ़े दस बजे गृहसचिव से फोन मिलता है। वह बताते हैं कि प्रधान मन्त्री ने मेरे टेलोफोन काल के बारे में उन्हें यह सूचना दी है। "स्थिति बहुत खतरनाक है। मैं मुख्य मन्त्री से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा हूं"। वह उपलब्ध नहीं है। कोई अन्य व्यक्ति भी जानकारी देने के लिए उपलब्ध नहीं है। आपके खुफिया विभाग को क्या हो गया है ? यह कैसे हुआ ? 12 घन्टे से जमशेदपुर जल रहा है और आपको सूचना नहीं मिल रही है। जैसे ही सेना को बुलाया जाता है केन्द्र का क्षेत्राधिकार स्थापित हो जाता है। और उसके बाद क्या हो रहा है ? यह बड़ी अजीब बात है। गृहमन्त्री मुझे बताते हैं कि "जब 12 तारीख को मुझे एबुलेंस गाड़ी जला दिए जाने का दुःखान्त घटना का समाचार मिला, मैंने निर्णय किया कि मुझे वहां जाकर यह देखना चाहिए कि क्या बात हुई है।"

ऐसा किसके उकसाने पर हुआ ? 12 तारीख की सुबह हमने यहां यह मामला उठाया। हम इस पर चर्चा की मांग करते हैं परन्तु दोपहर तक सरकार ने इस पर कोई वक्तव्य नहीं दिया। गृहमन्त्री पर कोई दबाव नहीं डाल रहा है कि वह वहां जाकर मामले को देखें, मन्त्री महोदय को कैसे मालूम हुआ कि एक एम्बुलेंस गाड़ी चलाई गई है ? निश्चय ही यह एक गम्भीर मामला है। परन्तु क्या गृहमन्त्री के आचरण का यही तरीका है ? पिछली शाम को वहां सेना थी और वह इसलिए जमशेदपुर जाना चाहते हैं क्योंकि एक एम्बुलेंस गाड़ी जला दी गई और वह मुझे पूरी कहानी सुनाते हैं। वह बताते हैं कि लगभग 50 व्यक्ति मारे गए बताए जाते हैं। क्या यह संख्या 50 है ? आगे वह कहते हैं, "जब मुझे 16 तारीख को पता चला कि लगभग 100 के करीब व्यक्ति हताहत हुए हैं तो मैंने सोचा कि मुझे जमशेदपुर जाना चाहिए। क्या स्थिति पर नियंत्रण रखने का यह तरीका है ? एक समय जब सेना और सीमा सुरक्षा बल वहाँ बुलाई गई थी और मुस्लिम इलाके पर आक्रमण किया जा रहा था तथा लोगों के मकान को जलाया जा रहा था, वे वहां गए और अपने को संतुष्ट करके लौटे कि स्थिति नियंत्रण में है। उनका कहना है कि 50 के लगभग व्यक्ति मारे गए हैं। मेरे पास सूचना है कि इससे अधिक व्यक्ति मारे गए हैं। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि अधिक व्यक्ति मारे गए है। उन्हें 16 ता० को यह मालूम हुआ कि 100 व्यक्ति मारे गए हैं और फिर वे दुबारा जमशेदपुर जाते हैं। ठीक है आपको वहां जाना चाहिए परन्तु इस बीच आपने क्या किया ? मैं आपके इस कथन को समझता हूँ कि यह राज्य का विषय है और इसलिए आप इसमें नहीं आते हैं परन्तु जब जिला अधिकारियों ने सेना को बुलाया तब इसमें आपका क्षेत्राधिकार आ जाता है। और आपने अपना कर्त्तव्य नहीं किया। मैं यही बात कहना चाहता हूं। गृह मंत्री ने यह स्वीकारोक्ति वक्तव्य दिया है ' स्वीकारोक्ति यह है :—

"स्थिति पर विचार करने पर यह ज्ञात होगा कि आरम्भ में ही वहाँ बड़ी संख्या में पुलिस और अर्द्ध सैन्य बलों को नियुक्त करने से सहायता मिलती।"

यह अनुभव गृहमन्त्री को 17 या 18 ता० को होता है। 11 और 12 ता० पूरा ऐसे ही निकल जाता है। 12 की रात को अतिरिक्त पुलिस भेजी जाती है और तब स्थिति पर नियन्त्रण रखा जाता है। जो मौतें हुई हैं, इस के लिए आप जिम्मेदार हैं। जो नरसंहार हुआ है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। यह ऐसा मामला नहीं है जिसे गंभीरता से न लिया जाए। मुझे प्रधान मन्त्रीजी की प्रतिक्रिया पर आश्चर्य है। मैं पूछता हूं कि प्रधानमन्त्री ने क्या किया ? मुस्लिमों को जलाया जा रहा है। जमशेदपुर पर आक्रमण किया जा रहा है, मुस्लिम क्षेत्रों को पूरी तरह से अलग कर दिया गया। प्रधानमन्त्री ने इस पर क्या किया ? मेरा आरोप है कि जो कुछ हुआ है उसके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है। जब जिला अधिकारी स्थिति को नियन्त्रण में रखने में असमर्थता प्रकट करते हैं तब आपको हस्तक्षेप करना चाहिए था परन्तु आप उसमें विफल रहे।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख बार-बार किया गया है। मतलब यह है कि देश में तनाव है। राष्ट्रपति के अधिभाषण के दौरान भी मैंने इसके बारे में कहा है, मुस्लिमों, ईसाईयों अनुसूचित जाति तथा जनजातियों में असुरक्षा की भावना है। सभी जगह

[**श्री सी० एम० स्टीफन**]

असुरक्षा की भावना व्याप्त है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से आपको राजनीतिक तौर पर ताकत मिलती है। आप उस ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कैदी बन रहे हैं। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री सभी लोग राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कैदी हैं। आप उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं और यह नहीं कह सकते हैं कि इसके लिए वे जिम्मेदार हैं। जो भी हत्याएं हुई हैं तथा जो भी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सदस्य है वह इस दोषारोपण से बच नहीं सकता। आप भी इसके लिए समान रूप से जिम्मेदार हैं।

यह एक गंभीर स्थिति है। प्रत्येक समुदाय के मन में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। हमारे जैसे देश में जहां सब समुदायों के लोग रहते हैं आप उन्हें अल्पसंख्यक नहीं कह सकते हैं। सात करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं हैं जिनकी आप उपेक्षा करें। दो करोड़ ईसाई अल्पसंख्यक नहीं हैं जिनकी आप उपेक्षा करें। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के करोड़ों लोग कमजोर हो सकते हैं परन्तु वे अल्पसंख्यक नहीं हैं जिनकी आप उपेक्षा करें। यह एक विस्फोटक स्थति है। यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है कि वह उनमें सुरक्षा और विश्वास की भावना भरे कि वे इस सरकार पर भरोसा रख सकते हैं। अनुभव बताता है कि वे इस सरकार से आशा नहीं रख सकते हैं और इसलिए असहायता की स्थिति उत्पन्न होती है।

एक ओर अति उत्साह है और दूसरी ओर असहाय स्थिति है। जहां अति उत्साह में वृद्धि होती है वहां असहायता अराजकता भी बढ़ती है। देश बरबादी की ओर जा रहा है और तनाव में वृद्धि हो रही है। मेरा इसलिए अनुरोध है कि इसको पूरी गम्भीरता से लिया जाए। जो कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदारी से केन्द्रीय सरकार मुक्त नहीं हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : गृहमन्त्री !

श्री ए० के० राय : इस मामले पर हम प्रधान मन्त्री से कुछ सुनना चाहते हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : यह प्रधान मन्त्री की जिम्मेदारी है।

गृह मन्त्री (श्री एच० एम० पटेल): जब माननीय सदस्य कहते हैं कि ऐसे विषय पर जो गृह मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार में आता है, गृह मन्त्री को उत्तर नहीं देना चाहिए तो ऐसा लगता है कि वह इस देश के संविधान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। प्रधानमन्त्री को निश्चय ही इस पर बोलना चाहिए। सरकार जो कुछ करती है उसके लिए वह जिम्मेदार हैं परन्तु यदि आप गृह मन्त्री के कथन से संतुष्ट नहीं होते हैं तब आप इस पर प्रधान मन्त्री को बोलने के लिए कह सकते हैं।

मैंने सारी चर्चा बड़े ध्यान के साथ सुनी है। मैंने अपने वक्तव्य में कहा है कि मुझे इस पर वक्तव्य देते हुए बड़ा दुख हो रहा है। परन्तु इस सदन में जो बक्तव्य दिए गए हैं वे नितान्त राजनीति से प्रेरित हैं (व्यवधान) जो कुछ हुआ है उस पर केवल जबानी सहानुभूति प्रकट करने के कहीं कोई दुख नहीं है। माननीय सदस्य श्री राय ने ठीक कहा है कि यह तो पेशे के लोगों का मातम है। उन्होंने अपने वक्तव्य के आरम्भ में जो कुछ हुआ है, उस पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने

कहा कि जिस तरह की बातें हुई हैं उससे सिर शर्म से झुक जाता है। पर इसके बाद उन्होंने क्या कहा ? क्या उन्होंने जो कुछ कहा वह रचनात्मक सुझाव थे। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरे विचार में कम से कम विपक्ष के नेता को सरकार के कार्यकरण के बारे में कुछ जानकारी होती।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्होंने आपको समय पर टेलीफोन किया था।

श्री एच ० एम० पटेल : हां, उन्होंने फोन किया था। उन्हें बताया गया था कि स्थिति कैसी थी। यह केवल जल नहीं रहा था (**व्यवधान**) जब आपको गृहसचिव द्वारा सूचित किया जाता है, वह ऐसा करता है क्योंकि मैंने इसे बातचीत करने को कहा था। आपको सूचना मिली थी परन्तु मेरा यह कहना नहीं है। उनका यह कहना नितांत गैर जिम्मेदार ना है कि "मैं गृहमन्त्री पर अक्षम होने का आरोप लगाता हूं।" यदि वह ऐसा समझते हैं तब वह अपने कथन में ठीक हैं (**व्यवधान**) विपक्ष में आप लोग तो चाहें कह सकते हैं (**व्यवधान**) इस ओर बैठे आप सब लोग समक्ष हैं तभी आपलोग उधर बैठे हुए हैं।

उन्होंने आगे नितांत गैर जिम्मेदार बन कर कहा कि मैंने मिलीभगत से ऐसा काम किया है। उनका ऐसा कहने का क्या मतलब है ? इससे बढ़कर शर्मनाक वक्तव्य माननीय सदस्य क्या दे सकते हैं। एक व्यक्ति जो यह नहीं जानता····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया था ? क्या कठोर भाषा का इस्तेमाल करना एक ही तरफ के लोगों का सर्वाधिकार है ?

श्री एच एम० पटेल : माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है तथा जिस प्रकार गैर जिम्मेदराना ढंग से बोला है उन्हें उसी भाषा में सुनने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

कानून तथा व्यवस्था राज्य का विषय है। यह उनको समझना चाहिए। भारत सरकार कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती है। निश्चय ही भारत सरकार का काम है कि यदि उन्हें जरूरत पड़ती है तो वह उनकी सहायता करे। यदि ऐसा नहीं होता तो गृहमन्त्री जमशेदपुर दो बार नहीं गए होते। वह अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। वह समझते हैं कि वह किस प्रकार अपनी सहायता प्रस्तुत कर सकते हैं। परन्तु कानून तथा व्यवस्था बनाए रखने की सभी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और यह मेरा कहना है कि राज्य सरकार अपने इस कर्त्तव्य का पूरी तरह से निर्वाह कर रही है। ऐसी घटनाएं घटती हैं। इस मामले में क्या हुआ ? दंगा हुआ और तरह-तरह की अफवाहें फैलीं और इन्होंने इस पर अपना मामला बनाया। मेरे माननीय मित्र श्री ज्योतिर्मय बसु, वह यहां नहीं है···

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने केवल अपनी जगह बदली है।

श्री एच० एम० पटेल : वह अपने निराले ढंग से किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और फिर इसके लिए जो प्रमाण मिलते हैं वह कोरी गप्पबाजी होती है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आपके राज्य मन्त्री का कथन भी गप्पबाजी है ?

श्री एच० एम० पटेल : वास्तव में उन्होंने एक मंत्री को उद्धृत करते हुए कहा था, "परमात्मा ऐसे गृहमन्त्री से देश को बचाए" आरोप लगाया। यदि इसका मतलब मेरे से है तो मैं समझता हूं कि परमात्मा देश को ऐसा गृहमन्त्री देकर उसे बचा रहा है।

माननीय सदस्य ने समाचार पत्र के समाचार का हवाला देकर कहा जिसमें मैंने यह कहा बताया गया है कि मुस्लिमों ने पहले आक्रमण किए और बाद में नुकसान उन्हें हुआ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह सच नहीं है।

श्री० एच० एम० पटेल : ऐसा बताया गया है कि यह वक्तव्य मैंने दिया है। 13 तारीख को मैं वहां गया था और संवाददाताओं ने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें बताया कि "मैं वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूं। मैं कुछ नहीं जानता। मैं यहाँ आया हूं और मैं लोगों से पूछ रहा हूं कि क्या बात हुई है और मैं लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा कि कृपया हमें बताइए कि आपको क्या कहा गया है"। मैंने बताया, "मुझे अनेक बातें बताई गई हैं और एक बात यह बताई गई है कि मुस्लिमों ने पहले आक्रमण किया था और उसके बाद भीड़ उग्र हो गई···

श्री दीनेन भट्टाचार्य : यह एक तरफा है·····

श्री एच० एम० पटेल : मैंने कहा कि मेरा इस पर विश्वास नहीं है। मैं न इस कहानी पर और न दूसरी कहानी पर विश्वास करता हूं। मैंने कहा कि जब तक मैं स्वयं इसकी जाँच नहीं कर लेता, मेरे लिए यह वक्तब्य देना ठीक नहीं होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। उस समय मुख्य मन्त्री ने जो वहां उपस्थित थे कहा, "हमने उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है जो वस्तुस्थिति की जांच करके देखेगी कि क्या बात हुई है तथा इसके लिए कौन जिम्मेदार थे।" मेरी समझ में यह मामले पर पहुंचने का सही तरीका है।

श्रीमती मोहसिना किदवई ने एक परचे का उल्लेख किया है जिसका वितरण किया गया था। हो सकता है कि ऐसे परचे का वितरण किया गया हो। क्या उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि यह परचा उन्होंने ही बांटा था जिनके बारे में वह सोचती हैं कि उन्होंने ही ऐसा किया था।

श्री मोहसिना किदवई : यह पता लगाना आपका काम है।

श्री एच० एम० पटेल : मैं आप से सहमत हूं कि यह पता लगाना मेरा काम है कि वह परचा

जो आज मेरे ध्यान में आई है, किसने बाँटा है। मुझे इस बात पर संदेह नहीं है कि जांच होने पर सभी मामलों पर ध्यान दिया जाएगा। यह पता लगाना हमारा कर्त्तव्य है कि किस प्रकार ऐसे परचे का वितरण हुआ जिसके कारण लोगों को उत्तेजित होकर इस प्रकार का काम करना पड़ा। यह बिल्कुल ठीक है कि यह ऐसी बातें जिनपर हमें विचार करके किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : गृह मन्त्रालय में उनके पास कोई साधन नहीं है।

श्री एच० एम० पटेल : विपक्ष के माननीय नेता का कहना है कि गृह मन्त्रालय को कोई जानकारी नहीं है। निश्चय ही गृह मन्त्रालय के पास वैसी जानकारी नहीं है जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। यह बिल्कुल सही है। यह इसलिए हुआ कि स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करने के लिए अपने पहले कर्त्तव्य में लगा हुआ था कि हमारे पास आने से पूर्व दंगों को नियंत्रित किया जाए। जब वह निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें सेना की आवश्यकता है .....ऐसे अनुदेश दिए हुए हैं जिसके अंतर्गत वे सहायता के लिए सेना को कह सकते हैं। वहां स्थानीय तौर पर सेना ठहरी हुई है और वह सेना शीघ्र ही सहायता के लिए आई। जब उन्हें अधिक तथा अतिरिक्त सशस्त्र सेना की आवश्यकता हुई तो उन्होंने स्थानीय सेना कमांडर से संपर्क किया...

श्री सी० एम० स्टीफन : इस प्रकार का स्पष्टीकरण का उबाऊ है।

श्री सी० एम० पटेल : वे जो भी अतिरिक्त सहायता चाहते थे, क्षेत्रीय कमाण्डर ने जो भी सेना उसके पास थी, उन्हें दी। एक बड़े देश का प्रशासन ऐसे चलता है। यदि आप सोचते हैं... (**व्यवधान**) दुर्भाग्य से, मैं ऐसे लोगों द्वारा हल्ला मचाने से उत्तेजित नहीं होऊंगा जिन्होंने यह जानने की कोशिश नहीं की कि यह कैसे होता है। जो मैं बता रहा हूं वह केवल तथ्यों का निरूपण है तथा यह बताया जाना है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है।

जब गृह मन्त्रालय को यह कहा गया कि "क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि सेना कमांडर रांची, जिसके पास हम गए थे सेना तुरन्त भेजे" तो इस मामले पर तुरन्त विचार किया गया और रांची के प्रभारी मेजर जनरल ने सेना को भेजा तथा कुछ ही घन्टों में सेना जमशेदपुर में थी। इसलिए इस मामले में ढील देने का कोई प्रश्न नहीं उठता। सेना ने बहुत शीघ्रता से तथा ठीक काम किया। यह गृह मन्त्रालय की जिम्मेदारी है। यदि ऐसा नहीं होता तो निश्चय ही आपको यह कहने का अधिकार है कि सरकार ने तत्काल कार्य नहीं किया...

श्री सी० एम० स्टीफन : आपने ऐसा नहीं किया। यही मैंने कहा था। आपको कहा गया था कि 11 तारीख की शाम को सेना की आवश्यकता थी और सेना की पूरी कुमुक 12 ता० की रात को गई थी, और आपने कहा था कि वहां आरम्भ से ही बड़ी संख्या में पुलिस भेजे जाने से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता था।

अध्यक्ष महोदय : क्या हम किस्त दर किस्त चर्चा करें ?

श्री एच ० एम० पटेल : विपक्ष के नेता भूल जाते हैं कि मैंने उनकी बात को उनकी उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य के बावजूद बिना कोई व्यवधान पैदा किए सुना था परन्तु उनमें इतना भी धैर्य नहीं है कि मेरी बात को सुने। वह तथ्यों के बारे जानने का कष्ट भी उठाना नहीं चाहते हैं। 11 तारीख को जो भी सेना की सहायता की जरूरत थी, वह दी गई। जब यह देखा गया कि स्थिति नियंत्रण में नहीं आ रही है तब अतिरिक्त सेना की मांग की गई। सीमा सुरक्षा बल के लिए अनुरोध गृह मन्त्रालय से किया जाता है और गृह मन्त्रालय इसकी व्यवस्था करता है। सेना को भी कहा जाता है और सेना अपनी सहायता देती है। यह सब 11 और 12 तारीख की रात को तत्काल किया गया था (**व्यवधान**)

मैं समझता हूं कि यह खास चर्चा इसलिए की गई है क्योंकि विपक्षी महानुभाव तथ्यों को सुनिश्चित कराना चाहते हैं। जो भी तथ्य मेरे पास थे, मैंने उन्हें दिये। उन्होंने मुझे अन्य अनेक 'तथ्य' दिए हैं जो उन्हें विभिन्न माध्यमों से मिले हैं। मैं निश्चय ही उनकी जांच कराऊंगा और उनका ध्यान से अध्ययन करूंगा। वास्तव में श्री ए० के० राय से एक महत्त्वपूर्ण तथा बहुमूल्य सुझाव आया है।

उन्होंने कहा कि अनेक जांच कार्यवाहियां की जा रही हैं लेकिन उनके पूरा होने में वर्षों लग जाते हैं, अतः मैं सोचता हूं वे ठीक कह रहे हैं, मैं भरसक प्रयत्न करूंगा कि विशिष्ट जांच का कार्य शीघ्र पूरा हो और इसका प्रतिवेदन बहुत थोड़े समय में ही प्रस्तुत किया जाये। मैं सोचता हूं ऐसा अवश्य किया जाना चाहिये और इस संबंध में दीर्घसूत्रता की अनुभूति नहीं दी जानी चाहिये।

मैं यह भी कहूंगा कि सिफारिशें जैसी भी होंगी हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें क्रियान्वित किया जाये। (**व्यवधान**) जहां तक पुनर्वास का सम्बन्ध है, कुछ माननीय सदस्यों ने एक बात का कठोर भाषा में उल्लेख किया और वे चिल्लाकर कह रहे थे कि शिविरों में सभी व्यक्ति मुस्लिम थे। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा है। मैंने यह नहीं कहा है कि शिविरों में कौन थे। लेकिन वास्तव में यह बिलकुल सच है कि शिविरों में मुस्लिमों की संख्या अधिक है और हिन्दुओं की संख्या बहुत थोड़ी है। उन्हें नौ शिविरों में रखा गया है। इरादा यह है कि लोगों को जैसी उन्हें चाहिए वैसी सहायता देकर वापस उनके घर भेजने की प्रक्रिया को तेज किया जाये (**व्यवधान**) 38,500 लोग शिविरों में हैं। मुझे बताने दीजिये, जहां तक मुझे जानकारी दी गयी है, नष्ट किये गये मकानों की संख्या बहुत कम अर्थात् कुल 300 है, अन्य कई भय और असुरक्षा के कारण छोड़कर चले आये थे तथा जो भय अथवा असुरक्षा की भावना के कारण छोड़कर आये हैं उन्हें अपने घरों को वापस जाने हेतु समर्थ बनाया जायेगा।

दूसरे भी बहुत से लोग हैं जिनके मकान अंशतः नष्ट किये गये थे। उन्हें ऐसा सामान देकर मदद दी जायेगी जैसी उन्हें आवश्यकता है ताकि उनके मकान रहने योग्य बन सकें और उनके पूर्व निवासी उनमें पहले की भांति रह सकें। जिनके मकान पूर्णतः नष्ट कर दिये गये हैं उनके लिए यथासम्भव शीघ्र व्यवस्था करनी है ताकि उनके रहने के लिए कुछ प्रबन्ध हो सके।

इसी बीच जो भी अन्य सहायता दी जाती है और बिहार के मुख्य मंत्री ने कहा है कि किसी भी प्रकार की सहायता को रोकने का प्रश्न नहीं उठता। (**व्यवधान**) इस सम्बन्ध में इस विशेष कार्य के लिए उत्तर दायित्व सरकार का होना चाहिये।

केन्द्र उस राज्य को हर सहायता देने का प्रयत्न करेगा जो उसके लिए मांग करेगा। केन्द्र यही कार्य कर सकता है और यह कार्य वह करता भी रहा है। मैंने वक्तव्य में भी कहा है(**व्यवधान**) कि जहां कहीं और जब कभी आवश्यकता पड़ेगी सभी कार्यवाहियां की जायेंगी।

श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर) : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय मित्र के विपरीत हम कानून के अनुसार अग्रसर होते हैं। यहां एक लब्धप्रतिष्ठ अधिवक्ता हैं जो आपसे यह बतायेंगे क्योंकि अब हमारे पास इस विषय संबंधी निवारक नजरबंदी कानून नही है। हम केवल कानून के अनुसार आगे बढ़ सकते हैं। यदि श्री डी० एन० पाण्डे जिनका उन्होंने उल्लेख किया है, किसी भी प्रकार की ऐसी कार्यवाही अथवा गतिरोध के लिए उत्तरदायी हैं जो उन्हें किसी धारा के अन्दर दोषी ठहराती है तो उनके विरुद्ध निश्चित रूप से अभियान चलाया जायेगा। इसमें कोई हिचकिचाहट की बात नहीं है। श्री ए० के० राय ने कहा···(**व्यवधान**)

डा० मुरली मनोहर जोशी(अल्मोड़ा) : मुझे आशा है कि आप डा० अखौरी और कालिका नन्दन सिंह के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : वे सब लोगों के लिए कह रहे हैं।

श्री एच०एम० पटेल : जो भी उसके लिए उत्तरदायी है उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री सी० एम० स्टीफन (इदक्की) : अब आपने यह बात कही तो वे कार्यवाही करेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : श्री ए० के० राय ने बताया कि धनबाद में गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जनता विधान सभा का सदस्य था।

अब मैं कहता हूं कि इससे यह विदित होता है कि सरकार को जनता विधान सभा सदस्य के विरुद्ध भी, यदि वह अपराधी है कार्यवाही करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है और इस बारे में कोई विवाद नहीं होगा यदि कोई जनता विधान सभा सदस्य किसी ऐसे कार्य के लिए उत्तरदायी पाया जाता है जो उसे नहीं करना चाहिये था।

महोदय, मैं नहीं सोचता कि मुझे सभा का अधिक समय लेने की आवश्यकता है, मैंने कहा है कि इस मामले की पूरी जांच की जायेगी। जब मैंने यह कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है तो किसी माननीय सदस्य ने कहा कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं।

[श्री एच० एम० पटेल]

मैंने बताया कि हालांकि स्थिति नियंत्रण में है फिर भी वहां तनावपूर्ण वातावरण है और सतर्क रह कर ही यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि साम्प्रदायिक संकट पैदा न हो और हम निश्चय ही ऐसा करेंगे। मैं सोचता हूं ये ही बातें थीं जीन पर चर्चा की आवश्यकता थी।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

8.12 **म०प०**

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार 19 **अप्रैल**, 1979/29 **चैत्र**, 1901 (**शक**) **के** 11 **बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।**

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, दिल्ली-110002